राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या : 20

मंगलवार,

30 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

343. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र के सुचारु संचालन, देखभाल तथा उचित रख-रखाव के लिए समुचित ध्यान दिये जाने एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम निर्धारित कर दिशा-निर्देश/परिपत्र जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति के लिए नीति निर्धारित है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में आने वाले कितने ग्रामों, मजरों व ढाणियों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये हुए हैं तथा किस-किस ग्राम, मजरे, ढाणी के लिए अभी तक स्वीकृति जारी नहीं की गई है? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्मित करवा दिये गये हैं? यदि हां तो कितने निर्मित हो चुके हैं तथा कितने किये जाने के पश्चात् निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है एवं किस-किस केन्द्र के लिए निर्माण राशि स्वीकृत नहीं की गई है? पृथक-पृथक सूची मय विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु कब तक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करवा दिये जाएंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन, लाभान्वितों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने, केन्द्र के रख-रखाव तथा केन्द्र निरीक्षण हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश/परिपत्र जारी किये जाते रहे हैं। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में औसतन 800 की आबादी पर एक केन्द्र तथा 150 से 400 की आबादी पर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। विधान सभा क्षेत्र देवली के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, अलीगढ़ के अधीन 166 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 41 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बाल विकास परियोजना देवली के अधीन 187 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 23 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र की इन परियोजनाओं में कुल 353 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 64 मिनी केन्द्रों की स्वीकृत सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश राजस्व ग्राम, ढाणी एवं मजरों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा चुके हैं अथवा उन्हें निकटवर्ती आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ा जा चुका है। विभाग को परियोजना देवली के लिए 21 राजस्व ग्राम/ढाणियों तथा अलीगढ़ के लिए 16 ग्राम/ढाणियों की सूची आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अलीगढ़ एवं उनियारा बाल विकास परियोजनाओं में कुल 366 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में चल रहे हैं। इनमें से 185 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में, 41 आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक शाला भवनों में चलाए जा रहे हैं तथा शेष 140 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान कुल 146 आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 116 भवन पूर्ण हो चुके हैं। 8 स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा 22 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाये हैं। इन 22 कार्यों में से 21 कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मार्च, 10 में स्वीकृत किये गये हैं इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी शेष है। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के अन्तर्गत निर्मित आंगनबाड़ी भवनों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अभी तक

(श्रीमती बीना काक)

निर्माण राशि स्वीकृत नहीं की गई है, उनकी सूची परिशिष्ट-य पर संलग्न है। जिन स्थानों पर निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिये गये हैं एवं निर्माणाधीन हैं तथा जिनके लिए निर्माण राशि स्वीकृत नहीं की गई है, उनकी सूची परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(4) राज्य में लगभग 50 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं। किराये के भवनों हेतु भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रति माह किराया राशि का चुकारा किया जा रहा है। सभी किराये के भवनों में चल रहे केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हेतु अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था है वहां केन्द्र स्थानान्तरित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। इसी निरन्तरता में नाबार्ड के वित्त पोषण से आगामी वर्षों में 1140 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कराये जाने की कार्य-योजना तैयार की गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बाल विकास मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज है और उसी के आधार पर आप काम करते हैं। माननीय अध्यक्षजी, 800 से ज्यादा आबादी का कोई गांव हो और वहां आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खुल पाये हों तो यह सरकार की मशीनरी का फेल्योर है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है आपका?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): क्या यह सही है कि ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रावता में आज की तारीख में 600 मतदाता हैं और 850 से ज्यादा की आबादी है, वहां आपने आंगनबाड़ी केन्द्र खोला? यह सही है कि मैंने 28 जनवरी, 2009 को एक पत्र लिखा, अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी को, कि गोविन्दपुरा मजरा दलवासा में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया जाए क्योंकि रेवेन्यू विलेज है और बड़ा गांव है, यहां पोलिंग बूथ है। आपके यहां से रिप्लाई आया उप निदेशक का, आपका नहीं आया, और वह रिप्लाई 24 फरवरी, 09 का है कि राज्य सरकार में इस बारे में कार्यवाही की जा रही है, की जा सकेगी।

(श्री रामनारायण मीणा)

आज दिन तक आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया। इसी क्रम में मैं आपको कुछ नाम बताऊं, मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी, विभाग चल रहा है, मेरे यहां, ये प्रश्न शामिल कर लें, दो ब्लाक हैं, ब्लाक देवली और ब्लाक उनियारा-अलीगढ़, दोनों में सी.डी.पी.ओ. नहीं हैं। ऐसा डिप्टी डाइरेक्टर टौंक में लगा रखा है, अध्यक्षजी, जिसको टेलीफोन करें, आज दिन तक मेरे टेलीफोन का रिप्लाई नहीं किया। मेरे टेलीफोन की काल्स देख लीजिये, नो रिप्लाई। विभाग बिलकुल इनइफैक्टिव है इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रुपारेल गांव है ग्राम पंचायत गावड़ी में, वहां आप कहते हो कि आंगनबाड़ी केन्द्र खुलना चाहिए, आपने नहीं खोला। ढाणी नाकावाली, गावड़ी में आप कहते हो, हम खोलने जा रहे हैं, आपने कितने दिनों से नहीं खोला? क्या यह सही है कि मालेगांव में एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है, तीन किलोमीटर आस-पास नहीं है? क्या यह सही है कि काशी बोयड़ा, वहां खोलना चाहिए था, नहीं खोला? सांवतगढ़ में एक आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है। ढांकणियावास में खारा पानी है, पी नहीं पाते हैं लोग पानी। देवपुरा ढाणी है, खानवाली ढाणी है, मीणा ढाणी, खेड़ा ढाणी, कटारिया ढाणी, मोरजा ढाणी, ऐसे दर्जनों गांव हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां नहीं खोले गये। दूसरा मेरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्षजी, कि आप ये स्वीकृतियां साल में निकालते हो, डेढ़ साल में निकालते हो, हम विधान सभा में प्रश्न पूछते हैं कि देवपुरा का आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खुल रहा है, कृपा करके खुलवाया जाए, विधान सभा में हम कार्यवाही करते हैं। पर विभाग क्या कर रहा है? क्या यह सही है कि विभाग सोया हुआ है उसको कौन जगाएगा? इसलिये, मंत्रीजी, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, बाकी तो बाद में पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: बाकी और बाकी है अभी? एक बार में ही पूछ लीजिए आप, जो पूछना है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्षजी, जब विभाग सोया हुआ है तो हमें ही जानकारी है। विभाग को बता देंगे तो नींद में जितना याद रह जाएगा उतना याद रह जाएगा, बाकी भूल जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: चलिये, विराजिये। मंत्रीजी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): इसलिये क्रम वाइज। क्या यह सही है कि वहां बी.आर.बी.एस. चलता है, बैकवर्ड इलाका है टौंक जिला,

(श्री रामनारायण मीणा)

सरकार उन फण्ड्स को आंगनबाड़ी केन्द्रों में कन्वर्ट करके एक ही साल में करवाएगी? मेरे सी.डी.पी.ओ., डिप्टी डायरेक्टर, अधिकारी जितने हैं, निकृष्ट की भाषा तो मैं नहीं कह सकता, संसदीय नहीं है, आब्जेक्शन कर देंगे डिप्टी लीडर महोदय। इसलिये मेरी तो आपसे अर्ज है कि हमने यह जो पत्र लिखा, किसकी गलती है? यही नहीं, आपके यहां इंक्वायरी हुई, ए.डी.एम. ने इंक्वायरी कर ली, उनको आज दिन तक सस्पैण्ड नहीं किया। यह कौनसी कड़ी है जो भ्रष्ट कर्मचारियों को आपके यहां बचा रही है? बाकी बात बिलकुल अर्ज करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टौंक जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन गांवों का जिक्र किया है, वहां पर नहीं खोले गये हैं तो हो सकता है, जैसा कि मैंने मेरे खण्ड-2 में कहा था, कि विभाग को परियोजना देवली के लिये 21 और अलीगढ़ के लिये 16 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। तो हो सकता है, उक्त गांव उसके अन्दर सम्मिलित हों। मैं इतने सारे गांवों में उन गांवों को तो नहीं जानती हूं लेकिन मैं इनका परीक्षण जरुर करवा लूंगी और शीघ्र ही जो भी नियमानुसार कार्यवाही होती हो, जहां खोले जा सकते हैं, जो नार्म्स के अन्दर आते हैं, उन पर शीघ्र ही कार्यवाही कर दी जाएगी।

दूसरा, माननीय सदस्य ने कहा कि सी.डी.पी.ओ. की पोस्टें खाली हैं, तो मैं यह मानती हूं कि केवल आपके यहां ही नहीं, माननीय सदस्य, करीब सौ सी.डी.पी.ओज. की जगह खाली हैं। चूंकि आर.पी.एस.सी. में वक्त लग रहा है इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि रिटायर जो सी.डी.पी.ओज. हैं उनको तुरन्त प्रभाव से लगा दिया जाए। डी.ओ.पी. से और वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति हमने ले ली है, शीघ्र ही यह कार्यवाही कर दी जाएगी।

जहां तक काम सही नहीं हो रहा और आपने कहा कि एक्शन नहीं होता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं, मैंने स्वयं कई केन्द्रों के दौरे किये थे आप ही के विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में और जयपुर, सांगानेर और नागौर कलेक्टर्स ने भी जहां भी अनियमितताएं पायीं, कड़े से कड़े, सस्पैंड तक किया गया इन लोगों को। झालावाड़ में डिवीजनल कमिश्नर ने भी अपने दौरे के दौरान जहां-जहां अनियमितताएं पायी हैं, वहां

(श्रीमती बीना काक)

एक्शन लिया है। मैं आपको सरकार की तरफ से यह निश्चित कर देना चाहती हूं कि कहीं पर भी इस तरह की कोताही को नहीं बख्शा जाएगा और कड़े से कड़े निर्देश जारी किये जाएंगे। धन्यवाद।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि मैंने 2009 में आपको 28 जनवरी को पत्र लिखा आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए। सवा साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, हमारे पत्रों का जवाब विभाग नहीं दे, उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करो, स्लैगनैस बढ़ेगी। मेरा अर्ज करना है, जो हम सजैस्ट करते हैं, आपके डिप्टी डाइरेक्टर है, ऐसे लेथार्जिक आदमी को आपने डिप्टी डाइरेक्टर बना रखा है, एक बात।

साल भर हमारी गवर्नमेंट को हो गया। यह गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट है, नेहरूजी की गवर्नमेंट है। राजीवजी ने कहा था, 'बात कम, काम ज्यादा'। इसलिए मेरा अर्ज करना है कि हम आर.पी.एस.सी. से नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उस पार्टी के हैं, आज सोनियाजी अकेली महिला होकर हिन्दुस्तान में किस तरह से कांग्रेस को जमा रही हैं, देश को आगे बढ़ा रही हैं। इंदिराजी ने क्या किया? कृपा करके आप भी एक्टिव बनोगे, सरकार को भी ऐसा वह नहीं दोगे। इसलिए मेरा जो पत्र है, उन पत्रों का जवाब आपने क्यों नहीं दिया और कब तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन आप कर दोगे? आप कब तक सी.डी.पी.ओ., किस को कर दो, मुझे पता नहीं है, लेकिन आज राजस्थान में जो पोजिशन छोड़कर गयी बी.जे.पी. वे ही कर्मचारी नहीं बढ रहे हैं। आपके विभाग में, हमारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी सोनियाजी ने कहा था कि महिलाओं को, बालकों को, अल्पसंख्यकों को महत्व देंगे, वह महत्व देने के लिए सरकार कितना नीतिगत निर्णय ले रही है, यह भी बता दीजिए।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करती हूं और जो यह आहत हुए कि उनके पत्र का जवाब नहीं गया, मैं स्वयं उस पत्र को आज निकलवाकर देखूंगी और उसके ऊपर तुरन्त ही जो भी कार्यवाही होगी, वह करूंगी। मैं मेरे विभाग की तरफ से, माननीय सदस्य, आपकी जो भावना आहत हुई, उसकी क्षमा चाहती हूं। उस पत्र को मैं स्वयं देख लूंगी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा आखिरी प्रश्न है। करप्शन के मामले में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया, चलिये, विराजिये। नहीं, बस हो गया, सफिशिएंट है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): महिला बाल विकास के करप्शन के मामले में मेरा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा साफ है।

श्री अध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): प्रश्न संख्या 344.

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा साफ है, महिलाओं के मामले में तो हाउस में ...(व्यवधान) चाहिए।

श्री अध्यक्ष: राजस्व मंत्रीजी।

जहाजपुर तहसील मुख्यालय की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

344. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील जहाजपुर के ग्राम जहाजपुर में डाक बंगले के पीछे स्थित बिलानाम बेशकीमती सरकारी भूमि पर किस-किस व्यक्ति द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर कब एवं किस प्रकार का अतिक्रमण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं? क्या अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण को हटवाने के लिए जन-प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की जाकर प्रकरण को जिला सतर्कता समिति में दर्ज कर निस्तारण चाहा गया था? यदि हां, तो उक्त शिकायतों का किस प्रकार निस्तारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) तहसील जहाजपुर के राजस्व ग्राम जहाजपुर में डाक बंगले के पीछे स्थित बिलानाम सरकारी भूमि खसरा नम्बर 7411/6447, किस्म बंजड-II पर 16 व्यक्तियों का अतिक्रमण है। सभी 16 अतिक्रमणों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

(2) जी हां। सभी अतिक्रमियों को बेदखल करने के आदेश तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा पारित किये गये हैं। अभी तक किसी भी अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। भौतिक रूप से अतिक्रमण नहीं हटाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कलक्टर, भीलवाड़ा को निर्देशित कर दिया गया है।

(3) जी हां। माननीय विधायक, जहाजपुर ने दिनांक 04.03.2009 एवं 09.06.2009 को कलक्टर (सतर्कता) को इन अतिक्रमणों के संबंध में शिकायत करते हुए इस प्रकरण को सतर्कता समिति में दर्ज इन दोनों पत्रों पर कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मेरे पूर्व के प्रश्न संख्या 3715 के जवाब में 4 दिसम्बर, 2009 को सात व्यक्तियों का कच्चे मकान एवं बाड़ेनुमा अतिक्रमण बताया था एवं इनको हटाने की कार्यवाही करना बताया था। किन्तु मेरे आज के प्रश्न के जवाब में 16 व्यक्तियों का अतिक्रमण बताया है जिसमें से सात ने 3 माह में पक्के निर्माण कर लिये हैं? क्या यह सही है कि मेरे प्रश्न पूछने के बाद अतिक्रमण हटाना दूर की बात है बल्कि अतिक्रमण बढ़ाया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है एवं क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री प्रश्न है कि क्या सरकार तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित आदेश के अनुसार इन अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुल 16 अतिक्रमी हैं, इसमें से सात अतिक्रमियों ने 2005 से अतिक्रमण किया और बाकी अतिक्रमियों ने 2009-10 में अतिक्रमण किया।

यह जमीन नगरपालिका, जहाजपुर के आबादी के बीच में है, बहुत कीमती जमीन है और कीमती जमीन होने की वजह से इन लोगों ने अतिक्रमण करके उसको हड़पने की नीयत से अतिक्रमण किया है। माननीय

(श्री हेमाराम चौधरी)

विधायक महोदय ने जो पत्र लिखा कलक्टर को, उसके ऊपर कलक्टर ने एस.डी.ओ. को पत्र लिखे कई बार ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): प्रश्न पूछा उस समय सात अतिक्रमण थे।

श्री अध्यक्ष: पहले जरा जवाब आ जाने दीजिए। बैठने के बाद आपको अलाउ करूंगा। आपको अलाउ करूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, मैं उनकी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप इसमें ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उनका जो प्रश्न है वह यह है कि उन्होंने प्रश्न पूछा, दिसम्बर में आपका जवाब आ गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उन्होंने सुन लिया उनका प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सात कब्जे थे उस पर और अभी जो प्रश्न पूछा उसमें 16 कब्जे हो गये। प्रश्न पहले का, जवाब भी आपका, तो अभी यह क्या फर्क?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं यही तो कह रहा हूं कि सात अतिक्रमण 2005-06 में हुए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूछ लिया उन्होंने।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): 2005-06 में अतिक्रमण, उसके बाद में वह अतिक्रमण को हटाया, फिर वापस कर लेते हैं। तहसीलदार ने जो अतिक्रमण बेदखली के आदेश पारित किये, लेकिन बेदखली के आदेश पारित करने के बाद में भौतिक रूप से कई बार कब्जा हटाते नहीं है। तहसीलदार आदेश कर देता है, बाद में पटवारी को पुलिस की इमदाद से कब्जा हटाने की कार्यवाही करनी होती है। पुलिस की इमदाद नहीं मिलती है तो उस वजह से कई बार भौतिक रूप से कब्जा हट नहीं पाता है। या कब्जा हटाने के बाद में भी अतिक्रमी फिर वापस वहां कब्जा कर लेता है। यह 2005-06 के सात अतिक्रमण हैं, ये 2005-06 के हैं और उसके बाद में फिर और लोगों ने अतिक्रमण किये। मैं स्वीकार कर रहा हूं, 2009-10 में और अतिक्रमण किये। 2009-10 में और अतिक्रमण कर लिये। जो इन्होंने कलक्टर को पत्र लिखा, उसके बाद में जो कलक्टर ने कार्यवाही की, उसकी मैं माननीय सदस्य को जानकारी दूं। माननीय विधायक, जहाजपुर का पत्र दिनांक 04.03.2009 प्राप्त

(श्री हेमाराम चौधरी)

होने पर इस पत्र की प्रतिलिपि जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 12.03.2009 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, जहाजपुर को प्रेषित की जाकर निर्देशित किया गया कि इस पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में विस्तृत जांच/निष्कर्षात्मक कार्यवाही कर जांच/पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तदुपरांत दिनांक 18.05.2009 और फिर 08.06.2009 को उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को जिला कलक्टर ने लिखा। दूसरा माननीय विधायक ने 9.6.2009 को फिर पत्र लिखा। उस पर पुनः उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को कलक्टर ने 25.06.2009, 16.07.2009 ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अतिक्रमण कब तक हटाओगे, यह तो बताओ।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): 10.08.2009, 26.08.2009 एवं 23.09.2009 को पत्र लिखा है। इसके उपरान्त सचिव, सतर्कता समिति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा भी 5.10.2009 को अर्द्ध-शासकीय पत्र द्वारा कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा 18.3.2010 को पुनः अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखकर उपखण्ड अधिकारी को विस्तृत जांच/कार्यवाही कर जांच पालना रिपोर्ट सात दिन में प्रेषित करने हेतु लिखा गया। यह एस.डी.ओ. को लिखा गया। उसके बाद में अभी मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि यह 16 व्यक्तियों के द्वारा किये गये अतिक्रमणों को दिनांक 28.3 को हटवाया गया है तथा पक्के निर्माण को कब्जे-सरकार ले लिया गया है। 28.3 को। यह जब प्रश्न लगा उसके बाद में प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने कलक्टर को पत्र लिखा और उस पर उन्होंने 28.3 को इसको हटाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इसमें इतनी बात बिलकुल साफ हो गयी कि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा तब सात थे, फिर सोलह हो गये। जिला कलक्टर ने लगातार आठ बार पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में एस.डी.ओ. ने कार्यवाही नहीं की, एस.डी.ओ. ने पालना रिपोर्ट नहीं दी। इसके बाद दुबारा जब प्रश्न गया और विधान सभा में लगने लगा था, कल इन्होंने कार्यवाही करके प्रश्न भेजा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपके आदेश के बाद प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने कार्यवाही करायी। जिला कलक्टर के आठ बार पत्र लिखने के बाद जिस एस.डी.ओ. ने कार्यवाही नहीं की, उस एस.डी.ओ. के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? उसको निलम्बन करने की घोषणा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करिये। क्या मतलब है, बार-बार कह दिया। एक बार कार्यवाही नहीं की तो क्या होगा? आपके कौन कार्यवाही करेगा? मुख्य मंत्रीजी, जिला कलक्टर के आठ पत्र चले जाएं, सतर्कता समिति के पत्र चले जायें और कलक्टर की बात नहीं मानें। विधान सभा में प्रश्न लग गया, आपका जवाब में नम्बर आ गया, प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने कार्यवाही करा ली। इसलिये मैं चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी एक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी तो राजस्थान भर में अतिक्रमण रूक जाएगा। प्रूव है सीधा का सीधा, जिसके अन्तर्गत उन्होंने खुद कब्जे कराये और कलक्टर की आज्ञा भी नहीं मानी। आप मान लीजिये, भीलवाड़ा जिले को इस प्रकार मत बनने दीजिये। यहां पर आपका राज चलना चाहिये और इसलिये आप अपने अथोरिटीज को दिखाइये निश्चित रूप से, यह मैं कहना चाहता हूं। एस.डी.ओ. के खिलाफ क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पहले एक तो आने दो, फिर आप बोलना।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा अतिक्रमियों को कभी भी प्रोत्साहन देने की नहीं है। (व्यवधान) आप बोलने तो दो। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप कहो तो जहां-जहां अतिक्रमण हैं, मैं वहां-वहां बता दूं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अजमेर में सब जगह हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप बोलने तो दो। आप संतुष्ट नहीं हों तो पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, कृपया विराजें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप मुझे जवाब देने दो, उसके बाद आप संतुष्ट नहीं हों तो फिर पूछ लेना। कहीं मैं भाग तो रहा नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा लेकूना तो एक बात में है कि कलक्टर की अपील को आर.ए.ए. सुनता है, इससे बड़ी गिरावट क्या होगी? कलक्टर की अपील को

(श्री श्रवण कुमार)

आर.ए.ए. सुनता है जो यहां से ...(व्यवधान) आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आई ए एस कलक्टर की अपील, घनश्यामजी, आर.ए.ए. सुनता है और वह एक मिनट में जमानत ले लेता है। अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। कलक्टर की अपील को आर.ए.ए. सुनेंगे क्या? (व्यवधान) उसमें सुनेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): इसमें क्या तकलीफ हो रही है? अब यह बोल रहे हैं, मैं बोल रहा था, तब क्या दिक्कत है? (व्यवधान) मैंने पूछा, अतिक्रमण वापस हटे क्या?

श्री अध्यक्ष: आपके उप नेता ने प्रश्न पूछा है..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा कहीं भी अतिक्रमियों को प्रोत्साहन देने की नहीं है, न उनको सरकार की जमीन हड़पने देगी। ये सात कब्जे 2005-06 में थे, उस समय आपकी सरकार थी और आप भी कुछ कर नहीं पाये। 2005-06 से वे कब्जे आप हटा नहीं पाये आपकी सरकार के समय में। जो दूसरे लोग थे, उन्होंने भी देखा कि इन व्यक्तियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और इन पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हो रही है तो हम भी कर लें। दूसरे लोगों ने भी कब्जा कर लिया। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हम तो कब्जे नहीं हटा पाये .. (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हमारी नीयत कभी भी .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी और सबको छोड़िये और स्पेसिफिक उप नेता ने पूछा उसका जवाब दे दीजिये कि कलक्टर की आठ चिट्ठियों के बाद भी एस.डी.ओ. ने कार्यवाही नहीं की, उसके संबंध में कोई कार्यवाही करने वाले हैं क्या।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कलक्टर ने एस.डी.ओ. को बार-बार स्मरण पत्र लिखा कि कब्जे हटावें, कलक्टर के लिखने के बाद भी एस.डी.ओ. ने कार्यवाही नहीं की और तहसीलदार ने 91 के तहत कार्यवाही तो कर दी, लेकिन भौतिक रूप से कब्जा नहीं हटाया। अगर एस.डी.ओ., तहसीलदार और पटवारी जो भी कर्मचारी ने इसमें कब्जा हटाने में लापरवाही बरती है, दोषी है,

(श्री हेमाराम चौधरी)

तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उनको कहीं बख्शने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी लास्ट टाइम इन्होंने कब्जा हटवाने की बात कही, लेकिन भीम के अन्दर मेरे नन्दावर ग्राम पंचायत में जो उन्होंने कब्जा किया उस कब्जे को नहीं हटाया। (व्यवधान) अतिक्रमण नहीं हटा मेरे यहां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपके यहां का नहीं है, आप विराजिये। आपका सब्जैक्ट ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसी विधान सभा में माननीय सदस्य ने पिछली जुलाई में प्रश्न पूछा उस समय कब्जे सात थे और उसमें भी यह था कि तहसीलदार ने 91 की कार्यवाही करके उनको हटाने का आदेश दे दिया। माननीय सदस्य को वापस दुबारा इस सत्र में प्रश्न लगाना पड़ा और इस प्रश्न के तहत आपने कहा कि 16 कब्जे हो गये। पहले कच्चे स्ट्रक्चर थे, अब की बार प्रश्न के जवाब में आया कि पक्के स्ट्रक्चर बन गये। उसके बाद भी माननीय सदस्य ने कलक्टर को बार-बार लिखा। कलक्टर ने एस.डी.ओ. को बराबर पत्र दिये, एस.डी.ओ. ने कार्यवाही नहीं की। अब आपको कौनसे प्रमाण चाहिये एस.डी.ओ. के खिलाफ, उसको सस्पैण्ड करने के लिये? यह हाउस, आप और हम सब इन प्रश्नों के जवाब और जो आपके जवाब गये थे और कलक्टर ने जिस प्रकार बार-बार रिमाइंडर दिया है, उसके बाद भी एस.डी.ओ. ने कार्यवाही नहीं की, अब कौनसे प्रमाण इस सदन में और चाहिये उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये? मैं सोचता हूं, अगर आप एक्शन करोगे तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। यहां इतना हल्ला करने के बाद भी अगर एस.डी.ओ. सस्पैण्ड नहीं हुआ, तो आप और हम सब हल्ला करके यहां चुप हो जाओ, सवेरे अख़बार में आ जाएगा, परिणाम जीरो। क्योंकि इसमें एस.डी.ओ. ही मिला हुआ है जो जान-बूझकर कब्जे करा रहा है और जान-बूझकर इनको प्रोटैक्ट कर रहा है। यह है सवाल।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस मामले में चाहे एस.डी.ओ.है, तहसीलदार है, पटवारी है, चाहे आर.आई. है ..(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सामने प्रमाण हैं न, अब क्या प्रमाण चाहिये? हद हो गयी। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण 2005 से पैंडिंग है। 2005-06-07-08 में आप लोग सत्ता में रहे, कुछ नहीं कर पाये। सरकार बनने के बाद हो सकता है जिस एस.डी.ओ. की आप बात कर रहे हो, उसको बहुत कम समय मिला हो। मैं इसकी जांच करवाऊंगा कि इसमें वास्तव में हकीकत क्या है, कौन-कौन लोग इसके अन्दर दोषी हैं, क्योंकि मैंने खुद नोट देखा है कि कल कब्जे हटाये गये हैं। इसके मायने ये हैं कि कहीं न कहीं चूक हुई है। पर किसको दोषी ठहराया जाए, यह जांच का विषय है। चार साल तक आप नहीं हटा पाये तो सरकार बनने के बाद कोड आफ कंडक्ट भी लगे हैं, इसके बाद चुनाव भी आते गये हैं। आप निश्चिंत रहो, जो दोषी होगा, उसको सज़ा मिलेगी। आप निश्चिंत रहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात खतम हो गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप कलक्टर को मौके पर भेज दो, मेरा इस सदन में कहना है कि अभी भी कब्जे नहीं हटे हैं। सारी रिपोर्ट भेजी है, अभी कलक्टर को आप ..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सदन के नेता ने जवाब दे दिया, उसके बाद भी आप चार साल ..(व्यवधान) यह क्या तरीका है? क्या तरीका है यह ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह नहीं चलेगा। (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एक आई.ए.एस. को हटाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के ..(व्यवधान) नगर निगम के ई.ओ. को ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री अशोक डोगरा। अगला प्रश्न पुकार लिया मैंने। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है। (व्यवधान) श्री अशोक डोगरा।

बूंदी में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग

345. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बूंदी में स्टेडियम निर्माण हेतु खेल संकुल का आबंटन कब हुआ व सरकार द्वारा इसका कब्जा कब लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक डोगरा)

(2) सरकार द्वारा खेल संकुल का कब्जा लेने के बाद अब तक स्टेडियम निर्माण नहीं करवाये जाने के क्या कारण हैं?

(3) सरकार द्वारा बूंदी में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उक्त स्टेडियम का निर्माण कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री मांगीलाल गरासिया): (1) बूंदी में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि का आबंटन जिला कलक्टर, बूंदी के आदेश संख्या 19 दिनांक 16.03.2006 के द्वारा किया गया, जिसका कब्जा खेल अधिकारी, बूंदी ने 16.05.2006 को प्राप्त किया।

(2) एवं (3) बूंदी में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा 84.17 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 29.01.09 को जारी की गई। बूंदी में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के बाद संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा संशोधित व्यय अनुमानों में स्टेडियम निर्माण की राशि में कटौती किये जाने के कारण वितीय स्वीकृति जारी नहीं हो पाई। बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य आगामी चरण में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर कराया जाना सम्भव होगा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, जो 84.17 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की, उसके बाद मंत्रीजी खुद भी मौके पर गये कि कहां निर्माण होना है, जब इनके पास पैसा ही नहीं था तो इन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति क्यों जारी की? 50-60 सालों से बूंदी में खेल स्टेडियम के नाम पर एक पैसा भी नहीं लगाया, न ही कोई स्टेडियम है डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर। एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट भाषण में कहते हैं कि जो ओलम्पिक में, एशियाड में और राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतेंगे, उनको 25 बीघा जमीन नहरी क्षेत्र में दी जाएगी। दूसरी तरफ खेल स्टेडियम के निर्माण के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया। तो एक तो इनके पास पैसा नहीं था तो इन्होंने क्यों जारी की?

दूसरी बात, मेरी वहां पर तत्कालीन जिला कलक्टर से बात हुई तो उन्होंने यह कहा कि दो लाख रुपये अनटाइड या कलक्टर फण्ड, कौनसा होता है, मैं उससे दे दूंगा और तीन लाख रुपये आप दें तो हम यहां पर एक

(श्री अशोक डोगरा)

एथलेटिक फील्ड तैयार कर देते हैं। मैंने 16.06 को तीन लाख रुपये मेरे विधायक कोष से दे दिये, वह पैसा छह महीने तक इनके पास पड़ा रहा। कलक्टर साहब ने भी दिये। उसमें कार्यकारी संस्था राजस्थान क्रीड़ा परिषद थी, छह महीने बाद मुझे इनका खेल अधिकारी कहता है कि यह काम तो नहीं होगा, आप अपना पैसा और कहीं काम में ले लो। तो अभी महीने-पन्द्रह दिन पहले मैंने वह अभिशंसा कैंसिल कर दी। वह पैसा भी इनके पास ही था। इनके निर्माण कराने की मर्जी नहीं है, ये स्टेडियम का काम वहां कराना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, यह खेल स्टेडियम बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं मौके पर गया। जाने पर हमने पाया कि यह भूमि हमारे खेल जगत में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए खेल प्रेमी भाइयों के लिए राहत का काम करेगी। इसको देखते हुए हमने तैयारी की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महत्व को देखते हुए हमने युवा एवं खेल मामले विभाग की ओर से 23.03.2009 को राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयोजना और विभाग को पत्र लिखे हैं। इसी दरमियान हमने खेल स्टेडियम के लिए 45 जगहों का चयन किया है। 45 स्थानों में से 30 स्थान उचित पाये गये और प्रथम चरण में हमने 13 स्थानों को पैसा आबंटित किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वित्त विभाग से 905 लाख रुपया जब रिलीज किया गया तो रिलीज करते ही हमने प्रथम फेज में 13 स्थानों पर काम प्रारम्भ करवाया, 13 में से 6 जगहों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 7 स्थानों पर काम प्रगति पर है।

अध्यक्ष महोदय, आने वाले टाइम में हम, माननीय सदस्य जो बूंदी का जिक्र कर रहे हैं, आगामी चरण में उसको लेकर, वित्त विभाग से पैसा आने के उपरान्त वहां पर काम करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रीजी कह रहे हैं कि स्टेडियम का निर्माण करेंगे। इनको यह पता ही नहीं है कि एक महीना पहले वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उस जगह के गेट तुड़वाकर टैक्सी स्टैण्ड वालों को कब्जा दिला दिया है। उस जगह का जहां की यह बात कर रहे हैं। आज की तारीख में, पता कर लें, वहां कम से

(श्री अशोक डोगरा)

कम 400 टैक्सियां खड़ी हैं। ड्राइवरों के बैठने के लिए वहां निर्माण करवा लिया है, छायादार जगह का निर्माण हो गया है, वहां पर पानी की प्याऊ बनवा ली गयी है। ताले तुड़वाकर प्रशासन ने खुद कब्जा करवाया है। यह जगह कलक्टर और एस पी के घर से मात्र पचास मीटर की दूरी पर है। प्रशासन के लिए टैक्सी स्टैण्ड एक सिरदर्द था, उन्होंने कहा कि यहां निर्माण नहीं होगा, यहां कब्जा कर लो। मंत्रीजी, क्या आपको यह पता है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्रीजी, एक बात बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण कब तक करवा देंगे? टाइमबाउण्ड प्रोग्राम बता दें।

श्री अध्यक्ष: यह बूंदी का मामला है, बूंदी के माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, आप विराजें। मंत्रीजी जबाव दे रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इसमें चौकाने वाले तथ्य हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जबाव दे रहे हैं।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है, निश्चित तौर पर वहां पर कामों को प्रगति नहीं दी गयी है। खाली जगह पड़ी हुई है।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): खाली नहीं है, कब्जा कर लिया है, टैक्सी स्टैण्ड है।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस तरह से कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हुई है, मैं दिखवा लूंगा। कोई कदम उठाने पड़ेंगे, निश्चित रूप से करेंगे परन्तु खेल स्टेडियम के लिए कोताही नहीं बरतेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमला कस्वां।

सादुलपुर के माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायत मुख्यालय

346. **श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू के कौन-कौनसे ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कमला कस्वां)

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की ग्राम पंचायत गुलपुरा नीमा व विजयपुरा में माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जिला चूरू के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, उनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की ग्राम पंचायत गुलपुरा, नीमा व विजयपुरा में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदेश दिनांक 26.02.2010 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायत हैं और उनमें से कितने ग्राम पंचायतों में आपने माध्यमिक विद्यालय खोल दिये हैं और कितनों में बाकी हैं? दूसरा, आपने प्रश्न संख्या एक के परिशिष्ट 'क' में 32 पंचायत मुख्यालयों का जो वर्णन दिया है, उनमें माध्यमिक विद्यालय खोलने का कब तक विचार है? तीसरा भी साथ ही पूछ लेती हूं, जो माध्यमिक विद्यालय आपने खोले हैं उन माध्यमिक विद्यालयों को खोलने के साथ ही क्या आपने प्रधानाध्यापक, विषय के अध्यापक और दूसरे अध्यापकों के पद स्वीकृत किये हैं? यदि किये हैं तो क्या सूची आर पी एस सी को भेजी जा चुकी है? और यदि नहीं तो क्यों?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्य ने पूछा, 32 पंचायत मुख्यालय हैं चूरू में जिनमें माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं। लेकिन 32 में से 27 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें उस पंचायत परिक्षेत्र में दूसरी जगह माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इसलिए सरकार का यह निर्णय है, यह बजट भाषण में था कि जिस पंचायत परिक्षेत्र के अन्दर एक भी दोनों में से नहीं है तो उसमें माध्यमिक विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): क्या आपने 26.02 के आदेश के द्वारा ऐसी पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले हैं जहां पहले से माध्यमिक विद्यालय हैं, मुझे आप यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने प्राथमिकता पहले उनको देने की बात कही है।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): इन्होंने यह कहा कि प्राथमिकता वहां पर दी जाएगी जहां पहले से माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां पर खोले जाएंगे। मैं यह पूछ रही हूं कि 26.02 के आदेश के द्वारा आपने ऐसे ग्राम पंचायतों में विद्यालय खोले हैं या नहीं, जहां पहले से विद्यालय मौजूद हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय जिला शिक्षा अधिकारी और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के जरिये जो प्रस्ताव आये, इसके अलावा माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव आये, उन प्रस्तावों के आधार पर कि इस पंचायत परिक्षेत्र में एक भी उच्च माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहीं खोले गये हैं। इसके अलावा हमने जो विद्यालय खोले 1900, उन विद्यालयों के लिए हमने शर्त डाली है कि अगर निदेशालय द्वारा या माननीय सदस्य द्वारा जिस पंचायत परिक्षेत्र के अन्दर विद्यालय खोला भी जा चुका है और पहले से भी विद्यालय है तो वह अपने आप निरस्त समझा जाएगा।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आप तो चूरू जिले का ही बता दीजिए कि ऐसे कितने माध्यमिक विद्यालयों के लिए आपके पास प्रस्ताव आये जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जहां पर माध्यमिक विद्यालय था और फिर भी खोलने की अभिशंसा की गयी है? दूसरा, मैं यह पूछना चाहती हूं कि वे माध्यमिक विद्यालय क्या उन मानदण्डों को पूरा करते हैं जिनके द्वारा स्कूल उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने थे? यह मुझे बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल चूरू जिले से संबंधित।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, प्रस्ताव निदेशालय द्वारा आता है और माननीय सदस्य भी प्रस्ताव देते हैं, इन दोनों प्रस्तावों को मिलाने के बाद वह स्कूल खोला जाता है। मान लीजिए, उस पंचायत के अन्दर अगर पहले से माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय है...

श्री अध्यक्ष: आप तो केवल चूरू जिले का बता दीजिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं चूरू की ही बात कर रहा हूं। चूरू जिले के अन्दर जो भी प्रस्ताव आये हैं उन प्रस्तावों के अन्दर विद्यालय जो खोले गये हैं, मैंने कहा न, कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो कि इस प्रकार का हो, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): मेरे विधान सभा क्षेत्र में 26.02 के आदेश के द्वारा ये दो स्कूलें खोली हैं, 2008 में जयपुर में कहीं खोले गये स्कूलों को निरस्त करके ये दो स्कूल खोले गये हैं, क्या ये खुले रहेंगे या निरस्त माने जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ही पंचायतों के अन्दर माध्यमिक विद्यालय हैं? एक स्कूल जो खोला है आछापुर, वहां छात्र संख्या मिडिल स्कूल में केवल 60 है और मिडिल स्कूल के अन्दर ही आठवीं क्लास की छात्र संख्या केवल 10 है। क्या वो आपके मानदण्डों को पूरा करते हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): जैसा मैंने कहा ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चूरू जिले का मामला है, इनकी कांस्टीट्युएंसी का है तो आप तो विराजिये। वो बोलना जानती हैं। हां, उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा उसका जवाब देने दें, आप हर प्रश्न में डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा राजस्थान का मामला है, एक बात मैं बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): श्रवणजी, मैं सक्षम हूं इस बात के लिए कि मेरे क्षेत्र की बात कह सकूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न केवल चूरू जिले से सम्बन्धित है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा हूं, शिक्षा ...(व्यवधान) पढ़ाई जाती है क्या, झुन्झुनूं नहीं पढ़ाई जाती है क्या?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न केवल चूरू जिले से सम्बन्धित है, आप हमेशा प्रश्न करते ही ...(व्यवधान) झुन्झुनूं का करना चाहते हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्री महोदय यह बताएं कि जिन पंचायत हैडक्वार्टर पर आज तक स्कूल नहीं हैं, क्या वहां खोलने की इच्छा रखते हैं? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे पंचायत मेरे क्षेत्र में पांच हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न केवल चूरू से सम्बन्धित है, माननीय सदस्य, पूरे राजस्थान का जवाब दिलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। केवल चूरू जिले से सम्बन्धित था प्रश्न।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): तो चूरू जिले से मुझे तो पूछने दें, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चूरू के ही हो क्या ...(व्यवधान) पंचायत हैडक्वार्टर का मैटर है, यह तो मैं पंचायत हैडक्वार्टर की बात कर रहा हूं न कि चूरू की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मुख्यालय पर जरूर खोला जाएगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सरकार ने 26.02 में यह आदेश दिया कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूल होगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल चूरू जिले की बात है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): फिर इसमें झुन्झुनूं जिला क्या होगा, फिर चूरू क्या होगा, बांसवाड़ा क्या होगा, जब सभी जिलों का ...(व्यवधान) इच्छा शक्ति है क्या?

श्री अध्यक्ष: आप अलग से प्रश्न लगा देते। (व्यवधान) प्रदेश का लगाते तो उसका जवाब मंत्रीजी को देने के लिए कहता। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं है, जब कह रहे हो कि 26.02 के आदेश में यह है कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूल होगा? (व्यवधान)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए फिर इनकी बात सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मिनट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने कहा कि चूरू जिले में पाँच ग्राम पंचायतें ऐसी थीं जहां कोई विद्यालय नहीं, क्या यह सही है कि आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र सुजानगढ़ में जहां पूर्व में भी ग्राम पंचायत में विद्यालय विद्यमान थे, उन ग्राम पंचायतों में भी विद्यालय खोलने का काम किया है दूसरे जिले में विद्यालय को बंद करके, नम्बर एक?

नम्बर दो, जिन पांच ग्राम पंचायत में आपने विद्यालय खोले, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नीतिगत सवाल है, सवाल यह पिछले बजट की घोषणा का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, आप पूरे राजस्थान में एक विद्यालय बता दो जिसमें आपने बजटीय घोषणा के अनुसार ...

श्री अध्यक्ष: राजस्थान की बात नहीं हो रही है, केवल चूरू जिले की बात हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चूरू जिले के अन्दर जो पांच विद्यालय आपने खोले हैं उनमें क्या एक विद्यालय में भी कक्षा 9वीं की क्लास इस सत्र में लगी हो तो बता दो। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैंने जैसा कही बात, पांच विद्यालय नहीं खोले हैं। आपने यह कहा है कि चूरू जिले में पांच विद्यालय नहीं खुले इसी साल। राजस्थान के अन्दर एक भी विद्यालय को इस साल संचालित नहीं किया गया है, एक मई, 2010 से विद्यालय संचालित किये जाएंगे ...(व्यवधान) यह डिमाण्ड पर ही कह दिया गया ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बजट में घोषणा नहीं करनी चाहिए थी ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: तो बजट की घोषणा क्यों की गयी? (व्यवधान) डिमाण्ड पर इन्होंने कहा कि एक मई, 2010 तक चालू होंगी, ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बजट में घोषणा करते हो और एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं करते हो। एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ 15 महीने में। 15 महीने के राज में एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ, माननीय मंत्रीजी यह जवाब दे रहे हैं फ्लोर आफ द हाउस को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात स्पष्ट हो गयी है ...(व्यवधान) क्या बचा है? क्या बचा है? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पहले बजट में घोषणा की और आपने कहा उस बजट में करते हैं ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जवाब चाहे चूरू का करना चाहें चाहे किसी जिले के बारे में लें ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पहले बजट में घोषणा करके आपने कहा उस बजट में ...(व्यवधान) सालभर आपने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पहले बजट में इन्होंने घोषणा की ...(व्यवधान) एक स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गयी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नीति के विरुद्ध है इनका ...(व्यवधान) मंत्री महोदय, उनका नाम बता दो आप।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अगर नीति के विरुद्ध एक भी विद्यालय खोला है तो निरस्त कर देंगे। एक भी नहीं खोला गया है ...(व्यवधान) नीति के विरुद्ध नहीं खोला गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड में आया है।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का आधा उत्तर आया है, आधा यह उत्तर नहीं आया कि पद स्वीकृत किये या नहीं किये। इसका उत्तर ही नहीं दिया और आपने दूसरा प्रश्न उठा लिया।

फुलेरा में दर्ज आपराधिक प्रकरण

347. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक कुल कितने आपराधिक मामले दर्ज किये गये तथा दर्ज मामलों में से कितने प्रकरणों में कोर्ट में चालान पेश किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उक्त अवधि में कितने मामले दर्ज किये गये तथा कितने मामलों में चालान पेश किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे मामलों में जांच करवा कर चालान पेश करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में वर्ष 2008 के मुकाबले वर्ष 2009 में अपराधों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल) : (1) राज्य में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक आई.पी.सी. के अन्तर्गत कुल 1,66,565 अभियोग दर्ज हुए जिनमें से ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वाह! वाह! क्या बात है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्या हुआ, हैं? नहीं, आप बताओ न, क्या हुआ? फिर आपके टाइम के पढ़ूं क्या?

एक माननीय सदस्य: पढ़ो, आप तो पढ़ो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको किसी ने बाध्य नहीं किया है कि कौनसा नहीं पढ़ो, आप जो चाहो सो पढ़ो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप उनको रोकिये, इस तरीके से डिस्टर्ब न करें।

श्री अध्यक्ष: रुके हुए हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और अगर डिस्टर्ब करेंगे, मैं इनके भी पढ़ूंगा फिर।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): गृह मंत्रीजी, एक बिच्छू आ गया उधर। बिच्छू आ गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोबारा से पढ़ता हूं।

(1) राज्य में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक आई.पी.सी. के अन्तर्गत कुल 1,66,565 अभियोग दर्ज हुए जिनमें से 95,397 मामलों में चालान कोर्ट में पेश किये गये। जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक कुल 692 अभियोग दर्ज किये गये जिनमें 407 में चालान पेश किया गया। थानेवार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	नाम थाना	कुल दर्ज	चालान
1	सांभरलेक	155	102
2	फुलेरा	181	107
3	रेनवाल	246	131
4	जोबनेर	05	-
5	नरेना	692	407

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(3) शेष रहे मामलों में अन्वेषण पूर्ण कर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।

(4) जी हां। जिला जयपुर में वर्ष 2009 में 2008 की तुलना में आई.पी.सी. के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों में 1382 अभियोगों की वृद्धि हुई है। विवरण निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	नाम जिला	2008	2009	वृद्धि	प्रतिशत
1	जयपुर उत्तर	3517	3905	383	11.03
2	जयपुर दक्षिण	5435	6121	686	12.62
3	जयपुर पूर्व	6455	6762	307	4.76
4	जयपुर ग्रामीण	9051	9052	01	0.01
5	**योग**	**24458**	**25840**	**1382**	**5.65**

(सूचना के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे तेजस्वी, यशस्वी, ऊर्जा से भरपूर गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि जयपुर शहर में आम लोगों का रहना सुरक्षित नहीं रह गया है? खेरी, लूटपाट, बलात्कार, चेन स्नैचिंग की घटनाएं आम हो चुकी हैं? जयपुर शहर को आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग भी मंत्रीजी के पास है, नगरीय विभाग भी इनके पास है, तो शायद कहीं कन्फ्यूज तो नहीं हो गये? कि क्राइम वर्ल्ड क्लास पर ले जाने की तैयारी कर रहे हों।

मैं यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि जयपुर शहर में अपराध का मुख्य कारण अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ, लचर कानून व्यवस्था के कारण पड़ोसी राज्यों के अपराधियों की आवाजाही, भू-माफिया, पर्यटन माफिया है और इनको रोक नहीं पा रही है सरकार? सरकार की दृष्टि से जो आपने आंकड़े दिये परिशिष्ट संख्या-4 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर पूरे ग्रामीण में 9051 मुकदमे दर्ज हुए 2008 में और 2009 में दर्ज हुए 9052, केवल एक मुकदमा बढ़ा, केवल एक अपराध बढ़ा जयपुर ग्रामीण में। और जयपुर शहर में बढ़े अपराध 1381, जयपुर शहर के ये हालात हैं तो क्या यह भी सही है कि जयपुर ग्रामीण को अगर इससे अलग कर दिया जाए तो अकेले जयपुर शहर

(श्री निर्मल कुमावत)

की वृद्धि की दर 10 प्रतिशत आती है? माननीय मंत्रीजी, सरकार के दृष्टिकोण से यह एक साल में जो अपराध बढ़ा है इसके क्या प्रमुख कारण रहे और आगामी समय में आप इसको रोकने के लिए क्या कारण बताएंगे, यह मेरे को बताएं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि वृद्धि हुई है लेकिन यह भी देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों की वृद्धि हुई है वो 15.7 परसेंट पर है। जबकि राजस्थान में जो वृद्धि हुई है वह 10.18 है । वृद्धि क्यों हुई है इसके दसों कारण हैं। जनसंख्या की वृद्धि, भू-माफियाओं की वृद्धि, पर्यटन माफिया की वृद्धि, लपकों की वृद्धि वगैरह-वगैरह कई कारण ऐसे रहे हैं। जो मुख्य कारण रहा वह यह रहा कि 2004 से लेकर 2008 तक जिस प्रकार का भय मुक्त समाज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कायम किया गया, जिस तरीके का भ्रष्टाचारियों को और जिस तरीके से अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया ...(व्यवधान) मुकदमे पूरे दर्ज नहीं किये गये...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मंत्रीजी, 2009 के पूछ रहा हूं आंकड़े, 2009 का जवाब दीजिए। पूरे जयपुर ग्रामीण में अपराध नहीं हो रहा, जयपुर शहर में अपराध हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। आपने क्या किया पन्द्रह महीने में, जवाब दो इसका, जनता देख रही है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं दूसरी बात पर आता हूं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अपराध बढ़ रहे हैं ताली बजा रहे हैं। बजाओ, और बजाओ तालियां, खूब बजाओ। बजाओ, तालियां बजाओ ...(व्यवधान) अपराध बढ़ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बड़ी अच्छी सरकार है। (व्यवधान) यहां बैठकर ताली बजा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) ताली बजा रहे हो, बड़े शर्म की बात है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: किस खुशी में ताली बजी? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): चालान का प्रतिशत बता दो ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: लोगों की लापरवाही की वजह से यह कोई डकैती या क्या हो रहा है (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपकी पुलिस अपराधियों से मिली हुई है और मिलीभगत के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली क्राइम ब्यूरो ने अभी एक सर्वे किया है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए, कि हिन्दुस्तान के 33 शहरों में जयपुर शहर का अपराध वृद्धि में तीसरा नम्बर है। इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं, गृह मंत्रीजी, आप जिम्मेदार हैं । (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये आपके टाइम के पैण्डिंग मुकदमे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जिन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने की यह बात कह रहे हैं, इनके पास कोई सूची हो तो यह पटल पर रखें ...(व्यवधान) यह क्या +++ किस्म की बातें करते हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, इनके राज में बढ़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अपराध इनके राज में बढ़ रहे हैं आरोप हमारे राज पर लगा रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): आपने अपने टाइम में अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज ही नहीं किये, इसलिए यह संख्या बढ़ रही है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, एक दिन बहस करवा दो आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उनके जमाने में जो अपराधियों को संरक्षण मिला और हमारे पन्द्रह महीने का ...(व्यवधान) बहस करने की चुनौती है आपको। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, मंजूर है। (व्यवधान) हां, मंजूर है।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): पूरी लिस्ट देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह तो खुद अपराधियों को घर में रखते हैं ... (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): अपराधों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि आप लोगों ने उस वक्त मुकदमे ही दर्ज नहीं किये उनके खिलाफ ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह विधान सभा के अन्दर पैरवी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके काले कारनामे राजस्थान की जनता जानती है। गृह मंत्रीजी, आपके, तत्कालीन यहां बैठे हैं, इन्होंने ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): इनके पुलिस अधिकारी उस समय रिश्वत खाते थे और इसलिए ...(व्यवधान) दर्ज नहीं कराये मुकदमे ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, इनके पुलिस अधिकारी उस समय रिश्वत खा जाते थे, हमारे पुलिस अधिकारी ईमानदार हैं इसलिए दर्ज करते हैं मुकदमे ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपके राज में क्या हुआ और इस राज में क्या हुआ, इस पर उलझ कर सदन का समय जाया हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाएं, कृपया व्यवस्था बनाएं। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पूर्व सरकार के राज में अपराधियों को संरक्षण था, तो पूर्व सरकार का मतलब तो मैं ही जिम्मेदार आपके सामने बैठा और मैंने ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: धौलपुर के अन्दर एक शादी में खुद राठौड़ साहब थे ...(व्यवधान) और उस शादी के अन्दर डकैत आए हुए थे ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने इस जयपुर में किसी भी अपराधी को अगर कोई संरक्षण दिया हो और मेरे कारण से कोई अपराधी संरक्षण पाया हो तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, माननीय सदस्य, मेरे द्वारा ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): इनके टाइम में इतने अपराध बढ़े थे ...(व्यवधान) इतनी हत्याएं हुईं, सड़कों पर लाशें बिछी रहीं, इस तरह का प्रशासन। हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे कारण से किसी अपराधी को...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं सुन नहीं पाया, दुबारा बोलें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पिछली सरकार के समय अपराधियों को संरक्षण था, भू-माफियाओं को संरक्षण था, तो विनम्रता से उसकी जिम्मेदारी सीधे मेरी है, मैं इस सदन में ईमानदारी से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने इस जयपुर में किसी अपराधी को किसी भी तरह से मेरे कार्यकाल में सरंक्षण दिया हो उसका कोई उदाहरण आपके पास हो तो कृपा करके आप रखें, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। अगर गलती हुई है तो मुझे स्वीकार करने में ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को प्रश्न का इतना ही जवाब देना था कि अपराध बढ़े और अपराध इस कारण से हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके माननीय सदस्य ने कह दिया यशस्वी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जिस प्रकार से अपराध....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्या कह दिया, मैंने? यही तो जवाब दिया...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह गलत बात है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कि किन कारणों से अपराध बढ़े, वे कारण बताये हैं मैंने। कारण बताये हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह आपने कारण नहीं बताये। अपराध बढ़ने का कारण केवल मात्र गृह मंत्रीजी हैं जिनके संरक्षण के कारण से राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं पुनः रिपीट करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सारे अपराध बढ़ने का कारण राजस्थान के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्रीजी के कारण से अपराध बढ़े हैं राजस्थान में, कोई नियंत्रण नहीं है गृह मंत्रीजी का। सारे अपराधों की जिम्मेदारी गृह मंत्रीजी की है। गृह मंत्रीजी को या तो बर्खास्त करो या ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह अपराधों का कारण हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास... (व्यवधान) अभी रुको...(व्यवधान) जवाब है अभी। जवाब दे लेने दो। जवाब दे लेने दो मुझे...(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वैसे तो मोटे तौर पर यह फुलेरा से सम्बन्धित इश्यु था, लेकिन जब यह पूछा गया, आखिर क्या कारण रहे कि इस साल वह...(व्यवधान) बोलने तो दो...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरे पास एक नहीं पचास उदाहरण हैं जिसमें कि अपराधियों को इन्होंने संरक्षण दिया है।...(व्यवधान) पचास उदाहरण हैं मेरे पास।...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य आसन पांवों पर है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री नन्द लाल मीणा, सदस्य की ओर से जिला प्रतापगढ़ के पारसोला थाना अन्तर्गत धरियावद तहसील के ग्राम पंचायत भरकूण्डी माइन्स क्षेत्र में 26 मार्च को दोपहर खदान ढहने से आठ श्रमिकों की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री बाबूलाल खराड़ी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति कोटड़ा के ग्राम पंचायत झेड़ के रोहिणी, भाटा का पानी, बुझा गांवों के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सूची में नाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री भवानी सिंह राजावत एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में वर्षा के अभाव में गेहूं की पैदावार कम होने से गेहूं का समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपये का बोनस देने के सम्बन्ध में।
4. श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य की ओर से जयपुर स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन तेल डिपो में हुए अग्निकाण्ड के पीड़ितों को 50 करोड़ की अन्तरिम राहत राशि का भुगतान रीको के बजाय आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में।
5. श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 20 मार्च, 2010 को जनहित की समस्या को लेकर राजसमन्द कलक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे जन प्रतिनिधियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा रोके जाने की घटना के सम्बन्ध में।
6. श्री वासुदेव देवनानी एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के महाविद्यालयों में सम्भाग स्तर पर संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं की सेवा को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से नीमराणा पंचायत समिति के विद्यालयों को एयरटैल की संस्कार भारती संस्था द्वारा गोद लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री हेमसिंह भड़ाना एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में गुर्जर आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में समस्त छात्रों की फीस बढ़ा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर की तीन खानें वन क्षेत्र में आने के कारण बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

12. श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा बजट 2009-10 में एक लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र खोलने की घोषणा के उपरान्त भी आगामी वर्ष के बजट में प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

13. श्री ओम बिरला एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के पुलिस थाना अधिकारियों द्वारा विशेषकर श्रीगंगानगर जिले में लावारिस शवों को विभिन्न मेडिकल कालेजों को बेचने के घिनौने कृत्य से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन के आवेदनों की जांच में अत्यधिक विलम्ब करने एवं कई आवेदन पत्रों को गुमा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

15. श्री रणवीर पहलवान, सदस्य की ओर से मालपुरा शहर के भीड़ वाले इलाके में स्थित राजकीय चिकित्सालय के जर्जर भवन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री ओम बिरला, श्री ज्ञानचन्द पारख एवं श्री रणवीर पहलवान को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से उदयपुर में आधुनिक गुर्दा रोग चिकित्सा सुविधा एवं प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में।
2. श्री उदयलाल आंजना, सदस्य की ओर से राज्य में डोडा पोस्त अनुज्ञाधारियों के द्वारा उपभोक्ताओं एवं किसानों के साथ शोषण करने के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई के नदबई कस्बे में हो रही लूटपाट एवं चोरी की घटनाओं पर रोक लगवाने के सम्बन्ध में।
4. श्री गोपाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।
5. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में नवनिर्मित पानी की टंकियों से पेयजल का वितरण प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री कमल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई की ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग में निर्मित टंकी से जल वितरण व्यवस्था शुरू करने के सम्बन्ध में।
7. श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला जयपुर की तहसील सांगानेर के ग्राम दांतली के खसरा नम्बर 335, 336, 337 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर बसाई गयी दीप विहार कालोनी को अवाप्ति से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से सांचोर में एस सी/एस टी बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से जल संसाधन विभाग में आरक्षित वर्ग के अभियन्ताओं के पदोन्नति प्रकरणों के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से राजकीय विधि महाविद्यालय पाली के लिये 2010 के बजट में कोई प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली की कतिपय स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर अभी तक कार्य आरम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के मुख्यालय किशनगढ़बास से अन्य मार्गों पर रोडवेज की बसें संचालित करने के सम्बन्ध में।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल उप खण्ड का समापन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, चाहे चुनाव घोषणा पत्र हो, बजटीय घोषणा पत्र हो या मंत्री महोदय का इस पवित्र सदन में दिया हुआ वक्तव्य हो, घोषणा करना और फिर मुकर जाना इस सरकार की फितरत है। जिस चुनाव घोषणा पत्र को निजी दस्तावेज का दर्जा मुख्य मंत्रीजी ने दिया, जिसके आधार पर पूरी कार्यकारी योजना बनाने का दावा किया, जिसको पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के अन्दर मुख्य सचिव को सौंपा गया, उसके पृष्ठ 15 पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कोलायत, गजनेर, साहवा, पोकरण और फलौदी जलोत्थान योजना से सिंचाई क्षेत्र को विकसित किये जाने की घोषणा की गयी। पृष्ठ 16 के अन्दर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत चूरू जिले के निर्माणाधीन कार्य को पूरा करने की घोषणा की गयी। दो बजट निकल गये, अध्यक्ष महोदय, इन दो बजटों में 2009-2010 और 2010-2011 में जिस साहवा लिफ्ट योजना का कार्य पूरा करने की घोषणा घोषणा-पत्र में हुई,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल की, उसमें एक नया पैसा भी इस सरकार ने नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, 1975-76 में यह योजना बनी, 675 करोड़ की योजना बनी। लक्ष्य था 2 लाख 40 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का, 11 कस्बे और 976 गांवों में रहने वाले 20-25 लाख लोगों को पानी पिलाने का। अध्यक्ष महोदय, अगर यह योजना पूरी हो जाती तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यहां बैठकर इस तरह से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रति वर्ष 4 लाख 75 हजार टन खाद्यान्न पैदा होता और 6 लाख टन हरा चारा पैदा होता।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य जलोत्थान नहर 107 किलोमीटर बनकर तैयार हो गयी। 5 लिफ्ट बननी थीं, 4 लिफ्ट बनकर तैयार हो गयीं। और जो सी सी ए कमाण्ड एरिया 2 लाख 40 हजार हैक्टेयर खोलना था, 30 साल की यात्रा के बाद सिर्फ 61 हजार 457 हैक्टेयर खोला गया। मैं जिस जिले से आता हूं, चूरू जिले से, उसमें सरदारशहर, राजगढ़ और तारानगर के 154 गांव और 1 लाख 22 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी। इन तीनों क्षेत्रों में 44 किलोमीटर मुख्य नहर बनकर तैयार हो गयी, 116 किलोमीटर वितरिका बनकर तैयार हो गयी, किन्तु दुःख इस बात का है कि 1 लाख 22 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र खोलने का दावा और खुला है अब तक 27 हजार 619 मात्र।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का न जाने कौनसा गुनाह इस योजना ने कर दिया, कि जब पहले ये सरकार में आये 1998 से 2003, तो पूरे 5 वर्षों में मात्र 29.39 करोड़ रुपये इन्होंने दिये। वसुन्धरा जी की सरकार ने 70 करोड़ रुपये इस पर खर्च किये। पूर्ववर्ती सरकार के समय में 14.10.2008 को एक आदेश निकला एफ-9/आई जी एन पी/एम/2007 जिसके द्वारा कमाण्ड एरिया तारानगर विधान सभा क्षेत्र का 10 हजार 445 हैक्टेयर खोला गया और 14 करोड़ रुपये की निविदाएं आमंत्रित की गयीं, स्वीकृतियां जारी की गयीं। एस सी के एल जी-4981, दिनांक 18.10.2008 है।

अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गयी, और उस इलाके का सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य, वह घराना जो नहर के पानी के नाम पर आज तक वहां अपना वर्चस्व बनाये बैठा था, वह घराना जिसका बरसों से वहां आधिपत्य था, जब चुनाव हार गये तो इन्होंने जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निविदाएं आमंत्रित की थीं, जो नहर का निर्माण होना था, उन निविदाओं को निरस्त करने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गयी जब इसी 25 मार्च को कुम्भाराम लिफ्ट योजना नहर निर्माण का जो उप खण्ड था, वह उपखण्ड भी तोड़ दिया। यानि सरकार की नीयत सामने आ गयी। जिस योजना पर राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपये खर्च हुए, जिस योजना को पूरा करने के लिए घोषणा-पत्र में वादा किया गया, जिसको पूरा करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने पहला बजट रखा था उसके अन्दर भी कहा कि उसको हम पूरा करेंगे, उस योजना के लिए एक नया पैसा आपने दिया नहीं। और हद तो आपकी तब हो गयी कि आपने इस उप खण्ड को भी तोड़ने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, अब सिंचाई मंत्रीजी विराजे हैं, आपको राजनीतिक विरासत उस व्यक्तित्व से मिली है जो पूरे राजस्थान के अन्दर किसान हितैषी के नाम से जाना जाता था। किसी बैसाखियों के सहारे आप नहीं आये। अब यह लिफ्ट कैनाल योजना जिस पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो गया। मेन कैनाल बनकर तैयार हो गयी, डिस्ट्रीब्यूटरी बनकर तैयार हो गयीं, आपने उसका उप खण्ड भी तोड़ दिया और उसके निर्माण कार्य को बंद भी कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब चीजें तैयार हैं, मैं गांवों के नाम बता रहा हूं- रिया, तुण्डा, धीरबास, कैलाश, कुण्डलास, भूरावास, भांमरा, पूंसीसर, सोमसीसर, यहां सिर्फ आपको इस बार सिंचाई की बारी बांधने का काम करना है। सारी चीजें तैयार हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी तैयार हैं, चकबंदी कराने के अलावा सब काम तैयार हो गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह बड़े जन आंदोलन का कारण बनेगा। पूर्व में कांग्रेस ने जब कभी भी इस नहर की बात की, वोट लेने का काम किया। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार व्यक्त करें।

श्री अध्यक्ष: यातायात मंत्री। एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कृपया किसान के लिए राजनीतिक चश्मे से हर चीज को नहीं देखें और पूर्व में स्वीकृत काम को भी आप करें। यह उप खण्ड आपने क्यों तोड़ दिया? मैं समझता हूं कि शायद आपकी जानकारी में नहीं हो। अगर जानकारी में है तो उप खण्ड वापस कायम करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस योजना पर करोड़ों रुपये खर्च हो गये, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम करें ताकि लोगों का विश्वास आपके घोषणा-पत्र में रहे।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: धीरे बोलें, आप धीरे बोलेंगे तो भी आवाज आएगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आवाज ही तेज है, साहब। गृह मंत्री जी की तो आवाज है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सीमावर्ती...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं, मेरे कान आधे बहरे हो चुके हैं। रोजाना ऊंची आवाज में बोलते हैं और आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): कृपा करके मुझे बचाओ।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सुरक्षा कीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, माननीय सदस्य। एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि जो भी बोलें, माइक उनकी आवाज पकड़ता है आराम से। इस माइक को घुमाने, मोडने से यह डिस्टर्ब होगा, फिर आपके यहां माइक की दिक्कत रहेगी, इसलिए कृपया एक तो माइक को डिस्टर्ब नहीं किया करें। दूसरा, माननीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि जब विधान सभा का सदन चल रहा है तो थोड़ी व्यवस्था रखने में सहयोग करें। इधर-उधर बैठकर भीड़ इक्टठी होती है, दूसरे मंत्रियों के साथ एम.एल.ए. जाते हैं, आप बाहर लाबी में जाकर कर लिया करें तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद।

श्रीगंगानगर जिले में पुलिस द्वारा लावारिस शवों का निस्तारण

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर में जिस व्यक्ति का शव अज्ञात शव माना जाता है, उसको वहां की पुलिस द्वारा बिना नियम, प्रक्रियाओं को अपनाये हुए गंगानगर के प्राइवेट मेडिकल कालेज को सुपुर्द करने के प्रकरण सामने आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रकरण नहीं है, 3 थानों के 25 प्रकरण अभी तक सामने आ चुके हैं। गंगानगर जिले में 25 थाने हैं, इन 25 के 25 थानों के अन्दर जिस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं, उससे आज पूरा राजस्थान चिंतित है। मेडिकल साइंस भी मानती है कि मानव के कई अंग ऐसे होते हैं जिनको मरने के 24 घंटे के अन्दर निकाला जा सकता है। राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में मानव अंगों की तस्करी के कई प्रकरण जनता के सामने आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण में निजी मेडिकल कालेज जिसको अधिकार नहीं था उन शवों को प्राप्त करने का, उसने उनका प्रयोग करने के नाम से उन्हें लिया। इतना ही नहीं, एक प्रकरण तो इस तरीके का सामने आया कि गंगानगर जिले के समाजसेवी जिनको सारा गंगानगर जिला जानता है, राजकुमार सोनी के पुत्र राहुल सोनी की मृत्यु 25 तारीख को हुई, 26 तारीख को साढ़े 5 बजे उसे मृत घोषित किया गया और 27 तारीख को आनन-फानन में उसका शव निजी मेडिकल कालेज को दे दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर इन शवों को देने की प्रक्रिया और नियम के लिए राजस्थान एनोटोमी एक्ट, 1986 बना हुआ है। समय-समय पर डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी अपने मार्गदर्शन परिपत्र के द्वारा राजस्थान के पुलिस अधीक्षकों को अवगत कराया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर घटना है कि शवों को बेचने की घटना राजस्थान में हो। यह घटना केवल डेढ़ साल की ही नहीं है, यह लगातार चार साल से चल रही है। जब घटना सामने आयी तो पुलिस ने माना कि इसमें पुलिस अधिकारी दोषी हैं। वहां के जिला एस.पी. ने पत्र लिखा है आई.जी. को और आई.जी. प्रकरण को दबाना चाहते हैं।

(समय : 12.17 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार इस सारे प्रकरण को देखे कि कितने शव गंगानगर में ही नहीं पूरे राजस्थान के अन्दर बिना वैधानिक

(श्री ओम बिरला)

प्रक्रिया अपनाये हुए प्राइवेट मेडिकल कालेजों को दिये गये हैं। यह प्राइवेट कालेजों की पहली घटना नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कालेजों की अनेक घटनाएं हैं जो राजस्थान सहित देश के अन्दर समय-समय पर जनता के बीच में आयी हैं। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कालेज वाले रसूखदारों को शव केवल गंगानगर तक ही नहीं, मेरी शंका है कि इन शवों को आंध्र प्रदेश के मेडिकल कालेज तक बेचा गया है।

सभापति महोदय, इस देश के अन्दर, इस प्रदेश के अन्दर जहां हम जिंदे लोगों को नहीं बचा सकते हैं, शवों को बेचने की घटना घटी हो। गृह मंत्री जी भी बैठे हैं, उच्च चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं, राजस्थान के अन्दर इतने शव बिना नियम, प्रक्रिया अपनाये हुए प्राइवेट मेडिकल कालेज या अन्य संस्थानों को सौंपे गये हैं।

सभापति महोदय, दूसरा जिन लोगों ने बिना नियम प्रक्रिया अपनाये हुए पुलिस अधिकारियों और प्राइवेट मेडिकल कालेज दोनों की मिलीभगत के आधार पर यह कुकृत्य किया है, उनके खिलाफ सम्पूर्ण जांच हो। प्राइवेट मेडिकल कालेज कितने भी सरकार के संरक्षण में हों, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह भी जांच होनी चाहिए कि जो शव सुपुर्द किए गए हैं, उनमें कौन-कौन से अंग निकाले गए हैं, उन अंगों को कहां-कहां बेचा गया है और अंग निकालने के बाद उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई गई। माननीय सभापति महोदय, उन शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। मेडिकल कालेज को सुपुर्द करने के बाद 48 घण्टे तक जिस लाश की शिनाख्त नहीं होती है, वह मेडिकल कालेज में या शव गृह में रखी जाती है और 48 घण्टे इन्तजार किया जाता है, उसकी सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं जहां-जहां भी हुई हैं, उन सबकी जांच हो। जो प्राइवेट मेडिकल कालेज वाले और पुलिस अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ, एस आई और पुलिस थानों के खिलाफ ही कार्यवाही नहीं हो, बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही हो। बड़े अधिकारी जिनको यह सारी सूचना थी, जिनको सारी बात ध्यान आ गई, वह राज्य का आई जी इस सारी की सारी जांच को दबाने का प्रयास करे, यह और भी गम्भीर घटना है।

(श्री ओम बिरला)

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि यह संवेदनशील मुद्दा है, इस संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशील सरकार सारे प्रकरणों की जांच करे और तय समय पर जांच करे। जांच में जो लोग भी दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने का काम करे ताकि राजस्थान में ऐसी कोई घटना दुबारा न घटे। पूरे देश में ऐसी घटनाओं को रोकने का काम करे, यही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, राजस्थान में मानव अंगों की तस्करी का केन्द्र सीमावर्ती जिला गंगानगर बन जाए, लाशों का व्यापार होना प्रारम्भ हो जाए, किस तरह का अमानवीय काम हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, उनकी जानकारी में भी है यह सारा मामला, और इसके लिए मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप एक उच्च अधिकारी को यहां से नियुक्त करें।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह उठा चुके मामले को तो आपने इनको इजाजत दी है क्या? हर बात में बोलने लग जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, हमारे समाज में कोई भी असहाय व्यक्ति हो जो अपना जीवन यापन खुद करने में असमर्थ हो...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है। गृह मंत्रीजी, इस विषय का बिना आपकी बात के जाना अच्छा मैसेज नहीं रहेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं पहले उनका नाम पुकार चुका हूं। आप अपने उप नेता महोदय से जानकारी कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य अपनी बात रखे, सरकार उसका जवाब दे रही है। बीच में आपने नाम पुकार लिया, ठीक है, इसके बाद पुनः पुकार लेना। आप बोल लें, उसके बाद माननीय सदस्य बोल लेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप फर्माओ तो सही। आपने

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

उनको बुलवा लिया, फिर मैं बैठ गया, अब आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं तैयार हूं।

मानननीय सभापति महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण मामला सदन के ध्यान में लाये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मामला बिलकुल इस तरीके का है जिसे अखबार में भी पढ़कर मान लीजिए, सुनें तो भी थोड़ा-सा कलेजा थर्राता है कि क्या हुआ। एक परिवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी के नाम से श्री सतीश बेरी का प्राप्त हुआ था और उसमें मोटे तौर पर यह लिखा हुआ था कि पिछले करीब चार-पांच सालों से मेडिकल कालेजों में बड़े पैमाने पर अज्ञात लोगों के शवों को बेचा गया है, उनकी पहचान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, नियमों और एटोनोमी एक्ट, 1986 का उल्लंघन किया गया है। जिस पर परिवाद रजिस्टर किया गया और जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गंगानगर से करवाई गई। जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2006 से लेकर 2009 तक कुल मिलाकर 15 प्रकरण इस प्रकार के थे अज्ञात शवों के निस्तारण के बाबत जिनमें विधिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई और साथ ही विभिन्न विधिक नियमों और जारी निर्देशों की भी पूर्ति नहीं की गई। 15 प्रकरण जिनमें जांच की गई वे थाना कोतवाली के थे। उनके नाम, सुरेन्द्र मेडिकल कालेज है, गंगानगर होम्योपैथ है...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह आपके पास होंगे।

गंगागनर के मेडिकल कालेज और रिसर्च संस्थाओं को लावारिस शवों की सुपुर्दगी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार नहीं की गई, यह भी जांच में पाया गया। जो सुपुर्दगी की गई, वह भी जांच में आया कि कानूनी तौर पर गलत थी। लेकिन यह भी आया है जांच में कि इसके पीछे कोई आपराधिक कृत्य नहीं पाया गया। जिस प्रकार से लावारिस लाशों को मेडिकल कालेजों या विभिन्न संस्थाओं को दिया गया, उनके पीछे कोई आपराधिक कृत्य हो, जांच में इस प्रकार का नहीं पाया गया। यह तो पाया गया कि नियम विरुद्ध दिये गये। प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ही दिया जाना चाहिए था, उसके द्वारा नहीं दिया गया, वैसे ही दिया गया। अलग-अलग इन्स्टीट्यूशन्स को दिये गये, सिर्फ एक ही मेडिकल कालेज को नहीं दिये गये- आयुर्वेद को भी दिये गये, होम्योपैथ को भी दिये गये, वगैरह-वगैरह। आपने जो 15 का पढ़ा होगा, उनमें

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

अलग-अलग दिये गये लेकिन इसकी गम्भीरता को देखते हुए निश्चित तौर पर कार्यवाही होनी चाहिए थी, कार्यवाही हुई। सहायक उप निरीक्षक, सुभाष चन्द्र, सुखराम, भगवंत सिंह, हरीराम, खींवदान तथा हैड कांस्टेबल जय कुमार को 16 सी सी ए के तहत चार्ज शीट दी जाकर उनका स्थानांतरण कर दिया गया व पुलिस लाइन में लगा दिया गया।

नम्बर दो, उप निरीक्षक भानी सिंह, अवतार सिंह, कृष्ण कुमार के खिलाफ भी नियम 16, राजस्थान सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 1958 के तहत चार्जशीट ड्राफ्ट कर मय दस्तावेज के अग्रिम कार्यवाही हेतु महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर को वहां पर लगा दिया गया। ठीक इसी प्रकार से पुलिस निरीक्षक, अश्विनी कुमार, नरेन्द्र कुमार, राय सिंह बेनीवाल, सुरेन्द्रसिंह के खिलाफ भी 16 सी सी ए का नोटिस जारी कर महानिदेशक पुलिस को भिजवाने के लिए भी बीकानेर रेंज में लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त जिले के दोनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपने-अपने सैक्टर में प्रत्येक थाने के पिछले दस वर्षों में पाये गये अज्ञात शवों के निस्तारण की जांच के लिए रिपोर्ट तीन दिन में देने के लिए पाबन्द किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, एक तो लाश होती है पहचानशुदा और एक बिना पहचानशुदा होती है। पहचानशुदा लाशों के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम, 1965 के नियम 6/36 के बिन्दु 6 के अनुसार अलग प्रोसीजर है। ठीक इसी प्रकार राजस्थान पुलिस अधिनियम, 1965 के नियम 6/37 में नहीं पहचाने गये शवों को कैसे दान संस्थाओं को सौंपें, दान का भी प्रावधान है। उनको लेने का अगर कोई इच्छुक है तो उनको देने का प्रावधान है। अगर कोई संस्था लेने को तैयार नहीं हो तो उसको जला दिया जाए या गाड़ दिया जाए, इस प्रकार का भी प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा, एनाटोमी एक्ट में साफ-साफ लिखा हुआ है प्राधिकृत अधिकारी के सम्बन्ध में, राजस्थान लोकल लाज में भी खूब अच्छी तरह से प्रावधान है।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में मेरा आपसे निवेदन है कि कुल मिलाकर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार मेडिकल कालेज, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पदस्थापित अधीक्षकों, अतिरिक्त अधीक्षकों, उप अधीक्षकों, प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष (एनाटोमी), उनके अन्तर्गत आने वाले जिला क्षेत्रों में इस

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त भी कर रही है, अभी तक नियुक्त नहीं थे, अब नियुक्त भी कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की समस्या नहीं आए और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। समस्त वृत्त अधिकारियों को वृत्त स्तर पर समय-समय पर पुलिस थाना के कर्मचारियों को कानूनी कार्यशाला आयोजित कर इन विधिक नियमों एवं विधिक प्रकरणों से लगातार अवगत कराने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।

जहां तक सवाल इस बात का है कि यह मामला वाकई गम्भीर था, इसका राज्य सरकार वाकई गम्भीरता से इसका निस्तारण करने का विचार रखती है। यदि भविष्य में भी कोई, जो जांच की रिपोर्ट तीन दिन के अन्दर अन्दर आती है, यदि उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो निश्चित तौर पर दूसरों से भी जांच करवा कर जो दोषी हैं, बाकी जो रह गये हैं, उनको भी दण्ड देने का प्रावधान किया जाएगा।

श्री सभापतिः श्री ज्ञान चन्द पारख। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विस्तृत जांच आ चुकी है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जांच कराना इसकी, उचित नहीं है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसके लिए जांच जो आप मानते हो, गम्भीर है, एक तो जांच बहुत उच्चाधिकारी से हो, दूसरा जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं जिन्होंने गलत तरीके से बॉडी को प्राप्त किया, उसका इसमें कहीं हवाला नहीं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह तो जांच में आ जाएगा।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एडिश्नल एसपी से जांच हो रही है तो जांच तो...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एडिश्नल एसपी जांच तो पुलिस ही कर रही है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एडिश्नल एसपी जो जांच कर रहा है, वह तो पुलिस तक की ही जांच कर पाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरा इसमें यह है कि इसमें एडिश्नल एसपी स्तर तक का गंगानगर का अधिकारी नहीं होना चाहिए। इसमें आप ऊपर के अधिकारी को लगाओ, एडीजी को लगाओ ताकि पूरी जांच हो। पूरे राजस्थान भर में ऐसी घटनाएं घटीं, उनको देखो। आप भी मानते हो गम्भीर है, तो गम्भीरता से उसकी जांच हो जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपकी भावनाओं को जांच अधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जांच अधिकारी तक थोड़े ही, साहब।

श्री सभापति: श्री ज्ञान चन्द पारख।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जांच अधिकारी एडिश्नल एसपी क्या करेगा।

श्री सभापति: अब आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एडिश्नल एसपी जो उसी जिले का है।

श्री सभापति: सरकार तय करेगी, किस अधिकारी को भेजे, किस अधिकारी को नहीं भेजे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): वह क्या जांच करेगा? जांच तो जांच अधिकारी होना चाहिए, आप इसमें संकोच क्यों कर रहे हो, जांच अधिकारी से जांच करवाने में? आप तो कहते हो कि हम जांच करवाने को तैयार रहते हैं।

श्री सभापति: बैठ जाओ।

वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन में विलम्ब

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, हमारे समाज में ऐसे बहुत से बेसहारा और लाचार व्यक्ति हैं जो अपना जीवन यापन खुद नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार ने पेंशन योजना लागू कर रखी है। कोई विधवा है तो उसको भी सरकार पेंशन देती है। कोई विकलांग है, कोई वृद्ध है तो जो भी नियमों में आता है, पात्र होता है, सरकार उसको पेंशन देती है। हमारे जो माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, वह ऐसे मामलों में काफी उदार भी हैं। हर सरकार चाहती है कि जो भी लाचार, बेसहारा हैं, उनको सरकार की ओर से कोई न कोई सहायता मिले। प्रावधान होने के बावजूद, सरकार की नीयत होने के बाद भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य पद्धति के चलते 8-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

8 महीने तक विधवा, वृद्ध और विकलांग पेंशनों के आवेदनों का निस्तारण नहीं होता। इन विधवा, वृद्ध और विकलांगों के पास सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को देने के लिए कुछ नहीं होता। उनके पास कुछ है ही नहीं और गिड़गिड़ाते हैं, चक्कर लगाते हैं। सरकार ने जो मापदण्ड तय कर रखे हैं उनमें वे पात्र हैं, उसके बावजूद भी पेंशन प्राप्त करने के लिए जो उनको समय लगाना पड़ता है वह बहुत ज्यादा समय है। माननीय सभापति महोदय, मेरे एक तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने माना भी कि 6 कर्मचारी हैं ग्राम सेवक और पटवारी, जिनके पास पेंशन के आवेदन जांच के लिए 102 दिन तक लम्बित रहे। यह सरकार मान रही है। माननीय सभापति महोदय, एक पटवारी और ग्राम सेवक के पास सैकड़ों आवेदन 102 दिन तक लम्बित जबकि मोटा मोटी यह काम मुश्किल से 5-7 दिन का होगा। जब मैंने कार्यवाही का पूछा तो जवाब दे दिया, कि राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 159 के नियम 17 के तहत इन्होंने इन विधवाओं के साथ, इन वृद्धों के साथ, इन विकलांगों के साथ अन्याय किया है। उनको मात्र नोटिस देकर लीपापोती कर दी गई। माननीय सभापति महोदय, सरकार चाहे कि वाकई में वृद्ध, विधवा, विकलांगों को पेंशन मिलनी चाहिए तो सरकार को यह भी करना होगा कि जो उसकी जांच की अवधि है, वह जांच की अवधि सरकार तय कर ले कि इतने दिनों में। वह पात्र हो तो उसकी स्वीकृत कर दे और अपात्र है तो उसकी अस्वीकृत कर दे, उसमें कोई हिचक नहीं लेकिन अवधि तय करनी होगी, वर्ना नीचे के अधिकारी आपकी योजना का लाभ उस गरीब तक नहीं पहुंचा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, सरकार चाहती है कि जो 65 साल की उम्र से बड़े वृद्ध, अभी नई घोषणा का नहीं, पहले की बात कर रहा हूं मैं, आपने, उसको 400 रुपये मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार चाहती है, सरकार की अपनी योजना है। मेरे क्षेत्र में वायद गांव के नजीर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी 2001 में राशन कार्ड में उम्र 66 वर्ष लिखी हुई है, 9 साल और जोड़ दो तो उसकी उम्र बनती है 75 वर्ष, यह राशन कार्ड में दर्ज है, लेकिन पटवारी की नीयत ठीक नहीं। सरकार की नीयत अच्छी, लेकिन पटवारी की नीयत ठीक नहीं, उसने राशन कार्ड में उम्र लिखी होने के बाद भी उस पर अंकित कर दिया कि प्रार्थी कह रहा है कि मेरी उम्र 60 वर्ष है, जबकि प्रार्थी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसकी मात्र सौ रुपये पेंशन की। 400 रुपये मिलनी चाहिए उसको, और नये नियमों के अनुसार, जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, साढ़े सात सौ रुपये

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पेंशन बनती है, उसके स्थान पर उसको मात्र सौ रुपये मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है, वैसे तो यह विभाग सामाजिक अधिकारिता और न्याय विभाग देखता है लेकिन एक भी प्रकरण जांच के लिए या किसी और काम के लिए इस विभाग के पास नहीं जाता, एक भी आवेदन। जितने भी आवेदन हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति से ग्राम सेवक, पटवारी, आरआई, तहसीलदार से वापस लौट कर विकास अधिकारी के पास आएंगे। कहीं सामाजिक न्याय विभाग का इसमें रोल ही नहीं। और शहरी क्षेत्र में भी एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, आरआई और वापस घूम कर एसडीएम तक। इसमें सामाजिक न्याय विभाग है ही नहीं। और जवाब जब वह मंत्री देते हैं तो वह जवाब भी हमको सही नहीं मिलता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन लोगों ने वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन में अत्यधिक विलम्ब किया, उनके विरूद्ध अत्यधिक कठोर कार्यवाही करें। साथ ही सरकार कोई न कोई समय अवधि निर्धारित कर दे कि इतने समय में तो पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करना ही होगा, यह मेरा सरकार से निवेदन है। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रणवीर जी पहलवान।

मालपुरा राजकीय चिकित्सालय का नये भवन में स्थानान्तरण

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलवाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक हास्पिटल बना हुआ था, और अभी वर्तमान में है, उसके बदले बिलकुल बिगड़ कर जर्जर हो गया। चार वर्ष पहले राज्य सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को इसकी रिपोर्ट मिली कि यह हास्पिटल गिरेगा तो इसकी आवश्यकता राज्य सरकार ने समझी और एक नया हास्पिटल मालपुरा में ही क्योंकि यह बहुत भीड़भरे इलाके में था, वहां पर इमरजेंसी में पेशेंट को ले जाने के लिए कोई तीन चार सौ ठेले, सब्जी बेचने वाले हटाने पड़ते थे इसलिए एक दूसरा हास्पिटल मालपुरा के बाहर बना दिया गया। उस हास्पिटल के अन्दर मशीन लगवा दी गईं, सारा काम कर दिया गया। एक साल से तैयार हास्पिटल में वह हास्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा रहा। माननीय मंत्री महोदय, आप पर और मुझ पर यहां तक भी लोग आरोप लगाने लग गये कि वहां 5-6 प्राइवेट मेडिकल जो दवाइयां बेचते हैं, उनकी दुकानें हैं। एक तरफ जनता आप

(श्री रणवीर पहलवान)

और मेरे को कहती है कि इस हास्पिटल को वहां पर तब्दील करो, क्योंकि पुराने वाले में 30-40 बैड की जगह है, इसमें 70-80 बैड की जगह है। तो मेडिकल की दुकान वाले पंचायत करके चंदा इकट्ठा करते हैं, कि

हम कहीं नहीं जाने देंगे, यहीं रखेंगे। दो लाख कर लिये, तीन लाख कर लिये। मुझे देना बताते हैं या वो आपका नाम लेकर बदनाम करते हैं कि हम कहीं नहीं जाने देंगे। खुलेआम वहां पंचायत होती है। फिर जनता कहती है कि हम पैसे इकट्ठे करेंगे, हम इसको पैसे देकर बाहर ले जाएंगे और वो कहते हैं कि हम पैसे देकर जाने नहीं देंगे। आप अगर इस चीज की जांच करें, एक नया हास्पिटल बना दिया गया, उसमें मशीनें लगा दी गईं, उसको तैयार हुए पूरा का पूरा एक साल हो गया, उसके उपरांत भी वह पुराने हास्पिटल में ही चालू है। वह गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तभी तो उस हालत में राज्य सरकार ने नया हास्पिटल बनाया था और उसको बने हुए एक साल हो गया। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि उसको उसके अन्दर तब्दील करवा दिया जाए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से भी बचा जा सके और जनता को भी राहत मिले। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती किरण माहेश्वरी। श्री उदयलाल आंजना।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

डोडा-पोस्त अनुज्ञाधारियों द्वारा उपभोक्ताओं एवं किसानों का शोषण

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत आपके मार्फत सरकार का ध्यान डोडा-पोस्त अनुज्ञाधारियों के द्वारा उपभोक्ताओं एवं किसानों के शोषण के साथ-साथ सरकारी राजस्व के हो रहे नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2010-11 में फैसला किया और अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण कर दिया। सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त हो, ऐसा हर फैसला स्वागत योग्य है परन्तु इस चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में जो 31 मार्च

(श्री उदयलाल आंजना)

को समाप्त होने जा रहा है, वर्षभर अनुज्ञाधारियों ने जो अनियमितताएं करके उपभोक्ताओं का शोषण किया है, किसानों का शोषण किया है और सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नवीनीकरण के कारण वे ही अनुज्ञाधारी पुनः उपभोक्ताओं, किसानों और सरकार के राजस्व का शोषण पूरे वर्षभर करेंगे और इसमें अधिकारियों की मिलीभगत तो है ही।

उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने वर्ष 2009-10 में खुदरा दर 500 रुपये प्रति किलो तय की थी लेकिन पूरे वर्षभर उपभोक्ताओं को 800 रुपये से 1000 रुपये प्रति किलो पर माल बेचा गया व आज भी बेचा जा रहा है। इस बात को इस सदन के अधिकांश सदस्य भी जानते हैं जिनके क्षेत्र में डोडा पोस्त उपयोग में लिया जाता है।

किसानों का शोषण डोडा पोस्त की खरीद के दौरान होता है। अनुज्ञाधारी किसानों से डोडा पोस्त खरीदते समय प्रति बोरी दो किलोग्राम वज़न कटता है जबकि उस बारदाने का वज़न जिसमें भर कर अनुज्ञाधारी माल खरीदता है, मात्र 300 ग्राम का होता है। इस प्रकार से प्रति बोरी 1.700 किलो डोडा-पोस्त बिना भुगतान के अधिक ले लिया जाता है। सरकार ने डोडा-पोस्त खरीद की कीमत गत वर्ष 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति किलो कर दी थी, इस कारण प्रति बोरी 170 रुपये का शोषण किसान का होता है। इस वर्ष भारत सरकार ने रकबा बढ़ाकर प्रति किसान 30 से 50 आरी का लाइसेंस दिया है, इस अनुसार प्रति किसान के 20 से 35 बोरी डोडा-पोस्त पैदा होगा और इस हिसाब से प्रति किसान 3500 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक का कम भुगतान होगा जो बहुत बड़ा शोषण है।

इसके साथ ही सरकारी राजस्व का भी बहुत बड़ा नुकसान अनुज्ञाधारी कर रहे हैं। सरकार ने डोडा-पोस्त पर 14 प्रतिशत वैट और 35 रुपये किलो ड्यूटी लगा रखी है। आज की डोडा-पोस्त की दर से 70 रुपये वैट और 35 रुपये ड्यूटी दोनों मिलाकर 105 रुपये प्रति किलो होते हैं। अनुज्ञाधारी कुल पैदावार का 30 प्रतिशत माल ही इन्द्राज करवाते हैं बाकी माल को बिना इन्द्राज के गोदामों में रखते हैं। इस वर्ष अनुमान के अनुसार लगभग 50 हजार क्विंटल यानी 50 लाख किलो डोडा-पोस्त पैदा होगा जिस पर सरकार को 60 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

अत: सरकार से आपके मार्फत पुन: निवेदन है कि:-

1. किसानों की पूरी पैदावार की खरीद को सुनिश्चित करावें व रिकार्ड में पूरा इन्द्राज करावें।

2. बारदान के सामने बारदाना रखकर तुलाई को सुनिश्चित कराया जावे ताकि किसानों का शोषण न हो।

3. सरकारी दर पर खुदरा बिक्री करावें ताकि उपभोक्ताओं का शोषण न हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

उदयपुर में गुर्दा रोग चिकित्सा इकाई की स्थापना

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत उदयपुर में गुर्दा प्रत्यारोपण इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं। मेवाड़ अंचल में गुर्दा रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2009 में 1600 से अधिक रोगियों को गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी। दक्षिणी राजस्थान की जलवायु एवं जल में क्षार तत्वों की अधिकता के कारण गुर्दा सम्बन्धी रोगों का प्रकोप अधिक रहता है।

उदयपुर स्थित महाराणा भूपाल चिकित्सालय में पर्याप्त रिक्त भूमि उपलब्ध है, यहां पर एक गुर्दा रोग इकाई की स्थापना के लिए आवश्यक भवन बनाया जा सकता है। राजकीय क्षेत्र में गुर्दा रोग इकाई की स्थापना से अंचल के निर्धन, आदिवासी एवं मध्यमवर्गीय व्यक्तियों को उचित शुल्क पर जीवन रक्षा हेतु चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।

महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर ने राज्य सरकार को गुर्दा रोग उपचार केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर रखे हैं। गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही इस चिकित्सालय में मूत्र रोग चिकित्सकों, प्राध्यापकों एवं शल्य चिकित्सकों के नये पद सृजित कर नियुक्ति की जावे। चिकित्सालय में आधुनिक रक्त परिशोधन (डायलिसिस) संयंत्र भी निजी सहभागिता के आधार पर उपलब्ध करवाया जावे।

वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में ही यह सुविधा उपलब्ध है। राज्य में अन्यत्र कहीं भी यह सुविधा नहीं होने से रोगियों को

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अन्य राज्यों में जाकर चिकित्सा करवानी पड़ती है। यह अत्यधिक व्यय साध्य होने से उनके आर्थिक सामर्थ्य के बाहर होती है।

राज्य सरकार शीघ्र ही उदयपुर में आधुनिक गुर्दा रोग चिकित्सा सुविधा एवं प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना करे। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी इस ओर विशेष ध्यान देकर जनता को राहत पहुंचावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

नदबई के दसमोरा क्षेत्र में लूटपाट एवं चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु पुलिस चौकी की स्थापना

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नदबई क्षेत्र में हो रही लूटपाट एवं चोरी की घटनाओं पर रोक लगवाने बाबत् मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। कस्बा नदबई में चोरी की वारदातों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। इस ओर पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये प्रयास नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। पुलिस की निष्क्रियता के चलते वाहन चोरों ने भी इस क्षेत्र में घुसपैठ कर ली है जिसके कारण वाहन चुराने की घटनाएं दिन-दहाड़े हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जावे। इसी प्रकार नदबई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले रूपवास तहसील के दसमोरा इलाके में आये दिन लूटमार की घटनाएं घटित हो रही हैं। असामाजिक तत्वों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो राहगीरों पर प्राणघातक हमला करने से भी नहीं चूकते हैं जिससे क्षेत्र के निवासियों में भय व्याप्त हो गया है।

अतः मेरा निवेदन है कि इस इलाके में उक्त घटनाओं को रोकने के लिए दसमोरा में पुलिस चौकी स्थापित कराने की कृपा करें ताकि आमजन को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल मीणा।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के

(श्री गोपाल मीणा)

अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल की गम्भीर समस्या है। वर्तमान में जो अपर्याप्त स्रोत हैं, उनमें भी फ्लोराइड की समस्या है। आम जनता को फ्लोराइडयुक्त पानी पीना पड़ रहा है जिसकी वजह से कई तरह के शारीरिक रोग व विकृतियां पैदा हो रही हैं। सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में मेरे क्षेत्र के अधिकांश कस्बों/गांवों में पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित प्रतिशत से अधिक होने की पुष्टि हुई है। अतः विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ बांध से पीने के पानी के लिए एक विशेष योजना बनाकर अविलम्ब पेयजल की व्यवस्था कराई जाए।

इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में वर्तमान में जो हैण्डपम्प लगे हुए हैं, वे भू-जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण नाकारा हो गये हैं। मेरे क्षेत्र में लगे हुए लगभग 90 प्रतिशत हैण्डपम्प या तो नाकारा हो गये हैं या खराब पड़े हुए हैं। अतः मेरी मांग है कि नाकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नये स्वीकृत किये जाएं और जो हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, उन्हें एक अभियान चलाया जाकर अविलम्ब ठीक किया जाए।

आगामी गर्मियों में उक्त क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से अनुरोध है कि गर्मियों से पहले विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विभिन्न कस्बों व ग्रामों की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर पेयजल समस्या का निराकरण किया जाए।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में नवनिर्मित पानी की टंकियों से पेयजल वितरण विषयक

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निम्नांकित विशेष उल्लेख की तरफ ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर गम्भीर पेयजल समस्या है। पानी की अपर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त इसका प्रमुख कारण पेयजल वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत कम प्रैशर से पानी उपलब्ध हो पाना है। पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार के

(श्री वासुदेव देवनानी)

लिए जलदाय विभाग द्वारा अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में निम्नांकित स्थानों पर पानी की टंकियां-(उच्च जलाशयों) (Over Head Tank) का निर्माण करवाया गया है:-

1. कालू की ढाणी, विष्णु हिल टाउन,
2. चामुण्डा कालोनी, फायसागर रोड,
3. एल.आई.सी. कालोनी, आंतेड़

करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार हुई इन टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण हुए लगभग दो वर्ष हो चुके हैं, परन्तु अभी तक इन टंकियों से सम्बन्धित क्षेत्रों में पेयजल वितरण प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इस हेतु मैंने जलदाय विभाग के स्थानीय अधिकारियों से लेकर जयपुर तक के उच्चाधिकारियों को कई बार लिखा है, परन्तु अभी तक इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। साथ ही नागफणी क्षेत्र तथा दांता नगर में टंकी बनवाने के प्रस्ताव दिये हुए हैं, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पेयजल जैसे गम्भीर विषय पर भी सम्बन्धित विभाग द्वारा इस प्रकार की उदासीनता अत्यन्त खेद का विषय है।

अतः इन टंकियों से पेयजल वितरण व्यवस्था प्रारम्भ करवाने की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ करवाएं जिससे सरकार के करोड़ों रुपयों की लागत से निर्मित इन टंकियों से सम्बन्धित क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हो सके एवं जनता को पेयजल उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कमल बैरवा।

निवाई की ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग में निर्मित टंकी से जल वितरण की व्यवस्था

श्री कमल बैरवा (निवाई): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई की ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग में पानी की सप्लाई हेतु जनता जल योजना स्कीम के अन्तर्गत निर्मित टंकी का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है परन्तु ग्राम पंचायत के पास अनुभवी कर्मचारियों के अभाव में इसकी जल वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, जिससे ग्राम करेड़ा बुजुर्ग, नांगल नरहर और सूरतरामपुरा के

(श्री कमल बैरवा)

निवासियों को पानी की भयंकर समस्या का सामना पानी उपलब्ध होते हुए भी करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त पानी की टंकी से जल वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु उक्त टंकी जलदाय विभाग के अधीन कर दी जाए जिससे वहां सुचारू व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल बैरवा।

जयपुर की दीप विहार कालोनी की अवाप्ति का प्रकरण

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 335, 336, 337 कुल रकबा दो बीघा नौ बिस्वा भूमि पर सहकारी समिति बाबा आर.एन. गौड़ जयपुर द्वारा 26 पट्टे जारी कर दिये गये हैं जहां आलीशान कालोनी दीप विहार कालोनी के नाम से बनाई जा चुकी है। 50-50 लाख रुपये की लागत के मकान बन चुके हैं। सभी के पास बिजली कनेक्शन, पानी के कनेक्शन व नियमानुसार सड़कें बनी हुई हैं तथा एक माध्यमिक विद्यालय बाल भारती विद्यालय के नाम से 11 वर्ष से संचालित है, जिसकी मान्यता राजस्थान सरकार ने दे रखी है तथा इस बाल भारती माध्यमिक विद्यालय में 600 छात्र व छात्राएं विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत हैं।

अब कुछ माह पूर्व आवासन मण्डल ने अख़बार में भूमि अवाप्ति करने हेतु विज्ञप्ति निकलवाई है जिसमें दीप विहार कालोनी का नाम भी है। विज्ञप्ति के बाद कालोनी निवासियों ने बाबा आर.एन. गौड़ सहकारी समिति के अध्यक्ष व मंत्री से जानकारी चाही तो मालूम हुआ कि समिति ने बिना 90-बी की कार्यवाही किये ही कालोनी बना दी, पट्टे काट दिये। कुल भूमि दो बीघा नौ बिस्वा में 70 प्रतिशत भूमि पर मकान बन चुके हैं तथा कुछ भूमि पर बाल भारती माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। शेष 25-30 प्रतिशत भूमि को पार्क, सार्वजनिक सुविधा, सड़क मार्ग आदि के लिए आरक्षित रखा गया है। इस प्रकार 70 प्रतिशत भूमि पर आवासीय मकान बन गये, जहां 10-12 वर्ष से लोग परमानेंट आवास कर रहे हैं तथा नियमानुसार 30 प्रतिशत भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है। यदि 90-बी की कार्यवाही बाबा आर.एन. गौड़ समिति ने नहीं करवाई तो इसमें 26 परिवारों का कोई दोष नहीं है। कृपया

(श्री बाबूलाल बैरवा)

उक्त भूमि खसरा नम्बर 335, 336, 337 (दो बीघा नौ बिस्वा) ग्राम दांतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को डी-एक्वायर किया जाए तथा यहां बस रहे 26 परिवार व स्कूल को परेशान नहीं करते हुए इन्हें यथावत यहीं बसे रहने के आदेश फर्माएं। यदि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करें, तो सहकारी समिति के विरुद्ध करें, जिसने पट्टे काटकर उक्त भूमि बेची है। उक्त भूमि का प्रस्ताव दिनांक 22.3.2010 को ग्राम पंचायत दांतली द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है कि भूमि पर दीप विहार कालोनी को अवाप्ति से मुक्त किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जीवाराम चौधरी।

सांचोर में एस.सी./एस.टी. बालिका छात्रावास की स्वीकृति

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सांचोर में एस.सी./एस.टी. बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र सांचोर जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टि से वृहत् क्षेत्र है जहां वर्तमान में 136 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं एवं 32 विद्यालय अभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए हैं। इन विद्यालयों में कुछ 43,749 छात्राएं अध्ययनरत हैं जिनमें 8,107 छात्राएं एस.सी. (6,222) तथा एस.टी. (1,885) की अध्ययनरत हैं। वर्तमान में सांचोर में एक भी एस.सी. एस.टी. बालिका छात्रावास नहीं है। एस.सी. एस.टी. की छात्राएं उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे के अध्ययन से वंचित रह जाती हैं क्योंकि गरीब एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इनको आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इसी कारण सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में इनका नामांकन नगण्य है। वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र सांचोर में भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध है।

अतः सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करता हूं कि सांचोर में तुरन्त एक एस.सी. एस.टी. बालिका छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

जल संसाधन विभाग में आरक्षित वर्ग के अभियन्ताओं का पदोन्नति प्रकरण

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

मैं आपका ध्यान जल संसाधन विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव की ओर दिलाना चाहती हूं। जल संसाधन विभाग में दिनांक 8.8.2008 को पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें विभाग में अपने रिश्तेदारों को अधीक्षण अभियन्ता बनाने के लिए आरक्षित वर्ग के अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति से वंचित किया गया, उनके लिफाफे द्वेषतापूर्ण तरीके से बंद करवा दिये गये और विभाग ने अपने लोगों को उन रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति दे दी। जब आरक्षित वर्ग के अधिशासी अभियन्ता इसके खिलाफ माननीय न्यायालय की शरण में गये, माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.9.2009 को आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति दो माह में देने के लिए कहा। लेकिन विभाग ने आरक्षित वर्ग को आज तक न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही नहीं की। कार्यवाही नहीं करने के पीछे एक ही कारण है कि इन आरक्षित वर्ग के अधिकारियों के रिक्त पदों पर विभाग द्वारा अपने रिश्तेदारों व मिलने वालों को बैठा रखा है, उनको हटाना पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि विभाग के मंत्री महोदय जान बूझकर इस कार्यवाही में देरी कर रहे हैं और यह पत्रावली मंत्री महोदय के यहां तीन माह से लम्बित है। महोदय, इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि माननीय मंत्री महोदय के यहां लिफाफे खोलने के लिए आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 29.12.2009 से लम्बित है।

इसी प्रकार विभाग कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पदों पर धांधली कर रहा है। इसी प्रकार विभाग ने 3.10.2008 को 125 कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करने के आदेश दिये जो कि सभी सामान्य वर्ग के थे। इस संदर्भ में 145 कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करने के लिए आदेश करने का निर्णय लिया गया लेकिन उस सूची में अनुसूचित जाति-जनजाति के कनिष्ठ अभियन्ता होने के कारण आदेश जारी नहीं किये गये जो कि सरासर आरक्षित वर्ग के खिलाफ भेदभाव का बर्ताव है। इस सूची में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

होने के बाद भी कार्य आदेश जारी नहीं किये गये जो कि सरकार के द्वारा आरक्षित वर्ग के साथ भेदभाव है जिसमें आरक्षित वर्ग के 38 कनिष्ठ अभियन्ता पदोन्नत हो रहे थे। उनके शीघ्र आदेश जारी करवाने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी ।

(समय : 13.00 बजे)

पाली राजकीय महाविद्यालय हेतु बजट प्रावधान

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली के लिए बजट 2010 में प्रावधान नहीं होने के संबंध में निवेदन है कि वर्तमान बजट में जिन आठ विधि महाविद्यालयों के संबंध में बजट प्रावधान किया गया है, खेद की बात है कि राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली का नाम इसमें शामिल नहीं है। इस बजट प्रावधान में अलवर, बीकानेर, सीकर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा एवं श्रीगंगानगर शामिल हैं। इन महाविद्यालयों में एक-एक लेखाकार, दो-दो लिपिक व दो-दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये जाएंगे एवं जल्द ही प्राचार्यों की भी नियुक्ति की जाएगी। वहीं पाली समेत सिरोही, नागौर, झालावाड़ (पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे का गृह जिला), धौलपुर, बूंदी व चूरू के राजकीय विधि महाविद्यालयों को इस बजट में कुछ नहीं देकर इन महाविद्यालयों को सरकार द्वारा बंद किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यदि बजट में राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली की जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है तो बार कौंसिल आफ इण्डिया से प्राप्त मान्यता भी खारिज हो सकती है। ऐसा होने पर जोधपुर संभाग का एक भी राजकीय विधि महाविद्यालय नहीं रहेगा। बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली को मान्यता दी जा चुकी है। इस महाविद्यालय की स्वयं की 20 बीघा भूमि है। जन सहभागिता योजनान्तर्गत 32 लाख रुपये की लागत से इस महाविद्यालय का स्वयं का भवन निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा यह जोधपुर संभाग का एक मात्र राजकीय विधि महाविद्यालय है जिसमें पाली जिले एवं जालौर जिले के साथ-साथ जोधपुर के उन महाविद्यालयों में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र प्रवेश लेते हैं जो म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर से संबंधित रहे हैं। फिर भी बजट के समय इस महाविद्यालय को नजरंदाज किया गया है जिससे सैकड़ों छात्रों का

(श्रीमती संजना आगरी)

भविष्य अधर में लटक रहा है जो पाली स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। माननीय मंत्री महोदयजी से मेरा निवेदन है कि पाली जिले के एकमात्र राजकीय विधि महाविद्यालय के अस्तित्व को बचाने हेतु तुरन्त प्रभाव से न्यू एडमिशन होने के पहले-पहले प्रोफेसरों की नियुक्ति कर उचित कार्यवाही कराएं। माननीय मंत्री महोदयजी यहां पर विराजमान हैं, यह वैरी इम्पोर्टेंट इश्यू है और यह कालेज में पढ़ने वाले हजारों छात्र भाई-बहनों के उज्ज्वल भविष्य का प्रश्न है, तो आप पूरा प्रयास करेंगे। कालेजों में न्यू एडमिशन होने से पहले-पहले जो कालेज का भवन निर्माण हो चुका है, परमिशन भी मिल चुकी है, ओनली प्रोफेसरों की नियुक्ति करनी है, तो आप तुरन्त प्रभाव से यह कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री सभापतिः पुष्पेन्द्र सिंह । (अनुपस्थित) श्री रामहेत सिंहजी यादव।

किशनगढ़बास में रोडवेज बसों का संचालन

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के मुख्यालय किशनगढ़बास से तहसील मुख्यालय कोटकासिम रेवाड़ी जाने वाली राजस्थान की रोडवेज बसें बहुत कम इस रूट पर चलती हैं जबकि दो राज्यों को मिलाने वाला यह मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर बीबीरानी राजकीय महाविद्यालय, सीनियर माध्यमिक विद्यालय तथा अन्य कई विद्यालय एवं महाविद्यालय हैं तथा लगभग 10,000 विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्रति दिन अध्ययन करने आते हैं। इसी प्रकार खैरथल से हरसोली बीबीरानी से कोटकासिम मार्ग है, क्षेत्र के किसान खैरथल मण्डी में अपना माल लेकर आते हैं तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं के लिए खैरथल आना पड़ता है, परन्तु इस मार्ग पर भी राजस्थान की रोडवेज बसें नहीं के बराबर चलती हैं। इसी प्रकार कोटकासिम से कानहड़का, मकडावा, जाटुवास, रेवाड़ी जाने वाले मार्ग पर भी प्राइवेट बसों को परमिट दिये हुए हैं परन्तु परमिटशुदा बसें इस रूट पर नहीं चलती हैं। तिजारा तहसील मुख्यालय को कोटकासिम मुख्यालय से वाया लाडपुर-मुडाना जोड़ने वाला मार्ग है परन्तु इस मार्ग पर भी रोडवेज की कोई बसें नहीं चलती हैं। इसी प्रकार किशनगढ़बास, बीबीरानी, कोटकासिम, जोड़या, भोंकर, टपूकड़ा जाने वाले मार्ग पर भी रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं। इस प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में सभी मार्गों पर राजस्थान रोडवेज की बसें नहीं के बराबर चलती हैं जिसके कारण

(श्री रामहेत सिंह)

बीबीरानी कालेज में एवं बीबीरानी की अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को परेशानी होती है एवं आये दिन विशेषकर आते-जाते समय छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। इस क्षेत्र में राजकीय सेवा में विभिन्न कर्मचारियों एवं किसानों को आवागमन के लिए रोडवेज बसें नहीं होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र की उपरोक्त कठिनाई को ध्यान में रखते हुए रोडवेज की और बसें चलाई जाएं तथा जिन रूटों पर प्राइवेट बसों को परमिट दिया गया है उन रूटों पर परमिटशुदा बसें नियमित रूप से चलें, ऐसी व्यवस्था करावें ताकि आमजन को राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेवजी देवनानी।

सूचना

अजमेर के गोपालपुरा गांव में फैली बीमारी से दहशत

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महादेय, मैं पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से एक विषय उठाना चाहता हूं। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र के मंडावरिया ग्राम पंचायत के अन्तर्गत एक गोपालपुरा गांव है, उस गांव में गत दिनों लकवा रोग से सात लोग मर गये हैं। अब भी उसमें कई लोग पीड़ित हैं और एक के बाद एक उसके साथ ग्रस्त होते जा रहे हैं। सारे गांव में एक दहशत का माहौल है, इसलिए मैं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि आप इसको गम्भीरता से लें। वहां के कुओं या हैण्ड पम्प के पानी की भी जांच करवाएं और वहां पर खून की भी जांच करें कि यह रोग किस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। यदि रोग बढ़ा तो शायद गांव में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। सात लोग तो मर गये हैं, ग्यारह लोग अभी ग्रस्त हैं और लगातार उस रोग से लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं, इसलिए सरकार इस ओर तुरन्त कदम उठाए, यह मैं आपके ध्यान में विषय लाना चाह रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह बिलकुल गम्भीर बात है, आकोड़ा गांव है चंदवाड़ पंचायत में देवली तहसील में, वहां शत-प्रतिशत आदमी बीमार रहते हैं, उठ नहीं पाते, इसके बारे में तो ध्यान देना चाहिए और व्यवस्था की जानी चाहिए। जब भी जवाब आए, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक कर देगी, इसके बारे में जवाब आना चाहिए।

श्री सभापति: पर्ची के माध्यम से निम्न माननीय सदस्य बोलेंगे। माननीय श्री अमरा रामजी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से कुछ आश्वासन तो...

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नायक जाति प्रमाण पत्र जारी करने में राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही आनाकानी

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक 20 लाख आबादी की जाति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैनायक जाति। राजस्थान में 20 लाख की आबादी है लेकिन वह प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, राजनीति के रूप में और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है उसकी वह आवाज नहीं है। तय रूप से हमारे संविधान में केन्द्र सरकार एसटी में जिन जातियों को रिजर्वेशन देती है और जिनको एससी में रिजर्वेशन है, उसकी बाकायदा लिस्ट है, लेकिन मैं समझता हूं, इस जाति के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र देने में राजस्थान में राजस्व अधिकारियों के द्वारा आनाकानी की जा रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण लेकूना यह है कि जो लिस्ट एससी और एसटी की है, एससी की लिस्ट जिसमें 57 नम्बर पर थोरी नायक है और एसटी की जो लिस्ट है उसमें 10 नम्बर पर यह जो नायक जाति सम्मिलित है। उसमें कई तरह के लोग हैं, अलग-अलग एरिया में अलग–अलग नाम से, जिस तरह से लोकल भाषा में बोलते हैं वे इसके अन्दर सम्मिलित हैं। दस नम्बर पर है नायकड़ा, नायक, चोली वाला नायक, जो चोली बनाते हैं, कापड़िया नायक, मोटा नायक और नाना नायक। जो एसटी की लिस्ट है उसमें दस नम्बर, बारह नम्बर पर कैटेगराइज किया गया है, दस नम्बर पर नायक जाति को एसटी में शामिल किया गया है। सभापति महोदय, एससी में भी जो थोरी नायक है वह 57 नम्बर पर लिस्ट में है। केन्द्र का गजट नोटिफिकेशन 1979 में दोबारा संशोधित हुआ, नोटिफिकेशन राजस्थान का भी है, लेकिन दोनों लिस्टों में नायक होने के कारण उन विद्यार्थियों के साथ जाति प्रमाण पत्र बनाने में भेदभाव की स्थिति है। इसी लिस्ट के आधार पर बहुत से लोगों ने एस.टी. का प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी ले रखी है। लेकिन राजस्व अधिकारी इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि यह नायक एस.सी. में है,

(श्री अमराराम)

इसका हम प्रमाण पत्र देंगे। सर्विस करने वाले का बच्चा अगर एस.सी. का प्रमाण पत्र ले लेगा तो निश्चित रूप से उसकी नौकरी पर बहुत बड़ी आंच आएगी। अब जाकर कुछ विद्यार्थी जो स्कूलों में जा रहे हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत बड़ी परेशानी है, पूरे राजस्थान में है विशेष तौर पर सीकर, झुन्झुनूं, नागौर, चूरू पश्चिमी राजस्थान में।

इसी तरह सभापति महोदय, न केवल अब, पहले भी आप अगर देखेंगे, पुराना जब राजपूताना था, यह लिस्ट है- list of castes and tribes in Marwar-Rajputana, यह है उस समय की जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। राजपूताना था उस समय भी जो लिस्ट है मारवाड़ राजपूताना की, उसमें नायक ट्राइबल में शामिल हैं। लेकिन आज उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, सभापति महोदय, क्योंकि उनकी इतनी संख्या नहीं है, उतने वे राजनीतिक रूप से जाग्रत नहीं हैं, सामाजिक रूप से जाग्रत नहीं हैं इसलिए इस तरह का वह दबाव नहीं बना सकते। मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है, अभी हमारे गृह मंत्रीजी और सामान्य प्रशासन मंत्री बातों में मशगूल हैं, लेकिन तमाम जिला कलेक्टर्स को, जो 33 जिला कलेक्टर्स हैं उनको स्पष्ट इस लिस्ट के आधार वे निर्देश दिये जाएं, क्योंकि बहुत से परिवार हैं। इसमें 70 प्रतिशत परिवार वह हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं। जिनके खातेदारी में जमीन होगी, खातेदारी के साथ उसकी जाति लिखी हुई होती है। लेकिन इसमें 50 प्रतिशत लोग वे हैं जो केवल हाथ से काम करते हैं, उनके जमीनें नहीं हैं। उनकी जाति का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने में पश्चिमी और उत्तर राजस्थान में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। थोरी नायक हैं जो एस.सी. में हैं, उसके अलावा जितने भी नायक हैं चाहे वह मिस्टेक हो, यह दूसरे नायकड़ा जिसका भ्रम पैदा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में ऐसी कोई जाति है नहीं, केवल नायक जाति है जिसको छोटा नायक, बड़ा नायक के नाम से जरूर बनाते हैं, उनके नाम से जरूर है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जाति जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में राजस्व अधिकारी आनाकानी नहीं करे, उनको स्कालरशिप विद्यालयों में मिल सके और नौकरी में भी उनको वजीफा मिल सके। इसलिए आपके माध्यम से सरकार को मेरा

(श्री अमराराम)

निवेदन है, गृह मंत्रीजी से भी निवेदन है कि एक दिशा-निर्देश इस लिस्ट के आधार पर सूची में 10वें नम्बर के आधार पर निर्देश भेजें जिससे उन विद्यार्थियों को परेशानी नहीं उठानी पड़े, न स्कालरशिप के लिए और न नौकरी के लिए। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। बरसों से नायक जाति के लोग आंदोलनरत हैं और यह जायज मांग है। यही लोग अलग-अलग अपने जिलों में कहीं नायक कहलाते हैं, कहीं भील कहलाते हैं, जैसे बाड़मेर और मारवाड़ का इलाका है वहां रेवेन्यू रिकॉर्ड में भील दर्ज है। उनका वह समाज एक ही है, नायक जाति के लोगों का अलग-अलग जगह अलग-अलग इसी प्रकार से उनका रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ऐसे भोले-भाले लोग हैं जिनमें शिक्षा तो शून्य के बराबर है। वे गरीब हैं, जमीन उनके पास है नहीं और यह एक वास्तव में वाजिब मांग है जो बरसों से वे लोग कर रहे हैं। तो राज्य सरकार को इस ओर ध्यान करके पहल करनी चाहिए। दोनों ही एक जाति हैं चाहे वह नायक हो, चाहे थोरी नायक हो, चाहे वह भील हो। इसलिए इसमें संशोधन करके उनको रिलीफ देनी चाहिए।

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं तो बोलूंगा लेकिन इन माननीय सदस्यों ने रखा है, सरकार की तरफ से कोई जवाब दें मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, केवल निर्देश ही भेजने हैं जबकि लिस्ट में 10वें नम्बर पर यह जाति एस.टी. में लिखी हुई है और जो एस.सी. की है उसमें 57वें नम्बर पर थोरी नायक लिखा हुआ है। मैं तो सदन से कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, निर्देश दें। केवल निर्देश भेजने हैं, क्योंकि 90 प्रतिशत ऐसे हैं, भाटी साहब ने कहा, 90 प्रतिशत में शिक्षा नाम की चीज नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, केवल अपनी मजदूरी करते हैं, जिनके पास एक बीघा जमीन नहीं है। वे इस तरह का आंदोलन नहीं कर सकते। अगर आंदोलन करते तथा मरने मारने को तैयार हों तो सरकार और सरकार का मुख्य मंत्री उनके पास जाकर हाथ जोड़कर हैलीकाप्टर से लेने के लिए तैयार होता। लेकिन इनकी संख्या कम है...

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शिक्षित कम हैं, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नहीं हैं, इसलिए एक भी प्रतिनिधि आज तक, 1952 से लेकर 2010 तक एक भी विधायक इस जाति से चुनकर इस विधान सभा में नहीं आ पाया है जो एस.टी. में शामिल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम जिला कलेक्टर्स को इस सूची के आधार पर निर्देश भेजें कि किसी भी छात्र के साथ यह जाति प्रमाण पत्र, एस.टी. का प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी नहीं करें। तो मैं समझता हूं कि उनके साथ न्याय होगा, वर्ना तो फिर उनको भी वही करना पड़ेगा जो दूसरी जातियों के लोग सरकार का गला पकड़ कर अपना हक लेने की बात करते हैं, वहीं करना पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने बोल दिया है, भाटी साहब ने भी बोल दिया है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैंने भी देखा है गंगानगर में, माननीय सभापति महोदय, जब उनका सर्वे हुआ, उनका सेंसस हुआ, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट लिखा गया। फिर और जातियों को तो बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है, वहां क्यों नहीं किया जा रहा है? यह बहुत गम्भीर मामला है, आये दिन आते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, लोग मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, संशोधन निकालना कर्तव्य बनता है, मेरे खयाल से इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता है जिसमें गरीब लोग शिड्यूल्ड कास्ट के लोग परेशान हैं। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि सरकार निर्देश दे।

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी। आप विराजें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में गत माह में ये निर्देश दिये हैं, पर राज्य सरकार पता नहीं किस उलझन में लगी रहती है- कुर्सी बचाने में, कोई मंत्री पद लेने में। यह गंभीर मामला है और उस गरीब का है जिसके पास न भूमि है, न शिक्षा है, न राजनीतिक चेतना है। ऐसे लोगों के बारे में हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया है, राज्य सरकार को, विशेष तौर पर मैं मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उनको इस बारे में इनीशियेटिव लेना चाहिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सरकार साधारण से साधारण मामले में जवाब देती है...

श्री सभापति: माननीय, आप विराजो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं यह अर्ज नहीं कर रहा हूं,

(श्री रामनारायण मीणा)

मैं तो सोल्यूशन चाहता हूं कि इस सदन में गम्भीरता से कोई बात आ रही है और सरकार बैठी है। क्या कार्यवाही करेगी? या सदन में मामला उठा उसके बाद खतम हो जाएगा? माननीय कोलायत से आने वाले विधायक ने बिलकुल सही कहा है, माननीय अमराराम जी ने कहा है, सरकार को आप निर्देश दें, जो भी दें इनको कहना है। जब साधारण से साधारण बात यहां रखते हैं.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार संवेदनशून्य, संवेदनहीन है..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप। अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): 000

श्री सभापति: विराजो, आप बोल चुके। माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री सभापति: आपने बोल दिया, आ गया ध्यान में। सरकार के ध्यान में आ गया, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी।

श्री पेमाराम (धोद): मैं बोलूं गृह मंत्री जी आ रहे हैं शायद कुछ कहेंगे इस मामले में। गृह मंत्रीजी कुछ कहेंगे क्या?

श्री सभापति: आप बोलो। श्री पेमाराम जी।

मन्दिर-मूर्ति के नाम दर्ज भूमि पर काश्त कर रहे किसानों को खातेदारी अधिकार

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा राजस्थान के उन किसानों के बारे में के, जब से भारत देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जिनके परिवार का पीढ़ियों से, दादा, पिताजी के टाइम से जमीन पर काश्त और कब्जा है, बुआई-जुताई करते हैं, लेकिन उस जमीन मंदिर-मूर्ति के नाम दर्ज है। माननीय सभापति महोदय, उन किसानों के साथ दुविधा है। साधारण तौर से कोई भी जमीन बरसों से कब्जा होने के बाद उसके नाम दर्ज कर दी जाती है। कानून में यह प्रावधान है। मगर हमारे सीकर जिले में, मेरे धोद विधान सभा

(श्री पेमाराम)

क्षेत्र में हजारों किसान हैं और पूरे प्रांत में लाखों ऐसे किसान हैं, उस जमीन से करोड़ों उनके परिवार के मैम्बर हैं जो जुड़े हुए हैं। उन किसानों के साथ क्या अन्याय होता है सभापति महोदय? काश्त वे करते हैं, कुआं बना लिया मर पचकर, सरकार की तरफ से किसी प्रकार का ऋण नहीं मिल पाता। उस जमीन पर काश्त करने वाला कोई किसान कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी का मैम्बर बन जाता है, मगर ऋण के लिए जाता है तो खातेदारी का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता, इसलिए वहां से ऋण नहीं मिल पाता। कोई बैंक उन्हें ऋण नहीं देते...

कोई किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिल पाता। वर्षों से कब्जा है, काश्त है, पर सरकार की किसी प्रकार से सहायता नहीं है। एक दफा बीच में इन काश्त करने वाले किसानों का नाम भी दर्ज हो गया था, लेकिन 1977 में दुबारा नाम बदल करके मंदिर मूर्ति के नाम पर कर दिया गया इसलिए 1977 के बाद से भयंकर रूप से परेशानी है। और उसका परिणाम? सभापति महोदय, उस जमीन पर कुआ बना लिया या पुख्ता मकान बना करके वो काश्तकार वहां रहता है तो उसे न कुए पर बिजली का कनेक्शन आसानी के साथ मिल पाता, न पुख्ता मकान पर उजाले का कनेक्शन आसानी के साथ मिल पाता। यही नहीं, बल्कि उसे किसी प्रकार का ऋण और अनुदान नहीं मिल पाता। अभी हमारा राजस्थान भयंकर अकाल से पीड़ित है, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि लघु और सीमान्त किसानों को दो हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देंगे। कभी शीतलहर आती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी और परेशानी आती है। मगर जो काश्त करते हैं, जिनका कब्जा है, लेकिन चूंकि जमीन मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है, उन किसानों को सरकारी सहायता से भी वंचित रहना पड़ता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसी सूरत में आपके द्वारा राजस्थान की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन काश्तकारों को जिनका पीढ़ियों से उस जमीन पर कब्जा है, उन्हें खातेदारी का हक दिया जाना चाहिए। यही नहीं, जब तक यह हक देने की कार्यवाही करें, तब तक उन्हें बिजली के कनेक्शन में जो बाधा आ रही है, उसके लिए सरकार को संवेदनशील होते हुए बिजली का चाहे घरेलू कनेक्शन हो और चाहे कुए और ट्यूबवैल पर कनेक्शन देने का सवाल हो, उसके निर्देश जारी करने चाहिए। इससे दो फायदे होंगे- एक तो किसान उसमें सिंचाई करेगा, पैदावार बढ़ेगी तो राजस्थान में पैदावार भी ज्यादा होगी और किसान भी अपने परिवार का लालन-पालन ठीक से कर पाएंगे। किसान की भी आर्थिक स्थिति समृद्ध हो

(श्री पेमाराम)

पाएगी। इसी के साथ जब तक उनको खातेदारी हक में सरकार कोई कानून बनाए, तब तक सरकार निर्देश जारी करे कि उन किसानों के लिए सहकारी समिति या बैंकों के द्वारा ऋण या खेती में काम में आने वाले उपकरण खरीदे तो उन पर उनको सहायता देने का सर्कुलर जारी करे। इसी के साथ एक सर्कुलर और जारी करे जिसके द्वारा कोई प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि है, अकाल है, बाढ़ है या ऐसी कोई परिस्थिति आए तो उन किसानों को जो जमीन जोत रहे हैं वह जमीन जो मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है, उन किसानों को भी सरकार से मिलने वाली सहायता की सूची में शामिल किया जाए, यह सुविधा दी जाए। इसी के साथ मैं पुनः सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि नियमों में बदलाव करे सरकार और मंदिर मूर्ति में जो जमीनें दर्ज हैं, पीढियों से जो काश्तकार कब्जा करके काश्त कर रहे हैं, अपने परिवार और देश की जनता का लालन-पालन करते हैं, उन्हें खातेदारी हक देकर करोड़ों लोगों के पक्ष में सरकार निर्णय करने का कष्ट करे। यही कहते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच में राजस्व मंत्रीजी विराजे हुए हैं, आप इन्हें निर्देश देंगे कि इनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके क्या सरकारी सुविधा उन काश्तकारों को दिलवा सकते हैं ये निर्देश देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहे उदयपुर के छात्र की गुमशुदगी

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं एक विषय गृह मंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं, यह बालक मेरे उदयपुर का है अंकित जो आईआईटी पढ़ने के लिए कोटा गया और वहां अध्ययनरत था। 26 तारीख को उसके पिताजी से उसकी बात हुई शाम को साढ़े सात बजे और उसने कहा कि मैं कोटा से रवाना हो रहा हूं, होली पर उदयपुर आ रहा हूं। जब बच्चा 27 तारीख सवेरे भी उदयपुर नहीं पहुंचा तो उसके पिता ने पता करने का प्रयास किया कि आखिर कोटा से रवाना हुआ, टेलीफोन से बात की, उसके बाद में उदयपुर क्यों नहीं पहुंचा। यह बालक वहां आपके तलवंडी, कोटा में कोई मकान नंबर है 4जी21 श्री विजय जी जैन का, उसमें किराये से रहता था। जब बच्चा नहीं आया तो 27 तारीख शाम को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके यहां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जवाहर नगर कोई थाना है, उस थाने में इसकी दर्ज करायी। यह गुमशुदगी की रिपोर्ट पिछले महीने की 26 तारीख की है, इस महीने की नहीं। अब तक एक महीना और तीन दिन हो गये। किसी भी पिता का होनहार बच्चा, एक महीने और तीन दिन से गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी और बार-बार पुलिस में जाकर कांटैक्ट करने के बाद भी अभी तक उसको इस बात का संतोषप्रद जवाब नहीं मिला कि पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की। मैं आज यह जानना चाहूंगा। आखिर आपका, मेरा या किसी का भी हो सकता है। जिसका अपना बच्चा एक महीने और तीन दिन से आईआईटी की पढ़ाई के लिए कोटा गया हो, उसके नहीं लौटने के बाद जहां-जहां भी वो जा सकता था, उसने अपनी तरफ से प्रयास किये, जितने भी वो ढूंढने के प्रयास कर सकता है, वो उसने प्रयास किये। लेकिन जब उसका कमरा खोल कर देखा तो उसका जो मोबाइल था, वो बच्चे के साथ नहीं था, कमरे में ही मोबाइल था। मैं सोचता हूं कि आखिर उस मोबाइल पर भी कहीं कोई टेलीफोनिक बातचीत हुई होगी तो उसकी काल डिटेल निकालने से भी पता लगा होगा। अब तक पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही की और पुलिस अब तक कहां तक पहुंची, मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मेरे पास यह विषय तो पिछले पन्द्रह दिन से पड़ा था लेकिन मैंने सोचा कि शायद प्रयास से कहीं न कहीं बच्चे के बारे में कोई न कोई जानकारी जरूर मिलेगी। अभी तक भी कोई जानकारी नहीं मिली, इस कारण से मैं आपसे चाहूंगा कि वहां की पुलिस ने इस गुमशुदा बच्चे को ढूंढने की दृष्टि से अब तक कोई प्रयास किये कि नहीं किये? जब कभी भी ऐसे किसी बच्चे का अपहरण होता है या और कोई कारण होता है तो मैं सोचता हूं कि जो सक्षम व्यक्ति होता है उसके लिए तो सारा प्रशासन तंत्र लग लगा करके जो भी होता है, परिणाम लाने का प्रयास करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हण्ड्रेड परसेंट सफलता हर केस में मिल ही जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों का अपहरण नहीं हुआ होगा या मेरा टाइम में नहीं हुआ, मैं इस बात को नकारता नहीं हूं। पर आज एक पिता अपने बच्चे उमेश पचौरी के लिए लगातार सब जगह भटक रहा है, और एक महीने से उसका पूरा परिवार जिस दयनीय स्थिति में है, अगर कोई भी मिलने जाए, आप स्वयं जाएंगे तो आपका स्वयं का भी मन पसीज जाएगा। एक असहाय मां-बाप को एक महीने और तीन दिन से प्रयास करने के बाद भी किसी भी प्रकार का अभी कोई संतोषप्रद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जवाब नहीं मिल पा रहा है या कोई भी लाइन नहीं मिल पा रही है कि बच्चा आखिर है कहां। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि अब तक जो भी पुलिस ने, कोटा की पुलिस ने प्रयास किया हो इसके बारे में और अभी तक अगर कोई लाइन इनके पास है, या कहीं तक भी पहुंची हो तो निश्चित रूप से बताएं। उसके मां-बाप को भी पुलिस कांटैक्ट करके किसी तरह से संतोष देने का प्रयास करे कि आपने अब तक क्या प्रयास किया और उस प्रयास का कोई परिणाम, आप किसी ठीक लाइन पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इस विषय को मैंने आपके माध्यम से सदन में भी, मंत्रीजी से भी इसलिए रखा कि आप और मैं भी एक पिता हैं और अपना बच्चा अगर गुमशुदा होता है तो उसके दर्द को अपन महसूस कर सकते हैं, परिवार महसूस कर सकता है। एक होनहार बच्चा एक महीने और तीन दिन से कोटा अध्ययन के लिए गया, अभी तक उसके घर पर या उसकी कोई जानकारी नहीं मिली तो निश्चित रूप से इसमें अगर आपके पास किसी प्रकार की अब तक की कोई रिपोर्ट हो तो आप सदन में जरूर बताएं ताकि कम से कम हमको यह महसूस हो कि पुलिस सक्रिय होकर इस काम को कर रही है।

श्री सभापति: श्री रामनारायण जी मीणा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कुछ तो बताएं क्या हुआ, अब तक कम से कम। एक बच्चा आपका या मेरा भी ...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं-नहीं, यह सही बात है आपकी। कोटा भी बदनामी से बचेगा वहां ऐसे कांड होते हैं तो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): गत 27 फरवरी का वाकया है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 26 का है, 27 की रिपोर्ट है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह जवाहर नगर थाने का ही मामला है, इसमें फरियादी के अब तक बयान तो ले लिये गये थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़के के कमरे में जब तलाशी ली गई तो न तो कोई किताबें मिलीं और न ही कोई सिलिण्डर वगैरह जो रखता था, वो मिला, क्योंकि यह एक अलग से कोई कमरा किराये लेकर रहता था। मोटे तौर पर कोटा में सत्तर हजार लड़के रहते हैं, उनमें से 95 प्रतिशत लड़के हास्टल्स में रहते हैं, बाकी 5-6 प्रतिशत ऐसे भी हैं जो अलग-अलग कमरे किराये ले-लेकर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

रहते हैं। यह लड़का अलग किराये रहा करता था, वो मोबाइल छोड़ कर चला गया । तलाशी के लिए वृत्त अधिकारी के नेतृत्व में शहर में एक नयी टीम गठित की गई है। कोटा रेंज के, और कोटा ही रेंज के नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की सारी रेंजों के थानों को वायरलैस के द्वारा इसकी सूचना भी दे दी गई है और तलाश करने के निर्देश भी दिये गये हैं। इसके साथ-साथ समाचार पत्रों में पैम्फलेट रख कर इस बात की खबर बंटवाई गई है कि कहीं किसी प्रकार से इस लडके का कोई पता लगता हो तो पुलिस को बताएं। बंसल क्लासेज का यह लड़का था, बंसल क्लासेज से पढाई का रिकार्ड प्राप्त किया गया जहां पर कि इसका अंतिम परीक्षा देना नहीं पाया गया है, यह परीक्षा नहीं दे पाया था। इसी तरीके से विद्या मंदिर स्कूल में भी इसका एडमिशन था, वहां से भी उसके मित्रों से काफी कुछ जानकारी प्राप्त की है। यह लड़का मोटे तौर पर दिन में कुछ घंटे साइबर कैफे पर जाकर चैटिंग किया करता था, तो उन लोगों को भी पकड़ कर पुलिस पूछताछ कर रही है कि कहां इसका अता-पता मिल सकता है। इसके अलावा दिल्ली में जिटनैट पर भी इसकी सूचना डाली गई है जिससे कि मोबाइल से जितनी भी बातें हुई हैं उन सबसे कुछ पता लगे। उसमें से एक मामूल-सा क्लू पता लगा है एक तो भीलवाड़ा और एक उडीसा । उड़ीसा की तरफ एक पुलिस की टीम उसी क्लू को देखते हुए रवाना की गई है। मैं समझता हूं कि तलाश तो काफी जारी है, प्रयास अभी तक खूब अच्छे हुए हैं, प्रयासों में कोई कमी नहीं है लेकिन सफलता मिली नहीं है। आज आपने इस मामले को उठाया है, मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को देखूंगा।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा।

सिरोही के थाना पालड़ी में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही विनम्र निवेदन करुंगा माननीय गृह मंत्रीजी से और सरकार से, गृह मंत्री जी, आप मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं ? (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ऐसे मामले की तरफ लाना चाहता हूं जो आदिवासियों से सम्बन्धित है। सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत अच्छे-अच्छे धार्मिक स्थान हैं, मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थान है। एक गांगुजी ऋषि

(श्री रामनारायण मीणा)

हुआ करते थे जिनको ईश्वर की सिद्धि प्राप्त हुई और उनकी गायों के बीच शेर घूमा करते थे। सिद्धि प्राप्त होने के बाद उन्होंने गांगुजी के नाम से सिरोही जिले में एक स्थान बनाया, गौतम ऋषि के नाम से स्थान बना। सभापति महोदय, सिरोही, पाली और जालौर जिले के आदिवासी वहां आते हैं। यह सही है कि आदिवासी गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास साधन नहीं हैं। अब तो शहरों में आने लग गये, पढाई-लिखाई होने लग गई, यह हमारा सौभाग्य है। वहां उन्होंने जब तपस्या की थी तो शिव ने उनको दर्शन दिये जैसा ग्रंथों में है, परिपाटी है। जब शिव ने दर्शन दिये तो उन्होंने मांगा कि मेरी कौम, आदिवासी समाज बहुत गरीब है और गंगा में जब तक हमारे पूर्वजों की हड्डियों का विसर्जन नहीं हो तब तक उद्धार नहीं होता, यह हमारी मान्यता है। तो शिवजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि यहां गंगा का अवतरण होगा। गृह मंत्रीजी को भी ध्यान होगा, सभापति महोदय, हर वर्ष 12 और 13 मुहूर्त के हिसाब से वहां गंगा का अवतरण होता है मैं भी वहां गया हूं। सभापति महोदय, आप जाकर देख सकते हैं, 300-350 फीट जहां पानी नहीं हो, वहां स्वतः ही गंगा का अवतरण होता है और उसमें सालभर में जिनकी मौतें होती हैं, उनकी हड्डियों का विसर्जन होता है। अगले साल जब वहां वापस आते हैं तो वहां कोई हड्डी नहीं होती, वहां किस प्रकार से हड्डी जाती है या गलती है पता नहीं सभापति महोदय। वहां का एक नियम है, परिपाटी है, वहां पुलिस का कोई सिपाही नहीं जाता। उनका अपना सिद्धान्त है, उनका अपना तरीका है, उनकी अपनी परिपाटियां हैं आदिवासियों की। और वहां लाखों की संख्या में आते हैं हर वर्ष वहां आते हैं। बड़े-बड़े नेता वहां जाते हैं लेकिन लाल बत्ती लगा कर न वहां कोई जाता है। न कोई गया है। पिछली सरकार के समय में माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां गईं, मैं भी उस साल था, परिपाटी का पालन किया। जो उनकी सिक्योरिटी का स्टाफ था, वह सादी ड्रेस में गया। वहां जाकर उन्होंने अपना राजनीतिक भाषण दिया, कुछ भी दिया। सभापति महोदय, मेरा तो आपसे अर्ज करना है, अगले साल फिर उनको नहीं बुलाया गया या जो भी स्थिति हुई। वह वहां गये तो पुलिस अपने लवाजमे के साथ गई। कितनी ही लाल बत्ती की गाड़ियां, एसपी वगैरह सब ड्रेस में गये। आदिवासियों ने उनको रोका, निवेदन किया कि आप कृपा करके हमारी परिपाटी को मत तोड़िये । उन्होंने परिपाटी तोड़ी, आदिवासियों ने अपनी परम्परा को निभाने के लिये रेसिस्ट किया और उनके

(श्री रामनारायण मीणा)

साथ मारपीट की। कितने आदिवासी घायल हुए, इसकी संख्या इसलिए नहीं बता सकता मैं क्योंकि वे मेडिकल के लिये पहुंच नहीं पाये । सभापति महोदय, दो दिन तक सरकार ने मंथन किया कि क्या किया जाए, आदिवासियों का मामला है। उनको आज दिन तक मुआवजा नहीं दिया गया, यह हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान का दुर्भाग्य है। केसरिया जी में पुलिस की गोली से, लाठी से आदिवासी मरे तो उनको दो लाख रुपया और कोई साधारण आदमी मर जाए 10 लाख रुपया, यह अन्याय है। सभापति महोदय, वहां भी ऐसा का ऐसा हुआ, वहां पर आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिये संघर्ष किया- बच्चों ने, अंजान आदमियों ने। तीनों जिलों के लाखों आदमियों में से, यह बता सकता है पुलिस का कोई आदमी, नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। ढूंढ कर प्रशासन ने उनके साथ ज्यादती की। सभापति महोदय, मुकदमा नंबर 47/2007 दर्ज हुआ और वह घटना के एक दिन बाद दर्ज हुआ। गृह मंत्रीजी, मेरा आपसे अनुरोध है मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा है, आज भी यहां दो दिन से 50 आदिवासी पडे हुए हैं मिलने के लिये। सभापति महोदय, मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं, बार्डर की जमीनें बिकीं, एक का चालान नहीं। गंगानगर में हथियार लाइसेंस का मामला हुआ जिसमें अधिकारियों को तो फंसा दिया क्योंकि अधिकारी तो कब्जे के लोग हैं, जबकि अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिये थी, जिन्होंने लाइसेंस गलत लिया उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये थी। अधिकारियों के खिलाफ तो कार्यवाही की और जिन्होंने लाइसेंस लिया, 173/8 में उनके चालान नहीं किये। इसलिए मैं तो उसके बारे में ज्यादा न कह कर, सभापति महोदय, आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि उनका चालान कर दिया गया इसके बावजूद भी कि वे दोषी नहीं थे। सभापति महोदय, 10 फरवरी, 2009 को चालान किया। चालान करने के बाद में जल्दी कैसे निपटारा हो क्योंकि लाखों आदिवासी राजस्थान में रहते हैं, उसको फास्ट ट्रैक में कर दिया। यह 47/2007 थाना पालड़ी जिला सिरोही का है यह कह कर कि सरकारी सम्पत्ति को तोड़ा। अब आदिवासियों ने बिना किसी हथियार के गाड़ियों को अगर रोका पुलिस ने डंडे मारे तो डंडा पकड़ कर छीना, यह कौनसा अपराध है? सभापति महोदय, इसकी हाइ कोर्ट जज से इन्क्वायरी होनी चाहिये थी, नहीं करवाई गई। चालान कर दिया और फास्ट ट्रैक में केस भेज दिया। फास्ट ट्रैक में केस चल रहा है और

(श्री रामनारायण मीणा)

मेरा खयाल है, जल्दी ही उनको सज़ा हो जाएगी। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद में मैंने उनसे अनुरोध किया। मेरे पास उस पत्र की मुख्य मंत्रीजी के यहां से पावती आई है। प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग को पत्र गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से मिला हूं, मुख्य मंत्रीजी ने इसके बारे में बहुत ही चिंता जाहिर की है, वह भी चाहते हैं। रिपोर्ट आए या नहीं आए, मेरा आपसे अर्ज करना है, सभापति महोदय, या तो सरकार निवेदन करे। मेरा इसलिए अर्ज करना है कि 90-बी के मामले में गिरफ्तार नहीं, घोटाले के मामले में गिरफ्तार नहीं, सेठों को फूटी कौड़ी लिये बिना जमीनें दी गईं उसमें कुछ नहीं किया गया, तो आदिवासियों ने कौनसा गुनाह किया है। इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध करना है, सभापति महोदय, सरकार इसको गम्भीरता से ले और यह मैसेज नहीं जाने दे। यह सही है कि यह मामला पिछली सरकार के समय का है लेकिन पिछली सरकार ने भी कोई गुनाह किया है तो इस सरकार को उस गुनाह की जांच करनी चाहिये। आदिवासियों का कोई गुनाह नहीं है तो उनको सज़ा क्यों दी जाए? और वह भी आराध्य देव गौतम ऋषि के स्थान पर सरकार जुल्म, ज्यादती करे। सभापति महोदय, आज भी क्या हो रहा है? एक नायब तहसीलदार को जहां लाखों की भीड हो, वहां ट्रस्टी बना दिया, वह मेला भराएगा। सभापति महोदय, आदिवासियों की मान्यता खतम करने का तरीका है। यह मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि यह बहुत सैंसिटिव मामला है, गम्भीर मामला है। इसके बारे में सरकार ध्यान दे, सदन में निर्णय दे कि आदिवासियों के मामले में ज्यादती नहीं की जाएगी, आदिवासियों का मुकदमा विथड्रा किया जाएगा। विथड्रा करके आदिवासियों में मैसेज दें क्योंकि आदिवासी बहुत चिंतित हैं, दुःखी हैं और पीड़ित हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुनः अनुरोध है कि सरकार कृपा करे आदिवासियों के लिये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, विराजो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय गृह मंत्रीजी, आदिवासियों का मामला है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसको दिखवाएंगे।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री रामनारायण मीणा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करने व प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती नहीं किये जाने तथा भर्ती की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्मिक मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, माननीय रामनारायणजी मीणा साहब ने जो यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2003, राज्य सेवा के 188 पदों और राज्य प्रशासनिक सेवा-पुलिस, लेखा, वाणिज्यिक, बीमा, यातायात, खाद्य, देवस्थान, वाणिज्य कर, आबकारी, सहकारिता, तहसीलदार सेवा के कुल 305 अधीनस्थ पदों के लिए आयोजित की गई थी 2003 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा परीक्षा आयोजित करवाकर सफल अभ्यर्थियों की सूची कार्मिक विभाग को भेज दी गई थी। कार्मिक विभाग द्वारा सफल अभ्यर्थियों का परीक्षण किया गया, चरित्र सत्यापन किया गया और अपने स्तर पर यह सब काम करवाकर परीक्षा फार्म में उनके द्वारा भरी गई वरीयता और मैरिट के आधार पर सभी 493 पदों के लिए सेवा का आबंटन कर सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को सूची और उसके फार्म, स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट और चरित्र सत्यापन रिपोर्ट वगैरह सब भिजवा दी गई। सभी प्रशासनिक विभागों के द्वारा अपने स्तर पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये थे। राजस्थान राज्य सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 1999 के नियम 20/3 में प्रावधान है कि नियुक्ति पर कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी से रिक्त रहा पद नई रिक्ति नहीं मानी जाएगी। यह नियम में प्रावधान है। इस नियम के प्रावधान की वजह से ही जो आपने बात उठाई कि उन्हें रिक्त माना जाए, वो मानी नहीं जाती, जब तक कि नियम में कोई परिवर्तन न हो। मेरा निवेदन यह है कि 16 राज्य और 10 अधीनस्थ सेवाएं हैं, कुल मिलाकर 26 हैं जिनके लिए कार्मिक विभाग सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग से रिक्तियों की सूचना मांगता है और सूचना प्राप्त करने के बाद में वह लोक सेवा आयोग को परीक्षा के लिए आयोजित

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कर परिणाम भिजवाने के लिए अनुरोध कर नोडल एजेंसी के बतौर काम करता है। व्यावहारिक रूप से यह कठिन भी है। यह कठिन है कि कोई भी अभ्यार्थी नियुक्ति पश्चात कार्य ग्रहण नहीं करें तो उसके स्थान पर निम्न वरीयता प्राप्त अभ्यार्थी को नियुक्ति प्रदान कर दी जावे। यह डिफिकल्ट है क्योंकि जिस आदमी ने, मान लीजिए 493 आदमियों की भर्ती हुई, 450 ने जाइन कर लिया। जॉइन कर लिया तो उनकी तो ट्रेनिंग चालू हो गई, उनका वेतन भी चालू हो गया। अब अगर मान लीजिए, 40-50 आदमी जो बाकी रह गये, जाइन नहीं किया तो न तो उनकी ट्रेनिंग चालू होगी न उनका वेतन चालू होगा। तो वे किस प्रकार से इसमें शामिल हो सकेंगे? इसलिए, कार्य ग्रहण नहीं करने पर उसे नई रिक्ति मानी जाती है मोटे तौर पर। जो कार्य ग्रहण नहीं करेगा तो यह समझ लिया जाएगा कि जगह खाली पड़ी हुई है, ठीक है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, ओमजी बिरला, यह कोटा के हैं और प्रिजुडिस्ड हैं शायद आपसे। (व्यवधान) डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने इनसे कह दिया, मामला मेरा है, उनका नहीं है। मैं तो उनकी कृपा चाहता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह यहीं डिस्टर्ब नहीं करते, कोटा तक में भी डिस्टर्ब करते हैं मुझे।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): गड़बड़ करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप गृह मंत्री हो, ठीक कर दीजिए इनको। (व्यवधान) थोड़ा-थोड़ा मैं भी हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसलिए व्यावहारिक रूप से यह कठिन है कि कार्य ग्रहण नहीं करने पर उसके स्थान पर निम्न वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान कर दी जावे। नियुक्ति पर कार्य ग्रहण करते ही उसका प्रशिक्षण चालू हो जाता है, ऐसी स्थिति में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जा सकता। 2003 की जो आप बात बता रहे हैं, 2003 के पश्चात् 2007 में 713 पदों की परीक्षा हो गई तथा परिणाम कार्मिक विभाग को प्राप्त हो गया। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ले ली, कार्मिक विभाग को नाम भेज दिये सलैक्शन कर करके, स्वास्थ्य परीक्षण और चरित्र सत्यापन का कार्य भी पूरा हो चुका, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्तियों पर रोक के कारण नियुक्ति की कार्यवाही लम्बित रह गई। हाइ कोर्ट का निर्णय आ गया

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बीच में। सब कुछ हो गया था- मेडीकल हो गया, करैक्टर की जांच हो गई वगैरह-वगैरह, सब हो गई । नियुक्ति पश्चात् कितने पदों पर कार्य ग्रहण किया जा सकता है, यह अभी काल्पनिक प्रश्न है। कितना क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह काल्पनिक बात है।

अब 2008 की बात सुन लें आप, 2008 में 384 रिक्तियों के लिए भी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, परिणाम प्राप्त होने पर ही आगे की कार्यवाही की जा सकती है। उक्त बातों से यह स्पष्ट है कि राज्य अधीनस्थ सेवाओं के पदों को भरने के लिए अब निरन्तर रिक्तियां विज्ञापित कर परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं, माननीय मंत्रीजी का साफ और स्पष्ट जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन, मंत्रीजी मेरी भावना आप शायद समझ गये होंगे कि पिछले 5 7 साल से राजस्थान में प्रचार ज्यादा किया जा रहा है, नियुक्तियां कम दी जा रही हैं। आप तो साल भर से आये हो, कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसे भी विभाग है जहां शत-प्रतिशत आपके नहीं हैं। चूंकि पूछने के पहले आप इस बात को मान सकते हो, मेरा जो प्रस्ताव था उसके पैरा प्रथम में साफ लिखा है कि प्रदेश में विगत समय से रिक्त पदों पर पर्याप्त भर्तियां नहीं किये जाने से रहे रिक्त पदों के कारण विभिन्न कार्यालयों में कार्मिकों की भयकर कमी देखी जा रही है। स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों में समस्त श्रेणी के शिक्षकों, शारिरिक शिक्षकों आदि की कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा रही है। सरकारी विभाग, उपक्रम, निगम में कमियों के कारण जन हित में सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिये जा पा रहे और कार्यों की प्रभावी क्रियान्विति नहीं हो पा रही, एक्स्ट्रा बहुत कुछ है। मेरा आरपीएससी से सम्बन्धित नहीं है, मेरा सभी संवर्गों-चपरासी से लगाकर आरएएस आफिसर तक है, एक।

दूसरा मेरा आपसे अर्ज करना है, माननीय मंत्रीजी, ठीक है, आरपीएससी के लिए आपने फर्माया लेकिन आपके प्रारम्भिक शिक्षा में 65 हजार पद रिक्त हैं। सरकार का मामला है, कार्मिक विभाग का कि शिक्षा विभाग का, मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार से सम्बन्धित है, प्रचार बहुत हुआ, काम नहीं हुआ, आप काम करने जा रहे हैं, इसकी गति कैसे बढ़ाओगे? बहुत

(श्री रामनारायण मीणा)

स्पष्ट मामला है। 10वीं कक्षा में 3 मास्टर कैसे पढ़ाएंगे? 10 कक्षाओं को 3 मास्टर कैसे पढ़ाएंगे ? स्कूलों में मनोनयन घटता जा रहा है, बच्चे कम जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में लाखों बच्चे कम हो गये। और प्राइवेट में जहां गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता, वहां बच्चों के दाखिले की संख्या बढ़ती जा रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है। भारत सरकार भी चाहती है कि राजस्थान में शिक्षा का ग्राफ बढ़े। हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पा रहीं। इसलिए मेरा तो अर्ज करना है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि यही सवाल नहीं है, प्रोफेसर के राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वीकृत पद 61 हैं और खाली कितने हैं? शत-प्रतिशत खाली हैं। दूसरे देख लीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर 86, 86 प्रतिशत पद खाली। मैं बार-बार रिपीट भी नहीं करूंगा, मेरी भावना को समझिये। एसोसिएट प्रोफेसर के 86 प्रतिशत पद रिक्त हों, शारीरिक शिक्षा के लैक्चरर के 70 प्रतिशत। यह उधर बैठ गये, क्या आप कांग्रेसी होकर बीजेपी में बैठते हो। मेरा अर्ज करना है, माननीय सभापति महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बी.जे.पी. में आ गये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अच्छा, उधर चले गये क्या? हबीबुर्रहमानजी, आप उधर हो क्या, बी.जे.पी. में हो क्या? ये मेरा अर्ज करना है, मैं आपका मित्र हूं, आप मेरे भाई हो, आप थोड़ा मुझे बोल लेने दीजिये।

सवाल है कि आपने नौकरियां नहीं दीं, ये देना चाह रहे हैं, लेकिन कमी है उसको दूर करने के लिये मैं इनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इतना-सा है मेरा, और कुछ नहीं है। मेरा आपसे अर्ज करना है, लैक्चरर्स के 60 प्रतिशत पद खाली हैं। आप देखिये, माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी नहीं हैं, मंत्रीजी ने चलाया कि मिलावट नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी, जबकि वहां इंस्पैक्टर नहीं हैं, जांच नहीं हो पा रही है। सरकार को बदनाम होना पड़ रहा है। इसलिये ऊंचा -ऊंचा बोलते हैं लोग। जब तक प्रवर्तन निरीक्षक नहीं होंगे, मंत्रीजी, 60 खाली हैं, 50 प्रतिशत से ज्यादा खाली, एक नहीं। मेरे पास सारा है, आप आंकड़े ले लीजिये। मैं तो आपसे यह अर्ज कर रहा था कि ये कमियां हैं। और आपने अभी जवाब पढ़ा, आपका जो जवाब आया है कार्मिक विभाग का, मंत्रीजी, उसको देख लीजिये। मेरा सीधा-सा प्रश्न है, प्रथम पैरा है उसकी लास्ट लाइन पढ़ लीजिये, कार्य ग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में इस विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, झगड़ा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वह यह है कि, गये टाइम

(श्री रामनारायण मीणा)

पर आपने सलैक्शन किया, 30 प्रतिशत आदमी मेडिकल कराने के बाद आये ही नहीं। विभाग आपको सूचना देता ही नहीं है। यह विभाग की जिम्मेदारी डाल दीजिए। उनको स्पेसिफिक डेट दे दी 8 जनवरी कि कार्मिक आर.ए.एस. हो, आर.पी.एस. हो, कुछ भी हो या आपका क्लर्क हो, वह यदि 8 जनवरी तक जाइन नहीं करता है तो 9 जनवरी को कितनी जगह खाली रह गईं, वह आ जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसकी पालना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है, यह आपके कार्मिक विभाग का सर्कुलर है 19 जुलाई, 2001 का, यह बदला नहीं गया है, मंत्रीजी – "Hon'ble Supreme Court of India has clearly held that the nature of reserve list, the period of its validity, how … should be operated and governed by the relevant service rules …" देखिये, यह सारा का सारा इन्होंने डिटेल में बताया है। तो मेरा आपसे यह आग्रह करना है कि सर्विसेज नहीं हो पा रही हैं। आपके 70 प्रतिशत पद खाली रहेंगे क्योंकि जो सर्विस में जाता है, आपका एस.टी.ओ. है, सेल टैक्स में और इंस्पेक्टर में भी भर देता है, वह सोचता है कि अगर ऊपर वाले जाइन नहीं करें तो मैं आ जाऊंगा। परन्तु वहां हो यह रहा है कि ऊपर वाला जाइन नहीं करता है उसकी विभाग आपके पास सूचना देता ही नहीं है। आपका कण्ट्रोल विभाग के ऊपर नहीं है। आपके डिपार्टमेंट सूचना नहीं मंगवाते हैं। जैसे सुबह मैंने कहा था, मैं लैथार्जिक शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन आज तो भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, ऐसा लोग कहते हैं। आप तो एक्टिव आदमी हो, इसलिये मेरा आपसे अर्ज करना है। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह नर्सों के पद खाली हैं, कहीं क्या है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, स्थिति यह आ गयी कि भारत सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं, आपने इसमें स्पेसिफिक आर्डर्स निकाल रखे हैं। आप तो इतना कर दीजिए, मंत्रीजी, मैं तो आपसे यह चाहता हूं, लम्बा नहीं करके, मुख्य मंत्रीजी को पत्र भी लिखा था 13 दिसम्बर को। मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि परीक्षा करवा रहे हैं, आपके पास कागज भी होगा। मेरा आपसे यह अर्ज करना है कि कार्य भार ग्रहण नहीं करने पर उसकी रिजर्व लिस्ट से नियुक्ति दी जाए आर.पी.एस.सी. में। मेरा तो साफ प्रश्न है क्योंकि बाकी सारी बातें आप समझ गये, सरकार समझ गई कि यदि वह जाइन नहीं करे और मेडिकल करवाकर घर बैठ जाए तो उसको खाली जगह माना जाए और खाली जगह को उस रिजर्व लिस्ट से काल करके...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षित हो गया सरकार का।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं यही ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सरकार को तो मेरा सजेशन है, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं जो एम्बिग्युटी हो रही है, जो कमी रही है, जो आपके यहां सर्कुलर में पालना नहीं हो रही है। रिजर्व लिस्ट से काल करने के बारे में आप कृपा करके सम्बन्धित अधिकारियों को, सम्बन्धित डिपार्टमेंट को, आर.पी.एस.सी. का हो, जनरल हो, काल करेंगे कि नहीं करेंगे? स्वत: ही डिपार्टमेंट काल कर ले या आपके माध्यम से काल कर ले, इसके बारे में आप स्पष्ट कर दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, देखिये, यह कठिन है। (व्यवधान) हां, पर्याप्त मान लें आप, वह बात ही खतम हो जाएगी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, घनश्यामजी बहका रहे हैं। ये चाहते हैं, अपन दोनों के बीच में मतभेद उभरें। घनश्यामजी, पुरानी बात खतम हो गयी, आज हम सरकार चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप दुबारा सरकार में नहीं आएं। इसलिये मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी एकजुट है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जैसा आपने कहा कि कार्य ग्रहण नहीं करने पर उस विभाग को कार्मिक विभाग को सूचना देनी चाहिए, सवाल यह है कि कार्मिक विभाग को अगर वह सूचना दे भी देता है तो कार्मिक विभाग क्या कर लेगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): रिजर्व लिस्ट से ले लेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): स्थान रिक्त नहीं माना जाएगा। अगर स्थान रिक्त माना जाए और नीचे की वरीयता से या मैरिट से अगर किसी दूसरे का नम्बर आता हो, तब तो वह बात ठीक है। लेकिन जब नम्बर ही नहीं आता हो तो कार्मिक विभाग कर क्या लेगा? इसलिये नियमों में यही प्रावधान रखा गया है कि जितने सलैक्शन करके लोक सेवा आयोग देता है उतने का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाता है, उतने का करैक्टर सर्टिफिकेट कार्मिक विभाग ले लेता है और सम्बन्धित विभागों को नियुक्ति के लिये भेज देता है। जितने लोग जाइन करते हैं, उतने करते हैं और बाकी जो रह जाते हैं, वह वेकेंसी अगली बार में भरी जाती है। उसको नीचे से लेने का कोई नियम नहीं है इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक सवाल आपने और उठाया है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नियम है, मंत्रीजी, कई विभागों में पिछले 15 साल से पूरी की पूरी रिजर्व लिस्ट को नियुक्ति दी गई है। ऐसा है, राजस्थान के उच्च शिक्षा में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आप मंगवाकर देख लीजिए फाइल, आप कह रहे हैं, कोई प्रावधान नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने आपके काल अटेंशन में एक बात और कही है, शायद आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया या आपने उसको प्राथमिकता नहीं दी होगी, संविदा पर रखने के लिये, काण्ट्रेक्ट पर रखने के लिये। कई सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जहां पर काण्ट्रेक्ट पर ही रखा जाता है, जैसे एन.आर.एच.एम. है। यह एन.आर.एच.एम. एक लिमिटेड टाइम के लिये प्रोग्राम है। नरेगा है, नरेगा भी एक लिमिटेड टाइम का प्रोग्राम है, वह कोई परमानेंट प्रोग्राम नहीं है। हमेशा के लिये प्रोग्राम नहीं है कि कितने साल तक चलेगा, कितने साल नहीं चलेगा। तो उनके लिये तो काण्ट्रेक्ट पर ही नियुक्तियां दी जाती हैं। उस काण्ट्रेक्ट की नियुक्तियों को आप नियमित रूप से जो की जाने वाली नियुक्तियां हैं, उसमें नहीं गिनें, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, मेरा इतना-सा है, मंत्रीजी, कि 2001 के पहले रिजर्व लिस्ट बनाई जाती थी, यहां भी है तो फिर ऐसे डाइरेक्शंस गवर्नमेंट दे ताकि नियुक्तियां फुलफिल होती रहें, कमियां पूरी होती रहें। वह तो, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको आर्डर दे रखा है तो फिर आर.पी.एस.सी. में कहां इस तरह की कमी आ गई, आर्डर्स की कमी आ गई?

श्री सभापति: उप नेता महोदय, कृपया उनको देखिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): इसी तरह आपसे अर्ज करना है, कृपया आप इस बारे में निरीक्षण कर लीजिये। पुनः निरीक्षण कर लीजिए, उसको देखकर आप करवा दीजिये। मेरा यह हिसाब...(व्यवधान) नहीं तो आप बैठे-बैठे कहेंगे तो थोड़े ही रिकार्ड में आएगा? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं ठीक हूं।

श्री सभापति: मेरे को थोड़ी चिन्ता हो गई। (व्यवधान) नहीं, मेरे को कोई और चिन्ता हो गई।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नहीं, मैं होश में हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्रसिंहजी।

शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में मूंगफली के बीज के पैकेट में कम बीज पाये जाने पर भी कार्यवाही नहीं

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में मूंगफली के बीज के पैकेट में कम बीज पाये जाने के उपरान्त भी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में मैं सम्माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि मई-जून, 2009 में लगाये गये कृषि ज्ञान एवं आदान शिविरों में राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से कृषकों को बीज उपलब्ध कराये गये थे। शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में मूंगफली के पैकेट में कम बीज होने व अन्य स्थानों से बीज में कम अंकुरण की शिकायतें मिलने पर राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, कृषि विभाग द्वारा निम्न कार्यवाही की गई। राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्य प्रबन्धक (विपणन) श्री अमिताभ नारायण पाण्डे को तत्काल निलम्बित किया गया और उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रिया विचाराधीन है। श्री भैरुंलाल यादव, सहायक कृषि अधिकारी, मुख्यालय अमरसर, जिला जयपुर के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दिये जाने बाबत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

(समय : 14.00 बजे)

श्री सूरजभान शर्मा, तत्कालीन संयंत्र प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुरा के विरुद्ध कम तौल के प्रकरण बाबत् अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। ग्राम पंचायत नयावास में बीज बेचने वाले डीलर मैसर्स मित्तल कृषि केन्द्र, शाहपुरा के बीज अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दिया गया है। अतः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अंकित यह तथ्य कि कुछ अधिकारियों को नोटिस देकर मामले को रफा-दफा कर दिया है, जो अधिकारी मूंगफली के कम निकलने व कम अंकुरण के लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी, अपितु उन अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं जिनका कम वज़न व कम अंकुरण से सम्बन्ध है। सही नहीं है। क्योंकि राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड में बीज वितरण व गुणवत्ता हेतु

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सम्बन्धित अधिकारी श्री अमिताभ नारायण पांडे एवं श्री सूरजभान शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है। साथ ही श्री भैरूंलाल यादव द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दिये जाने बाबत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन चल रही है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय, एक बात मैं बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति के प्रति या किसी विभाग के प्रति कोई दोष निकालना या त्रुटि निकालना नहीं है। मैं इस बात के लिए आपसे पुनः स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिन अधिकारी के सम्बन्ध में आपने अभी जानकारी दी, जो आपके मुख्य प्रबन्धक मार्केटिंग हैं- अमिताभ नारायण पांडे, क्या वे आज भी सस्पैंडेड है या आपने उनको बहाल कर दिया है? यह आप जरूर स्पष्ट करा देना।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन-जिन कर्मचारियों के सम्बन्ध में आपने यहां जानकारी दी, ग्राम सेवक स्तर के व्यक्ति को आपने सस्पैंड किया कि उसने जानकारी नहीं दी। उसने अपनी पूरी मोबाइल की काल डिटेल्स के बारे में आपके अधिकारियों को यह बात बता दी कि साहब, यहां यह चीज हुई है। इनके वज़न कम है। यहां जो किट्स आये हैं उनमें बीज के वज़न कम है। उनके मोबाइलों पर जानकारी देकर उसने यहां तक लिख दिया कि मेरे मोबाइल की काल डिटेल भी निकला लो और उनके मोबाइल की काल डिटेल भी निकाल लो। तत्समय ही यह जानकारी उनको दे दी गयी थी। उसके उपरांत भी उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब आप यह बता दीजिए कि किस नियम में यह लिखा हुआ है कि ग्राम सेवक स्तर का व्यक्ति उस थैली को तोलेगा? वह थैली अगर पैक नहीं हो तब तो फिर भी बता दें कि उसको तोलेगा। आपके राजस्थान सीड्स कारपोरेशन की बंद थैली है, कितने किलो की है, वह इसमें अंकित है। कितने रुपयों में वह बिकेगी, वह अंकित है। अब ग्राम सचिव को कौनसा अधिकार है या किस नियम में वह हरेक थैली को तोलेगा? जो आपका अधिकृत बीज वितरक है, उसने कोई खुला बीज थोड़े ही तौल कर दिया था। उसने जैसी थैली आयी थी, उस थैली को ज्यों का त्यों काश्तकार को दे दिया। उसका आपने लाइसेंस निलम्बित कर दिया। अब चोरी तो करे कोई और, भरे कोई और यह बात तो हमें समझ में नहीं आयी।

तीसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने डिपार्टमैंटल कार्यवाही कर दी, आप जैसा ठीक समझें आप करवाएं, आपके

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

विभाग का मामला है। लेकिन मैं यह जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार की राजस्थान सीड्स कारपोरेशन केन्द्र के बीज एक्ट से ऊपर है? क्या सीड्स एक्ट नहीं बना हुआ? इसके अन्दर यह भी पाया गया कि आपका सीड कम था, तौल में कम था और जब-जब काश्तकार ले गया उसका अंकुरण भी सिर्फ 40 परसेंट हुआ। पहले तो आपने बीज कम दिया, फिर जो बीज ले गया, जिस काश्तकार ने उस बीज का इस्तेमाल किया, जब उसने उसको बोया तो उसका अंकुरण भी 40 परसेंट हुआ। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सेण्ट्रल सीड एक्ट के उस प्रोविजन पर जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यह जानना चाहता हूं कि सेण्ट्रल सीड्स एक्ट, 1966 के तहत आपने आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की? और अगर की है तो किस सैक्शन में की है, आप यह बताएं? जब आप यह बता देंगे तब मैं यह आपसे सप्लीमेंट्री करूंगा।

एक और आपको निवेदन करता हूं कि आपने 22 हजार क्विंटल मूंगफली खरीदी है, 2 किस्म की खरीदी है, एक तो जी.जी. 20 खरीदी है और एक जी.जी. 10 खरीदी है। जी.जी. 20 तो तकरीबन 20 हजार क्विंटल खरीदी और जी.जी. 10 चार हजार क्विंटल खरीदी। जी.जी. 10 तो आपने एन.सी.सी.एफ. से खरीदी, एक भी शिकायत नहीं आयी। लेकिन जी.जी. 20 की जो 20 हजार क्विंटल के तकरीबन है, शिकायत गुणवत्ता के बारे में भी आयी, जो आपने वरद एग्रोटेक, गुजरात से खरीदी है। 70 से 80 किलो सीड पर हैक्टेयर लगती है, आपने किस हिसाब से इस गुजरात की कम्पनी से खरीदी? अगर गुजरात की कम्पनी वैराइटी देती है तो, सीड एक्ट, 1966 में वैराइटी का भी सैक्शन है। वैराइटी के सैक्शन का मैं आपको निवेदन कर दूं, वैराइटी के सैक्शन के अन्दर यह स्पष्ट लिखा है कि यह वैराइटी है तो इसका मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी स्टेण्डर्ड 98 परसेंट होना चाहिए। आपका अंकुरण 40 परसेंट हुआ है, वैराइटी के सैक्शन के अन्दर 98 परसेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज आपने 23 हजार क्विंटल यह सीड काश्तकारों को दिया है, मैंने तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, एक ऐसी चीज बतायी है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसी एक जगह हुई है। अगर औसत लगाएं तो 23 हजार क्विंटल सीड का आपने वितरण किया, जिन-जिन काश्तकारों को दिया उसमें एक हजार क्विंटल कम बीज था, जिसका पैसा आपने 47 रुपया प्रति किलो के हिसाब से लिया। यानी, 47 लाख रुपये तो आपने उस काश्तकार से ले लिये जिसका लेखा-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जोखा आपके पास में है। आप यह कहते हैं कि हमने 50 लाख की बैंक गारंटी उस सीड कम्पनी से रख ली। सर, बैंक गारंटी तो 10 परसेंट पर मिलती है। अगर आपको देनी होती न बैंक गारंटी, बैंक गारंटी का कमर्शियल टर्म है। धरोहर राशि अगर आपकी है और 50 लाख रुपये आपके पास में हैं, वह बात अलग है। बैंक गारंटी का जो कमर्शियल टर्म है, जो बैंकिंग टर्म है, वह परसेंटेज पर बेस्ड है। एक करोड़ की बैंक गारंटी तो 10 लाख के, 10 परसेंट के कैश डिपोजिट पर मिल जाती है। वह उस कम्पनी की साख पर निर्भर करती है। आपके पास में 50 लाख रुपये उसके पड़े हैं या 50 लाख की सिर्फ बैंक गारंटी पड़ी है? दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन के तमाम उन लोगों के खिलाफ जेनेटिक प्योरिटी के बारे में, वितरण के बारे में सीड एक्ट, 1966 के तहत आपने कार्यवाही की तो क्या की? और नहीं की तो क्यों नहीं की, यह कम से कम आप फर्माएं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जहां तक सवाल है कि किस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की और किस के खिलाफ नहीं की, यह मामला विभाग का है। विभाग अच्छी तरह से जांच करके अगर कोई दोषी होगा, उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी निर्दोष को करेगा।

जहां तक आपने यह अंकुरण की बात कही, उसमें 70 परसेंट शुद्धता एवं अंकुरण 96 परसेंट होना चाहिए। बीज जो निगम ने दिया, कुल 435 लाट बीज आपूर्ति किया गया। गुली की आपूर्ति छह इकाइयों पर हुई परन्तु केवल दो इकाइयों पर ही बीज आपूर्ति की शिकायत हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 12 शिकायतें, 246 कृषकों की प्राप्त हुई हैं। इसमें अलग-अलग जिलों का विवरण है। सूचना के अनुसार कुल 10 वाद उपभोक्ता न्यायालय में चल रहे हैं। बीज परीक्षण प्रयोगशाला की जांच में 15 लाट अमानक पाये गये जिनका वज़न 750 क्विंटल था। कृषि विभाग तथा निगम द्वारा कराये गये बीज परीक्षण प्रयोगशाला के परीक्षणों में मूँगफली जी.जी.-20 के 15 लाट के नमूने अमानक पाये गये जिसमें 750 क्विंटल मात्रा की राशि 36 लाख रुपये रोके जाने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में कृषकों द्वारा माननीय उपभोक्ता न्यायालय में दायर 10 वाद लम्बित हैं। उक्त न्यायालय के निर्णय से होने वाली सम्भावित क्षतिपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए आपूर्तिकर्ता फर्म के 100 रुपये के नॉन-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग

(श्री हरजीराम बुरड़क)

लिये जाने के साथ ही फर्म द्वारा दी गयी बैंक गारंटी में से 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी क्षतिपूर्ति हेतु रोके जाने का निर्णय लिया है। बीज अमानक पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही सीड एक्ट अथवा सीड कंट्रोल आर्डिनेंस या दोनों ही नियमों के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होती। यदि फिर से बीज शिकायत है, शिकायती लाट का नमूना नहीं लिया गया तो उक्त परिस्थिति में प्रभावी द्वारा माननीय उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किये जाने की स्थिति में न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही होती है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपने अभी जो जेनेटिक प्योरिटी का फर्माया, मैं सेंट्रल सीड एक्ट के सैक्शन 16 को पढ़कर बता देता हूं, मेरे पास जो एक्ट है, अगर इसके बाद कोई अमैंडमेंट हुआ हो और इसमें अल्टरेशन हुआ हो, वह अलग बात है। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ''...by the exercise of the powers conferred by clause (b) of the Section 6 of the Seeds Act, 1966; the Central Act, after consultation with the Central Seeds Committee, hereby specifies the minimum limits of genetic purity of the seeds of notified varieties as follows, unless specified otherwise;'' Genetic purity of the seeds of notified varieties; (a) varieties 98%. 70 प्रतिशत का कहीं कोई हवाला नहीं है। यह आपके कालम नहीं दे रखा। 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत का कालम नहीं दे रखा, 98 प्रतिशत है। It is not even in whole number. 98 is a digital number which does not confine to a numerical absolute value. एक दूसरा और है, composite synthetic or multi line of high breeds, उसमें 95 है। यह वैरायटीज में आती है। इसके हिसाब से तो जितने सीड आपने वितरण किये हैं, मैं तो जयपुर की अर्ज करता हूं, जयपुर के अन्दर आपने दो से ढाई लाख हैक्टेयर के अन्दर वितरण किया हैं। हुकम, न तो आपके प्रति कोई अनादर की बात है, न मैं विभाग में कोई त्रुटियां ढूंढ रहा हूं। एक कोई चीज हमारे सामने आई है। अगर चीज सामने आई तो वह आगे न हो, उसका करैक्शन कर लें। अगर जानते हुए किसी व्यक्ति ने इसमें कोई काम ऐसा किया है और कितने ही काश्तकार इससे नुकसान में गये हैं, उनको पता तक नहीं चला कि उन्होंने क्या ले लिया। जिस भाव ले लिया, कितना उसको मिला, नहीं मिला, उनको यह नहीं मालूम। दूसरा, आप फर्माते हैं, है आफेंस। सैक्शन 21, सीड एक्ट, 1966 का ''Offence of Companies'' जो कम्पनी आफेंस करती है उसके बारे में है। ''...wherein an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time of the offence was committed, was in charge of and responsible to the company for the conduct of

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly." जहां से वैरायटी आई है वो, जिसने निर्माण किया है वो और एण्ड प्रोडक्ट जिसके पास में गया है, सारे के सारे दोषी हैं और इस सैक्शन के अन्दर पनिशेबल आफेंस है। अब मैं तो सिर्फ इतना-सा जानना चाहता हूं, आप किसको करें, किसी को न करें, यह आपके ऊपर है, कि एक तो नीचे का जो व्यक्ति है, जिसको अधिकार ही नहीं था इन सारी चीजों की बात करने का, उसको सस्पैण्ड करके कटघरे में खड़ा करना मेरे खयाल से अनुचित है। उचित तो यह है कि जहां यह चीज हुई, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई एग्रीकल्चर का या बी.एस.सी. का स्टूडेंट नहीं हूं, इसलिये मुझे यह नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि आपकी जो खुद की लैब है, जहां आपकी प्योरिटीज के कई प्रकार के टैस्ट होते हैं- टिश्यू पेपर टैस्ट है, फ्लोटर टैस्ट है, इन्क्यूबेटर में 25 डिग्री पर टैस्ट होता है, एक और टैस्ट होता है जिसको आप फंगाई कहते है और कालर राड टैस्ट होता है, इतने टैस्ट होने के बावजूद भी थैलियों में वह बीज चला जाए जो कि अंकुरित न हो। वास्तविकता तो यह है, जैसे कि मुझे जानकारी है, Again I am subject to correction. कि यह जो बीज आया था, जो मूंगफली आई थी, जिसका उपयोग कनफैक्शनरीज या स्नैक्स बनते हैं उनमें होता है, जिसकी आप नमकीन खाते हैं या और खाते हैं, यह वैरायटी वह नहीं थी जिससे सीड से प्रोडक्शन लेकर एग्रीकल्चर प्रोड्यूज किया जाए। हो सकता है, मेरी जानकारी क्योंकि ले-मैन की जानकारी है, I am always subject to correction. मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना-सा है कि बड़े बड़े लोग जो व्यापार करते हैं और जो अधिकारी वर्ग इन व्यापारियों के साथ बैठते हैं, इनको अगर आपके होते हुए संरक्षण मिल जाएगा तो एक मिसाल हो जाएगी कि हम कुछ भी करें, ग्राम सेवक सस्पैण्ड हो जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। काश्तकार, जिसको यह बीज दिया, आज तक उन सारे के सारे जिलों में जितने काश्तकार हैं,....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। जितने काश्तकार हैं, जिन्होंने उस वक्त यह बीज लिया, कम से कम वे मुआवजे के तो हकदार हैं या नहीं हैं? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाकी आप और सरकार, दोनों के ऊपर है, आप जैसा करेंगे वैसा होगा। मेरा काम

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सिर्फ आपके ध्यान में लाना था, आपको अच्छा लगा हो तो ठीक। और मेरे वक्तव्य में कहीं आपको ऐसा लगा हो कि मेरे कहने का तरीका दोषपूर्ण है, उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, जहां तक मुआवजे का सवाल है, अभी तक जो भारत सरकार का बीज अधिनियम और नियम है, उसमें मुआवजे का कोई प्रोविजन नहीं है, यह मैंने पहले ही आपको निवेदन किया। जो भी काश्तकार शिकायत करना चाहे तो जिस फर्म से उन्होंने खरीदा है, जिस क्वालिटी का बीज खरीदा है, उसको लेकर न्यायालय में जा सकता है। अभी मैंने बताया कि 10 केस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इतने बड़े लाट में उन नमूनों के आधार पर कोई 750 क्विंटल की जांच नहीं हुई, लेकिन उनमें से एक लाट की जांच करते करते उस लाट में कितने थे, वह 750 क्विंटल था, उसके पेटे 36 लाख रुपये उनके रोक लिये और जो भी शिकायतें आईं, उन सारी शिकायतों की जांच हुई है। इसमें किसी प्रकार की विभाग की तरफ से कोई ढिलाई नहीं हुई। फिर भी माननीय सदस्य और कोई नया तथ्य देंगे, जांच में अगर कहीं कोई कमी रह गयी हो, कोई छूट गया हो या उसको और जोड़ना हो, वह हम विभाग की तरफ से देख लेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गयी है। किसी सप्लायर के खिलाफ इतनी बड़ी राशि काटने का आज तक बीज निगम में कार्य नहीं हुआ। इसलिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। न कोई निर्दोष को फंसाया जाएगा न दोषी को छोड़ा जाएगा।

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखने जाने वाले पत्र। प्रतिवेदन, श्री शांती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)

वर्ष 2009

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निम्न दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल); एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2009

2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लि. का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

समिति का प्रतिवेदन

महिला एवं बालकों के कल्याण समिति 2009-10 (क्र.सं. 8 व 9)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति 2009-2010 के आठवें एवं नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री सभापति: पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010, श्रीमती बीना काक।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करती हूं।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में पेयजल, अकाल और बिजली की स्थिति पर विचार

श्री सभापति: राज्य में पेयजल, अकाल और बिजली की स्थिति पर विचार।

डा. जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री सभापति: श्री महीपालजी मदेरणा।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री सभापति: अब मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आज महत्वपूर्ण चर्चा है, इसके अन्दर तीन बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन से आज राजस्थान जूझ रहा है- अकाल, पेयजल और बिजली, इन पर विस्तारित होकर माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। लगभग 30 माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के हैं और लगभग 22 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से हैं। इनके अलावा निर्दलीय और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। आज का दिन है, कल का भी दिन है, इन विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपने विचारों को जितना अच्छे शब्दों में इन

(श्री सभापति)

तीन विषयों के ऊपर रख सकें। ये बहुत ज्यादा गम्भीर विषय हैं, पूरे राजस्थान की जनता इन विषयों के ऊपर जानना चाहेगी कि सदन में माननीय सदस्य क्या सुझाव सरकार को दे रहे हैं और उसके माध्यम से सरकार कल क्या व्यवस्था देने जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बोलें।

श्री देवी सिंह भाटी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। हम पिछले कई वर्षों से पानी, बिजली और अकाल के ऊपर यहां चर्चा करते आये हैं, लेकिन जो आम जनता को एक विश्वसनीयता जमनी चाहिए इन विभागों के ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर, वह दिनों-दिन कम होती जा रही है। यह बात भी सही है कि हमने पिछले साठ वर्षों में खूब विकास के काम किये हैं चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, लेकिन उसकी मानिटरिंग और नियंत्रण हम दिनों-दिन भूलते जा रहे हैं। जैसे बीच में आ गयी ठेका प्रथा। सारा काम हमने ठेके पर देना प्रारम्भ कर दिया है। इसलिए अब पैसा हम खूब लगा रहे हैं परन्तु हर रोज सवाल विधान सभा और मीडिया में उठते रहते हैं खरीद-फरोख्त, निर्माण कार्य के ऊपर। आखिर में उपभोक्ता को उसके द्वारा राहत मिलनी चाहिए, वहां रोज शिकायतें। हम जितने माननीय सदस्य यहां सदन में बैठे हैं या कोई जन प्रतिनिधि आज चुने गये हैं उनके सामने भी यही स्थिति खड़ी हो गयी है। अब सवाल यह उठता है कि इन सबको कौन देखे। यह बुराई मात्र इस सरकार की नहीं है, यह पिछले वर्षों से लगातार हो रहा है। इस सरकार में विशेष तौर से देखें तो मंत्री जो राजस्थान की सरकार के हैं, पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता अपेक्षा रखती है कि वे हमारे पास आएंगे, बतलाएंगे, पुचकारेंगे, हाथ फेरेंगे। अब आप मंत्रियों के दौरे देख लो, मैंने एक प्रश्न भी किया है कि इनके दौरे कहां कहां होते हैं। प्रायः सारे मंत्रियों के दौरे सीधे विधान सभा क्षेत्रों में। जबकि पूरे प्रदेश की जनता आपसे अपेक्षा रखती है कि आपको सबके वहां जाना चाहिए। दूर-दराज चाहे वह ट्राइबल सैक्टर हो, चाहे रेगिस्तान का इलाका हो। वहां हमारे प्रभारी मंत्री जो अलग अलग जिलों के हैं, जाएंगे, मजबूरी है, जाएंगे, लेकिन अधिकारियों की बैठक लेंगे, थोड़ी प्रेस से वार्ता कर लेंगे, अपनी जाति वालों से मिल लेंगे और रवाना हो जाएंगे। वह दूर-दराज का ग्रामीण अंचल का आदमी आखिर किसके भरोसे बैठा है जिसने आपको मत दिया, जिसने आपमें विश्वास

(श्री देवी सिंह भाटी)

किया है? इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को यह सलाह दे सकता हूं, करने की तो उनकी इच्छा शक्ति चाहिए कि इन विभागों की चाहे त्रैमासिक हो, चाहे मासिक हो, हमारे राजस्थान के जन प्रतिनधि, चाहे वे ग्रामीण अंचल के हों, चाहे शहरी क्षेत्र के हों, उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनके सुझाव लेने चाहिए। सुझाव का स्तर कौनसा है? यहां जो सरकार में बैठे हैं, उनसे जरूर चर्चा कर लेते हैं। आजकल तो सोच भी ऐसा हो गया कि अगर विपक्ष की तरफ से कोई मुद्दा आ गया, सही होगा तो यहां काम की हां भर लेते हैं और शाबासी उसे मिल जाएगी। शाबासी देने वाले तो अपने हिसाब से देते हैं। चुनाव में अपने आप, अब तो बारियां बंध गयी हैं मन्दिर के पुजारी की तरह, इस बार रामलाल, अगली बार हरिराम और दूसरी बार फिर वापस आएंगे वही रामलाल। पर हम विश्वसनीयता कायम रखें। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि मुख्य मंत्रीजी स्वयं इसको देखें, लोगों से चर्चा करें, सुझाव लाएं।, जिसके पास समस्या है उसके पास उसका समाधान भी है, लेकिन कोई सुनने वाला चाहिए।

सभापति महोदय, हम पिछले दिनों, जिसमें आप भी शामिल थे, हैदराबाद गये थे और वहां हमने सब कुछ सुना और देखा। चाहे वह कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री थे स्वर्गीय वाई एस आर रेड्डी, उनके बारे में वहां पर चर्चा सुनी और परिणाम देखा, वास्तव में वह काबिले तारीफ है। जो बात मैं कह रहा हू, उन्होंने पूरे प्रदेश का करीबन 25 हजार किलोमीटर का दौरा किया और इसका फीडबैक मिला लोगों से। आखिर है उनके पास अपना सोच। होता है। कोई सुनता है तो कुछ तो उसमें से लागू कर देता है। उसका कारण सुना और वहां पर देखा कि किसी भी गांव में चले जाओ, उन्होंने विभिन्न योजनाओं पर सबसे पहले तो यह काम किया कि बी पी एल कार्ड जो था, हमें केन्द्रीय निर्देशों के तहत बांध दिया गया है, पूरा बजट नहीं मिलता, तो स्टेट का उन्होंने अपना एक व्हाइट बी पी एल कार्ड बना लिया और उसमें 85 परसेंट लोगों को शामिल कर लिया गया। सिर्फ 15 परसेंट वे बचे हैं जो दुकानदार हैं, नौकरी करने वाले हैं या सम्पन्न हैं। उसके बाद एस सी, एस टी और बी पी एल परिवार के लोगों के मकान 57 हजार रुपये में मुफ्त बन गये बाकी जो बचे हुए थे उनको भी अलग-अलग दो संस्थाओं से हाउसिंग कारपोरेशन और बैंक से लोन दिला दिया, उसके अन्दर सात हजार रुपये की सब्सिडी शामिल की गयी। उसके माध्यम से, क्योंकि लम्बा हो जाएगा, सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्वालिटी के बनाये, रेट कांट्रेक्ट कर लिया, सस्ता सीमेन्ट-बजरी मिल गया, आर सी सी के

(श्री देवी सिंह भाटी)

मकान बनाकर दिये। क्या क्वालिटी बनी है। गांवों में आपने देखा होगा कच्चे मकान नाम मात्र के हैं जो अब निर्माणाधीन हैं। यह किया जा सकता है। तो छत का बन्दोबस्त कर दिया। इच्छा शक्ति चाहिए। सब आंखों से देखा क्योंकि दौरा किया था। उसके बाद पेट का बन्दोबस्त किया, दो रुपये किलो बी पी एल वालों को, सबको चावल प्रति माह। उसके अन्दर उसको 40 किलो अनाज दिया गया। एक परिवार अस्सी रुपये में अपना पेट भरने लग गया।

यही नहीं, एक मेडिकल इंश्योरेंस के मात्र 12 रुपये साल के उसका देने पड़ते हैं और दो लाख रुपये में वह अपना इलाज कहीं भी करवा सकता है। नौ सौ बीमारियों की एक लिस्ट बना ली, जो राजकीय औषधालय में खर्चा आता है उसी खर्चे पर आप राजकीय चिकित्सालय में या प्राइवेट भी अपना इलाज करवा सकते हैं। यह सारा बन्दोबस्त हो सकता है जो आन्ध्र प्रदेश में किया गया है, लेकिन यहां पर इच्छाशक्ति का मुझे अभाव ही नजर आता है। लेकिन क्या करें, कहना तो पड़ेगा, नहीं कहें तो अपने दायित्व पूरा नहीं करते।

सभापति महोदय, बाकी चीजें नहीं हों, काम चल सकता है- कपड़े नहीं हों, सड़कें नहीं हों। लेकिन पानी के बगैर, मंत्री महोदय, हालात बुरे हो रहे हैं। मैं सबसे पहले इसलिए कह रहा हूं कि आज जो हम नहरी तंत्र से जुड़ गये हैं, नहर के अलावा कोई दूसरा पेयजल का स्रोत नहीं है। पूरी खारे पानी की बैल्ट है गंगानगर और हनुमानगढ़ से लगाकर उधर बीकानेर और जैसलमेर तक। नहर में पानी नहीं और पानी आप जब छोड़ते हैं तो पूरी क्षमता के अनुसार नहीं छोड़ते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इन दिनों, आप पता लगाइये, अनूपगढ़ शाखा में मात्र तीन सौ क्यूसेक्स पानी आपने छोड़ा है 2400 की जगह। कैसे पहुंचेगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र है, माइनर्स हैं। किशनपुरा के अन्दर बहुत बवाल खड़ा हुआ था, रास्ते रोक दिये। फोर्स भेजी गयी और फोर्स के माध्यम से वहां पर एक दिन पानी चलाकर एक एक घंटे की बारी से स्रोतों में पानी डाला गया। इसके लिए अब आप कैसे करोगे क्योंकि एक तरफ तो हमारे पाक सीमा आ गयी, वहां तारबंदी है और उधर हमारे 100-100 किलोमीटर तक कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, परम्परागत स्रोत सारे खतम हो चुके। इस तंत्र के भरोसे तो आप कैसे पानी पहुंचाएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे?

मेरा इसमें यह सुझाव है, क्योंकि आप पी.एच.ई.डी. भी देखते हैं और सिंचाई विभाग भी आपके पास में है, उस क्षेत्र में जहां-जहां सीपेज से पानी दस फुट से लेकर 50 फुट तक आ गया है, कम से कम वहां आप हैण्डपम्प तो मंजूर कर दीजिए। विभाग ने आपको कई प्रस्ताव भेजे हैं, चाहे हैण्डपम्प के

(श्री देवी सिंह भाटी)

लिए, चाहे डी.सी.बी. के लिए, आप डगवेल खोद दीजिए। और तो और, अमीन खां जी यहां बैठे हैं, पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य शाले मोहम्मद जी हैं नहीं और फलौदी के पास भी जोशीजी को ध्यान होगा, हमारे यह जो सरस्वती बैल्ट है, माननीय मंत्रीजी, जहां सरस्वती नदी बहती थी, पहले हमारे इस प्रकार से रिग मशीन नहीं थी, अब वहां पर 250 से लेकर 600 फुट तक अथाह पानी निकला है, आरटिजन से, वहां पर आप देखिये। पौड़ा गांव में मैंने आज से 25 साल पहले देखा था, सिर्फ 20 फुट के ऊपर पाइप ठोक दिया, कोई मोटर नहीं, पम्प नहीं और पानी अपने आप बाहर आ रहा है। इसी प्रकार से आजकल ट्यूबवैल वहां पर खुदने चालू हो गये। तो इस प्रकार के जो स्रोत हैं, वहां पर भी आप प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन निकालें। जो पी.एच.ई.डी. को बिजली के कनेक्शन मिल सकते हैं, वो तो आप लें, विद्युत मंत्रीजी भी साथ बैठे हैं। यह पानी हमारा सीपेज का क्योंकि स्लोप है टुवर्ड्स पाकिस्तान, 180 फुट का स्लोप है और वो पानी बह कर पाकिस्तान में जा रहा है। वहां तो वो यूज कर रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं है। सिंगल फेज के आप कनेक्शन दे दें। पिछली सरकार में भी यह तय हुआ था। अगर यह आप कर देते हैं तो इस क्षेत्र में काफी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, पानी का बहुत भारी संकट है, काई स्रोत नहीं। खाजूवाला को देख लीजिए, इतना बड़ा क्षेत्र है वहां पर, घड़साना में, रावला में, सब जगह त्राहि-त्राहि मची हुई है। पानी लाएं तो कहां से लाएं, सारे लोग चिंतित हो रहे हैं। कृपया इसको आप देखें जिससे पानी के बारे में कुछ राहत हमें मिल सके नहरी क्षेत्र में।

बाकी जगह तो ट्यूबवैल्स को आप जितनी बिजली देंगे, बिजली पर भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप विद्युत निगम के माध्यम से पी.एच.ई.डी. की स्कीम्स को मात्र पांच-छह घंटे बिजली देते हैं। आपने एग्रीकल्चर कनेक्शन और उसको एक साथ कर दिया तो पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब को भी मैं कहूंगा कि पी.एच.ई.डी. की स्कीम्स हैं उनकी लाइन आप अलग तय करवाइये। जो कृषि कनेक्शन हैं उनको पी.एच.ई.डी. जो आम जनता की जरूरत है, उसके साथ जोड़ दिया, उसके कारण से बिजली पूरी उपलब्ध नहीं होती। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो हमारी रीजनल स्कीम बनी हुई हैं, उसमें एक-एक से 8-8, 10-10, 15-15 गांव जुड़े हुए हैं। एक जगह आप बिजली

(श्री देवी सिंह भाटी)

सप्लाई देते हो, स्टोरेज करते हैं और सप्लाई करना चालू करते हैं इतने में बिजली चली जाती है और वो सारी लाइन खाली हो जाती है। विद्युत मंत्रीजी, आपके पता नहीं, किस प्रकार से कटौतियां होती हैं। चलते ही इस प्रकार से बिजली में कि, साहब, पीछे से बिजली नहीं मिल रही और आप दो घंटे बिजली काट देते हो। इसमें आप सुधार करोगे जब तो हमारे बिजली का कोई समाधान होकर हमें पी.एच.ई.डी. स्कीम में पानी मिल सकता है, बाकी स्थिति बहुत खराब है। विद्युत मंत्रीजी, हमें जोर नहीं आएगा, वर्ना मैं आपको सही बताऊं, वहां सारे तो काम में ले रहे हैं, बिजली के लीगल कनेक्शन नहीं हैं, चोरी से हो रहा है यह बात सही है। आप नहीं दोगे तो मरता क्या नहीं करता, वो करेगा। सिंगल फेज में आपको ज्यादा उतना महसूस भी नहीं होगा और हमारे पेयजल की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। कृषि कनेक्शन भी इसी प्रकार से अगर आप दे दें तो यह जो पानी सीपेज होकर बाहर जा रहा है, कुदरती हमें पानी मिल गया है, पता नहीं चलते-चलते माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी परसों कहीं कह गये, कृषकों का कहीं कोई सम्मेलन था या क्या था कि, साहब, चिंता तो है, पूरे प्रदेश को चिंता है, जिस प्रकार से भू-जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। हमारे भी यहां विधान सभा की कमेटी में इस प्रकार का आया लेकिन किसी भी सरकार में, मैं कहूंगा पिछली सरकार में भी हिम्मत नहीं हुई और न आप में हुई है। अब मुख्य मंत्रीजी बोल गये कि आप वोट नहीं दोगे। साहब, पोलिटिशियन मत बनिये, स्टेट्समैन की अपेक्षा करते हैं हम, कि जो सही लगे आप लागू कीजिए, जनता का कहीं विरोध नहीं। अगर विरोध हो तो मेरी गारंटी है। पर डरोगे तो मरोगे, बार-बार मरोगे। इसके लिए सोच आप रखिये कि यह हमें इच्छा-शक्ति से लागू करना है, वर्ना पेयजल का भारी संकट होगा। सारी जगह कुएं सूखते जा रहे हैं और हम फैसला नहीं कर रहे। कम से कम नियंत्रण कीजिए जिससे इस पानी का दुरुपयोग नहीं हो।

मेरा पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, बिजली की भारी कमी रहती है, हमारी इतनी बड़ी-बड़ी स्कीम्स हैं, 5-5, 10-10 गांव जुड़े हुए हैं तो आप डीजल पम्प सैट तो कुछ रखवाइये स्टैंड बाइ। मतलब सिर्फ यह है कि अभी गर्मियों के दिन हैं उसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत है, उस समय स्टैंड बाइ अगर आपके डीजल सैट मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी।

प्रदेश से, अलग-अलग जगहों से, जहां भी पानी का संकट है,

(श्री देवी सिंह भाटी)

कन्टिंजेंसी के प्रस्ताव आये हुए हैं, अब आपका बजटीय प्रावधान क्या है, हमेशा रोना रहता है लेकिन फिर भी पेयजल प्राथमिक आवश्यकता है, उसके लिए आप ये स्वीकृतियां निकलवाइये। आपका विभाग हैण्डपम्प के नाम से तो आपको डराता है, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, सुन रहे हैं हम कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनकी बात पर अधिकारीगण बहस करते हैं, अड़चनें डालते हैं। हमने जनता का विश्वास हासिल किया है, हम सरकार में बैठे हैं तो हमें जो सही लग रहा है वो हम फैसले लेते हैं। उसमें अड़चनें किस बात की? लीगलिटी आप उसकी देख सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं किस प्रकार की अड़चनें आती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जैसे वे प्रस्ताव आये हुए हैं, चाहे ट्यूबवैल के हैं, चाहे डगवैल के हैं, चाहे हैण्डपम्प के हैं, इसमें शीघ्र स्वीकृति दें तो हमें राहत मिलेगी।

यह जरूर कई वर्षों से चला है कि टैंकर के द्वारा आप पानी पहुंचाते हैं लेकिन इसके ऊपर नियंत्रण भी होना चाहिए, इसमें भारी लूट मचती है। केवल बिल बनने का ऐसा है। एक समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसा जोड़ो। अब इसमें लगे हुए तो हैं लेकिन उस पैसे का भी जो सरकार के खजाने से निकलता है, आपके विभाग द्वारा दिया जाता है उसमें लूट नहीं हो, यह तो कम से कम इसके ऊपर आप नियंत्रण करो।

इसमें हमने सुझाव दिया था, लम्बा हो जाएगा पर अब सुझाव देऊं कि नहीं? (व्यवधान) हमने कहा था कि जो टैंकर जाते हैं, टैंकर जाकर पानी डालना चाहिए जो गांव का सामूहिक स्रोत है उस कुण्ड के अन्दर, जहां भी स्रोत है इस प्रकार का। उसमें आप एक रजिस्टर मेन्टेन कीजिए, उसमें लेवल लिखना चाहिए कि इतना लेवल इसमें था, आज टैंकर डालने के बाद यह लेवल आया। और उसमें आप कमेटी बनाइये जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी को इन्वाल्व कीजिए, चाहे टीचर्स को कीजिए, वो सब इसको देखें, तब तो कुछ होगा। वर्ना टैंकर जाते हैं कि नहीं जाते, पता नहीं वो सब कागजों में होता है। और कोई डालता है तो वो अपने निजी कुण्ड में डाल लेता है। कोई गांव में आपस में जाकर पानी के पीछे झगड़ा करे, तो यह कृपया आप कम से कम देखेंगे तो निश्चित तौर पर हमें इससे काफी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात चल रही है, पहले पूरी कर दूं। माननीय सभापति महोदय, इसमें एक मंत्री महोदय से निवेदन करना

(श्री देवी सिंह भाटी)

चाहूंगा कि आपके आजकल जैसा समाज हो गया है, जगह-जगह ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं। यह जो डबड़ी आपने दी है सिंगल फेज वाली, इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के तो जैसे बैरी पड़े हैं, लगते ही तुरन्त गायब और वहीं खाली। उसमें पता नहीं क्या, ताम्बा निकलता है कि क्या है, वो निकाला और हमारे सारे सिस्टम को फेल कर देते हैं। तो कम से कम आप यह एक कोई तय कीजिए गांव के अन्दर, देखिये, खर्चा तो आपका बहुत आता है, कितना आता है एक सिंगल फेस का खर्चा? यह ट्रांसफार्मर का होगा 50 हजार, मान लेते हैं लेकिन 25 हजार का भी होगा, आप गांव के अन्दर किसी एक गरीब को, चाहे उसके मकान के पास जहां आपको टैक्निकली सही लगे, आप ट्रांसफार्मर लगा दीजिए और निगरानी और जिम्मेदारी के साथ उससे लिखा-पढ़ी करके जोड़ दीजिए कि यह तेरी जिम्मेदारी होगा। यहां पर हम इसको एस्टेब्लिशं कर रहे हैं, देखेगा तू। हजार रुपये महीने के या साल के आप कोई तय कर दो तो कम से कम हो जाए वरना तो यह भगवान भरोसे है। पुलिस वाले भी उसमें क्या करें? चोरी होने के बाद में चोर तो भाग जाते हैं लेकिन कुल मिलाकर हमारा सिस्टम सारा फेल हो जाता है। तो इसका भी आप कुछ देखें।

मैं एक यह पूछना चाह रहा हूं, इतना बवाल हो रहा है रोज-रोज, अभी जैसलमेर वाले आए हुए थे और यहां भी चर्चा हो रही थी, यह सोलर के द्वारा विद्युत उत्पादन का क्या चल रहा है? उधर कोई विरोध कर रहा है। लेकिन सोलर के लिए यह आप देख तो लीजिए कि आपने मथानिया के अन्दर इतना बड़ा प्रोजैक्ट वर्षों पहले प्रस्तावित किया था, क्या हुआ उसका? जब उसका आया कि, साहब, 8.5 रुपये प्रति यूनिट उसका खर्चा आएगा, तो इतनी महंगी बिजली कौन खरीदेगा? अब पता नहीं सत्रह रुपये में कौनसी एजेन्सी ने कहा है कि हम बिजली खरीदेंगे। तो यह कम से कम आम जनता के सामने स्पष्ट तो कीजिए कि सोलर के माध्यम से आपका पावर जनरेशन होगा या नहीं होगा। है या नहीं है, यह स्थिति भी आप स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। मेरा तो यह निवेदन है कि सोलर में केन्द्र से शुरु में जो योजना आती है उसके लिए खूब एनकरेज करते हैं और खूब सब्सिडी रखते हैं, और दिन-दिन यह सब्सिडी कम करते जाते हैं। हमारे पास खूब उपलब्ध है सोलर पावर, अगर आप कोई बात कर सकते हैं तो, केन्द्र में खूब बजट होता है।

मैं एक बात कहूं, सभापति महोदय, अपन गये थे साउथ में, साउथ में यह सामने आया कि वहां केन्द्रीय योजनाओं से इतना पैसे लेते हैं और वहां धड़ाधड़ मिलता है पैसा। हमारी स्टेट से प्रस्ताव ही नहीं जाते कि हमें विभिन्न

(श्री देवी सिंह भाटी)

योजनाओं से मदद लेनी है। काफी सहारा लग जाता है। इसमें आप देखें कि किस प्रकार से हमें ऐसी सब्सिडी मिल जाए तो हमारे जो लोग हैं गांव में बैठे हैं, उनको थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाए। जिसको थोड़ी बिजली की जरुरत हो, कम गहराई में पानी हो तो वह पानी का उपयोग कर सकें, इसमें आप देखिए और स्थिति बताइये।

एक यह बिजली के बिल का, आप चुपचाप में कार्यवाही मत किया करो। आम जनता का जब विश्वास हासिल करके आये हो तो कम से कम खुलासा बात किया करो। आम जनता को चाहे प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा बताओ, बताओ तो सही। यह बिजली का बिल है, तीस एच पी का या विभिन्न एच पी का उनका जो बिल आ रहा था, उसमें मुझे बिल मिला है सरस्वती देवी, जेठाराम जाट, यह हमारे पलाना के रहने वाले हैं, आज उस क्षेत्र में सारी जगह लोग मिले, चलते ही निगम ने तय कर लिया कि प्रति कनेक्शन हम दस एच पी बढ़ाते हैं। किस कारण से बढ़ाये और कब से बढ़ाये? यह भी बता रहे हैं कि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यह कब से लागू होगा। और आपने बिल बनाकर देना भी चालू कर दिया है। तो यह जो चोरी है, आम जनता से आप मत किया करो। आप जन प्रतिनिधि हो, आप सरकार में बैठे हो, आप कम से कम स्थिति स्पष्ट करो। जो भी आपको लागू करना है पहले आम जनता से चर्चा किया करो, अच्छे सुझाव भी मिल जाएंगे। आपकी प्राब्लम होगी कि आप घाटे में जा रहे हो, बिजली की उपलब्धता नहीं है, लेकिन आप बात करके करो तो असन्तोष नहीं होगा।

तो मेरा यह निवेदन है कि आप स्थिति स्पष्ट करें। यह अघोषित रूप से, बैक डोर से आपने दस एच पी प्रति कनेक्शन के ऊपर चुपचाप बढ़ा दिया है, यह आम जनता को बहुत तकलीफ दे रहा है कि सरकार इस प्रकार से विश्वास लेकर हमारे साथ विश्वासघात कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आखिर में निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के नाम पर वर्षों से, हर वर्ष आता है अकाल, हमारे लिखा हुआ है, उसमें पहले तो मिट्टी ढोई गई, कहां गया कहां नहीं, लेकिन अब इस सरकार ने बड़ा जबर्दस्त किया है, मतलब अकाल राहत के नाम पर हम अकाल राहत कार्य खोलेंगे। अब अकाल राहत कार्यो में आप देखिये, उप नेता महोदय, बड़ा मजाक किया है इन्होंने प्रत्येक जिले में, कि आप अपना-अपना सम्भाल

(श्री देवी सिंह भाटी)

लीजिए। वहां जिस प्रकार से आपने राहत कार्यो पर स्वीकृतियां जारी की हैं, उनमें अब कार्य चालू किया है। कुल जैसे लूणकरणसर के अन्दर इकतालीस, हमारे बीकानेर की बात कर रहा हूं, बीकानेर तहसील में कुल तीन काम चल रहे हैं, डूंगरगढ़ में चार। लेबर संख्या का कुल आप इनमें सारा डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो 126 कार्य स्वीकृत हैं और 2000 लेबर। और कल बंद हो जाएंगे। यह क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ में? यह करना कोई जरुरी नहीं था। जब आप नरेगा के तहत काम कर रहे हो तो इसमें इस प्रकार से मत किया करो। लोग आते हैं हमारे पास में कि हमारे गांव में अकाल राहत कार्य खुलवाओ। अब आप, मंत्रीजी, देते हो दस लेबर की, तीस लेबर की और गांव होता है बड़ा तो ....

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): यह 31 मार्च को सौ दिन होने से बढ़ जाएंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वह बढ़ जाएंगे तो यह नाम क्यों करते हो, यह जरुरी भी नहीं है । राहत मंत्रीजी, आप भुगतान भी नहीं कर रहे हो इसका अभी तक। काम तो जैसे किये न किये, अब भुगतान में आ गया। हमारे बीकानेर के अन्दर आया है बाकी जगह भी यही स्थिति होगी। पोस्ट आफिस के माध्यम से भुगतान होना है, अभी तक उनके खाते ही नहीं खुले और वह घूम रहे हैं कि हमारा भुगतान। वह अपनी मजदूरी खोटी कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। एक तो यह स्थिति स्पष्ट कीजिए। अगर इस माध्यम से नहीं हो तो और किसी तरीके से उसको भुगतान तो हो। लेकिन आप उसका भुगतान भी नहीं कर रहे हैं।

नरेगा के अन्दर, सभापति महोदय, काम तो खूब हो रहे हैं। इसके अन्दर बजट खूब आ रहा है, भरमार, लूट सके तो लूट, अन्तकाल पछताएगा फिर प्राण जाएंगे छूट। सारे लगे हुए हैं, धुंआधार। इसका परिणाम पता नहीं कैसे घूम फिर कर आ रहा है।

सभापति महोदय, अभी हमारे पंचायतों के चुनाव हुए, बहुत गलत दिशा ले रहा है समाज। आम वोटर है, जो हमने सबने देखा होगा, कि प्रत्येक पंचायत समिति में तीन से चार पंचायतों में 200 से लेकर 500 वोटरों में हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक प्रति वोटर बिका है। यह हमने सबने सुना है। यह समाज किस दिशा में जा रहा है? तो इस प्रकार से लूट मत

(श्री देवी सिंह भाटी)

मचाने दो। अगर नरेगा में पैसा आया है तो वह सही लगे, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। सामूहिक कार्य के अन्दर लूट होती है तो मेरा इसमें सुझाव है, नरेगा के माध्यम से अगर आप काम कराएं तो निजी कार्य कराएं चाहे खेत के कराएं, चाहे कुण्ड के कराएं, पानी के स्रोत बनाएं, नहर की सिल्ट है या उसका बैंक है या सरकारी परिसम्पत्तियां पड़ी हैं, अगर उनके अन्दर हम यह कार्य करवाएं तो ज्यादा ठीक है।

इसके अन्दर आप नियंत्रण जरूर रखें, यह हमारा समाज गलत दिशा लेकर जा रहा है। सब उसके चिमट जाते हैं कि नरेगा का पैसा आ रहा है, आधा तेरा, आधा मेरा चलने दो। यह बहुत गलत हो रहा है। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए निगरानी रखें ।

राहत मंत्रीजी, असहाय सहायता में अभी तक हमारे बीकानेर जिले में कुछ नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है? मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, इस प्रकार के प्रावधान आप हटाइये। कोई भी योजना हो ऐसी जिसमें वह पात्र है तो उसको आप याचक का रूप क्यों देते हो? हर जगह वह हाथ जोड़े खड़ा रहता है। दरख्वास्त लेकर आओ दरख्वास्त लेकर घूमता है, उसको दफ्तर का पता नहीं, कहां पंचायत समिति में जाए, कहां पटवारी के पास जाए। आप यह हटाइये। जब पटवारी दूसरे वसूली के और अन्य काम अपने आप कर लेता है, पटवारी को सब पता है गांव का एक-एक, दाई है वह तो। पटवारी की जिम्मेवारी डालिए कि इस प्रकार से असहाय के जो पात्र हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे विधवा हैं, स्वयं वह जानकारी करके उसको देखे। वरना उससे सर्टिफिकेट लीजिए कि गांव में, पंचायत में कोई भी ऐसा पात्र नहीं बचा है। आप उसको मत याचक बनाओ। यह याचक वाली स्थिति हमने बहुत देख ली। मेरा इसमें अनुरोध है कि वास्तव में राहत मिले, यह आप देखिएगा।

अब सहायता विभाग का सिलसिला क्या हो गया है- अकाल के नाम पर बहुत स्टेटमेंट, सारी चर्चा, यहां डिसकशन और वर्षाकाल के बाद में काम खतम और पत्रावलियां अकाल राहत कार्य विभाग की बंद। उसके बाद हम कोई चिन्तन नहीं करते कि हम उसके लिए आगे क्या योजना बनाएं जिससे लोगों को यह बार-बार अकाल नहीं झेलना पड़े। लेकिन इसके ऊपर कोई नियंत्रण आपका है नहीं। सब बंद करके लवाजमा पूरा का पूरा बैठा रहता है। आपका सैक्रेटरी से लेकर नीचे तक क्या काम करते हैं, गाड नोज। देखो तो सही, मंत्री महोदय, टटोलो, खंगालो।

(श्री देवी सिंह भाटी)

सभापति महोदय, अब चारे की बात है, हमारे चारे का बड़ा संकट है। आम आदमी को पता है जो गाय से सम्बन्धित है, चाहे भैंस से चाहे जिसके दूध का वास्ता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से है चाहे शहरी क्षेत्र में, आज चारा खरीदने की किसी की हैसियत नहीं है, इतना मंहगा चारा। 500-600 रुपये क्विंटल। एक दिन का काम हो, पन्द्रह दिन का काम हो, एक महीने का काम हो, लेकिन साल-साल भर इतना मंहगा चारा खरीद कर कौन अपने पशुओं को खिला सकता है? आपने बातें बहुत कीं, पिछले चालीस साल से तो मैं सुन रहा हूं, अमीन खांजी भी सुन रहे थे, यहीं विधान सभा में भाषण देते थे कि चारा बैंक हम खोलेंगे, चारा बैंक बनाएंगे, कितने बन गये? हम जो बात सम्भव है, अगर कह दिया है तो शक्ति चाहिए जिसे हम पूरा करें। लेकिन चारा बैंक कोई बनते नहीं। आप जो चारा डिपो खोलते हैं उसमें आप क्या देते हैं मदद? मात्र नब्बे रुपये परिवहन अनुदान। उस नब्बे के बाद आप तुलना कीजिए पिछले साल की या उससे पहले के वर्षो की। चाहे राहत कार्य हों, चाहे चारा डिपो हों, चाहे पशु सेवा शिविर हो, चाहे कैटल फीडिंग का मामला हो, नाममात्र के लिए, सिर्फ सच्चा होने के लिए कि हमने पशुओं के लिए व्यवस्था करने के लिए यह मदद की है, नाममात्र के चारा डिपो खोले गये हैं। मैं बताऊं आपको,

पूरा हमारा पश्चिमी राजस्थान सबसे ज्यादा इससे प्रभावित रहता है। बीकानेर तहसील के अन्दर 22 चारा डिपो स्वीकृत किये, 15 चल रहे हैं। चल क्यों नहीं रहे, यह भी देखिये आप आंकड़ा ? आपने स्वीकृत बड़ी मुश्किल से किये। एक तो प्रक्रिया आपकी इतनी मुश्किल है कि जो भी वहां आवेदन करे, चाहे संस्था करे, चाहे सहकारी समिति, बार-बार चक्कर। जब एक दफा उसने आवेदन कर दिया तो यह आपका काम है। मैंने एक दिन कलक्टर को कहा कि आपने फलां चारा डिपो अभी तक स्वीकृत क्यों नहीं किया? उसने कहा, मेरे सामने तो कोई कागज नहीं है। आपके सामने नहीं है, आपका तन्त्र है। चाहे वह तहसील के अन्दर पड़ा है, चाहे एस डी एम के यहां पड़े हैं, यह देखने का किसका काम है? लेकिन स्थिति यह है कि आपने नाम मात्र के तो स्वीकृत किये पूरी तहसील में, बहुत बड़ी है बीकानेर की। और 15 चल रहे हैं 22 में से। इसी प्रकार नोखा के अन्दर 43 में से 36 चल रहे हैं, कोलायत के अन्दर 60 में से 47 चल रहे हैं, 22 में से 12 लूणकरणसर में चल रहे हैं, डूंगरगढ़ में मात्र 6 ही किये उसमें से भी 3 चल रहे हैं। अब पहली बात तो आप चारा डिपो में दे क्या रहे हो? आप सिर्फ 90 रुपये परिवहन अनुदान दे रहे हो। और अनुदान

(श्री देवी सिंह भाटी)

का भी, मैं कहूं, सभापति महोदय, जब से ये चारा डिपो चालू हुए हैं आपने अभी तक भुगतान नहीं किया। अब एक ट्रक जो लाता है, अमीन खां जी, उसका कितना खर्चा होता है ?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): देवी सिंहजी, एक सैकिण्ड बीच में, माफ करना। आप सभी इनको सहमत करो, चारा के शिविर जो हैं, अपने रिलीफ कानून में मालिकाना पशु का है ही नहीं। ये हैं आवारा पशुओं के लिये। सिवाय गौशाला के जितने भी पशु हैं, रेवेन्यू एजेंसीज से इनकी गणना होनी चाहिये और जो सब्सिडी ट्रांसपोर्ट पर अपन देते हैं, वह पशु मालिक को दी जाए तो न तो हर जगह अपने को शिकायत मिलेगी और न कोई पशु मालिक पशु को मरने देगा। चारा सभी जगह उपलब्ध हो जाएगा। पशु शिविरों ने राजनीति कर दी है और इसमें 90 परसेंट करप्शन है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बिलकुल सही है। बिलकुल यह बात बहुत सही है, सटीक कही है क्योंकि आप गांवों से जुड़े हुए हैं। इसमें हकीकत है कि लूट मच रही है पिछले वर्षों में तो बहुत भारी कि सिर्फ बिल बनाओ और ट्रक इतने दिखा दिये। इस दफा नियंत्रण जरूर किया गया है कि हमने जो चारा डिपो स्वीकृत किये हैं उसमें कहा कि इस गांव में 2-3 ट्रक से ज्यादा चारा हम नहीं लाने देंगे। लेकिन थोड़ा आप भी, मंत्री महोदय, देख लें, वास्तविकता में जब पटवारी रिपोर्ट करता है कि यहां चारे की डिमाण्ड ज्यादा है, वह ब्लैक तो कर नहीं रहा है, 90 रुपये ही तो दे रहे हो। लेकिन उसमें भी आपने बांध दिया। पता नहीं कौनसी पूंजी की आपके यहां कमी पड़ रही है। तो इस प्रकार से आप देखें कि कैटल कैम्प में भी, अभी जैसलमेर के कल कोई आये हुए थे, चर्चा कर रहे थे, एक गांव में तीन हजार गायों की स्वीकृति जारी कर दी। एक गांव में तीन हजार कहीं गायें हैं ही नहीं, उसके बावजूद भी आपने स्वीकृतियां जारी कर दीं। तो आप इस प्रकार की लूट को रोकें। आवश्यकता है...

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): बेनामी शिविर हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बेनामी। सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं इसमें यही कह रहा था, पशु पोषण में भी जो कैटल फीड आप देते

(श्री देवी सिंह भाटी)

हैं उसमें आपने एक आदेश निकाल दिया कि जो दुग्ध समिति में दूध दे रहे हैं, उसको ही हम कैटल फीड देंगे। बाकी भी लोग बैठे हैं, वे दुग्ध समिति में नहीं दे रहे हैं। चाहे वह मावा भट्टी को दे रहे हैं या और कहीं सीधा अपना दूध बेच रहे हैं, उसकी भी तो आखिर में हमें गायें बचानी हैं। गाय की मदद करना चाह रहे हैं तो आप इसमें यह छूट कीजिये कि जो भी वहां पर दुधारू पशु हों, उनको भी हमें कैटल फीड देना चाहिये। तो यह आप दिखवाएं कि आपने जो चारा डिपो स्वीकृत किये हैं, बहुत कम संख्या में किये हैं। उसकी अगर आवश्यकता है, पटवारी की रिपोर्ट है तो आप चारा डिपो में ट्रक और बढ़ाइये।

इसी प्रकार कैटल कैम्प में भी निगरानी कीजिये। यह कौनसा चलते-चलते अधिकारियों की सलाह से? हमेशा से यह होता आया है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति और दुग्ध समिति के माध्यम से हम चारा डिपो स्वीकृत करते रहे हैं लेकिन इस दफा कोई यहां से आदेश किसी ने दे दिया, आप पता नहीं देखते हैं, या नहीं, उसमें रोक लगा दी। अब कौन ले चारा डिपो ? इनडिवीजुअल को हम देते नहीं। तो इस प्रकार से यह मत किया करो, आपकी जो विश्वसनीयता है। ग्राम सेवा सहकारी समिति है, चाहे दुग्ध समिति है, उसमें अगर कोई लेने वाला हो तो उसको जरूर देना चाहिये।

एक मेरा निवेदन है कि इसमें भुगतान का आप जरूर देखिये, बहुत बुरी हालत है। चारा डिपो हमारे सारे बंद हो गये हैं। उसमें तुरन्त भुगतान हो। ऐसा गलत जवाब देते हैं। वहां भी लोग कह रहे थे कि हम गये तो कहा कि पैसा आएगा तो हम देंगे, हम कहां से दे दें। यह नहीं हो। वहां से आप परस्यू करो। यह लाएगा कौन? सरकार की आखिर राहत देने की जो मंशा है, वह कैसे पूरी होगी? चारा बैंक बन नहीं रहे हैं। चारा इतना महंगा है, खरीद नहीं सकते।

आखिर में मैं तो अब वाकई दुःखी हूं, सन्यास लेने की सोच रहा हूं राजनीति से। फलौदी के दामोदरजी थानवी हैं उनसे इस बारे में बात हुई, मुख्य मंत्रीजी को हमने सलाह दी, देखिये, जो हो रहा है उसका देखा करो, फील्ड में जाओगे तो पता लगेगा। बीकानेर की बिलकुल नगरपालिका सीमा के अन्दर पुराने सेठ ने दान करके गोचर के नाम करा दी 27 हजार बीघा। बृजरतन किराड़ू वर्षों से लगा रहा, उसके अन्दर कब्जे नहीं होने दिये। पूर्व में तो कुछ पांच एक हजार बीघा पर कब्जा हो गया, बाकी उसने बचा ली। लेकिन बचा कर करे क्या वह अकेला ? सभापति महोदय, उसके काम को देखते हुए दानदाताओं

(श्री देवी सिंह भाटी)

ने मदद की और पांच हजार बीघा में अब तक उसके अन्दर तारबंदी करवा दी। उसके अन्दर सेवण घास भिजवा दी। बीज को गोबर में मिलाकर डाल दिया कि बरसात के अन्दर घास उग जाए। अब आप जाकर उसके अन्दर देखिये। गत वर्ष उसके अन्दर 40 हजार गायें चर रही थीं। अब तो सारे ब्लाक बना रहे हैं दानदाता। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में गांवों में जो हमारी गोचर भूमि है, ओरण हैं, उसका उपयोग हो जाए, आप दानदाता को शामिल कीजिये। देखिये, सरकारी व्यवस्था से तो कई इस प्रकार के वन विभाग के माध्यम से, भेड़ महकमे से, फलां से हमने चारागाह डवलप कर दिये। एक भी डवलप नहीं हुआ। अगर यह कर रहे हैं तो मैं तो मेरा सारा समय उसी में लगाने की सोच रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी को हमने कहा है हमें कोई आपसे मदद नहीं चाहिये आर्थिक रूप से, आप तो इतना कर दीजिये क्योंकि पंचायत की प्रोपर्टी है गोचर, उसको एक दफा केयर टेकर के नाम पर दानदाता और गांव का सरपंच और दूसरे एक-दो हो जाएं, इनकी निगरानी में वहां तारबंदी करने दो। ट्यूबवैल कनेक्शन के लिये...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं समाधान बता रहा हूं जो हुआ है सामने, आप देखिये वहां पर। आप भादरिया में जाकर देखिये, वहां आज के दिन 14 हजार गायें हैं। पथमेड़ा में जाकर देखिये, वहां सिर्फ साधु समाज लोगों से सहयोग लेकर, दानदाताओं से, गायों को बचा रहा है। यह हो सकता है। जो हो रहा है वह तो कम से कम देखो। अगर इस प्रकार से हमारी मदद कर दो। क्योंकि ऐसी सम्पत्ति के अन्दर आप ट्यूबवैल खोदने की परमिशन नहीं देते। हम तो सरकार से यह चाहते हैं कि सिर्फ उनको ट्रस्टी मानते हुए, उसके अन्दर कोई पक्का निर्माण नहीं होगा, सिर्फ पेयजल का साधन, स्रोत वहां पर हो जाए, तारबंदी करके गोचर में घास और सेवण लगा दें तो मैं कहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में जैसे आपके, जोशीजी, फलौदी में कोल्हू में 50 हजार से ऊपर होगी, 50 हजार बीघा से ज्यादा गोचर पड़ी है, ओरण, उसमें घास लग जाए तो पश्चिमी राजस्थान में पूरे हिन्दुस्तान की गायें लाकर चरा लो कोई आपको घास की कमी नहीं रहेगी। न चारा डिपो और कैटल कैम्प की हमें कभी जरूरत पड़ेगी। कुछ आंखों से जाकर देखिये वहां।

बीकानेर के वीरेन्द्रजी बेनीवाल को तो पता होगा, सारे नाथानियान में

(श्री देवी सिंह भाटी)

वहां यूनिवर्सिटी के सामने ही गोचर इतनी जबरदस्त डवलप हुई है, आज के दिन भी वहां गायें चर रही हैं। तो मैं चाहूंगा, बिना कारण हमारे दिक्कत आएगी, वहां तारबंदी और ट्यूबवैल खोदने की परमिशन नहीं दोगे। अगर सरकार यह कर दे तो हम अपने दानदाताओं को इनवाल्व करके यह सारा डवलप करा लेंगे।

यही मेरा आपसे निवेदन है कि अब तक जो बातें हमने यहां पर रखी हैं, इसके अन्दर कुछ काम हो जाए। काम नहीं होने पर सिर्फ यहां कह दें, दायित्व जरूर पूरा करते हैं लेकिन उसके बाद में होता क्या है ?

'पेशानी-ए हयात पर कुछ ऐसे बल पड़े।
हंसने को दिल ने चाहा, पर आंसू निकल पड़े।
हंसने को हंस रहा हूं, पी-पी के हंस के गम,
अगर कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े।

धन्यवाद, साहब।

(समय : 15.00 बजे)

श्री सभापति: श्री संतोष कुमार सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आज राज्य में बिजली, जल एवं अकाल की स्थिति पर दो दिवसीय चर्चा में अपने विचार सदन में रखने के लिये मुखातिब हूं। समस्या गम्भीर है और हमें गम्भीरता से विचार करके सर्व सम्मति से पुख्ता निर्णय लेना चाहिये। किसान व आमजन के लिये बिजली व पानी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी व ऊर्जा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि पानी की बचत करने में सहयोगी सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले किसानों को बिजली सस्ती, त्वरित गति से सस्ते कनेक्शन आवश्यकता अनुरूप दिये जाएं ताकि किसान नई तकनीक व सुविधाओं से कृषि पैदावार ज्यादा ले सकें व पानी की बचत कर सकें।

सभापति महोदय, माननीय भाटीजी ने फर्माया कि सौर ऊर्जा हमारे यहां बहुत उपलब्ध हो सकती है। दूसरे प्रदेशों के अनुसार 90 प्रतिशत सब्सिडी उसमें दी जाए तो किसान 2 से 5 हार्स पावर सिंगल फेज बिजली का कनेक्शन लेकर वह इस्तेमाल कर सकेगा और अपनी पैदावार का, अपने संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकेगा।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

सभापति महोदय, हमारे यहां सिंचित क्षेत्र में पेयजल का पानी है चाहे सिंचाई का है, नहरों के माध्यम से आता है। पेयजल पर चर्चा है लेकिन मैं नहर पर चर्चा करना चाहूंगा आपकी आज्ञा से। जल संसाधन के अन्तर्गत चालू योजनाओं को समय पर पूरा करने, नये स्रोतों के विकास, मौजूदा परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जल प्रबंधन के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं की कार्य कुशलता में बढ़ोत्तरी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन गतिविधियों हेतु आयोजना मद में जल संसाधन के लिए आगामी वित्त वर्ष में माकूल प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, पानी की समस्या राजस्थान के लिए नयी नहीं है। विधान सभा में पिछले 50 वर्षों में इस विषय पर समय-समय पर हुई चर्चा का यदि हम अवलोकन करें तो इस समस्या पर जो हम आज कह रहे हैं, वह पूर्व में भी कहा गया था। लेकिन दुःख की बात यह है कि हमने बहुत लम्बे समय से परवाह नहीं की कि आने वाले वर्षों में इस तरह का जल संकट पैदा होगा। अब स्थिति हमारे सामने है, राजस्थान पानी के संकट से जूझ रहा है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले जल संसाधन मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ष की उपलब्धता पिछले वर्षों में न्यूनतम होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी नहर, गंग, भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं की नहरों में टेल तक किसानों को उनके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया। हो सकता है कि किसानों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई हो, लेकिन सरकार ने जिस तरह से जल का बेहतर प्रबंधन कर, जनता को भरोसे में लेकर किसानों के अंसतोष को दूर किया और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होने दी, वह वास्तव में सराहनीय है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं बीकानेर जाकर क्षेत्र के किसानों व जन-प्रतिनिधियों को सुना व इंदिरा गांधी नहर के हिस्से में पानी की कमी होते हुए भी 3 बारियों की घोषणा की। दूसरी ओर तत्कालीन भाजपा सरकार ने वर्ष 2004 में पर्याप्त पानी होते हुए भी किसानों को पानी देने में आनाकानी की। समय रहते यदि सरकार किसानों की बात सुन लेती और समझदारी से पानी का आकलन कर सिंचाई हेतु देती तो घड़साना गोलीकांड नहीं होता। लेकिन अहम में सरकार निर्णय लेने में देर करती रही। नतीजा यह हुआ कि 6 निहत्थे किसानों को गोली से भून दिया गया। उनकी आत्मा कभी भी उन नेताओं एवं अधिकारियों को माफ नहीं करेगी।

सभापति महोदय, विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान जल संसाधन

(श्री संतोष कुमार सहारण)

पुनर्संरचना योजना का कार्य 4 वर्ष पूर्व पूरा हो जाना चाहिये था, लेकिन तत्कालीन सरकार की ढिलाई के चलते ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि व्यय नहीं हो सकी। विश्व बैंक ने पिछले एक वर्ष में परियोजना के कार्यों की प्रगति व राज्य की जल नीति को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शेष बची राशि को व्यय करने हेतु 3 वर्ष की समयावधि बढ़ा दी और साथ ही 87 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की। इस राशि से भाखड़ा व गंग नहर क्षेत्र की नहरों का पुनरुद्धार किया जाएगा व गंग कैनाल के शेष बचे कार्य किये जाएंगे।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 172 किलोमीटर पंजाब फीडर की मरम्मत हेतु 952 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत करायी है। यह कार्य पूर्व में कोई सरकार नहीं करवा सकी।

सभापति महोदय, भाजपा सरकार जब-जब राज्य में सत्तारूढ हुई, तब-तब योजनाओं पर पैसा खर्च करने पर ही जोर रहा। लेकिन पैसे का फल लोगों को मिले उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में 4500 करोड़ रुपये व्यय कर 27.48 लाख हैक्टेयर में सिंचित क्षेत्र विकसित किया। दूसरी ओर भाजपा सरकार लगभग 14-15 वर्ष राज्य में सत्तारूढ़ रही, इस दौरान सिंचाई के विभिन्न कार्यों पर 6765 करोड़ रुपये व्यय हुए लेकिन 9.36 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र ही विकसित हुआ।

सभापति महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रीजी को मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के सिंचाई क्षेत्र के किसानों की बहबूदी व इलाके के विकास के लिए सिंचाई व अतिरिक्त स्रोतों व समस्याओं तथा उनके निराकरण के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। श्रीगंगानगर जिले को तीन महत्वपूर्ण प्रणालियों गंग नहर, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ ब्रांच व अनूपगढ़ शाखा से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। गंग नहर प्रणाली को फीरोजपुर फीडर की टेल आर.डी. 168 से निकलने वाली बीकानेर कैनाल सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

गंग कैनाल का निर्माण तत्कालीन रियासत बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंहजी द्वारा वर्ष 1922 से 1927 तक करवा कर अक्टूबर, 1927 में पानी प्रवाहित करवाया गया था, उसके साथ ही गंग नहर प्रणाली क्षेत्र में विकास की

(श्री संतोष कुमार सहारण)

शुरूआत हुई। इसी क्रम में गंग नहर प्रणाली की समस्त कच्ची नहरों को वर्ष 2000-01 से पक्का करना शुरू किया गया जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। शेष 53 किलोमीटर गंग नहर फीडर को पक्का किया जाना है। इसके उपरान्त गंग नहर प्रणाली क्षेत्र में अभी भी ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनका निराकरण किया जाना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, गंग नहर प्रणाली को पानी बीकानेर कैनाल के माध्यम से प्राप्त होता है जिसका पूर्ण नियंत्रण पंजाब के सिंचाई अधिकारियों के पास है। प्रणाली हेतु बी.बी.एम.बी. द्वारा जो पानी का हिस्सा निर्धारित किया जाता है, वह पानी की कमी के समय पंजाब के सिंचाई अधिकारियों द्वारा पंजाब की नहरों में इस्तेमाल कर लिया जाता है जिससे प्रणाली क्षेत्र में फसलों की बुआई एवं पकाई पर अत्यन्त विपरीत असर पड़ता है। इसके साथ ही बीकानेर कैनाल में पानी में अत्यधिक उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है जो कि नहरों के रेगुलेशन में अनिश्चितता की स्थिति पैदा करती है। इस स्थिति में बीकानेर कैनाल के हैड का नियंत्रण पंजाब सिंचाई अधिकारियों की जगह बी.बी.एम.बी. का होना चाहिए।

सभापति महोदय, गंग नहर प्रणाली की छोटी नहरों के अंतिम छोर तक कई बार पानी की आपूर्ति निर्धारण अनुसार नहीं हो पाती जिससे अंतिम छोर के किसानों को नुकसान होता है। इसके समाधान हेतु प्रणाली की 22 बड़ी नहरों के किनारे विभागीय टयूबवैल्स लगाये जावें जो कि पानी की कमी के समय चल रही नहरों की टेलों पर निर्धारण अनुरूप पानी उपलब्ध करवाने में मददगार होंगे।

सभापति महोदय, पानी की उपलब्धता सीमित एवं अनिश्चित होने के कारण पानी की बचत एवं आवश्यकतानुसार उपयोग हेतु फव्वारा व ड्रिप पद्धति का संचालन क्षेत्र में अत्यन्त जरूरी है। इस हेतु प्रणाली क्षेत्र में प्रत्येक काश्तकार के खेत में एक डिग्गी का निर्माण किया जावे एवं किसान को फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम हेतु राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जावे व सिंगल फेज बिजली कनेक्शन कम खर्चे पर दिये जावें ताकि किसान की फसल को आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध करवा सकें।

सभापति महोदय, क्षेत्र के कच्चे खालों को पक्का किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। खाला पक्का होने से चक के प्रत्येक किसान के खेत में पानी

(श्री संतोष कुमार सहारण)

उपलब्धता सुनिश्चित होगी जिसे पानी का 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा जो खालों में लास होता है, उसकी बचत होगी जिसे फसल हेतु काम में लिया जा सकेगा।

सभापति महोदय, गंग नहर प्रणाली एवं भाखड़ा नहर प्रणाली में कच्चे खालों को पक्का करने का कार्य डीआरडीए द्वारा करवाया जा रहा है, उसकी प्रगति अत्यन्त धीमी है। दोनों प्रणालियों के लगभग 25 से 30 प्रतिशत कच्चे खाले ही पक्के हो पाये हैं। जिस कारण वांछित लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बीकानेर कैनाल की बंदी के दौरान कुछ मरम्मत होने वाली है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 10 अप्रैल से बंदी है, उसका बजट पंजाब सरकार को उपलब्ध करवाया जाए ताकि बंदी के दौरान आवश्यकतानुसार सारी मरम्मत हो सके।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी व माननीय जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान श्रीगंगानगर की नहरों में आजकल बह रहे गंदे व अनहाइजीनिक पानी की ओर दिलाना चाहूंगा। महोदय, राजस्थान पत्रिका के श्रीगंगानगर संस्करण दिनांक 4 मार्च, 2010 के पृष्ठ संख्या 7 पर अंकित शीर्षक 'पानी बरपा सकता है कहर' को पढ़ने से एहसास होता है कि इलाकावासियों की सेहत महफूज नहीं है। सभापति महोदय, पंजाब द्वारा नहरों से छोड़े जाने वाले सीवर के पानी पर तुरन्त रोक लगाने की कार्यवाही की जाए। इस प्रकार का पानी नहरों में हर वर्ष पंजाब से बहाया जाता है जिस पर प्रभावी रोक लगाने की महत्ती आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जिले में सिंचाई के तीनों सिस्टमों में कुछ आउटलेट्स पानी ज्यादा ले रहे हैं। विभाग इनको त्वरित गति से सही करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इन ज्यादा पानी लेने वाले आउटलेट्स वाले किसानों ने अदालत से स्टे आर्डर ले रखे हैं। जिसकी वजह से इनको दुरूस्त नहीं किया जा सकता। इन स्टे आर्डर को प्रभावी कार्य प्रणाली अपना कर खारिज करवाया जाए ताकि सभी आउटलेट्स ठीक हो सकें व टेल तक पानी पहुंच सके।

सभापति महोदय, गत 5-6 वर्षों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों को करोड़ों रुपये अनुदान देकर बागवानी के लिए प्रेरित कर बाग़ लगवाये गये हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में गंग नहर, भाखड़ा व इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी बंद कर पीने का पानी उपलब्ध करवाया

(श्री संतोष कुमार सहारण)

जा रहा है। बागवानी पौधों को पानी उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में किसानों द्वारा इन पौधों को बचाये रखना असम्भव है। माननीय मंत्री महोदय, सरकार इन बागवानी पौधों को बचाने के लिए पीने के पानी की तरह तत्काल व्यवस्था करे ताकि किसानों को सम्भावित हानि से बचाया जाकर बागवानी की ओर रूझान को कायम रखा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रीजी से सरकज नहर से अनकमाण्ड पड़ी करीब 250-300 बीघा जमीन जिसका लेवल बहुत बढ़िया है व सैकड़ों परिवार जिसमें अपने संसाधनों से खेती कर रहे हैं, उसको कमाण्ड एरिया घोषित कर सिंचित करने के लिए अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इलाकावासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका निराकरण कर अनुग्रहित करें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं पेयजल पर चर्चा करना चाहूंगा। बजट 2010-11 में राज्य योजना मद में 1 हजार 231 करोड़ रुपए एवं सी एस एस मद में राज्य बजट के माध्यम से 284 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रयास से केन्द्र सरकार द्वारा काटी गई राशि राज्य को पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया है, इससे 2010-11 में 1 हजार 100 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। आर यू आई डी पी के माध्यम से पेयजल संवर्धन जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जल मणि कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 हजार पाठशालाओं को शुद्ध जल उपलब्ध करवाने हेतु जल शोधन इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा 'अपनी योजना' का दोषपूर्ण संचालन किया गया। सामुदायिक प्रबन्धन पर आधारित 'अपनी योजना' चूरू जिले की तारानगर व सरदारशहर तहसीलों के 631 गांवों व दो कस्बों में 24 घण्टे पानी देने हेतु लागू की गई थी। इस योजना को माडल योजना माना गया जिसमें स्वयं ग्रामवासी समिति बनाकर गांव के अन्दर पानी का वितरण करते हैं व जल शुल्क एकत्रित करते हैं। सस्ती लोकप्रिय राजनीति के कारण पूर्व सरकार ने इस योजना को भी तहस-नहस

(श्री संतोष कुमार सहारण)

कर दिया। इसके प्रथम फेज में ही बिना क्षमता बढ़ाए चूरू-बिसाऊ योजना के 100 गांव और 3 शहर और गंधेली-साहवा, राजगढ़, बुंगी के 79 गांवों को शामिल कर दिया गया। योजना में लगभग 33000 अवैध कनेक्शन लोगों ने कर लिये, पाइपों में लीकेज बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि लगभग 20 टेल के गांव में पानी पहुंचना बंद हो गया। हमारी सरकार ने वर्ष 2003 में हैण्डपम्प के रखरखाव का कार्य पंचायतों को सौंपा लेकिन इन्होंने आते ही वापस छीन लिया। मिस्त्री पंचायतों के पास हैं, मरम्मत का कार्य जलदाय विभाग के पास है, यही कारण है कि हजारों हैण्डपम्प खराब पड़े हैं।

भाजपा सरकार ने बजट उपलब्धता के बिना ही 15558 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत कर दीं। पाइप क्रय में घोटाले किये गये। अजमेर में बिना तकनीकी मापदण्डों के 79 टंकियों का निर्माण कर दिया गया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा पेयजल योजना हेतु अंतर जिलों में बजट आबंटन में भेदभाव बरता गया है।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने व पानी की अतिरिक्त उपलब्धता पर अपने सुझाव प्रेषित करना चाहता हूं। आज की प्राकृतिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए गांवों व ढाणियों में जहां पशुओं के पीने के पानी के कच्चे जोहड-डिग्गियां वर्षों से बनी हुई हैं, इनके चारों ओर हैण्डपम्प लगाकर पीने के पानी की उपलब्धता को निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है। अवैध जल सम्बन्धों, पाइप लाइन क्षति व घरों में बूस्टर आदि रोकने, पानी टेल तक पहुंचे व पानी की चोरी रुक सके इसके लिए निश्चित तौर पर पी एच ई डी एक्ट बनाने की महती आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को देखते हुए सक्षम अधिकारियों को वित्तीय स्वीकृति के अधिकार पेयजल समस्या के शीघ्र निदान के लिए पुनः बहाल किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र सार्दुलशहर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके लिए 1266.91 लाख रुपए की सात पेयजल योजनाएं लगभग एक वर्ष पूर्व वित्तीय स्वीकृति हेतु भिजवाई गई थीं, परन्तु नई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम के अनुरूप पुनः तैयार करने हेतु वापस लौटा दी गई हैं जिस कारण ग्रामीणों को भयंकर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी में

(श्री संतोष कुमार सहारण)

आया है कि नए प्रोग्राम के तहत योजनाओं को तैयार करने में एन जी ओ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, परन्तु विभाग द्वारा इस बाबत कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं जिससे योजनाओं की स्वीकृति में और विलम्ब होना स्वाभाविक है। अतः मेरा निवेदन है कि जो योजनाएं लौटाई गई हैं उनको पुराने पैटर्न पर स्वीकृति जारी करवा कर बजट उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि आमजन को पेयजल मुहैया कराया जा सके।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट में घोषित प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में बढ़े हुए 20 लाख रुपए विधायक कोटे का इस वर्ष पेयजल पर खर्च करने से निश्चित तौर पर रैगुलर स्कीम्स के अलावा इलाके को पेयजल के लिए अतिरिक्त सहूलियत मिल सकेगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी का इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी व माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि इलाकावासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ध्यान देकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में प्रदेश की बिजली, पेयजल और अकाल की स्थिति पर चर्चा हो रही है। क्योंकि समय सीमित है इसलिए मैं केवल प्रदेश की पेयजल की स्थिति पर ही अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 9 मार्च, 2010 को सदन में वर्ष 2010-11 का बजट पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती आबादी, बदलती जीवन शैली, वर्षा की कमी एवं भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होने के परिणामस्वरूप राज्य के 164 ब्लाक ओवर एक्सप्लायटेड, 34 ब्लाक सेमी एक्सप्लायटेड एवं 8 ब्लाक सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आ गए हैं और केवल 30 ब्लॉक फिलहाल सुरक्षित बचे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। इस परिस्थिति में हमारे लिए पेयजल उपलब्ध करवाना सबसे बड़ी चुनौती है। माननीय सभापति महोदय, होना तो यह चाहिए था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस भावना के साथ अपने बजट भाषण में प्रदेश की पेयजल की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की, उसी के अनुरूप अपने बजट

(श्री कालीचरण सराफ)

भाषण में पेयजल को प्राथमिकता देते और इस वर्ष का बजट पेयजल को समर्पित करते। परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी और उनकी सरकार पेयजल के प्रति कितनी गम्भीर है, यह इस बात से पता चलता है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल की समस्या को बजट भाषण में तीसरे स्थान पर रखा। इससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है, पिछली बार 18500 करोड़ रुपए की योजना थी उसमें पेयजल पर खर्च किया इन्होंने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा और इस बार 23822 करोड़ रुपए की योजना और उसमें यह खर्च करेंगे केवल 770 करोड़ रुपए यानि 24 प्रतिशत कम खर्चा पेयजल पर करेंगे। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी सरकार राजस्थान की भयंकर पेयजल समस्या के प्रति कितनी चिंतित है।

माननीय सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी का राज था, वसुन्धरा राजेजी राजस्थान की मुख्य मंत्री थीं तो जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीन महीनों में पूरे प्रदेश की पेयजल की स्थिति का मूल्यांकन कर लिया जाता था कि किस शहर में, किस कस्बे में, किस गांव में बरसात नहीं हुई, कहां किस प्रकार से पानी की व्यवस्था करनी है, कहां पर हैण्डपम्प खोदने हैं, कहां पर ट्यूबवैल खोदने हैं, कहां पर पानी टैंकरों से भिजवाना है। कहां पर पानी रेल से भिजवाना है। इन सबकी योजना इन तीन महीनों में बना ली जाती थी और जैसे ही गर्मियां आतीं, उस समय पूरे प्रदेश में पेयजल की माकूल व्यवस्था की जाती थी। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, उसी का परिणाम था कि घड़साना में पानी को लेकर जो आंदोलन हुआ उसके अलावा पूरे प्रदेश में कहीं पर भी पानी की समस्या को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ। (व्यवधान) आज मुझे अफसोस है इस बात का कि पूरे देश में लोगों को दूषित पानी पिलाया जा रहा है जिसके कारण डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटन फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे राजस्थान के केन्द्रीय मंत्री हैं सी पी जोशी साहब, उन्होंने राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में यह कहा कि राजस्थान के सभी 33 जिलों में लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, उस समय हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्रीजी कहा करते थे कि पानी उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और आज जब यह मुख्य

(श्री कालीचरण सराफ)

मंत्री बन गये तो इनका ही, यानी बातचीत करने का तरीका बदल गया। अब यह क्या कहते हैं, पानी है ही नहीं, सरकार देगी कहां से, जनता को समझना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज जिस तेजी के साथ पूरे प्रदेश में जल स्तर गिर रहा है, बरसात हुई नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो हमारे प्रदेश के डीजी साहब हैं, उन्होंने भी सरकार को पत्र लिख कर इस बात के लिए चेताया है कि गम्भीर पानी की समस्या के बारे में यदि विचार नहीं किया गया और समय रहते पानी की समस्या का समाधान करने पर कोई यदि योजना नहीं बनाई गई तो पूरे प्रदेश में पानी के कारण झगड़े होंगे, पानी के कारण आंदोलन होंगे, पानी के कारण पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि राजस्थान में पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत, सारे ब्लाक्स क्रिटिकल पोजीशन में, डार्क-जोन में, 75 परसेंट से ज्यादा प्रदेश, उसके बाद भी यह सरकार पानी के प्रति गम्भीर नहीं है। जब जलदाय मंत्रीजी अपना जवाब देंगे तो मैं चाहूंगा कि यदि मैंने गलत कहा है तो मुझे दुरुस्त करें। पानी के लिए आप क्या-क्या योजनाएं बना रहे हैं, कितना पिछली बार खर्चा किया, इस बार आप कितना खर्चा करेंगे, यह सारी बात आप बताएं। (व्यवधान) बैठो आप। आप विराजो, महाराज। आपका जब टाइम आए तब बोलना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं क्योंकि जयपुर शहर से विधायक चुनकर आया हूं तो जयपुर शहर में पानी की क्या स्थिति है, पेयजल की क्या स्थिति है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में 35 लाख से ऊपर की आबादी है और इस आबादी में से लगभग 27 लाख के ऊपर की आबादी जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जयपुर शहर में लगभग 3 लाख 33 हजार पानी के कनेक्शन हैं और वर्तमान में 1843 ट्यूबवैल, 1983 हैंडपम्प और 2 हजार टैंकर्स के माध्यम से जयपुर शहर में पानी की सप्लाई जलदाय विभाग के द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जब राज आया तो 15 साल से इंतजार कर रहे थे बीसलपुर परियोजना का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुंधराजी को कि उन्होंने जयपुर शहर की पानी की समस्या को गम्भीर मानते हुए 1100 करोड़ की योजना स्वीकृत की। उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की, वित्तीय स्वीकृति जारी की और बीसलपुर परियोजना पर काम प्रारम्भ किया। 2009 में बीसलपुर परियोजना का काम पूरा हो गया परन्तु हमारे ...(व्यवधान) आप अपना टाइम

(श्री कालीचरण सराफ)

हो तब बोलना, बीच-बीच में क्यों बोल रहे हो? पता है नहीं आपको, किसी बात का। आप अपना नागौर का, कुचामन का टाइम आए, तब बोलना।

परन्तु हमारा दुर्भाग्य था, जयपुर शहर में बीसलपुर परियोजना पूरी हो गई, 1100 करोड़ रुपये खर्चा हो गया, पर पिछली बार बरसात नहीं हुई, उसके कारण आज स्थिति यह है कि बीसलपुर में केवल दो महीने का पानी बचा है। आज जयपुर शहर में पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। जयपुर के इतिहास में पहली बार पानी की राशनिंग की गई है। माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद राजस्थान के इतिहास में पहली बार जयपुर शहर में, जयपुर में जहां पहले दो बार पानी आता था, आज केवल एक बार पानी आ रहा है। आज स्थिति यह है कि जयपुर शहर में प्रति दिन 42.5 करोड़ लीटर पानी की मांग है, 40.2 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है, प्रति व्यक्ति 147 लाख लीटर प्रति दिन हम दे पा रहे हैं और बीसलपुर से केवल 50 एमएलडी पानी सप्लाई हो रहा है। इस बार भी यदि मानसून कमजोर रहा और दो महीने बाद बीसलपुर का पानी समाप्त हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगी तो जयपुर शहर में पेयजल की कितनी किल्लत होगी, इसकी कल्पना करने से भी सिहरन आ जाती है। माननीय सभापति महोदय, यदि समय रहते जयपुर शहर की पेयजल समस्या के बारे में गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो मुझे यह कहना पड़ रहा है कि पांच साल में जयपुर शहर का भूजल भी समाप्त हो जाएगा। हम यह सोच रहे थे कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर और आज जिस प्रकार से पेयजल की किल्लत जयपुर में हो रही है, निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट भाषण में जयपुर की पेयजल समस्या के बारे में कोई जिक्र करते। पर मुझे अफसोस है यह कहते हुए, जयपुर का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे बहुत खेद हो रहा है इस बात पर कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में एक शब्द भी जयपुर शहर की पेयजल समस्या के बारे में- उसका निराकरण किस प्रकार से होगा, बीसलपुर की योजना का विकल्प क्या है, उनकी क्या योजना है, इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। बीसलपुर में पानी समाप्त हो रहा है, दो महीने का पानी है, यदि इस बार मानसून में बरसात नहीं आई तो और भी स्थिति विकट हो जाएगी। जयपुर शहर के लिए योजना बनाई गई थी कि 2025 तक बीसलपुर बांध से जयपुर में पानी लाया जाएगा और 2025 से चम्बल से जयपुर शहर में पानी लाया जाएगा, तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस बात पर

(श्री कालीचरण सराफ)

गम्भीरता से विचार करे और चम्बल से जो 2025 तक पानी लाये जाने की योजना थी जयपुर में, क्योंकि आज बीसलपुर में पानी नहीं है, तो इस योजना पर काम करे। चम्बल से जयपुर में जल्दी से जल्दी पानी किस प्रकार से लाया जा सकता है, जयपुर शहर की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए चम्बल से पानी लाया जाए, इस बात की योजना गम्भीरतापूर्वक बनाएं जिससे जल्दी से जल्दी जयपुर में वहां से पानी आ सके।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से जयपुर शहर में भूजल का दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से जल स्तर निरन्तर नीचे चलता जा रहा है, जयपुर में पेयजल समस्या के समाधान के लिए हमें कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। राजनीति से ऊपर उठकर हमें कुछ इस प्रकार के फैसले करने होंगे जो निश्चित रूप से कड़े तो होंगे, जनता में उसकी आलोचना भी होगी परन्तु जयपुर के लिए इस प्रकार के फैसले लिया जाना आवश्यक है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि जयपुर शहर में जेडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग जो सड़कें बनाते हैं और दोनों तरफ फुटपाथ बनाते हैं, पक्की कर देते हैं, सरकार की तरफ से जेडीए, पीडब्ल्यूडी को, नगर निगम को ये निर्देश दिये जाने चाहिए कि जो सड़क बनाई जाए उसके दोनों तरफ जो फुटपाथ की जगह है, वह कच्ची छोड़ी जाए जिससे कि पानी जमीन में जा सके। दूसरा सुझाव मैं देना चाहूंगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग सभी घरों के लिए अनिवार्य किया जाए। माननीय सभापति महोदय, चेन्नई में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को सभी घरों के लिए अनिवार्य किया गया, सरकारी कार्यालयों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया गया, बैंगलोर में किया गया, उसका यह परिणाम है कि चेन्नई और बैंगलोर का जल स्तर ऊंचा आ गया। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि वोटों की राजनीति से दूर हटकर जयपुर शहर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया जाए, हर घर के लिए अनिवार्य किया जाए जिससे कि पानी रीचार्ज हो सके और हमारे जयपुर शहर का भूजल स्तर बढ़ सके।

इसी प्रकार से अभी जयपुर में सीवरेज का पानी लाखों एमएलडी, क्या होता है, बेकार जाता है। आज जयपुर शहर में बड़े-बड़े उद्यान हैं, सेंट्रल पार्क है, जवाहर सर्किल है, जो बड़े-बड़े उद्यान हैं, मेरी यह मांग है, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकार जयपुर का सीवरेज का पानी है, आज यह वेस्ट जाता है, उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और उससे जो पानी साफ हो, वह पीने के काम तो

(श्री कालीचरण सराफ)

नहीं आ सकता है परन्तु उस पानी का उपयोग उद्यानों में, जवाहर सर्किल है, सेंट्रल पार्क है, इस प्रकार के जो उद्यान बने हुए हैं, उनमें निश्चित रूप से किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में रामगढ़ की झील, तालकटोरा, जलमहल, मावठा, ये जो स्थान हैं, जल स्रोत हैं, कभी समय था जब ये लबालब पानी से भरे रहते थे, परन्तु आज रामगढ़ झील के कैचमेंट एरिया में सैकड़ों की तादाद में एनीकट ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट। सैकड़ों की तादाद में एनीकट बन गये। इसी प्रकार से तालकटोरा, मावठा है, जल महल है, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था जिससे कि पानी जाता था, आज उसमें अतिक्रमण हो गया। मैं कहना चाहूंगा कि कड़ाई से सरकार इस बात का फैसला ले और जयपुर में जो जल स्रोत हैं जिनमें पानी लबालब रहने से जल स्तर बढ़ता था, उनके ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और उसमें जो अतिक्रमण हो रखे हैं उनको निश्चित रूप से हटाया जाए।

इसी प्रकार से जयपुर की जीवन रेखा के रूप में द्रव्यवति नदी जयपुर के बीच में से बहती थी, वह धीरे-धीरे नदी का स्वरूप खोते-खोते आज अमानीशाह के नाले के रूप में परिवर्तित हो गई। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जयपुर की यह जीवन रेखा है, इस नदी की चौड़ाई तय करके उसको दोनों तरफ से पक्का किया जाए और उसमें जो अतिक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रभावशाली व्यक्तियों के हों, उनको निश्चित रूप से तोड़ दिया जाए। उस नदी में यदि पानी बहेगा, स्वच्छ पानी बहेगा तो निश्चित रूप से जयपुर शहर का जल स्तर ऊंचा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि जयपुर शहर में लगभग 5 हजार ट्यूबवैल्स हैं, मैं यह तो नहीं कहता कि प्राइवेट ट्यूबवैल्स पर आप प्रतिबंध लगाएं पर उनमें से एक हजार से ज्यादा ट्यूबवैल इस प्रकार के हैं जिनका कमर्शियल उपयोग हो रहा है। जैसे मॉडल टाउन में कुछ ट्यूब वैल हैं उससे टैंकर भरकर लोगों को सप्लाई करते हैं, पानी बेचा जाता है। ऐसे ट्यूबवैल जिनका कमर्शियल उपयोग करते हैं, उनको निश्चित रूप से बन्द किया जाना चाहिए, जब्त किया जाना चाहिए। सरकार उनको अपने हाथ में ले, यह मैं सुझाव देना चाहूंगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार जब विधान सभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि जयपुर शहर में दूषित पानी नहीं पीने दिया जाएगा, दूषित पानी से किसी भी प्रकार से मौत नहीं होने दी जाएगी, दूषित पानी के जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। हमारे यातायात मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, जब जयपुर में एक-दो घटना दूषित पानी की किसी मोहल्ले में हो गई थी तो वहां जाकर उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाये थे, बीमार हो गये थे लोग। पर मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आपके इस 15 महीने के शासनकाल में जयपुर शहर में दूषित...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): घड़ियाल को आंसू बहाते हुए देखा है क्या, माननीय सदस्य?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): देखा है। मैंने देखा कि आप टाइम बढ़ा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 15 महीने हो गये इस कांग्रेस की सरकार को आये, दूषित पानी की आये दिन जिस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कभी सुभाष कालोनी सांगानेर में दूषित पानी, कभी अम्बाबाड़ी में किशनबाग में दूषित पानी, कभी सेन कालोनी, कभी बापू नगर, कभी मालवीय नगर, कभी बनीपार्क.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समअप करो आप। इतना समय लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं दो मिनट और बोल लूं, दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

दूषित पानी से कई मासूम लोगों की मौत हो गई। यदि सबसे पहले सुभाष कालोनी में दूषित पानी से मौत हुई थी उसी समय सरकार गम्भीर हो जाती तो आज यह स्थिति नहीं होती। आज ही आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा, चूड़ी वालों के मोहल्ले में दर्जन भर से अधिक बीमार, दूषित पानी ने ली महिला की जान, 10 दिनों से क्षेत्र में दूषित पानी की शिकायत, जलदाय विभाग ने भी इसको स्वीकार किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि आज दूषित पानी के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, सैकड़ों की

(श्री कालीचरण सराफ)

संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए और जिस इलाके में दूषित पानी आता है उसमें जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। वहां जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार पूरे जयपुर शहर की जो पानी की पाइप लाइनें हैं, उनका सर्वे कराए, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं उनको बदलने का कार्य करे, सीवर लाइन के साथ पानी की पाइप लाइनें जा रही हैं उनको वहां से हटाए। यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी तो निश्चित रूप से जयपुर शहर में दूषित पानी से निजात मिलेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो। माननीय सदस्य, समअप करो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक सैकण्ड और लेना चाहूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में कई लोगों ने राइजिंग लाइन से कनेक्शन ले रखे हैं, हजारों की संख्या में अवैध कनेक्शन हैं, पानी की चोरी हो रही है। जयपुर शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए जो अवैध कनेक्शन हैं, उनको अभियान चलाकर काटा जाना चाहिए। जिन लोगों ने राइजिंग लाइन से कनेक्शन ले रखे हैं उनको हटाया जाना चाहिए। पानी की चोरी करते हुए यदि कोई पकड़ा जाए, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यदि इस प्रकार की कार्यवाही राजनीति से ऊपर उठकर सरकार करेगी तो निश्चित रूप से जयपुर शहर की पेयजल समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भंवरू खान।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बिजली, पानी और अकाल पर चर्चा हो रही है उसमें मैं भी कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जलदाय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा राजस्थान इस पानी की बात को लेकर चिंतित है। साल प्रति साल वर्षा के कम होने के कारण पानी नीचे जाता जा रहा है और हर जगह पानी की समस्या भयंकर रूप से उत्पन्न होती जा रही है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अपने 237 ब्लाक में से 200 ब्लाक सूख चुके हैं, डार्क जोन हो चुके हैं, मात्र 37 ब्लाक बचे हैं जहां पानी है, मैं चाहूंगा कि निर्मल ग्राम योजना के तहत गांवों में सोकपिट

(श्री भंवरू खान)

बनाकर जो व्यर्थ पानी बहता है उस पानी को उसमें डाला जाए तो एक तो स्वच्छता होगी और जो पानी व्यर्थ बहता है वह पानी जमीन में जाने से वाटर सोर्स ऊपर आएंगे। ऐसी व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से कराएं और मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इस पर ध्यान दें।

हैण्डपम्प बहुत सारे खोदे जाते हैं और चंद दिनों में ही खराब हो जाते हैं। हैण्डपम्प जो विभाग द्वारा खोदे जाते हैं, उनकी कास्ट 75 हजार रुपये आती है और प्राइवेट कम्पनियां 40 हजार रुपये में 3 एचपी की मोटर सहित ट्यूबवैल तैयार करके देती हैं। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि हैण्डपम्प कोई ज्यादा दिन तक चलने वाली चीज नहीं है। आज हजारों हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, हैण्डपम्प मिस्त्री ठीक करने के लिए जाते हैं, वो ठीक करके आते हैं और दूसरे-तीसरे दिन वापस रिपोर्ट आ जाती है कि हैण्डपम्प खराब हो गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस हैण्ड्पम्प की जगह सिंगल पाइंट ट्यूबवैल खोदे जाएं तो लोगों को सुविधा मिलेगी।

इसी प्रकार से कुओं में जो डीसीबी की जाती है, सरकार द्वारा डीसीबी में दो लाख रुपये का खर्च आता है और प्राइवेट कम्पनी वो ही डीसीबी 80 हजार रुपये में खोदती है, मैं चाहूंगा कि उसमें भी ध्यान दिया जाए।

ट्यूबवैल विभाग द्वारा खोदे जाते हैं उनकी कास्ट साढ़े तीन लाख रुपये की आती है जबकि प्राइवेट कम्पनी दो लाख रुपये में ट्यूबवैल खोदती है और एक साल की गारंटी लेती है, तो मैं चाहूंगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए।

इसी प्रकार से वाटर वर्क्स की मोटरें हैं वो हर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में जल जाती हैं। ठेकेदार 6 महीने की गारंटी तो लेते हैं लेकिन जिन गांवों में सिंगल सोर्स है, वहां वो कुएं बंद हो जाते हैं तो 10 दिन तक ठीक नहीं करते हैं जिससे वहां बड़ी समस्या होती है। मैं चाहूंगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए, मोटरें अच्छी क्वालिटी की अच्छे ठेकेदारों से बंधाई जाएं और उनको पाबंद किया जाए कि मोटरें कम से कम साल-डेढ़ साल तक तो चलें।

इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फतेहपुर शहर में सन् 1972 में जो लाइनें डाली हुई थीं, वो लाइनें आज भराव आते-आते 15 से 50 फीट नीचे चली गईं और कुछ लाइनें बन्द भी हो गईं...

(समय 13.39 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं चाहूंगा कि उसमें भी

(श्री भंवरू खान)

ध्यान दिया जाए। पिछले 6-7 साल से फतेहपुर शहर में एक फीट भी पाइप लाइन विभाग द्वारा नहीं दी गई है। 6-7 साल में आबादी भी बढ़ी है, कच्ची बस्तियां भी बढ़ी हैं, मैं चाहूंगा कि उस पर ध्यान दिया जाए और पाइप लाइन की व्यवस्था की जाए। आजकल विभाग द्वारा ठेकेदारों से निविदा के आधार पर लाइन डलवाई जाती है, वह ठेकेदार स्वयं पाइप खरीदकर लाता है और वही पाइप डालता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वह पाइप घटिया किस्म की लाता है, डालकर जब पानी चालू करते हैं तो वह लाइन फट जाती है और व्यर्थ पानी बहता रहता है। फिर विभाग को बार-बार फोन करते रहो। वे ठेकेदार को ढूंढते रहते हैं, ठेकेदार मिलता नहीं है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए और अच्छी क्वालिटी की पाइप लाइन डलवाई जाये तो समस्या का समाधान हो सकेगा।

कुछ गांवों में सिंगल सोर्स जहां हैं, मैं चाहूंगा कि वहां एक-एक सोर्स और बढ़ाया जाए। गांवों में लाइट कम आती है, मात्र 5-6 घंटे आती है। गांव की आबादी बढ़ गई, वहां अगर कोई कुआ खराब हो जाए तो 6-7 दिन वे लोग इधर-उधर से पानी लाते हैं। तो जिन गांवों में सिंगल सोर्स है, वहां एक-एक सोर्स और बढ़ाया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बैसवा गांव है जिसकी आबादी 10,000 से ऊपर है, वहां दानदाताओं द्वारा उच्च जलाशय बनाया हुआ है। मैंने, मंत्री महोदय, आपको लिखकर भी दिया हुआ है, उसको आपका विभाग टेक-ओवर करके पानी से जोड़कर गांव में पानी की सप्लाई चालू करे, वहां पानी की काफी समस्या है। 10,000 की आबादी का गांव है, एक उच्च जलाशय जो पहले बनाया हुआ है, वह भी गांव वालों ने अपने ही जन सहयोग से बनाया हुआ है, दूसरा जो सोर्स बनाया हुआ है, उसको जोड़ने के लिए आप अधिकारियों से कहें ताकि वह पानी की टंकी जोड़ी जाए, गांव को पानी उससे मिले।

इसी प्रकार से मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि जब से ये विद्युत कम्पनियां बनी हैं, कर्मचारी लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। मीटर से छेड़छाड़ कर देते हैं और फिर जाकर उनकी वी.सी.आर. भर लेते हैं। यह एक आम बात है। मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस ओर ध्यान दें। एक आम शिकायत बन गई है, उपभोक्ता इस बारे में हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। गांव में सिंगल फेस ट्यूबवैल चाहे विभाग द्वारा खोदा जाए या कोई उपभोक्ता स्वयं खोदे, उसको कनेक्शन नहीं देते हैं। इस बारे में आप ध्यान दें।

(श्री भंवरू खान)

जहां ढाणियां हैं या कोई मोहल्ला है, उसमें सिंगल फेस की मोटरें उपभोक्ता स्वयं खोदे या वाटर वर्क्स स्वयं खुदवाए, उसमें भी लाइट नहीं देते हैं तो उसकी व्यवस्था की जाए, सिंगल फेस की लाइट अलग से दी जाए।

विद्युत सुधार कार्यक्रम में फतेहपुर शहर के अन्दर बहुत सारे पोल पुराने समय से रोपे हुए हैं लेकिन शहर में भराव आने के कारण वे पोल नीचे हो गये और तार भी नीचे हो गये। हर समय तारों से दुर्घटना होने की आशंका रहती है, मैं चाहूंगा कि ऐसे विद्युत सुधार के कार्यक्रम चलाकर कार्यवाही की जाए। अभी प्रशासन शहरों की ओर अभियान चला लेकिन उसमें काम कुछ भी नहीं हुआ, यह एक आम बात थी। नगरपालिका के पार्षद और चेयरमैन लिखित में भी दे रहे थे और मौखिक भी कह रहे थे कि प्रशासन शहरों की ओर केवल अभियान ही है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस ओर भी ध्यान देकर जो पोल नीचे हैं या कोई डी.पी. भीड़भाड़ की जगह पर है, उसको सही जगह पर रखवाने की कोशिश करें।

कृषि कुओं के ऊपर शिकायतें आम बात हो गई है। जिस किसान के 10 एच.पी. का कनेक्शन है, आपकी टीम जाकर उसको चैक करती है और उसको बाध्य कर देती है। कहती है आपके तो 12.5 एच.पी. की मोटर चलती है, तो वह किसान कहता है कि मेरे मोटर 10 एच.पी. की है, आप चैक कर लो। वे जिद करते हैं और उसकी वी.सी.आर. भरने तक की नौबत आ जाती है। 10 एच.पी. का कनेक्शन है, लेकिन वे जाकर कहते हैं कि आपके तो 12.5 एच.पी. की चल रही है, हमारे लोड 12.5 एच.पी. का बता रहा है। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो।

गांवों में शाम के वक्त करीब-करीब लाइट काट देते हैं और जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वे कहते हैं कि एल.टी. मैसेज आ गया। एल.टी. मैसेज आ गया, हमने तो लाइट काट दी, आप जयपुर बात करो। अब जयपुर यहां किससे बात करें? कोई टेलीफोन उठाता नहीं। उठाता है तो बात नहीं करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह एल.टी. मैसेज, क्या बीमारी है? पता नहीं, पर हमेशा काट देते हैं और बात करते हैं तो कहते हैं कि एल.टी. मैसेज आ गया। इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। परीक्षा का समय है, गर्मी का समय है, रात में गांव में लाइट नहीं देने से लोगों में बड़ा आक्रोश होता है। कोई बीमार भी होता है, कई बूढ़े-ठेरे भी होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि रात के समय में सिंगल फेस लाइट दी जाए जिससे लोगों को सुविधा मिले।

(श्री भंवरू खान)

मैं अकाल राहत मंत्रीजी से भी थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा, फतेहपुर भयंकर अकाल की चपेट में है। फतेहपुर पूरा इलाका चूरू जिले की सीमा से जुड़ा हुआ है और हर वर्ष हर वक्त अकाल की चपेट में रहता है। फिलहाल पूरी फतेहपुर तहसील में तीन डिपो खुले हुए हैं। अब 116 गांव हैं, दो शहर हैं, 8-7 गौशालाएं बनी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि आप शिथिलता प्रदान करते हुए चारा डिपो खोलने की व्यवस्था करें। ग्राम पंचायत चारा डिपो खोलना नहीं चाहती, जी.एस.एस. चारा डिपो खोलना नहीं चाहती। मात्र दो गौशाला हैं, उनमें चारा डिपो खोल रखे हैं, वे केवल अपनी गायों के लिए चारा मंगाते हैं, वे कोई गरीब और किसानों को चारा देते नहीं हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें कोई शिथिलता प्रदान करें और कोई एन.जी.ओ. वगैरह चारा डिपो खोलना चाहे या कोई और संस्था खोलना चाहे तो उसको नियमों में कोई छूट करके जैसे भी आप चारा डिपो खोलने की कोशिश करें। क्योंकि दुधारू पशु को तो किसान बचा लेगा, वह कहीं से भी लाकर बचा लेगा, लेकिन जो आवारा पशु फिर रहे हैं, वह कोई भी पशु नहीं बचेगा। जब ये गायें नहीं बचेंगी तो अपना भी बचना मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि कम से कम हर ग्राम पंचायत या दो पंचायतों के बीच में एक चारा डिपो खोला जाए। कई दानदाता ऐसे हैं जो आवारा पशुओं के लिए चारा डलवाने के लिए अपनी मंशा रखते हैं, तो चारा डलवाकर उनको बचाया जा सकता है।

जैसे अकाल राहत के अन्दर राशि डवटेल करके पक्के काम कराये जाते हैं, इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि एम.एल.ए. लैड, एम.पी. लैड या अन्य किसी मद से राशि को डवटेल करके नरेगा में पक्के काम कराये जाएं तो पैसे का भी उपयोग होगा और अच्छे काम भी होंगे। मैं आपसे यह भी थोड़ा हटकर कह रहा हूं, इस पर थोड़ा ध्यान दें।

फतेहपुर के लिए मैंने कई बार लिखित में भी, मंत्रीजी, आपको दिया है, फतेहपुर की आबादी काफी बढ़ चुकी है, करीब एक लाख की जनसंख्या हो गई है। वहां पर पहले एक सिंघानिया वाटर वर्क्स सप्लाई चलती थी, एक बूबना वाटर वर्क्स सप्लाई प्राइवेट चलती थी। वह उन्होंने बंद कर दी। बंद करने के बाद जो लोग वहां का पानी पीते थे, जिनके उस सप्लाई से कनेक्शन थे, उनके पानी की दिक्कत पैदा हो गई। अधिकारियों से कहकर वहां या तो किसी लाइन से उनको जोड़ा जाए या कोई नया ट्यूबवैल खोदकर उनको पानी दिया जाए, यह मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री भंवरू खान)

मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, और भी फतेहपुर में 2-3 संस्थाएं ऐसी हैं जो प्राइवेट चलती हैं, अगर वे प्राइवेट संस्थाएं नहीं हों तो विभाग द्वारा पानी पिलाना असम्भव हो जाता है। तो आप लोग कुछ पाइप लाइन देने की भी मेहरबानी करें और कुछ ट्यूबवैल भी देने की मेहरबानी करें। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुन्दर लाल जी।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): सभापति महोदय, बिजली, पानी और अकाल पर चर्चा है, सारे देश में कई चीजें तो घटी हैं और कई बढ़ी हैं। इस धरती माता पर सबसे ज्यादा पाप बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, जनसंख्या बढ़ी है, भाव बढ़े हैं और पानी घटा है। इसलिए हमारे अलग-अलग जिले की स्थिति अलग है। हमारे पंचायत समिति भुवाना, सूरजगढ़, चिड़ावा में डार्क जोन घोषित कर दिया। जो किसान खेत में चालीस साल से बस गये, अब खतम हो गया। न तो कुआ खोदने दें और घर के जो मकान थे वे ढह गये और खेत में मकान बना लिये, अब वे जाकर बाबाजी बनें, क्या करें, उनके मुश्किल हो रही है। ऐसी दिक्कत कहीं नहीं है। खेत में पांच-पांच लाख का मकान बना लिया, पानी है नहीं और खोदने देते नहीं। यदि कोई रात-ब-रात खोदे और पैसा दे दे तो भले ही, नहीं तो फिर उसकी मशीन बंद कर लेते हैं। इसलिए इसमें मैं जल संसाधन मंत्रीजी से कहूंगा कि हमारे कोई न कोई ऐसा संशोधन करें कि किसान बचे। किसान बचने की स्थिति नहीं है क्योंकि वह खेत छोड़कर घर तो आ नहीं सकता। और घर नहीं आवे तो पानी कहां? जो बीस साल से कनेक्शन है, कोई तो संशोधन करके उनको कहो कि किसी तरह से वह उसमें रह सकें। तय कर लो कि भई, दस साल से पहले का कनेक्शन है वह वहां रहेगा या पन्द्रह साल से कनेक्शन है वह रहेगा। वह आदमी जाये कहां, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यह है।

उसके बाद पिलानी और चिड़ावा में ट्यूबवैल कम हो रहे हैं। पीछे टंकी पर लिखते हैं मीठा पानी उपलब्ध, मीठा पानी उपलब्ध। बाद में लेकर वह आता है, पानी चाहे जोहड़ में से ही लाए पर उस पर मीठा पानी लिखा हुआ मिलेगा। उसमें से घड़े भरवा लेते हैं। इसलिए आप पानी की व्यवस्था किसी तरह से भी करो, ताकि लोगों को पानी मिले। बारी का बास में शिड्यूल्ड कास्ट के पचास घर हैं, अब के एक एप्लीकेशन दी है उनको पानी नहीं है। तोरोड में साठ घर

(श्री सुन्दरलाल)

ऐसे हैं जिनको पानी नहीं है। पिलानी में दो ऊपर की टंकियों की आवश्यकता है, दो-तीन वर्ष से चल रहा है, वह पानी नहीं है। कहते हैं तो आप यह कहते हो कि पिछली सरकार से नहीं करवाया। अब यह बदले की भावना से कह दो कि तेरा धणी मरेगा, वह कह दे तेरा घर वाला मरेगा, यह कहने से कोई फायदा नहीं है। जब मौके पर काम हो न, उसको करना...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सदस्य महोदय को मैं बताना चाहूंगा, मैं स्वयं पिलानी गया था, पिलानी का भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि ट्यूबवैल खोदा एक हमने कि उस कालोनी को पानी मिले, तीन महीने के अन्दर वह भी जलस्तर नीचे चला गया।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि पहले ही चला गया, पानी और भी नीचे जा रहा है। लेकिन पानी पीने की व्यवस्था तो आप ही करोगे। पानी बहुत नीचे चला गया, मैं खुद ही कह रहा हूं। नहीं तो खेतों में पानी था, लोगों के कई लाख की सरसों हुआ करती थी। अब बैठे-बैठे देखते हैं, सरसों ही नहीं हो रही है। इसलिए जो भी कर सकें, पानी के ऊपर व्यवस्था करें।

एक बिजली के लिए अकाल राहत मंत्री, बिजली मंत्री और जलदाय मंत्री, तीनों ही से है, दो तो जिले के ही हैं, बिजली वाला मामला है न, यह ठेका सिस्टम लगाने के बाद बिजली के हालात खराब हो गये। (व्यवधान) इसलिए आप ठेके वालों को थोड़ा-सा...(व्यवधान) यह कह देंगे कि महीने में कर देंगे, दो महीने में कर देंगे। एक खेत में बस गया आदमी तो उसको कहते हैं, तेरे को कनेक्शन नहीं देंगे। जब कुआ था, लेकिन उसके बाद में खेत वाले को कनेक्शन नहीं देते। जो खेत में बस गया तो उसको कनेक्शन तो लागू करवाइये। पांच घर बस गये लेकिन आप अलाउ नहीं। गांव में नहीं होते, इसलिए उसका कनेक्शन नहीं मिलता है।

एक माननीय सदस्य: ढाणियों के लिए है न, लाइट वाले कनेक्शन की बात है।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): वही। वह लाइट वाला कनेक्शन है न, वह उसके घर में बस रहा है, मकान है उसके, परन्तु वह लाइट का कनेक्शन नहीं देते। बिजली कुओं पर इतनी बार उसके रहे और घर का लाइट का कनेक्शन है नहीं। इसलिए इसमें भी व्यवस्था करें। फिर ढाणी वाले को कहो कि यह तो

(श्री सुन्दरलाल)

गांव में से है, वोट उनके भी पड़ते हैं इसलिए उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में सूरजगढ़ क्षेत्र था पहले, अब पिलानी आ गया, सबसे ज्यादा समस्या पिलानी और चिड़ावा में है पानी की। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी व्यवस्था करें और नीचे अधिकारियों को थोड़ा-सा टाइट करें। आपके आदेश के बाद भी उसको वहां नहीं लगाकर दूसरी जगह लगा देते हैं। मैंने आपको अर्ज भी किया है कि दूसरी जगह लगा दिये, कि मेरे पर दबाव है किसी का। पता ही नहीं लगता, किसका है। इसलिए आपके जो आदेश हों, कलम को थोड़ी सी मजबूत करो। आपके पिताजी की कलम तो बहुत मजबूत थी, वह तो जो कह देते मदेरणाजी, उसके बाद में कोई सरका नहीं सकता था। अब आप भी उसी रफ्तार पर चलो ताकि लोगों को पता चले कि खानदानी सही हो रहा है काम। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उनको जब भी कभी कागज दिया, उसका जवाब भी और काम भी। इसलिए आप मेहरबानी करके जो आपसे मैंने प्रार्थना की है, उनमें पानी की व्यवस्था करें।

हमारे अकाल राहत मंत्री से कहूंगा कि अपने चारा डिपो खुल ही नहीं रहे हैं। 1993-94 में यह कहा था कि पिलानी क्षेत्र के 35 गांवों को नहर से पानी देंगे ताजेवाला हैड से। वह 1993-94 में कहा था और अब तो दस की साल आ गई, अभी तक जिक्र ही नहीं आया पानी का। जब तक झुंझुनूं, चूरू को आप नहर से जोड़ेंगे, लोग तिसाये मरेंगे। आप खुद ही कह रहे हो कि पिलानी मैं खुद जाकर आया हूं, वास्तव में पिलानी का पानी, पूरे क्षेत्र का, बहुत नीचे चला गया और उसको कोई संभालने वाला ही नहीं है। आप हर साल कहते हो कि अब के नहर आएगी, अब के नहर आएगी और हुआ कुछ नहीं, नहर का जिक्र ही नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में ही रोला मच रहा है, वहां ही पानी नहीं है तो हमारे को कहां से दोगे? हमारे सहारे ही 9 किलोमीटर पर है धोद बलावा, वहां सारे दिन पानी नहर का चलता है। 9 ही किलोमीटर है, पचेरी से 7 किलोमीटर पर है, वहां सारे दिन नहर चलती है, गर्मी-गर्मी में तो खूब चलती है। और हम छह किलोमीटर पर तिसाया मरते हैं। इसलिए आप कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जो खेतों का पानी नहीं मिले तो पीने का पानी तो मिले। पीने का पानी आप दे सकते हो तो उसकी जरूर व्यवस्था करें। अलग-अलग क्षेत्र की अलग-अलग व्यवस्था है, कहां कोई व्यवस्था है। यहां तो जयपुर की अलग व्यवस्था है, बाहर गांव की अलग व्यवस्था है। किसान को जो काम है न, वह खेत का ही काम है, और दूसरा कोई काम ही नहीं है। अब खेत में

(श्री सुन्दरलाल)

किसान बैठा है, वह आप नीचे खोदने नहीं देते, तो यह आप प्रस्ताव किसी तरह भी लो कि पन्द्रह साल से जिस किसान के खेत में कनेक्शन है, उसको गहरा करने की अनुमति दी जाएगी। तो वह उसमें, चाहे चार सौ हाथ जाए, चाहे दो सौ हाथ जाए, वह पानी कर सकता है और पीछे आराम से रह सकता है। हमारे नौ सौ फीट नीचे इतना पानी है, खूब पानी है, कई जगह पर अपने ट्यूबवैल तो खुद जाते हैं पर किसान को नहीं खोदने देते। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रख करके लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दें। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पानी की, बिजली की और अकाल, यह पता नहीं कुदरत क्या करती है, जब राज कांग्रेस का आता है तो अकाल पहले आता है। यह पहले छिपा बैठा रहता है, इसके क्या जच रही है, क्या हिसाब-किताब बैठा रखा है, क्या भायलाचारी कर रखी है, यह फटाक से ही तैयार रहता है। जब भी राज आता है न, तो पहले ही तैयार हो जाएगा, कि मैं आऊंगा ये आएंगे तो। इसलिए क्या जचा रखा है, भायलाचारी से क्या गुड़ बैठा हुआ है, यह पता नहीं पड़ रहा है। इसलिए इस मामले में भी कोई हवन-ववन करवा कर भगवान का नाम लेकर इसकी व्यवस्था करें कि हमावती हमारे साथ छाती क्यों आती है, और कहीं कोई न जाओ। धन्यवाद, राम-राम।

श्री सभापति: कर्नल सोनारामजी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): सुंदरलालजी, माननीय विधायकजी कह रहे थे, आपके उधर नौ सौ फीट नीचे मीठा पानी है तो हमारे उधर उलटा कैसे है। मैंने पहली बार नौ सौ फीट का ट्यूबवैल करवाया, समुद्र रहता है, पानी आ गया और पूरा खारा आ गया।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): हमारे मीठा है तो।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): हां, तो वह कुछ भौगोलिक स्थिति है।

श्री सभापति: कर्नल सोनारामजी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, आज जो आपने पेयजल, अकाल राहत और विद्युत पर चर्चा रखी और मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। पेयजल की समस्या वास्तव में गम्भीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज राजस्थान पानी के अकाल से जूझ रहा है, जैसा कई साथियों ने बताया, मैं खास करके मेरा इलाका बायतू और कुछ बाड़मेर-जैसलमेर के बारे में पेयजल की और दूसरी जो समस्याएं हैं, उनके बारे में

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

आपसे दरख्वास्त करूंगा। जब हम कहते हैं, पेयजल की समस्या गम्भीर है, तो भूमिगत जो पानी का स्तर नीचे जा रहा है, जो हैण्डपम्प हैं या ओपन वैल्स हैं, उस इलाके के अन्दर पानी नीचे जा रहा है। जो पानी की स्कीमें बनी हुई हैं क्योंकि बाड़मेर में तो स्रोत बहुत कम हैं, मेरे बायतू में एक ऊंडू स्कीम है, वहां पर 110 किलोमीटर दूर पाइप लाइन जाती है, वह तीस-पैंतीस साल पुरानी है। इंजीनियर खुद मानते हैं कि इसकी लाइफ खतम हो जाती है। हर एक की

(समय : 16.00 बजे)

लाइफ होती है। आखिर में पानी पहुंचता नहीं है, बीच में उसमें कई जगह पेड़ के रुस अन्दर आ गये हैं। रख-रखाव कर रहे हैं पर जितना होना चाहिए, उतना नहीं है। इंजीनियर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, गाड़ियां नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सभापति महोदय, मेरे बायतू की मैं बात करता हूं, उसके लिए कुछ बड़ी स्कीमें बनीं, एक तो बनी ऊंडू जोगेसरिया की, दूसरी बनी उंडू से होती हुई सोमेसर। एक करीब 11 करोड़ की है, दूसरी करीब 6 करोड़ के ऊपर की है। दोनों स्कीमें करीब ढाई साल पहले स्वीकृत हुईं परन्तु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। एक छोटी-सी स्कीम और है पंदावड़ा साई की ढाणी, हीरे की ढाणी, करीब ढाई करोड़ की है। मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, हालांकि मंत्रीजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं हो रहा है। मैं सैक्रेटरी साहब से भी मिला, 8-10 महीने पहले मिला। हैण्डपम्प स्वीकृत किये पहली फेज में, पहली फेज में हमको पैसे मिले करीब 1 करोड़ रुपए हर एम.एल.ए. को, हैण्डपम्प स्वीकृत हुए, परन्तु मैं कहना चाहता हूं, अभी तक हैण्डपम्प पूरे नहीं हुए। फेज-2 में सिर्फ 25 लाख हर एम.एल.ए. को मिले। तो मैं मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि पैसे नहीं हैं। जहां पानी की बात आती है उसके अन्दर आप लोगों को कुछ करना चाहिए To provide safe drinking water to people is a primary responsibility of the government. It is a fundamental right to demand drinking water. यह मूल अधिकार है हमारा। हम कह देते हैं, नहीं वहां पानी नीचे चला गया, वह हो गया। मेरे ख्याल में यह अगर कोई स्टेट कहती है तो यह उनके मूल अधिकार के ऊपर घात है। मैं मानता हूं, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक जल नीति बनाई है और जल नीति में उन्होंने कहा है, ''मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यगण जल नीति को लागू करने के लिए गम्भीरता से विचार करें और हमें सुझाव दें'', तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले मेरा सुझाव यह है कि इंदिरा गांधी

(श्री कर्नल सोनाराम चौधरी)

नहर से बाड़मेर की तरफ तीन लिफ्ट स्कीमें हैं- एक है बाड़मेर लिफ्ट, दूसरी है नासना-पोकरण-फलसूंड-हीरे की ढाणी-सिमदड़ी और तीसरी है उम्मेद सागर-कल्याणपुर-सिमदड़ी-खण्डप पेयजल। ये तीन जो योजनाएं हैं इनके तहत आप मेहरबानी करके ज्यादा फंडिंग करें। बाड़मेर लिफ्ट तो करीब-करीब पिछले 15 साल से मैं भी जब सांसद था बिरदी चन्दजी बेचारे बोलते-बोलते चले गये इस संसार से, वह हो जाएगी। दूसरी वाली जो उम्मेद सागर-कल्याणपुर के लिए इस साल आपने थोड़े से पैसे दिये परंतु मैं अफसोस के साथ आपको कहना चाहता हूं कि नाचना-पोकरण फलसूंड और बालोतरा- सिवाना यह स्कीम 2005 में 966 करोड़ की स्वीकृत हुई थी, पिछले पांच साल में इस पर सिर्फ 48 लाख खर्चा हुआ। इसकी तकनीकी स्वीकृति अप्रैल, 2007 में हुई 220 करोड़ की, मार्च, 2008 तक 13 करोड़ खर्च हुए। 2008-09 में सिर्फ 31 करोड़ हुए, 2009-2010 में 12 करोड़। इस साल 2010-11 में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि उस स्कीम में एक पैसा भी नहीं दिया गया। उस स्कीम से मेरे बायतू के अन्दर 380 कुल गांव हैं, 200 गांव आते हैं, सारे के सारे डार्क जोन में हैं, हमारे साथ क्यों इस तरह से अन्याय कर रहे हैं आप? मैंने शाले मोहम्मद जी यहां पर हैं वहां जाकर कहा, मैं इसमें आपको कहना चाहता हूं कि पैसे की पानी के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं यह मांग करुंगा, यह स्कीम जो है मेरी फलसूंड़ वाली-पोकरण-फलसूंड-बालोतरा इस साल फिर एलोकेशन देना चाहिए। हालांकि बजट कल पास कर दिया है पर इसमें रिवीजन हो सकता है। जीरो दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे जो वहां आयल निकला है जिससे रायल्टी मिल रही है, बायतू के अन्दर, बाड़मेर के अन्दर रायल्टी राजस्थान सरकार को मिल रही है क्योंकि यह ऑयल राजस्थान में निकला है। उसी बात को अगर आप कहें, उसी की एनोलोजी को लेकर कहें तो बाड़मेर में ऑयल निकला है, बाड़मेर में रायल्टी मिल रही है, शुरू -शुरू में प्रोडक्शन कम है, 1500 करोड़ फिर 2000 करोड़, फिर 3000 करोड़ उसके अन्दर कुछ शेयर, मैं मुख्य मंत्रीजी को यह कह चुका हूं, कुछ शेयर हमारी जो ये जो लिफ्ट हैं- बाड़मेर लिफ्ट, पोकरण लिफ्ट, इनके अन्दर पानी मिलना चाहिए। मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी 18 ट्यूबवैल जो काम कर रहे हैं, उसमें से 16 वैल बायतू के अन्दर हैं। मैं अगर शेयर मांगूंगा मेरे लोगों के लिए तो मैं यहां गलत नहीं हूं। इसलिए मेहरबानी करके नोट करके, मुख्य मंत्रीजी से भी मिलेंगे, इसको, सभापति महोदय, आप भी लें, यह मामला बहुत

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

गम्भीर है। बाड़मेर-जैसलमेर में पानी की बहुत समस्याएं हैं, आप हमारी इसमें मदद करें।

इसके साथ-साथ दूसरा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो आपके अधिकारी हैं, वहां पर इंजीनियर्स की बहुत कमी है। वहां वे जाते हैं जो ज्यादातर चार्जशीट वाले हैं, कहीं पसंद नहीं आते, उनको वहां भेज देते हैं। गाड़ियों की कमी हैं, हैल्पर नहीं हैं। तो उनकी आप सुविधा करें। मेरे ख्याल में मैंने कहा है आपको, आप उसमें इंतजाम करेंगे।

दूसरी जो समस्या है प्राथमिक जल स्रोत की है, वह हर जगह है। बाड़मेर ज़िले के अन्दर कुएं हैं, हमारे पूर्वज पानी पीते थे, उनमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम तो सिर्फ पाइप लाइन, होदियां बनाने में लगे रहते हैं। मेरा सुझाव है कि पुराने जो कुएं हैं उन कुओं के अन्दर, कई जगह हुआ है, बिजली लगाकर उसको आप वापस एक्टिवेट करें ताकि वहां से आपको पानी मिल सके। मेरे बायतू-बायतू में करीब 305 कुएं ऐसे हैं, उनमें से कम से कम 175 कुएं बंद हो सकते हैं। अभी आपने मुझे 60 हैण्डपम्प दिये, बड़ी मेहरबानी आपकी, स्वीकृत कर दिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): ...(व्यवधान) वे भी कैंसिल कर दिये। कैंसिल कर दिये ...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, हैण्डपम्प सबको दिये हैं, मेरे अकेले को नहीं दिये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य को ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) हमें मात्र दस-पन्द्रह हैण्डपम्प मिले हैं ...(व्यवधान) एक भी नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, कृपा करके विराज जाएं।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): वे तो कंटिंजेंसी के अन्दर हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, कृपया आप एक मिनट विराज जाएं। आप सब विराज जाएं...

श्री सुखराम (बसेड़ी): ...(व्यवधान) वहां पर भी कैंसिल कर दिया है धौलपुर के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अभी आप विराज जाएं, मंत्री महोदय से...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, यह 2006 की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप एक मिनट, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करुंगा कि जब आप इस पर जवाब दें, सारे सदस्यों के जो मन में आशंका है, और अगर, आदरणीय सदस्य, आप पर विशेष कृपा की है तो ...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मुझे खतम तो करने दो। मुझे खतम करने दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: संख्या को सीमित रखें, वर्ना यह मामला बहुत लम्बा-चौड़ा हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, अगर इस आधार पर हैण्डपम्प दिये गये थे ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) कंटिंजेंसी के नाम से एक पैसा मेरे क्षेत्र में नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) एक हैण्डपम्प नहीं दिया, हमें आपका संरक्षण चाहिए। सभापति महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पांवों पर है। आदरणीय, आसन पांवों पर है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मुझे बोलने का मौका, मुझे खतम करने दें।

श्री सभापति: आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं सबसे यह निवेदन करता हूं कि आप सबका इस सूची में नाम है, जिसको मिला है अगर वह बहुत बढ़-चढ़कर बोल रहा है तथा जिसको नहीं मिला है वह भी अपनी संख्या बता दे तो मेरे ख्याल से मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तब इस चीज का समावेश हो जाएगा।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): 60 हैण्डपम्प बाड़मेर ज़िले के दिये हैं, कंटिंजेंसी के अन्दर दिये हैं। ज़िले की बात कर रहा हूं मैं। व्यवधान)

श्री सभापति: अब इसमें आपस में डिबेट नहीं होगी। कोई भी सवाल या जो भी आपको कहना है, आसन के माध्यम से मंत्रीजी तक यह बात पहुंच जाएगी। मंत्रीजी से मैं उम्मीद करता हूं कि जब वह अपना वक्तव्य देंगे तो

(श्री सभापति)

सारी आशंकाओं का समाधान करेंगे। अब बगैर किसी व्यवधान के मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आदरणीय सदस्य को बोलने दिया जाए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, जो हैण्डपम्प मिले हैं, मैं उनकी समस्याओं की बात कर रहा हूं कि उसमें किस तरह से रोड़े पड़ते हैं, आदरणीय।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वो पूरे जिले की बता रहे हैं। ये फौजी आदमी हैं, पूरे जिले की बता रहे हैं, अकेले की नहीं।

श्री सभापति: हां, ठीक है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): जिले की बात कर रहा हूं। मैं तो, सभापति महोदय, क्या उसमें अड़चन है, वो बता रहा हूं। स्वीकृत तो हो गये, पर उसमें कई तो यह कहते हैं कि साहब यहां पर पानी डार्क जोन से नीचे है, पानी नीचे जो है साफ नहीं है, खारा पानी है, पशु मर जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी जगह पर पानी पीने लायक है, अगर इंसान नहीं पी पाएं तो कम से कम पशु पी पाएंगे। कहने का मतलब है कि अड़चने हैं। पर उम्मीद है कि हमारे मंत्रीजी और हमारी सरकार, उसमें यह रियायत है कि वहां का कलक्टर, वहां का विधायक या सांसद लिख कर दे देता है तो फिर ये इंजीनियर्स वगैरह उसको मान लेते हैं तो मैं इसको लिख कर दे दूंगा और मेरे खयाल से वो उस समस्या को दूर कर देंगे।

दूसरी कंटिंजेंसीज में जो पैसे हैं, वो तो मेरे खयाल से मैंने पहले कह दिया है। पहली फेज थी सितम्बर से दिसम्बर, जनवरी से मार्च लेकिन मार्च से जो अप्रैल है उसमें मेरा सुझाव है कि इसमें आप कंटिंजेंसी में पैसे ज्यादा बढ़ाएं। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हर जिले में हर जगह अलग-अलग समस्या है। हमारे वहां सोर्सेज नहीं हैं पानी के इसलिए उम्मीद है कि हमारे वहां इसके लिए आप ज्यादा बढ़ाएंगे। इसके अलावा दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जहां इंजीनियर्स की कमी है, वहां आप भेजें। गर्मी के अन्दर जहां आपने अभी टैंकर लगाये हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। काफी टैंकर लगा दिये हैं परन्तु अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पांच-पांच किलोमीटर तक पानी नहीं है, उसको आइडेंटीफाई करके क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गयी है, जोरों से उसके लिए मदद करें। तो पानी के बारे में मुझे उम्मीद है कि जो-जो मैंने सुझाव रखे हैं, खास

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

कर जो मेरी यह पोकरण-फलसूंड-बालोतरा लिफ्ट है उस पर आप कृपा करके मेहरबानी करेंगे।

अब मैं आपको कुछ बातें अकाल राहत के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र में 381 गांव हैं और 1800 ढाणियां हैं, ये सारी की सारी अकाल से प्रभावित हैं। इसके लिए वहां पर करीब 53 शिविर लगा दिये गये हैं और 32 चारा डिपो लगाये हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परन्तु क्या है कि जो चारे की रेट है वो इतनी ज्यादा है कि वो वहां के गांव वाले ले नहीं रहे हैं । कई जगह चारा डिपो ले रहे हैं उसको कोई खरीदने वाला भी नहीं है। चारा डिपो दे रहे हैं इससे ग्राम पंचायत या सहकारी समितियां पहले ही काफी अपने काम में व्यस्त हैं, वो नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा सुझाव है कि स्वयंसेवी जो एनजीओज हैं, वहां पर उनसे हमने बात भी की है, वो कह रहे हैं कि यदि हमको दिया जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछला भी अगर देखें तो हमेशा एनजीओज को दिया गया है। कुछ अच्छे एनजीओ हैं जो ईमानदार हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको दिया तो उससे यह समस्या दूर हो जाएगी। मेरा इसमें सुझाव यह है कि सरकार ने कुछ सब्सिडी दी है पर यह पर्याप्त नहीं है, सब्सिडी को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि वहां के लोगों की सेवा हो सके।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाड़मेर-जैसलमेर दोनों जिले भारत सरकार ने पिछड़े जिले घोषित किये हुए हैं। वहां के लोगों की आमदनी दूसरों की तुलना में बहुत कम है, काफी गरीबी है और वहां बीपीएल का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां ज्यादा से ज्यादा उनको मिलना चाहिए। दसूरा, नरेगा के अन्दर जो मजदूर लगाये जा रहे हैं, उनको करीब सौ दिन मिलते हैं 365 दिनों में से। कुछ जगह पर वो जो सौ दिन मिल रहे हैं वो बहुत कम हैं, वो खतम हो जाते हैं छह महीने के बाद। ऐसी स्थिति में मेरी अकाल राहत मंत्रीजी से दरख्वास्त है कि अकाल राहत के तहत अलग से बजट देकर उनको अलग से दिन दिये जाएं। पहले जब नरेगा नहीं थी तब भी तो अकाल राहत के काम चलते थे। तो उसके तहत आप ज्यादा दें ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। सैकड़ों की संख्या आपने काफी की है, जहां-जहां हमने आइडेंटीफाई किया है उसके लिए दें, मेरे खयाल में बजट की इसमें कोई कमी नहीं आएगी।

दूसरा बिजली के बारे में मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

हूं कि बिजली की कुल मिला कर इस साल जो अभी रबी की फसल थी, उसमें कुछ समय के लिए जरूर कुछ दिक्कत आयी थी, बाकी, मैं मेरे इलाके की बात कर रहा हूं, जैसलमेर-बाड़मेर के लोगों को काफी अच्छी बिजली सात से आठ घंटे मिली, उससे दिक्कत नहीं है। बिजली की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जो अभी चालू है पूरे राजस्थान में। हमारे बाड़मेर-जैसलमेर जिले के अन्दर और इसकी जो एजेंसी है, भारत सरकार ने भेजी है, जो सर्वे कर रही है, जो काम कर रही है, वहां पर वो एजेंसी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले साल इसका सर्वे और काम जो जैसलमेर में हुआ था, जैसलमेर के अन्दर वो पूरा फेल है, वहां से बिलकुल नाकामयाब होकर निकले हैं। बाड़मेर में काम चालू है। बाड़मेर में जो वहां पर सर्वे हुआ है, उसमें बीपीएल के लिए करीब 635 करोड़ रुपये खर्च होने चाहिए। अभी उनको 209 करोड़ रुपये मिले हैं फेज-1 में, उसके तहत जो काम कर रहे हैं, उसमें कई जगह पर शिकायतें आ रही हैं कि बीपीएल की जो सर्वे हुई है वो ठीक नहीं हुई है। उनके जो मापदंड हैं कि एक सौ के ऊपर वहां कनेक्शन देना चाहिए वो वहां कर नहीं रहे हैं। मैंने मंत्रीजी से भी इसके बारे में बात की, वहां जिला परिषद के अन्दर भी यह मुद्दा कई बार उठा, तो वहां पर एस.ई., एक्स.ईएन. सबने कहा कि साहब यह एजेंसी हमको पूछती ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो बिलकुल आप जिला परिषद की प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लीजिये। वहां जो सर्वे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो अपनी मनमर्जी से। न सरपंच को पूछते हैं न वहां के प्रधान को पूछते हैं। मैंने जरूर एक-दो बार बुलाया तो बोले कि, साहब, हम किस-किस से पूछेंगे। तो मैंने कहा, आप हमको पूछेंगे नहीं, आप बिजली वाले इंजीनियर्स को विश्वास में रखते नहीं हैं, तो ये कल न काम करके चले जाएंगे तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा बाद में? आप इसको गम्भीरता से लें। उनका बिलकुल इन्वोल्वमेंट होना चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कहां काम कर रहे हैं, जब एक बार काम हो रहा है। अब वो टेण्डर हुआ है एक सौ पैंतीस करोड़ का और पैसे मिले हैं 209 करोड़। अभी पहले वाले आपके पास उस हिसाब से करीब 70-75 करोड़ रुपये पड़े हैं तो उसको आप रिवीजन कर लीजिये या दूसरा टेण्डर कर लीजिये। वो कहते हैं कि, साहब, हमको तो अभी एक सौ पैंतीस करोड़ मिले हैं जबकि पूर्व एलोकेशन 209 करोड़ का है। तो उसके अन्दर आप करें। मेरा तो यही है आपसे।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

आखिर में सभापति महोदय, मैं सम अप करूंगा। मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं, सुझाव रखे हैं, खासकर पेयजल की तीन लिफ्ट का मैंने जिक्र किया। एक लिफ्ट और है जो गुढामालानी से आती है, हेमारामजी यहां पर विराजमान हैं, उसके अन्दर भी जो काम हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। पानी वहां आ गया है परन्तु जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। वहां के जो किसान हैं वो अभी भी उससे संतुष्ट नहीं हैं। वहां पर जिस तरह से काम चल रहा है उसके अन्दर भी दोनों से लाकर, गांधव है धोरीमन्ना है, वहां पर पानी की जो समस्या है वो दूर करनी चाहिए।

दूसरा मेरा आखिर में सुझाव है अकाल राहत के तहत। 1998 में एक आवास की योजना आयी थी पिछड़े जिलों के लिए। उसमें यह था, गरीब को चालीस किलो गेहूं फ्री दे देते थे और वो अपनी मेहनत करके उसमें कमरा बनाता है उसमें अकाल राहत का कुछ कंपोनेंट भारत सरकार से आता है, कुछ राजस्थान सरकार से आता है, मिला करके यह सुविधा जिस तरह से इंदिरा गांधी आवास की स्कीम है उस तरह से 1998 में हुई थी। इस स्कीम को लगाएं। खास कर जो पिछड़े जिले हैं जैसलमेर-बाड़मेर, जहां बहुत ज्यादा लोग बीपीएल हैं, उनमें अगर लगाया जाए तो उनको बहुत सुविधा मिलेगी। सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

सूचना

जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों का धरना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): I am on a point of information. सभापति महोदय, जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राज मार्ग पिछले 6 घंटों से बंद है। हजारों की संख्या में किसान अपने वाहनों के साथ दौसा के सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई के अन्दर, वहां राज्य सरकार की ढुलमुल नीति के कारण जुगाड़ चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसमें स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण वहां लोग धरना दिये हुए हैं। अभी भी उन सबको कानोता के पास पुलिस ने रोका है। कोई भी ऐसी घटना घटित हो सकती है जिससे अमन-चैन को चोट पहुंच सकती है। इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि यातायात मंत्री या गृह मंत्रीजी उनके शिष्टमंडल को बुलाएं, उनसे बात करें, क्योंकि आज सुबह से ही हज़ारों की संख्या में कई जुगाड़ लेकर, कई ट्रैक्टर लेकर किसानों ने पूरा राष्ट्रीय राज मार्ग बंद कर रखा है, आने-जाने वाले यात्रियों को भी असुविधा हुई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। मेरा निवेदन है, आसन पर आप विराजमान हैं, कि सरकार इसका काग्नीजेंस ले, जो आवश्यक कदम उठाने हैं वो कदम निश्चित तौर पर उठाएं और आंदोलनकारियों से वार्ता करे।

श्री सभापति: श्रीमती कमला कस्वां।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी मुद्दा उठाया कि डा. किरोड़ीलाल जी मीणा जुगाड़ के संबंध में आ रहे हैं, सरकार के तीन मंत्री उनसे वार्ता के लिये बुला लिये गये हैं, उनकी वार्ता होगी और वार्ता होकर परिणाम आयेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी विधायकगण को बताना चाहता हूं कि एमएलए की अलग से हैंड पम्प की कार्य की स्वीकृति हमने नहीं दी, जिले की जो कंटिंजेंसी है उसमें हमने जरूर यह व्यवस्था की थी कि विधायक की अभिशंसा पर 20 दिये जाएं। वैसे हमने कोई एमएलए की नहीं दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, लेकिन हमारी अभिशंसा पर एक हैंड पम्प नहीं दिया गया है, न कंटिंजेंसी में दिया गया है न और किसी में दिया गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि किसी भी चेयरमैन के लिखित में देने से, उनके कहने पर पूरे हैंड पम्प दे दिये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह राजनीतिक रूप से हमारे साथ असमानता हो रही है, भेदभाव हो रहा है। एक सिंगल हैंड पम्प भी किसी को नहीं दिया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मात्र 15 हैंड पम्प मिले हैं हमें, वह भी पांच वर्ष पूर्व जो हैंड पम्प लग चुके थे उनमें उनको एडजस्ट कर लिया गया। मैं आपको लिखित में दूंगी।

श्री सभापति: कृपा करके आप विराज जाएं। मंत्री महोदय, आपने जो बात फर्मायी और आदरणीय सदस्यों के द्वारा आपका जो ध्यान आकर्षित किया गया कि इनकी अनुशंसा पर शायद आपके द्वारा निर्धारित ...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): पूरा ध्यान रखेंगे इनकी अनुशंसा पर हम डिटेल में पता करके।

श्री सभापति: यह भी आप कृपा कराएं कि पहले जब आपने अनुशंसा

(श्री सभापति)

की थी, जिन अधिकारियों को इनसे अनुशंसा करा कर लेने थे, उन्होंने आज तक क्यों नहीं लिये इसके बारे में आप अपने स्तर पर दिखाएं। आदरणीय श्रीमती कमला कस्वां ।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): सभापति महोदय, आज ....

श्री सभापति: वैसे अगर आप एक बार बैठ जाती है तो आसन ही वापस आपको उठा सकता है, इसमें आपके उप नेता का नहीं चलता। आदरणीय श्रीमती कमला कस्वां।

राज्य में पेयजल, अकाल और बिजली की स्थिति पर विचार

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में पानी, बिजली और अकाल के ऊपर चर्चा करने के लिये मुझे भी मौका मिला है। यह बात शाश्वत सत्य है कि जल ही जीवन है और जीवन है तो जहान है और जहान है तो विकास है। आप किसी भी प्रदेश का विकास तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस प्रदेश के रहने वालों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। प्यासा कुछ नहीं कर सकता और प्यास मिटाने के लिये पानी का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, चाहे वह किसी की भी सरकार हो। पिछले 14 महीने से कभी इधर से उंगली कभी उधर से उंगली । जो भी उंगली इधर करता है उसकी तीन उंगलियां खुद की तरफ भी तो होती है। आत्म विश्लेषण करने का समय है। हमको सबको मिल कर इस समस्या का समाधान करना पडेगा। यह समस्या कोई अकेले राजस्थान की नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान की है, पूरे विश्व की है। 22 मार्च को जब अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस मनाया गया तब अध्यक्ष महोदय ने यहां सबसे संकल्प लिया कि जल बचाएंगे। लेकिन हम कितना बचाते हैं? कितने लोग हैं जो टायलेट जाकर पानी से हाथ धोते रहते हैं और नल बंद नहीं करते। कितने यहां पुरुष हैं जो दाढ़ी बनाते हुए नल चालू रखते हैं, बंद नहीं करते। कितने ऐसे लोग हैं जो शावर के नीचे स्नान नहीं करते, बाल्टी में पानी लेकर करतें हैं। ऐसा कुछ नहीं करते। हम अपनी छोटी-छोटी आदतों को भी सुधारें तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमें जागरूकता की जरूरत है, जन जागरण की जरूरत है। आज छोटे से बच्चे को जो प्राइमरी स्कूल में जाता है, उसके पाठ्यक्रम में अगर जल संरक्षण का एक पाठ लगाया जाए और उसको यह सिखाया जाए कि, बच्चा, पानी बहुत अमूल्य है, इसको बचाओ, इसके बचाने के साधन कैसे

(श्रीमती कमला कस्वां)

हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिये, तो मैं समझती हूं कि जब वह युवा होगा तो पानी के महत्व को समझेगा और पानी बचाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे की सरकारों में कमियां ढूंढ रहे हैं कि आपने यह नहीं किया, हमने यह कर दिया। हम यह कर रहे हैं, आप यह नहीं कर पाये। सरकार सरकार होती है, पार्टी चाहे कोई भी हो । यहां बैठे हुए आप सरकार के नुमाइंदे हैं और सरकार जवाबदेह होती है उस प्रदेश के लिये जिस प्रदेश के विकास की बात वह हजारों करोड़ का बजट पास करके करती है और उसमें अगर वह पानी भी नहीं पिला सके तो मैं समझती हूं कि विकास हो नहीं सकता। आज जो यह स्थिति है, रहीम जी ने सच कहा था-

रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सून,
पानी बिना न ऊबरे मोती, मानस, चून।

यह बहुत सही बात उन्होंने कही थी कि पानी ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आज जो प्रायोरिटी बजट में रखी है, मैं समझती हूं कि सबसे पहली प्रायोरिटी पेयजल की होनी चाहिये थी । जब तक हम पानी के बारे में गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तब तक हम अपने देश को, अपने प्रदेश को विकास की ओर नहीं ले जा सकते । आज जब मैं अख़बार पढ़ती हूं मैंने देखा कि जयपुर के विधायक जयपुर के पानी के लिये इतना त्राहि त्राहि कर रहे थे। या कभी भरतपुर, कभी उदयपुर, कभी कोटा। तो मेरा चूरू तो कहने लायक ही नहीं है। हमें तो पानी कभी मिला ही नहीं पीने के लिये, हमने तो खारा पानी पी-पी कर अपनी जिंदगी गुजारी। फ्लोराइडयुक्त पानी पीते हैं, लोग बीमार होते हैं। सरदारशहर के लोगों के तो दांत ही खराब हैं, उनके दांत कभी सफेद देखे ही नहीं। लेकिन हम नहीं कह पाते क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। इस राजस्थान की बगिया में 33 जिले हैं, हमारा तो बहुत छोटा-सा जिला है न, उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि चूरू जिले की पानी की समस्या विशेषकर मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र की समस्या का हल करने के लिये गम्भीरतापूर्वक सोचें। आज पूरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं पानी के विषय में चल रही है-साहवा गंधेली योजना, चांदकोठी-राजगढ योजना, चांदकोठी-सुरखनिया योजना, कृतान खैरुबडी योजना और आपणी योजना, सारी की सारी योजनाएं मृत-प्रायः हैं। 1994 में जब आपणी योजना का शुभारंभ हुआ और यह योजना जर्मन सरकार के सहयोग से बनी,

(श्रीमती कमला कस्वां)

तब मेरे क्षेत्र के 37 गांव इससे जुडे और यह अंडरटेकिंग ली गई कि 24 घंटे इससे पानी मिलेगा। 2-5 साल खूब अच्छा पानी मिला, लोगों को जो उनके लोकल सोर्सेज थे, उनकी तरफ देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन आज उस आपणी योजना का क्या हाल है? 5-5 दिन तक पानी नहीं आता। आता भी है तो घंटे, दो घंटे, और औरतों के घड़ों की लाइन इस गर्मी में पूरा दिन खड़ी रहती है। साहवा-गंधेली योजना खत्म हो चुकी है। जो ढंढाललेखु और ग्वालिसर योजना है जिसमें 32 गांव जुडे हुए हैं पूरी की पूरी पाइप लाइन दीमक ने खा ली है। एक भी इंच टुकडा साबुत हीं है, और एक भी गांव में पानी नहीं जाता। लेकिन बार-बार एईएन, जेईएन, एक्सईएन को कहते हैं कि पाइप बदलवाओ, तो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। इसी तरह से कृतान की जो योजना है उसमें आज तक पानी नहीं गया गांवों में। खैरु बडी, खैरु छोटी कहीं पानी नहीं पहुंचा। चांदकोठी से राजगढ़ जो पानी आता है उसमें 29 गांव बीच में जुड़े हुए हैं और 29 गांव में से एक भी गांव तीन चार हजार की आबादी से कम का गांव नहीं है, सारा का सारा पानी वे कंजूम कर लेते हैं, राजगढ़ में मुश्किल से 300-400 टीएम पानी पहुंचता है जो कि इतने बडे शहर की पूर्ति के लिये नगण्य है, हो नहीं सकती उसकी पूर्ति। अभी कंटिंजेंसी प्लान की बात कर रहे थे कि यह प्लान हमने बनाया और इससे बड़ी राहत मिली, वह कंटिंजेंसी प्लान अगर जन प्रतिनिधि को सुन कर, उसकी सहायता से, उसकी बात सुनकर बनाया जाता तो ऐसी गलती नहीं होती जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई, जहां नगरपालिका क्षेत्र में दो ट्यूबवैल ऐसे बना दिये गये जिसमें खारा जहर जैसा पानी है और मेरे शहर के लोग उस पानी को पीने के लिये मजबूर हैं। बार-बार आंदोलन किये, बार-बार एसडीएम को ज्ञापन दिये, बार -बार कलक्टर से मिले लेकिन उस पानी की आपूर्ति आज दिन तक भी बंद नहीं हुई। उस पानी को पानी में मिलाकर लोगों को दिया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन उस कंटिंजेंसी प्लान में लाखों रुपया जो लगा वह वेस्ट हुआ। इसलिए, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप कोई कंटिंजेंसी प्लान बनाएं तो जन प्रतिनिधि को चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, पानी तो सबके लिये एक-सा होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता, आप सबसे सलाह करके बनाएं। ऐसा न हो कि एक एमएलए तो खड़ा होकर कहे कि हमको 60 हैंड पम्प मिले और कमला यह कहे कि मुझे तो एक भी नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिये, भेदभाव न करें ।

(श्रीमती कमला कस्वां)

पिछली सरकार ने हर एमएलए को 50-50 हैंड पम्प दिये थे और सबने अपने-अपने क्षेत्र में बनवाये थे। तो आइंदा जब भी आप कंटिंजेंसी प्लान बनाएं तो जन प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें ।

दूसरा मैं यह कहना चाहती हूं, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की यह हालत है कि जो भी लोकल सोर्सेज हैं वे खतम हो चुके हैं, मृत प्रायः हो चुके हैं। पानी बिलकुल नीचे खारा है, पीने योग्य नहीं है। एक मात्र उपाय, मंत्रीजी, आपको भी पता है, मैं आपसे भी कई बार मिली हूं और सौभाग्य से आज मैं मुख्य मंत्रीजी से भी मिल कर आई हूं, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि आपकी बात पर गम्भीरतापूर्वक सोचेंगे।

बूंगी-राजगढ़ जलप्रदाय योजना पर जब तक काम नहीं होगा, तब तक आपणी योजना का सैकिण्ड फेज रतनगढ़-सुजानगढ़ में बनाने का कोई तुक नहीं है। उसके प्रस्ताव बनते रहेंगे और पता नहीं कब स्वीकृत होंगे, लेकिन यह योजना तो स्वीकृत हो चुकी है। प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है और इसके टेण्डर भी हो चुके हैं, इसको आप शुरू करवाएं ताकि मेरे क्षेत्र की जनता पानी-पानी करके मर न जाए। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, इस योजना का शुभारम्भ जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि हम लोगों को राहत मिल सके।

एक बात मैं यह जरूर कहना चाहूंगी, जैसा कि सुंदरलालजी ने कहा, कि बहुत से लोग खेतों में बस गये, पानी खतम हो गया, पीने का उनके पास कोई साधन नहीं है, कुआ खोद नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे चला गया, खारा है। मंत्रीजी ने भी खड़े होकर पिलानी के बारे में कहा लेकिन मेरे क्षेत्र की समस्या दूसरी है, क्योंकि वहां डार्क जोन है, पानी नीचे चला गया है। लोगों ने कुओं में कनेक्शन लिये हुए थे, उन्होंने वे अपने कनेक्शन काट दिये क्योंकि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। मैं विद्युत मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि अगर 5 एचपी मोटर के कनेक्शन उन किसानों को दे दें तो वह उस गांव में जहां उन्होंने लाखों रुपये लगाकर अपने मकान बनाये, पीने का पानी उस कुए का चाहे खारा हो चाहे मीठा हो, कैसा भी हो, उनको मिल तो जाए। मेरे क्षेत्र की जनता को यह अगर आप स्वीकार करेंगे तो बहुत बड़ी राहत, मेरे चांदकोठी साइड है, दक्षिणी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहां के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

(श्रीमती कमला कस्वां)

दूसरा मैं एक बात और कहना चाहती हूं, यह बात सच है कि पानी नीचे खारा है, हमारा राजस्थान क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है लेकिन पानी की उपलब्धता में हम बहुत नीचे हैं। मात्र एक प्रतिशत पानी पीने योग्य है। जो नहीं है उसकी कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो है अगर उसका रख-रखाव, उसका प्रबंधन उचित नहीं होता तो तकलीफ होती है। लोग अन्तरराष्ट्रीय जल दिवस मना रहे थे उससे एक दिन पहले साहवा में लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। लोगों के घरों में घुस गया, अगर वह पानी पाइप लाइन लीक नहीं होती तो लोगों के घरों में नहीं जाकर गांव की जीएलआर में जाता ओर लोगों को पानी मिलता। तो यह व्यवस्था, लीकेज को खतम करना, पुरानी धुरानी गली हुई, दीमक की चाटी हुई पाइप लाइन को दुरूस्त करना, जीएलआर की मरम्मत करना। आपने अख़बार में पढ़ा होगा कि ढढांललेखू में टूटी हुई टंकी पर खड़ी हुई महिलाएं पानी भर रही थीं और उन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया तब वाटर वर्क्स के कर्मचारी-अधिकारी ने आकर पानी की व्यवस्था की। ढढांललेखू से 32 गांवों में पानी जाता है लेकिन ढढांललेखू के अलावा किसी गांव में आज तक पानी नहीं पहुंचा, यह स्थिति उस पाइप लाइन की है। वहां जो पम्प हाउस है वहां की जो टंकी है वह टूटी पड़ी है, उसकी भी मरम्मत करानी चाहिये। जीएलआर की मरम्मत कराएं। पाइप लाइन को सुधारें और जो लीकेज हैं उनको कम करें।

दूसरा, पंचायत समिति क्षेत्र में एक बहुत बड़ी एसआर बनाई गई, लाखों रुपये खर्च हुए, आज दिन तक, तीन साल हो गये बने हुए, उसको जोड़ा नहीं गया। सरकार का पैसा लगा हुआ है, वह व्यर्थ जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी जोड़ें। वहां नीचे एक वाटर रिजर्व बनाएं ताकि ऊपर पानी चढ़ सके और शहर के लोगों को उससे राहत मिल सके, क्योंकि शहर क्षेत्र के लिए ही उसका निर्माण किया गया था।

मैं एक बात और भी कहना चाहती हूं कि हैण्डपम्प और सिंगल पाइंट कनेक्शन पीएचईडी के द्वारा बनाये जाते हैं, पीएचईडी के एक हैण्डपम्प का मेरे क्षेत्र में 70 हजार रुपये से ज्यादा का खर्चा आता है और वो ही हैण्डपम्प गांव का किसान 12 हजार रुपये में बना लेता है। एक सिंगल पाइंट कनेक्शन पीएचईडी डेढ़ से पौने दो लाख रुपये लेती है, वो ही सिंगल पाइंट कनेक्शन गांव का किसान 15-16 या 17 हजार में बना लेता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि विधायक कोटे से या सांसद कोटे से अगर कोई हैण्डपम्प या

(श्रीमती कमला कस्वां)

सिंगल पाइंट कनेक्शन देना चाहता है तो वह पंचायत के द्वारा बनवाया जाए ताकि उस पर लागत कम आए और पानी के काम गांव में हो सकें। पीएचईडी का जो एस्टीमेट है उसमें खाना-पीना भी जुड़ा हुआ होता है, वह एमएलए-एमपी में नहीं जुड़ा हुआ होगा क्योंकि उसका जन प्रतिनिधि होगा और वह अपना काम अपनी निगरानी में कराएगा। सार्वजनिक जगह-स्कूल, मंदिर में जहां भी अपन कनेक्शन लेते हैं, 3-4 हजार रुपये में बिजली का कनेक्शन हो जाता है। अगर वह दस हजार रुपये तक भी होता है तो भी वह वाटर हाउस के बनाये हुये सिगल पाइंट कनेक्शन से ज्यादा सस्ता होगा। मंत्रीजी, आपसे मेरा निवेदन है कि इसमें संशोधन करें। वाटर हाउस के द्वारा बनाये हुए हैण्डपम्प आप किसी भी जिले में जाकर देख लीजिए, किसी भी पंचयत समिति में जाकर देख लीजिए, 90 प्रतिशत खराब मिलेंगे, 70 हजार रुपये लगाकर भी खराब पड़े हुए हैं। वह गांव वाला जिसने 12 हजार रुपये लगाकर बनाया है वह 2-2, 3-3 साल से आराम से उस हैण्डपम्प से काम ले रहा है, उसकी पूर्ति हो रही है। पानी सिर्फ पीने के लिए जरूरत नहीं हो रही, आज का जीवन स्तर बढ़ गया है, जीवन चर्या बढ़ गई है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। लोगों ने बाल्टी से नहाना बंद कर दिया है, नल के नीचे खड़े होकर नहाते हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्दर हर गांव में, हर घर में टायलेट्स बन गये जिनमें पानी डालना पड़ता है। वह टंकी का डाले तो बहुत ज्यादा हो, बाल्टी भी डाले तो एक बार में एक बाल्टी खर्च होती है, तो पूरे दिन में एक परिवार में कम से कम 20 बाल्टी पानी का उपयोग होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि नरेगा के अन्दर जब आप कुण्ड बनवा रहे हैं, वे कुण्ड खेतों के अलावा आप घरों में भी बनावाएं ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो सके। गांव का वह गरीब किसान जिसको दो टाइम रोटी नहीं है, वह कुण्ड के 50-60 हजार रुपये खर्च नहीं कर सकता। खेत में तो दो एकड जमीन का भी काश्तकार है। जिसके पास 2-4 बीघा जमीन है वह उसमें पायतन बनाएगा, कुण्ड भी बनाएगा तो ज्यादा उसकी भूमि उपयोग में लाई जाएगी, लेकिन अगर वह घर पर कुण्ड बना लेगा तो छत का पानी उसमें चला जाएगा, उसके पायतन का खर्च भी कम हो जाएगा और उसको बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हैण्डपम्प बनवाएं और गांव के अन्दर कुण्ड बनवाएं ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो सके। इसके अलावा वर्षा के जल के हमारे पास कोई उपाय नहीं कि हम लोगों को पेयजल उपलब्ध करा सकें। आज जल नीति भी यह कहती

(श्रीमती कमला कस्वां)

है, जितने भी विशेषज्ञ हैं सब यह कहते हैं कि हजारो हजारों लीटर पानी सड़कों पर बेकार चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो नरेगा में जो एक्शन प्लान बने वह गांव के हिसाब से बने। गांव की जल निकासी की व्यवस्था नरेगा प्लान में हो और उसे मेंडेंटरी कर दिया जाए कि यह काम तो आपको कराना ही पड़ेगा। आप तालाब खुदाने के नाम पर जगह-जगह खड्डे खोद देंगे, जोहड़ खतम कर देंगे, पायतन खतम कर देंगे तो कैसे होगा? मेरा आपसे निवेदन है कि एक्शन प्लान में पानी निकासी की व्यवस्था रखें ताकि उस गांव का पानी सारा निकलकर बाहर कहीं तालाब में या जोहड़ में जहां भी वह व्यवस्था कर सकें, जो भी एक्शन प्लान बने, वहां चला जाए। 3-4 महीने तो पशुओं के पीने के काम आएगा और बाकी नीचे जाकर जल स्तर को ऊंचा करने में भी सहायता करेगा, ऐसा मेरा मानना है। यह मेरा एक सुझाव है, आप इस पर विचार कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने ही कहा है कि जल नीति में सबके विचार सुने जाएंगे, सबकी सलाह मानी जाएगी। मैं देहात से बिलांग करती हूं, और देहात में क्या समस्या आती है यह मेरे से छुपी हुई बात नहीं है।

जहां तक जल संरक्षण और मितव्ययता की बात है तो गांवों की महिला को सिखाने की जरूरत नहीं है, वह तो एक-एक बूंद पर, हमारे कहते हैं कि कारी लगाती है। महिपाल जी समझते होंगे कारी लगाती है, एक-एक बूंद का ध्यान रखती है कि कहीं व्यर्थ न हो जाए, क्योंकि भरी दोपहरी में घड़ा लेकर जब जाती है तब 15-20 मिनट खड़ी रहती है तब तो उसकी बारी आती है और फिर वह एक घड़ा पानी लेकर आती है। ऐसे में वह व्यर्थ नहीं ढोलने देती, उस पर ध्यान रखती है। वह गिलास से मुंह लगाकर बच्चों को भी पानी नहीं पीने देती, वह लोटा-घंटी देती है कि ऐसे पियो, ताकि बचा हुआ पानी किसी दूसरे के काम आ जाए। तो संरक्षण और मितव्ययिता गांव के लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है। इसको तो आप शहर में सिखाइये, जहां लोग दुनिया भर का पानी खर्च करते हैं, कभी आदत सुधारते भी नहीं। देहात के लोग हमेशा पानी की कीमत को समझते हैं। महिला घी दे देती है लेकिन कुण्ड का पानी नहीं देती है क्योंकि कुण्ड का पानी वापस नहीं मिलता, घी तो उधार दिया हुआ वापस मिल जाता है। इसलिए पानी घी से भी बहुत महंगा है गांव के अन्दर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गांवों के अन्दर हर घर में कुण्ड बनवाइये। स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये घरों के आगे हैण्डपम्प

(श्रीमती कमला कस्वां)

बनवाइये ताकि वह पानी चाहे खारा हो, चाहे मीठा हो, उसमें काम आ जाए और हमारा पीने का पानी बच सके।

जहां आपकी योजनाएं मृत-प्राय: हो गयी हैं उनका वापस से संवर्द्धन कर लीजिए, उनमें सुधार कीजिए, प्रबन्धन कीजिए, लीकेज हटाइये। जिन्होंने इल्लीगल कनेक्शन कर रखे हैं, गावं-गांव के अन्दर हजारों की संख्या में इल्लीगल कनेक्शंस हैं, लेकिन पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सभी कनेक्शंस एक साथ काटिये तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप 10 कनेक्शन काट देंगे और एक रख देंगे तो दूसरे दिन वे 10 वापस हो जाएंगे। आपको वे सारे के सारे कनेक्शंस हटाने होंगे और सख्ती से कार्यवाही करनी होगी। एफ.आई.आर. दर्ज करवाइये, काम करिये तो मैं कहती हूं रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन ऐसा न करना जैसे कि हमारे यहां एक गांव में एक इल्लीगल कनेक्शन काटने के नाम पर कर्मचारी गये, जे.ईएन. गया और जाकर कनेक्शन काट दिया। उसको कहा कि कनेक्शन काट ले, उसने अपना हटा दिया। लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज की, किसके खिलाफ? एक 70 साल के बूढे आदमी के जो चल नहीं सकता, खाट में पड़ा था और एक ऐसे आदमी के खिलाफ जो कि जो तीन साल पहले मर गया था। मरे हुए आदमी के खिलाफ, 70 साल के बूढे आदमी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की। जब मैंने यह मामला सतर्कता समिति में एस.डी.एम. के सामने उठाया तो इतना किया कि वे दो नाम तो काट दिये और तीसरे के नाम वह मुकदमा दर्ज हो गया। इस तरह अगर आप कार्यवाही करेंगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। असत्य मुकदमे, असत्य एफ.आई.आर. दर्ज कराना, यह सब छोड़कर, सब चीजों से उठकर, अभी मंत्रीजी कह रहे थे कि पानी में कोई राजनीति नहीं, तो पानी में कोई राजनीति नहीं करें और सब मिलकर इस समस्या का हल करें तो मैं समझती हूं, हमारा प्रदेश पेयजल से जूझता हुआ वास्तव में इस समस्या से निजात पाएगा। जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो कोई नहीं रोक सकता है। भागीरथ अकेला जाकर हिमालय से गंगा को उतार लाया था। महात्मा गांधी लंगोटी बांध करके देश को आजाद करा सकते हैं तो, मुख्य मंत्रीजी, आप क्या प्रदेश को पानी नहीं पिला सकते हैं? आप अवश्य पिला सकते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने

(श्री महेन्द्र चौधरी)

बिजली, पानी और अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में वाद-विवाद का, बात करने का हम सभी सदस्यों को मौका दिया। उसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। सभापति महोदय, बिजली आज हमारी अहम आवश्यकता है। राजस्थान की 70 प्रतिशत जनता आज भी गांवों में रहती है, खेती के ऊपर निर्भर है और जब-जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, बिजली का उत्पादन बढ़े इस प्रकार की बजट में व्यवस्था रखी गई है। 1998 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, जबकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 950 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिये इस वर्ष बजट में, 2010-2011 में, 2550 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी, यह प्रावधान रखा गया है। राज्य में प्रथम बार 765 के.वी.ए. के दो जी.एस.एस., एक अंता में और एक फागी में और इसके साथ-साथ 33 के.वी.ए. के 320 जी.एस.एस. बनाए जाएंगे जिसमें मेरे नावां विधान सभा क्षेत्र में भी 6 जी.एस.एस. का निर्माण होगा। पिछले शासन में, जब सरकार गई थी तो पौने दो लाख किसान बिजली कनेक्शन के इंतजार में थे, इस कांग्रेस की सरकार ने प्रथम वर्ष में 64 हजार किसानों को बिजली कनेक्शन दिये और अभी हाल ही में, इस बजट में 65 हजार किसानों को बिजली का एक बार पुन: प्रावधान रखा गया है। मुझे याद है कि किसान जब खेती करता है, उसके कुएं का पानी सूख जाता है फिर भी उसको बिजली का बिल देना पड़ता है। 1998 में जब अशोकजी गहलोत राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो मैं मेरे नावां विधान सभा क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमण्डल लेकर उनसे मिला था और मैंने मांग की थी कि इन किसानों को कुएं का कनेक्शन काटने की छह महीने तक इजाजत दे दी जाए। जब इनको आवश्यक नहीं हो तो जरूरी नहीं हो कि इनको बिजली का बिल दिया जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वह नियम लागू किया था कि किसान 6 महीने तक बिजली का कनेक्शन कटा सकता था और जब आवश्यकता होती तो वापस जुड़वा सकता था। वह पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश के अन्दर लागू हुआ था। इस बार भी किसान को कांग्रेस सरकार ने 8 घण्टे बिजली का घोषणा पत्र के अन्दर वादा किया है, आज किसान को आवश्यकतानुसार बिजली मिल रही है।

लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपना सुझाव देना चाहता हूं, इस बिजली के ऊपर विशेष रूप से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से, कि किसान का

(श्री महेन्द्र चौधरी)

जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिजली बोर्ड का एक नियम है कि उसको 72 घण्टे के बाद ट्रांसफार्मर मिलता है। 72 घण्टे तक बहुत देर हो जाती है, तब तक किसान की फसल जल जाती है। जब वह बिजली बोर्ड के अन्दर ट्रांसफार्मर लेने जाता है तो उसको जला हुआ खुद को रखना पड़ता है और नये को खुद को ले जाना पड़ता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ऊर्जा मंत्रीजी से कि किसान के ट्रांसफार्मर 72 घण्टे के बजाय 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करवाया जाए, लाने-ले जाने का खर्चा भी बिजली बोर्ड द्वारा वहन किया जाए और वहां पर जाकर उसकी वेल्डिंग का पैसा जो आज किसान से लिया जाता है, वह भी नहीं लिया जाए। किसान को जो बिजली दी जाती है वह टुकड़ों में नहीं दी जाकर, झटकों में नहीं दी जाकर एक साथ बिजली दी जाए ताकि किसान को पता रहे कि किस समय बिजली मिल रही है ताकि वह अपना दूसरा काम भी कर सके। बच्चों की परीक्षा का समय है, गर्मियों के दिन हैं, जहां पर छीजत हो रही है वहां पर बिजली रात को 10 बजे के बाद काट ली जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस गर्मी के समय को देखते हुए और छात्रों की परीक्षा के समय को देखते हुए सिंगल फेज की बिजली है, वह रात को भी दी जाए। सभापति महोदय, हम गांव में जाते हैं, चाहे लोगों के घरों पर हो, चाहे स्कूलों पर हो 11 हजार की बड़ी लाइनें जाती हैं, कभी भी दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन घरों पर 11 हजार की लाइन हो, जिन स्कूलों के ऊपर 11 हजार की लाइन हो, दुर्घटना से बचने के लिये उसको दूर करने का सरकार अपनी ओर से आश्वासन दे।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। चालू वित्त वर्ष में भी राज्य सरकार ने थर्मल पावर स्टेशन चाहे सूरतगढ़ की छठी इकाई हो, चाहे कोटा की सातवीं इकाई हो, चाहे छबड़ा की पहली इकाई हो, चाहे छबड़ा की द्वितीय इकाई हो, सभी पर ध्यान रख रखा है। जब यह कार्य पूर्ण होगा तो 945 मेगावाट की वृद्धि बिजली उत्पादन के अन्दर होगी।

सभापति महोदय, मैं अकाल राहत के अन्दर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी जब अकाल पड़ा है तो लगातार 11 महीने तक अकाल का कार्य, हिन्दुस्तान में अगर किसी भी सरकार का लगातार, नियमित रूप से 11 महीने तक अकाल राहत का कार्य चलाने का रिकार्ड रहा है तो 1998 में

(श्री महेन्द्र चौधरी)

पिछली कांग्रेस की सरकार का रहा है। मजदूरों को मजदूरी मिली, लोगों को कार्य मिला, किसान को कुएं खुदवाने का अधिकार मिला, नये मकान बनाने का मौका मिला, नये टांके बनाने का मौका मिला और एक मजदूर के घर के अन्दर इतना गेहूं हो गया कि पूरे साल भर उसको किसी भी प्रकार के और गेहूं की आवश्यकता नहीं पड़ी। विपक्षी लोग कहते थे कि अशोकजी गहलोत के शासन के अन्दर लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने वापस जवाब दिया था कि मेरे शासन में लोग भूख से मरना तो दूर, मजदूरों को भूखा सोने नहीं दूंगा। यह बात मुख्य मंत्रीजी ने कही थी। इसी शासन के अन्दर दो रुपये किलो गेहूं बी.पी.एल. परिवार को दिया जा रहा है, अकाल के अन्दर काफी मजदूरों को इससे भी राहत मिलेगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। चारा डिपो खोलने का प्रावधान रखा गया है, गौ-शालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। गऊ-माता को बचाने का हम सब का फर्ज है और गौ-शालाओं को अनुदान दिया जा रहा है, पशु शिविर लगाये जा रहे हैं। अभी अमीन खानजी कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि जो पशु शिविर के माध्यम से पैसा खर्च किया जाता है, वह सब्सिडी पशु मालिक को दी जाए तो इससे काफी राहत मिलेगी।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना पहले सात जिलों में लागू हुई, फिर अन्य दस जिलों में लागू हुई और अब पूरे प्रदेश में लागू हुई है। फसल नष्ट होने पर खराबे के अनुपात में उनको मुआवजा मिलेगा। इससे भी अकाल राहत के अन्दर किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्षतिपूर्ति की स्थिति में शत-प्रतिशत राशि बीमा कम्पनियों द्वारा वहन की जाएगी। पहले बीमा कम्पनियों को जो शिकायतें आती थीं, वे शिकायतें भी अब कम होने की सम्भावना है। 2009 में वर्षा कम होने के कारण राज्य सरकार द्वारा 27 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। लघु एवं सीमांत कृषकों को 2 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान राशि देने का निर्णय सरकार का एक साहसिक कदम है। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो दो हैक्टेयर रखा गया है, उसको और भी बढ़ाने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

सहकारी बैंकों में अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिए 219 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को दिया गया है। 9 लाख दो हजार निःशुल्क चारे मिनी किट्स का वितरण किया गया है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

उपनिवेशन क्षेत्र के कृषकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 31 दिसम्बर, 2010 तक बकाया किश्तें एकमुश्त चुकाने पर ब्याज माफी की घोषणा, यह भी सरकार का एक साहसिक कदम है।

माननीय सभापति महोदय, पानी के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी, पानी के विषय पर मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आता हूं वह 200 विधान सभा क्षेत्र में सबसे अलग विधान सभा क्षेत्र है क्योंकि हमारे यहां पर नमक का उत्पादन होता है, हमारे यहां पर पानी खारा है। मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी की नावां के अन्दर अत्यधिक समस्या है। पीने के पानी की गुणवत्ता खराब है। क्षेत्र के भू-जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, टी.डी.एस. व खारापन अधिक होना पेयजल की समस्या का प्रमुख कारण है। बीसलपुर-दूदू परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2.11.2004 को 283.77 करोड़ रुपये की जारी की गयी थी, प्रथम फेज का कार्य हो चुका है। सैकिण्ड फेज के अन्दर मेरे नावां विधान सभा क्षेत्र के 72 गांव शामिल हैं, माननीय मंत्रीजी, आप उस योजना के सैकिण्ड फेज को मेरे विधान सभा क्षेत्र के 72 गांवों को जोड़ लेंगे और उस कार्य को शुरू करवाएंगे तो वहां के लोगों को पीने के पानी की जो समस्या है, उससे छुटकारा मिल सकता है।

मेरी प्रथम प्राथमिकता है नावां और कुचामन की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जो शेष बचे हुए गांव हैं और नावां कस्बा है, उन्हें भी विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर, जल की गुणवत्ता की जानकारी लेकर बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित किया जाना आवश्यक है।

प्रदेश की बढ़ती आबादी, बदलती जीवन शैली, वर्षा की कमी एवं भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से पेयजल एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं अभी कमलाजी को सुन रहा था, यह भी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। और एक मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं सुन रहा था, उनका भाषण, जब वह पानी के ऊपर बोल रहे थे तो जयपुर ही जयपुर के लिए बोल रहे थे। आज अगर पानी की ज्यादा बड़ी समस्या है तो गांवों के अन्दर समस्या है, ढाणियों में समस्या है। गांव में रहने वाले व्यक्तियों की समस्या है। वैसे सरकार प्रयत्नशील है, सरकार बराबर कर रही है, टैंकरों की

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सुविधा भी करनी उन्होंने शुरू कर दी है। जहां पर हैण्डपम्प हैं, हैण्डपम्प को भी ठीक कराना शुरू कर दिया है। लेकिन हैण्डपम्प में कठिनाई कहां आती है? जब कांग्रेस की सरकार थी 1998 के अन्दर, तब हैण्डपम्प का अधिकार पंचायतों को दिया था। लेकिन पिछली सरकार ने वापस ले लिया। पंचायतों से यह अधिकार छीन लिया। आज हैण्डपम्प का मिस्त्री का काम पंचायत के पास है और बाकी जो है वह जलदाय विभाग के पास है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, कि जहां पर हैण्डपम्प खराब पड़े हैं उनको ठीक कराया जाए। जहां हैण्डपम्प नया हो सकता है पानी के लिए जहां पर हैण्डपम्प की आवश्यकता हो, वहां पर हैण्डपम्प बनाये जाएं। जहां पर ट्यूबवैल ला सकते हैं वहां पर ट्यूबवैल बनाये जाएं। टैंकर के ऊपर जो टैक्स कम किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। 14 परसेंट से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, एक मिनट, आप विराज जाएं। मुख्य सचेतक महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

राज्य में पेयजल, अकाल और बिजली की स्थिति पर विचार

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की समस्या पर किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीति जैसे हम आज बैठ कर यहां सदन में कर रहे हैं, यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। यह हमारे सबके लिए बड़ी चिन्ता का विषय है बरसात नहीं होना, जल स्तर नीचे होना और पानी की कमी आना।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

अब मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने जल नीति बनाने का निर्णय लिया है और उसके अन्दर सभी सदस्यों को अपने सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया है। मैं मानता हूं कि आज और कल के इस वाद-विवाद में निश्चित रूप से अपने-अपने सुझाव राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी को मिल जाएंगे।

मैं भी अपने सुझाव में यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ों से जो पानी निकलता है वह लोगों का खेत खराब करता है, तो जहां पर भी पहाड़ हैं, वहां पर नीचे बांध बना दिये जाएं तो लोगों के कुओं का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा और जो खेत खराब करता है पानी बह कर, उससे भी बचा जा सकता है। बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए सरकार घरों के अन्दर हौद बनाने के लिए, टांके बनाने के लिए सभी को प्रोत्साहित कर रही है, स्कूलों के अन्दर भी यह कर रही है, तो यह भी बहुत अच्छा कदम है।

'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ' यह जो नारा दिया गया था, वह आज भी जनता को याद है। यह नारा तो 1998 में दिया गया था लेकिन आज भी जनता को याद है। आज अपन वाद-विवाद, जो बात कर रहे हैं, यह इसी के ऊपर बात कर रहे हैं।

पेयजल हेतु 2010-11 में राज्य योजना मद में 1231 करोड़ रुपये और सी.एस.एस. मद में 284 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे 61 कस्बों, एस.सी. जाति की 900 बस्तियों और 2627 गांवों और ढाणियों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। आगामी वर्ष आपदा राहत निधि में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर एक विशाल मीटिंग हुई थी करीब दस लाख लोगों की सोनिया गांधीजी की मौजूदगी में और नागौर के अन्दर मीटिंग हुई थी सोनिया गांधीजी की, उस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ये घोषणा की थी कि नागौर लिफ्ट फेज-II जिसकी लागत है 2218 करोड़ रुपये, यह जल्दी स्वीकृत हो जाए तो डीडवाना, लाडनूं, नावां, परबतसर, मकराना यह जो विधान सभा क्षेत्र पानी से वंचित हैं, इनको पानी मिल सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि विश्व बैंक से ऋण स्वीकृति हेतु उन्होंने इस योजना को भेज दिया है। जल्दी से जल्दी यह वहां से आ जाए और यह काम शुरू हो जाए।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत संवेदनशील हैं पानी के मामले के अन्दर। जब बीकानेर के अन्दर आवाज उठी थी किसानों की पानी के लिए तो माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पर स्वयं गये थे और बीकानेर के किसानों और जन-प्रतिनिधियों के बीच के अन्दर लोगों से जाकर सुझाव मांगे थे और पानी को किस प्रकार बचाया जा सकता है, कैसे पानी की सुविधा हो सकती है, किसान को किस प्रकार पानी से राहत मिल सकती है, इस विषय पर उन्होंने चर्चा की थी। कल भी जब मुख्य मंत्रीजी बजट पर बोल रहे थे तो एम.एल.ए. कोटे का जो 20 लाख रुपया बढ़ाया है, वह 20 लाख पानी के अन्दर ही एम.एल.ए. देवें यह प्रावधान रखा, यह भी मुख्य मंत्रीजी की पानी के प्रति सोच को दर्शाता है।

मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपने पानी, बिजली और अकाल के ऊपर मुझे बात करने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय, सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से मैं यह विश्वास करता हूं कि यह जो विषय है, इसके ऊपर माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, जलदाय मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी, तीनों मिलकर जो भी सुझाव विधायकों के आ रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जीवाराम चौधरी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का, एक हां पक्ष का, एक ना पक्ष का तो बीच वालों को भी कभी-कभी ...(व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): हां, मैं बीच वाला हूं।

श्री पेमाराम (धोद): धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आज सदन में पानी बिजली और अकाल के बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें मेरे कुछ सुझाव और व्यवस्थाओं के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा।

(समय : 17.00 बजे)

इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा प्रदेश आज पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा है। हम सांचोर तहसील के लोग और जालौर जिले के लोग, बाड़मेर जिले के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि नर्बदा का पवित्र जल पिछले दो साल से

(श्री जीवाराम चौधरी)

वहां की जनता को पीने को मिल रहा है। यह सरकार बनने के बाद माननीय जलदाय मंत्रीजी भी उस नर्मदा को देखने एक बार साचोर पधारे थे। मैंने उस समय भी उसमें जो-जो कमी-बेशी थी, उसके बारे में निवेदन किया था। एक जगह पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और एक जगह अपार पानी है, भरपूर पानी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कुछ छोटी-मोटी त्रुटियों के कारण उन गांवों और ढाणियों के लोगों को पानी नहीं मिले तो यह बड़ी दु:ख की बात है। नर्मदा में पिछले साल भी मैंने घटिया निर्माण कार्य के बारे में माननीय मंत्रीजी को बताया था। एक पालेरा वितरिका जो अभी भी अधूरी है, उस वितरिका में इतना घटिया काम किया कि जब भी उसमें पानी डालो, जैसे ही पानी जाता, लीकेज होकर वे टाइल्स बिखर जाती हैं और वह वितरिका टूट जाती है। उसकी जांच के बारे में मैंने पिछले साल इसी सदन में माननीय मंत्रीजी से अनुरोध किया था, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, क्या नहीं हुई, वह तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहां पर कार्य ठप्प हुआ था, वहीं पर आज दिन तक पड़ा हुआ है, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। सांचोर तहसील ही नहीं, जालौर और बाड़मेर दो जिलों के 1210 गांवों को नर्मदा का पानी पीने के लिये देने की योजना हमारे इस प्रोजेक्ट में है। सांचोर की सभी ढाणियों और गांवों को डिपार्टमेंट की तरफ से डिजाइन करके पिछले दो साल से रखा हुआ है, लेकिन फण्ड की वजह से आगे काम नहीं हो पा रहा है। यह भी बड़ा दु:ख का विषय है। पुरानी व्यवस्था से हमारे वहां पानी की सप्लाई चल रही थी, लेकिन जैसे ही नर्मदा का पानी आया, नर्मदा को क्रॉस करके जहां- जहां भी पाइप लाइन आगे के गांवों में जा रही थी, हमने सबने सहयोग करके और तेज धूप में एक महीना खड़े रहकर वहां फटाफट मोटरें लगाकर उसी पाइप लाइन से नर्मदा का पानी सांचोर के गांवों और ढाणियों को देने का पूरा प्रयास किया। आज भी वे उस पानी का आनन्द ले रहे हैं लेकिन उसमें एक समस्या अभी यह आ रही है, माननीय मंत्री महोदय, जैसे सांचोर से जाणवी जो पूरा लूणी नदी का डेल्टा एरिया है, नहर क्षेत्र के गांव हैं, वहां पर जमीनी पानी की व्यवस्था या भूमि जल स्रोत नहीं है। वहां भी हम लोग नर्मदा का पानी दे रहे हैं। सांचौर से हाड़ेचा तक दस की लाइन से पानी जा रहा है और हाड़ेचा के आगे जो लाइन है, जो दस गांवों को पानी देती है, वह चार इंच की लाइन है, उसमें भी ढाणियों में लोग बीच बीच में कनेक्शन कर लेते हैं, तो प्रैशर पड़ता नहीं है और आगे के गांवों में पानी जाता नहीं है। जिस प्रकार से नर्मदा का पानी सीलूका प्रोजेक्ट से हम

(श्री जीवाराम चौधरी)

लोग दे रहे हैं, ऐसे पांच-सात प्रोजेक्ट बनाकर पूरी तहसील में सभी गांवों और ढाणियों को नर्मदा का पीने का पानी देने की हमारी व्यवस्था है, उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस साल उनको बजट देकर वह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए ताकि हमारे वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

सांचोर लिफ्ट का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, उसमें भी कम से कम एक लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई आएगी। लेकिन उसमें एक पुलिया और लिफ्ट का काम अभी अधूरा है, उसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको आप प्रोपर मानिटरिंग करके थोड़ा जल्दी करवाएं ताकि आने वाले सीजन में हम उन काश्तकारों को भी नर्मदा का पानी दे सकें।

जिन-जिन गांवों और ढाणियों में भूमि जल उपलब्ध है, उसमें मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में लगभग 80-85 बोर खुदवाये थे। माननीय सदस्यों ने हैण्डपम्प की बात की, मेरे वहां ट्यूबवैल नहीं हैं, अगर आप सभी माननीय सदस्यों को हैण्डपम्प देते हो तो मुझे हैण्डपम्प के बदले जितने ट्यूबवैल दे सको, उतना मैं आपसे मांग करता हूं कि मुझे हैण्डपम्प के बदले ट्यूबवैल दिया जाए।

मेरी एक समस्या है, मंत्री महोदय, मैं पिछली बार पहली बार विधायक बना था, मुझे पता नहीं था कि विधायक कोटे का पैसा अगर जी एल आर बनाने के लिये देते हैं या टांका बनाने के लिये देते हैं तो उसमें पाइप लाइन का पैसा भी साथ में देना पड़ता है। ऐसा मुझे पता नहीं था। उसकी वजह से मैंने जहां-जहां भी लोगों ने डिमाण्ड की, वहीं मैंने 133, 10 कि.ली. के जी एल आर बना दिये। पिछले पांच साल से वे सूखे पड़े हैं। उसमें पाइप लाइन को जोड़ने के लिये मैंने आपसे लिखित निवेदन भी किया, दो-तीन बार चीफ इंजीनियर जोधपुर से यहां प्रस्ताव भी मंगवाये। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कार्य को तुरन्त हाथ में लेकर मेरे 133 जी एल आर जो एम एल ए कोटे से बने हैं, उनको पाइप लाइन से जुड़वाएं ताकि नर्मदा का मीठा पानी हमारे लोगों को पीने के लिये उपलब्ध हो सके। जालौर और आहोर दो शहरों को नर्मदा का पीने का पानी देने की योजना बनी हुई थी, उसमें 1100 मिलीमीटर के पाइप लगभग 150 किलोमीटर जमीन में डाले जा चुके हैं, लेकिन उस पाइप में पानी डालने के लिये जहां हौद बनना है, जहां फिल्टर प्लांट लगना है, उस भूमि की अभी तक अवाप्ति नहीं हुई है। धारा 4 के नोटिस दे दिये उसके बाद

(श्री जीवाराम चौधरी)

में वहां कोई प्रोग्रेस नहीं है। वह पाइप लाइन अभी जमीन में पड़ी है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे जनरल कार्य में, जन हित के कार्य में मान लो कोई भूमि विवाद है तो उसका जल्दी से निपटारा करके वहां जमीन की उपलब्धता करावें ताकि 1100 मिलीमीटर की पाइप लाइन में पीने का पानी हमारे जालौर और आहोर के निवासियों को मिले। वैसे जालौर जिले का सांचोर बड़ा विधान सभा क्षेत्र है, अब की बार आपने कंटिंजेंसी में जो बजट दिया, उसमें मुश्किल से एक ट्यूबवैल दिया है और 8-9 लाख रुपये दिये हैं, वह मेरे हिसाब से बहुत कम हैं, उसको भी आप थोड़ा दिखाने का कष्ट करें।

अभी इस भंयकर गर्मी में हमारे विभाग में पहले से ए.ईएन. की, जे.ईएन. की, हेल्परों की और लाइनमैनों की कमी चल रही है और सरकार ने 10-15 दिन पहले सैकड़ों अधिकारियों को 16 सी सी ए के नोटिस पकड़ा दिये। अब इन नोटिस का वे लोग जवाब देने के लिये छुट्टी लेकर काम करेंगे या फील्ड में रहकर जनता की सेवा का काम करेंगे, मुझे नहीं लगता। इससे स्टाफ की भारी कमी होगी। इसकी भी आप थोड़ी व्यवस्था करावें।

हम लोग विभाग को जो जीप देते हैं, माननीय सभापति महोदय, उसके लिए उनको महीने के दस हजार रुपये किराये के देते हैं। आज ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो 10 हजार रुपये में आपको एक महीने की सेवाएं दे। मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें कुछ अमाउंट बढ़ाएं या कुछ ऐसा सिस्टम करें ताकि उन अधिकारियों के पास कम से कम महीने में 20-25 दिन व्हीकल रहे तो वे प्रोपर मानिटरिंग कर सकें। कहीं पर वाल्व नहीं है, कहीं पर टी नहीं है, कहीं पर एल्बो नहीं है, कहीं पर जाइण्टस नहीं हैं, स्टोर में मोटरें नहीं हैं। यह सारी कमी -बेशी है, इसको थोड़ा आप अपने स्तर पर दिखवाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी।

सभी गांव और ढाणियों में पीने के पानी के लिये सरकार ने टैंकरों की व्यवस्था की है और जहां नहीं हुई है वहां करने जा रहे हैं। कुछ जगहों पर इन्होंने टेण्डर किये हैं, सभापति महोदय, पांच रुपये और छह रुपये किलोमीटर के भार से उनको अगर टेण्डर देते हैं, ठेका देते हैं तो मुझे शक है। आज ट्रैक्टर वाला टैंकर अगर एक किलोमीटर चलेगा तो उसको कम से कम दस रुपये प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है और हम उनको 6 रुपये किलोमीटर पानी पिलाने का ठेका देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वह आदमी ईमानदारी से पानी पिला पाएगा। इसको आप अपने स्तर पर दिखाएं।

(श्री जीवाराम चौधरी)

ढाणियों और आबादी भूमि में जितने भी बिजली के कनेक्शन ग्रुप में हुए हैं, हमारे यहां पर भी, जैसा कि मेरे से पहले कई माननीय सदस्यों ने बताया कि कोई ज्योति कंस्ट्रक्शन कम्पनी काम कर रही है, यह बिलकुल सत्य बात है कि वह न तो जन प्रतिनिधियों को कुछ बताती है। अपनी मनमर्जी से, किसी पर्टीकुलर गांव में 150 फाइल्स जमा हैं, 80 कनेक्शन कर दिये या बाकी बीच में अधूरा छोड़कर दूसरे गांव में काम करना शुरू कर दिया। उस पंचायत या गांव में 80 कनेक्शन अभी भी बाकी पड़े हुए हैं। उनको, मंत्री महोदय, आप अपने स्तर से दिखवाएं और जिन-जिन ढाणियों में कनेक्शन नहीं हुए हैं और जिनकी फाइल्स जमा हैं, जिनके डिमाण्ड नोट निकल चुके हैं, ऐसे लोगों को तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन दिलवाएं।

नर्मदा में जो-जो भी क्रासिंग पुलिया बनी हैं, सभापति महोदय, कई जगह नर्मदा की ऊंचाई है जहां फिलिंग करके नहर बनायी है, उस पर उन्होंने पुलियाएं बना दी लेकिन उनमें रैम्प नहीं बनाये, इस वजह से आदमी कैसे उस पुलिया को क्रास करेगा? मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जितनी भी ऐसी पुलियाएं नर्मदा के ऊपर हैं या नर्मदा की वितरिकाओं के ऊपर हैं, उन सारी पुलियाओं पर प्रापर ढंग से रैम्प बनवाएं ताकि लोगों को आवाजाही में असुविधा नहीं हो। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: प्रोफेसर फूलचन्द भिण्डा।

सूचना

पत्रिका टीवी के कार्मिक पर हमला

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इन्फारमेशन। अभी-अभी नीलम होटल के नजदीक विधायकपुरी थाने के यहां पर पत्रिका टी वी कैमरे के गोविन्द शर्मा पर एक कार जिस पर कांग्रेस संगठन मंत्री लिखा हुआ था आर जे 14-9504, उससे हमला किया गया, हमलावरों के पास हथियार थे। गोविन्द शर्मा ने अभी विधायकपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी है। सभापति महोदय, मैं सरकार में बैठे मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की गुण्डागर्दी कांग्रेस के पदाधिकारी कर रहे हैं, यह शर्मनाक है। पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है इसलिए यह घटना ज्यादा खतरनाक है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ इन्फारमेशन के तहत आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, that is more than enough.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह तो लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर हमला हो गया। सरकार बैठी है, संवेदनशील सरकार है, इनको रिएक्ट करना चाहिए वर्ना आरोप रिकार्ड में चला जाएगा।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द भिण्डा।

राज्य में पेयजल, अकाल और बिजली की स्थिति पर विचार

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, आज पेयजल और ऊर्जा पर वाद-विवाद चल रहा है, सभी माननीय सदस्य पेयजल की समस्या पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में भेदभाव वह नहीं कर रहे होंगे, प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव हो रहा है। सरकार ने सात हजार कुछ हैण्ड पम्प वर्षभर में लगाने का डाकूमेंट प्रस्तुत किया है, लेकिन जैसा कि पक्ष के ज्यादातर माननीय विधायक चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, जब माननीय कर्नल साहब बोल रहे थे, कि सात हजार में से पैंतीस-पैंतीस हैण्डपम्प प्रत्येक सदस्य को मिलते हैं। चाहे मंत्रीजी नहीं कर रहे हैं लेकिन भेदभाव जरूर हो रहा है। मेरे क्षेत्र में दस से ज्यादा हैण्ड पम्प नहीं लगे। अगर औसत निकालें तो 35 हैण्डपम्प आते हैं। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि पिछली सरकार ने एक लाख छप्पन हजार हैण्डपम्प पांच साल में लगाये थे, औसतन 31 हजार हैण्ड पम्प प्रति वर्ष लगाये थे। अभी तक सात हजार लगे हैं और वह भी भेदभाव तरीके से लगे हैं। इस कारण से मेरा विनम्र निवेदन है कि पानी सबको चाहिए। सभी जीतकर आये हैं, किसी को ज्यादा वोट मिल गये इसलिए यहां आ गया, वर्ना वहां दोनों पार्टियां लड़ी हैं इसलिए पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी इसकी मान्टिरिंग करेंगे।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह अरावली श्रृंखला की तलहटी में बसा हुआ है और वहां चट्टानें हैं। पिछली सरकार ने सितम्बर-अक्टूबर, 2008 में सात स्कीम्स, छह ऐसे गांव हैं जहां हैण्डपम्प सफल नहीं हैं, पारित की थीं। टेण्डर हो गये थे और एक नगरपालिका के छह वार्ड जिनमें चट्टानें हैं, स्कीम्स स्वीकृत हो गयी थीं। टेण्डर के बाद उनको निरस्त किया गया, यह भी एक तरह से

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

पानी पर राजनीति करने जैसा ही उदाहरण है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए उन सात की सात स्कीम्स को पुनः स्वीकृत किया जाए और अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाए। हैण्डपम्प असफल होते जा रहे हैं, उनका दो साल से ज्यादा जीवन काल नहीं है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ सौ, दो सौ से बड़ी ढाणियां और एक हजार की आबादी के छोटे गांवों में सिंगल फेस के अगर बोरिंग किये जाएंगे और वे पांच सौ-छह सौ फीट के अन्तर्गत होंगे तो निश्चित तौर पर पांच साल तक उनका जीवन काल होगा। कम से कम वर्तमान सरकार का कार्यकाल तो पूरा हो जाएगा। उससे बड़ी आबादी में, अब तक कुछ मापदण्ड तय हैं कि पांच हजार की आबादी तक उच्च जलाशय बनेंगे, उसको भी राजस्थान की स्थिति को देखते हुए कम किया जाना चाहिए। एक हजार और दो हजार के बीच में बोरिंग और जी एल आर बनाये जाएं और तीन हजार की आबादी पर उच्च जलाशय बनाकर 2020 और 2025 तक की व्यवस्था की जाए, ऐसा मैं सदन के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। हैण्ड पम्प्स को ठीक करने का अभियान चलाया गया, ऐसा डाकूमेंट में कहा गया है, लेकिन वास्तव में धरातल पर ऐसा नहीं है। हां पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि हैण्ड पम्प्स की जल्दी मरम्मत करायी जाए और एक विशेष अभियान चलाकर ऐसी व्यवस्था की जाए। जो स्वीकृतियां हों, मैं जयपुर जिले का उदाहरण दे रहा हूं कि अक्टूबर में आपात योजना में कार्य की घोषणा की गयी थी, कलक्टर के माध्यम से आबंटन हुए थे लेकिन अभी तक हैण्ड पम्प नहीं लगे, सिंगल फेस के बोरिंग नहीं लगे, बड़े बोरिंग नहीं लगे। ऐसी स्थिति में जब अकाल है तो निश्चित तौर पर मानिटरिंग की अत्यधिक आवश्यकता है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, पन्द्रह वर्षो से राजस्थान में जल संग्रहण की योजनाएं चल रही हैं लेकिन धरातल पर ऐसा दिखता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं किजो कुए बन्द हो गये हैं, क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया, कुए बन्द पड़े हैं, नरेगा योजना का उपयोग करते हुए जिन खेतों का ढलान कुओं से अपोजिट साइड होता है, उसको कुओं की तरफ करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाए। अकाल राहत के अन्तर्गत उनको अनुदान दिया जाए ताकि जल संग्रहण के अन्तर्गत जैसे गुजरात का उदाहरण है, उसी प्रकार से हम राजस्थान में भी कर सकें।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

सभापति महोदय, स्कूल्स में भी हैण्डपम्प की स्थिति खराब है। मेरे क्षेत्र में कई स्कूल्स हैं जिनमें नीचे हैण्डपम्प सफल नहीं हैं और पानी का कोई और स्रोत नहीं है। इस कारण से उनकी स्थायी व्यवस्था की कोई योजना बननी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी ने एक पीड़ादायक पत्र जल के लिए लिखा था, वास्तव में हमारा सदाचार और संस्कार जो बिगड़ा है, उसका यह परिणाम है। प्रकृति ने हमें जल और हवा दोनों नि:शुल्क दिये थे लेकिन आज हम पैसे देकर भी पानी और हवा के लिए तरस रहे हैं। हमारी दिनचर्या और संस्कृति को हमने पाश्चात्य आचरण के माध्यम से बिगाड़ा है, यह उसी का परिणाम है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं, एक सन्त ने मुझे एक बार कहा कि आप नहाते समय साबुन कितनी बार लगाते हो। मैंने कहा कि एक बार तो कम से कम लगाता हूं। तो उन्होंने कहा कि सात दिन में एक बार लगाइये, पानी बचेगा। मैं उसके बाद पिछले आठ साल से सात दिन में एक बार ही साबुन लगाता हूं, पानी की बचत हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय है ऊर्जा, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में पिछली सरकार ने तीन प्रकार से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की थी- शाम के समय छह बजे से ग्यारह बजे तक बच्चों और गृहस्थ के लिए और सुबह चार बजे से आठ बजे तक महिलाओं के लिए विद्युत प्रवाह चलता था। वह निरन्तर चलता रहा। सरकार बदली उसी के साथ बिजली की दिनचर्या बदल गयी। अपने आप कटौती होने लग गयी। सरकार रिकार्ड में तो छह घंटे बताती है लेकिन जो जनता की अदालत है, उसमें कहीं छह घंटे का रिकार्ड नहीं है। जितने भी एक्स ईएन आफिस हैं, उनमें रिकार्ड है, आप ढूंढ लीजिए। आज किसान बिजली के लिए परेशान है। परेशान बिजली से इतना नहीं है जितना अव्यवस्था से है। आज किसानों के सामने दो संकट हैं- डी पी जल जाती है तब उसको ले जाना पड़ता है और बाद में लाना पड़ता है। एक बार साधन लेकर जाता है, उस दिन ठीक नहीं होती है तो दूसरे दिन फिर जाना पड़ता है। दूसरा डी पी चोरी होती है तो चोरी के लिए पहले जाकर इन्फार्म करना पड़ता है किसान को। ए ईएन, जे ईएन मिल जाए तो भगवान की मर्जी है और नहीं मिलता है तो फिर चक्कर लगाना पड़ता है। फिर ए ईएन, जे ईएन को कहता है कि आप एफ आई आर लाज कराने जाओ। उसमें पांच-छह दिन लग जाते हैं। जब एफ आई आर लिख जाती है तो वे कहते हैं चोरी के ज्यादा मुकदमे हो जाएंगे तो फिर गृह मंत्रीजी

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

नाराज हो जाएंगे। 10 से 11 परसेंट कहीं नहीं हो जाए इसलिए थानेदारजी टरकाते रहते हैं। 15-12 दिन बाद तो एफ.आई.आर. दर्ज होती है। एफ.आई.आर. की कापी होने के बाद में डी.पी. की फाइल चलती है कि किसान को डी.पी. दी जाए। इस प्रकार का जो सिस्टम है, अभी नावां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 72 घंटे, मैं तो कहता हूं कि कई ऐसे उदाहरण हैं कि 72 दिन में भी डी.पी. प्राप्त नहीं हुई काश्तकारों को। मेरे इलाके में आज ही मुझे टेलीफोन से जानकारी प्राप्त हुई कि 45 दिन हो गये, उसके पास रसीद है, किसान को डी.पी. 45 दिन से नहीं मिली। एक केस कल आया था मेरे पास, उसमें 11 दिन हो गये लेकिन एफ.आई.आर. लाज नहीं हुई। कल मैंने एस.पी. को कहा तब जाकर एफ.आई.आर. लाज हुई। आज उसे डी.पी. की बात के लिए बुलाया गया है। इस प्रकार की अव्यवस्था है। केवल इस अव्यवस्था को ही ठीक करेंगे तो किसान का भला होगा। फसल जल रही है उस समय इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसान को बड़ी दुखदायी होती है, वो भी अकाल राहत के समय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उद्योग के बारे में कोई संकट आता है तो कर राहत मिलती है, लोन माफ होता है, ब्याज माफ होता है। दारू का पैसा वसूल करने के बाद भी उसको वसूल करने के लिए ब्याज, ब्याज से मूल माफ होता है। लेकिन किसान के लिए केवल वो स्थगित होता है जो अल्पकालिक, दीर्घकालिक ऋण होता है। तो क्या किसान को इस रूप में राहत नहीं दी जानी चाहिए? मैं इस सदन से ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब अकाल राहत होता है तो राहत महसूस करता है अधिकारी जो बेइमानी करता है। अकाल राहत में किसान आहत होता है, मजदूर राहत प्राप्त करता है। ये दोनों बातें हैं। यह संकट दूर होना चाहिए। नि:शुल्क बिजली दी जानी चाहिए, नि:शुल्क खाद दी जानी चाहिए अकाल राहत के अन्तर्गत और नि:शुल्क दवाई दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार से आज उलटा काम इस सरकार ने किया। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, मिनिमम 7.5 हार्स पावर का जो कनेक्शन है उस पर एक लाख रुपया- 80 हजार का ट्रांसफार्मर और 12 हजार रुपये तार और खम्भा मिला करके, लगभग एक लाख रुपये हैं, उस स्कीम को आप या तो समाप्त करिये, वर्ना तो आप इसमें रिलैक्स करिये।

इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप 90 पैसे की बात कर रहे हैं,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

उस किसान से आप दो रुपये दस पैसे लेंगे और इसमें स्थायी सेवा शुल्क और है। अकाल राहत में और मत करिये, अभी सीतापुरा में जो पैट्रोल का काण्ड हुआ उसमें आपने कर राहत दी है, मैं कह रहा हूं कि आप किसानों को स्थायी सेवा शुल्क जो 225 रुपये लगता है, उसको तो कम से कम सात-आठ महीने तक माफ कर दीजिए। वो सीधी राहत किसान को मिलेगी। अकाल राहत में कोई भी काम किसान के भले के लिए नहीं चलने वाला। गांव के मजदूर के लिए चलना चाहिए। मैं उसका विरोधी नहीं हूं लेकिन किसान के लिए राहत में कुछ काम नहीं होता, केवल एक्सटेंड होता है। ब्याज माफ क्यों नहीं होना चाहिए? जो लोन है, इस वर्ष के लिए लोन माफ होना चाहिए, स्थायी सेवा शुल्क माफ होना चाहिए और मैं तो यह कहूंगा कि बिजली पर भी सेल्स टैक्स है, किसान के घर की जो बिजली है उसका भी सेल्स टैक्स इस वर्ष के लिए माफ होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था आप करें तब तो किसान को राहत मिलेगी, वर्ना राहत मिलने का कोई कारण नहीं है।

इस समय पशुधन बचाने की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि पशुधन अगर ज्यादा नष्ट हुआ तो अगले पांच-छह वर्ष तक, क्योंकि चार-पांच साल में दोबारा जो पशुधन होता है उसका री-प्रोडक्शन होता है, इस कारण से अगले दो -तीन साल में दूध का संकट हो जाएगा। इस कारण से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चाहे जितनी ऐड देनी पड़े लेकिन चारे के कारण से पशु नहीं मरना चाहिए, पानी के कारण से पशु नहीं मरना चाहिए।

एक कार्यक्रम के बारे में यहां पर अभी अंकित किया गया था। हमने राजस्थान में फीडर सुधार कार्यक्रम को ठेके पर दिया है, आज डी.पी. ए.ईएन. के पास नहीं मिलती, एक्स.ईएन. के पास नहीं मिलती लेकिन उस ठेकेदार के पास डी.पी. का बाड़ा बना हुआ है, वहां पांच हजार रुपये दीजिए, आप डी.पी. ले जाइये। इस व्यवस्था को खतम करिये क्योंकि वो ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं और ठेकेदार इतना ही नहीं करता, वह ठेकेदार खुद काम नहीं करता उसने सबलैट कर दिया, पूरे जिले को सबलैट कर दिया। और सबलैट करने वाले ने भी सबलैट कर दिया। आखिर ऐसा कौनसा नियम है, किस आधार पर हो रहा है? इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, इस सिस्टम को निंदित करिये और कंट्रोल करिये, वर्ना किसान बेचारा रिश्वतखोरी में डूब रहा है, हर स्तर पर लूटा जा रहा है। किसान को अकाल राहत नहीं दे सकें तो यह राहत तो दीजिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

अब अंतिम बिन्दु मैं अकाल राहत के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अगस्त में भारत सरकार ने एक परिपत्र भेजा था कि किसानों को आधे मूल्य पर डीजल दिया जाए। उसमें यह शर्त थी कि टैक्स राज्य माफ करेगा तो हम आधे पैसे आपको देंगे। उसमें एक पैसा किसान को नहीं मिला। मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे यह प्राप्त हुआ है कि चार ही जिले उस कैटेगरी में आते थे। जब हमने रिवीजन पत्र भेजा तो उसमें एक भी जिला नहीं आता है। ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए था कि 27 के 27 जिलों को हमें डीजल में 50 परसेंट रिबेट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि केन्द्र सरकार का पैसा ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जाता, इसके लिए योग्यता चाहिए और प्रयास चाहिए। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं इस मामले में क्योंकि यह किसान का मामला था, कि किसान का कोई मालिक नहीं है। जब भगवान ही मालिक नहीं है तो किसान का कौन मालिक है? इस सरकार ने यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, केन्द्र से जो पैसा मिल सकता था उसको लाने का बिलकुल प्रयास नहीं किया, यह मैं आरोप लगा रहा हूं। क्योंकि उसको आधे पैसे में डीजल मिलना था, जो कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर है, कृषि कार्य के लिए जो डीजल इंजिन था उसको आधे पैसे में डीजल मिलना था, वो नहीं मिला। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि स्थायी प्रकृति के जो कृषि सुधार कार्यक्रम हैं वो चलाये जाने चाहिए। ऊर्जा डिपार्टमेंट भी यहां है, जलदाय डिपार्टमेंट भी यहां है, कम से कम जो पैंडिंग कृषि कनेक्शंस हैं, अभी नावां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 64 हजार कनेक्शन हो गये, मैं तो कह रहा हूं, 6 महीने पहले जिनकी सिक्योरिटी जमा हुई थी, मेरे अकेले के विधान सभा क्षेत्र में 60 केस ऐसे हैं जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गये उनको कनेक्शन नहीं दिया गया। मैं तो कह रहा हूं कि आप निःशुल्क कनेक्शन दीजिए। अकाल राहत का पैसा आ रहा है वो किसान को सीधा माफ हो जाएगा। आप तो जितना देना है, कृषि कनेक्शन दीजिए। जब आषाढ़ आए, कम से कम आषाढ़ के महीने तक निःशुल्क बिजली दीजिए किसान को आप, राहत महसूस करेगा, वर्ना राहत महसूस नहीं करेगा।

अभी आपने अनुदान की मांगों पर 751 या 771 करोड़ मंजूर कराये हैं, जो खराबा हुआ है, आठ महीने बाद खराबा बांटने के लिए पटवारी को आपने अब लगाया है। और कब बांटेगा? तब तक तो यह फसल भी चली जाएगी।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

किसान के मामले में ऐसा मत करिये। जो डूबा हुआ प्रशासनिक तंत्र है उसके माध्यम से किसानों को राहत देने का ऐसा मखौल मत उड़ाइये, वर्ना किसान ऐसा है कि अंगड़ाई लेगा तो निश्चित तौर पर यह सारा जो जनतंत्र है, यह अपने आप भूखे मरेगा क्योंकि वो कभी भी नहीं देता।

अकाल राहत के अन्तर्गत, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि अपने घर-घर में गेहूं हो गया था, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र आह्वान करता हूं कि अटलजी की सरकार ने 43 लाख टन गेहूं एक वर्ष में दिया था, उसकी 4 करोड़ 30 लाख बोरियां होती हैं, उतना गेहूं आप आज जनता के बीच में प्रसारित करिये, दिल्ली में आपकी सरकार है, यहां आपकी सरकार है, ऐसा करके दिखाइये तब मैं समझूंगा कि दोनों सरकारें आपकी हैं, तालमेल है और कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है।

अकाल राहत के समय इंडिया की सरकार अटलजी की सरकार थी, 4 करोड़ 30 लाख क्विंटल गेहूं दिया था और आबादी थी हमारी केवल साढ़े पांच करोड़, इस कारण से 80-80 किलो प्रत्येक घर में तब गेहूं पहुंचा था। आज क्या कर रहे हैं? आप अकाल राहत में एक नया पैसा नहीं लाये, अकाल राहत के अन्तर्गत कुछ नहीं लाए। अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अकाल राहत का जो पैसा है वह अभी पूरा पैसा उठाया ही नहीं। आपने पूरा पैसा अलाट ही नहीं किया और बैसाख आ गया। जेठ बचेगा, एक महीने में अकाल राहत में क्या करेंगे? केवल पाखण्ड करेंगे? इससे काम नहीं चलने वाला, जनता देख रही है। जनता सुनती है, जनता सब पहचानती है।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: डा. परम नवदीप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मन से बोलना।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मैं हमेशा ही मन से बोलती हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर पेयजल, बिजली और अकाल पर चर्चा हो रही है जो राजस्थान की जनता के सामने बहुत ही बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। आसन ने भी दो दिन की व्यवस्था दी है इस पर चर्चा के लिए, मगर मुझे दिल से अफसोस है पक्ष और प्रतिपक्ष की उपस्थिति देख कर।

जल है तो कल है। पानी का संकट हमारे सामने है पर कुदरत पर

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

हमारा बस नहीं। बरसात की कमी है, जब पानी कम होगा, बरसात कम होगी तो अकाल होता है और राजस्थान की महान जनता के लिए अकाल कोई नयी बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमारी राजस्थान की जनता कई अकाल, दुकाल त्रिकाल देख चुकी है, मगर आज वो किसी भगीरथ का इन्तजार कर रही है वो कुछ जल संसाधन के प्रयास करे, पानी को बचाने के प्रयास करे, जो पानी है उसे जनता को पिलाने का प्रयास करे। आज जनता राह देख रही है कि पानी पिलाने के वादे कर, अमृत पिलाने के वादे कर कई सरकारें आयीं, चली गयीं, कुछ प्रयास किये, पर जनता वहीं की वहीं प्यासी बैठी है।

इस समस्या का मोटा कारण बरसात की कमी है। मगर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और राजस्थान की जनता को यह कहना चाहती हूं कि बरसात की कमी हुई यह कहकर हमारा विभाग अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। हमें प्रयास करने होंगे। आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे देश ने, हमारे देश के चन्द्र यान ने चांद पर पानी खोज लिया। ऐसी स्थिति में यदि हम यह बात करें कि बरसात कम हो गयी, पानी नहीं है, हम पानी नहीं पिला सकते तो मैं समझती हूं, यह आप अपने काम के साथ और अपनी जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस उम्मीद भरे माहौल में जब देश ने अपना नाम ऊंचा किया चांद पर पानी खोज कर, आज हमारे राजस्थान के सभी प्रतिनिधिगण इस सदन में मौजूद हैं, यह सोचें और इस पर विचार करें कि हम कुछ नया करें तो मैं समझूंगी कि राजस्थान की जनता के लिए यह एक बहुत बड़ी बात होगी।

मैं इस संदर्भ में सभापति महोदय, आपके माध्यम से ही क्योंकि जल संसाधन मंत्रीजी तो मौजूद नहीं हैं, यद्यपि उन्हें मौजूद होना चाहिए था, मैं यह कहना चाहूंगी...

एक माननीय सदस्य: चाय पीने गये हैं।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): कब तक चाय पिएंगे, एक घण्टे से नहीं हैं।

माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करती हूं, थार के, यह बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रही हूं, जरा ध्यान से सुनें साथी। माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करती हूं, थार के मरुस्थल में गहराई में पानी का अकूत सुरक्षित भण्डार होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस सुरक्षित जल

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

भण्डार के दोहन के बारे में अब समय आ गया कि हम गम्भीरता से विचार करें। इस जल भण्डार के बारे में अनुमान है, वैज्ञानिक अनुमान है कि इससे हम पूरे राजस्थान की जनता के कंठ तृप्त कर सकते हैं। सोचिए, यदि ऐसा है तो इसका दोहन कर हम पानी को राज्य के कोने-कोने तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही सिर्फ इसी से नहीं, जो बरसात का पानी है उस पानी को संभालने के पुख्ता प्रबन्ध भी हमें करने होंगे। यदि बांधों और तालाबों की हम संभाल कर लेंगे तो जो हमारा पानी का गिरता स्तर है, जिसके लिए बार-बार बात की जाती है, वह स्तर ऊंचा हो जाएगा। यह एक बड़ा काम है, भागीरथ प्रयास है, यह प्रयास करना होगा। मेरा निवेदन है जल संसाधन मंत्रीजी से कि इस संभावना के बारे में तथ्यात्मक जानकारी इस सदन में अपने जवाब के साथ प्रस्तुत करें। यदि ऐसा सम्भव है तो इस पुनीत काम का इसी सदन से इसी सरकार द्वारा श्रीगणेश भी करें। रही बात कि शायद हमारे पास पैसा नहीं होगा राजस्थान में, तो मैं यह कहना चाहूंगी, जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एम एल ए लैड फण्ड के पैसे के बीस प्रतिशत पैसे को कहा कि इसे पानी के लिए दे दिया जाएगा, मैं समझती हूं राजस्थान के सभी सांसदगण, सभी विधायकगण इस काम के लिए कम से कम अपना बीस से पच्चीस परसेंट पैसा जो एम एल ए और एम पी फण्ड का है, वह देने में कोताही नहीं बरतेंगे।

मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, हमारे मंत्रीजी का और सरकार का ध्यान इस बात पर ले जाना चाहती हूं कि जो हमारे अन्तरराज्यीय जल समझौते हैं, उनके तहत जो राजस्थान के हिस्से का पानी है, वह हमें नहीं मिल रहा। वर्षों से यह शिकायत राजस्थान की जनता को रही है कि जनता के हक का पानी उसे नहीं मिल रहा। चाहे पंजाब से हमारे पानी का हक है, चाहे हरियाणा से है, चाहे मध्य प्रदेश से है, चाहे गुजरात से है, हम हमारा पानी नहीं ले पा रहे। अब जरूरत है हमें पानी की, अब यह भी जरूरत है कि हम हमारे हक का पानी इन विभिन्न सरकारों से लें। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे अपने उच्च स्तरीय प्रयास करें। मैं समझती हूं, यदि हमारे जलदाय मंत्री महोदय विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे इस मामले में तो विपक्ष साथ देगा क्योंकि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में उनकी सरकारें हैं। चलिए, पिछले वक्त नहीं हुआ, अभी सही, राजस्थान की जनता के लिए अब सही। हम यह प्रयास करें, एक सकारात्मक प्रयास हो और हम किसी नतीजे पर पहुंचें और हमारी जनता को हम पानी सुलभ करा सकें।

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

माननीय जल संसाधन मंत्रीजी के कन्धों पर बहुत बोझ है, यह बोझ अभी और बढ़ेगा मई-जून के महीने में। आपके ऊपर यह दवाब भी रहेगा कि जो हमारे बांध हैं, उनकी मरम्मत समय रहते हो जाए। आपको ध्यान ही होगा, पूर्ववर्ती सरकार के समय अफसरान की लापरवाही की वजह से हमारे मारवाड़ का प्रसिद्ध जसवन्त सागर बांध टूट गया था, जो पानी था सारा वेस्ट हो गया था। तो ऐसा मैं समझती हूं कि पुराने जो कड़वे अनुभव हैं, वे दोहराये नहीं जाएं, अफसरान यह लापरवाही नहीं करें, इस चीज को सुनिश्चित किया जाए और बारिश आने से पहले सभी बांधों और तालाबों की मरम्मत हो।

इसके अलावा, जब जमाना चला नलों और हैण्ड पम्पों का, तब हमारे जो प्राचीन कुएं और बावड़ियां थीं, उनका कोई धणी-धोरी नहीं रहा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारे कुछ कुओं और बावड़ियों का तो जीर्णोद्धार हो गया है, पर मैं समझती हूं कि इनमें जो पानी अभी भी आता है यदि उसमें निकासी की व्यवस्था हो, उनकी सफाई की व्यवस्था हो, उनका जीर्णोद्धार हो तो यह पानी कम से कम नहाने, धोने के काम आ सकता है।

मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। अभी कई सदस्यों ने यह बात कही कि हमारे पानी खारा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, वैज्ञानिक युग है, कौनसा पानी है जिसको हम रीसर्कुलेट नहीं कर सकते? सभापति महोदय, इजरायल के अन्दर सीवरेज का पानी बाटल पानी के रूप में आता है। वहां पानी की कमी है, उन्होंने पानी की महत्ता को समझा है। वर्षों पहले यहां से हमारे सदन के सदस्य गये थे ड्रिप इर्रिगेशन को देखने के लिए, हमारी सरकार ने हमारे सदस्यों को, कुछ यहां के अफसरान को सिंगापुर भेजा था, मगर अफसोस! ये चीजें आगे लागू नहीं हुई।

इजरायल के अन्दर पानी को नेशनल प्रोपर्टी माना गया है। यदि ट्यूबवैल आप खुदवाते हैं तो सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। जब हमारे यहां पर भी यह किल्लत है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हमें ये प्रयास करने चाहिए और मैं समझती हूं, जब पूरा सदन इतना चिन्तित है तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हमें हमारे राजस्थानवासियों को पानी पिलाने के लिए, हमारी फसलों को पानी देने के लिए ये प्रयास करने चाहिए चाहे वह ड्रिप इर्रिगेशन की बात हो, चाहे पानी के रिसर्कुलेशन की बात हो, चाहे

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

अन्तरराज्यीय जल समझौते की बात हो जिसमें हमें पानी लेना है। हमारा पानी का जो हिस्सा पंजाब से आता है 0.8 एम ए एफ, जो अभी तक नहीं मिल रहा, चाहे इसके लिए हमें केन्द्र सरकार के पास जाना पड़े, विपक्ष को साथ लेकर जाना पड़े, हमें जाना चाहिए। यह हमारे हक का पानी है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगी मैं मंत्री जी को कि जो पानी हमारे हिस्से का आता है, क्योंकि मैं जिस इलाके से आती हूं हनुमानगढ़ जिले से, हमें तो पीने का पानी भी नहरी तंत्र से मिलता है, हमारे अफसर वहां पर नहर की मरम्मत नहीं करते। नहरें टूट न जाएं इसलिए उसमें पानी कम चलाते हैं। यदि पंजाब से भी ज्यादा पानी आ रहा है तो उसे भी कम चलाएंगे कि नहर टूट जाएगी। यह बहुत ही अशोभनीय बात है। ऐसी बातें न हों, इसकी उम्मीद हम हमारे मंत्री महोदय से करते हैं। क्योंकि गाड़ी तो हमारे मंत्री महोदय ही चला रहे हैं, स्टीयरिंग उनके हाथ में है तो इन्हें देखना पड़ेगा कि अफसरान कहां-कहां गलती कर रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र संगरिया की कुछ पेयजल की बातें भी रखना चाहूंगी। चूंकि हमारे यहां पानी नहरी माध्यम से आता है, नहरों के माध्यम से आता है तो मैं समझती हूं, आई जी एन पी, गंग नहर और भाखड़ा सिस्टम से सिल्ट निकाल दी जानी चाहिए। पिछली बार जब पानी पर चर्चा हुई थी, पिछले वर्ष, तब भी मैंने यह बात कही थी, माननीय मंत्री महोदय, कि सेम निवारण बोर्ड बने, इस पानी को लिफ्ट किया जाए। मैं समझती हूं, इस बार आप गौर फर्माएंगे और हमारे यहां सेम निवारण बोर्ड बनेगा। हजारों-हजारों किसानों की आशीष लगेगी, मंत्री महोदय, आपको।

हमारा जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है बी वी एम बी, उसमें हमारा दखल बिलकुल नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं पाते, बेबस हो जाते हैं। वहां पर हमारा मजबूत दखल होना चाहिये। पिछली बार हमारी गहलोत सरकार ने साढ़े पांच अरब रुपये इंदिरा गांधी नहर के जीर्णोद्धार के लिये दिये, अब वक्त आ गया कि भाखड़ा कैनाल सिस्टम को भी आप दुरुस्त करें।

हमारे हलके में भाखड़ा क्षेत्र में मात्र 6897 मुरब्बा खाले पक्के हुए हैं, सभी खाले पक्के होने चाहिये। टेल तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी अफसरों की होनी चाहिये और इसकी जवाबदेही भी अफसरों के लिये तय करनी चाहिये। पानी चोरी जो अफसर कराते हैं, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिये और

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

उनके खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज होनी चाहिये। मैं इस सदन के माध्यम से, सभापति महोदय, यह बात बताना चाहती हूं, कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि हमारे यहां जो पानी आ रहा है भाखड़ा सिस्टम से वह सिर्फ पीने के लिये दिया जाएगा 200 क्यूसेक्स। जो 1400 क्यूसेक्स पानी चल रहा था, मात्र पीने के लिये 200 क्यूसेक्स मिल रहा है। 17 मार्च से यह घोषणा हुई। 17 मार्च से जब यह घोषणा हुई, पानी चला तो कुछ लोगों ने उसे अपने खेतों में लगा लिया। मैंने खुद जो सीनियर आफिसर हैं हनुमानगढ़ में, उन्हें फोन किया कि देखिये, पानी चोरी हो रहा है, विधान सभा चल रही है, आप जानते हैं, मैं किस शिद्दत से मुद्दे उठाती हूं, मैं इस बात को विधान सभा में उठाऊंगी। और आज इस सदन की मेज पर मैं यह बात रखना चाहती हूं कि पानी चोरी हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई हनुमानगढ़ में अफसरों के प्रति। अफसरों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिये। उनके खिलाफ भी एफ आई आर दर्ज होनी चाहिये जो पानी की चोरी करवाते हैं।

संगरिया के अन्दर मैं निवेदन करती हूं, इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलोजी और वाटर मैनेजमेंट की स्थापना हो, माननीय मंत्री महोदय। फसलों के पानी का जो कैलेण्डर बनता है, वह फसलों के हिसाब से पानी का कैलेण्डर बने।

शहरों के साथ जैसी कि अभी बात आयी, हमारी एक साथी ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में पानी के कंजर्वेशन की बात की, उसको मैं कुछ अपने तरीके से कहना चाहती हूं, कि शहरों के साथ-साथ गांवों में भी पानी कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग की योजना की प्रतिबद्धता होना जरूरी है। यह नहीं कि आज हम जयपुर में कर लें और बाद में गांवों में करेंगे। गांवों में भी यह जरूरी है। बच्चे को जिस तरह से अभी बात कही गयी थी, यह शिक्षा दी जाए कि पानी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस तरह से इसकी वेस्टेज कम से कम हो। यह बात यदि बचपन में ही बता दी जाए, बच्चों को यह पाठ पढ़ा दिया जाएगा तो यह एटीट्यूड हो जायेगा हमारी आने वाली पीढ़ी का। अपनी लाइफ स्टाइल के अन्दर यह चीज आ जाती है तो हम किसी चीज की बचत करने लगते हैं। यदि पानी की भी बचत आने वाली पीढ़ी करने लगेगी तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये एक बहुत अच्छी बात होगी।

संगरिया विधान सभा क्षेत्र में मेरी कई पानी की योजनाएं एबेयंस में पड़ी हैं, उसके बारे में कहना चाहूंगी। पर एक बात मैं बड़े अफसोस के साथ

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

कहना चाहूंगी, अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई हनुमानगढ़ के अन्दर, बीकानेर डिवीजन से कमिश्नर साहब आये। उनका कागज है मेरे पास में, जो यह कह रहे हैं कि हमारे हनुमानगढ जिले में वर्तमान में 1773 आबाद गांव हैं जिसमें से 1708 गांवों को ही विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित किया है। यानि कि 65 गांव, सभापति महोदय, अभी भी किसी जल योजना से उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा, हमें 60 वर्ष हो गये आजादी लिये।

आपके माध्यम से, मेरी कुछ योजनाएं जो एबेयंस में पड़ी हैं, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास अब केन्द्र सरकार से पैसा आ गया है, जल्दी से जल्दी इनकी वित्तीय स्वीकृति करा कर इनका काम चालू कराएं। मेरी टिब्बी तहसील की बुरानपुरा, चाहूवाली, मसीतावाली, सिल्वालाखुर्द, मिर्जावालीमेर, महरवाला, 3-आर डब्ल्यू डी, श्योदानपुरा, रामपुरा, इसके अलावा मेरी संगरिया तहसील के अन्दर हरिपुरा, मुकेरा, किशनपुरा, भगतपुरा, दीनगढ़, भांकरावाली, संतपुरा, ढोलनगर, मालारामपुरा, इन्दरगढ़, रासूवाला, चखीरासिंहवाला, 14 एम के एस, सीकरवाली, पिनालिया वाली ढाणी, इन्दरपुरा, बख्तावर सिंह की ढाणी, मोरजंट, सिखान, नाथवाना, झंडवाला सिखान, अमरपुरा, जालू, शापिणी, बगुलावाली, माणकसर, फतेहपुर और टिब्बी क्षेत्र की खाराखेरा, पीरकामड़िया, सलेमगढ़, मसानी, टिब्बी प्रोपर की 8 जी जी आर और 654 आर डी, यहां कुछ योजनाएं बनी हुई हैंजो एबेयंस में हैं, कृपया इन्हें जल्दी वित्तीय स्वीकृति दिलाएं।

मैं बड़े अफसोस से एक बात और कहना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय। मेरी कुछ योजनाएं जो मात्र 4 लाख या 5 लाख की थीं, उन्हें भी स्वीकृत नहीं किया गया है। जैसे बेनीवाल की ढाणी 3 एम जे डी, वेरो की ढाणी 3 एम जे डी, बागरियों की ढाणी 3 एम जे डी, 5 एन टी डब्ल्यू की ढाणी, 7 एम जे डी, 10 एन टी डब्ल्यू की ढाणी, मात्र 1 करोड़ 18 लाख की 8 योजनाएं हैं जो भी स्वीकृत नहीं की गयीं। जिसमें कुछ योजनाएं तो मात्र 5-5 लाख की हैं। इसी तरह मेरे टिब्बी तहसील की बहुत छोटी-छोटी योजनाएं पिछले एक वर्ष से स्वीकृत नहीं हुईं-8 जी जी आर, 3 के एस पी, 18 जी जी आर, 6 सी डी आर, इनका मात्र 15 लाख का टोटल बजट है जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ज्वलंत बात को रखना चाहूंगी। जिस तरह मैंने बताया, 8 तारीख को हमारे हनुमानगढ़

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

के अन्दर एक मीटिंग हुई जिसमें यह कहा गया कि भाखड़ा नहर प्रणाली से 17 मार्च से केवल पेयजल हेतु ही पानी चलाया जाएगा, ये मिनिट्स हैं उस मीटिंग के। और 26 मार्च का यह अख़बार है मेरे पास राजस्थान पत्रिका जिसके अन्दर मटमैला पानी भाखड़ा के अन्दर दिखाया गया है। भाखड़ा नहर में प्रदूषित पानी, आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगी, क्षेत्र की भाखड़ा नहर में कई दिनों से सेम जैसा स्याह पानी बहकर आ रहा है। नहर के समीपस्थ खेतों में काम करने वाले काश्तकारों एवं सुबह सैर पर जाने वाले लोगों के अनुसार पानी का रंग काला और मटमैला है। इससे पानी में झाग उठते नजर आते हैं। एक पूर्व अभियन्ता के अनुसार पंजाब से पेयजल, आई रिपीट, पंजाब से पेयजल के लिये छोड़े जा रहे पानी के साथ सेम, सीवरेज..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): और औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषित पानी भी डाला जा रहा है।

श्री सभापति: आप विराज जाएं क्योंकि व्यवस्था का प्रश्न है।

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्य ऐसा समाचार पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं हो

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं नियम 269 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। 269 का खण्ड (1) कहता है- कोई सदस्य ऐसे पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं हो। मतलब समाचार पत्रों को उद्धृत तो आप कर सकते हो पर समाचार पत्रों का वाचन नहीं कर सकते, सभापति महोदय। समाचार पत्रों का वाचन करने की परम्परा भी नहीं रही। इसलिये आप माननीय सदस्या को कहें कि उसके हवाले से आप कोई बात कह सकते हैं। अगर समाचार पत्र पूरे के पूरे यहां पढ़ने सदन में प्रारम्भ कर दिये तो मैं समझता हूं, फिर व्यवस्था क्या रहेगी। इन मामलों में कई माननीय अध्यक्षों की पूर्व में व्यवस्था भी दी गयी है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय..

व्यवस्था

समाचार पत्र में लिखी गयी बातों को अपने शब्दों में रखा जा सकता है

श्री सभापति: आपसे मैं निवेदन करूंगा you can give the contents in your own words.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कंटेंट पढ़ लो, आपने तो पूरा का पूरा पढ़ना ही चालू कर दिया।

श्री सभापति: That will suffice you.

राज्य में पेयजल, अकाल और बिजली की स्थिति पर विचार

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): OK. Sir, the point well taken.

मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे संगरिया शहर के अन्दर तारों का जाल बिछा हुआ है, उलझे-उलझे तारों का जाल बिछा हुआ है। आपसे पहले भी निवेदन किया था, अब सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इन उलझे तारों को सुलझाया जाए। ग्यारह हजार वोल्टेज के तार कई स्कूलों के ऊपर से गुजर रहे हैं, कई घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार जल्द से जल्द उठाने का प्रबन्ध किया जाए। साथ ही बच्चों के इम्तिहान आ रहे हैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगी, कम से कम यह बात तो नहीं हो कि अफसर अपनी मर्जी से टाइम टेबल तय करें बिजली का। एक समय सीमा तय होनी चाहिए और बच्चों को पढ़ने के लिए सिंगल फेज की बिजली दें। रात में बिजली पूरी दें ताकि दसवीं और बारहवीं क्लास के बच्चे जो रात को अध्ययन करते हैं, उन्हें बिजली मिल सके। साथ में गर्मी का मौसम आ रहा है, मच्छर, मक्खी होते हैं, पंखे की व्यवस्था हो। तो इनके लिए बिजली की व्यवस्था रात में भी गांवों में करने का प्रावधान करें।

सभापति महोदय, एक निवेदन और है, सिंचाई के लिए पानी पंजाब से आ नहीं रहा, ऊपर वाले बादल भी रूठे, पंजाब के बादल भी रूठे, पर आप मत रूठें। कुछ टयूबवैल्स चलेंगे तो टिब्बी की जो जनता है, जिसने फसल उगा रखी है, लोग अपने टयूबवैल्स से पानी ले लेंगे। आप जानते हैं इस बात को कि पूरे

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

राजस्थान में जो मेरा टिब्बी का हलका है, वह सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। टिब्बी हलका ही पूरे राजस्थान की जनता को गेहूं और चावल सबसे ज्यादा देता है। उसी हलके को यदि बिजली नहीं मिलेगी और उसकी बिजली इस तरह से मनमाने ढंग से कटती रहेगी तो कहां से हम पूरे राजस्थान को अन्न खिलाएंगे, इस बात पर भी ध्यान दें। टाइम टेबल अफसरों की इच्छा से नहीं बदला जाना चाहिए, जनता की जरूरत के हिसाब से बदला जाना चाहिए, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): लाल सलाम, भाई, लाल सलाम।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जहां तक बिजली, पानी और अकाल का सवाल है, वैसे चर्चा में सभी सदस्य चिंताग्रस्त हैं लेकिन मैं उसमें मेरे सुझाव देना चाहूंगा। मैं बिजली के मुद्दे से शुरू करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में विराजे हुए हैं, ग्रामीण इलाके में शाम, सुबह और रात के समय जो उजाले की बात आती है तो, माननीय मंत्री महोदय, सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है। यहां पर ज्यों ही आपकी सरकार आयी है, आपसे तो भारतीय जनता पार्टी वालों की सरकार भी ठीक थी जिन्होंने बिजली के सवाल को लेकर पिछले टाइम में जब विद्यार्थियों की परीक्षा हुआ करती थी, उस दौरान चाहे खरीद करके बिजली देनी पड़े लेकिन बिजली दी। मैं आलोचना करना चाहूंगा यहां सरकार की कि अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और हमारे सीकर जिले में जब मैं रात को विधान सभा से गया, तो पढ़ने वाले बच्चों के लगातार फोन आ रहे थे कि हमारे वहां बिजली नहीं आ रही है और सुबह पेपर है, किस प्रकार से हम पढ़कर जाएंगे। सभापति महोदय, इन्होंने इस प्रकार का कर दिया है कि शहरों में बिजली कभी जाती नहीं और गांवों में बिजली कभी आती नहीं। इस तरह से गांव के साथ जो दोगला व्यवहार इन्होंने किया है, इनकी इस नीति की मैं आलोचना करता हूं और मांग करता हूं कि सुबह और शाम विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए घरेलू बिजली की व्यवस्था करें। वर्ना यदि मोनोपोली करके सरकार करेगी तो उसके नतीजे भी सरकार भुगतेगी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): फिर लाल सरकार आएगी।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना

(श्री पेमाराम)

चाहूंगा। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी सुझाव दिया, मैं भी राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित करते हुए सुझाव देना चाहूंगा कि जो किसान ढाणी में आवास कर रहे हैं, कुआ या टयूबवैल भी बना लिया, पुख्ता मकान बना लिया, 30 और 40 साल से वहां पर आवास कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का समय था उस दौरान ढाणियों में आवास करने वालों को कनेक्शन मिलता था। लेकिन ज्यों ही आपकी सरकार आयी, आपका फीडर सुधार कार्यक्रम तो होगा नहीं, आपने ढाणियों में आवास करने वालों को एक तरह से पाकिस्तानी नागरिक घोषित कर दिया और वहां पर बिजली की पत्रावली लेना बंद कर दिया। एक नीति बनाएं कि फीडर सुधार न हो उसके बावजूद मिले। जिनके टयूबवैल्स वहां पर हैं, वे टयूबवैल्स चलाते हैं, पुख्ता मकान हैं, या तो वे जम्पर डालकर, चोरी करके उजाला करेंगे और इंजीनियर वहां पर जाएंगे और उसकी झूठी बीसीआर भरने का काम करेंगे। यह दोगली नीति है इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह जो पालिसी है इसको चेंज करें और ढाणियों में आवास करने वालों के लिए बिजली के कनेक्शन खोलें। यदि कनेक्शन नहीं देंगे तो वह जम्पर डालकर बल्ब जलाने की चेष्टा करेगा।

सभापति महोदय, 1947 में देश आजाद हुआ और आज शहरों में मर्करी लाइट, श्मशान घाटों में भी मर्करी लाइट लेकिन गांवों में, ढाणियों में बसने वाला एक लट्टू भी चास ले तो यह कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद यदि आप बीसीआर भरो तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। उसके लिए कनेक्शन खोलने का आप काम करें।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं, बीपीएल और एपीएल के बारे में जो कहा था, बीपीएल श्रेणी के लिए इन्होंने ठेका दिया, ठेकेदार बीच में भाग गया तार उतारकर ट्रकों के ट्रक। हमारे सीकर जिले के नीमकाथाना साइड में पकड़ा गया। लेकिन बीपीएल के कनेक्शन ढाणियों में या गांव में जो आबादी से थोड़ा आगे रहते हैं, आवास कर रहे हैं, उनको आज भी दे नहीं पा रहे हैं। यह समस्या कोई मेरे इलाके में ही नहीं है, पूरे राजस्थान में जो बीपीएल हैं उनके कनेक्शन आज भी नहीं दिये हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि बीपीएल के जो भी लोग हैं उनके कनेक्शन के बारे में सरकार एक योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से अब तो दे, क्योंकि आने वाले टाइम में बीपीएल की नयी सूची और जारी होने वाली है। दस साल जो बीपीएल में रह गये उसके बाद सरकार बल्ब जलाने के लिए भी बिजली का कनेक्शन उनको नहीं दे पाये, तो

(श्री पेमाराम)

यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह पूरे राजस्थान के लिए और हम सबके लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले जो लोग हैं उनको हम बिजली तक नहीं दे पाये।

सभापति महोदय, अकाल का समय है, अभी पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सरकार संवेदनशील है। मैं सरकार को राय देना चाहूंगा कि इस अकाल के समय में आपके पास जो भी पैंडिंग पत्रावली हैं, किसान को यदि आप ईजी वे में बिजली का कनेक्शन दे देंगे, सस्ती रेट पर दे देंगे तो वह जमीन का कलेजा चीरकर अनाज पैदा करके अपने बच्चों का भी लालन-पालन करेगा, अपने पशुधन को भी जिंदा रखेगा और अकाल का भी सिर फोड़ने का काम करेगा। मगर आप तो योजना ला रहे हो महंगी वाली, इतनी महंगी वाली कि किसान अपने घर का तमाम जेवर बेचने के बाद भी नहीं ले सकता और उसकी रेट भी महंगी वाली ले रहे हो।

सभापति महोदय, यदि अकाल का वाकई में मुकाबला करना चाहते हैं तो जिस इलाके में पानी है और जहां किसानों ने ट्यूबवैल्स बना लिये, जिनकी पत्रावली आपके पास जमा है, सरकार को चाहिए कि सस्ती रेट पर उनको तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन जारी करने के आदेश करे। इससे आप और हम और सारे राजस्थान की जनता मिलकर इस अकाल का मुकाबला करेगी जिससे सरकार को भी राहत होगी, जनता को भी राहत होगी और पशुधन को भी राहत मिलेगी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ऊर्जा मंत्रीजी, वह बीच में एक घोषणा हुई थी डिग्गियों को कनेक्शन देने की बिना प्रायोरिटी के, उसका क्या हुआ? एक भी कनेक्शन नहीं हुआ कहीं राजस्थान में। इसलिए पुनर्विचार करें, इतनी महंगी कोई बीयर नहीं कर सकता है।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मैं इनकी बिजली नीति की इसलिए आलोचना करना चाहूंगा कि अकाल है ऐसी सूरत में भी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय पैन है तो आप लिखने का कष्ट करें, मेरे इलाके में कंटिंजेंसी में वाटर वर्क्स ने दो ट्यूबवैल्स बना दिये, एक पलथाना गांव में और एक कंवरपुरा गांव में, निजी नहीं हैं, मगर इनका महकमा और पानी वालों का महकमा इतनी दूरी पर है कि सात महीने हो गये, आज तक वहां बिजली का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश नहीं की। दोनों विभागों के

(श्री पेमाराम)

माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं, कितने वर्ष बाद में उनके कनेक्शन देने की कोशिश करेंगे जिससे कि जनता को उन टयूबवैल्स का पानी पीने की सुविधा मिल सके?

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पानी की वाटर वर्क्स की योजना के लिए सात-सात महीने लग जाएं और उसके बाद हम उम्मीद करें कि जनता के लिए हम राहत की घोषणा कर देंगे, बढ़िया वाला भाषण दे देंगे तो उससे जनता को पानी नहीं मिल पाएगा।

(समय : 18.00 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ में इनकी एक बात और कहना चाहूंगा, इन्होंने बीसीआर को लेकर जो बिजली महकमे में कर रखा है, बीसीआर पर टार्गेट दे रखे हैं। अधिशासी अभियंता को बीसीआर भरने के लिए अजमेर डिस्कॉम में दस, जयपुर डिस्कॉम में बीस दे रखे हैं।

इसी तरह से सहायक अभियंता को, इसी तरह से कनिष्ठ अभियंता को, इसी तरह से विजिलेंस वालों को साठ, अस्सी और साठ का लक्ष्य दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इसका परिणाम यह होता है, इनको लक्ष्य दे दिया कि आपके इलाके में चोरी होती है कि नहीं होती है, जिस तरह से थानेदार को हुक्म दिया जाता है कि, थानेदारजी, आपके इलाके में चोरी होती है कि नहीं होती है, पर बीस चोरों को पकड़ कर आपके थाने के कटघरे में खड़ा करना है। ठीक इसी तरह से इन्होंने इनको एक लक्ष्य दे दिया कि आपके इलाके में चोरी होती है कि नहीं होती है, वी सी आर भर कर जनता की जेब से लूट कर खजाना भरना है। इस आधार पर इनकी हालत क्या होती है? सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, इसका यह परिणाम होता है, दूसरी जगह का मैं नहीं कहता, जहां से मैं चुनकर आया हूं, मेरे गांव में 33 के वी जी एस एस है, इनका जूनियर इंजीनियर वी सी आर भरने के लिए जाता है और दबाकर पांच हजार रुपए जेब में डाल लेता है और कुदरती तौर पर मैं वहां पहुंच जाता हूं उस दौरान तो वापस। यही हालत मेरे सेवद जी एस एस का जे ईएन है उसकी है। दोनों जे ईएन ही पांच-पांच हजार रुपए वापस। मैं यहां सदन में यह इसलिए कह रहा हूं कि इनका पोपा बाई का राज हो रहा है, पांच-पांच हजार रुपए वापस लौटा दिये। मैं, माननीय मंत्रीजी, यह कहना चाहता हूं कि वे

(श्री पेमाराम)

बढ़िया किस्म का काम करने वाले हैं इसलिए उनको प्रमाण पत्र दें और हमारे इलाके से उनको कोई और बढ़िया जगह पर भेज दें। मैं किसी की नौकरी पर ठोकर मारने की बात नहीं करता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बढ़िया रहे उन्हें आप अपने इलाके में, खेतड़ी में ले जाओ, वहां पर जनता की वे बढ़िया सेवा करेंगे, वर्ना हमारे इलाके के लोग कभी उनकी गलपटी पकड़ेंगे, कभी झगड़ा होगा, कभी कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी तो गृह मंत्रीजी बीच में हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वी सी आर भरने का आपने जो लक्ष्य दे रखा है, उस नीति का आप रिव्यू कर जनता की लूट बंद करें। आपने तो एक लुटेरों की फौज खड़ी कर दी- सुबह देखते हैं न शाम को देखते हैं, रात देखते हैं न दिन में देखते हैं। माननीय सभापति महोदय, बिजली महकमे में मेरे यही सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि आज बिजली, पानी और अकाल, तीनों मुद्दों पर चर्चा है इसलिए मैं मेरी राय इन तीनों मुद्दों पर ही देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि आप एक मिनट एक्स्ट्रा भी लगे तो मुझे आज्ञा देंगे।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के बारे में यह बात सही है कि वाकई जमीन में पानी सूखता जा रहा है। इस बात से मैं भी सहमत हूं लेकिन जहां से मैं चुनकर आया हूं उस इलाके में, अमूमन इलाके में अब भी पीने का पानी, सिंचाई का पानी जमीन में है, उसके बावजूद पेयजल की स्थिति दयनीय है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजनीतिक बदले की भावना से जो आप काम कर रहे हो, वह ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, जैसा सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे, पिछले साल भी इनका बजट भाषण मैंने सुना, इन्होंने पीने के पानी का कहा, मैंने पीने के पानी पर एम एल ए कोटे के पैसे का लिखा। सिहोट बड़ी में, परिसीमन के कारण अमरारामजी दूसरे इलाके में चले गये, 80 हजार रुपए का लिखा, उस कुए का काम नहीं हो पाया। जहां आवश्यकता है वहां ट्यूबवैल नहीं बनाया, इन्होंने दुरुपयोग किया सरकारी धन का। सरकारी धन का दुरुपयोग किया इन्होंने, दूसरी जगह बना दिया। विधायक कोष के पैसे का काम भी वहां पर अटका पड़ा है खूड में और जहां आवश्यकता नहीं थी वहां ट्यूबवैल बना दिया। ट्यूबवैल बन गया, वहां कनेक्शन नहीं करवाया। और जहां आवश्यकता थी, आज भी, माननीय मंत्रीजी, हमारे भानीपुरा गांव में तीन साल हो गए, ट्यूबवैल बन गया, बिजली लग गई, कनेक्शन हो गया और उसके

(श्री पेमाराम)

बिजली का बिल का भुगतान वाटर वर्क्स कर रहा है। यही हालत कदमा का बास की है, कनेक्शन हो गया, ट्यूबवैल बन गया, बिजली के बिल का भुगतान सरकार कर रही है। पाइप लाइनें हैं, 100 मीटर की पाइप लाइन है, कोई लम्बी-चौड़ी नहीं है, मैंने इनके पानी वाले महकमे के तमाम अफसरों को लिख कर दिया, जिला कलक्टर को लिख कर दिया, और मैं दु:ख के साथ कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी को भी मेरे लैटर हैड पर लिख कर दे दिया, 12 महीने हो गये, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, बिल लग रहा है, लेकिन आज भी उन ट्यूबवैलों का पानी पाइप लाइन से जी एल आर तक नहीं जुड़ पाया है। कैसा राजनीतिक भेदभाव कर रहे हैं? धोद से चुनकर आ गया, मैं समझता हूं, कोई गुनाह नहीं है। माननीय मंत्रीजी, पक्षपात करें तो यह आपकी मर्जी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: समअप करें, माननीय सदस्य।

श्री पेमाराम (धोद): बिलकुल करेंगे, कहां दिक्कत है? समाप्त भी करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जहां तक पानी का सवाल है, कल ही घोषणा की थी, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि पानी का सवाल है, पानी के लिए लिखेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर पानी के लिए लिखेंगे मगर पानी के महकमे वालों को भी चाहिए। जो कंटिंजेंसी है, उस पर मेरा सुझाव है कि उसका पैसा है, चाहे दूसरा पैसा है, उसमें तमाम माननीय सदस्य जो चुनकर आये हैं सदन के, जिला कलक्टरों के यहां मीटिंग हो जाए और वहां वे अपनी राय दें। जहां स्थान वे चिह्नित करें, वहां पर बनाये जाएं तो बेहतर रहेगा। राजनीतिक आधार पर जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर आप बना दें और जहां लोग तरस रहे हैं वहां आप नहीं बनाओ तो उससे राशि का दुरुपयोग होने के अलावा दूसरी कोई फायदे वाली बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं अकाल के मुद्दे पर भी अपने सुझाव देना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें।

श्री पेमाराम (धोद): बिलकुल शार्ट में। माननीय सभापति महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि यह कुदरत ने अन्याय कर दिया, यह बात सही है। अकाल पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा और एक सर्कुलर भी निकाला राजस्थान सरकार ने, माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा

(श्री पेमाराम)

कि आप इसे नोट करें, उसमें यह लिखा गया कि एम एल ए कोटे का पैसा डवटेल करें, मैं नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य ने लिखा होगा। लेकिन मैंने विधायक कोष का आधा पैसा, पचास परसेंट राशि अकाल राहत में डवटेल करने के लिए लिखा, मैं वह लिस्ट लेकर आया हूं। आज भी उन 23 काम में से मेरा एक भी काम इस आधार पर नहीं हुआ। मैंने तो इस विश्वास के साथ लिखा कि सदन के नेता अपील कर रहे हैं तो उस दौरान निश्चित तौर पर काम होगा, लेकिन राइडर लगा दिया। राइडर यह लगा दिया कि अकाल राहत में मजदूर वही जाएगा जिसने 100 दिन नरेगा में काम पूरा कर लिया है। उसका परिणाम यह आया कि अकाल राहत में जो पैसा डवटेल कर दिया, उसका एक भी काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अकाल राहत मंत्रीजी से मांग करता हूं, अकाल में सरकार को चाहिए तो यह था कि जगह-जगह काम खोलते, गरीबों को काम देते, मगर यह राइडर आप 100 दिन वाला हटा दें तो निश्चित रूप से पुख्ता काम भी हो जाएंगे और विधायक कोष का पैसा भी लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस राइडर को हटाने का कष्ट करें।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अकाल है, मजदूर भी जूझ रहा है, और किसान भी जूझ रहा है, राजस्थान की सरकार विचार करे। परसों चर्चा चल रही थी कि पैसा भी है, तो किसानों को बचाने के लिए 12 महीनों का बिजली का बिल माफ करें। सरकार को विचार करना चाहिए कि किसान अभी संकट में खड़ा है और इस संकट की घड़ी में किसान को बचाया जाना आवश्यक है, इसलिए कम से कम 12 महीनों का बिजली का बिल माफ करें, ज्यादातर लघु और सीमांत का करें, बड़े वाले किसानों को छोड़कर। अगर उनको मुआवजा देने की घोषणा की है, निश्चित तौर पर किसानों में आपस में होगा। मेरी राय है कि लघु और सीमांत को आप दो। सरकार की घोषणा है लेकिन इस सवाल पर भी सरकार विचार करे तो बढिया रहेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समअप करें। अब समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप बिना भूमिका के सीधे सुझाव दे दें। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): पेयजल और है। (व्यवधान) बंगाल का तो उदाहरण है, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, अभी कल-परसों ही सदन में, वहां के मुख्य

(श्री पेमाराम)

मंत्री स्वर्गीय ज्योति बसुजी नहीं रहे, आप और हम सबने श्रद्धांजलि दी है। यहां सदन में लगातार घोषणा होती है कि बिजली बनाएंगे, आकाश में बनाएंगे, पाताल में बनाएंगे, बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। आंकड़े भी आते हैं कि हमने इतनी बना दी, हमने उतनी बना दी, उसके बावजूद भी किसान के तो आती नहीं। लेकिन बंगाल में ज्योति बसु ने झोली भर कर जनता से एक-एक पैसा लेकर बिजली का जो उत्पादन किया, उसका परिणाम है कि आज बंगाल बिजली खुद भी खर्च करता है, जितनी आवश्यकता है, और उसके बाद बची हुई बिजली को दूसरे प्रांतों को भी देता है। इसलिए राजस्थान की सरकार को पक्ष-विपक्ष छोड़कर बिजली की ऐसी नीति बनानी चाहिए, यही कहते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट, मेरा करबद्ध निवेदन है कि माननीय सदस्यों को अभी और अपनी चर्चा में भाग लेना है, पानी-बिजली पर ......(व्यवधान) इसमें मैं अर्ज कर दूं, डाक्टर साहब, लगभग 25 तो विपक्ष के हैं और सत्ता पक्ष के 17 माननीय सदस्य ....

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, यह सीमा हर किसी के लिए निश्चित होनी चाहिए। कोई एक घंटे बोले, किसी को पांच मिनट में टोक दिया, यह गलत है।

श्री सभापति: मेरा आपसे करबद्ध निवेदन और प्रार्थना है कि अगर इस तरह से गति चलती रही तो एक घंटे में चार माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर पाये हैं। आप बिना भूमिका के जो सुझाव हैं, वे देंगे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। घंटी मैं एक बजाऊंगा, मैं चाहूंगा कि दूसरी घंटी न बजे। मैं आपके सम्मान को ध्यान में रखते हुए चाहूंगा कि दूसरी बार घंटी नहीं बजाऊं, इसलिए करबद्ध प्रार्थना है। हम लोग अगर यह करने लगे कि पहले वाली सरकार थी उसमें यह नहीं किया, हमारी वाली सरकार, ईमानदारी से कह रहा हूं, जो भाटी साहब ने सुझाव दिये हैं, अगर आप उनको पढ़ें, वे वास्तविक सुझाव हैं, उन सुझावों के दृष्टिकोण से आप दें। सुझाव आएंगे तो ठीक रहेगा। सुझावों के अलावा अपनी भूमिका बांधते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते जाएंगे तो यह चर्चा अपनी कल तक और होनी है, माननीय सभी अपने मंत्रीगण भी इसका जवाब देंगे कि सरकार क्या करने जा रही है। इसलिए मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि जब घंटी बजे, वह समझिए आपकी सीमा, मैं किसी

(श्री सभापति)

के साथ अन्याय नहीं करूंगा, वही सीमा सभी माननीय सदस्यों की रखूंगा जो कि मैं चाहूंगा कि दूसरी घंटी नहीं बजे। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): महिलाओं को विशेष रूप से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप 50 परसेंट आरक्षण में हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, यह जब से वाद-विवाद शुरू हो, तब से ही लागू हो जाए तो फिर पीछे से बोलने वाले लोगों के लिए इतनी परेशानी ही नहीं हो। वे भी अपनी सीमा का ध्यान रखें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बैक बैंचर्स के साथ में हमेशा यही होता है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां। माननीय सभापति महोदय, आज पानी, बिजली और अकाल पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए पानी और बिजली के संदर्भ में अपनी कुछ बात रखना चाहूंगी। वास्तव में पानी के बारे में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। पानी है तो जीवन है। जल ही जीवन है, का यह सनातन सूत्र वैज्ञानिकों ने भी माना है और धर्मों में भी पानी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, पानी के महत्व को रेखांकित किया गया है। मान्यवर, जो जल प्राप्त हुआ है, वह ईश्वर की बहुत अनमोल देन है और इस अनमोल देन का संरक्षण होना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। यह हम सब का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। लेकिन जैसे-जैसे मानव को सुविधा मिलती गई, वह उस सुविधा का जरूरत से ज्यादा उपयोग करने लगा और उसका दुरूपयोग भी अब होने लगा है। विशेषकर, जैसे पूर्व में हमारी वक्ता बहन ने कहा, शहरों में इस प्रकार की सुविधा का ज्यादा दुरूपयोग हुआ है। लेकिन अब इसके दुरूपयोग को हम कैसे रोकें और कैसे अच्छे सुझाव आएं, उन सुझावों के आधार पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल नीति बनाने की बात कही है तो मेरा एक निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि उस जल नीति में हम जो भी बातें रखें, जो भी बिन्दु उसमें रखें, उनका कठोरता से हम पालन करें तब ही उस जल नीति का इस प्रदेश में फायदा हो पाएगा। अन्यथा जैसे और दूसरी नीति बनती रही हैं, वैसे ही यह नीति भी बनकर रखी रहेगी और उसका इस प्रदेश को, इस प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जब भी हम जल नीति बनाएं, कठोरता से हम उसकी पालना सुनिश्चित करें, तभी हम उस जल नीति को बनाने के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं, जैसा मैंने कहा, अजमेर के बारे में पानी के सदंर्भ में ही कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं इतना कहना चाहूंगी कि हैंडपम्प की बारी आती है, हैंडपम्प खोदने की जब बात आती है तो यह कहा जाता है कि हम सभी एमएलएज को बराबर-बराबर के हैंडपम्प देंगे, पानी में राजनीति नहीं करेंगे। पर, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि जब हम हैंडपम्प की लिस्ट अधिकारियों को देते हैं तो वे अपने द्वारा बनाई हुई पूर्व की जो सूची है उसको आगे रख देते हैं कि इसमें 4-5 जो आपके हैं, उनको भी शामिल कर लें, विधायक महोदय, तो ज्यादा अच्छा होगा। उन क्षेत्रों में ये खुद नहीं सकते हैं, जहां आपने पाइंट बताये हैं। हैंडपम्प खोदने का जो हमारा उद्देश्य है, वह उस जनता को पानी पिलाना है जिसके पास पानी की पाइप लाइन ले जाकर हम पानी नहीं दे सकते, उस जनता को हम शहर में हैंडपम्प से पानी पिला सकें। लेकिन जब वह सूची बनकर जाती है तब यह कहते हैं कि यहां हैंडपम्प नहीं खुद सकता। जब हम वहां पाइप लाइन से पानी नहीं पिला सकते, हैंडपम्प भी वहां नहीं दे सकते तो फिर उसका औचित्य खतम हो जाता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब भी एक एमएलए कोई सूची दे तो वह बिन्दु निश्चित रूप से खुदना ही चाहिए। कई बार अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे पास छोटी मशीन नहीं है या हमारे पास बड़ी मशीन नहीं है। तो क्षेत्र को देखकर उस क्षेत्र में किस प्रकार की मशीन से काम करके हैंडपम्प खुदेगा, उसी प्रकार से टेंडर किये जाएं। जब यह प्रकाशित हो जाता है सूची में कि यह-यह सूची दी है एमएलए साहब ने और यहां-यहां हैंडपम्प खुदना है और उसके बाद भी हैंडपम्प नहीं खुदते तो वहां के नागरिक बहुत नाराज होते हैं। कई बार उनका गुस्सा अधिकारियों पर भी उतरता है और फिर एक-दूसरे पक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज होती है। रोज-रोज अधिकारी पिटें और जनता में परेशानी हो, इससे अच्छा तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की शुरूआत में ही हम व्यवस्था कर लें ताकि कोई परेशानी नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी क्योंकि आपने यह कहा कि 30 हैंडपम्प विधायक महोदय को दिये जाते हैं। विधायक की सूची के अतिरिक्त जब कहीं और हैंडपम्प खुदता है निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी यदि बताए तो खोदना चाहिए, मेरी मनाही नहीं है, कोई भी इस बात के लिए मना नहीं करेगा, पर वे हैंडपम्प औचित्य के आधार पर खोदे जाएं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना

(श्रीमती अनिता भदेल)

चाहूंगी, यदि हमारे सोडाला चौराहे पर कोई यह कहे कि इस चौराहे पर जाकर हैंडपम्प खोद दीजिए तो आप देखिए, आवागमन में भी बाधा होगी और पानी और डामर का चूंकि वैर है, हैंडपम्प के चलने से जो पानी निकलेगा, वह निश्चित रूप से सड़क को खराब करेगा। ऐसे प्राइम चौराहे यदि खराब होते हैं और हैंडपम्प सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर वहां खुदे, कि एक व्यक्ति की दुकान है इसलिए वहां खुद जाए हैंपम्प, यह औचित्य नहीं होना चाहिए। औचित्य यह होना चाहिए कि हैण्डपम्प कितने लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, बस्ती के कितने नागरिक इसका लाभ उठा रहे हैं। औचित्य के आधार पर हैंडपम्प खुदे तो आप किसी के भी कहने पर हैंडपम्प खोदें, निश्चित रूप से नागरिकों को फायदा पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। यही आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम जनता को पानी पहुंचाना चाहते हैं, जनता के लिए पेयजल उपलब्ध कराना चाहते हैं। अजमेर शहर के लिए जब बीसलपुर की योजना बनी तब यह कहा गया था कि बीसलपुर बांध से अजमेर शहर में पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। अजमेर के लोग बहुत खुश हुए थे उस समय कि अब शायद हमारी प्यास बुझेगी। बीसलपुर प्रोजैक्ट बनने के बाद अजमेर के लिए 0.5 टीएमसी पानी उसमें रिजर्व किया गया था लेकिन बीसलपुर से अजमेर तक जो पाइप लाइन थी उसकी क्षमता इतनी नहीं थी कि वह 0.5 टीएमसी पानी अजमेर तक ला सके इसलिए हमको 0.5 टीएमसी पानी नहीं मिला और 0.3 समथिंग पानी का ही आज तक उपयोग करते आये हैं। लेकिन जब बीसलपुर का यह द्वितीय चरण कम्प्लीट हुआ, उसके बाद हमें यह आशा जगी कि हमको बीसलपुर से पूरा पानी मिलेगा, 0.5 टीएमसी पानी हमको मिलने लगेगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं, सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जब-जब सरकार आपकी बनती है तब तक अकाल पड़ता है, और अब बीसलपुर के बांध में मात्र जुलाई तक का पानी बचा है, जो पानी ही नहीं रहेगा तो हम किसको रिजर्व करेंगे, कौन से टीएमसी वाटर को रिजर्व करेंगे और यह कैसे अजमेर की प्यास को बुझा पाएगा? इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अजमेर के लिए भविष्य में और बहुत ज्यादा क्राइसिस न हो इसके लिए हम बीसलपुर में चम्बल का पानी ला सकें, क्योंकि यदि बारिश नहीं होगी तो बांध में पानी नहीं आएगा और जब बांध में पानी नहीं आएगा तो हम अजमेर को पानी नहीं दे पाएंगे।

एक मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे पास जितना

(श्रीमती अनिता भदेल)

पानी है, यदि हम उस पानी को समान मात्रा में सभी जगह वितरित कर दें तो जनता में असंतोष नहीं होता है। कुछ लोग तो अपने पावर का और प्रभाव का इस्तेमाल करके अवैध कनेक्शन लेते हैं और उन अवैध कनेक्शनों के द्वारा फ्री में पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदारी से सरकार के नियम-कायदे-कानूनों का पालन करते हैं, वैध तरीके से कनेक्शन लेते हैं, उनको ठीक प्रकार से भी पानी नहीं मिलता। तब आंदोलन होता है तब उसमें असंतोष उत्पन्न होता है। अजमेर शहर में, बार-बार यह कहा जा रहा है, अखबारों के माध्यम से भी यह कहा गया है कि लगभग 4 हजार अवैध कनेक्शन हैं।

4 हजार अवैध कनेक्शन एक बहुत बड़ी संख्या होती है, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन अवैध कनेक्शनों को आप तुरन्त हटवाने का काम करें ताकि जनता को ठीक प्रैशर से पानी उपलब्ध हो सके। पुराने समय की पाइप लाइनें डली हुई हैं जो बहुत गहरी चली गई हैं, या प्लास्टिक की लाइनें शुरू-शुरू में कच्ची बस्ती प्रोजैक्ट के तहत डली थीं, आज की तारीख में वो लाइनें नाकारा हो गई हैं, नाकारा होने के कारण जब हम मैन लाइन से पानी छोड़ते हैं या उच्च जलाशय से पानी जब उसमें जाता है तो आधे से ज्यादा पानी, 60-70 प्रतिशत पानी उन लाइनों में लीकेज होने के कारण से व्यर्थ में बह जाता है। इसलिए निवेदन है कि उन नाकारा हुई लाइनों के स्थान पर यदि हम नई लाइनें डाल देंगे.... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मुझे तो बोलते हुए मात्र 9 मिनट हुए हैं, लोगों ने तो आधा-आधा घंटा बोला है, कम से कम 10 मिनट तो और दीजिये। मैं अपने क्षेत्र की ही बात कर रही हूं आपके कहे अनुसार।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, जब कटारिया साहब बोलेंगे न तब सुबह की 9 बज रही होगी अगर यह गति चलेगी तो। अंतिम वक्ता कटारिया साहब हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह आप शुरू से ही व्यवस्था करें न, यह हमारे साथ ही लागू क्यों हो? शुरू से ही ऐसी व्यवस्था कर दीजिये तो कोई मना ही नहीं करेगा।

श्री सभापति: आपका तो पेयजल का विषय है, आपका अकाल का विषय है नहीं, शहरी क्षेत्र से आप आती हैं। आप समअप करो, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अकाल पर मुझे नहीं बोलना है, मुझे पानी पर बोलना है और कई बार मैं मंत्री महोदय को अपनी बात कह चुकी हूं, व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर चुकी हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, 10 मिनट से जयादा सम्भव नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं समाप्त करूंगी पर अपनी बात तो पूरी कर लूं।

श्री सभापति: 10 मिनट से ज्यादा सम्भव नहीं होगा, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ठीक है, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति: नहीं, 10 मिनट। आपको 9 मिनट हो गये हैं, मैं 1-2 मिनट और इंतजार करूंगा। माननीय सदस्या, प्लीज समअप करो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इतना ही कहना चाह रही हूं कि हमारे शहर में पानी की बहुत ज्यद्दा क्राइसिस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो ही पानी कम होने की बात कहते हैं, जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं अजमेर में बने हुए, चाहे वो ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धित हों, चाहे एनजीओ हों, चाहे कोई और संगठन हों, पिछली गर्मियों में 90 से लेकर 70 इस प्रकार के संगठनों ने कलेक्टरेट पर प्रदर्शन किये थे, पुतले फूंके थे, ज्ञापन दिया था, धरना दिया था। फिर गर्मियां आने वाली हैं, पिछले समय के अनुभव से हम लाभ प्राप्त करें और आने वाली गर्मियों में हम कुछ पैसा लाइनों को बदलने के लिए दें। मेरे क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत 166 करोड़ रुपये के जो वितरण के काम सैंक्शंड हैं, माननीय मंत्री महोदय, कम से कम आप उन कामों को ही करा दें। मेरे क्षेत्र के ज्वार की नाड़ी, फकीरा खेड़ा, बालकपुरा और माखूपुरा में न तो पानी की लाइनें हैं और भूगर्भ में पानी नहीं है तो हैण्डपम्प भी नहीं खोद सकते, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां टैंकरों से आप पानी की व्यवस्था करा दें तो लोगों को पीने के लिए पानी मिल जाएगा। हम जानवरों के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मानव के पानी की बात कर रहे हैं, मनुष्य को ही आप पानी पिला दें, मेरा इतना निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं एक बात बिजली के विषय में और कहना चाहूंगी। अजमेर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो ज्वाला प्रसाद नगर कहलाता है,

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय मंत्री महोदय को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा, अपना प्रश्न लगाकर भी वहां की बात उठानी चाही, उस क्षेत्र में 11000 और 33000 के.वी. की दो लाइनें डली हुई हैं। उन दोनों लाइनों के ऊपर जो लो-इन्कम ग्रुप के लोग हैं, यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड ने उन कालोनियों को बनाया है, वो वहां रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन लाइनों की चपेट में आने से 4-5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गरीब परिवार के मुखियाओं की मृत्यु हुई है उससे पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है जब कमाने वाला मर जाता है। मेरा निवेदन है कि उन लाइनों को किसी प्रकार से या तो शिफ्ट करने का काम करें या फिर उनको अंडरग्राउंड करने का काम करें ताकि जो जान माल की हानि होती है, उससे बचा जा सके। इसके अतिरिक्त अनेकों बार बिना पूर्व सूचना के दिन में 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती, मेरा निवेदन है कि यदि आपको लाइट नहीं देनी है तो कम से कम अख़बार में उसको प्रकाशित कराएं कि दो घंटे लाइट नहीं आएगी ताकि व्यक्ति जो अपना काम निपटाना चाहे, महिलाएं जो अपने काम निपटाना चाहें, वो पूर्व में उस काम को निपटा लें।

एक मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे मेंटिनेंस के काम होते हैं, जो पोल गल गये हैं, खराब हो गये हैं, तिरछे हो गये हैं, यदि उनकी जगह आप नये पोल लगाएंगे तो जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचा जा सकेगा। जो संकरी गलियां हैं, संकरी गलियों में नंगे वायर होते हैं, लाइनें निकलती हैं उनके कारण से भी कई बार दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, मेरा निवेदन है कि उन संकरी गलियों में आप केबल डालने की व्यवस्था कर दें। तो जो मुआवजे के रूप में आप पैसा देते हैं उसकी बजाय आपकी केबल भी डल जाएगी, चोरी भी उससे रुक जाएगी, दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी और जो मुआवजे के रूप में आप राशि देते हो उससे भी बचा जा सकेगा। यह आप व्यवस्था कर देंगे तो शायद हमारे शहर की बिजली की व्यवस्था में और सुधार होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब समअप करो आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं समाप्त कर रही हूं। एक लास्ट बिन्दु अपना और कहना चाहूंगी कि जनता जल योजना में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी मिनिमम वेज यदि आप बढ़ा दें। जैसे नरेगा में 100 रुपये मजदूरी मिलती है, उनका भी कुछ मिनिमम वेज बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से उनको भी इस महंगाई के समय में अपने परिवार का पालन-पोषण करने में सुविधा होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल जी झंवर।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मुझे पानी, बिजली और अकाल पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं पानी पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय और प्रमुख शासन सचिव महोदय विराज रहे हैं, कृपया इनको नोट करें, जरूरी सुझाव हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): हमारे जलदाय विभाग के नलकूपों की अलग से लाइनें ली हुई हैं, जलदाय विभाग ने पैसा जमा करा रखा है, परन्तु लाइट उनको जो दी जाती है वह मात्र 6 घंटे ही दी जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां कृषि कनेक्शन कोई है ही नहीं, उस क्षेत्र में 6 घंटे की बजाय 10 घंटे बिजली दी जाए तो पानी की सुचारु व्यवस्था हो सकती है। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में कक्कू गांव है वहां एक घंटा कुआ चलता है फिर पानी टूट जाता है, फिर एक घंटा चलता है। तो पानी तो वहां है, बाकी टूट जाता है इसलिए मेरा यह सुझाव है कि कक्कू, सारूंडा, शोभाणा, भादला, दावास, सीलवा, टांट, खेड़ली इन गांवों को 24 घंटे बिजली मिले। 24 घंटे नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 10 घंटे बिजली मिले तो वहां पानी की आपूर्ति हो सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे इस क्षेत्र में पुराने जल स्रोत ओपन वैल पड़े हैं जिनमें पानी है, उनको अगर चालू कर दिया जाता है तो विभाग का मात्र ढाई-तीन लाख रुपये एक ओपन वैल पर खर्च होगा। ऐसे जल स्रोत मेरे विधायक बनने के बाद में चार मैंने चालू करवाये और उन गांवों की पूर्ति हो रही है। 4-5 ऐसे जल स्रोत और हैं उन ओपन वैल को भी चालू कर दिया जाए, 4-4 लाख रुपया खर्च आएगा। कंटिंजेंसी में नया खर्च कर रहे हैं, अकाल राहत के तहत आपने बजट दे रखा है उसमें टाइम से शुरू कर दिया जाए ताकि अप्रैल, मई, जून के महीने लोगों के आसानी से निकल सकें और पानी की पूर्ति हो सके। ट्यूबवैल बने हुए 20-20 साल हो गये, उनकी असैम्बली सड़ चुकी है, मोटर चलती है तो पानी का डिस्चार्ज पाइप फटने की वजह से पानी वापस अन्दर चला जाता है, बाहर कम आता है। ऐसी स्थिति में जो असैम्बलियां हैं उनको चेंज कराया जाए ताकि पानी का डिस्चार्ज बढ़ सके। 6 घंटे में भी वो पूर्ति हो सकती है। 50 प्रतिशत ट्यूबवैल मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे हैं, इन नलकूपों को चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की कमी है।

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

जनता जल योजना में तो लगाएंगे 500 रुपये का कर्मचारी, वो तो मेरी समझ में आता है। परन्तु सरकारी ट्यूबवैल जो खुदे हुए हैं बिना जनता जल योजना के, उन पर भी वो 500 रुपये के कर्मचारी हैं। 500 रुपये में मैं समझता हूं कि आज की तारीख में कोई भी आदमी 12 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता, इसलिए इसको कम से कम 1500 रुपये करने की व्यवस्था करें। और पैसा भी जो कर्मचारी लगा हुआ है उसको सीधा भेजो। पंचायत के खाते में जमा करा देते हैं तो आज भी वो पंचायत के खाते में जमा पड़े हैं, उन कर्मचारियों को ढ़ाई साल से भुगतान नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि इस बारे में उचित व्यवस्था की जाए। कंटिंजेंसी की राशि आप तो स्वीकृत कर देते हैं, स्वीकृत करने के बाद में उसकी फाइनल स्वीकृति निकलने में महीना-डेढ़ महीना लग जाता है। बीकानेर जिले की कंटिंजेंसी दूसरी कंटिंजेंसी आपने स्वीकृत कर दीं, परन्तु आज तक उनका डिस्बर्समेंट नहीं हुआ कंटिंजेंसी के तहत आपने ट्यूबवैल खुदवा दिये, उनको चालू करने के लिए थोड़ा-सा प्रैशर बनाने की जरूरत है। जैसे सरूपसर का ट्यूबवैल कंटिंजेंसी में खुद चुका है परन्तु उसका आज तक पाइप लाइन से गांव में कनेक्शन नहीं हुआ है। सरूपसर में खारा पानी है इसलिए ट्यूबवैल बाहर खोदा गया है, उसको पाइप लाइन से वहां पहुंचाने की जरूरत है, इसके लिए विभाग को निर्देश देने का कष्ट करें। डीआरडीए द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 ट्यूबवैल खुदवाये पड़े हैं पर उनमें बिजली कनेक्शन और मोटर पम्प की जरूरत है। अकाल राहत के तहत बजट देकर जहां पानी है उन ट्यूबवैलों को चालू करवा दिया जाए तो लोगों को पानी उपलब्ध हो सकता है।

विधायक कोटे का जहां तक सवाल है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल फर्माया कि 20 लाख रुपये आप पानी पर खर्च करोगे। मैंने तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार पिछले साल 24 लाख रुपये जलदाय विभाग को तीन ट्यूबवैल के लिए दिये थे। ट्यूबवैल खुद चुके हैं परन्तु उनमें काम की गति धीमी है। उनमें आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं हुए हैं और वे वैसे ही पड़े हैं, इसलिए उनको चालू कराया जाए। (व्यवधान) तीन साल से कूरसू, हंसासर यहां पर ट्यूबवैल खोदे गये, मोटर पम्प लग गया, बिजली कनेक्शन हो गये परन्तु कम प्रैशर देने की वजह से तीन-तीन साल से ट्यूबवैल बंद पड़े हैं। उनको भी चालू कराने के लिए व्यवस्था की जाए, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपने तो राज को सपोर्ट किया है, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, यहां पर विधान सभा में बोलना पड़ता है।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): दूसरा मेरा निवेदन है कि जलदाय विभाग के जो भी अधिकारी हैं, एक्स.ईएन., एस.ई., एडिशनल चीफ इंजीनियर, उनको कम से कम महीने में एक बार इलाके के गांवों का दौरा करने के निर्देश देवें ताकि जो कर्मचारी हैं, वे जनता की बात सुन सकें, कमी सुन सकें। आज मैं यह बात कह रहा हूं यहां पर कि असैम्बली फटी हुई है या मोटर खराब है या केबल खराब है या ओपन वैल चालू करना है, अगर ये अधिकारी जाकर मौके पर देख लें, जनता की बात सुन लें तो हमें यह बात आपको यहां पर कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ज्यादा समय नहीं लेकर, आपको घंटी नहीं बजानी पड़ेगी मेरे लिए, मैंने मेरे सुझाव दे दिये हैं, इन सुझावों पर अमल करने का माननीय मंत्री महोदय कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रतन देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति जी, आज बिजली, पेयजल और अकाल को लेकर इस सदन में चर्चा शुरु हुई है और काफी माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां रखी। माननीय सभापति जी, आज की परिस्थिति में और आज की तारीख में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो यह पेयजल की समस्या है और काफी माननीय सदस्य यहां बोले। मेरा मानना है कि पानी, बिजली और अकाल अगर इनकी कोई समस्या हो, कोई बात कहनी हो तो हमें इसके उपाय भी बताने पड़ेंगे। कहां तकलीफ है, वह भी बतानी पड़ेगी और कहां चूक हो रही है, वह भी बतानी पड़ेगी। अभी इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने यह बात रखी कि राजनीति से ऊपर उठकर यह बात करनी पड़ेगी कि पानी, पेयजल की समस्या इस प्रकार की है। माननीय सभापति जी, समय कम है, इसलिए मैं मुख्य बिन्दुओं के ऊपर ही बात करना चाहूंगा।

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, सुझाव पर आ जाओ। सुझाव।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, अभी तो शुरु किया है।

श्री सभापति: मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको कि बिना भूमिका के सीधे ही सुझाव पर आ जाओ।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): जब पहले ही मैंने कह दिया कि मैं बिन्दु पर आना चाहता हूं सीधे ही...

श्री सभापति: हां, बिन्दु पर, यस।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सजेशन तब तो आएंगे, सभापतिजी, एक बार शुरु तो होने दो। जालौर और सिरोही जिला, हमारे और माननीय सदस्य जीवाराम जी ने अपनी बात कही। मैं सीधे ही बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। पहला बिन्दु है हमारा नर्मदा का, इन दोनों जिलों के लिए आने वाले समय में अगर पानी की जो समस्या है, उसको सार्टआउट करना है तो नर्मदा ही एकमात्र लाइफ-लाइन है आज की तारीख में। पिछले समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2000 के अन्दर शिलान्यास हुआ नर्मदा से पानी लाने के लिए। जिस स्पीड से काम शुरु होने की बात हुई, काम शुरु भी हुआ। लेकिन पिछले पांच सालों में उसकी गति बहुत धीमी हो गई और हम काम समय पर पूरा नहीं कर पाये। यह मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पांच सालों में हम समय पर काम पूरा नहीं कर पाये, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नर्मदा के लिए जो संस्था बनाई गई थी, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज है, जिसने वहां विस्थापितों के लिए एक कमेटी बनाई है और वह काम कर रही है, उसने खुद यह बात कही है कि राजस्थान के अन्दर 100 किलोमीटर का जो पोर्शन है, केन्द्र का फण्ड रिलीज होने के बावजूद काम पूरा नहीं हो पाया है इसलिए समय पर पानी नहीं मिल रहा है। सभापतिजी, वर्तमान में एक तो नर्मदा का काम जो बागोड़ा होते हुए आहोर और जालौर में पानी जाएगा, जिसका सरकारी माध्यम से काम चल रहा है, उसका अब टैक्निकल काम ही बाकी रहा है। फिर भी जमीन का मामला है, कोई दूसरा मामला है, माननीय मंत्रीजी यहां हैं, आपने पहले भी वह साइड विजिट की है, आपने भी वहां आकर देखा है सारा मामला, मगर अभी तक उसमें कोई इतनी बड़ी प्रगति नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लेकर आगे बढ़ाएं।

एक आपने बड़ा प्रोजैक्ट बना दिया जो दूसरा फेस है उसका। सांचोर से भीनमाल, रानीवाड़ा और जसवंतपुरा तक पानी दोगे। पी.पी.पी. के तहत आपने प्रोजैक्ट तो बना दिया है मगर उसका अभी कोई पता ही नहीं है कि काम कब शुरु होने जा रहा है। बार-बार हम आपको भी निवेदन कर चुके हैं, मगर इसमें कोई जिम्मेदारी वाला कदम नहीं उठाया गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि दोनों जिलों के एम.एल.एज. वगैरह जब मिले तो खुद उन्होंने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात की, पत्र-व्यवहार भी हमारे साथ में हुआ, हमें मिला। मैं यह पुन: निवेदन कर रहा हूं कि सांचोर, रानीवाड़ा से जसवंतपुरा और भीनमाल का जो काम बाकी है, जो शुरु भी नहीं हुआ है अभी तक, उसको आप तुरन्त शुरु कराएं ताकि पानी का पता चले।

(श्री रतन देवासी)

दूसरा, एक निवेदन हमने आपको किया था, जालौर के अन्दर भीनमाल जो बीच में कस्बा पड़ता है, उसके अन्दर पिछली कांग्रेस की सरकार के समय एक बांदीसिन्द्रा बांध है, बहुत बड़ा बांध है, वह बांध बना था, आज उस बांध के अन्दर न तो बराबर हम स्टोर कर पाते हैं, न उस पानी को पेयजल के लिए उपलब्ध करना चाह रहे हैं, पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नहरें बन गईं, वे नहरें भी टूट गईं। जब तक आप यह काम शुरु नहीं करते, आपका काम शुरु नहीं होता, क्योंकि लाग प्रोसेस है, आपका यह काम न हो, तब तक, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सांचोर से लेकर भीनमाल तक, जहां यह यह बांदीसिन्द्रा बांध बना हुआ है, कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप कम से कम पाइप लाइन में एक बार पानी छुड़ाओ। इस पानी को अन्दर कलेक्ट करके आपका भीनमाल सिटी, रानीवाड़ा सिटी, जसवंतपुरा पंचायत और सांचोर और रानीवाड़ा के बीच के गांव आराम से पानी पाएंगे, आराम से पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। सबसे जल्दी यह काम शुरु भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

दूसरा, पानी के लिए बार-बार जो मुझे एक समस्या सामने आई है, मैंने बार-बार देखा है, जब हम फील्ड में जाते हैं या पानी की प्रोसेस को बार-बार देखते हैं तो सबसे बड़ी प्राब्लम आती है लाइनमैन की। आज भी जितने लाइनमैन काम कर रहे हैं गांव के अन्दर, कई मीटिंगों में भी मैंने यह बात कही है कि 60-70 प्रतिशत लाइनमैन हैं वे ठेके पर देकर चले गये। तनख्वाह पूरी ले रहे हैं और 1,500-2,000 रुपये में ठेके पर दे दिया और खुद कहीं और घूमते हैं। जब पानी सप्लाई करना पड़ता है, वाल्व खोलना पड़ता है, पानी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है तो वे पानी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। आपके पानी की 30-40 प्रतिशत जो प्राब्लम आ रही है, कम से कम मैं जालौर की बात कर रहा हूं आपको, कि वह इन लाइनमैनों की वजह से आ रही है। पिछली सरकार के समय में इनके ट्रांसफर्स करना भी आपने राज्य मंत्री स्तर पर दे दिया। पहले एस.ई. के लेवल पर और एक्स.ईएन. के लेवल पर उनको पंचायत समिति के अन्दर, जिले के अन्दर आगे-पीछे कर लेते थे, आज आप वह भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि आपकी 40 प्रतिशत प्राब्लम इन लोगों की वजह से है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि कम से कम इनके लिए भी आप कोई रास्ता निकालें ताकि आगे आने वाले समय में यह प्राब्लम ज्यादा नहीं हो पाए।

(श्री रतन देवासी)

दूसरा मेरा एक निवेदन है कि माउंट आबू सबसे ज्यादा ट्यूरिस्ट वाला प्लेस है। आज की तारीख में पूरे अपने प्रदेश के अन्दर जितने ट्यूरिस्ट वन टाइम में माउंट आबू में आते हैं, वह प्रदेश में अन्य जगह नहीं आते हैं। 18 लाख ट्यूरिस्ट एक समय में आते हैं। लेकिन केरींग कैपेसिटी कम हो गई है। दो छोटे बांध पहले के बने हुए हैं, लेकिन जब बरसात नहीं होती है एक साल में तो अगले साल में यह पानी की प्रोब्लम इतनी आती है कि नक्की लेक से पानी हमको खींचना पड़ता है, वहां बोट बंद हो जाती है और ट्यूरिज्म को सैट-बैक मिलता है। पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बार राज्यपाल के अभिभाषण में भी यह बात आई है। मैंने उस समय भी, अभिभाषण पर चर्चा के समय में भी यह बात कही थी कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत जो सालगांव डैम को आपने लिया है, उसमें जो भी एक्वीजिशन का काम बाकी रह गया था थोड़ा बहुत जो पानी जहां कलैक्ट होने वाला है, जहां डैम बनने वाला है, उसका एक्वीजिशन तो आप फटाफट पूरा कर लो। बनते हुए भी समय लगेगा इसमें। जैसे ही यह डैम का काम पूरा हो जाएगा, तो कम से कम 18 लाख ट्यूरिस्ट और 35,000 की पापुलेशन है,

उसको यह पानी का प्राब्लम सार्टआउट हो जाएगा, पानी मिलेगा। अन्यथा इतना ट्यूरिस्ट जो आएगा, उसको आगे समय में तकलीफ हो जाएगी क्योंकि अभी तो वहां बोरिंग करने में, हैण्ड पम्प खोदने में भी तकलीफ आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन पर जो मिनिस्टरी आफ एनवायर्नमेंट एण्ड फोरेस्ट ने एक मानिटरिंग कमेटी बनाई है उसमें तो ये नार्म्स आ गये कि बोर करने के लिए भी आपको पहले मानिटरिंग कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे आने वाले समय में यह प्राब्लम आ जाएगी तो एक इंडिवीजुअल आदमी उसको ओपन वैल या बोर भी नहीं करा पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सालगांव डैम के प्रोजैक्ट को आप जल्दी से जल्दी पूरा करें।

कई जगह जहां टंकियां पहले की दी हुई हैं लोगों को, वहां पाइपों की प्राब्लम आती है। कल एमएलए लैड की घोषणा हुई एक करोड़ रुपये की, उसमें जो बीस लाख बढ़ाये हैं वह पानी पर खर्च करने की बात कही है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। हम इसको स्वीकार भी करते हैं और इस साल हम उस बीस लाख रुपये को पानी की प्राब्लम के लिए लगा भी देंगे। मगर फ्यूचर में यह प्राब्लम आती है कि पाइप कम मिलते हैं, हमारे कोटे से पाइप दो, वैसे ही कोटा कम मिलता है हमको और उसमें से पाइप देने की बात आती है तो हम

(श्री रतन देवासी)

पाइप कितने उपलब्ध करा पाएंगे? तो हमें फण्ड का पैसा कम पड़ जाता है। इसलिए जहां ढाणियां हैं, बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस, पचास-पचास घर रहते हैं, वहां तो कम से कम आप लोग पाइप उपलब्ध करा दो उन ढाणियों की टंकी जो है उस टंकी से हम पाइप को जोड़ देंगे तो यह एमएलए फण्ड का पैसा भी कम नहीं होगा। इंडिवीजुअल कहीं देना है तो वे पाइप भले ही एमएलए कोटे से दे देवें मगर कलेक्टिव जहां हम विशेषकर एससी और एसटी के लोगों को देते हैं वहां अगर कोई ढाणी में रहते हैं और वहां टंकी है तो उस टंकी से पानी के पाइप को जोड़ने के लिए आपके डिपार्टमेंट में से आप पाइप दिलवाइये, यही मेरा निवेदन आपसे, माननीय मंत्रीजी, है। नर्बदा की बात मैंने आपको पहले कही है, मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बात को आप जिम्मेदारी से लें। आपने खुद वहां दौरा किया है मगर उसके बाद भी कोई बात वहां आई नहीं है, पोस्ट सारी वेकेंट पड़ी हैं। पूरे का पूरा सांचौर, पिछली मीटिंग में आपके डिपार्टमेंट ने भी लिख कर दिया है कि सांचौर के अन्दर, रानीवाड़ा के अन्दर, जसवंतपुरा के अन्दर आपका एईएन नहीं है, एक ही जेईएन के भरोसे काम चल रहा है, एक्सईएन जो है, एक्सईएन रहना नहीं चाह रहा। आखिर में उस, एक्सईएन ने खुद हमको टेलीफोन करके, सारे एमएलए यहां बैठे हुए हैं, सब को कह दिया कि मैं वीआरएस ले लूंगा मगर मैं इस परिस्थिति में काम नहीं करना चाहता, मुझे अकेले को झेलना पड़ रहा है। हमने यह बात भी आपको निवेदन कर दी है, दूसरी बातें भी बता दी हैं मगर उसमें कोई फर्क नहीं आया है। आगे इस तरह की परिस्थिति रही तो उस फील्ड में हम लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों को पानी देना है, कम से कम सही बात है वह दिलाना है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन चीजों को, जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं सांचोर तहसील में, रानीवाड़ा तहसील में, भीनमाल तहसील में, आपका एक्सईएन परेशान है, इन चीजों को आप पूरा कीजिये ताकि वहां पानी की प्राब्लम कोई सार्टआउट करनी है तो कम से कम वहां अधिकारियों को कह सकें कि काम करना है। जब तक फोर्स ही नहीं होगी, टीम ही नहीं होगी तो आप पानी का प्राब्लम कैसे सार्टआउट कर सकेंगे, मैं यही निवेदन करते हुए आपका धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: डा. जसवन्त यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति हर जिले की अलग-अलग है और जरूरत भी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अलग-अलग है। यह भी सत्य है कि हमारे जो आज के विषय हैं अकाल, बिजली और पानी, इनके मंत्री भी गांव से हैं और काबिल मंत्री भी हैं। और यह भी सही है कि राजस्थान की सत्तर प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। सभापति महोदय, कितना ही अपन बजट पास कर लें, कितना ही पैसा आ जाए, पर जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक, माननीय मंत्री महोदय, आप लोग चाहे जितना बजट ले लेना, लोगों को राहत नहीं दे सकते। अब पानी के अन्दर ही सात-आठ महीने पहले कंटिंजेंसी में ट्यूबवैल मंजूर हुए, कंटिंजेंसी का मतलब यही है कि आपात स्थिति है, तुरन्त पानी की जरूरत है, इसके अन्दर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। पर ताज्जुब की बात यह है कि मेरे अपने क्षेत्र में भी, सभापति महोदय, कंटिंजेंसी में जो ट्यूबवैल मंजूर हुए थे, आज तक बोरिंग नहीं लगा है। यह आपकी सरकार की स्थिति है और यह आपके महकमे की स्थिति है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए कि आपका सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है? कि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है? राजस्थान के किसी भी गांव में, ढाणी में जो भी व्यक्ति रहता है उन सब को आपसे उम्मीद है, उन सब को आपसे आशाएं हैं। अब कंटिंजेंसी में ट्यूबवैल मंजूर हो, बोरिंग मंजूर हो और वह नहीं लगे तो क्या मंत्रीजी को इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत नहीं है? क्या उन अधिकारियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? जिन्होंने यह लापरवाही बरती है? क्या इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत नहीं है? मैं जिस इलाके से हूं, मेरी तरह और भी इलाके हैं जहां क्रिटिकल पोजीशन है, डार्क जोन घोषित हो चुके हैं, डार्क जोन लग गया है। उनमें सबसे पहले तो योजना बनाने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। खाली हम यह कह दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वहां के लोग क्या करेंगे? वहां के लोगों के बच्चे हैं, वे अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, वे भी जीना चाहते हैं, वे भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर इसके लिए कोई तो योजना बने। खाली असहाय होकर बैठ जाएं तो इससे तो लोगों का भला नहीं हो सकता। अगर आज परिवार बढ़ रहे हैं, परिवार के अन्दर बढ़ोत्तरी हो रही है, गांव के घर के अन्दर जगह नहीं है और वह अपने खेत के क्यार में जाकर मकान बना ले तो न तो वहां बोरिंग नहीं लगा सकता, कनेक्शन नहीं ले सकता। कभी सरकार को एक बार भी सोचने की जरूरत पड़ी कि वह पानी कहां से पीएगा? वह अपना जीवनयापन करेगा कैसे, उसकी जरूरत पूरी होगी कैसे? तो आपको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, इस तरफ कुछ करने की जरूरत है।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

और रही बात, कि मुख्य मंत्रीजी ने जगह-जगह नारे लगा दिये, डिपार्टमेंट इतना खर्च कर रहा है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, बूंद-बूंद बचाओ, कभी आप अपने महकमे की तरफ ही देख लें। जहां आपके पीएचईडी के आफिसेज हैं और वहां ओवरहेड टैंक है वहां मेरे खयाल से चौबीस घंटे पानी कूदता रहता है। जो पूरा गांव एक महीने में पानी पीता है एक दिन में उतना पानी वेस्ट जाता है। आपकी पाइप लाइनें टूटी पड़ी हैं। तो यह नारे लिखवाने पर क्यों पैसा खर्च करते हैं? मैं तो एक ही बात कहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, आपको चाहे कोई टैक्स लगाना पड़े, इसमें आप गरीबी-अमीरी मत देखिये, इस राजस्थान को बचाना है, पानी को बचाना है तो लोगों को यह आभास कराना पड़ेगा कि पानी कीमती है, पानी की भी अपनी कीमत है। ज्यादातर आपके ही महकमे के लोगों के दिमाग में यह है कि पानी तो मुफ्त आ रहा है और उन्हीं की लापरवाही से जितना पानी वेस्ट होता है सरकारी कार्यालयों में, आपके आफिसेज के अन्दर, जितना आपके गार्डन में, आपकी पाइप लाइनें टूटी हुई, उनमें, उतना कहीं भी नहीं होता। आपके महकमे के लोग गांवों में जिस बोरिंग को हैण्डल करते हैं, चलाते हैं, चलाकर चले जाते हैं, चौबीस घंटे उनमें पानी कूदता रहता है और उनको बंद करने वाला कोई होता नहीं है। गांव के लोग यह सोच कर बैठे रहते हैं कि सरकार का पानी है, जा रहा है। तो आप कोई आभास जब तक नहीं करवाएंगे, हर आदमी के मन में यह पीड़ा नहीं आएगी कि पानी वाकई में कीमती है, पानी हमको बचाना है। खाली नारे लिखने से काम नहीं होगा।

रही बात, कि राजस्थान के किसान को भी बचाना है, खेती को भी बचाना है, तो आपको चाहे जितना खर्च करना पड़े, उसके एवज में चाहे जितनी मैक्सिमम सब्सिडी देनी पड़े, बल्कि आपको इतना इंसेंटिव देना चाहिए, आप दोनों मंत्री यहां बैठे हुए हैं, कि जो ड्रिप सिस्टम किसान यूज करे उसको तुरन्त प्रभाव से सब्सिडी रेट पर कनेक्शन दे दिया जाए। तब जाकर राजस्थान बचेगा जब आप इतना बड़ा दिल करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि जो क्षेत्र डार्क जोन घोषित हो चुके हैं उनको बचाने के लिए कोई योजना बनाएं जिससे कि लोग बच सकें और वे इलाके खाली न हों। मुख्य मंत्रीजी का बयान आया, किसानों को कह रहे थे कि आप पर अगर हम कानून लागू कर दें तो आप हमें वोट नहीं देंगे। किसान तो आपकी सरकार बनाते हैं, उनकी तरफ बाद में ध्यान देना, जो आपकी सरकार भी नहीं बनाते और आपको वोट भी नहीं देते, जितने बड़े-बड़े होटल्स हैं, इण्डस्ट्रीज हैं, इनके अन्दर जितना पानी का मिसयूज होता है

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

उतना शायद कई-कई गांवों में नहीं होता। अगर इनकी एक-एक फैक्ट्री और एक-एक होटल को मिलाकर आप देखें, जितना पानी का दोहन वे करते हैं, डिस्टलरीज जितना पानी का दोहन करती है, उतना पूरे के पूरे गांव नहीं करते हैं। तो बड़ा दिल करिये, इन सेठ-साहूकारों की तरफ ध्यान दीजिये और अपनी इच्छाशक्ति बढ़ाइये जिससे कि इस पानी को बचाया जा सके, राजस्थान को बचाया जा सके।

माननीय, क्योंकि समय सीमा है, मैं बिजली मंत्रीजी से निवेदन करता हूं, बिजली मंत्रीजी शुद्ध गांव के हैं। गांव के लोगों को, बिजली मंत्रीजी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं और मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा गांव की पीड़ा और कोई समझ भी नहीं पाएगा। छोटी-छोटी बातें हैं। आप गांवों के अन्दर छापे डलवाते हैं, आपकी विजिलेंस जाती है, लोग पकड़े जाते हैं। पर कभी इसके पीछे कारण सोचा कि क्यों पकड़े जाते हैं? आप यह तो देखें कि गांवों के लोगों ने डोमेस्टिक कनेक्शन लेने के लिए एक-एक साल से पैसे जमा करा रखे हैं, उनको कनेक्शन नहीं मिलता। अब जीने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइट तो चाहिए, इसलिए वे बिजली की चोरी करते हैं। जिन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी हैं, डिमाण्ड नोटिस जमा करा रखे हैं उनके यहां विजिलेंस छापा मारती है, आप उन लोगों पर कार्यवाही कर रहे हैं। उसके साथ में उन ए.ईएन., जे.ईएन., ए.सी., एक्स.ईएन. इन पर कार्यवाही कीजिए कि इतने साल तक डोमेस्टिक लाइट के लिए एप्लाई कर रखा है, पैसे जमा करा रखे हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिया। उनको बराबर का भागीदार तो बनाओ जिससे कि वे जवाबदेह तो हों। आज मैं जिस क्षेत्र से हूं, हो सकता है कि मेरे क्षेत्र में भी ऐसे हालात हों। 16 के.वी. के ट्रांसफार्मर मेरे खुद के क्षेत्र में कम से कम डेढ़ सौ फुंके पड़े हैं और बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आजकल रात को हम लोग तो ए.सी. चलाकर सो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वे लोग कहां जाएं? आज तो जगह ही कम हो गई है, सबको सोना तो घर में है, पर हमारे यहां पर डेढ़-डेढ़ महीने, दो-दो महीने बाद 16 के.वी. के ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं जब गांव का आदमी दस-दस चक्कर लगता है। एक तरफ आप सिंगल फेस का ट्यूबवैल लगाने की योजना बना रहे हो, उसमें टंकी भी नहीं होगी, उसका भविष्य क्या होगा? आप बिजली 24 घंटे दे नहीं सकते, पानी को स्टोर कर नहीं सकते, आपकी बिजली नहीं आएगी, डेढ़ महीने तक आपका सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर फुंका पड़ा रहेगा तो वह गांव का आदमी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

पानी पिएगा कहां से? उसको पानी पिलाएगा कौन? तो मेरा निवेदन है कि चाहे जितना भी बिजली का उत्पादन कर लो, पर आपके महकमे को ठीक कर लो। इस महकमे को जवाबदेह बनाइए।

इसी तरह आपने जिस जीनस कंपनी को दिए थे ठेके, आपके अधिकारियों से बात करें तो वे कहते हैं, साहब, हमारे अंकुश में नहीं है, हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और ठेके में भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया। आजकल यह हो रहा है कि जीनस कंपनी जो ठेकेदार है उसने भी सबलैट कर दिया, वह किसान से पैसा लेकर जो पहले पैसा दे देता है उसको पहले सामान दे देते हैं। वह न प्रायोरिटी का ध्यान रखते हैं, न उनकी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। तो इस पर आपके पास अंकुश लगाने का क्या तरीका है? वह आप लगाइए?

इसी तरह किसानों के खेत के अन्दर जो ट्रांसफार्मर रखा होता है, उसके अन्दर जो छोटे-छोटे फ्यूज वायर या कोई वायर जल जाता है तो आपके लोग यह कहते हैं कि इसको आप हैड आफिस में लाइए। वहां पंचायत समिति में जो इनका आफिस है, जो स्टोर बना रखा है, वहां लेकर आइए। एक तो जो फसल उग जाती है, एक फुट का हमारे यहां डोला होता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसके अन्दर से कोई टैक्निकल आदमी नहीं होता, किसान उसको कैसे उठाए? कैसे लेकर आए? इस तरह लाने ले जाने के अन्दर रास्ते में ही किसान की फसल सूख जाती है, बेचारा भूखा मर जाता है। दो रुपए, चार रुपए का वायर लगना होता है, या दस रुपए का। किसान कभी नहीं कहता, ये नेता अपने आप ही राग अलापते रहते हैं, किसान ने जीवन में कभी नहीं कहा कि आप बिजली के रेट घटाओ या बढ़ाओ। किसान तो एक बात कहता है, चाहे जितनी रेट कर दो पर हमको 24 घंटे बिजली दे दो, हमारी बिजली फ्लक्चुएट नहीं हो। उससे बड़ा नुकसान उनकी मोटरें फुंक कर हो जाता है। उनका जो मजदूर लगता है उसमें ज्यादा पैसे लग जाते हैं। मेहरबानी करें। केवल यह दिखाने के लिए ही है कि हम बिजली का रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। एक किसान नहीं कहता, नेता अपनी दुकान चलाने के लिए कहते हैं। किसान को तो एक ही जरूरत है आज के दिन, क्योंकि रा मैटीरियल है किसान का जीवन का तो बिजली रा मैटीरियल है, पानी रो मैटीरियल है। किसान के पास चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, जितना रेट बढ़ा दो पर 24 घंटे की बिजली देने की

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

व्यवस्था करो। वह भी जिंदा रहना चाहता है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप यह ट्रांसफार्मर लगाने का सिस्टम बंद कराकर किसान से चाहे तो फीस जमा करा लो 200-300-400, क्योंकि उनके इसमें दो-ढाई हजार रुपए लग जाते हैं एक ट्रांसफार्मर लाने में, ले जाने में और टाइम और खराब हो जाता है। तो आप चाहे फीस के पैसे ले लो, पर अपने विभाग से वहीं के वहीं किसान के ट्रांसफार्मर को ठीक करने की व्यवस्था करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इसी तरह आये दिन धंधा और नया बन गया कम्पनी का। वह जाकर या तो किसान को यह बताए कि आप अपनी सील देख लीजिए, जब वह किसान ट्रांसफार्मर उठाये। सील की उस समय तो वे चर्चा करते नहीं हैं, विभाग की सील टूटी हुई होती है, और जब किसान लगा लेता है उसके बाद में वाइ-द-वे वह ट्रांसफार्मर गलत निकल जाता है तो उससे पूछते हैं, इस ट्रांसफार्मर पर तो सील नहीं है। अब दो बातें करते हैं, या तो हमको आप पांच-सात हजार रुपए दीजिए वर्ना आप पर पैनल्टी लगेगी। किसान मजबूर हो जाता है, क्या करे? तो मेहरबानी करके किसान को बचाने के लिए आप दोनों मंत्रियों से निवेदन है कि आप औचक निरीक्षण कीजिए जिससे किसान को बचाया जा सके। मेरा अकाल राहत मंत्री से भी निवेदन है कि जिन ज़िलों के अन्दर जो जरूरत है, सब जगह ही चारा डिपो की जरूरत नहीं है, जिन ज़िलों में जिस तरह की जरूरत हो, जिस तरह की आवश्यकता हो उन ज़िलों में उसी तरह के काम मंजूर करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने पानी, बिजली और अकाल राहत पर चर्चा के लिए जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले पानी की जो समस्या है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत बता दिया है कि ''रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी बिना न ऊबरे मानस मोती चून''। हम पहले सुना करते थे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, तो उस टाइम पर हंसा करते थे कि कैसी पागलपने की बातें हो रही हैं। लेकिन वह बात आज सामने आ रही है। पानी के प्रबंधन में कुछ तो हमारी जनता के साथ गड़बड़ हो रही है। अभी कमलाजी कस्वा ने बताया कि नल खुला रहता है ढाढ़ी बना रहे हैं। पहले गांवों

(श्री सूरजभान धानका)

में जाया करते थे तो एक लोटे से काम चल जाता था और आज कम से कम पाँच-सात लीटर लगता है। तो पानी की खपत तो निश्चित रूप से बढ़ी है। इसके लिए जहां कोई योजना बनती है अभी मेरे लक्ष्मणगढ़ में घाट कैनाल योजना है, काफी दिन से चालू हुई है, उस पर 10 करोड़ 13 लाख रुपए की योजना मंजूर है, उससे पानी रुकेगा। जो नदी का पानी रुकेगा उससे नहर से कम से कम 200 गांवों को फायदा होगा। उससे बिजली की भी बचत होगी, सीधा पानी भी मिलेगा और वहां वाटर लेवल भी ऊपर आएगा। इन योजनाओं पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। डार्क जोन घोषित कर दिया है लेकिन फिर भी इतना नहीं है। अभी लीलोज नदी है उसमें से अगर पानी की योजना बनाकर रैणी क्षेत्र को पानी दिया जाए तो निश्चित रूप से पानी की काफी बहुतायत है। मंत्रीजी और सरकार से मैं निवेदन करुंगा, जैसे पिछली बार एक करोड़ या पच्चीस लाख कुछ बता रहे हैं उसी प्रकार से एम.एल.ए. कोटा होना चाहिए ताकि जहां जरूरत पड़े, तुरन्त प्रभाव से वहां पानी की व्यवस्था की जाए। अभी मेरे क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जिसमें रातभर घूमते रहते हैं, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि मैंने टैंकर के लिए बोला है तो वे बोल रहे हैं कि एक तारीख को लगाएंगे। तो सिंगल फेस और हैण्डपम्प एम.एल.ए. लैड में कुछ करें, जहां जरूरत पड़े तो वह पंचायत के थ्रू हो। क्योंकि पी.एच.ई.डी. का तो बहुत लम्बा-चौड़ा मामला बनता है, महीने में वित्तीय स्वीकृति आती है और प्रशासनिक स्वीकृति आए तब तक पानी की बहुत समस्या हो जाती है।

अब बिजली के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि चोरी बिजली की क्यों होती है। क्योंकि किसान को और डोमेस्टिक यूजर जो होता है, उसको समय पर कनेक्शन नहीं दिया जाता है। साल-साल, दो-दो साल, तीन-तीन साल मैंने देखे, डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं मिले हैं। अब क्या करेगा अगला? उसने चोरी कर ली, उसको बच्चे पढ़ाने हैं। गर्मी भी लगती है, पंखा भी चलाना है। तो उसके लिए कनेक्शन की प्रायोरिटी का ध्यान दें। उससे हमें दो नुकसान होते हैं, एक तो हमें जो बिजली का पैसा आना चाहिए, बिल का, वह नहीं मिल रहा है। दूसरा, चोरी के इल्जाम में जो उसका वीसीआर भरते हैं। तार में भी, मैं अभी मेरे क्षेत्र में गया था कुछ दिन पहले लक्ष्मणगढ़ में एस.डी.एम. ने और हमने मीटिंग ली थी, बिजली वालों को बताया था, तार ढीले हैं, अगर खेत में जाते हैं तो सिर से टच करते हैं तो इनको ठीक करें। कुछ दिन पहले ही वहां एक

(श्री सूरजभान धानका)

भुग्गा भर रहे थे तो दो-तीन आदमी तो मर गये और एक औरत इतनी घायल हो गई कि अभी वह हास्पिटल में है। कहीं पेड़ पर डाल रखे हैं तार, तो कहीं लकड़ी से लगा कर खड़े कर रखे हैं। तो इन पोलों की उचित व्यवस्था हो ताकि ये दुर्घटनाएं नहीं हों। जितना पैसा देना पड़ता है मुआवजे में उतने में तो क्यों न उन पोलों को ठीक कर दिया जाए ताकि जनहानि भी बचे और हमारी व्यवस्था भी ठीक हो।

(समय : 19.00 बजे)

हमारे गढ़ीसवाईराम और इसमें महुआ मंडावर से बिजली आती है तो हमेशा सौतेला व्यवहार करते हैं। गोलमा जी का क्षेत्र है, वहां या तो टाइम से बिजली नहीं आती है, आती है तो कट-कट करके आती है जिससे भारी परेशानी आ रही है। अभी भी मेरे को बताया तो बिजली के बारे में कनेक्शन और ये लूपिंग वगैरह के बारे में ध्यान देने की जरूरत है।

अकाल राहत के बारे में निवेदन है कि दुधारू पशुओं के लिए कैटल फीड वगैरह पर, खल वगैरह पर राहत दी, यह बहुत अच्छी है क्योंकि एक बोरी पर साठ-सत्तर रुपये का भाव बढ़ गया था। किसानों को बहुत राहत मिली है, पशुपालकों को बहुत राहत मिली है। चारा बहुत महंगा है तो कम से कम पंचायत समिति के लिए एक चारा डिपो तो खुल ही जाना चाहिए। एक समय है अकाल का, निकल जाए, फिर भगवान वो ही बरसेगा और वो ही समय होगा। मेरी तो एक राय है कि एक दिन कोई ऐसा यज्ञ हवन करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। जब तक इंद्र देवता प्रसन्न नहीं होंगे हमारा अकाल प्रबंधन वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। सबसे ज्यादा तो यह करें कि भगवान प्रसन्न हो और हमारे देश और प्रदेश की रक्षा करे। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री पेमाराम। श्री रणवीर जी पहलवान (अनुपस्थित)। श्री मंगलाराम जी गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय सभापतिजी, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। राज्य में बिजली, पेयजल व अकाल की स्थिति पर विचार करते वक्त आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में बिजली की समस्या के समाधान हेतु लगभग 20 जीएसएस 33 केवी के बढ़ें, तब बिजली की व्यवस्था में सही सुधार हो सकता है, जिसमें दो 132 केवी के और बीस 33 केवी की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पुनरासर, माणकसर,

(श्री मंगलाराम गोदारा)

गुसाईंसर, उदरासर, भाड़सर, बेनीसर, कल्याणसर, सोनियासर, मीठिया, कोनपाणसर, जाखासर नया, कीतासर, ईगपालसर, हीरावतान और बाढ़ेसर, सकलेरा, कल्याणसर नया, ऊपरी दुसाणा व डूंगरगढ़ कस्बा इनमें 33 केवी के जीएसएस बनें, तब बिजली की सही ढंग से व्यवस्था हो सकती है क्योंकि वहां कृषि कनेक्शन ज्यादा हैं। कृषि कनेक्शन ज्यादा होने की वजह से वहां 33 केवी के जीएसएस की जरूरत ज्यादा है। दो-तीन जीएसएस 33 केवी के बने हुए हैं वो जीएसएस जल्दी चालू हों, जैसे सिंदगुरु मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है नोखा तहसील का गांव है उसमें जीएसएस बना हुआ है लेकिन लाइन नहीं खींची है। लाइन का सामान भी दे दिया गया है लेकिन पोल नहीं हैं, इसलिए जल्दी पोल दिलवा कर इस जीएसएस को जल्दी चालू करवाएं। कुंतासर में भी लाइन खिंची हुई है खाली ट्रांसफार्मर नहीं है, जीएसएस तैयार है। जीएसएस बना हुआ है, जल्दी से जल्दी चालू करवाएं जिससे किसानों को सही लाइट मिल सके। दूसरा एक रीड़ी 132 केवी जीएसएस बना हुआ है उसमें थोड़ी लाइन में कमी है, वो लाइन जल्दी खिंचा कर और इसको जल्दी चालू करवाएं। अभी आगे आने वाले टाइम में, मई में, मूंगफली बुआई का सीजन चालू हो जाता है, इसके पहले-पहले यह जीएसएस चालू हो जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है और लोगों को सही बिजली मिल सकती है। इसमें लास भी कम होगा और किसान को बिजली भी सही मिलेगी।

दूसरा, पिछली सरकार ने खसरा परिवर्तन के लिए दो साल की सीमा बढ़ा दी थी। पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की थी, उस टाइम यह सीमा कुछ नहीं थी, खसरा परिवर्तन किसान जब चाहे उस टाइम पर कर सकता था। अभी दो साल की सीमा लागू कर रखी है इन्होंने इसको हटाया जाए। दूसरा शिफ्टिंग के लिए, जैसे किसान का ट्यूबवैल फेल हो गया तो पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें दो साल की मियाद दे दी कि दो साल पहले अगर किसी किसान के नाम से जमीन है, उसमें ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन एक गांव से दूसरे गांव कोई ले जाना चाहता है तो वो नहीं होता है। तो मेरा सरकार से और मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि ये दो मांगें किसानों की काफी टाइम से हैं, कांग्रेस के टाइम में यह लागू था और पूर्ववर्ती सरकार ने दो साल की इसमें सीमा लगा दी इसलिए किसान को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस सीमा को हटा करके जैसे पहले पूर्ववर्ती अपनी कांग्रेस की सरकार में था उसी प्रकार से इसको लागू किया जाए जिससे किसान को फायदा हो सके।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

दूसरा पानी के लिए, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूरा बैल्ट है वो ट्यूबवैलों से पानी पीता है, कोई नहर का पानी नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दस-बारह ऐसे गांव हैं जहां फ्लोराइड का पानी है और काफी टाइम से पशु और आदमी दोनों को नुकसान कर रहा है। पानी एकदम कड़वा है, नमक बहुत ज्यादा है। पहले भी मैंने सर्वे करवाया था, यहां विधान सभा में भी कई बार मैंने चर्चा की, बाकी आज तक कुछ नहीं हुआ। ग्राम उदलासर, ग्राम लाखड़सर, ग्राम धोलिया, ग्राम लोढेरा, ग्राम बिंजासर, ग्राम जालवसर, ग्राम बिरमासर, ग्राम गुसाईसर, ग्राम डेलवा, ग्राम माणकासर, संवतसर मुख्य हैं इनमें फ्लोराइड का पानी है और बहुत ज्यादा नमक की मात्रा है। कंवरसेन लिफ्ट से पानी जैसे कालू लूणकरणसर तहसील का कस्बा है और कालू तक पानी आता है, कालू से बीस-पच्चीस किलोमीटर ये गांव पड़ते हैं, तो मेरा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि इन गांवों को पेयजल से जोड़ा जाए जिससे इन गांवों को फायदा मिल सके।

इसी के साथ जिन गांवों में पानी मीठा है वहां कृषि कनेक्शन ज्यादा होने के कारण पानी का स्तर नीचे चला गया। जलदाय विभाग के नलकूप वर्षों पहले बने हुए हैं, पुराने बने हुए हैं, वो कम गहरे होने के कारण गांवों में पानी की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नलकूपों को गहरा करवाने हेतु माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था, कुछ गांवों में मशीन भी भेज कर नलकूपों को गहरा करवाया गया था लेकिन अभी बहुत कार्य बाकी है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव गुसाईसर, लादडिया, आड़सर, जाखासर पुराना, सेरूणा, केऊनई, बिंजासर, लोढेरा, कल्याणसर नया, जाखासर नया, बिरमसर, उदरासर, लाखणसर, धर्मास, रीड़ी व नोखा तहसील के मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव कुचोर आथूणी, कुचोर अगुणी, बनिया, मेवसर, मेहरामसर, सातरी, लालासर, बादलू व बेरासर में तत्काल नये नलकूप बनाने की आवश्यकता है। महोदय, पूरे राज्य में अकाल की स्थिति है, बीकानेर जिला भी अकालग्रस्त है । मेरे क्षेत्र में पशुधन ज्यादा है, सरकार ने चारा डिपो खोल रखे है। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में कृषि कुओं पर गेहूं, चना व जौ की फसल हुई है, मूंगफली की फसल की बुआई चालू है इसलिए वहां चारे की जो सब्सिडी है उसको तहसील स्तर पर कर दिया जाए तो किसान को भी फायदा होगा और चारा भी वहीं की वहीं मिल जाएगा।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

सभापति महोदय, हरे चारे के लिये मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि कनेक्शन ज्यादा हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि हरे चारे के लिये दो बीघा का बीज और कृषि कनेक्शन में यह अनिवार्य कर दिया जाए जैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में था, कि दो बीघा जमीन पर अगर कोई किसान हरा चारा बोएगा तो उसके बिजली के बिल में कमी की जाएगी और हरा चारे का बीज दिया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह योजना वापस लागू की जाए जिससे कि पशुओं को हरा चारा मिल सके और अकाल में किसान को भी फायदा मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल है और मारवाड़ में भयंकर अकाल है। मारवाड़ तो सदियों से इस अकाल की मार को झेल रहा है। पिछले चार साल से लगातार अकाल पड़ा है। जब भी अकाल पड़ता है, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग उन विषम परिस्थितियों में जीये हैं और खेजड़ी के छोड़े, खेजड़ी की छाल, घुरुंड का बीज और मतीरे के बीज, तूंगे के बीज को मीठा करके रोटी बनाकर भी उन्होंने अपना जीवन-यापन किया है। लेकिन जब बरसात होती है तो नाडा भरिया नीर सूं वन हरिया सज बेस। वैशाले नदियां बहे दूध, दही फल देस। दूध-दही भी मिलता था। इस बार जो भयंकर अकाल पड़ा तो केन्द्र से एक दल सर्वे करने के लिये आया और पूरी शेरगढ तहसील में हमने केन्द्रीय दल के साथ जाकर सर्वे कराया। नाकों में पानी नहीं, वहां पानी की व्यवस्था नहीं। जो फसल उगी हुई, वह डेढ़-दो इंच जली हुई थी। सारे हालात उन्होंने देखे, सारी स्थितियां उन्होंने देखीं। फलौदी में फलौदी के माननीय सदस्य उनके साथ रहे, लूणी में माननीय सदस्य मलखान सिंह जी साथ में रहे। सारी स्थिति को अवगत कराते हुए हमने उनसे कहा कि सामग्री मद में भी पैसा दें। कुशल और अकुशल में जैसे केन्द्र सरकार अकुशल का पैसा देती है वैसे कुशल का भी पैसा दे। राजस्थान में जो हालात इस बार बने हैं, आपने अपनी आंखों से देखे हैं, राजस्थान के लिये विशेष पैकेज मिलना चाहिये। जब केन्द्र सरकार का बजट आया तो हमने सोचा कि वास्तव में जिस प्रकार से हमने बताया था केन्द्रीय दल को, तो राजस्थान को विशेष पैकेज मिलेगा, लेकिन राजस्थान को विशेष पैकेज नहीं मिला। आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा अकाल की मार कोई झेल रहा है, तो वह राजस्थान झेल रहा है,

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

लेकिन केन्द्र के बजट में बुंदेलखंड को 1200 करोड़ का पैकेज दिया गया, राजस्थान को किसी प्रकार का पैकेज नहीं मिला। दुर्भाग्य की बात है कि जब इस बार राजस्थान का बजट आया तो उस बजट में भी अकाल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ कोष रखा नहीं। न बोला और न कोई राजस्थान कोष में व्यवस्था की। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बार अकाल में जो अकाल राहत के कार्य चलने चाहिये, अब तो यह घोषणा कर दी कि 1 अप्रैल से नरेगा में 100 दिन पूरे करेंगे उसके बाद अकाल राहत का काम दिया जाएगा। नरेगा की गाइडलाइन में अकाल राहत कार्य की व्यक्तिगत लाभ योजना की बात कर रहे थे और नावां और बायतू से आने वाले हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि व्यक्तिगत लाभ योजना के काम होने चाहिये। सन 1998 में जब माननीय अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने व्यक्तिगत लाभ योजना के काम दिये थे। 18 क्विंटल गेहूं देकर टांका जिसमें श्रममद के 18 क्विंटल और सामग्री में 2 देते थे। 36 क्विंटल श्रममद के सरकार की तरफ से और शेष सामग्री वह व्यक्ति देता था। जिससे व्यक्तिगत लाभ योजना में टांके, टीन शैड और मकान के काम होते थे। तो यहां टेबल बजाई गई, बहुत खुश हुए कि वास्तव में उस समय दिया। अब घोषणा की है, तब टेबलें बजाना। इस सरकार ने घोषणा की है कि व्यक्तिगत लाभ योजना में आप काम कराएंगे। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2005 06 में 5 करोड़ का प्रावधान कर राजस्थान राहत कोष बनाया गया था कि सीआरएफ नार्म्स में जो नहीं आएगा उसको इस राहत कोष से मदद मिलेगी। यह योजना बनाई थी और वित्तीय वर्ष 2006-07 में तो अकाल में 750 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन में दिये थे। आपदा प्रबंधन नीति भी बनाई, सूखा प्रबंधन संहिता भी बनाई और विभाग द्वारा वैब साइट भी जारी की गयी। उसके साथ साथ व्यक्तिगत लाभ योजना के जो काम हुए उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये राज की योजना मद में 50 करोड़ का सामग्री मद में प्रावधान किया गया। उसके साथ-साथ श्रम का भुगतान भी इस मद में किया गया। एमएलए लैड को डवटेल करने के लिये 60 परसेंट राशि सामग्री मद से एमएलए कोटे से दी गई और 40 परसेंट राशि श्रम मद में राजस्थान सरकार से दी गई। 11 और 12वें वित्त आयोग में सर्व शिक्षा अभियान, डीपीईपी योजना, व्यक्तिगत लाभ योजना में शौचालयों का निर्माण 13803, खेतों की तलाई 7540, कुओं का वर्षा का पुनर्भरण 1244, आंगनबाड़ी

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

केन्द्र 3568, स्कूलों में रसोइयां 14809, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर में 781 डिग्गियों का निर्माण, 374 किलोमीटर खाले का निर्माण और 1116 पक्के खाले को ढकने का निर्माण भी उन व्यक्तिगत लाभ योजना में और परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के लिये किया गया था। सभापति महोदय, मैं इस सरकार से भी चाहूंगा कि ये सारे कार्य अकाल राहत में किये जाने चाहिये जो नरेगा गाइडलाइन में नहीं हैं। अब ये 100 दिन चार महीने में पूरे हो जाएंगे उसके बाद भी उनको और समय मिलेगा 100 दिन करने का, लेकिन मैं कहूंगा कि अकाल राहत के कार्य विशेष तौर से चलाने चाहिये । जो अकाल राहत में कार्य करना चाहता है वह उसमें करे और जो नरेगा में करना चाहे वह नरेगा में करे। लेकिन अब तो जो शिक्षा मंत्रीजी ने समानीकरण किया है वह का वह समानीकरण अकाल राहत का नरेगा में कर देंगे और अकाल राहत के काम नहीं चलेंगे। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में 2000 ढाणी जल जाती हैं, उनका सर्वे कर व्यक्तिगत लाभ योजना में पड़वे और टांके बनाने चाहिये, यह मेरा खास तौर से निवेदन है।

पशु शिविर हम खोल रहे हैं लेकिन पशु शिविर के लिये अनुदान राशि कम है। छोटे पशु को 10 रुपये मिल रहे हैं उसको बढा कर 20 किया जाना चाहिये। बड़े पशु को 20 मिल रहे हैं, बढ़ाकर 30 रुपये किये जाने चाहिये। फेमिन केड में भेड और बकरी नहीं हैं, उनको भी शामिल कर उसके लिये भी चारा डिपो और पशु शिविर की व्यवस्था की जानी चाहिये, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अकाल राहत में असहाय लोगों की सूची अभी तक नहीं बनी, वह सूची बने। भाजपा शासन में भी 50 रुपये रोकड़ और 50 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं दिये जाते थे। फूड स्टाम्प योजना सरपंच के माध्यम से होती थी उसमें कूपन दिया जाता था। 100 कूपन के माध्यम से जो भूख से मरने वाले हैं, उनको इस प्रकार से गेहूं दिया जाता था। वह योजना भी अभी तक लागू नहीं हुई है, उसको भी लागू किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय, शेरगढ़ में भयंकर अकाल है । 490 गांव अभावग्रस्त घोषित हुए, उसमें से 457 गांवों में 75 से 100 परसेंट खराबा, 33 गांवों में 50 से 74 परसेंट खराबा फिर भी फसल बीमा नहीं मिला । सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि टैंकर की जो सप्लाइ हो रही है उसमें भी 10 एलपीसीडी पानी दिया जा रहा है। अब उनको 10 लीटर पानी मिलेगा तो जानवर को क्या मिलेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस क्लोजर को हटा कर

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

आवश्यकतानुसार पानी मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। राम रूठे लेकिन राज नहीं रूठे, राज को तो राजधर्म निभाना चाहिये और ढंग से काम करना चाहिये।

पेयजल के लिये इस बार बजट में 1231 करोड़ का प्रावधान हुआ, उसमें 675 ग्रामीण क्षेत्र के लिये और 555 करोड़ शहरी क्षेत्र के लिये। केवल इतना ही बजट है, इसमें क्या काम होगा? मंत्री महोदय मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो मरु गंगा हमारे यहां आई है वास्तव में जोधपुर का काया कल्प हुआ है और जोधपुर के आसपास की सभी तहसीलों में उससे योजना बनाई जा रही है। मेरे यहां भी 7 साल पहले योजना बनी, लेकिन कछुआ चाल में यह योजना चल रही है। जो तारांकित प्रश्नों में आपने जवाब दिये हैं ये मेरे पास पड़े हैं, उसमें आपने लिखा है कि आरडी 134 देवानिया चाबा की जोत 234.46 करोड़ की सैकिण्ड फेज की योजना थी, उसमें अभी तक 17.78 करोड़ का काम हुआ है, 216.68 करोड़ का कार्य बाकी है। 129 गांवों की योजना थी, 11 गांव लाभान्वित हुए हैं, 118 गांव बाकी हैं, 216.68 करोड का काम बाकी है। योजना को पूर्ण करने का जो प्रोविजन लिया है, 2010-11 का है, इसको भी पूरा करें। उसके साथ दूसरी और योजना है आरडी 159.50, इसमें 74.38 करोड़ सैकिण्ड फेज के मंजूर थे, 24.23 करोड़ रुपये इसमें व्यय हुए हैं, 50.15 करोड़ का काम बाकी है । 77 गांवों की योजना थी,36 गांवों को जोड़ा गया,41 गांव अभी बाकी हैं। 41 गांव और 50.15 करोड़ का कार्य अभी तक बकाया है, इसको भी 10-11 में पूरा करना था। ये जो काम हुए बीजेपी के शासन में हुए लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन दोनों योजनाओं में एक टेण्डर नहीं लगा है। मैं सरकार से चाहूंगा कि अब टेण्ड्र करके इन योजनाओं को जो समयावधि दी है, उस समयावधि के अनुसार काम पूरा कराया जाए।

सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कहते हैं कि बदले की भावना से काम नहीं होता, लेकिन हुआ है। मेरे यहां एसटी, एससी की ढाणियों को जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग से जो प्रस्ताव आये हुए थे उसके और ओबीसी के हैण्डपम्प, दूसरे हैण्डपम्प मिलाकर 202 हैण्डपम्प स्वीकृत थे। टेण्डर हो गये वर्कआउट, वर्कआउट होने के बाद ये हैण्डपम्प खुदे नहीं, अब किसकी गलती थी? समय पर खुद जाते तो काम हो जाता लेकिन ये काम नहीं हुए और यह कह दिया कि मैटीरियल बढ़ गया। जिनको ठेका हुआ वे तो लिखकर दें नहीं कि काम हम करेंगे नहीं लेकिन सरकार की तरफ से

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

निर्देश हो गये, रोक लगा दी। आज भी ठेकेदार कह रहे हैं कि सरकार से आदेश दिला दीजिए ये सारे हैण्डपम्प हम कर देंगे। ये सूची सरकार के जवाब में आई है लेकिन वे भी हमारे हैण्डपम्प निरस्त कर दिये, 11 टयूबवैल हमारे निरस्त कर दिये। पिछले बजट के समय और चर्चा के समय यह घोषणा की गई थी कि एक विधायक की अनुशंसा से 30 हैण्डपम्प या 30 लाख के कार्य कराए जाएंगे, उसके तहत मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकारी आदेश निकला, सैक्रेटरी आरडब्ल्यूएसएसएमबी, जयपुर ने 13.8.2009 में 661.19 लाख रुपये जोधपुर को कंटिंजेंसी में दिये। पैरा फर्स्ट के अन्दर एमएलए को भी 30 लाख और 30 हैण्डपम्प देने का यह लैटर निकला, इस लैटर के आधार पर हमारे मंत्री महोदय ने जोधपुर में 18 अगस्त, 2009 को मीटिंग की। मीटिंग के अन्दर भी उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक विधायक को 30 हैण्डपम्प दिये जाएंगे यह लिखा हुआ है, प्रोसिडिंग है। अभी 13.8 को जो पत्र निकला उसके बाद 1 सितम्बर को मैंने 30 लाख पाइप लेने का काम दिया। उस काम के आधार पर एस.ई. ने एक्सईएन को पत्र लिखा कि ये काम कराये जाने चाहिये, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यह भी काम नहीं हुआ। सरकार के ओदश की पालना नहीं हुई। यह सरकार के अन्दर हो रहा है। अधिकारी लिख रहे हैं, लैटर लिख रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पहले तो 30-30 हैण्डपम्प सब विधायकों को दिये, उसके बाद 50 कर दिये, और वह भी सांवरमल जी ने घोषणा की थी कि एमएलए कोटे से काम कराने की जरूरत नहीं है, प्रस्ताव लाइये और काम करवाइये। खूब सारे काम हुए अब लेकिन वे भी काम नहीं हो रहे हैं। 99 कैप के अन्दर जो ढाणियां हैं उन ढाणियों में टांका स्वीकृत करने के लिए हमारे यहां से योजना बनकर आई, 1873.12 लाख की एजेंडा बिन्दु संख्या 123, 178 11.10.2007 में नीति निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय हुआ और बजट भी पास हुआ लेकिन आज दिन तक वह काम स्वीकृत नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय को खास तौर से, कि पहाड़-पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, मरूभूमि में सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, कल करें सो आज करें, आज करें सो अब, ऐसा सोचने वाले भी इंसान होते हैं। आप जोधपुर में जाये जन्मे, मुख्य मंत्री भी जोधपुर में जाये जन्मे, जोधपुर की शान रखने के लिए पेयजल की जो समस्या है, उसका समाधान करेंगे, लेकिन खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना होती है वह समय के अनुसार होती है

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

और समय जब बीत जाता है तो कम व्यास की पाइप लाइन होती है, जनसंख्या बढ़ जाती है और उन योजनाओं को पानी नहीं मिलता। मेरे यहां दो आग्मेंटेशन स्कीम सैंक्शन हुईं जिसमें 50-50 लाख का पानी टैंकरों द्वारा जाता था। वह आग्मेंटेशन स्कीम सैंक्शन होने के बाद अब उसमें पानी पहुंच रहा है, टैंकर से पानी डालने की जरूरत नहीं है। वैसे के वैसे आप आग्मेंटेशन स्कीम सैंक्शन करिये राजस्थान के अन्दर। जिनका टाइम पीरियड पूरा हुआ है उनमें आग्मेंटेशन स्कीम दीजिए और आग्मेंटेशन स्कीम के हिसाब से काम हो सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने 20 स्कीम आपके यहां बनाकर भेजी हैं, अगर वे स्कीम सैंक्शन कर देंगे तो टैंकर में पानी डालने की जरूरत नहीं है। मैं खास तौर से निवेदन करूंगा, जो भी काम अब सैंक्शन होते हैं, आपने वर्कशाप बंद कर दिये तो जो भी काम सैंक्शन होता है, चाहे वह हैण्डपम्प सैंक्शन हो चाहे क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना सैंक्शन हो, सारी योजनाओं में उनको चलाने का, उनका समर्थन करने का, उनको रिपेयरिंग करने का, मरम्मत करने का, सारा कार्य ठेकेदारों को तीन साल या पांच साल के लिए दे दिया जाए तो वह काम सुचारु रूप से चलेगा। अभी जल नीति बन रही है, जल नीति के अन्दर आपको विजिलेंस की भी कमेटी बनाने की जरूरत है, जिस प्रकार से बिजली घर में विजिलेंस है वह विजिलेंस बनाने की जरूरत है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे गांवों के अन्दर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पम्प एंड टैंक योजना चलती है उसमें भी घरेलू कनेक्शन देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अवैध कनेक्शन हो गये। आपके जो वृहत् जलप्रदाय योजना बनती है उसमें भी ओवरहैड टैंक ज्यादा बनाकर घरेलू कनेक्शन करिये, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अवैध कनेक्शन होंगे और कार्य नहीं होंगे। जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के पावर थे, एडीशनल चीफ को 8 लाख थे और चीफ इंजीनियर को 15 लाख थे उसके ऊपर भी रोक लगी हुई है, वे रोक हटा देंगे तो छोटे-मोटे काम वहां सैंक्शन हो जाएंगे और स्कीम में वह काम हो जाएंगे। मेरे यहां भी सोहित्रा, साबरसर, हिम्मतपुर, शेरगढ, गुमानसिंहपुरा, चाबा, भोमसागर, सुवाड़िया, देवराजगढ, भूंगरा, तैना, खिजरा, खासघरा, रायसर, सुकेलेतला, सोमेसर, पुखड़िया सैकला बावड़ी में पानी की भयंकर समस्या है, यह समस्या का समाधान करेंगे। ठेकेदारों की समस्या की वजह से भी आपके यहां ट्यूबवैल

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

वगैरह सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, उनकी समस्या को भी सुनें जिससे समय पर ट्यूबवैल खुदें, पाइप लाइन खुदे । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, आज पानी, बिजली और अकाल पर जो विशेष चर्चा हो रही है जिसमें आपने बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। सीकर जिले में मेरी नीमकाथाना कान्स्टीटयुएंसी, यह सभी जानते हैं, आस-पास में वहां पानी की सबसे बड़ी प्राब्लम है। नीमकाथाना क्षेत्र में पूरी नीचे लाइमस्टोन की राकी बैल्ट है जिसकी वजह से पानी 500-500 फीट तक भी नहीं मिल रहा। जहां कहीं पानी मिलता है उसमें हम सिंगल पाइंट 500-500, 550-550 फीट पर चले गये हैं। जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पहले तो मेरे क्षेत्र में अपनी एक जांच समिति भेजें, जो कुछ आपका सैटअप आलरेडी है उसी सैटअप को ढंग से चला दिया जाए तो आधी से ज्यादा पानी की प्राब्लम तो मेरी स्वत: ही खतम हो जाएगी। 182-83 के लगभग सिंगल पाइंट लगे हुए हैं जिसमें मात्र 40-42 चल रहे हैं, बाकी सबके सब कबाड़ बनकर पड़े हुए हैं। सिर्फ यह देख रहे हैं कि सिंगल पाइंट लगे हुए हैं, एक टूटी हुई टंकी रखी हुई है प्लास्टिक की, उसके बाद पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे यहां पायलेट योजना के तहत करोड़ों रुपये की स्कीम बिलकुल कबाड़ बनी हुई है, यह विभाग क्यों नहीं ले लेता? जो कुछ भी सम्पत्ति है, वह राज्य सरकार की है, वह जनता की है। किसी पायलेट योजना की वजह से वह निकम्मी हो गई और उसमें सिर्फ 5-5, 10-10 लाख रुपये लगने हैं और वह स्कीम 60-60 लाख रुपये की है, अगर उस योजना को अपने हाथ में लेकर जलदाय विभाग चलाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जलदाय विभाग को एक बना बनाया सैटअप मिलेगा। उसमें मात्र थोड़े-थोड़े पैसे की आवश्यकता है। आपने पैसे मंजूर भी किये मेरे सालोदड़ा के लिए, कंवर का नागल के लिए,डोकन के लिए, रामपुरा के लिए लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न सालोदडा चला अभी तक, न रामपुरा चला अभी तक, न डोकन चला अभी तक और न नूराना चला अभी तक। ढाई-तीन करोड़ रुपये के लगभग सैटअप सिर्फ सालोदड़ा में और रामपुरा में ही बेकार पड़े हुए हैं, इतना रूपया

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

लगने के बाद भी। मैं आपसे निवेदन करने गया था कि 5-5 मटके लोगों ने नहीं पीये। इतना भयंकर पैसा लगने के बाद आखिर जवाबदेही बननी तो चाहिए इन अधिकारियों की। आप एक जांच समिति बनाकर भेजें जिससे यह पूर्ण रूप से यह पता लगा पाए कि आखिर सरकार का लगा हुआ कितना है। आज साढ़े सात हजार हैण्डपम्प लगे हुए हैं नीमकाथाना क्षेत्र में जिसमें से मात्र 3300-3400 हैण्डपम्प चल रहे हैं। हमने एसडीएम साहब के यहां एक बार छापा डलवाया आपके विभाग के ऊपर, एक महीने पहले हमारी तहसीलदार महोदया गई थीं उन्होंने स्टाक रजिस्टर समेत सब कुछ कब्जे में लिया तब पता लगा कि किस तरीके से विभाग पाइपों को बांट रहा है। जो मांगने के लिए आता है उसी को दे देते हैं। लोगों के छप्पर में लगे हुए हैं सवा-सवा इंच के पाइप। आप तलाश तो करें कि आखिर 3-4 साल में हमने कितना तो माल दिया, कितना माल लगा। और वह लगा तो कहां लगा। क्या वह लगा हुआ आज भी है या नहीं है। पिछली बार मैंने आपसे निवेदन किया था, आपने डोकन के लिए जो पैसा दिया था, डोकन का पाइप लगा दिया गया लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। रामपुरा के साथ भी यही हुआ। तो मेरा, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि कंटिंजेंसी में जो कुछ देते हैं वह तो हमारे हिस्से के अनुसार जैसा सामने वाले भी अपनी प्राब्लम बता रहे थे, हम भी अपनी प्राब्लम बता रहे थे, कंटिंजेंसी का पैसा आता है अपने हिसाब से, लेकिन यह विभाग जिसके पास बहुत कुछ पहले से सैटअप है, आप उसकी एक लिस्ट तो बनाएं। लिस्ट बनाकर पूर्ण रूप से नैट पर देनी चाहिए आपको, आपकी वैब साइट पर देनी चाहिए कि नीमकाथाना में इतने ट्यूबवैल लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के इतने हैण्डपम्प लगे हुए हैं और जो कुछ भी हो, चाहे एम.एल.ए. कोटे का लगा हुआ है, चाहे पायलट योजना का लगा हुआ है। अगर वे काम नहीं कर रहे और अपना बहुत कुछ पैसा उसमें अपने को नजर आ रहा है तो मेरा यह निवेदन है, आपके विभाग को यह चाहिए कि आप अपने अण्डर में उस योजना को लें और उस योजना को चालू करें किसी तरह से।

मेरा आपसे एक छोटा-सा और भी निवेदन है कि नीमकाथाना विभाग में कर्मचारियों की संख्या कुछ तो कम है, कुछ-एक कर्मचारी अपने मन चाहे मंत्रियों के यहां लगे हुए हैं। कितनी अजीबोगरीब स्थिति है कि पूरा सदन, सामने बैठे हुए विपक्ष के भी और हम लोग भी, बार-बार पानी की मार के बारे

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

में बता रहे हैं, दर्द को बता रहे हैं कि जनता को पानी नहीं मिल रहा और वहां कर्मचारी, नेताओं के यहां जाते हैं, कोई और जाते हैं और नेताओं के यहां रहकर आर्डर पास करते हैं मंत्रियों की तरह। जब हम कोई छोटी-सी बात कह देते हैं कि यह काम होना चाहिए, उसी वक्त इतना दबाव बनाते हैं वे लोग कि कहने की भी हिम्मत नहीं होती है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, बिजली मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, कि कृपया मेरे जलदाय विभाग को सुचारु रूप से चलने दें। आपकी वजह से मुझे काफी कठिनाई हो रही है वहां। आप एक मंत्री हैं, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता लेकिन नौजवान के दिल में दर्द बहुत है। जहां पानी की बार-बार आवाज उठती है रोड के ऊपर, मुकदमे लगते हैं, तब हमें दर्द होता है, कार्यकर्ता या कोई भी मुकदमे में फंस रहा है तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो बचा नहीं पाते। और अगर हम चुप बैठकर सहन करें तो यह हमारे लिये अन्याय है कि हम चुप होकर सहन कैसे करें, जब पानी की प्राब्लम है। पानी की प्राब्लम हो और वहां के कर्मचारी काम नहीं करना चाहें तो यह अपने-आप में बड़ी बात है। जलदाय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि एक बार अपनी जांच समिति को भेजें, हम पूर्ण रूप से देखेंगे। आधा विभाग तो मेरा बीमार है, कोई किसी वजह से काम पर नहीं आ रहा, कोई कर्मचारी किसी वजह से काम पर नहीं आ रहा। एक तरफ त्राहिमाम-त्राहिमाम पानी के लिये हो रहा है और दूसरी तरफ कर्मचारी काम नहीं करना चाह रहे हैं। मैं बिजली मंत्री और जलदाय मंत्री महोदय, दोनों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जलदाय को अपना बजट बढ़ाकर दिखाने में क्या आनन्द आ रहा है और पता नहीं बिजली विभाग को अनावश्यक अपनी कमाई दिखाने में क्या आनन्द आ रहा है। अगर एक कनेक्शन सिंगल पाइंट का जलदाय विभाग लेता है तो एक लाख रुपये लगते हैं, तीन फेस का लेता है तो दो-ढाई लाख रुपये लगते हैं और अगर हम प्राइवेट आदमी लें तो 20 हजार रुपये में सिंगल पाइंट का कनेक्शन मिल जाता है और एक लाख रुपये में हमें तीन फेस का कनेक्शन मिल जाता है। यहां का पैसा इधर और उधर का पैसा इधर, अनावश्यक हम लोग यह देखते हैं कि बहुत कुछ दिया गया है जलदाय विभाग में। मैं आपके अधिकारियों से मिला था, मैंने कहा, यह हो क्या रहा है एक कनेक्शन आर्डिनरी रूप में तो 20 हजार रुपये में और जलदाय विभाग अगर एप्लीकेशन लगाए तो वही कनेक्शन एक लाख रुपये में? तो यह आपस

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

में इण्टर-ट्रांजेक्शन हो रहा है, न कोई कमाई सच्ची बिजली विभाग दिखा पा रहा है और न ही अपना बजट और खर्च जलदाय विभाग दिखाना चाह रहा है। मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस पर पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है। गरीब जनता पूरे बजट को देखती है कि इतना लम्बा-चौड़ा बजट है, जबकि वह गलत तरीके से बिजली विभाग के खाते में चला जाता है। आखिर कायदा-कानून तो होना चाहिए, मेरा बिजली मंत्री महोदय से यह निवेदन है। जलदाय मंत्री महोदय, मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे अभी दो ही तो मिनट हुए हैं, दो मिनट और। मैं जलदाय मंत्री महोदय से तो यही कहना चाहूंगा कि आलरेडी जो सैट-अप है, आप उसको सुधरवाइये। आलरेडी अपना विभाग है, अपन उसको एक्टिव बनाएं। मेरे यहां विभाग की क्या पोजीशन है, दो-दो सीट जे.ईएन. की खाली पड़ी हुई हैं। एक जे.ईएन. को यहां से उठाकर पता नहीं शिव, बाड़मेर क्यों तो लगा दिया जबकि वह नीमकाथाना में रात के 12-12 बजे दौड़ कर काम करने वालों में से था। मैं बिलकुल भिखारी की तरह बार-बार आकर कहकर जाता हूं, साहब, मेरे विभाग में कर्मचारी आलरेडी कम हैं फिर कर्मचारियों को क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन हालत इतनी बन रही है, दर्द सामने वाले कह रहे थे, दर्द तो हमारे भी बहुत है। लेकिन करें क्या, मर्यादाओं में रहकर दर्द हम ज्यादा बखान कर नहीं पा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूं, जिसके पास दो जे.ईएन. की खाली सीट हों और एक जे.ईएन को उठाकर बाड़मेर में लगा दें, आखिर उसका क्या कसूर था? और एक ए.ईएन. को जो बिलकुल निकम्मा था, उसको हटा दिया गया और वापस लाकर लगा दिया गया। हमने तो तब भी कुछ नहीं कहा जो कुछ काम नहीं करता। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि एक्टिव अगर विभाग हुआ, जवाबदेह अगर आपके ब्यूरोक्रेट बनें तो इसमें ही पार पड़ जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा, साहब, मेरी मांग है छोटी-सी।

श्री सभापति: करें, जल्दी करें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): आप एक का टाइम और दे दीजिए, साहब, किसी का भी हमारे खाते में से।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा, बिजली मंत्री महोदय से, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से फीडर सुधार कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है तब से यह पूरा का पूरा कार्यक्रम प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया और प्राइवेट लोगों के हाथ में भी इस कदर चला गया कि बड़े ठेकेदारों ने दिल्ली से या कहीं से सैट करके पता नहीं किस तरीके से 2-3-4 साल पहले ठेके लिये थे। उन लोगों ने सबलैट कर दिया। सबलैट वालों ने भी सबलैट कर दिया, सबसे बड़ा विचारणीय विषय तो यह है कि उनके पास टैक्निकल नालेज रखने वाला न कोई एक्स.ईएन. लेवल का, न कोई ए.ईएन. लेवल का कर्मचारी है, फिर वे किस टाइप की बिजली फिट कर रहे हैं, किस टाइप के खम्भे फिट कर रहे हैं? वे लोग सिर्फ अपना काम पूरा करना चाहते हैं। बी.पी.एल. के जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि ठेकेदार बीच में छोड़ गया। मैं कहता हूं ब्लैक-लिस्ट कीजिए उनको। उन्होंने सिर्फ मलाई खाई है। जो कनेक्शन ईजीली लग सकते थे विदाउट प्राब्लम और विदाउट किसी दिक्कत के, वे तो लगा दिये और उसके बाद अपने आप छोड़कर दौड़ गये। अब हमारे बी.पी.एल. के लोग अंधेरे में देख रहे हैं। हमारे यहां नीमकाथाना क्षेत्र में लगभग सवा सौ-ढाई सौ क्रैशर हैं जिनमें रात-दिन दिल्ली माल जाता है एयरपोर्ट की सप्लाइ के लिये, वहां बड़े-बड़े रोडों की सप्लाइ के लिये। सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, मेरी ही ढाणी के, बराबर में ही छोटी-छोटी ढाणियां हैं जिनकी माताएं हमें शिकायत करती हैं कि बच्चे को बाहर तो सुलाएं कैसे, मच्छर काटते हैं और बच्चे को अन्दर लेकर जाएं कैसे, वहां पर बिजली और पंखा नाम की चीज नहीं चलती। यह हालत बनती है और वे अपनी आंखों से टिमटिमाते हुए डेढ़-डेढ़ सौ बल्ब एक क्रैशर के ऊपर देखते हैं। उनका दिल कितना जलता है कि मेरी अपनी जमीन में क्रैशर लगा है उसको बिजली मिल रही है 24 घण्टे और वहां जो छोटी-छोटी ढाणियां हैं, उनमें न रात को पढ़ने के लिये बिजली है, न सुबह बच्चों को उठकर स्कूल में जाने की तैयारी के लिये बिजली है। कितना बड़ा गैप पैदा किया जा रहा है अपने आप में। मैं तो यह कहना चाहूंगा, यह gap between have's or have not's, यह गैप ढाणी और शहर का किसी और ने पैदा नहीं किया, यह गैप पैदा किया बिजली की इस तरह की आपूर्ति ने जिसने देहात के लोगों को मजबूर कर दिया कि वे शहर की तरफ आएं। पानी ने मजबूर कर दिया कि पानी गांवों में मिलता नहीं है, वे शहर की तरफ आएं। आबादी शहरों की इसलिये बढ़ रही है, शहरों में अफरा-तफरी या किसी तरह की दिक्कत जो आ

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

रही है, वह इसलिये आ रही है। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि इन क्रैशरों को कनेक्शन देने से पहले हमें यह देखना चाहिए था कि हम बाहर से बिजली खरीद कर अपने स्टेट की पूर्ति कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनके पास तो आलरेडी बहुत बड़े-बड़े जरनेटर हैं, वे लोग हमारे यहां के नहीं हैं और न यहां सप्लाइ करते हैं। वे बाहर के हैं, अपने जरनेटर सैट लगा रखे हैं उन्होंने, फिर भी उनको बिजली दी है 24-24 घण्टे। हमारे यहां देहात में रात को पढ़ने के लिये, एग्जाम चल रहे हैं, पेमारामजी बिलकुल सही कह रहे थे कि टेलीफोन आते हैं, साहब, रात की बिजली पढ़ाई के लिये चलवा दें। चला कहां से दें, चलाने दें तब न? यह व्यवस्था प्रजातंत्र की है, यह डेमोक्रेसी की है, यह लोकतंत्र की है, यह पूंजीवाद की व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि गांव के लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को और स्टूडेंट्स को उनका अधिकार नहीं दिया गया तो कहीं ऐसा न हो कि वे रोड पर आएं और कहीं ऐसा भी न हो कि हम दुःख पाकर उनके साथ रोड पर कंधे से कंधा मिलाने के लिये उनकी मांग को बुलन्द करें। मैं बार-बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, स्टूडेण्ट रात को भयंकर परेशान हैं। हमारी माताएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर छोटी-छोटी ढाणियों में क्षेत्र के क्रैशरों को देख रही हैं। वे एक बत्ती नहीं जलाते, एक हैलोजन लाइट नहीं जलाते, वे डेढ़-डेढ़ सौ बल्ब, दो-दो सौ बल्ब जलाते हैं। वे दिखाते हैं, जलाते हैं। जी जलाते हैं ढाणी वालों का कि देख लो पूंजी वाले का तो यह हाल होता है, उसके घर में यह रौनक होती है और गरीब झोंपड़ी में क्या श्मशान घाट होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण जो तीन समस्याएं हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आज सीकर वाले ही बोलेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): न, न, आप बाड़मेर वाले बोलें, साहब, इसमें मना कौन कर रहा है? जो राजस्थान में पेयजल, अकाल और बिजली का रमेशजी ने जो दर्द बताया है, मैं समझता हूं, यह कोई रमेशजी का दर्द नहीं, राजस्थान की 80 प्रतिशत आबादी जो गांव में बसती है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रमेशजी का दर्द तो, वह डाक्टर साहब भी हैं और बिजली के मंत्री भी हैं, दर्द तो वह दूर कर देंगे दोनों।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): न डाक्टर साहब के हाथ में है, यह तो सरकार में मुख्य मंत्री के हाथ में है।

(श्री अमराराम)

माननीय सभापति महोदय, यह सबसे बड़ा दयनीय विषय है। न केवल बिजली में, न केवल पानी में, मैं समझता हूं, आजादी के बाद से लेकर आज 2010 तक राजस्थान का बजट अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में 20 प्रतिशत आबादी शहरों में बसती है और 80 प्रतिशत आबादी जो गांवों में बसती है लेकिन राजस्थान के पेयजल का बजट 20 प्रतिशत लोगों पर खर्च होगा 80 प्रतिशत और जो 80 प्रतिशत हैं उन पर खर्च होगा 20 प्रतिशत। उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि राजस्थान के चालीस हजार गांवों में से 22 हजार गांव वे हैं जो एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, आधे से ज्यादा। कोई हर्ज नहीं, जहां पहली प्राथमिकता राजस्थान के पेयजल विभाग की यह हो। जिनको साठ साल की आजादी के बाद में भी शुद्ध पेयजल नहीं मिला, फ्लोराइडयुक्त है, पीने के लिए खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है, टैंकर खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है, उनके लिए क्या योजना है? उनके लिए योजना नहीं है। जो प्रभावशाली लोग हैं, जोधपुर के लिए आने वाले पांच साल के बाद में पानी की कितनी आवश्यकता होगी, उसके लिए 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन उन 22 हजार गांवों के लिए खर्च नहीं होगा। जयपुर में पांच साल बाद में कितने पानी की आवश्यकता होगी, काम चल रहा था, लेकिन उसके लिए 1500 करोड़, खर्च करके बीसलपुर से पानी जयपुर के लिए लाना जरूरी है। लाये, जयपुर के लिए लाये, जोधपुर के लिए लाये, इसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन उसका क्या जिसको साठ साल में पानी नहीं मिला, शुद्ध पेयजल नहीं मिला? क्या उसका हक नहीं है पहला? लेकिन गांव के लिए नहीं सोचेंगे। हम वोट के लिए बड़ी बात करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज हौवा खड़ा किया जा रहा है। पानी नहीं है, यह बात सही है, लेकिन राजस्थान की सरकार यह हौवा खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। राजस्थान की छह करोड़ जनता चाहे वह गांव में बसती है, चाहे वह शहर में बसती है, उसको पेयजल आपूर्ति करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है। अगर वह उससे बचने के लिए यह हौवा खड़ा करे कि पानी नहीं है, मैं समझता हूं कि इस देश में दो तरफ समुद्र है और तीसरी तरफ हिमालय है, बर्फ का पहाड़ है। आज इस वैज्ञानिक युग में इजरायल में समुद्र के पानी को मीठा करके खेती की जा सकती है। आज देश में कोसी नदी में बाढ़ आती है, बिहार में तो 1600 गांव और उनकी पूरी खेती तबाह होती है। आज इस देश के सात लाख गांवों में नरेगा योजना चल रही है, पिछले दो साल से तो तमाम सात लाख गांवों में चल रही है।

(श्री अमराराम)

तमाम तालाब खोद दिये गये। वहां जहां बाढ़ आती है। एक कोसी नदी से 1500-1600 गांव तबाह हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा इस देश का जहां नरेगा में तालाब नहीं खोदे गये दो साल में। तालाब खुद गये। रीचार्ज अगर बरसेगा तो हो जाएगा लेकिन जिस नदी में बाढ़ आ रही है, चलो, हमारी खेती नहीं हो लेकिन रीचार्ज के लिए तो हमारी जितनी भी नदियां हैं, चाहे वह लूनी नदी हो, चाहे वह कातली हो, क्या जहां बाढ़ आती है, वहां से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक नहीं खोदा जा सकता? देश की नदियों में जहां बाढ़ आकर समुद्र में पानी जा रहा है, क्या हम उसका उपयोग नहीं कर सकते? राजस्थान में एक प्रतिशत पानी है, 12 मासी नदियां नहीं हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि चम्बल का पानी आज भी राजस्थान से बहकर उत्तर प्रदेश होकर जा रहा है। आज भी डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा का पानी गुजरात में बह कर जा रहा है। हमारा सरफेस पानी चाहे राज्यों के साथ हमारा हिस्सा हो और चाहे सरफेस में राजस्थान में, वह पानी बह कर जा रहा है, पचास साल में उस पानी को हम टैप नहीं कर पाये। यह हमारी जिम्मेदारी है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, क्या नार्म्स बना रखे हैं? जलदाय विभाग ने बना रखे हैं कि जिस गांव की आबादी 1499 होगी, वे केवल हैण्डपम्प से पानी पीएंगे 2010 में। 1500 की, 1499 की आबादी होगी, 2000 पशुओं की आबादी होगी। क्या जो नार्म्स बनाये थे, उसके बाद भी ये ही नार्म्स रहेंगे। जहां पानी नहीं है, आपने केवल एक हैण्डपम्प लगा दिया और इतिश्री कर दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए और सरकार के लिए सफीशिएंट नहीं है। आज सबसे पहली आवश्यकता है कि पानी है वहां से किस तरह से पहुंचे। पायलट योजना, स्वजलधारा, सीकर, राजसमन्द, जयपुर और अलवर चार जिलों में लागू की गयी है हजारों करोड़ रुपये से, लेकिन सरकार ने भी मान लिया कि यह योजना किसी भी सूरत में सही नहीं है। इसमें जन-भागीदारी की बात थी 10 प्रतिशत की। गांव के लोग जिन्हें पानी नहीं मिला, उन्होंन इस एक बात को एक्सैप्ट किया, 10 प्रतिशत कुछ जगह दिया भी, बहुत-सी जगह नहीं दिया। उसके बाद में अधिकारियों ने कमीशन के लिए उसको लागू किया। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह जनता का पैसा है, जहां भी स्वजलधारा में पैसा लगा है, वाटर वर्क्स की जिम्मेदारी है कि यह उसका उपयोग जनता को पानी पिलाने के लिए करे। तो इस तरह की व्यवस्था बना दी कि एक गांव का बिजली का पैसा पूरा सरकार

(श्री अमराराम)

जमा कराएगी और जिसने अपने गांव की प्यास बुझाने के लिए स्वजलधारा में दस्तख्त कर दिये तो उसका पैसा सरकार नहीं जमा कराएगी।

माननीय सभापति महोदय, एक जो सिंगल पाइंट है, मेरे समझ में नहीं आता, बढ़िया किया सरकार की तरफ से कि बिजली पर भी है, पानी पर भी है, आबादी में सिंगल पाइंट में कनेक्शन दे देंगे। लेकिन सिंगल पाइंट ढाणी में कोई वाटर वर्क्स लगाएगा, उसमें विद्युत विभाग वाले सिंगल पाइंट कनेक्शन देंगे तो डेढ़ लाख रुपये लेंगे। मैं समझता हूं कि यह किसी भी सूरत में न्याय नहीं है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि निश्चित रूप से पानी के लिए व्यवस्था की जाए।

जहां तक बिजली का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, बिजली की हालत सबसे भयंकर मैं समझता हूं। बिजली का कानून इसी विधान सभा में 2000 में बिजली सुधार के नाम से बनाया गया, मैंने तो उस दिन भी कहा था। किसी भी राज्य की या देश की प्रगति इस बात से नापी जाती है कि वह प्रति व्यक्ति कितनी बिजली खपत करता है। मैं समझता हूं कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राजस्थान के उन राज्यों से नापेंगे तो हमारा नाम नीचे से आता है। फिर भी हम उस बिजली से पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। राजस्थान की ग्रामीण आबादी के लिए फीडर सुधार में ग्रामीण बिजली सप्लाइ के लिए अलग से सिस्टम भी डवलप किया गया था उस बात को अब छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि हम तो पंचायतवाइज करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की बिजली की सप्लाइ का जिम्मा सरकार भी अपने से पिंड छुड़ाकर ठेकेदारों के हवाले करने के लिए अब योजना लेकर आयी है कि हर पंचायतवाइज ठेका देंगे। वो ही बिजली चलाएगा, वो ही बिल उगाएगा, वो ही बिल देने का काम करेगा। वो ही मेंटिनेंस का काम करेगा, वो ही बिजली के विस्तार का काम करेगा। मतलब सरकार और विद्युत कम्पनियां कोई काम नहीं करेंगी, ठेकेदार ही सब कुछ काम करेगा जबकि पूरा सिस्टम बनाया, हजारों करोड़ रुपये लगाये। राजस्थान की बिजली का सुधार हुआ या नहीं हुआ लेकिन एफ.आर.बी. का जिन्होंने ठेका लिया राजस्थान में, उनका सुधार जरूर हो गया। जो साइकिल पर था वह कार पर है और जिसके कच्चा मकान था वह बंगले में है। यह सुधार मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हो गया। राजस्थान में सिस्टम हजारों करोड़ का है, 8 हजार करोड़ रुपये लगाने के बाद मैं समझता हूं कि इस सिस्टम से अगर बिजली आप देंगे तो विद्यार्थी के लिए, पढ़ने के लिए भी मिलेगी। छोटा कारखाना, जो

(श्री अमराराम)

भी बेरोजगार है गांव के अन्दर, वैल्डिंग का कारखाना है या दूसरा कोई कारखाना है अगर वह लगाएगा, बिजली आएगी रात को, कौनसे काम करने के लिए जाएगा? अगर 24 घंटे गांव में बिजली आएगी तो मैं समझता हूं कि गांव में छोटा काम, पंक्चर का है, हवा लगाने का है, वैल्डिंग का है, अब वह गांव में नहीं चला सकता क्योंकि थ्री फेस बिजली जाएगी रात को 10 बजे से 2 बजे, 4 बजे तक और 4 बजे से सुबह 10 बजे तक, फिर दिन में बिजली नहीं जाएगी। सिंगल फेस भी अभी परीक्षा चल रही है बोर्ड की लेकिन शाम को वह सात बजे से 10 बजे तक मिलेगी। वही बहाना जो पहले वाला है कि साहब, सिंगल फेस लोग चलाते हैं। आज जिस तरह से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति हुई है, जमीन का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से पानी की कमी हुई है, मैं समझता हूं कि आज सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जहां जमीन छोटी हो गयी, पानी कम हो गया, जो खेत में बसा हुआ है, उसको थ्री फेस ही क्यों, सिंगल फेस दीजिए। सिंगल फेस का आप कनेक्शन दीजिए। सभापति महोदय, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि कृषि में 90 पैसे यूनिट है। घर में किसी ने कनेक्शन ले रखा है, अगर उसने पानी पी लिया, उसने सब्जी की चार क्यारी बो ली जो साढ़े तीन रुपये यूनिट दे रहा है सिंगल फेस का, उसके वी.सी.आर. भरेंगे। और वी.सी.आर. भी कम नहीं भरेंगे। सभापति महोदय, यह मेरे पास है, अगर सिंगल फेस चलाता हुआ घरेलू बिजली से चलाता हुआ पकड़ा गया तो 61,232/-, वह आपको साढ़े तीन गुणा ज्यादा चार्ज दे रहा है। 90 पैसे के बजाय साढ़े तीन रुपये दे रहा है। मैं समझता हूं उसके लिये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच दी कि केवल कृषि में थ्री फेस ही कनेक्शन दिया जाएगा, थ्री फेस ही मोटर चलानी पड़ेगी। जितना पानी है, आज किसान तो मजबूर हो गया। गांव को छोड़कर वह खेत में जाकर बस गया, वहां बैठा हुआ है, पानी पीने लायक भी है तो वह कनेक्शन चाहता है, तो उसको सिंगल फेस कनेक्शन क्यों नहीं दिया जाए? आज जिस तरह से लूट रहे हैं, व्यर्थ का सामान तो बिजली कम्पनी खरीद लेगी, लेकिन जहां सी सी ए है, ट्रांसफार्मर को उतारना है, उसके लिये तीन हजार, पांच हजार की चेन कूपी नहीं होगी। आर्डर भी निकालें कि ट्रांसफार्मर में मीटर जल गया, अगर अन्दर से कोई खराबी हो गयी तो मौके पर ही ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिये छोटी वैल्डिंग मशीन से उसकी वैल्डिंग तोड़कर मौके पर ठीक कर देंगे, लेकिन कितने ठीक हुए? मंत्रीजी कल जवाब दें जब बता दें, एक भी नहीं हुआ। तीन दिन तक अगर मीटर जल

(श्री अमराराम)

गया, उसका कुआ नहीं चल रहा है, उसने अगर चला दिया तो उसके लिये उसकी वी.सी.आर. होगी। सभापति महोदय, राजस्थान के किसी शहरी उपभोक्ता का अगर ट्रांसफार्मर जला है तो कभी भी अपने साधन से जले हुए ट्रांसफार्मर को सहायक अभियन्ता कार्यालय में लाने और वापस ले जाने का काम किसी उपभोक्ता ने नहीं किया होगा आज तक। लेकिन ग्रामीण उपभोक्ता, किसान उपभोक्ता शायद ही ऐसा हो जिनके लिए विद्युत वितरण कम्पनियों ने ट्रांसफार्मर को वापस रखने का काम कभी किया हो। कोई अपवाद से कर दिया हो तो मैं कह नहीं सकता। और इनकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था है? सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार सहायक अभियन्ता कार्यालय हैं दांतारामगढ़, खाचरियावास, खाटू और पलसाना और अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय है रींगस जाकर। चार सहायक अभियन्ता कार्यालयों के बाद में भी अधीक्षण अभियन्ता नहीं। चारों सहायक अभियन्ता कार्यालय के 25 हजार उपभोक्ताओं को रींगस जाना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, निश्चित रूप से आम उपभोक्ता इससे परेशान है। इसके लिये, सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहकर, आज अकाल है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सम-अप ही कर रहा हूं। अकाल में आदान अनुदान की घोषणा की है। चलो छह महीने बाद, अगस्त में आपने अभावग्रस्त घोषित कर दिया। राजस्थान में 100 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाए तो भी अभावग्रस्त ही करेंगे, अकालग्रस्त घोषित नहीं करेंगे। चलो, अभावग्रस्त घोषित कर दिया। अब केवल लघु और सीमांत काश्तकार को तो दो हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से आदान अनुदान मिलेगा, लेकिन बाकी किसान जो लघु काश्तकार से एक बीघा भी जमीन ज्यादा है तो उसको एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, मैं समझता हूं, यह तो सबसे बड़ा अन्याय होगा। इसी राजस्थान में सी आर एफ के मापदण्ड भी हैं, लघु-सीमांत काश्तकार के बराबर की जमीन का अनुदान पहले भी राजस्थान में मिलता रहा है। इससे भी ज्यादा खतरनाक, सभापति महोदय, शार्ट टर्म को लांग टर्म में कर दिया। भयंकर अकाल 27 जिलों में है, 30 हजार गांवों में अकाल है और उसके बाद में भूमि विकास बैंक और कोआपरेटिव बैंक जो हमारी सरकार के नियन्त्रण में हैं, वे किसानों के ट्रैक्टर और जमीन आज की तारीख में नीलाम कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह तो राजाशाही के वक्त में भी नहीं हुआ। जहां बोर्ड का राज

(श्री अमराराम)

नहीं था। राजा का बेटा राजा होता था। लेकिन जब भी अकाल पड़ता था तब भी राजाशाही में उस किसान की जमीन को कुड़क नहीं करते थे। सीकर, चूरू, झुन्झुनूं जहां शत-प्रतिशत अकाल है, 100 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी, लेकिन किसान का ट्रैक्टर नीलाम हो रहा है, किसान की जमीन नीलाम हो रही है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा संवेदनहीन सरकार नहीं हो सकती। इसलिये मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सबको पेयजल पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, यह विधायक कोटे से अगर हो जाए। मैं कहना चाहूंगा पेयजल मंत्रीजी से, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये इनका उत्तर है कि 211 गांवों में से मात्र 35 गांव ऐसे हैं जहां 70 एल पी सी डी का पानी मिल रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है एक करोड़ की, मैं तैयार हूं पूरा एक करोड़ देने के लिये लेकिन हर गांव में पेयजल पूरा 70 एल पी सी डी पानी दें । मंत्रीजी ने कहा, यह उत्तर दे रखा है कि 31 मार्च तक हो जाएगा। 31 मार्च कल खतम हो जाएगी। मंत्रीजी ने आठ महीने पहले आश्वासन दिया था कि 27 गांवों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिये तो कि जो यह आपकी योजना थी, इसके अन्दर स्वजलधारा में जो गांव कटे हुए थे, उनको वापस आपने बकाया रहते हुए कनेक्शन चालू करवाये, इसके लिये तो बहुत धन्यवाद।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, जो प्यासा है, वह धन्यवाद तभी देगा जब उसको पानी मिलेगा। अकाल में आज आप किसान की जमीन नीलाम कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह खतरनाक है। यही बात कहते हुए धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा। जय हिन्द।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

बजट प्रस्तावों से अलग वैट की दर घटाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा के बाहर की गयी घोषणा से उत्पन्न विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर व्यवस्था

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2010 को सदन में व्यवस्था का प्रश्न तथा दिनांक 11 मार्च, 2010 को श्री घनश्याम जी तिवाडी व श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया के नियम

(श्री सभापति)

157-158 के अन्तर्गत इस आशय का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि दिनांक 9 मार्च, 2010 को सदन में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के पैरा-291 को उद्धृत करते हुए वैट अधिनियम के शिड्यूल 4 में वर्णित वस्तुओं पर वैट की दर 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत की गई थी । इसके उपरांत माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 10.3.2010 को एक आदेश पर हस्ताक्षर कर केन्द्रीय सूची में शामिल खाद्यान्न वस्तुओं पर बजट में वैट की दर विधान सभा में घोषित की गई 5 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत किये जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया। ।

आसन द्वारा इस संबंध में अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए सम्पूर्ण तथ्यों का कानूनी दृष्टि से अवलोकन किये जाने के बाद अपनी व्यवस्था बाद में दिये जाने की घोषणा सदन में की गई थी । इस सम्पूर्ण प्रकरण का कानूनी दृष्टि से सभी पहलुओं का अध्ययन कर लिया गया है तथा मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे रहा हूं :-

दिनांक 9 मार्च, 2010 को सदन में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के पैरा-291 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची 4 में वर्णित वस्तुओं पर वैट की दर 4 प्रतिशत से बढा कर 5 प्रतिशत की गई तथा इसकी अनुपालना में दिनांक 9 मार्च, 2010 को वित्त विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई थी । राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची 4 में सभी प्रविष्टियों पर कर की दर 4 प्रतिशत थी । यह मात्र संयोग ही था कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत डिक्लेयर्ड गुड्स पर भी अधिकतम कर दर 4 प्रतिशत ही थी । बजट घोषणा में जब अनुसूची 4 में वर्णित सभी वस्तुओं पर कर दर 4 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत की गई तब भी डिक्लेयर्ड गुड्स पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत वैट की दर 4 प्रतिशत से अधिक बढ़ ही नहीं सकती ।

राज्य सरकार के ध्यान में यह तथ्य आने पर सरकार द्वारा यह उचित समझा गया कि आम जन भ्रमित नहीं हो तथा व्यापारी वर्ग में भी उक्त वस्तुओं पर कर की दर के संबंध में कोई संशय की स्थिति नहीं रहे तथा कोई भी व्यापारी आम जन से अनधिकृत रूप से गलत टैक्स वसूल नहीं कर पाये,

(श्री सभापति)

इसको स्पष्ट करने के लिए दिनांक 10 मार्च, 2010 को राज्य सरकार द्वारा तुरन्त इस आशय का प्रेस नोट जारी किया गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि डिक्लेयर्ड गुड्स पर कर की दर न तो बढ़ाई गई है और न ही घटाई गई है अपितु जो कर दर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वास्तव में थी, उसी को स्पष्ट किया गया है । जो स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है उससे न तो कोई विशेषाधिकार का हनन हुआ है और न ही संविधान अथवा प्रक्रिया नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। अत: मैं श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री अमराराम द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों को अग्राह्य करता हूं। साथ ही श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को भी निरस्त करता हूं ।

(समय : 20.00 बजे)

राज्य में पेयजल, अकाल और बिजली की स्थिति पर विचार

श्री बाबू सिंह राठौड़। श्री कान सिंह कोटड़ी।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय सभापतिजी, बिजली, अकाल और पानी पर मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना की समस्याओं के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कम वर्षा, नदियों के नहीं आने, भू-जल में गिरावट, भू-जल की गुणवत्ता में कमी आने के कारण पेयजल की योजनाएं हैं वे नाकारा हो चुकी हैं। सरकार द्वारा मेरे क्षेत्र में पेयजल हेतु वृहत् योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उम्मेद सागर, धवा, समदड़ी जो पेयजल योजनाएं हैं उनके लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 364 करोड़ 93 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, उसके विरुद्ध 88.18 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस बजट के अन्दर उम्मेद सागर, धवा, समदड़ी पर प्रावधान किया गया है, मेरे विधान क्षेत्र का एक समदड़ी क्षेत्र है वह इससे लाभान्वित होगा। लेकिन उम्मेद सागर, धवा, समदड़ी और खण्डप जो थर्ड फेज की योजना है उसके लिए बजट के अन्दर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो 53 गांव हैं, वे गांव फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं, खारा पानी पी रहे हैं। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उम्मेद सागर धवा, समदड़ी और खण्डप का जो थर्ड फेज है, उसके लिए बजट में प्रावधान करें ताकि वहां की जनता को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो सके।

मेरे क्षेत्र में दूसरी पेयजल योजना पोकरण-फलसूंड की योजना है

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

जिसके लिए पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 1084.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई थी और दिसम्बर, 2009 तक 52.78 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इस योजना से 580 गांव लाभान्वित होने हैं जिसमें जैसलमेर के 177 गांव, बाड़मेर के 403 गांव और मेरे क्षेत्र के 103 गांव होंगे। सिंचाई मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो योजना है 103 गांव की, इनके लिए इस बजट के अन्दर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है, मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पोकरण-फलसूंड योजना है, इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए।

तीसरी क्षेत्रीय जल परियोजना भाटा से सिणधरी, भलखाड़ी योजना है जिसके अन्दर 508 लाख रुपये स्वीकृत हैं। ग्राम पंचायत कमठाई व डंडाली को भी इसके अन्दर जोड़ा जाए, यहां पर भी पानी की विकट समस्या है। आपसे निवेदन है कि इन ग्राम पंचायतों के गांवों को भी इसमें जोड़ा जाए। चौथी मेरे क्षेत्र के अन्दर दांखा करणा भुका क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना है जिसके अन्दर 119.05 लाख खर्च होंगे, इसका काम धीमी गति से चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें तीव्रता प्रदान की जाए। मेरे क्षेत्र की पेयजल की विकट समस्या को देखते हुए आपने टैंकरों की व्यवस्था की है। मेरे क्षेत्र के अन्दर 73 कमीशंड गांव एवं ढाणियां हैं और 57 नान कमीशंड गांव व ढाणियों के अन्दर आपने टैंकरों से व्यवस्था की है और प्रति व्यक्ति आपने दस लीटर पानी की व्यवस्था की है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पशुधन को भी इसके साथ रखते हुए दस लीटर की सीमा को प्रति व्यक्ति बढ़ाकर बीस लीटर करें। इस पेयजल योजना के अन्दर मैं आपको सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे इस योजना में 2009-10 के अन्दर जो प्रावधान किया है जो पारम्परिक स्रोत थे, पेयजल योजनाओं के कारण बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं, नरेगा के माध्यम से इनका जीर्णोद्धार करवाएं। नरेगा योजना के अन्दर बी पी एल परिवारों को टांका की सुविधा प्राप्त है, इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि बी पी एल परिवार के साथ-साथ सभी परिवार के लोगों को इस नरेगा योजना के अन्दर अपने घरों के अन्दर टांका बनाने की आप स्वीकृति प्रदान कराएं तो इस जल संग्रहण के कार्य से लोगों को राहत प्राप्त होगी। तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर जितनी भी जलप्रदाय योजनाएं हैं, वे नदी किनारे आयी हुई हैं और भविष्य के लिए यह मेरे क्षेत्र की

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

एक ज्वलन्त समस्या है, लोग इस समस्या से उद्वेलित हैं। ये जो बांध हैं, इनके कारण लूनिया और उसकी सहायक नदियों में पानी नहीं आ रहा है, उसके कारण खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और आपकी जो पेयजल योजनाएं हैं वे भी बिलकुल नाकारा हो चुकी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की नदियों के अन्दर भविष्य में व्यवस्था करें ताकि इन नदियों के अन्दर प्रति दूसरे या तीसरे वर्ष एक बांध के अन्दर एक सीमा के पश्चात् पानी आए।

मेरा आपसे निवेदन है कि पाइप लाइनें बिलकुल पुरानी हो चुकी हैं, बिलकुल खराब हो चुकी हैं, उनको भी आप देखिए, जर्जर हो चुकी हैं। इसका भी आप प्रावधान करें ताकि पेयजल में सुधार हो सके।

अकाल के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे बाड़मेर जिले के अन्दर 2179 गांव अकाल प्रभावित हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 225 गांव अकालग्रस्त हैं। अकाल के रूप में राम रूठा है परन्तु सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार की सहायता, जिस तरीके की मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिली है। राज रूठा नहीं है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मात्र 93 काम मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चल रहे हैं जिनके अन्दर 2227 श्रमिक नियोजित हैं, यह संख्या बढ़ाई जाए ताकि अकाल के समय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। मेरे क्षेत्र के अन्दर चारे की भयंकर समस्या है। भयंकर अकाल है, चारा डिपो मात्र 16 संचालित हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर पचास ग्राम पंचायतें हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर चारा डिपो खोलने का कष्ट करें। मेरे क्षेत्र में मात्र दो पशु शिविर चल रहे हैं, मेरे क्षेत्र को देखते हुए आप पशु शिविरों की संख्या बढ़ाने की कृपा करें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट के पैरा 119 के अन्दर कृषि आदान योजना का प्रावधान किया है। लघु और सीमान्त को प्रति हैक्टेयर दो हजार, चार हजार देने का प्रावधान है। आपसे निवेदन है कि मेरा पूरा क्षेत्र अकाल प्रभावित है इसलिए इस सीमा को हटाकर सभी काश्तकारों को इस कृषि आदान योजना का फायदा दिया जाए।

विद्युत समस्या के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो बी पी एल परिवार हैं, राजीव गांधी विद्युत योजना के अन्दर 4951 लोगों का चयन किया गया था परन्तु किसी को भी अभी तक बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से मैं

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर लोगों की यह शिकायत रहती है कि आपके जो थ्री फेस के ट्रांसफार्मर्स हैं, वे जलने के बाद समय पर नहीं मिलते हैं। सिंगल फेस के ट्रांसफार्मर्स की कमी है, सिंगल फेस के मीटर्स की कमी है। अभी तक विद्युत सामग्री भी बराबर उपलब्ध नहीं है जिसके कारण घरेलू कनेक्शन लम्बित चल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में 250 घरेलू कनेक्शन और 1154 कृषि कनेक्शन लम्बित चल रहे हैं, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि समस्याओं का समाधान करते हुए लोगों को विद्युत कनेक्शन देने का कष्ट करें। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूं, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आज पेयजल, बिजली और अकाल पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

राजस्थान में वर्षा की कमी, बढ़ती जनसंख्या और अधिक जल दोहन से पेयजल का संकट है। राजस्थान में कुल 237 ब्लाकों में से 30 ब्लाक ही सुरक्षित रह पाये हैं, यह बड़ी चिंता का विषय है।

पानी अमूल्य निधि है इसे बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है। यह हम नहीं डाल सकते कि सरकार की जिम्मेदारी है या मंत्री की जिम्मेदारी है या माननीय मुख्य मंत्रीजी की जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि पानी को बचाना है। पानी अमूल्य निधि है। पानी नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा। हम मानते हैं कि पूरे राजस्थान में पेयजल का संकट है, राजनीति से ऊपर उठ कर पक्ष और विपक्ष को सोचना होगा कि पेयजल के संकट से कैसे राजस्थान को उबारा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में भी फ्लोराइडयुक्त जल है, वहां पानी पीने योग्य नहीं है। पुष्कर सैकिण्ड फेज अजमेर-पीसांगन फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजैक्ट में कुल 112 गांव, 169 मजरे व ढाणी जुड़ने हैं। पीसांगन तहसील के 53 गांव, 85 मजरे-ढाणी व अजमेर तहसील के 59 गांव और 84 मजरे व ढाणी, रूपनगढ़ तहसील के फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजैक्ट में 29 गांव और 117 ढाणियां जुड़ना बाकी हैं जिनमें फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजैक्ट स्वीकृत है। वित्तीय स्वीकृति नहीं होने और

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

बजट आबंटन नहीं होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के इन वंचित रहे गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी पीना पड़ रहा है। इस फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात दिलाने के लिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि बीसलपुर सैकिण्ड फेज फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजैक्ट को वित्तीय सैंक्शन कर और बजट आबंटन कर मेरे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान कराएं। इसमें दो विधान सभा क्षेत्र के गांव आते हैं, पीसांगन फ्लोराइड सैकिण्ड फेज में पुष्कर और नसीराबाद दो विधान सभा क्षेत्र के पानी की समस्याओं का निदान होगा, आप केवल इस पीसांगन सैकिण्ड फेज प्रोजैक्ट को वित्तीय स्वीकृति देते हैं तो। फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं जैसे दांत पीले होना, जाइंट पेन, पीलिया, घुटने खराब होना। इन बीमारियों से निजात दिलाने के लिए मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से और जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस पीसांगन सैकिण्ड फेज प्रोजैक्ट को जल्द से जल्द बजट आबंटन करें। गत सरकार के समय भी इन गांवों को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि ये कांग्रेस समर्थित गांव थे, इन्हें चुन-चुन कर सैकिण्ड फेज में डाला गया था। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि अब कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्य मंत्रीजी गहलोत साहब राजनीतिक भेदभाव नहीं रखते हुए सब का काम करते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी गरीब और गांव के हितैषी हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से और माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इन गांवों को फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात दिलाने के लिए इस प्रोजैक्ट को जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें।

वर्षा की कमी और भूमिगत जल दोहन के कारण पेयजल के स्थायी समाधान की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल नीति तैयार की है, यह स्वागत योग्य कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के लिए केन्द्र सरकार से जो 508 करोड़ की राशि पुनः जारी करायी, इसके लिए हम केन्द्र सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं।

पांच हजार स्कूलों में शुद्ध जल शोधन इकाई स्थापित की जाएगी, इससे स्कूलों में पानी की समस्याओं का समाधान होगा, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगी।

मेरे विधान सभा के उन गांवों का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी जिन गांवों में पानी की पाइप लाइनें डाली हुई हैं, टंकियां बनी हुई हैं पर छोटी-छोटी

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

विसंगतियों से वो चालू नहीं हो पायीं, न ही पानी पहुंच पाया। कायड़ में टंकी का निर्माण हो चुका है, पाइप लाइन डल चुकी है, मेरे कहने पर अभियन्ता ने जोड़ दी पर पानी अभी तक नहीं आया। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारी जो लाइन डाल देते हैं, टंकियां बना देते हैं, पर पानी नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे ही दोराई गांव में टंकी का निर्माण हो चुका है, पाइप लाइन डाल रखी है। ऐसे ही बीर गांव में, गांव तो ऊंचाई पर है और टंकी बना दी गयी नीचे, ऐसे ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जो ऐसी जगह पाइप लाइनें डालते हैं और ऐसी जगह टंकी बनाते हैं और सरकार का पैसा वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं।

नेहरू नगर में तत्कालीन जलदाय मंत्रीजी ने टंकी के निर्माण का शिलान्यास कर दिया था, वो टंकी आज तक नहीं बनी। पता ही नहीं कहां गयी वो टंकी। नवम्बर, 2007 की बात बता रही हूं, वो टंकी नहीं है, कहां उड़ गयी, पता नहीं। अधिकारियों से जब मैंने सम्पर्क किया, जब पालरा के सरपंच ने सम्पर्क किया तो उन्हें यह कहा गया, जन सुनवाई में उन्हें लैटर पर यह लिख कर दिया गया कि हम 15 दिन की अवधि में यह काम चालू कर देंगे। वो काम आज तक चालू नहीं, वो टंकी का निर्माण नहीं हो पाया। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि नेहरू नगर में एक टंकी का निर्माण कर नेहरू नगर की जनता को राहत प्रदान कराएं।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी जगह टंकियां बना दी गयी हैं कि टंकियां तो नीची हैं और गांव ऊंचे हैं। होशियारा आदि गांवों में गांव ऊंचाई पर हैं, टंकियां नीचे बनी हुई हैं तो उन टंकियों का कोई महत्व नहीं रह गया, या तो उन गांवों में नयी टंकियां बनायी जाएं या फिर टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जाए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विधायक लैड के पैसे बढ़ाये, 20 लाख रुपये, वो पेयजल पर खर्च किये जाएंगे, यह एक स्वागत योग्य कदम है, इससे पानी की समस्या का काफी हद तक निदान होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगी, परम्परागत स्रोत कुएं, बावड़ी की सुध लेकर उन्हें गहरा कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

कि विधायक कोष से पी.एच.ई.डी. द्वारा जो हैण्डपम्प कराये जाते हैं, उनका 60 हजार रुपये खर्च आता है। जबकि पंचायतों द्वारा और व्यक्तिगत जो हैण्डपम्प खुदाये जाते हैं, उनका खर्च 30 हजार आता है। तो ऐसे 60 हजार रुपये में दो हैण्डपम्प खुद जाते हैं और ऐसे 60 हजार में एक ही हैण्डपम्प खुदता है। माननीय मंत्रीजी विराजे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहती हूं कि यह इतनी विसंगति है, आप इसे दूर कराएं। इस बात में पहले भी मेरी आपसे बात हो चुकी है। (व्यवधान)

तत्कालीन सरकार के समय में यह दिया गया था, हमारी सरकार ने नहीं दिया। गत सरकार के समय इन्होंने पी.एच.ई.डी. को दिया था 60 हजार रुपये में। अभी माननीय मंत्री महोदय करेंगे इसको सही।

टैंकर पानी की सप्लाइ का ठेका पंचायत स्तर पर होना चाहिए क्योंकि तहसील स्तर पर होने से तहसील के सब टेण्डर दूसरों को दिये जाते हैं, पंचायतों में प्रापर टैंकर की सप्लाइ नहीं होती है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि टैंकर सप्लाइ का ठेका पंचायत स्तर पर हो।

बीसलपुर बांध जो अजमेर जिले के लिए बना था, माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि बीसलपुर बांध का पहला हक अजमेर जिले के गांव, ढाणी का है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से और माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप कहीं भी पानी दें, हमें कोई एतराज नहीं है, पहले पहला हक, पहली प्राथमिकता से अजमेर जिले के गांव, ढाणी को बीसलपुर का पानी दिया जाए, उनके गांव-ढाणी जो नहीं जुड़े हैं, उन्हें बीसलपुर से जोड़ा जाए। अजमेर जिले को, बीसलपुर में पानी कम बचा है इसलिए कहना चाहती हूं कि इंदिरा गांधी नहर से भी जोड़ा जाए। इसके अलावा राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को मिलना चाहिए, एम.पी., पंजाब, हरियाणा और गुजरात से राजस्थान के हिस्से का पानी भी राजस्थान को मिलना चाहिए।

एक विसंगति और है पेयजल में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में असमानताएं होती हैं। शहरी क्षेत्र में पेयजल के अधिक स्रोत हैं और पेयजल अच्छे तरीके से सप्लाइ होता है और ग्रामीण क्षेत्र में 15-15 दिनों से बीसलपुर के पानी की सप्लाइ होती है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस विसंगति को भी आप दूर करें। जिस तरह पांच दिन में अजमेर शहर में पानी आता है इसी तरह से आप अगर पांच दिन में ग्रामीण क्षेत्र को पानी नहीं दे सकते तो

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

कम से कम एक हफ्ते में तो बीसलपुर का पानी गांवों को उपलब्ध कराएं, क्योंकि अजमेर का पैराफेरी बैल्ट पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में आता है, वहां पानी 15 दिन से पहुंचता है बीसलपुर का, उन्हें अन्य स्रोतों से पेयजल की पूर्ति करनी पड़ती है।

जल से सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

निर्धन वर्ग और धनाढ्य वर्ग में अनियमितताएं हैं व इसकी पहुंच में जो अनियमितताएं हैं उन अनियमितताओं को भी आप और हम सब को मिल कर दूर करना होगा। पुरानी व बार-बार टूटने वाली लाइनों को आपको चेंज करना होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अरड़का, बोबातिया इन गांवों में सीमेंट की पाइप लाइनें डली हुई हैं जब भी पानी छोड़ते हैं उससे पाइप लाइनें फट जाती है और पानी पहुंच नहीं पाता। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को हैण्डपम्पों से अपनी पूर्ति करनी पड़ती है। अवैध कनेक्शन लेने वालों और बूस्टर का प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्यवाही करनी होगी, पानी की चोरी को रोकना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करके पानी को रीचार्ज करना होगा।

माननीय अकाल राहत मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे कहूंगी कि अकाल को देखते हुए हर पंचायत हैडक्वार्टर पर ...(समय-समाप्ति सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगी।

अकाल को देखते हुए चारा डिपो हर पंचायत हैडक्वार्टर पर खुलने चाहिए। यह भी मानिटरिंग होनी चाहिए कि चारा डिपो खुले या नहीं खुले। उनकी सुनिश्चितता भी आपको तय करनी होगी। सिंगल फेस के बिजली कनेक्शन दिये जाने चाहिए क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शाम होते-होते लाइट काट दी जाती है, इस अनियमितता को आप दूर करें। सिंगल फेस की लाइट ग्रामीण क्षेत्र में रात भर रहनी चाहिए।

अकाल को देखते हुए पशुओं के लिए टैंकरों की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि पशु के लिए और आदमियों के लिए वहीं टैंकर गांव में लाए जाते हैं। जहां-जहां पशु ज्यादा हैं वहां उनकी संख्या को देखते हुए अलग से टैंकर की व्यवस्था की जानी चाहिए। बी पी एल परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये जाने चाहिए। स्कूलों में हैण्डपम्प की बजाय सिंगल फेस की मोटर लगाकर टंकी रखकर व्यवस्था करनी चाहिए पानी की ताकि बच्चों को हैण्ड पम्प नहीं चलाना पड़े और टंकी से पानी भर कर पी सकें।

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

माननीय बिजली मंत्री बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगी, पुष्कर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पुष्कर में तार लटके हुए हैं बिजली के। यदा कदा वी आई पी आते हैं, विदेशी आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं, उनको देखते हुए रोड सकड़ी है, उन रोड्स पर तार ऐसे लटक रहे हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि पुष्कर शहर की जो लाइटिंग की व्यवस्था है उसको आप अण्डरग्राउण्ड करवाएं तो आपकी अति कृपा होगी। सभापति महोदय, 1998 की कांग्रेस की सरकार ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अकाल का बहुत अच्छा प्रबन्धन किया था, उसको राजस्थान की जनता नहीं भूली है, आज भी याद करती है। अकाल राहत के काम के बदले जो अनाज और गेहूं दिया गया, वह जनता आज भी याद करती है। गांवों में जाते हैं तो औरतें यही कहती हैं कि आप हमें वो ही गेहूं दिलवाओ वापस। हमें पूर्ण विश्वास है कि 1998 की सरकार की तरह इस बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी अकाल का बहुत अच्छा प्रबन्धन करके राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अशोक जी पींचा।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): सभापति महोदय, आज आपने पेयजल, बिजली और अकाल पर बोलने का जो समय दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में आपणी योजना के द्वारा पानी आता है। 900 करोड़ रुपये की योजना बनाई जाकर सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को पानी दिया जा रहा था, कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि वर्तमान में केवल 95 गांव इस योजना से पानी पी रहे हैं। बाकी के गांव पानी नहीं पहुंच पाने के कारण इस योजना से कट गये या पांच-सात गांव ऐसे थे जिनमें मीटर की रीडिंग ज्यादा आयी, गांववासी ज्यादा मीटर की रीडिंग आने से उसका भुगतान नहीं कर पाये तो उनका कनेक्शन काट दिया गया। मेरे कहने का मतलब है कि दो साल पहले इस योजना को पी एच ई डी को सुपुर्द कर दिया गया था, जब से इस योजना को पी एच ई डी को सुपुर्द किया गया, उसके बाद में इस योजना का पूरा का पूरा भट्ठा बैठ गया। ऐसी हालत में

(श्री अशोक पींचा)

दिन प्रति दिन गांव इस योजना से कट रहे हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं कि देरासर में आपणी योजना की एक एस आर बनी हुई है, उससे तीन गांवों में पानी सप्लाई होता है, लेकिन अचम्भे की बात है कि उन तीनों ही गांवों में उस एस आर से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पिछली बार भी मैंने माननीय मंत्रीजी को लिखकर दिया, माननीय कलक्टर साहब को लिखकर दिया, उसके बाद में कुछ जो स्रोत थे, जो पुराने स्रोत थे, उसमें से पांच, सात स्रोत चालू किये गये। उसके बाद में कुछ ट्यूबवैल भी स्वीकृत किये गये लेकिन जिन गांवों के नाम से वे ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये थे उन गांवों में ट्यूबवैल नहीं बनाये गये, उनको अन्यत्र बना दिया गया। अब पता नहीं विभाग उनका पेमेंट कैसे करेगा, नहीं करेगा, इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उस समय मैंने माननीय मंत्रीजी को लिखा, मंत्रीजी ने वही गांव लिखकर दिये जो मैंने इनको सुझाव दिया था, लेकिन वहां जाकर अधिकारियों ने उनको बदल दिया। आज एक साल लिखने के बाद भी वे गांव प्यासे हैं। उसमें पुलासर गांव था है, एक मेरे यहां बलासर गांव है, 95 परसेंट उस गांव में हरिजन रहते हैं, एस सी की आबादी है और पानी से महरूम हो रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, पिछली बार स्वीकृति जिन ट्यूबवैल की निकाली गई थी, उन्हीं गांवों में ट्यूबवैल बनाए जाएं। अन्यत्र विभाग के अधिकारियों ने जहां बना दिये, उनके पेमेण्ट की जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों के ऊपर डाली जाए ताकि कोई भी अधिकारी इस बात का मखौल नहीं उड़ा सके।

इसके अलावा यह स्कीम 1991 की जनसंख्या के आधार पर प्रारम्भ की गई थी, अब 2010 आ गया है, शहरों का विस्तार हुआ है। मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी इनको कि शहरी क्षेत्र में जहां दक्षिणी क्षेत्र शहर का बढ़ा है, वहां एक एस आर बनाई जाए और उस एस आर के माध्यम से जो नई कालोनी डवलप हुई है, जहां नई आबादी का विस्तार हुआ है वहां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसको वापस पी एच ई डी से आपणी योजना में लिया जाए ताकि इतनी बड़ी 900 करोड़ रुपये की जो योजना है, उसकी क्रियान्विति सही और सुचारु रूप से हो सके।

इसके अलावा मैंने अभी एम एल ए लैड से अगस्त महीने में तीन-तीन काम पी एच ई डी को लिखकर दिये थे, आज तक तीनों ही काम पूरे नहीं हुए, जबकि कह रहे हैं कि पानी के विषय में दिसम्बर तक सारे काम पूरे कर देंगे।

(श्री अशोक पींचा)

तीनों ही काम एम एल ए लैड के आज तक पूरे नहीं हुए हैं। तो विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित किया जाए कि एम एल ए और एम पी किसी भी काम को लिखते हैं, उनको प्रायोरिटी से पूरा किया जाए। भविष्य के लिए मेरा एक सुझाव है कि इन कामों को पंचायत के माध्यम से कराने का आप निर्णय करें ताकि काम जल्दी और कम पैसे खर्च करके भी पूरा किया जा सके।

इसके अलावा माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस योजना का सैकण्ड फेज भी प्रारम्भ करने की योजना बनाई जा रही है। मेरे कहने का मतलब है कि उसे चालू करने से पहले यह सुनिश्चित कर दें कि सरदारशहर में इतना क्यूसेक्स पानी इस योजना के लिए रिजर्व रहेगा। आप आगे इस योजना से कोई भी सैकण्ड फेज चालू करें, उससे पहले रिजर्व करें। जहां ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगा रखा है, न तो उसमें पानी की सफाई होती है, न पूरा चलता है, न आप फिटकरी डालते हैं। जब हल्ला मचता है या यहां प्रश्न लगा देते हैं या जब अधिकारियों को लिखते हैं, तब केवल मात्र एक बार उसमें फिटकरी डाल कर इतिश्री कर ली जाती है। इससे बराबर रोग फैल रहे हैं, सबसे ज्यादा पीलिया की बीमारी फैल रही है । इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा गांव हैं- पुलासर, बलासर, बलबारिया जहां स्कीम चालू नहीं है और लोटसर, आसलसर, भादासर, दिखणादा, पुन्नूसर, आथूणा, करणसर, इसके लिए प्रस्ताव यहां लम्बित हैं, इन गांवों में इन ट्यूबवैल की स्वीकृति दी जाए और सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में मोटर मार्केट अलग से बना हुआ है, पहले वहां ट्यूबवैल थे, उन ट्यूबवैल को वापस से चालू कराया जाए। गाड़िया लुहारों के लिए अलग से बस्ती बसी हुई है, उसके पास थोड़ी ही दूरी पर एक ट्यूबवैल पुराना बना हुआ है उसको वापस से चालू किया जाए ताकि गाड़िया लुहारों को भी पानी मिल सके।

इसके अलावा कुछ पुराने जो स्रोत हैं, ओपन वैल हैं उनके लिए भी आपको और माननीय जिला कलक्टर महोदय को मैंने पत्र लिखा, आपके अधिकारियों को मैंने पत्र लिखा, आपके द्वारा कंटिंजेंसी में बजट देने के बाद एक भी अधिकारी का प्रत्युत्तर नहीं आया कि यह काम हम चालू कर रहे हैं या इसकी स्वीकृति हम निकाल रहे हैं। आज तक नहीं हुआ। इसके अलावा एक

(श्री अशोक पींचा)

ढाणी ईसरदा की गांव है, उसमें पहले डीजल इंजन से पानी दिया जा रहा था। डीजल का घोटाला हुआ, सरदारशहर में उसकी बहुत जांच हुई तो अधिकारियों ने डीजल सैट को बंद कर दिया। वह ढाणी सरदारशहर में अब इलैक्ट्रीफाई हो गयी, मेरा आपसे निवेदन है कि इलैक्ट्रीफाई करवा कर उस कुए को वापस चालू कराया जाए ताकि ढाणी के लोगों को पानी मिल सके।

इसके अलावा रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की भी 8 पंचायतें सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, उनमें एक पाबूसर गांव है। मैंने विधायक कोटे से बोरिंग के पैसे दिये। इत्तफाक से वहां बोरिंग हुई लेकिन उसमें पानी नहीं निकला। तो मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि बाणूदा जो नायकों की बस्ती है, उसमें एक ट्यूबवैल बनाया जाए। पाबूसर की जो बात कर रहा हूं उसमें नया ट्यूबवैल बनाया जाए। हामूसर में एक नया ट्यूबवैल बनाया जाए। ये रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं।

कुछ रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प सक्सेज हैं, पहले के बने हुए हैं, उनकी भी अधिकारियों को मैंने लिस्ट दी है, हैण्ड पम्प लगाये जाएं।

इसके अलावा मेरा माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में सावर ग्राम में एक 33 केवीए का जी एस एस था, लगातार सात साल तक चोरी होकर पूरा का पूरा सामान जी एस एस का चला गया। हमने इस मामले में बहुत ज्यादा कोरसपोंडेंस की, बार-बार यही कहते कि एफ आई आर की कापी लाओ। हमने एफ आई आर की कापी दे दी, चोर पकड़े नहीं जा सके। वह भी हमने दे दिया, उसके बाद भी सावर का जी एस एस वापस प्रारम्भ नहीं हुआ।

सरदारशहर में कुछ पाकेट में कुओं के द्वारा इर्रिगेशन होता है, मालसर और तोलासर में नया 33 केवीए का जी एस एस बनाया जाए।

इसके अलावा अकाल राहत मंत्रीजी से एक निवेदन है कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर चारा डिपो संचालित किये जाएं, चारा डिपो खोला जाए।

अकाल राहत में एम एल ए और एम पी के कार्य डवटेल किये जाते हैं लेकिन उसमें एक बाउंडेशन कर दी कि सौ दिन जिसने पूरे कर लिये हैं वह अकाल राहत के तहत कार्य करेगा। अब अप्रैल में नरेगा चालू होगी, मार्च तक वह सौ दिन पूरे करेगा तो एम एल ए और एम पी लैड का काम सम्भव नहीं

(श्री अशोक पींचा)

है। इसलिये मेरा अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि एम एल ए और एम पी लैड के कामों में सौ दिन की बाउंडेशन हटायी जाए ताकि अकाल राहत में डवटेल होकर कार्य सम्पन्न हो सकें। यही मेरा आपसे निवेदन है, सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गणेश सिंह परमार।

श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, पेयजल, बिजली और अकाल की चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और जलदाय मंत्री महोदय का भी आभार प्रकट करता हूं कि राज्य के लिये कई वर्षों से लम्बित जल नीति को तैयार करना प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय और जलदाय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र एक आदिवासी बहुल, पहाड़ी और ढलानी इलाका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ में तहसील कुम्भलगढ़ की 5 पंचायतों छुरावड़, चारभुजा, रीछेड़, मानवता का गुढा तथा झिलवाड़ा जिसमें लगभग 45 गांव स्थित हैं, के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु पेयजल योजना बेरिस का नाका कांग्रेस की पूर्व सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी जिसका शिलान्यास तत्कालीन जल संसाधन मंत्री डा. सी पी जोशी साहब व तत्कालीन विधायक एवं पूर्व मुख्य मंत्री हीरालाल जी देवपुरा साहब के कर कमलों से किया गया जो शिलान्यास पट्ट साक्षी के रूप में आज भी मौके पर स्थित है। बाद में कांग्रेस की सरकार बदल गयी, पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा कोई प्रभावी प्रयास समयबद्ध नहीं किये जाने से उक्त योजना क्रियान्वित नहीं हो पायी। बेरिस का नाका पेयजल आपूर्ति योजना के प्रथम व द्वितीय स्टेज की गवर्नमेंट आफ इंडिया, मिनिस्टरी आफ एनवायर्नमेंट एण्ड फोरेस्ट तथा सुप्रीम कोर्ट, नयी दिल्ली से माह फरवरी, 2009 में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन, सम्भाग उदयपुर द्वारा जारी हो चुकी है इसके बावजूद भी कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है। बेरिस का नाका पेयजल योजना कुम्भलगढ़ क्षेत्र के आदिवासी बहुल, ग्रामीण, पहाड़ी, ढलानी क्षेत्र के लिए एक भागीरथी योजना है, मैं जलदाय मंत्रीजी का

(श्री गणेश सिंह परमार)

ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त योजना को तत्काल चालू कराया जाए ताकि 45 गांवों की पेयजल समस्या का समाधान हो सके।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि कुम्भलगढ़ में आदिवासी बसते हैं जो पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं, वहां पर हैण्ड पम्प की गाड़ियां नहीं जा सकतीं और न ही वहां टैंकरों से जलापूर्ति की जा सकती है। वहां पर सार्वजनिक कुओं को खोदने की स्वीकृति दिलायी जाए ताकि पेयजल समस्या का समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत काफी बी पी एल परिवार विद्युत कनेक्शन से वंचित रह गये हैं, ऐसे परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिलाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में निजी कुओं की खुदाई की स्वीकृति दिलायी जाए ताकि गरीबों को सीधा फायदा मिले, ऐसा मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

(समय : 20.36 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सभापति महोदय, आज पेयजल, बिजली और अकाल की चर्चा पर मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। हमारे भूमंडल के दो तिहाई भाग पर जल और एक तिहाई भाग पर धरातल का स्वरूप उपलब्ध है किन्तु फिर भी जल का लगभग 99 परसेण्ट भाग हमारे पीने के, या मैं यूं कहना चाहूंगी, प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के काम नहीं आता है। सम्पूर्ण जगत में पीने का पानी आज चिन्ता का विषय बना हुआ है। इसका कारण हम अच्छी तरह से जानते हैं- बढ़ती आबादी, कटते जंगल, उजड़ते पर्वत, बिगड़ता पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण सब इस समस्या को और अधिक उग्र बनाते जा रहे हैं। पेयजल की कमी और अशुद्ध जल दोनों ही साक्षात् में बीमारियों को नियंत्रण देते हैं समय-समय पर।

मैं इसमें यह कहना चाहूंगी कि जल जीवन का आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं। मानव की दैनिक जीवन की क्रियाएं जल से पूरी होती हैं। जल से ही शुद्धता, पवित्रता का रूप भी सम्पन्न होता है। भारतीय संस्कृति में सम्पूर्ण क्रियाएं जल से ही सम्पन्न होती हैं। जल से ही सारी वनस्पति उत्पन्न होती

(श्रीमती अनीता सिंह)

है। जल चक्र के द्वारा मानव का विकास होता है और यह हमारी मूलभूत आवश्यकता भी है। जल के बिना जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, हम यूं कहेंगे, जल के बिना जीवन ही नहीं है।

अभी हमारे नीमकाथाना से आने वाले सदस्य बहुत अच्छी बात यहां पर कह रहे थे कि उद्योगों के लिये इतना सरकार आगे व्यवस्था करती है और गरीबों के लिये नहीं करती है। यह भी एक बात है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे प्रदेश, हमारे देश में हो रहा है यह इस समय के लिये भले ही आर्थिक वृद्धि और चकाचौंध करने वाला हो लेकिन अंत में घाटे का सौदा ही साबित होगा।

आज हम पानी के संरक्षण की बात करते हैं और संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला मुद्दा है कि बिजली का जब से हम उपयोग करने लगे हैं जल दोहन के लिये, तब से हम जल का ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बिजली से पहले गांवों में जब पीने के पानी की आवश्यकता होती थी तो पानी पीने का जितना पीना होता था उतना ही निकालते थे। अपने और कामों के लिए कुए से खींचकर पानी निकालना पड़ता था, एक सीमित मात्रा में ही निकालते थे। लेकिन जब से बिजली का आविष्कार हो गया, बटन दबाते ही बहुत पानी हम बैठे-बैठे निकाल लेते हैं। उसका दुरुपयोग भी करते हैं और पानी के संरक्षण की भी हम बात करते हैं कि बरसात का जो पानी आता है या जो वेस्ट होता है, यह पानी सब भूमि में जाना चाहिये। लेकिन उसके लिये शहर जितने अधिक विकसित होते जा रहे हैं, वे भी एक बहुत बड़ा रोड़ा इसमें बन रहे हैं। हमारे शहरों में सीमेण्ट की सड़कें बन गयीं, सीमेण्ट के मकान बन गये और इस तरह से बने हुए हैं कि खाली जमीन बची नहीं है। जहां पर पानी अन्दर जा सके, ऐसी कोई जमीन नहीं बची है।

मैं तो अपने क्षेत्र के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगी, सभापति महोदय, कि पूरे प्रदेश में सब अलग-अलग जिले हैं और सबकी अलग-अलग परिस्थिति है। हम जिस जिले से आते हैं, भरतपुर जिले से, उस जिले की जो संरचना है वह संरचना ऐसी है जैसी कटोरे की होती है। यहां पर पहले तीन नदियों का पानी आता था- गंभीर नदी का पानी आता था, बाण गंगा का पानी आता था और रूपारेल का पानी आता था। इन नदियों का इतना पानी आता था कि यहां बाढ़ जैसे हालात बन जाते थे। हमारे जो उस समय के नेता थे, वे

(श्रीमती अनीता सिंह)

बहुत जोर से चिल्लाते थे कि भरतपुर क्षेत्र में बाढ़ आ गयी, भरतपुर क्षेत्र में बाढ़ आ गयी, इसके उपाय करो। उसका हमें यह खामियाजा भुगतना पड़ा कि तीनों नदियों पर बांध बनाकर भरतपुर के सारे पानी को रोक दिया गया। एक ऐसा समय था जब हमारे सीकरी क्षेत्र में चावल की खेती होती थी इतने अच्छे पानी की वजह से। आज वहां पर सूखा पड़ रहा है। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, दूसरे क्षेत्रों से लाना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि भरतपुर हरियाणा से जुड़ा हुआ है और हमारे और हरियाणा के बीच में एक ट्रीटी भी है। यमुना के पानी में हमारे राजस्थान का हिस्सा है वह हिस्सा हमें मिलना चाहिए। हिस्सा तो है हमारा 1200 क्यूसेक्स, लेकिन अगर वे 1200 क्यूसेक्स पानी हमें दें तो भी हम उसे लेने की हालत में नहीं हैं। आज ज्यादा से ज्यादा हम पानी ले सकते हैं तो 500 क्यूसेक्स के करीब ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो संसाधन वहां बनाये हैं, जो टैंक्स बनाये हैं, जिनमें पानी आएगा, वे भी हमारे वहां मौजूद नहीं है। मैं मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि हरियाणा से जो यमुना नदी का पानी भरतपुर के लिये आएगा, उसके लिए जरूर प्रयास करें कि वहां पर पानी आए।

सभापति महोदय, हमारा जो भरतपुर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में खारा पानी है। 80 प्रतिशत खारा पानी है, सिर्फ 20 प्रतिशत वहां मीठा पानी है। जो 20 प्रतिशत गांव वहां बचे हुए हैं उन गांवों से हम योजना बनाते हैं, वहां पाइप लाइन डालेंगे या बोरिंग करके दूसरे गांव में ले जाएंगे तो उन गांव वालों का भी बहुत ज्यादा विरोध सहन करना पड़ता है। वे गांव वाले कहते हैं कि अगर हमारे यहां से पानी लेकर भरतपुर जिले में पानी वितरण करोगे तो धीरे-धीरे हमारे क्षेत्र का पानी भी खतम हो जाएगा और हम भी उसी समस्या से जूझने लगेंगे जिससे आज भरतपुर जिला जूझ रहा है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि एक तो भरतपुर जिले में जो पाचना बांध का पानी आता है, वह पानी आना चाहिए। रूपारेल नदी जो सिर्फ बरसात के दिनों में ही चलती है, उसको भी बांध बनाकर अलवर जिले में रोक लिया गया है, तो वह बांध भी हटना चाहिए। जैसी हमारी ट्रीटी है जिलों के बीच में, अलवर और भरतपुर के हिसाब से हमारे जिले का जो पानी का हिस्सा है, वह रूपारेल में हमको मिलना चाहिए। हमारे यहां पर बाढ़ की ऐसी

(श्रीमती अनीता सिंह)

तकदीर बना दी, बार-बार कहकर, कि उसकी वजह से सब जगह बांध बन गये। जो सीकरी बांध स्टेट टाइम पर बना हुआ था, उसकी धीरे-धीरे उपयोगिता खतम होती जा रही है और वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जा रहा है। अगर उस बांध को भी हम ठीक से बनाएंगे तो बरसात के समय में हम वहां पानी इकट्ठा कर सकते हैं और वहां से हमारी आगे की योजनाएं भी चल सकती हैं।

सभापति महोदय, हमारे नगर के अन्दर पाइप और टैंक की योजनाएं बनती हैं, वे सिर्फ नगर नगरपालिका और दो पंचायतों सुंदरावली और सीकरी तक सीमित हैं। बाकी कहीं भी हमको टैंक से पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। 34 गांव हैं वहां पर हमें टैंक और पाइप की व्यवस्था से पानी उपलब्ध होता है, बाकी 119 जगह ऐसी हैं जहां पर सिवाय हैंडपम्प के कुछ नहीं है। कई ऐसे स्थान हैं जहां वह भी उपलब्ध नहीं होता है। जब कंटिंजेंसी के अन्दर 10, 15 और 20 हैंडपम्प दिये जाते हैं तो हमारे लिए एक बड़ी विचारणीय स्थिति हो जाती है कि हम कहां पर तो हैंडपम्प के दें और कहां पर नहीं दें।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि वह हमारी इन बातों को नोट करें। हमारे यहां जो पानी है वह भी 150 फुट से नीचे नहीं है। 150 फुट तक तो मीठा पानी है और 150 फुट के नीचे खारा पानी है। उसमें हैंडपम्प अगर लगाते हैं तो वे 6 महीने, एक साल, डेढ़ साल से ज्यादा चल नहीं पाते हैं। हैंडपम्प लगेंगे, 150 फुट तक लगते हैं लेकिन पानी वहां पर खतम हो जाता है और 6 महीने, साल भर के बाद वे हैंडपम्प किसी इस्तेमाल के नहीं रहते हैं। हमारे क्षेत्र के नगर विधान सभा क्षेत्र में जितने ज्यादा से ज्यादा हैंडपम्प लगाएंगे, उतनी पीने के पानी की वहां उपलब्धता हो पायेगी।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर जनता जल योजना जो है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। स्वजलधारा की एक योजना सरकार ने बनाई थी, वह कई जगह पर मंजूर हो गयी है। सरकार के स्तर पर मंजूरी के लिए पड़ी है, उसमें छोटे-छोटे आब्जेक्शन लगाकर वापस भेज देते हैं। इस तरीके की कई परेशानियां हैं। एक तो गढ़ तेसकी का प्रपोजल था 48.10 लाख का, मेरे खयाल से 6-7 साल हो गये, बार-बार प्रदेश स्तर पर आ जाती है, मंत्री लेवल पर फिर उसमें कोई राइडर लगा देते हैं, वह वापस भरतपुर चली जाती है। ऐसा करके 3-4 बार प्रपोजल आ गये। मेरा माननीय मंत्री महोदय से

(श्रीमती अनीता सिंह)

निवेदन है कि हमारे यहां दो योजनाएं हैं- एक गढ़ तेसकी और एक बनेनी चंदा गुलपाड़ा, इन दोनों योजनाओं को आप जरूर मंजूरी दें। उनकी सारी फार्मेलिटीज पूरी हो गयी हैं, लेकिन छोटे-छोटे राइडर उसमें लगा देते हैं जिसकी वजह से वे वापस चली जाती हैं। आप उन पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे यहां है कि जो काम मंजूर हो जाते हैं, अभी नगर पालिका नगर के अन्दर पाइप लाइन मंजूर हो गयी, चार साल से पाइप लाइन मंजूर है, टेंडर हो गये लेकिन उसका ठेकेदार आज तक भी नहीं आता है। जब भी पता करते हैं तो हमेशा कहते हैं 15 दिन में, एक महीने में। उसको खिसकाते-खिसकाते 4 साल बिता दिये। मेरा निवेदन है कि ऐसे संवेदक जो काम नहीं करते हैं, समय पर काम नहीं होता है तो उन्हें हटाकर दूसरे को टेंडर दिये जाएं ताकि हमारे क्षेत्र का काम तो हो, लोगों को पीने का पानी तो मिले।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि नगर नगरपालिका का जो क्षेत्र है, वहां पर जालूकी और भटपुरा से पानी आता है। भटपुरा का पानी तो काफी टाइम से चल रहा है लेकिन उसमें लीकेज इतने ज्यादा हैं, बीच-बीच में गांव वालों ने तोड़ा हुआ है, उसकी वजह से गंदा पानी भी उसमें मिक्स होकर शहर वालों के पीने के पानी में आता है। वह जो टूटा हुआ है जगह-जगह से, उसको भी प्रशासन ठीक करे। मंत्रीजी अपने यहां से भेजेंगे, अपने यहां से प्रशासन को कहेंगे तो जो लोग पाइप को तोड़ लेते हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि पूरा पानी विद प्रैशर शहर में जाए और वहां पर पीने का पानी मिल सके।

सभापति महोदय, जालूकी की योजना हमारे नगर शहर के लिए चलायी गयी थी जो कि 615 लाख की थी, इसको तीन साल हो गये। सारी योजना बन गयी, सब काम हो गये, लेकिन आज तक एक लीटर भी पानी उसमें से नगर कस्बे को नहीं दे पाये हैं। इसमें किसकी गलती है? कौन अफसर इसके लिए दोषी है? कौन ठेकेदार इसमें क्या कमी कर रहा है? क्या परेशानी है? उसको भी मंत्रीजी देखें ताकि हमारे क्षेत्र में पानी पहुंच सके।

सभापति महोदय, मेरे नगर विधान सभा क्षेत्र के साथ डीग का भी आधे से ज्यादा क्षेत्र आता है, यहां पर पम्प और टैंक योजना हमारे सांवरलाल जी ने मंजूर की थी। मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि पम्प एंड टैंक योजना बंधा चौक की थी, इसके अन्दर मैंने सवाल लगाया था कि इस योजना का क्या रहा। इसमें बहुत पैसा लगाया गया था। उसके अन्दर उन्होंने बाद में लिखकर दिया

(श्रीमती अनीता सिंह)

कि समय पर कार्य नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद बेडम का लिखा तो उन्होंने यही बात लिख दी। तीसरा मैंने दांतलौटी के लिए लिखा तो उसमें लिख दिया कि नलकूप का निर्माण हो चुका है और डिमांड राशि का नोट उसमें कर दिया गया है। चौथे में लिख दिया कि गुणवत्ता का स्रोत नहीं मिला इसलिए वह काम नहीं हुआ। पास्ता पंचायत का लिखा कि धमारी में बनाये गये नलकूप का निर्माण ग्रामवासियों के विरोध के कारण चालू नहीं किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। उसके बाद जब निगोही की बात हुई तो लिख दिया कि ग्राम बंधा चौक के स्थानीय ग्रामवासियों के नलकूप निर्माण के विरोध के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। उसके बाद नरेना चौथ का लिखा तो भी इन्होंने कह दिया कि जलाशय उपलब्ध नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा। इसके बाद जब सीसवाड़ा का लिखा तो इन्होंने कह दिया, संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था, अब जून, 2009 में कार्य प्रारम्भ हो जाएगा और दिसम्बर, 2009 तक जरूर पूरा कर लेंगे। लेकिन आज भी मैं आपके सामने खड़ी हूं और आपसे निवेदन कर रही हूं इसमें आज तक भी कोई काम नहीं किया गया है। उसके बाद मवई की जब बात हुई तो उसमे भी लिख दिया कि स्रोत नहीं मिलने के कारण योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पानी की स्थिति मेरे क्षेत्र में इस तरह की है कि लोगों को पीने का पानी नहीं है, पशुओं को पीने का पानी नहीं है और योजनाएं जहां बन रही हैं लेकिन उनकी क्रियान्विति नहीं होती है। जब हम बात करते हैं कि एक गावं से दूसरे गांव को पानी दो तो वहां लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। जब अधिकारियों से इस विषय में बात करते हैं तो सारे का सारा ठीकरा हमारे ऊपर रखने का प्रयास करते हैं कि, एम.एल.ए. साहब, आप खुद चलकर उन लोगों को तैयार करिये कि वे अपने यहां से पानी को आने दें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपसे, सरकार का कर्तव्य है कि वह हर गांव को पानी पहुंचाए और जो लोग पानी नहीं आने दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करे। जहां से पानी की योजना बनाई गई है, प्रत्येक गांव में, ढाणी-ढाणी में पेयजल की योजना पहुंचनी चाहिए, हर आदमी को पीने का पानी मिलना चाहिए।

(श्रीमती अनीता सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि पीने के पानी की बात जब हम कर रहे हैं, कंटिंजेंसी की बात कर रहे हैं, कंटिंजेंसी में मुश्किल से 10-15 देते हैं, जबकि पहले विधायकगण होते थे उनको 100-100, 150-150 हैण्डपम्प स्वीकृत करते थे। इस तरीके से माननीय मंत्रीजी कोई अपना वक्तव्य दें तो जरूर घोषणा करें कि हर एम एल ए को 50 या 100 हैण्डपम्प अपनी ओर से और दिए जाएंगे जिनको वे अपने क्षेत्र में लगा सकेंगे। हैण्डपम्पों के साथ ट्यूबवैलों का भी मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि कंटिंजेंसी प्लान के अन्दर मेरे क्षेत्र में नौ-दस ट्यूबवैल मंजूर किये गये थे, लेकिन आज की तारीख में भी अधिकारियों ने टेण्डर नहीं किया है। मैंने चीफ इंजीनियर से अभी हफ्ते भर पहले बात की तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वे टेण्डर नहीं हो पाये, यह नहीं हो पाया, परेशानी रही। लेकिन अब जरूर एस ई के लेवल पर कहा गया कि वहां टेण्डर हो जाएंगे। मतलब वही मीठी गोली देना कि कैसे भी यह विधान सभा का सत्र खतम हो जाए। टेण्डर नहीं होता है तो इस तरीके से पूरा पैसा लैप्स हो जाता है या ये फर्जी बिल बनाकर उठा लेते हैं। कलक्टर के यहां कंटिंजेंसी की जो भी योजना मंजूर होती है, कंटिंजेंसी का मतलब इमर्जेंसी, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाएं। इस गम्भीर विषय को अवश्य रूप से मंत्रीजी और मंत्रीजी के अधिकारी देख रहे हैं कि यह गम्भीर विषय है। जनता के लिए जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है और आगे से आगे बढ़ रही है तो इसमें एम एल एज को भी हैण्डपम्प और ट्यूबवैल के लिए स्पेशल घोषणा मंत्रीजी को करनी चाहिए। इस विषय में जो कमेटी बनाई जाए, उसमें एम एल एज को भी मैम्बर बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत पर भी निवेदन करना चाहती हूं। हालांकि मुझसे पहले इस विषय पर जिन्होंने भी बोला है, बहुत अच्छा बोला है, समस्याएं उन्होंने रखीं। मेरे क्षेत्र में ज्यादा कोई बहुत बड़े उद्योग-धंधे तो नहीं हैं लेकिन फिर भी वहां पर किसान वर्ग रहता है, किसान रहते हैं और हमारे यहां घरेलू कनेक्शन की ज्यादा आवश्यकता रहती है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि एक नगर शहर की बात नहीं करूं, उसमें तो आ जाती है, शहर के अन्दर छह-सात घण्टे का ही ब्लैक आउट होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक घण्टे भी लगातार बिजली नहीं आती है। हमारे क्षेत्र

(श्रीमती अनीता सिंह)

की हम बात करते हैं, किसानों के बच्चे भी चाहते हैं कि हम पढ़े-लिखें, लेकिन जब परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाओं के समय भी बिजली वहां नहीं आती है, पूरी-पूरी रात बच्चों को इसके लिए परेशान होना पड़ता है, मोमबत्ती और अन्य साधन जुटाकर पढ़ना पड़ता है। जब हम पुराने जमाने की बात करते हैं, उस समय के नेताओं की बात करते हैं कि लालटेन जलाकर रात-रात पढ़कर इतने बड़े-बड़े नेता और अफसर बने। लेकिन मेरे क्षेत्र में तो आज भी, तरक्की हमारे देश की हो गई, हमारे प्रदेश की हो गई, उसके बाद भी एक घण्टे भी रात को लगातार बिजली नहीं आती है, बार-बार गुल हो जाती है, कांस्टीट्युएंसी के लोग बार-बार कहते हैं कि हमारे बच्चों का दसवीं का पेपर है, कभी कहते हैं हमारे बच्चों का बारहवीं का पेपर है, लाइट जलवा दो। ए ईएन से, जे ईएन से बार-बार कहते रहो, तो कहते हैं अभी जला देंगे, अभी थोड़ी देर बाद कर देंगे। आम आदमी उनको फोन करता है तब तो वे अपने फोन को उठाना भी उचित नहीं समझते हैं। मेरा आपसे इसमें सजेशन है कि आप हर उप खण्ड स्तर पर एक कोई बिजली का ऐसा दफ्तर बना दें जो 24 घण्टे चले। अगर बिजली कटे या नहीं आ रही हो तो कम से कम वहां बैठा हुआ आदमी लाइट इसलिए नहीं आ रही है या यह परेशानी है, यह तो बता सके। जब लोग बार-बार कहेंगे, लाइट नहीं आएगी तो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा उसके बाद एफ आई आर दर्ज होती है। ए ईएन कार्यकर्ताओं पर या आम नागरिकों पर एफ आई आर दर्ज करा देते हैं कि जबर्दस्ती केबिन में घुस आये, तोड़-फोड़ कर दी। ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक ऐसा आफिस जरूर होना चाहिए वहां पर जो 24 घण्टे चले, जहां पर कम से कम एक आदमी बैठे और वह बिजली की समस्याओं का निपटारा करे। जब आप बात करेंगे तो आपसे कह देंगे कि ऊपर से बिजली नहीं आ रही है और जब ऊपर बात करेंगे तो वहां से कह देंगे कि हम तो बिजली दे रहे हैं, हमारे यहां से बिजली काटी भी नहीं है। फिर उसकी शिकायत भी की कि ऊपर से बिजली आ रही है, आपका ए ईएन जो 132 केवी पर जो बैठा है, उसने उसके बाद भी बिजली नहीं छोड़ी। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी शर्म से कहना चाहती हूं, कई बार अखबारों में भी छप गया कि नगर के ए ईएन के शराब पाई गई, बोतल उसके वहां पकड़ी गई। अखबारों में फोटो छपी और सब कुछ करने के बावजूद भी यह ए ईएन आज भी...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 11 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 11 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 11 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आज राजस्थान दिवस है, इतना बड़ा पाण्डाल लगा है, इतने लोग इकट्ठे होंगे, और आप यहां अन्दर बैठे हुए हैं? आपके बिना शोभा बढ़ेगी क्या वहां? शोभा नहीं बढ़ेगी, माननीय उप नेता महोदय, आप तो स्वयं काफी इस मामले में...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने शोभा बढ़ा ली काफी, अब आप बढ़ा आओ। हम यहां शोभा बढ़ाएंगे।

राज्य में पेयजल, अकाल एवं बिजली की स्थिति पर विचार

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां पर कई बार अखबारों में छपा, कई बार यहां तक भी शिकायतें हुईं मंत्री महोदय के लेवल तक भी शिकायतें हुईं, उसके बाद भी वे ए ईएन और जे ईएन आज तक नहीं हटाये गये, उन्हीं को रखा गया। उनकी बार-बार शिकायतें होती हैं, जनता में आक्रोश है। हर महीने मैं नहीं कहती हूं, हर सप्ताह कोई न कोई ऐसा आंदोलन और झगड़ा हमारे ए ईएन आफिस में होता है जो और कहीं नहीं होता हो और वहां पर ए ईएन, जे ईएन और बिजली विभाग के खिलाफ बातचीत नहीं होती हो। उसके बाद भी ऐसी व्यवस्था रहती है।

मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं राज्य सरकार को, विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात जो हमारे बजट में कर रहे हैं। Just within two minutes I will sum up, Sir. हमारे राज्य की कुल जो उत्पादन क्षमता है वह 7732 मेगावाट है, जिसमें 3847 अनेक परियोजनाओं से उत्पादन बजट में दर्शाया गया है। राजस्थान की जो बिजली की खपत है घरेलू, कृषि और उद्योगों में, उत्पादन क्षमता उसकी 40 प्रतिशत है। हमको चाहिए 12.5 हजार मेगावाट और हमारे पास है 7 हजार मेगावाट। गांव हो या शहर हो, बिजली की सब

(श्रीमती अनीता सिंह)

जगह त्राहि-त्राहि मची हुई है मैं इसमें इनको एक सुझाव देना चाहती हूं इन्होंने सौर ऊर्जा का जो प्लान बनाया है वह बहुत अच्छा है लेकिन उसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंधप्रदेश, गुजरात की सरकारें हैं इन्होंने कोल ब्लाक्स अलाट कराए हुए हैं वहां पर कोल सस्ता मिलता है, वहां का वातावरण ऐसा है कि वहां पर बिजली अगर बनाई जाएगी तो वह सस्ती होगी। अगर हम यहां पांच रुपए में बिजली बनाते हैं और अगर वहां बिजली बनाएंगे तो वह एक रुपए में बनेगी। वहां हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि हमें ऐसी जगह पर अपने कोल ब्लाक्स अलाट कराने चाहिए और वहां पर बिजली बनाने के बड़े-बड़े संयंत्र लगाने चाहिए ताकि हमारी बिजली सस्ती हो। जब बिजली सस्ती होगी तो हमको बहुत सारे तरीकों से हेराफेरी करके झूठ बोलकर 10 पैसे का कोई कर या घुमा-फिराकर दूसरा कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहां जब बिजली सस्ती होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। जब हम हमारे बजट का 52 प्रतिशत पैसा इस पर खर्च कर रहे हैं तो बजट का खर्च इस पर इस तरीके से होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां बिजली हो और सस्ती बिजली हो ताकि हमारी जनता इसके लिए न तड़फे।

माननीय सभापति महोदय, यहां हमारे अकाल राहत मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में जो सेवल मंदिर में गौशाला है उसमें बहुत सारी गाएं हैं, मैंने पहले भी उनसे निवेदन किया था, जब वह अपना भाषण कल दें तो निश्चित रूप से गौशाला को जो अनुदान मिलता है उसकी घोषणा अवश्य करें। इसके साथ ही आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: मैं दोनों पक्षों के मुख्य सचेतकों से निवेदन करना चाहता हूं, the way on which we are going, we will have to discontinue like this. मेरे खयाल से सुबह के पांच बजे तक भी आज की काज लिस्ट पूरी नहीं हो पाएगी। आसन नहीं चाहता कि आपको डिस्टर्ब करें, जो भी अपनी बात अभिव्यक्त कर रहे हैं, एट लीस्ट जो इश्यूज पहले लाए जा चुके हैं, जो समस्याएं पहले बताई जा चुकी हैं, उसके अलावा आपके अपने क्षेत्र की कोई समस्या हो उसको आप जरूर उजागर करें। but if you have any innovative ideas you can give. Dono't repeat which has already been said. या आप ध्यान रखें। कम से कम आसन आपको बीच में व्यवधान या डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। That is the reason I don't even ring the bell.

(समय : 21.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, यहां आसन की ओर से पहले भी ऐसी व्यवस्था हुई है सदन में कि जो विषय माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं, उन विषयों को बार-बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम अपने क्षेत्र की बात कह सकेंगे। और आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है, आप करें।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, आसन यह व्यवस्था करे कि जो वक्ता बोल रहे हैं वह बोल करके जाएं नहीं, वर्ना होगा अन्त में यह कि आप और हम बैठे मिलेंगे यहां पर। वह बोल कर हाथों-हाथ निकल जाते हैं

श्री सभापति: यह आसन आपसे इतना निवेदन करता है, स्वविवेक से आप अपना-अपना निर्णय ले लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, जाएंगे, नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज पानी, बिजली और अकाल राहत 3 मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री हमारे अशोकजी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाड़मेर की महत्वपूर्ण परियोजना मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल को गत वर्ष शुरू कराया। हमारे वृद्धिचन्द जी जैन इस योजना के लिए 15-20 सालों से प्रयासरत थे परन्तु पानी बाड़मेर नहीं पहुंचा, उनके मन में रही। हमारी सरकार आई, आते ही इस योजना को शुरू किया और 500 करोड़ से ज्यादा इस परियोजना पर खर्च हुआ और इतनी महत्वपूर्ण योजना जिसके लिए केन्द्र में भी फंड रुका हुआ था, वह भी उपलब्ध कराया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस लिफ्ट कैनाल से बाड़मेर शहर की एक लाख की आबादी के साथ शिव, जैसलमेर, बायतू और चौहटन इन विधान सभा क्षेत्रों के साढ़े पांच सौ गांव लाभान्वित होंगे और इसके साथ डिफेंस, बीएसएफ, मिलिटरी, ये सभी इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। बाड़मेर जिला 300 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है जहां बार्डर एरिया भी आया हुआ है, वहां दूरदराज गांव और ढाणियां बसी हुई हैं। वहां फिलहाल जो हालात हैं पानी के वे बहुत ही विकट हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ष भयंकर अकाल की वजह से पानी की समस्या है। इतने दिन तो कुछ टांकों में पानी था, पहले बाढ़ आई थी उसकी

(श्री मेवाराम जैन)

वजह से बेड़ियों वगैरह में पानी था, लेकिन अब हालात इस ढंग से हैं कि पानी की समस्या है। कंटिंजेंसी प्लान में भी अभी जो बजट बाड़मेर के लिए दिया गया है, वह कम है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको बढ़ाएं। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी भौगोलिक स्थिति वाला बाड़मेर, वहां आपका स्टाफ बहुत ही कम है। बाड़मेर में ए.ईएन. की 24 पोस्टें हैं जिनमें से 12 खाली हैं, जे.ईएन. की 20 पोस्टें खाली हैं। बगैर स्टाफ क्या उन स्कीमों के हालात होंगे, यह आप स्वयं जान लेंगे। मेरी विधान सभा की आज मैंने लिस्ट भी दी, 90 जीएलआर हैं जहां एक साल से एक बूंद भी पानी नहीं गया। ऐसे कई गांव हैं, कई स्कीम हैं जो काफी दिनों से बंद पड़ी हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टाफ की जो कमी है उसको भरा जाए, स्टाफ के लिए हमने पहले भी निवेदन किया था। एक्स.ईएन. के लिए मेरे से पूर्व रानीवाड़ा विधायक ने भी निवेदन किया था। एक्स.ईएन के लिए मैंने, अमीन खान व हेमाराम जी ने एक साल से डिजायर दी परन्तु उसको बाड़मेर नहीं लगाकर सांचोर लगाया। कोटा से उठाकर बाड़मेर लगाया जो 30 दिन में 10 दिन बाड़मेर रहता है और 20 दिन छुट्टी पर रहता है, तो क्या हालात होंगे? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा स्टाफ भरें। आज हैल्परों की कमी है, और वहां जो वाटर वर्क्स में नट-बोल्ट हैं, चाहे एक छोटा-सा जीआई पाइप भी ओपन वैल में बदलना चाहें, तो वह भी उपलब्ध नहीं होता। इसकी व्यवस्था करवाएं। इसके साथ-साथ बाड़मेर में कई ऐसी स्कीम हैं जहां 40-40 किलोमीटर दूर से पानी आता है, परन्तु बाड़मेर में सोर्स अभी डवलप हुए हैं कि नजदीक में पानी मिल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां पानी उपलब्ध है वहां ट्यूबवैल खुदवा कर पानी की व्यवस्था करवाएं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर से बाड़खा 35 किलोमीटर है, वहां से बाड़मेर पानी आ रहा है और अभी बाड़मेर शहर के पास दो ट्यूबवैल खुदाये दो किलोमीटर से, वहां मीठा पानी उपलब्ध है, तो 35 किलोमीटर से, इतनी दूर से, पानी ला रहे हैं, उसका क्या औचित्य है। इसी तरह, बिसाला है, सुरा है, माबार है, कई ऐसे गांव हैं जहां पहले पानी नहीं था और वह ट्यूबवैल खोदे तो वहां पानी निकल गया। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे और सोर्स हैं जहां ट्यूबवैल खोदे जाएं, वहां पानी की भयंकर समस्या है, तो वहां पानी का आराम होगा। सरूणी में आकल और बाड़मेर-डोऊं रोड पर लूणियों, सोंगानाकुआ, बाढ़खा, माबार, नान्द, पोलाणियों का तला और बोल्या ये ऐसे सोर्स हैं जहां पानी उपलब्ध है

(श्री मेवाराम जैन)

वहां अगर ट्यूबवैल खोदे जाएं तो इन गांवों की पानी की व्यवस्था हो सकती है। इसके साथ-साथ जो ओपन वैल हैं, उन कुओं में पानी है, सिर्फ उनको चालू करना है, उसकी वजह से वहां पानी की सुविधा हो सकती है। सोखरू है, चवा मेघवालों का कुआ है, सोंगाणा का कुआ, आपो की ढाणी, पतरासर, ये 5-6 सोर्स हैं जिनमें पानी अवेलेबल है, मीठा पानी है, इनको चालू करें तो वहां पानी की समस्या का समाधान होगा।

इसके साथ-साथ जो ढाणियों में बैठे हैं, वे हैंडपम्प के सहारे ही जी रहे हैं, उनका और कोई सौर्स नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि नये हैंडपम्प ज्यादा से ज्यादा उन ढाणियों में खुदवाएं ताकि वहां पानी की सुविधा हो सके और पुराने हैंडपम्प जो खराब पड़े हैं उनको ठीक किया जाए। पंचायतों द्वारा ये चलाये जा रहे हैं, हमारे यहां चार सौ से ऊपर कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको तनख्वाह सिर्फ पांच सौ रुपये ही दी जा रही है। उस पांच सौ रुपये से क्या होना है, आप उसको बढ़ाएं ताकि वे काम कर पाएं।

एक मैं निवेदन करूंगा कि आज से 8-9 साल पहले बालेवा, रिढाणा, सोवाला से एक स्कीम माननीय स्वर्गीय रामसिंह जी विश्नोई साहब के टाइम स्वीकृत कराई थी करीबन दो करोड़ की। उसको 8-9 साल हो चुके, अभी तक बालेवा जिसके लिए स्वीकृत किया था, अमीन खान भी स्वीकृत कराने में शामिल थे, अभी तक एक बूंद पानी वहां नहीं पहुंचा। मैं निवेदन करूंगा कि उस स्कीम को आप चालू करावें। इसके साथ-साथ अकाल राहत पर मैं निवेदन करूंगा कि नरेगा के तहत अकाल में निजी आवास योजना आप स्वीकृत करावें, ताकि 1999-2000 में जिस तरह से लोगों को गेहूं मिले थे उसी तरह मिलें। निजी कुओं, सार्वजनिक कुओं और सार्वजनिक टांका को भी इसमें स्वीकृत करावें। इसमें सिर्फ निजी कुए और निजी टांके ही स्वीकृत करा रहे थे, इनको भी करावें ताकि जहां सार्वजनिक पानी की समस्या है, उसका भी समाधान हो सके। एक बाड़मेर की मेन समस्या है कि अभी नरेगा में ठेके हुए हैं, कि मैटीरियल के टेंडर ही किये जाएंगे, और पंचायत समिति लेवल पर किये जा रहे हैं। हमारे बाड़मेर में तो स्थिति ऐसी पैदा हुई कि सरपंच हारे, इकट्ठे हुए। नरेगा के जो काम हैं, वे कोई नहीं कराना चाह रहे हैं और हड़ताल पर जा रहे हैं कि आप ठेका पद्धति खतम करो। जो रेट है, या तो पंचायतों को कह दो कि, भाई, उस रेट से माल खरीदो। यह स्थिति है, इसकी वजह से इस अकाल में मजदूरों को लगाने के लिए भी प्राब्लम आ रही है। मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री मेवाराम जैन)

इस पर भी आप सोचें। खड़ी फसल का जो बीमा किया हुआ था, उसकी भी अभी तक कोई राशि नहीं आई, उसको भी जल्दी ही कराने की व्यवस्था करावें। इसके साथ-साथ, पशुधन बचाने के लिए जो चारे की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सरकार कर तो रही है, जिले में कुछ शिविर स्वीकृत किये हैं। परन्तु अभी चालू नाम मात्र के ही हुए हैं और चारे की सप्लाई व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से अमीन खान जी ने कहा था कि पटवारी से गणना कराकर सीधे ही काश्तकार को उसके पैसे दे दिये जाएं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो पशु शिविर ज्यादा खोलें। तुरन्त 200 की जगह 500 के शिविर खोलें ताकि पशुओं को बचाया जा सके और चारे की भी व्यवस्था अच्छी हो सके। एक मैं निवेदन करूंगा कि चारे का गत वर्ष का पेमेंट जो संस्थाओं का था, वो अभी तक नहीं हुआ, उसकी वजह से चारे की सप्लाई में दिक्कत आ रही है।

बिजली के सम्बन्ध में एक ही बात करूंगा कि जहां पानी की स्कीमें हैं वहां पर ज्यादा समय बिजली दें ताकि स्कीमें चल सकें। दूसरा, मुख्य मंत्री विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जो 2-2 वर्ष से डिमांड नोटिस के पैसे जमा हुए हैं, उनको कनेक्शन दिया जाए और राजीव गांधी विद्युत योजना में मानिटरिंग करके जो बीपीएल के परिवार 50 प्रतिशत छूट रहे हैं, उनको इसमें जोड़ा जाए। एससी को कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उसी तरह से एसटी वालों को भी प्राथमिकता से दिये जाएं। पुनः मैं यही निवेदन करूंगा कि अकाल राहत के अन्दर जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने का काम करें। मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह जी रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज अकाल राहत, बिजली एवं पेयजल के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, उसके अन्तर्गत मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज के युग में पेयजल की समस्या मुंह फाड़े खड़ी है और उस पर पूरा विश्व चिंतन कर रहा है। एक कहावत है कि 'जल ही जीवन है', और इसी के अन्तर्गत हमारी पूर्ववर्ती एनडीए की सरकार जिसमें हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, उन्होंने एक सपना संजोया था एक नदी से नदी जोड़ने का। अगर हमारे भारतवर्ष में हम यह कर दें तो शायद अकाल नहीं

(श्री हरिसिंह रावत)

पड़े और कभी बाढ़ नहीं आए। उन्होंने दो सपने संजोये थे। एक सड़क यातायात का, जो सड़क यातायात का सपना तो पूरा हुआ, जो कि आज सर्वविदित है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सड़कों से जुड़े। दूसरा सपना नदियों को जोड़ने का था, लेकिन बड़ा अफसोस है कि यह हमारा सपना पूरा नहीं हो सका और हमारी सरकार बदल गई। आज जो सरकार है उस सरकार के सामने जब यह नदियों से नदियों को जोड़ने का विचार पेश किया तो उनका एक ही उत्तर था कि हम सृष्टि के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बड़ा अफसोस है कि सृष्टि के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते नदियों को जोड़ने में, लेकिन बाकी सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। आज कितना प्रदूषण हो रहा है, कितने हमारे जंगल कट रहे हैं, कितनी औद्योगिक इकाइयां लग रही हैं जिनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है? वो चिंता नहीं है लेकिन नदियों से नदियों को जोड़ने में इनको तकलीफ होती है। तो मेरा तो, सभापति महोदय, निवेदन है कि भगवान इनको सदबुद्धि दे और नदियों से नदियों को जोड़ने का जो हमारा सपना अधूरा है, उसको पूर्ण करे, तो हम जो आज इस पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका समाधान हो सकेगा।

इसी के अन्तर्गत दूसरा मेरा एक सुझाव है, लाखों-करोड़ रुपये हमारी सरकारें खर्च करती हैं और 90 प्रतिशत पानी हमारा समुद्र में है, क्यों नहीं ऐसी योजना बनाई जाए कि समुद्र के पानी को मीठा करके, स्वच्छ करके उसको सिंचाई के लिए उपयोग में लें और साथ-साथ पेयजल के लिए भी उपयोग में लें? तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है।

सभापति महोदय, अभी मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी समय की सीमा है, इसलिए मैं मेरी विशेष जो समस्या है उसके ऊपर आना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र भी ऐसा कि एक ऊंट जो होता है उसकी थूमड़ के हिसाब से मेरा क्षेत्र है, जिसमें जब बारिश होती है तो उसका पानी या तो मारवाड़ में चला जाता है या मेवाड़ में चला जाता है और हमारा मगरा हमेशा सूखा का सूखा रहता है। इस मगरे की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है तो केवल चम्बल नदी से हो सकता है। चम्बल नदी की योजना हमारे पास का जो जिला भीलवाड़ा है, वहां पर बन रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चम्बल का पानी सी. पी. जोशी साहब अगर भीलवाड़ा ले आएं तो भीलवाड़ा मेरे एडजोइनिंग है। वहां जो पानी की योजना करेड़ा है, मेरा क्षेत्र मुश्किल से एक-दो किलोमीटर अटैच में है, तो मैं

(श्री हरिसिंह रावत)

निवेदन करूंगा कि सिंचाई नहीं तो कम से कम पेयजल के लिए तो मेरे विधान सभा क्षेत्र को जोड़ दें, मेरे यहां का स्थायी समाधान हो सकेगा।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि पेयजल के लिए हर गांव-ढाणी में जो नरेगा का कार्य चल रहा है उस नरेगा के कार्य के अन्तर्गत अगर हर गांव-ढाणी में एक ओपन वैल की व्यवस्था कर दी जाए तो मैं सोचता हूं कि इससे भी काफी गांवों की पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। सभापति महोदय, अगर यह प्रस्ताव लिया जाए तो मैं सोचता हूं कि स्थायी समाधान होगा। यहां सभी मंत्री विराजमान हैं, मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि इसमें नरेगा का प्रस्ताव लिया जाए।

मेरे भीम विधान सभा क्षेत्र में, भीम पंचायत समिति में टोटल 50 पंचायतें और एक नगरपालिका है और पचासों ही पंचायतें इस बार भयंकर अकाल की चपेट में हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर चारे की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। मनुष्यों के साथ-साथ पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इंसान तो कैसे-जैसे अपना पानी अरेंज कर सकता है। वहां ऐसे हालात हैं, गाय की समस्या ऐसी है कि जितनी भी गायें हैं और जितने भी जानवर हैं, उनको कृषकों ने खुला छोड़ दिया है जिसकी वजह से एक बड़ी विकट समस्या हो गई है। हमारे क्षेत्र में वैसे गाय के रखरखाव के लिए भी एक योजना हमने बनवाई थी और गौशाला भी खुलवाई है, इस 9 तारीख को हम उसका उद्‌घाटन करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी घास के लिए सब्सिडी मिलती है, वो हमें वहां दिलाई जाए। साथ-साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारा डिपो की व्यवस्था जरूर कराई जाए। चारा डिपो की व्यवस्था के लिए भी, सभापति महोदय, मेरे यहां समस्या है। हमारे यहां के कृषक इतने उन्नत या इतने पैसे वाले नहीं हैं कि घास का डिपो वो खुद खोल सकें, इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी प्राइवेट संस्था या किसी एनजीओ के थ्रू हमारे वहां पर घास डिपो खुलवाएं ताकि घास की समस्या का समाधान हो सके।

दूसरा, मेरे क्षेत्र में काफी हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जितने भी मेरे वहां हैण्डपम्प खराब हैं उनको ठीक कराया जाए। इसके साथ-साथ मैंने मंत्री महोदय को सबसे पहले करीब 100-125 हैण्डपम्प का एक प्रस्ताव बनाकर भिजवाया है, मेरा निवेदन है कि उसको भी तत्काल

(श्री हरिसिंह रावत)

स्वीकृत कर हमारे क्षेत्र में भिजवाएं। जहां-जहां भी पानी की पॉसिबिलिटी है, वहां हैण्डपम्प अगर लगें तो शायद उस गांव-ढाणी में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। देवगढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मेरा निवेदन है कि छापली के अन्तर्गत एक हरिसागर नाम से एक एनीकट बना है, अगर उस एनीकट को 10 मीटर और ऊंचा ले लिया जाए तो मैं समझता हूं कि देवगढ़ से चलने वाली जो लाइन है देवगढ़ से लेकर हरिसागर-छापली तक बीच के गांव पड़ते हैं खीमाखेड़ा, बागाना, बरजाल, कामलीघाट, विजयपुरा, चान्या, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ-साथ लसानी की पेयजल की योजना का स्थायी समाधान हो सकेगा क्योंकि यह गांव भी आये दिन अकाल की चपेट में रहता है। वहां पर एक एनीकट अधूरा पड़ा है, अगर उसको पूर्ण करा दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि उस गांव की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। दूसरा, सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में हमारे यहां पर लसाडिया, करकाला, म्यालाखेत, सूरतपुरा, भछेड़िया, खेड़ा जस्सा के अन्तर्गत पेयजल योजना की स्वीकृति हुई थी करीबन साढ़े चार करोड़ रुपये की स्वीकृति हो गई, सब कुछ हो गया, टेंडर हो गया लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि सरकार के आते ही उसमें बैन लगा दिया गया और अभी तक वह ठंडे बस्ते में पड़ी है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, यह जो मेरी योजना अधूरी पड़ी है, इसको तत्काल स्वीकृति देकर इसको चालू कराया जाए ताकि मेरे उन गांवों में पानी की समस्या का समाधान हो सके।

दूसरा मेरे एक बहुत बड़ी समस्या है, फ्लोराइडग्रस्त गांवों में एक योजना कई टाइम से विचाराधीन है लेकिन वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। इन गांवों की समस्या यह है, सभापति महोदय, कि कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की वहां शादी नहीं करना चाहता है। बोलते हैं, वहां जाएगी तो हमारी बेटी कूबड़ी हो जाएगी, उसके दांत खराब हो जाएंगे। वहां स्थिति यह है कि गांव छोड़कर जाने के लिए लोग तैयार हो गये। कोई शादी करना नहीं चाह रहा है तो वहां की व्यवस्था पूरी छिन्न-भिन्न हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि जो मेरे क्षेत्र में फ्लोराइडग्रस्त गांव हैं, उनको तत्काल स्वच्छ पानी की योजना से जोड़ा जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

दूसरा, भीम के लिए एक पेयजल योजना जो भीम-भोमादेह है, लास्ट टाइम हमारी सरकार के समय में बनी थी। वह बनते-बनते अभी कुछ गांव

(श्री हरिसिंह रावत)

हमारे अधूरे रह गये। मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, जो-जो भी मेरे गांव वंचित हैं, उस योजना के अन्तर्गत जो आते हैं, उन गांवों को तत्काल पाइप लाइन से जोड़कर वहां भी पानी की समस्या का समाधान करें।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं थोड़ा प्रकाश बिजली के अन्तर्गत डालना चाहूंगा, बिजली में भी मेरे यहां बड़ी भयंकर समस्या है। मेरा निवेदन है कि बिजली के स्थाई समाधान के लिए मेरे भीम तहसील में एक 132 के.वी. जी.एस.एस. बनाया जाए तो वहां पर बिजली का स्थाई समाधान हो जाएगा क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र दूर दुर्गम पहाड़ियों पर बसा हुआ है जिसकी वजह से वहां आये दिन फाल्ट होते रहते हैं। साथ-साथ कुछ पंचायत जो ब्यावर के पास पड़ती हैं, वहां भी अगर एक जी.एस.एस. खोल दें। अगर वह तत्काल सम्भव नहीं हो तो कम से कम ब्यावर 132 के.वी. जी.एस.एस. से जोड़ दें तो मैं सोचता हूं कि मेरी उन सात पंचायतों में व्यवस्था हो सकेगी।

दूसरा मेरे यहां पर बी.पी.एल. कनेक्शन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 2001 की जनसंख्या के आधार पर मेरे भीम विधान सभा क्षेत्र में 20,400 के लगभग टोटल कनेक्शन थे जिनमें से 14,449 गांवों में बिजली पहुंच गई है, लेकिन 5,968 गांव अभी बाकी हैं। मेरा निवेदन है कि ये जो 5,968 गांव हैं, उनको आप कब इसमें जोड़ना चाहेंगे, कब तक आपकी योजना है?

दूसरा मेरे वहां पर कृषि कनेक्शन की करीब 145 डिमांड हमने भरी हैं, अभी तक उसमें से करीब 21 की क्रियान्विति हो पाई है, बाकी जो बिजली कनेक्शन कृषकों के हैं, उनको भी तत्काल कमप्लीट कराया जाए। दूसरा, सारोठ पंचायत, माडेला, लसाड़िया और मोटेला ये भी काफी टाइम से विद्युतीकरण से वंचित हैं और ये बिलकुल एकांत में पड़ते हैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है विद्युत मंत्रीजी से कि तत्काल इनको जोड़कर हमारी समस्या का समाधान करें।

दूसरा मेरा बिजली सम्बन्धी एक निवेदन और है, 2009 के बजट सत्र में मैंने एक प्रकरण उठाया था। करीब 15 करोड़ रुपये के वहां पर ट्रांसफार्मर और बिजली के वायर चोरी हुए। उसमें चोर भी पकड़े गये थे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि इस भ्रष्ट तंत्र में पुलिस विभाग का उसमें विशेष योगदान था, पुलिस ने तीन-तीन चोरों को पकड़ने के बाद भी पैसा लेकर छोड़ दिया। मुझे

(श्री हरिसिंह रावत)

समझ में नहीं आ रहा है कि इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं?

इसके साथ-साथ दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, पेयजल समस्या के समाधान में देवगढ़ में चार जनवरी को जनता ने एक धरना लगाया था। धरने में पानी के लिए जनता गई जिसको वहां पर धक्के मारकर लाठीचार्ज किया गया और इसके बाद एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। एफ.आई.आर. दर्ज कराकर तीन आदमियों को अरैस्ट कराया एफ.आई.आर. दर्ज कराकर उनका चालान कराया गया। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, या तो तत्काल एफ.आई.आर. में वापस एफ.आर. लगाएं, अदरवाइज वहां की जनता आक्रोशित है। एक तो पानी मिल नहीं रहा है और ऊपर से एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। मेरा निवेदन है कि वहां पानी का स्थाई समाधान करें और एफ.आर. लगे ताकि उनका निदान हो सके। अगर यह निदान नहीं हुआ तो जनता बड़ी आक्रोशित है, आगे हमको बड़ी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

उसके साथ-साथ में दूसरी एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई है 19.3.2010 को। सभापति महोदय, यह भी समस्या है कि वहां पर गायें हैं। प्लास्टिक को खाने से 12 गायें एकदम एक साथ मर गईं उसकी वजह से वहां पर धरने-प्रदर्शन हुए। धरने-प्रदर्शन में भी वहां पर पुलिस ने बहुत ज्यादती की, कम से कम 5-6 आदमियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। मेरा निवेदन है कि दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहले तो उसकी एफ.आर. लगवाएं ताकि समस्या का समाधान हो सके और वहां की जनता को सुख-सुविधा मिल सके। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पदमा राम जी।

श्री पदमाराम (चौहटन): आदरणीय सभापति महोदय, आज पेयजल, बिजली और अकाल, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की मांग रखी गई है। माननीय सभापति महोदय, हमारा बाड़मेर जिला पिछड़ा हुआ है, सीमावर्ती जिला है, पाकिस्तानी सीमा के नजदीक बसा हुआ है, दूर-दराज का एरिया है। गर्मी के मौसम में वहां भयंकर गरम हवा चलती है जो अपने यहां के रहने वाले लोग वह हवा सहन ही नहीं कर सकते। इसी हालत के अन्दर सर्दी का मौसम था इतने दिन तक

(श्री पदमाराम)

तो हमारी पानी की जो भी समस्या थी, हमारे लोग वैसे ही समस्या का समाधान करने के लिए तहेदिल से कोशिश करते हैं परन्तु गर्मी का मौसम आ गया है, पानी की भयंकर समस्या है। सोर्स हैं परन्तु कई साल पुराने सोर्स बने हुए हैं। उसके अन्दर वहां पम्पसैट लगे हुए हैं। साल में चार बार, पांच बार उसको ठीक कराने के लिए वापस रिप्लेसमेंट करते हैं। 20 साल पुरानी केबल लगी हुई है, वह जगह-जगह से टूट गई है। इस कारण से वह हमेशा फाल्ट हो जाते हैं और फाल्ट होने के कारण पम्पसैट जल जाते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जो पुराने पम्पसैट हैं, कई साल पुराने हैं, उसको कई बार वापस रिपेयरिंग कर दिया और टूटी हुई जो केबलें हैं, उसको चेंज कराई जाएं तो उन सोर्सों के अन्दर हमेशा जलने की समस्या आती है, वह ठीक हो जायेगी और जनता को पेयजल के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और जलदाय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल बाड़मेर के अन्दर पहुंचा दी और उसके लिए और पैसे स्वीकृत कर दिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर लिफ्ट कैनाल मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 पंचायतें हैं, उसको उनसे जोड़ा जाये। वहां भयंकर खारा पानी है, बीच में पानी की कोई सुविधा नहीं है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उसको जोड़ा जाये और जो हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 60 प्रतिशत पानी है तो वहां दूर-दराज की ढाणियों और गांवों के अन्दर लोग रहते हैं, गरीब जनता है, एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यक लोग ज्यादा बसते हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है इसलिए बाकी तो ऊपर वाला देगा, वैसा ही होगा परन्तु पानी पिलाने की व्यवस्था अपनी सरकार कर ही सकती है इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पानी है, वहां अधिक से अधिक ट्यूबवैल खुदवायें। कई ऐसी हौदियां बनी हुई हैं उसके अन्दर पाइप लाइन ही नहीं लगी हुई है। ऐसे सरकार के करोड़ों रुपये वेस्ट किये हुए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक ट्यूबवैल लगवायें तथा दूर-दराज की जो ढाणियां हैं, उसके लिए पाइप लाइन के द्वारा हम पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं, विशेष तौर से मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चौहटन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चौहटन के अन्दर दो जेईएन की पोस्ट खाली, सांवलोर के अन्दर एक जेईएन की पोस्ट खाली, सेड़वा के अन्दर जेईएन की

(श्री पदमाराम)

पोस्ट खाली, सियालिणा के अन्दर जेईएन की पोस्ट खाली और दो एईएन की पोस्ट हैं उसमें से एक एईएन है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वह बीमार टाइप ही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस स्टाफ की व्यवस्था करावें, नहीं तो गर्मियों के अन्दर हमारी हालत बहुत दयनीय हो जायेगी और लोग हमारे कपड़े फाड़ देंगे, हम क्षेत्र में जाने लायक नहीं रहेंगे। दूसरी बात जो हैल्पर हैं, पम्प ड्राईवर हैं, बेलदार हैं, 85 पद खाली हैं और जो पम्प चलाने वाले नहीं होंगे, लाइन ठीक करने वाला नहीं होगा, तो सोर्स स्टार्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है, जब जो सोर्स जहां चालू है वहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि पांच सौ रुपये में जो एक कर्मचारी लगा है उसकी ड्यूटी वह सिर्फ पम्प स्टार्ट करता है, आगे लाइन चालू है कि बंद है, उस ढाणी में पाइप लाइन में पानी जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो मेहरबानी करके उसके कुछ पैसे बढ़ायें, नहीं तो नरेगा के अन्दर भी उसका नाम लिख कर उसको, सौ रुपये नरेगा में आज भी देते हैं उसके आधार पर उसको पैसे दिलाने की व्यवस्था करायेंगे तो जरूर कुछ न कुछ समस्या का समाधान होगा। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, नर्बदा नहर जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आ गयी है परन्तु जो सांचोर से रवाना हुई और लूणी नदी के अन्दर एक मीटर नर्बदा नहर नीचे लूणी नदी के अन्दर दबा ली जिसके कारण उसकी हाइट कम हो गई है और आगे जाकर हमारे क्षेत्र के अन्दर जो पनोरिया लिफ्ट कैनाल है और भैंरूड़ी-ओगाला स्कीम पर जो पूर्व और दक्षिण के अन्दर तो पूरा क्षेत्र उन्होंने ले लिया, वह कम ही आता है, और उत्तर और पश्चिम का पूरा क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया। और मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, आज भी निवेदन कर रहा हूं कि वहां गरीब जनता रहती है, इस क्षेत्र के अन्दर इन लोगों के लिए, कम से कम बीस पंचायतें इसमें आती हैं जो दस किलोमीटर का दायरा आता है, इसको कमाण्ड एरिया में लें और इन लोगों को गर्म, खारा पानी है, पेयजल की व्यवस्था होगी और किसानों को खेती की व्यवस्था होगी तो उनको मजदूरी करने के लिए गुजरात पलायन करके नहीं जाना पड़ेगा, अपने खेत के अन्दर अपनी जीविका कमाकर अपना जीवनयापन कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत अकाल राहत मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि भयंकर अकाल है, कलक्टर महोदय से हमने निवेदन किया, उन्होंने 35 शिविर स्टार्ट कर दिये, स्वीकृति दी है परन्तु शिविर एक भी स्टार्ट नहीं हुआ। 64 पंचायतें हैं, आज दिन तक एक शिविर स्टार्ट नहीं हुआ है और

(श्री पदमाराम)

परसों जब मैं आया उस समय कलक्टर साहब से मिलकर आया हूं, कलक्टर साहब ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, आगे और स्टार्ट कर देंगे। जबकि हमारे वहां ढोकों की कुत्तर की रेत सात रुपये है और साढ़े पांच रुपये में कलक्टर साहब वहां चारा डलवाना चाहते हैं, इस कम रेट से न तो कोई सरपंच काम करना चाहता है, न ही कोई ठेकेदार माल लाना चाहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि पशुओं की रखवाली करने के लिए हमारे वहां बेकवर्ड एरिया है उनका जीवनयापन करने का मेन धंधा पशुपालन है, यदि पशुपालन जिंदा नहीं रहेंगे तो किसान अपने आप मर जायेगा, अतः किसान की रक्षा करनी है और उन पशुपालकों की रक्षा करने के लिए जल्दी से जल्दी पशु चारा व्यवस्था करावें और शिविर स्टार्ट करायें। बाकी मेरा आपसे एक निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर सत्ताइस जिलों के अन्दर अकाल है, अकाल पड़ गया है, किसानों ने खेती की है, कापरेटिव बैंक से, स्टेट बैंक से लोन लिया है, उन्होंने बीज बोया, फसलें बड़ी हुई, फसल खराब कोई हो गई, मौसमी बीमा उन्होंने किया हुआ है परन्तु आज सात महीने हो गये, उस किसान के ऊपर ब्याज चल रहा है, उस किसान ने प्रीमियम जमा किया हुआ है, आज दिन तक उस कृषि, अकाल को मानते हुए उस खराबे के नुकसान की भरपाई करने के लिए बीमा क्लेम पास नहीं हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि किसानों का हित देखते हुए उसके ऊपर जो ब्याज बढ़ रहा है, जो भी उसको क्लेम मिले, उस क्लेम की व्यवस्था करावें। दूसरा मेरा आपके मार्फत से निवेदन है माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने जो रबी की फसल के अन्दर किसानों के लिए बहुत बिजली दी, हमारे क्षेत्र में बहुत बिजली आई, किसानों को कोई चीज की बिजली की कमी नहीं आई परन्तु अब आगे गर्मी है, गर्मी के दिनों के अन्दर जो रबी की फसल करने वाले किसान हैं उनके खेतों के अन्दर बाजरी बोई हुई है तो गर्मियों के मौसम में हमेशा बिजली का संकट रहता है हमारे क्षेत्र में तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इन तीन महीनों के अन्दर आप बिजली की समस्या का समाधान रखें और हमारे बिजली की कमी नहीं आने दें और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सिर्फ एक ही 132 केवी का सब-स्टेशन है, इसलिए मेरा निवेदन है कि एक 132 केवी का और सब-स्टेशन लगा दें तो साठ परसेंट जो क्षेत्र है वहां कृषि कनेक्शन लगे हुए हैं और उसको उच्च क्वालिटी की बिजली मिल सके और कम से कम पांच-सात 33 केवी के सब

(श्री पदमाराम)

स्टेशन लगाने की कृपा करावें। जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्दर, भारत सरकार की योजना है, यहां जो कम्पनी आई है, जो ठेकेदारी कर रही है वह सिर्फ अपनी मनमर्जी से जहां उनको अच्छी सुविधा मिले वहां ही पोल लगाकर रवाना हो जाते हैं, उससे दूर दस या पन्द्रह ढाणियां जो दूर रह गई हैं उनके अन्दर दस ही आदमी बीपीएल हैं परन्तु उन ढाणियों को जोड़ने की उनकी एक परसेंट भी इच्छा नहीं है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि जो बीपीएल परिवार हैं उन गरीबों को उसके घर के अन्दर उजाला करने के लिए गवर्नमेंट ने योजना लागू की है उस योजना का लाभ हर गरीब किसान को मिले, हर बीपीएल परिवार को मिले, मेरा आपसे यही निवेदन है। और माननीय मंत्री महोदय, जो हमारे स्टाफ की, विशेष करके मैं जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो स्टाफ कम है, आपने तो चार जेईएन लगाये थे, उसमें से दो ने ज्वाइन की, दो ने ज्वाइन की ही नहीं, उसमें से दो पहले वहां थे वह चले गये, इसलिए मेहरबानी करके इन जेईएन की व्यवस्था करायें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, आज जो पानी, बिजली और अकाल की चर्चा हो रही है उसमें मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी की तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह तो सही है सभापति महोदय कि राजस्थान में पानी यदि है तो हाड़ौती में ही है। लेकिन यह हाड़ौती की जनता का दुर्भाग्य है कि पहले तो कोटा में मिलने वाली आईआईटी को माननीय मुख्य मंत्रीजी जोधपुर ले गये और फिर जो कोटा से चम्बल का पानी बूंदी को मिलना चाहिए था वह बूंदी बजट प्रस्तावों में जो मात्र 50-52 करोड़ की योजना थी उसका तो कोई जिक्र नहीं है और माननीय, 1020 करोड़ की योजना बना करके चम्बल के पानी को भीलवाड़ा तो ले जाया जा रहा है लेकिन बूंदी जहां मात्र 50-55 करोड़ रुपया ही चाहिए था वह नहीं दिया जा रहा और जब तक चम्बल का पानी बूंदी नहीं आयेगा, बूंदी में पानी की समस्या हल नहीं होगी, बहुत बुरी हालत है, कहीं तीन दिन में पानी आता है, कहीं चार दिन में आता है। मोहल्ले ऐसे हैं उसमें ऐसी भी स्थिति नहीं कि टैंकर तक चला जाये। छोटी-छोटी सड़कें, गलियां सकड़ी हैं और बूंदी में जो पानी आता है वह मांगली नदी से आता है, तो माननीय सभापति

(श्री अशोक डोगरा)

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी पुरानी सरकार के टाइम में एडीबी का एक काम मंजूर हुआ था 627 करोड़ का, वहां वह काम चालू है और वहां वह काम बूंदी से 12-13 किलोमीटर कोटा की तरफ ही है, और वहां से चम्बल का पानी लाने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं, 50-52 करोड़ की योजना है, मैं माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि यदि इस योजना को आप मंजूर कराते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले तीस-पैंतीस गांवों को भी स्वच्छ पेयजल मिल जायेगा, और बूंदी की जनता के लिए यह बहुत आवश्यक है। दूसरा, सभापति महोदय, जो हैण्ड पम्प वाली बात अभी आई थी तो मंत्रीजी ने कहा कि कंटिंजेंसी के तीस हैण्ड पम्प की बात थी एमएलएज के थ्रू देने की, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह अधिकारी जो हैं जब यह तीस हैण्ड पम्प की बात हमने उन अधिकारियों से की कंटिंजेंसी की, तो उन्होंने एमएलए के लिए, हमारे लिए यह कह दिया कि एमएलए के लिए नहीं कहा, हमारे को तो जन प्रतिनिधि के लिए कहा है। तो बोले जन प्रतिनिधि में प्रधान भी आते हैं, जिला प्रमुख भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं। तो मेरे मात्र ग्यारह हैण्ड पम्प अभी तक लगाये गये, कब से उनको लिस्टें दे रखी हैं, उन ग्यारह हैण्ड पम्प में भी चार हैण्ड पम्प कामन निकल गये जो कि कांग्रेसियों ने भी दे रखे थे और मैंने भी दे रखे थे, मेरे तो कायदे से सात ही लगे। तो मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि कम से कम यह तो बिलकुल क्लियर कर दें कि इसमें जन प्रतिनिधि शब्द है या एमएलए है। दूसरा, कि अभी जो सिंगल फेज के ट्यूबवैल लगा रहे हैं इसमें बोरिंग करने का ठेका तो अलग पार्टी के पास है और मोटर डालने का ठेका अलग पार्टी के पास है। तो कई बोरिंग हो गये तो वह मोटर डालने वाला ठेकेदार नहीं मिल रहा है उसकी वजह से वह बोरिंग भी बेकार पड़े हैं।

(समय : 21.39 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मेरे एरिये में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जैसे कि ख्यावदा, हनोतिया, लोयेली, दलूगा, देहीद, भवानीपुरा ऐसे करीब 25 गांव हैं जहां पर ऐसी स्थिति है कि वहां या तो वहां के लोग बचपन देखते ही नहीं हैं या सीधा बुढापा देखते हैं जवानी देखते ही नहीं है। फ्लोराइड और टीडीएस की इतनी मात्रा है आज तक उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई तो मेरा मंत्री

(श्री अशोक डोगरा)

महोदय से आग्रह है कि यह जो फ्लोराइडयुक्त पानी जो लोग पीने को मजबूर हैं इनके लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर करायें ताकि इनको शुद्ध पेयजल जरूर मिल सके। दूसरा, वहां का एक कस्बा है डाबी पुरानी सरकार के टाइम पर 1 करोड़ 79 लाख की योजना उस समय बनी थी उसी टाइम टेंडर हो गए थे, काम भी उनके टाइम पर चालू हो गया था। यह सरकार बदली एक महीने में वह काम पूरा हो गया। लेकिन आज सालभर से इन अधिकारियों की गलती से वहां टंकी बन गई, पाइप लाइन बिछ गई पूरे गांव में, पूरी पंचायत में सिर्फ एक पाइप लाइन जो ट्यूबवैल से टंकी को भरने वाली थी, वह पाइप ही वहीं पड़े हैं। ठेकेदार ने उसको आज तक चालू नहीं किया, कई बार अधिकारियों से कह दिया, उसकी वजह से गवर्नमेंट का यह 1 करोड़ 80 लाख रुपए अटका हुआ है और वह उन लोगों को इसका फायदा भी नहीं मिल रहा है। इसलिए उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करायें। दूसरा, जो चार हजार की आबादी के या उससे बड़े गांव हैं पहले वह योजना बनी थी जैसे भाटुन्दा, बुधपुरा, दनेश्वर, सिलोर, लांबाको इनमें टैंक की जो पाइप लाइन बिछाकर के घर-घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। वह योजना बिलकुल पूरी तरह पिछली सरकार में कम्पलीट हो गई थी उसको भी निरस्त कर दिया गया तो उसको वापिस चालू करें। दूसरा, यह जो दस लीटर की योजना बना रहे हैं गांवों में, अभी माननीय जयपुर के एक सदस्य बोल रहे थे कि जयपुर में 140 लीटर पानी मिलता है शहर में और आप गांवों के लिए मात्र दस लीटर की योजना बनाएंगे तो इसको कम से कम 40 लीटर पर हैड की योजना बनेगी तभी लोगों को फायदा होगा। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता था कि नरेगा के तहत एक जल नीति के तहत बूंदी जिले में 56 करोड़ के 28 हैण्डपम्प सैंक्शन हुए थे और इनकी प्रशासनिक स्वीकृति 23 जुलाई को निकल गई थी और उस प्रशासनिक स्वीकृति के साथ यह लिखा था कि तीन दिन में संबंधित डिपार्टमेंट टी.एज. पेश करे ताकि वित्तीय स्वीकृति निकल सके। आज दस-महीने लेट हो गया यह काम, अब जाकर के उनकी प्रशासनिक स्वीकृति निकली है। यदि उसी टाइम पर यह निकल जाती तो इस साल में वह पानी वहां एनिकटों में भरता, लोगों को फायदा मिलता। अब वह काम शुरू कर रहे हैं, दो महीने चलेंगे बारिश आ जाएगी काम बंद हो जाएंगे। इस वजह से कम से कम दो साल तक पिछड़ गया। यह किन अधिकारियों की गलती से इस काम की एफएस जारी नहीं हो पाई? तो इसकी जांच करायें उनकी कोई न कोई लायबिलिटी फिक्स करें। इससे

(श्री अशोक डोगरा)

बहुत भारी नुकसान हुआ है पूरे जिले में दूसरा, इस तरह की कोई योजना बने कि जानवरों को, आदमियों के साथ-साथ पशुधन को बचाना बहुत जरूरी है उनके लिए बहुत भारी दिक्कत है तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि नरेगा योजना के तहत गांवों में जहां अण्डरग्राउण्ड वाटर लेवल नहीं है वहां नरेगा योजना के एक बड़े-बड़े खैल बना दिये जाए पशुओं के पानी पीने के लिए और टैंकर से उन खैलों को भरा जाए ताकि जानवर मरे नहीं, प्यासे नहीं मरे, उनको पानी उपलब्ध हो। दूसरा, जहां पर सिंगल फेस लग भी रहे हैं कनेक्शन, वहां दिन में लाइट ही नहीं आती है, जब दिन में लाइट ही नहीं आएगी तो वह पानी कहां से भरेंगे? खुद कहां से पीएंगे, पशुओं को वह कहां से पीलाएंगे? इसके लिए यही है कि अब खेती बाड़ी का समय खतम हो गया, अगर थ्री फेज लाइट नहीं दे रहे हैं तो सिंगल फेस लाइट कम से कम दिन में भी दें ताकि गांवों को कुछ राहत मिल सके और जो नए एग्रीकल्चर के कनेक्शन नोटिस जमा, डिमाण्ड नोटिस निकलते हैं उसमें टाइम लिखा होता है कि इस टाइम तक आपका कनेक्शन कर दिया जाएगा। हमारे यहां लोगों ने ब्याज पर पैसा लेकर के इस फसल को बचाने के लिए कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस जमा करा दिये। उसके पांच-पांच, छह-छह महीने तक भी उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिले, उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिले, उन बेचारों ने ब्याज पर पैसा लेकर आये लेकिन उनकी फसल भी नहीं हो पाई तो उसको भी तुरन्त दिया जाए। एक एफआईआर दर्ज वाली बात आ रही थी कि जब ट्रांसफार्मर चोरी होता है तो एफआईआर पुलिस वाले दर्ज नहीं करते, एक-एक, दो-दो महीने तक नहीं दर्ज करते, लोगबाग परेशान होते हैं तो मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर भी कुछ करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस दो मिनट लूंगा मैं मेरी बात खतम हो रही है। एक यह जो नगरपालिका के क्षेत्र में फार्म हाउस के कनेक्शन हैं यह एक बार ले लेता है पूरी जिंदगी पछताता है, पहले यह था कि तीन महीने बहुत महंगा पड़ता है इसमें पर यूनिट पहले यह था कि तीन साल के बाद इसको आर्डिनरी कनेक्शन में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन अब इसको नहीं कर रहे हैं और जो बिजली नहीं जलाओगे तो भी पांच हजार रुपए मिनिमम खर्चा आएगा तो इसके लिए भी कुछ व्यवस्था करें और दूसरा यह था कि एक 11 हजार के.वी. की लाइन मेरे बूंदी विधान सभा क्षेत्र के कुछ मौहल्लों के ऊपर से निकल रही है। एक-दो जगह तो ऐसी बुरी स्थिति है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, एक-दो

(श्री अशोक डोगरा)

दुर्घटनाएं हो भी गईं, तीन-चार बच्चों के करंट लगने से मौत हो गई। मैंने वहां जे.ईएन., एक्स.ईएन., ए.ईएन. सबको लिख दिया कि एक दो पोल लगेंगे इसमें इसको हटा दो, कोई हादसा हो जाएगा, मैंने यहां तक भी लिख दिया उनको कि इसका एस्टीमेट बना दो, यदि एक-दो पोल का क्या खर्चा है मैं विधायक कोष से जमा करा दूंगा तो भी आज तक न तो उन्होंने एस्टीमेट दिया है और न आज तक उस पोलों को हटाया है, जब भी कोई दुर्घटना होगी उसके लिए यह जरूरी है कि उनको वहां से हटाया जाए। मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूं बिजली मंत्री से कि हमारे यहां 1994 में एक हठीपुरा औद्योगिक क्षेत्र, बूंदी का एकमात्र इण्डस्ट्रियल एरिया है जो विकसित हुआ था। 2008 में एक 33 के.वी. का एक जी.एस.एस. वहां स्थापित किया गया था जिसका कि जो वहां के लोग हैं उनको बिजली मिल सके। लेकिन इस लाइन को...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में खतम कर रहा हूं सभापति महोदय, लेकिन इस लाइन को क्या है कि उन्होंने गांव की लाइन से जोड़ दिया। जिसकी वजह से बार-बार ट्रिपिंग होती है और जो भी इण्डस्ट्रीज हैं उनको दिक्कत आती है। इसकी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एक्स.ईएन. और ए.ईएन लेवल पर कि एक 33 के.वी. लाइन 132 के.वी. जी.एस.एस. से जो पांच किलोमीटर लम्बी है वहां प्रस्ताव बना देते हैं और उसको मंजूर कराएंगे। 53 लाख का प्रस्ताव भी बना और यह कहा था कि 31 मार्च तक हर हालत में चालू कर देंगे। लेकिन मेरी नालेज में यह है कि वह प्रस्ताव कहीं भेजा ही नहीं गया वहीं का वहीं रखा हुआ है और सभी उद्यमी वहां दुःख पा रहे हैं तो मेरा यह मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इण्डस्ट्रियल एरिया जो हठीपुरा का है वहां के लिए एक नई लाइन एक्सप्रेस डलवा करके..

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): बिजली आपूर्ति वहां चालू करवायें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नाथूराम जी सिनोदिया।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। पानी, बिजली और अकाल तीनों पर आज चर्चा हो रही है, पहले यह चर्चा हुई नहीं थी दुबारा रखवाई है। अच्छा

(श्री नाथूराम सिनोदिया)

हुआ इस पर चर्चा हो जाए। मैं तो किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करुंगा। दूसरी की तो सब लोग अपनी-अपनी कर ली और दूसरे की भी कर ली। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र सिटी है उसमें तीन-चार दिन से पानी आता है और पानी भी कम आता है वह पानी थोड़ा ज्यादा दिलायें। (व्यवधान) पूरा जिला की ही बोल रहा हूं फिर आप क्या करेंगे? 14 पंचायतें मिली हैं मेरे यहां पर, उन पंचायतों में पंचायत हैडक्वार्टर पर तो पानी आता है लेकिन उनकी ढाणियां हैं, छोटा गांव मजरा है। वहां पाइप लाइन ऐसी डाली है कि वह पानी वहां रास्ते में निकल रहा है, पशु जानवर जरूर पीते हैं उसको पर गांव वाले नहीं पी सकते हैं उसको तो वह पाइप लाइन दूसरी डलवाओ आप। ताकि उस पानी का शुद्ध उपयोग हो सके। न तो वह जाता है गांव में और रास्ते में ही रह जाता है। 14 पंचायतें हैं जिसमें दादिया गांव है, दादिया में एक ढण्ड मगरो है काफी बड़ा गांव है वह सारा प्यासा मर रहा है, गांव में पानी पीने के लिए है नहीं, पहले बहुत गांव थे जहां पानी की मोटर लगी हुई थी वह भी खोल करके ले गए और वह पानी बंद हो गया और अब लोग वहां त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इस बीमारी को आप खतम करें और वहां मंत्रीजी भी वहां के प्रभारी मंत्री जी भी हैं डबल काम है। इसलिए मेहरबानी करके वह पानी के पाइप दिलवा दीजिए। आपके विभाग वाले कहते हैं कि पाइप नहीं है, अब पाइप तो लोग पहले ही ले गये बीजेपी के टाइम में ही, ले गया ही नहीं वे चोरी हो गये, वहां पाइप पड़े थे रातोंरात पाइप चोरी हो गये यह हकीकत है। उन पाइपों की जांच भी कराइए कि वह पाइप गये कहां पर? किशनगढ़ के बाहर सारे पाइप पड़े हैं कहीं भी काम नहीं हुआ। हमारे रूपनगढ़ एरिया में सैंक्शन की हुई योजना है वहां भी एक रुपए का काम नहीं किया। वहां भी भेदभाव किया कि वहां कांग्रेस के आदमी हैं इसलिए काम नहीं किया। सबसे पहले पानी वहां पहुंचना चाहिए था। सबसे खारा है व सबसे लूणी एरिया है लेकिन इन्होंने नहीं पहुंचाया। रूपनगढ़ में चला गया आगे का सारा एरिया ऐसे ही पड़ा है। आप वहां के प्रभारी मंत्री हो वहां 12-13 पंचायतें बची हुई हैं उनको पानी पीला दोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने इनको कहा भी था, इन्होंने कहा था कि मैं कर दूंगा परन्तु यह कर दें जब है, मना नहीं करते हैं कहते हैं कि हो जाएगा इनका काम। वहां जो सीमेंट के पाइप हैं वह गल गए या फिर इनका ठेकेदार ही ऐसा था जिसने कच्चे पाइप डाले जो गल गए। लोहे के पाइप मंगाने चाहिए, प्लास्टिक के पाइपों को तो रास्ते में कोई फोड़ सकता है, लोहे के पाइप मंगा करके वहां डालो ताकि ढाणियां प्यासी न रहें। छोटा लांबा, सीलसांदोल्या,

(श्री नाथूराम सिनोदिया)

आकौड़्या, काशिर, बोरेला इन पंचायतों के गांवों में कुएं हैं पहले के, उन कुओं में पानी खूब आया पहले चालू होते ही, वहां विभाग वाले मोटरों को खोलकर ले गए। ये डिपार्टमेंट वाले ही ले गये। अब मोटरों को फिर से चालू करवाओ। क्योंकि पानी दस दिन नहीं देते आप। पानी जरूर है वहां कुओं के अन्दर वे कहते हैं कि हमारी मोटरें चालू करवा दो तो हमारा काम हो जाएगा। ये पानी तो बरसेगा तब आयेगा। पानी कम पड़ गया तो ये हिस्से वाला पानी देते हैं आप लोग पर वो व्यर्थ जाता है वो ही बच जाए तो ही उनके पानी हो जाए और ये काम हैं ये मंत्रीजी को बता दिये हैं। मंत्रीजी हमारे प्रभारी हैं। अब रहा अकाल का काम। अकाल मंत्रीजी से निवेदन है कि काश्तकारों के जो कुएं हैं इनको खुदवा दो। लाख-लाख रुपये उनको आप दे दो और लाख-लाख वे खुद लगा लेंगे तो दो लाख में पानी हो जाएगा उसके। अकाल में मंजूर कर सकते हैं पहले हुए हैं सब। पहले अशोक जी के टाइम में बहुत कुए खुदे हैं। उन बेरों में पानी है आज भी तो वो टाइम वापस लाओ। मोटी बात यही है कि किसानों के कुए खुदवा दो। मजदूरी वे कर लेंगे कोई वो क्रेन मशीनों के पैसे लगे वो आप देना। आधे में काम कर दो। आधा वो भुगतेंगे आधा आप दे दो। बिजली मंत्रीजी के लिए तो छोटा-मोटा ही काम है कि हमारे मालियों की बाड़ी पंचायत है किशनगढ़ से सटा हुआ गांव है साहवी रोड पर और स्कूल के अन्दर ट्रांसफार्मर है तो बच्चों के ऊपर कभी चिंगारी उछलती है तो कभी कोई कापी जल जाती है पर ये है खुद नहीं जले कभी आज दिन तक तो उसको तो हटवाओ। ये एक काम तो करवा दो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लगाओ तो मत पर हटा तो दो।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): हटाओ मत पर लगे हुए को दूसरी तरफ कर दो जमीन पड़ी है सरकारी बहुत तो ये इस तरह के छोटे-मोटे काम हैं। बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबू लाल जी खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय जी, आज पानी, बिजली और अकाल राहत पर चर्चा हो रही है। आज प्रदेश की भयंकर समस्या है और मैं भी इस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने पीड़ा व्यक्त की, वास्तव में पीड़ा जायज है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि अभी कुछ सदस्यों ने कहा था कि हमको 508 करोड़ रुपये पिछली सरकार के जो नहीं मिले थे वो अब मिल रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने क्षेत्र के बारे में कहें समय आपका सीमित है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): उसी पर आ रहा हूं। मैं मेरी बात को सीमित समय में पूरा कर दूंगा। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ये हो सकता है कि हमारी सरकार की कुछ कमियां रही हैं या फिर राजनीतिक कारणों से नहीं मिले। आप ले रहे हो अच्छी बात है और आपका हिस्सा इस वर्ष का एक हजार सौ करोड़ रुपये का आपके पास बजट प्रावधान है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे इस सरकार का योग कहें, संयोग कहें या पगफेरा ठीक नहीं है। कुछ भी कह लें, प्रकृति भी विमुख हो गयी। आये तब से ही ऊपर से पानी नहीं, जनता में त्राहि-त्राहि हो रही है और एक बात बहुत बड़ा काम किया अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही थी पिछली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के लोगों के साथ में भेदभाव किया, चलो किया होगा लेकिन आप तो मत करो। सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि उदयपुर मानसी वाकल परियोजना आपके द्वारा शुरू की गयी थी। सरकार आपकी चली गयी। हमारी सरकार बन गयी। वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनीं। उनके मन में कोई ऐसा दुराभाव नहीं आया। उस स्कीम को पूरा करके उदयपुर की जनता को पानी पिलाने का काम वसुन्धरा जी ने किया और अब क्या हो रहा है, आपकी सरकार आयी कितना पानी दिया, कितना पैसा दिया सबको विदित है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे झाडोल की कुछ स्कीमें थी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी मानसी वाकल से 22 गांवों की योजना थी 6 गांवों की और पेयजल स्कीमें थीं। आने के बाद में आप एक कदम आगे नहीं बढ़े। इतना सारा पैसा सरकार ने लगा दिया। जनता का पैसा था और जनता की अपेक्षा थी कि चलो यह काम शुरू हुआ है हम टोंटी से पानी पीयेंगे लेकिन आपके आने के बाद में एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया और बहुत बड़ा काम नहीं था मानसी वाकल के 22 गांवों को पानी मिलना था केवल आपके एक जीएसएस का काम नहीं हो पाया उसके कारण पानी नहीं मिला और छोटे-मोटे पाइप थे वो आप नहीं दे पाये। बड़े ताज्जुब की बात है और जो कुए हमने खोदे थे उन कुओं में पानी खतम हो गया पैसा भी था लेकिन उन कुओं को आपने गहरा तक नहीं कराया इसलिए वो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको कि गैराणा की स्थिति आज क्या है। कुए सूख गये वहां कस्बा है लोग पानी के

(श्री बाबूलाल खराडी)

लिए तरस रहे हैं पानी है नहीं। हैण्डपम्प से केवल मात्र अपना पानी लेकर के अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मंत्रीजी, मैं तो कहता हूं कि झाडोल और कोटड़ा की सारी स्कीमें आप दिखवा लें और अगर पैसा देने का काम करेंगे तो वहां की जनता आपको धन्यवाद देगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय जी, झाडोल और कोटड़ा के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती है पर गाड़ी नहीं जा सकती है तो वहां के लोगों के लिए उनके परम्परागत जो स्रोत हैं कुआं है, बावड़ी है उससे पानी पीते हैं और उन कुओं की हालत क्या है, मैं आपको दो-तीन उदाहरण दूंगा। सीकरी पंचायत में एक मगराफलां है वहां पर एकमात्र कुआं है और उस कुए में सुबह से लाइन लगती है महिलाएं सुबह उठती हैं चार बजे और लाइन लगाती हैं और जिसका नंबर आ गया पानी भर लिया तो वो तो लेकर जाएंगे और अगर नहीं मिला वो वहां पर लोगों ने गधे पाल रखे हैं वो जाकर दो-चार किलोमीटर से गधों से पानी लाते हैं। आज आजादी के पैंसठ साल बाद में हमारी यह स्थिति हो तो सरकारें किस बात की जवाबदेही की बात करती हैं। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि माल और श्रवण में आज भी गाड़ी नहीं चलती है। राजस्व गांव है। वहां के लोगों की भी यही स्थिति है तो सरकार जब जवाब दे मंत्रीजी, तब स्थिति स्पष्ट करें कि ऐसे जो रिमोट गांव हैं जहां कोई जा नहीं सकता वहां के लिए हम क्या करेंगे, क्या प्रावधान करेंगे। मेरा एक सुझाव है कि उन गांवों के लिए आप सार्वजनिक कुए खुदवाएं और सार्वजनिक कुए खुदवा करके उनके पानी का प्रबंध करे। दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पीपलबारां में एक गांव है परेडा वहां आज भी लोग तीन-चार किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लाने के लिए। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कोटड़ा में सामूली पंचायत है उसमें दो-तीन गांव ऐसे हैं उपला आंबा, निचला आंबा माननीय मंत्रीजी को ध्यान है, पूर्व में आप वहां का प्रतिनिधित्व करते थे, उन गांवों की स्थिति यह है कि आज भी वहां पर साइकिल भी नहीं जाती है और वहां के लोग पानी अपने जहां वो पहले के कुएं हैं उनको खोद-खोद करके अपनी मेहनत करके पानी पीते हैं। इसलिए मैं मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गांवों में आप सार्वजनिक कुए खुदवाएं और उन लोगों की प्यास बुझायें। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा के अन्दर कितने भी कुए खोद दिये एक हमने कालीदरी पर खोदा। पैसा बर्बाद हो गया और भी

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

खोद दिये। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर कोटड़ा को आप स्थायी रूप से पानी पिलाना चाहते हो तो जोगीबड़ एक बांध बना हुआ है वहां से पानी की एक योजना बनायें और वहां से पानी ले जाकर कोटड़ा को पानी पिलायेंगे तो कोटड़ा के लोगों की प्यास बुझा पायेंगे। आप जब भी जवाब दें तो इसका भी जिक्र करें। मैं आगे आपसे कहना चाहता हूं कि अकाल राहत की बातें खूब हुई हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अकाल तो है लेकिन राहत नहीं है। आज कोटड़ा और झाडोल उदयपुर का सारा का सारा जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति आज

(समय :22.00 बजे)

मजदूरी के लिए तरसता है आपके नरेगा के काम बंद, आपने अकाल राहत के काम नहीं खोले । आज वहां का व्यक्ति सुबह मजदूरी के लिये जाता है, शाम को पैसे लेकर आता है और बच्चों का पेट पालता है। वह कहां जाएगा? उसकी मजबूरी है, या तो वह गुजरात चला जाता है या फिर उदयपुर जाता है। जहां भी जाता है, मजदूरी के लिये सुबह चौराहे पर इकट्ठा होते हैं, वहां से जिनको मज़दूरों की आवश्यकता होती है वहां से मज़दूरों की बोली लगा कर ले जाते हैं। आदमी कहां जाता है, पत्नी कहां जाती है। यह हालत है मंत्रीजी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं, आज कोटड़ा में आपने अकाल राहत के 9 काम स्वीकृत किये, वहां 31 पंचायतें हैं और मात्र 9 काम? उसमें से भी आपने 8 काम शुरू किये हैं, एक काम उसमें भी शुरू नहीं हुआ। अब किस बात से हम कल्पना करें कि सरकार गरीबों को रोजगार देगी? आपके पास महीने बचे तीन, फिर बरसात आ जाएगी, फिर अगला साल शुरू हो जाएगा, फिर बजट आएगा, फिर हम बात करेंगे रोजगार देने की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीबों को इस पलायन से आप रोकें।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बिजली पर। बिजली पर बहुत अच्छी बातें हुई। केन्द्र सरकार की एक योजना लेकर आये राजीव गांधी विद्युतीकृत योजना, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। आज हर आदमी उजाले में अपना जीवन यापन करना चाहता है। वह भी चाहता है कि मेरे घर पर भी बिजली का लट्टू जले। आज गांवों की हालत क्या है? सामने गुजरात पड़ता है, वहां प्रत्येक आदिवासी के घर में सरकार ने अपने खजाने का पैसा लगा कर बिजली का लट्टू जला कर दिया है। वहां के लोग कहते हैं कि गुजरात और राजस्थान में फर्क क्या है। योजना अच्छी है, आप प्रयास तो करें।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

लेकिन आज क्या हो रहा है? ठेका किसका हुआ, किसका नहीं हुआ, किसने सब्मिट किया, उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज क्या स्थिति है? वहां जो भी काम करने वाली एजेंसी है, उस एजेंसी ने गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मंत्रीजी। उन गरीबों से 500 से 1000 रुपया वसूला जाता है कि हम आपके मीटर लगा देंगे, खंभे लगा देंगे। जबकि इसमें प्रावधान यह है कि आप खम्भे लगाओगे, लाइन खींचोगे, मीटर लगाओगे और एक बल्ब लगाकर आपको देना है। उसमें भी उसके साथ अन्याय होता है और शोषण होता है इसको कौन रोकेगा, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त कर दो।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): बिलकुल, मैं कर रहा हूं। आप कहते हो तो मैं इससे ज्यादा न बोलूं लेकिन कोटड़ा की मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। कोटड़ा उदयपुर जिले से 125 किलोमीटर दूर है और कोटड़ा को हमने बिजली से जोडा है सिरोही जिले से। अब हालात ये बनते हैं कि हमारा एक कर्मचारी तो रोहिडा बैठता है और सिरोही वाले अपने जिले को ज्यादा लाभ देने के लिये कभी-कभी अपनी मनमर्जी से लाइट बंद कर देते हैं। कोटड़ा में अंधेरा। मैं आपसे यह मांग करता हूं, कोटडा को गोगुन्दा में आपका 132 केवी का जीएसएस है अगर उससे जोडते हैं तो हम जिला मुख्यालय से जोड़ेंगे तो कभी कोई शिकायत भी होगी तो जिले के अधिकारी से हम बात कर पाएंगे। अन्यथा कोटड़ा के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मंत्रीजी। यही कहते हुए सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रेमचन्द नागर।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा): सभापति महोदय, आज आपने मुझे पेयजल, अकाल व विद्युत की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण आज पेयजल उपलब्ध कराना हम सबके लिये एक चुनौती बन गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां इटावा व सुल्तानपुर हैं, दोनों पंचायत समितियों के

(श्री प्रेमचन्द)

लगभग 40 गांव पीने के पानी की समस्या से ग्रसित हैं। यहां पर टीडीएस की मात्रा 2000 की जगह 3070 है और काफी गांवों में फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक है, इसकी वजह से लोगों को टीडीएस युक्त पानी व फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। इनमें केथूदा, गुडला, संग्रामपुरा, गोठडा, गठौद, मोहरखुन्ना, मिठोद, रामनगर, निमोला, मियाना, बेचपुर, मेहंदी, तोरण, जालिमपुरा इत्यादि इत्यादि गांव हैं जहां पर पीने योग्य पानी नहीं है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिये योजना बनायी जाए ताकि इनको भी उत्तम गुणवत्ता का मीठा पानी मुहैया कराया जा सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज एक गांव ऐसा भी है जहां पर न तो फ्लोराइडमुक्त पानी उपलब्ध है न मीठा पानी उपलब्ध है । उन लोगों को आज भी 5 किलोमीटर पार्वती में जाकर वहां से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है। संग्रामपुरा वह गांव है वहां पानी उपलब्ध कराने के लिये पीएचईडी ने बालूपा में एक ट्यूबवैल खोदा है लेकिन काफी लम्बे समय से बालुपा से संग्रामपुरा तक कोई पाइप लाइन नहीं डाली गई। मेरा आपसे निवेदन है कि साढ़े तीन किलोमीटर की इस पाइप लाइन को डलवा कर संग्रामपुरा के लोगों को पेयजल का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए।। सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र चारों तरफ से चंबल, कालीसिंध व पार्वती नदी से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी वहां के लोगों की दुर्दशा है, उन्हें पीने योग्य पानी नहीं मिलता है। बाढ़ के टाइम पर तो हम लोगों को इन नदियों से इतनी परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि हमारे चारों तरफ के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, हम 8-8 दिन तक भी ठिकाने पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उन्हीं क्षेत्रों में आज पीने का पानी मुहैया नहीं है।

सदन में मैं आज दिन भर से पेयजल पर चर्चा सुन रहा था, चम्बल के पानी को कभी अजमेर ले जाने की बात हो रही थी, कभी जयपुर ले जाने की बात हो रही थी तो कभी भीलवाड़ा में चम्बल के पानी को ले जाने की बात हो रही थी । माननीय मंत्री महोदय, मेरा सदन के माध्यम से आपसे निवेदन है कि पहले चंबल के किनारे बसने वाले लोगों को उनका अधिकार दिया जाए, उनको उस चंबल से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद में, माननीय मंत्री महोदय आप कहीं भी राजस्थान में उस पानी को ले जा सकते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को

(श्री प्रेमचन्द)

अगर प्यासा रखा गया, उनको सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो यह बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, पहले वहां के निवासियों को चम्बल के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल से लिफ्ट की एक-एक योजना सुल्तानपुर व इटावा क्षेत्र को मुहैया कराई जाए जिससे वहां सिंचाई और पीने दोनों के लिए पानी मुहैया हो सके।

माननीय मंत्रीजी से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चम्बल कैनाल से चम्बल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गढेपान सी एफ सी एल को पानी उपलब्ध कराया जाता है जबकि पेयजल एवं सिंचाई में भी पानी कम पड़ता है, अतः सिंचाई व पेयजल की व्यवस्थाओं को दरकिनार कर सीएफसीएल को पानी देना उचित नहीं है। किसानों व जनता के हितों को देखते हुए सीएफसीएल को पानी बंद कराया जाए, चम्बल कैनाल में पानी चालू करवाया जाए ताकि पीने का पानी मुहैया हो सके और पशुधन को बचाया जा सके।

माननीय मंत्री महोदय, कंटिंजेंसी में हमें जो हैण्डपम्प दिये गये हैं, मुश्किल से 15 की संख्या है उनकी और क्षेत्र से मांग आती है 100-100 और 150-150 हैण्डपम्पों की, तो कृपा करके कंटिंजेंसी हैण्डपम्पों की संख्या, टयूबवैलों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जा सके, उनको संतुष्ट किया जा सके।

माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि सुल्तानुपर क्षेत्र में बिजली की सही आपूर्ति हो सके, इसके लिए एक नया 132 केवी जीएसएस सुल्तानपुर में स्थापित करने की व्यवस्था करें, इसका प्रपोजल आपके डिपार्टमेंट में विचाराधीन है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति ब्लाक्स में की जाती है, जहां पर पेयजल की स्कीम्स चल रही हैं उन क्षेत्रों में दिन में थ्री फेस लाइट नियमित दी जाए ताकि उन पेयजल की स्कीम को नियमित चालू रखा जाए। इसके लिए कम से कम 8 घंटे बिना ट्रिपिंग के लगातार थ्री-फैज लाइट मिले, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। परीक्षा का समय है, रात में सिंगल फेस लाइट हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि रात को सिंगल फेस लाइट भी हमें मुहैया कराई जाए। मैं माननीय जलदाय मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनता जल योजनाओं की जो स्कीमें चल रही हैं, अधिकतर पंचायतों द्वारा संचालित

(श्री प्रेमचन्द)

की जाती हैं। सीमित संसाधनों के होते हुए कभी तो मोटर जलने के बाद 15-15 दिन तक मोटर चेंज नहीं हो पाती है कभी लाइट का बिल पैंडिग रह जाता है उसकी वजह से वह स्कीम काफी हद तक बंद हो जाती है। अत: मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी भी समुचित व्यवस्था की जाए अथवा पीएचईडी को इनको हैंडओवर किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल जी सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली):माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से बिजली, पानी और अकाल की चर्चा पर मैं भी अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। सभापति महोदय, यह सच है कि पानी और ब्लड दोनों किसी भी फैक्ट्री में निर्मित नहीं होते और न ही किसी पेट से इनकी उत्पत्ति होती है, यह ईश्वर द्वारा और प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। इस उपहार का किस प्रकार से पूरे देश में और प्रदेश में उपयोग किया जाए, यह चिंतन का विषय है यह विचार का विषय है। सभापति महोदय, गिरते हुए जल स्तर और दूषित हुए पानी से न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के साथ-साथ सम्पूर्ण देश चिंतित है। धन्यवाद देना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने भी कई बार कई राज्यों को पानी की शुद्धता के बारे में, पानी की उपलब्धता के बारे में और अंधाधुंध दोहन के बारे में कई निर्णय पारित किये हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि न्यायालय ने नागरिक का यह संवैधानिक अधिकार माना है कि उसको शुद्ध पेयजल मिले। सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले स्टेट आफ कर्नाटक वर्सेज स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश में अभी निर्धारित किया है, "....that under the Constitutional scheme in our country right to water is a right to life and thus a fundamental right." यानि, महोदय, शुद्ध पानी मिलना यह मनुष्य का, प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है और सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार हर व्यक्ति को शुद्ध पानी उपलब्ध कराए। यही नहीं, एक और महत्वपूर्ण फैसले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी कहा है पानी के अधिकारों के बारे में। उन्होंने जिस प्रकार संवैधानिक व्याख्या दी है, मैं इन शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, "...under the Constitution the role of the State to provide every citizen with adequate clean drinking water and to

(श्री प्रभुलाल सैनी)

protect water from getting polluted is not only a fundamental Directive Principle in the governance of the State but is also a penumbral right under Article 21 of the Constitution of India." यानि सभापति महोदय, भारत में संविधान की अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए यह कहा कि पूरे देश के, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होता है ओर जो राज्य सरकार शुद्ध पेयजल आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं करा पाती है यह सरकार की उदासीनता का द्योतक माना जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा का पूरा जिला अभावग्रस्त घोषित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 457 गांव हैं और इन 457 गांवों में लगभग 4500 हैण्डपम्प स्थापित थे। 2500 से ज्यादा हैण्डपम्प जल स्तर नीचे गिर जाने के कारण से ड्राई हो चुके हैं, आउट आफ वर्क हो चुके हैं और उनमें पानी के बजाय हवा निकल रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा सरकार की उदासीनता से इतनी भंयकर स्थिति में एक-एक बूंद के लिए पूरी विधान सभा क्षेत्र का आदमी तरस रहा है, पानी के अभाव में पलायन कर रहा है। सरकार की नीति है, विभाग की नीति है उसमें प्रति व्यक्ति 10 से 15 लीटर पर- डे देने की बात ये टैंकरों के माध्यम से कर रहे हैं। सभापति महोदय, अभी वर्तमान में 550 से ज्यादा टैंकर लगाकर पूरे क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, इससे यह साबित है कि निश्चित रूप से वहां पर कुओं में पानी नहीं है, हैण्डपम्प सूख गये हैं, तालाबों में पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में विधान सभा क्षेत्र का नागरिक, वहां के मवेशी एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर वर्तमान परिस्थिति यह है, वहां पर जो टैस्टिंग पानी का हुआ, टीडीएस की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा और सेलिनिटी की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जितना कुछ पानी बचा है उसे भी वे लोग नहीं पी पाते हैं। 178 से 200 ऐसे ग्राम है जहां पर शुद्ध पानी राज्य सरकार और इनका पेयजल विभाग उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है और यह इन्होंने लिखित में हम लोगों को जवाब भी प्रस्तुत किया है कि पानी का स्तर 80 से 100 मीटर तक नीचे गिर चुका है। मंत्री महोदय नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट के अन्तर्गत हमारी कान्स्टीटयुएंसी की बाचोला, देई, गुढादेवजी, जजावर, अलोर, रूणीजा, बालोला, धोवड़ा और नेगड़ की जो स्कीम आपके पास पैंडिग पड़ी हुई हैं, मेरा आपसे

(श्री प्रभुलाल सैनी)

अनुरोध होगा कि आप इनको एक टैम्परेरी व्यवस्था के लिये तत्काल स्वीकृति प्रदान करें। स्थाई समाधान के लिये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि वर्तमान में हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र का जो मेरा भाग है, वहां के सांसद केन्द्रीय मंत्री के रूप में हैं। चम्बल का पानी बूंदी से भीलवाड़ा ले जाने की योजना जिस प्रकार बन रही है, मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि बूंदी और हिण्डोली में मात्र 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सबसे पहले बूंदी जिले के हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र में नैनवां और हिण्डोली के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये एक महत्वाकांक्षी और एक स्थाई पेयजल योजना चम्बल नदी के पानी से बनाई जाए और दूसरा मेरा सुझाव होगा कि यदि यह फिजिबल नहीं बैठती है तो गुड्डा बांध से ऐसी पेयजल योजना बनाएं जिससे सारे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को पानी मिल सके।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा एक सुझाव मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बीसलपुर की बात चली आ रही है, आज हम जयपुर की बात करते हैं तो 11200 टी.एम.सी. पानी बीसलपुर से लाकर 2021 तक की योजना को ध्यान में रखते यहां उपलब्ध कराया जा रहा है। 5 टी.एम.सी. पानी अजमेर को उपलब्ध कराया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि दिये के तले अंधेरा उचित नहीं है। वहां के उन लोगों से पूछो जो वहां से विस्थापित कर दिये गये हैं, उनके मकान हटा दिये गये हैं और टौंक जिले में लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर जो पानी की स्थिति है, उनियारा विधान सभा क्षेत्र या टौंक की मैं बात करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके मानकों को हम देखते हैं तो मानकों में हाई फ्लोराइड की मात्रा 8.5 पी.पी.एम. होनी चाहिए वह बढ़कर 12 पी.पी.एम. तक वहां पहुंच चुकी है। टी.डी.एस. की मात्रा के बारे में निवेदन है, टोटल डिजोल्व सोल्यूट्स 1500 पी.पी.एम. के बजाय 14000 पी.पी.एम. तक वहां पर बढ़ गयी है। सेनिटरी वाटर बढ़ने की मात्रा ई.सी. 3 हजार होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा दूषित पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की एक संस्था है, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., सेण्ट्रल पब्लिक हैल्थ एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आर्गनाइजेशन, इसने कहा है कि टौंक जिले में जो 427 गांव उनियारा, देवली और टौंक क्षेत्र के हैं, क्लोराइड की मात्रा एक हजार पी.पी.एम. होनी चाहिए, फ्लोराइड की मात्रा 1.5 होनी चाहिए, टी.डी.एस. की मात्रा 1500 होनी चाहिए, नाइट्रेट की मात्रा 45 पी.पी.एम. होनी चाहिए। उसके मुकाबले, सभापति महोदय,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

टौंक जिले में 10 ऐसे गांव हैं क्लोराइड की मात्रा से, फ्लोराइड की मात्रा से 185 गांव, टी.डी.एस. की मात्रा से 108 गांव और नाइट्रेट की मात्रा से 118 गांव प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार के वक्त में माननीय वसुन्धराजी ने नीति निर्धारण समिति की बैठक 27 सितम्बर, 2005 को जो हुई, उसमें निर्णय लिया और 427 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये उनियारा के 194, टौंक के 106 और देवली के 127, और 110 अन्य ढाणियों के लिए 85 करोड़ की योजना बनाई गई थी और बजट 2006-07 में, सभापति महोदय, घोषणा की गई थी कि बीसलपुर बांध से टौंक जिले के 427 गावों तथा 2 कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अगले वर्ष 85 करोड़ रुपये लागत की परियोजना के निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, इस बजट घोषणा की क्रियान्विति में हमारी सरकार के वक्त में राजस्थान सरकार ने 29.09.2007 को सौ करोड़ रुपये की लागत के टेण्डर आमंत्रित किये और एम.ए.टी. बेस पर इस कार्य को कराने की जिम्मेदारी बनाई। सभापति महोदय, सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद उस टेण्डर का क्या हुआ, यह तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माननीय अशोकजी गहलोत साहब ने अपनी बजट घोषणा 2009-10 में पैरा संख्या 47 में यह कहा कि जिन नई योजनाओं का कार्य इस वर्ष हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है, उनमें टौंक, बीसलपुर, उनियारा तथा जोधपुर शहर शामिल हैं। सभापति महोदय, एक साल गुजर गया है, आज दिन तक सरकार ने न तो इस कार्य को प्रारम्भ किया है और न ही इस कार्य को चलाने की कोई जिम्मेदारी बनाई है। सभापति महोदय, जो योजना 85 करोड़ की थी, वह बढ़कर 247 करोड़ की हुई, 247 के बाद जब हम लोगों ने टेण्डर लिये वह 400 करोड़ की हो गई और आज वह योजना 500 करोड़ की हो गई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को तत्कल लागू किया जाए।

सभापति महोदय, एक सुझाव देना चाहूंगा, एन.डी.ए. में जब अटल बिहारीजी वाजपेयी थे, तब उन्होंने एक इंटर लिंकिंग आफ द रिवर्स, यानि नदियों को नदियों से जोड़ने की योजना बनाई थी। 5 लाख 70 हजार करोड़ की यह महत्वाकांक्षी योजना उस वक्त चालू हुई और 2017 तक देश की सभी नदियों को जोड़ने का संकल्प लिया गया था। उसी संकल्प के दौरान राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के द्वारा काली सिंध, परवल, पार्वती नदियों को चम्बल

(श्री प्रभुलाल सैनी)

में जोड़ने का प्रस्ताव और उसकी फिजिबल रिपोर्ट तैयार की गई थी। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में इसका एम.ओ.यू. होने के लिये राज्य सरकार की सब कमेटी के पास मामला आया लेकिन सब कमेटी ने इस पर निर्णय नहीं लिया। उसमें यह भी तय हुआ था कि चम्बल का जो पानी है, यदि उसको बनास बेसिन तक, इण्टर लिंकिंग ओवरफ्लो वाटर को वहां तक डाला जाएगा तो निश्चित रूप से 45-50 प्रतिशत वहां के पानी की मात्रा बढ़ सकेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा, चाहे आपके अन्य जिले हैं, सारी समस्याओं का समाधान तब होगा जब इण्टर लिंकिंग रिवर्स की उस योजना के आधार पर जो एम.ओ.यू. मध्य प्रदेश सरकार के वहां से आया है, उस पर सरकार क्रियान्विति करे तो। निश्चित रूप से तीनों जिलों को पानी मिलेगा।

अन्त में मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कि आपने फव्वारा और बूंद-बूंद सिंचाई योजना की। यह भी पानी बचाने की एक योजना है। इस बूंद-बूंद सिंचाई योजना के अन्तर्गत आप लोगों ने यह कहा कि उन काश्तकारों को हम लोग सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, 31.12.2009 तक बिजली के आवेदन जिन्होंने पहले जमा करा दिये हैं। यदि वे प्रायोरिटी से एक हजार रुपये जमा कर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो हम उनको बिजली सर्वोच्च प्राथमिकता से देंगे। लेकिन, सभापति महोदय, एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से छीनना, इन्होंने जो योजना बनाई, कई लोगों ने एक-एक हजार रुपये जमा करा दिये। जब इनके पास डिमाण्ड की बात आई, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा, इतनी मंहगी कि साढे 7 एच.पी. तक का जो कनेक्शन लेगा, 80 हजार रुपये, यदि 20 एच.पी. तक कनेक्शन लेगा, 94 हजार रुपये, 32 एच.पी. तक लेगा, एक लाख 40 हजार तथा 50-60 एच.पी. कनेक्शन लेगा, एक लाख 80 हजार रुपये ट्रांसफार्मर कास्ट काश्तकार को वहन करनी पड़ेगी। लाइन चार्जेज के सौ रुपये प्रति मीटर पृथक से देने होंगे और पोल चार्जेज 2 हजार रुपये प्रति पोल के हिसाब से देने होंगे। एग्रीकल्चर कनेक्शन में दो रुपये 10 पैसे जो बिजली रेट है, उसके 2 रुपये 10 पैसे लेंगे और 200 रुपये पर-मंथ आपको न्यूनतम बिजली के अलग से देने पड़ेंगे। इसलिये, सभापति महोदय, लघु और सीमान्त कृषक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, टोंक जिले और बूंदी जिले में किसान ने इस योजना के अन्तर्गत आज तक कोई कनेक्शन नहीं लिया।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

इसलिये सरकार को मेरी ओर से यह सुझाव है, मेरी ओर से आग्रह है कि इसमें जो ट्रांसफार्मर कास्ट ली जा रही है, वह सरकार वहन करे और वहन करके उदारता का परिचय दे ताकि बूंद-बूंद सिंचाई योजना को पूरे राजस्थान में लागू किया जा सके। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती बसन्ती देवी मीणा। (व्यवधान)

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, आज अकाल, बिजली एवं पेयजल पर चर्चा हो रही है, मैं भी इसमें विचार रखना चाहूंगी जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पहाड़ी, बिखरी आबादी वाला एवं सम्पूर्ण जनजाति बहुल है। कम कृषि भूमि होने की वजह से गरीबी भी अधिक है। पूरा क्षेत्र अभावों से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां के लोगों को अधिक मदद दी जाए। सभापति महोदय, जनजाति उप योजना क्षेत्र में लगभग एक जैसी स्थिति है। सिंचाई हेतु जयसमंद बांध, सोम कमला अम्बा बांध, सोम कादर बांध, डाया बांध, अम्बा माता डाया तथा अन्य छोटे-छोटे तालाब हैं जिनके जरिये सिंचाई जल एवं पेयजल की आपूर्ति होती है। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश गांवों में फ्लोराइड का आधिक्य है जिसकी वजह से लोगों का जीवन नरक-सा गुजर रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार मात्र सहाड़ा तहसील के 171 गांवों में से 103 गांवों के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा 8.5 पी.पी.एम. से अधिक है। सलूम्बर तहसील के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी यह कह सकती हूं कि अधिकांश गांवों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से लोग बहुत कष्टदायक जीवनयापन कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि पेयजल के लिए प्रस्तावित योजनाएं जयसमन्द बांध से सात गांव और सोम-कमला-अम्बा बांध से 85 गांव और डाया बांध से 23 गांव माननीय मंत्री महोदय, इनको पाइप लाइन से जल्दी जुड़वाने एवं चालू कराने की कृपा करें। जयसमन्द बांध से 16 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी परन्तु पानी नहीं होने की वजह से आज एक भी हैक्टेयर भूमि सिंचित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार के सम्मुख मेरा प्रस्ताव है कि जयसमन्द बाँध में जाखम नदी, सूखली नदी, करवोई नदी का पानी डाला जाए ताकि किसानों के सूखे खेतों में पानी पहुंच सके तथा किसान अनाज पैदा कर अपने परिवार के साथ देश को मदद कर सके। इसी तरह झावर के पास एनिकट बनाकर वर्षा का पानी डाया बांध में डाला जाए ताकि पेयजल और सिंचाई का लाभ मिल सके।

(श्रीमती बसन्ती देवी मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं गम्भीरता के साथ निवेदन करना चाहती हूं कि इसी तरह एक महत्वपूर्ण योजना सरकार के पास विचाराधीन है, उसका नाम है देवेन्द्र एनिकट द्वारा बरसाती नदी का पानी चावण्ड तालाब में डाला जाए। चावण्ड तालाब हरसन तालाब को भरता है इससे सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का हल होगा।

माननीय सभापति महोदय, चारा परिवहन पर मुख्य मंत्रीजी ने अनुदान बढ़ाया है इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद। बकाया घरेलू कनेक्शन जारी किये जाएं। चारा डिपो खोले जाने चाहिए। पशु शिविरों में पशु अनुदान राशि बढ़ाई जाए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छोटू सिंहजी भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): महोदय, मैं आज बिजली, पानी व अकाल राहत के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने राजस्थान के पानी की समस्या के बारे में अपने-अपने सकारात्मक विचार कहे। जिस प्रकार भारत में राजस्थान का बड़ा भू-भाग है, ठीक उसी प्रकार हमारा जैसलमेर भी बहुत बड़ा भू-भाग का क्षेत्र है। यहां भी पानी की विकट समस्याएं रहती हैं। जैसलमेर में नहर है फिर भी इस साल तो पानी की विकट समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो ट्यूबवैल खोदे हुए हैं उन ट्यूबवैल में लाइट कनेक्शन नहीं हुए हैं। कई ट्यूबवैल ऐसे हैं जो कर्मचारियों की लापरवाही से बंद हो गये हैं। सुनने में ऐसा आया है कि उनमें पत्थर आ गया है इसलिए बंद हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूर्व के ट्यूबवैल बंद हैं और जिनके कनेक्शन लाइट के नहीं हुए हैं, उनका तुरन्त गति से कनेक्शन करवाएं और जो ट्यूबवैल खराब हैं, उनको जल्दी चालू करवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में हमारी पाइप लाइन्स लगी हुई हैं, नलकूपों से गांव की दूरी दस-दस किलोमीटर पर है और जो पाइप लाइन थी वह आज से तीस साल पहले की बनी हुई है, उसका डायामीटर तीन इंच और दो इंच था। उस टाइम जनसंख्या ढाई सौ की थी, आज 30 साल में वह जनसंख्या हजार, बारह सौ हो गयी है। उन पाइप लाइन्स के जरिए पानी बहुत कम मात्रा में आता है और

(श्री छोटू सिंह भाटी)

गांवों में पानी की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। उसके अलावा जो पूर्व की जी.एल.आर. बनी हुई है उनकी भी कैपेसिटी कम है। कैपेसिटी कम के अलावा वह इतनी डैमेज हो गयी है कि अन्दर पानी उसमें रखने की क्षमता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन जलाशयों को और जी.एल.आर. को बढ़ाया जाए, नये ट्यूबवैल खुदवाये जाएं और जैसलमेर की जनता की समस्या का निस्तारण किया जाए।

हैण्डपम्प खुदे हुए हैं, हैण्डपम्पों में आधे से ज्यादा खराब हालत में हैं। नाम मात्र के हैण्डपम्प हैं। जब जाकर देखते हैं तो कोई पाइप नहीं है। अधिकारियों द्वारा कह दिया जाता है कि सूख गये हैं। पूर्व में पूछा गया था प्रश्न में, तब यह फर्माया गया था कि ठीक कर देंगे। उसको ठीक करते-करते छह महीने हो गये हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन हैण्डपम्पों को तुरन्त गति से शुरू करवाया जाए।

दूसरा निवेदन है कि आज से चार साल पहले छह करोड़ की एक स्कीम रामगढ़ से 245 आर.डी. से शुरू की गयी थी उसके सभी कार्य- कंस्ट्रक्शन, बाउण्ड्री वाल, जी.एल.आर. एंड बिल्डिंग पूरे हो गये लेकिन पाइप लाइन वह आज तक नहीं पहुंची। बजट 2009-2010 के भाषण में मैंने मेरा प्रश्न किया था कि उक्त पाइप लाइन आज तक नहीं पहुंची है। छह करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं और उन गांवों को आज तक पानी की उपलब्धता नहीं हुई है। तब अधिकारियों द्वारा और सरकार द्वारा यह कहा गया था कि बीच में जमीन का सुलटारा नहीं हुआ है, अब जमीन को सुलझाकर हम कर देंगे। उसको एक साल बीत गया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन अधिकारियों की लापरवाही रही, उनको सब को पता था। वे अधिकारी आज से नहीं हैं, बीस साल से वहां पर हैं। वे जे.ईएन. वहां बने, ए.ईएन. वहां बने और एक्स.ईएन. भी वहीं बने हैं लेकिन उनकी लापरवाही से आज तक वह स्कीम पूरी नहीं हुई है। छह महीने से लगातार वह काम चालू गति में, प्रगतिशील बताया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप उस स्कीम को चालू करवाएं जिससे कि इस गर्मी के सीजन में पेयजल की समस्या का निस्तारण हो सके।

साथ में मेरा निवेदन है, कंटिंजेंसी प्लान एक ऐसा प्लान है जिसका तुरन्त गति से काम हो। कंटिंजेंसी प्लान में ट्यूबवैल्स एण्ड हैण्डपम्प हो जाते हैं लेकिन एक विभाग, अंडरग्राउण्ड वाटर ऐसा विभाग है जिसकी धीमी गति से

(श्री छोटू सिंह भाटी)

एक-एक, दो-दो महीने एक ट्यूबवैल को लग जाता है खोदते हुए। सैंक्शन किये हुए ट्यूबवैल को चार-चार, पांच-पांच महीने लग जाते हैं, ट्यूबवैल नहीं खुदते हैं। तो मेरा निवेदन है कि उस विभाग को कसा जाए ताकि वह समय पर ट्यूबवैल खोद सके।

उसके साथ में मेरा निवेदन है, जैसलमेर जिले में जो पुरानी पाइप लाइन्स हैं उनका डायामीटर बढ़ाया जाए। साथ में जो पुरानी जी.एल.आर. है उनको शुरू किया जाए। कई जी.एल.आर. ऐसी हैं जो पूर्व में बनी हुई हैं लेकिन उसमें पाइप लाइन आज तक नहीं पहुंची है। मेरा निवेदन है कि राज का और जनता का पैसा खर्च हुआ है लेकिन उस जगह आज तक पाइप लाइन से पानी नहीं पहुंचा है। सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो तीस साल पहले ...(व्यवधान)...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हुक्म, अभी तो पानी पर ही चल रहा हूं, पांच मिनट हुए हैं, पूरा निवेदन करने दो। जैसलमेर वैसे भी टेल में है। टेल की समस्या यहां नहीं पहुंचेगी तो क्षेत्रफल में बहुत पीछे रह जाएंगे।

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उन जी.एल.आर. को पानी से जोड़ा जाए। साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारी नहर पहुंची है, उसके हर माइनर और हर डिस्ट्रिब्यूटरी के टेल पर जो सीमा पर है, वहां पानी के सर्वे में यह बताया गया है कि पानी बहुत मात्रा में यहां मिलेगा। मेरा निवेदन है कि अभी पानी की समस्या है, नहर में पानी नहीं है और नहर के किनारे के वासी जो वहां पर बैठे हैं, वे पानी के लिए बिलख रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, बी.ए.डी.पी. का बजट है इसके अलावा विभाग के द्वारा और भी बजट भिजवाया जाए ताकि सीमा क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं और जो लोग टेल पर रहते हैं, वहां ट्यूबवैल खुदवाये जाएं क्योंकि वहां बहुत मात्रा में पानी है। माननीय मंत्री महोदय, इसको दिमाग में रखा जाए क्योंकि कई ऐसी माइनरें हैं जो बार्डर में हैं और वहां मवेशी पालक रहते हैं, उन मवेशीपालकों को वहां चारा भी मिल सकता है। यदि वहां पानी की सुविधा नहीं है तो मेरा निवेदन है कि वहां ट्यूबवैल खुदवाकर, जी.एल.आर. बनवाकर, पशु खेली बनवाई जाए, ताकि पशु भी पानी पी सकें और वहां के निवासी जो

(श्री छोटू सिंह भाटी)

नहरों में रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में यदि नहर में कभी पानी नहीं भी आए तो वहां पानी मिल जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा मेरा निवेदन है पानी के स्टोरेज के बारे में। नरेगा योजना के अन्दर टांके बनवाये जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि टांका हर परिवार को दिया जाए। स्कूलों में बनवाये जाएं। स्कूलों के ग्राउंड में बनवाये जाएं जिससे बरसाती पानी का वहां कलेक्शन हो सकें और वे टांके भर जाएं।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं बिजली विभाग से, माननीय मंत्री महोदय, बिजली जैसलमेर जिला इतनी पैदा करता है कि दूसरे जिलों की भी भरपाई करते हैं। लेकिन जिस घर में खेती और अनाज पैदा होता है, उस घर का किसान ही भूखा रहता है। हमारे को तो केवल पांच-छह घंटे लाइट दी जा रही है। कृषि विभाग के जो कनेक्शन हैं, उसके साथ में हमारे ट्यूबवैल के पेयजल के कनेक्शन हैं। पेयजल ट्यूबवैलों के कनेक्शन साथ में होने से हमें चार घंटे ही लाइट मिलती है और दस किलोमीटर दूरी होने के कारण हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में जी.एल.आर. में पानी नहीं पहुंच पाता। मेरा निवेदन है, उन कृषि कनेक्शनों का अलग कनेक्शन किया जाए और पेयजल योजना के जो भी ट्यूबवैल हैं उनको 24 घंटे लाइट देने की व्यवस्था करवाई जाए। साथ में, पवन ऊर्जा में खूब लाइट देते हैं, उसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन पवन ऊर्जा की लापरवाही है। पवन ऊर्जा में जो रोड बनाते हैं और जो लाइट कनेक्शन ले रहे हैं, वे इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि लाइट लूज है और पर्याप्त मात्रा में उसकी ऊंचाई भी नहीं है। दूसरी जो रोड बनाते हैं, जो खड़ीन एरिये में पंखे लगते हैं, रोड के आगे, उनके पानी की निकासी बंद हो जाती है और न खडीन में पानी आता है। मोर्रम से इतने खड्डे कर देते हैं, इन खड्डों में पानी भर जाता है, इससे जो आगोर होता है, वह बंद हो जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): इसके साथ में, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से कि आपके द्वारा हमारे पशु शिविर खुलवाये गये, लेकिन फिर भी कई गांवों में अभी तक पशु शिविर नहीं खुले हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं की गणना के हिसाब से प्रत्येक गांव में पशु शिविर खुल जाए। दूसरा, मैं

(श्री छोटू सिंह भाटी)

स्वागत करना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने अभी फर्माया था कि यदि पशु शिविर नहीं खोलकर पशुपालक को वह अनुदान दिया जाये तो पशुओं को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। पशुपालक को यदि 20 रुपये मिलते हैं तो वह कैसे भी कम-ज्यादा करके अपने पशुओं को बचा सकता है। माननीय मंत्री महोदय ने जो फर्माया था, मैं उसका स्वागत करता हूं कि पशुपालकों को ही यह अनुदान सीधा दिया जाए। इससे पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकता है। ऐसा कोई पशुपालक नहीं है जो पशुओं का पैसा खुद खा जाएगा और अपने पशुओं को नहीं बचाएगा। मेरी विचारधारा यह है कि पशुपालकों को ही यह अनुदान दिया जाए जिससे कि पशुपालक आराम से अपने पशुओं को बचा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): एक मिनट। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पानी की कोई कमी नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र में पानी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस क्षेत्र में ट्यूबवैल लगाये जाएं। ट्यूबवैल लगाने से वहां सेवण के भंडार हैं, अकाल में उन ट्यूबवैलों से सेवण भी पक सकती है, क्योंकि सेवण के बीज की कोई कमी नहीं, क्षेत्र की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं और चरने वाले पशुओं की कमी नहीं। सेवण घास पैदा हो जाएगी जिससे अकाल का मुकाबला हम जैसलमेरवासी कर सकते हैं। साथ में मेरा थोड़ा-सा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): आधा मिनट। मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति सम में हमारा पूरा क्षेत्र आता है, लोग खारा और फ्लोराइड का पानी पीते हैं। सम के पास में गडरा रोड तक नहर आती है, यदि उस नहर से पाइप लाइन पूरी पंचायत समिति क्षेत्र में दी जाए तो वहां पर पानी की समस्या का निस्तारण हो जाएगा, खारे पानी का निस्तारण हो जाएगा। मेरा निवेदन है, सम के पास से जो नहर चलती है, पूरे पंचायत समिति क्षेत्र से वह मिलती हुई आती है, उससे जैसे सम है, किलोई है, बीदा है, नीमा है, ऐसे कम से

(श्री छोटू सिंह भाटी)

कम सौ गांव है, उनसे होकर पाइप लाइन चली जाए तो वहां की समस्या का निस्तारण हो जाएगा और पाइप लाइन से उनको मीठा पानी मिल जाएगा। इसी के साथ में आपने समय दिया, इसके लिये, माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती ममता भूपेश (अनुपस्थित)। श्री जाकिर हुसैन (अनुपस्थित)। श्री पानाचन्द जी मेघवाल।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। पानी के लिये चाहे कवियों की बात करो, वैज्ञानिकों की बात करो चाहे राजनेताओं की बात करो, सभी ने इस बिन्दु पर महत्व दिया है। जो हमारे रहिमन कवि थे, उन्होंने लिखा है – 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून।' यानि उस समय भी पानी की कीमत को पहचाना गया था। उसके बाद विज्ञान द्वारा कहा गया कि जल ही जीवन है। शरीर जो पंचतत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसमें जल भी एक तत्व होता है। सम्माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी जब 1998 में राजस्थान के मुख्य मंत्री बने थे, उन्होंने दस साल पहले इस बात को सोचा था कि आने वाले समय में राजस्थान में पानी के लिये एक जंग होगी। इसलिये उन्होंने एक नारा दिया था, 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ।' आज हम पर्यावरण की बात करते हैं कि पृथ्वी पर 75 प्रतिशत पानी है लेकिन पीने के लिये मात्र एक प्रतिशत पानी है। चाहे उसको पीने के लिये लीजिये, चाहे एग्रीकल्चर के लिये लीजिये, पशुओं के लिये लीजिये, चाहे पक्षियों के लिये लीजिये, चाहे जीव-जन्तुओं के लिये लीजिये, चाहे अन्य प्राणियों के लिये लीजिये, मात्र एक प्रतिशत पानी ही उपयोग योग्य है, बाकी 74 प्रतिशत पानी अनुपयोगी है।

हम अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन आज पूरा विश्व पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहा है चाहे पंजाब की बात कीजिये, मध्य प्रदेश की बात कीजिये, गुजरात की बात कीजिये। हम सभी को इस सदन में बैठकर मंथन करना होगा, जो बरसात के समय पानी बरसता है, आप पिछले रिकार्ड को उठाकर देखिये, उसका औसत वही का वही निकल रहा है, लेकिन पानी कम समय में बहकर ज्यादा निकल रहा है। मैं जिस जिले और विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं, मेरा जिला बारां जिला है जो

(श्री पानाचन्द)

राजस्थान के सबसे सम्पन्न और धनाढ्य जिलों की गिनती में आता है। वहां पर बड़ी-बड़ी नदियां हैं चाहे कालीसिंध की बात कीजिये, परवन की बात कीजिये, पार्वती की बात कीजिये। पानी बहकर निकल जाता है लेकिन वहां से जो जन प्रतिनिधि चुनकर आते थे, उन्होंने अभी तक इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। आज वहां पर एनीकट होते, बड़े-बड़े डैम होते तो हमारा किसान खुशहाल होता और वहां की जनता को पानी के लिये त्राहि-त्राहि नहीं करना पड़ता। वहां की जो जलवायु है, उस जलवायु के तहत वहां के किसानों को फसलें पैदा करनी चाहिये थीं- गेहूं, सरसों, धनिया, अफीम, लहसुन, दाल, ज्वार, मक्का, चना, मूंग, मेथी। बहुत सारी फसलें वहां पर पैदा होती हैं, लेकिन इतनी सारी चीजों के बाद भी सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया।

पेयजल की मूलभूत समस्या है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज के समय में 700 से 800 फीट की गहराई पर भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मेरे अटरू क्षेत्र की पापुलेशन 40 हजार के ऊपर है। वहां पर 30 ट्यूबवैल सरकार द्वारा लगाये गये हैं, उनमें से मात्र तीन ट्यूबवैल आज के समय में कार्य कर रहे हैं, 27 ट्यूबवैल नाकारा हो चुके हैं। आज 100 टैंकरों के माध्यम से अटरू-केलगंज की जनता को पानी पिलाया जा रहा है। लेकिन यह कोई स्थाई समाधान नहीं है। पास में दो-तीन किलोमीटर पर बड़ी-बड़ी नदियां निकली हुई हैं, अगर वहां पर चैक डैम बनाकर पाइप लाइन से पानी दिया जाए तो उसका स्थाई समाधान हो सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दूसरी तहसील आती है बारां जिला मुख्यालय, लेकिन वहां पर पीने का पानी फ्लोराइडयुक्त निकलता है। वहां पर परवन और पार्वती नदी पर छोटा एनीकट बनाकर समस्या से कुछ निजात पाई है, लेकिन स्थाई समाधान जब तक डैम नहीं बनाया जाएगा, तब तक नहीं होगा।

रीको ने एक पाइप लाइन जोड़ रखी है बारां शहर में औद्योगिक क्षेत्र के लिये, वह दो-तीन गांवों को टचिंग करती निकलती है। वहां पर पानी फ्लोराइड युक्त है और पीने के लिये नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस पाइप लाइन से कुछ कनेक्शन कर एक स्टोरेज टैंक बनाकर उसमें पानी डाला जाए ताकि लोग वहां पर मीठा पानी प्राप्त कर सकें।

बिजली और पानी का एक-दूसरे से चोली-दामन का साथ होता है। राजस्थान की ज्यादातर जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और पानी और

(श्री पानाचन्द)

बिजली की जो समस्या है वह भी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से ही जुडी हुई है। शहरी क्षेत्र में हम पानी पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, बिजली पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन बिल शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बराबर मात्रा में ले रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने भी हमको वोट दिये हैं और शहरी क्षेत्र की जनता ने भी वोट देकर हम लोगों को यहां पर चुनकर भेजा है इसलिए सभी को समानता का अधिकार है। जो चीज शहरी क्षेत्र की जनता को मिलती है वह चीज ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी मिलनी चाहिए।

जलदाय विभाग में वर्षों पहले भर्ती हुई थी, आज भी वहां वही स्टाफ काम कर रहा है, साठ-साल की उम्र के बाद पेंशन हो जाती है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सौ गांव आते हैं और वहां हैण्ड पम्प मिस्त्री हैं केवल सात, वे पूरे तीन सौ गांवों के हैण्ड पम्प्स को नहीं सुधार सकते। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हैण्ड पम्प्स की मरम्मत का अभियान चलता है, उस समय संविदा पर लें या नरेगा के माध्यम से लें या समर कंटिंजेंसी के माध्यम से लें, लेकिन मजदूरों को ठेका पद्धति पर लेकर हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान को तीव्र गति से करवाया जाए।

मेरा दूसरा बिन्दु है, नरेगा के तहत, अकाल राहत के तहत ग्रामीण क्षेत्र में चाहे वह चरागाह की बात हो, फोरेस्ट की बात हो, जगह-जगह तालाबों का निर्माण करवाया गया था लेकिन उनमें स्टोरेशन की कमी रही। बरसात का पानी आया और उन तालाबों को तोड़ दिया गया। मैं अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन तालाबों का निरीक्षण करवाया जाए। जिन तालाबों में पानी रुकने की क्षमता है, उनके एस्टीमेट्स बनवाये जाएं। पानी यदि रुकेगा तो अपने आप जल स्तर ऊपर होगा और जल स्तर ऊपर होगा तो जो राजस्थान की जनता पेयजल की समस्या से जूझ रही है, उससे निजात मिल पाएगी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया। जय हिन्द।

श्री सभापति: सदन की बैठक बुधवार दिनांक 31 मार्च, 2010 के प्रात: ...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, अभी तो 11 बजने में आठ मिनट कम हैं, अभी एक का हो जाएगा।

एक माननीय सदस्य: पांच-पांच मिनट दे दो, सर।

श्री सभापति: बस पांच मिनट। श्री बोहरा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापतिजी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जो कि यू पी और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मेरे जुड़े हुए क्षेत्र यू पी में चम्बल से पानी उठाकर कैनालों से काश्तकरों को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। बगल में मध्य प्रदेश में भी कैनालों द्वारा चम्बल का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि तीन दशक से लम्बित चम्बल लिफ्ट कैनाल परियोजना भारत सरकार में पर्यावरण मंत्रालय में अटकी पड़ी हुई है और उसका धणी-धोरी कोई राजस्थान सरकार में नहीं है। यह प्रतिवेदन मैंने देखा, इसके पेज 31 पर धौलपुर का नाम है, धौलपुर लिफ्ट और धौलपुर बैराज आन चम्बल रिवर, धौलपुर, बजट में एक-एक हजार रुपया इसके लिए प्रपोज किया गया है। वह भी खर्च नहीं हुआ है, सरकार ने एक हजार रुपया बचा लिया। राजस्थान में एक तो जयपुर है कैपिटल जिसको राजधानी कहत हैं, एक सुपर कैपिटल है जोधपुर और अब एक एडिशनल कैपिटल बन गयी भीलवाड़ा। जयपुर के लिए पानी लाने की बात हो रही है चम्बल से, भीलवाड़ा ले जाया जा रहा है और हमारे धौलपुर से भरतपुर का पानी भेजा जा रहा है। तो धौलपुर के लिए पर्यावरण का क्या अलग कायदा है? भरतपुर के लिए अलग है? भीलवाड़ा के लिए अलग है? आखिर हम भी इस राजस्थान के ही रहने वाले लोग हैं। हमारा भी तो कोई धणी-धोरी होगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कुछ तो आप पसीजिए, वर्ना हमारी बद दुआएं आपको लगेंगी, क्या फायदा है।

मान्यवर, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख है कि राजस्थान की जनता दो सौ लोगों को चुनकर भेज रही है, लेकिन हमारे मंत्रिमण्डल में बैठे हुए लोग, चाहे वे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे बी जे पी के विधायक हों, इतना उचित नहीं समझते कि आप अपने बजट के प्रपोजल लाने से पहले अपने इन साथियों से, पक्ष के और विपक्ष के, जिलेवार बैठकर बैठक कर लें, योजनाओं पर बात कर लें। क्या हम आपको गलत राय देंगे? नीचे से जो प्रपोजल बनकर आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भेजते हैं, टैक्नोक्रेट्स भेजते हैं, उनमें आपको कोई खामी नजर नहीं आती और यही कारण है कि फ्लोर आफ दि हाउस पर, चाहे वे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बी जे पी के लोग हों, आपको उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

है। हम आपके साथ हैं, आप हम में से बने हो। हम हैं तो आप हो और हम यह चाहते हैं कि आप हमारी राय लें। अगर उसके अन्दर कोई मैरिट है, उस मैरिट को उन ब्यूरोक्रेट्स, टैक्नोक्रेट्स के सामने रखें। अगर इस तरीके से आप राज को चलाओगे तो राज्य की जनता आपसे और हमसे जो अपेक्षा करती है, उसे पूरा करने में आपको काफी सहयोग मिलेगा।

मान्यवर, आजादी के 62 साल बाद भी हम अगर जिलेवार अपनी परेशानियों को इंगित नहीं कर सकें, कितने दुर्भाग्य की बात है। अगर योजना नीचे से बनकर आती है, जन प्रतिनिधियों के मार्फत बनकर आती है तो उसके अन्दर सार होगा। वर्ना अरबों और खरबों रुपये खर्च करते रहिए, तरह-तरह के लांछन लगते रहेंगे और जिस प्रकार के रिजल्ट आप चाहते हो, वे कभी नहीं आएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि इस हाउस में आये दिन ऊधम होते हैं, हम एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं। मैं उस पार बैठे हुए साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी और हमारी एक जाति है, हम आपसे में लड़ रहे हैं और उधर बैठे हुए लोग हम पर हंस रहे हैं। उधर बैठे हुए लोग, समझ लीजिए, ये किसी के नहीं हैं। आप आज सरकार में हैं तो ये आपके हैं और हमारी सरकार होगी तो हमारे हो जाएंगे। ये आपको अंगुलियों पर नचा रहे हैं। इतने दिन के बाद भी अगर आप इस महरम को नहीं समझे तो आप जानें आपका काम। कल हम उधर थे, आज इधर हैं। यदि आप नहीं समझोगे तो हम उधर होंगे और आप इधर होंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्य में पेयजल, अकाल और बिजली की स्थिति पर विचार

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, इसके बाद मैं अपनी राजाखेड़ा कांस्टीट्युएंसी की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, जैसलमेर

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

और बाड़मेर के अन्दर छोटे-छोटे बच्चे यह नहीं जानते थे कि बारिश किस चिड़िया का नाम है और आज वहां पर बाढ़ आती है, तेल निकल आया। ईश्वर की मेहरबानी हो गयी। और हमारी स्थिति यह है कि हम आज अकाल में हैं। हमारे यहां मुख्य फसल रबी में होती है खरीफ में नहीं, लेकिन राजस्थान के अन्दर सम्वत् खरीफ की फसल से माना जाता है। मेरे यहां अगर किसी के पास दस बीघा जमीन है तो वह तीन बीघा के अन्दर बाजरा करता है। वह इसलिए करता है कि पशुओं के लिए चारा हो जाएगा और अगली फसल के लिए उसके पास लागत निकल आएगी। जब गिरदावरी होती है तो उस बाजरे की फसल के आधार पर सम्वत् को अच्छा या बुरा, अकाल और सुकाल में लिखा जाता है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि पानी हो या नहीं हो, फसल रबी की बर्बाद हो परन्तु हम तो सुकाल में ही रहेंगे। धौलपुर का कभी नाम नहीं आएगा कि इसके अन्दर अकाल पड़ा है या अकाल राहत की आवश्यकता है। (व्यवधान) समझा नहीं, सर।

(समय : 23.00 बजे)

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): आप भाग्यशाली हो जो अकाल में नहीं हो।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): भाग्यशाली नहीं हैं, मंत्री महोदय, बात यह है कि हमारे यहां मुख्य फसल नहीं है बाजरे की। सारे वैस्टर्न राजस्थान के अन्दर बाजरे की फसल मुख्य थी, आप बाजरा ही खाते थे और हम गेहूं खाते थे, पर आज बाजरे वालों ने गेहूं वालों को पीस कर रख दिया। अब आपके यहां गेहूं होता है, हमारे यहां तो दो-दो, तीन-तीन बीघे में गेहूं करते हैं लोग, पानी नहीं है।

चम्बल की जहां तक स्थिति है, मेहरबानी करके इसको देखिये। हमारे पास चम्बल के अलावा कोई पानी का सोर्स नहीं है, समय रहते हुए इसका निदान कीजिए। दिल्ली में आपने लटका रखी है, अब तो आपकी सरकार दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है, मेहरबानी करें, मंत्री महोदय। आप तो एक यशस्वी पिता के पुत्र हैं, उनके मान को रखिये, आंख मत मिचकाइये चम्बल की तरफ, धौलपुर की तरफ। आप बात मीठी करते हो, बहुत अच्छे मित्र हो, लेकिन इस मामले में आप पूरे +++ हो। वादा नहीं निभा रहे हो आप। चुनाव के घोषणा पत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया था कि धौलपुर जिले के

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

अन्दर लिफ्ट परियोजना को लागू किया जाएगा, पिछला बजट निकल गया, यह बजट निकल गया, हमारा नाम कहीं नहीं है, मुझे मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी दिल्ली में भी बहुत कारगर हैं बशर्ते कि आप हमारी तरफ देखो, वोटों पर न देखो। वोट तो आती और जाती चीजें हैं लेकिन जनता स्थायी है।

दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे यहां हैण्डपम्पों की स्थिति यह है कि मेरे खुद के क्षेत्र में 1100 हैण्डपम्प की डिमाण्ड लोगों ने की है। इस कार्यकाल में तो मैं 1100 हैण्डपम्प लगा नहीं पाऊंगा। कहने का आशय केवल इतना-सा है कि पानी की मारामारी बहुत है, बहुत तकलीफ है। पानी निरन्तर नीचे जा रहा है और जब तक आप (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, जिले से अकेला बोलने वाला हूं, भूखा जिला है, पिछड़ा जिला है, आप तो दयावान बनिये।

तो मेहरबानी करके जिलों का वर्गीकरण करें, किन जिलों के अन्दर हैण्डपम्प की ज्यादा जरूरत है, इसका थोड़ा-सा समुचित प्रबन्ध करने की चेष्ट करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक-एक पंचायत समिति के अन्दर हैण्डपम्प ठीक करने वाले मिस्त्री कहीं 30 हैं, कहीं 25 हैं, हजारों की संख्या में हैण्डपम्प लगे हुए हैं, वो ठीक नहीं कर सकते। माननीय मंत्रीजी, आप को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैंने खत लिखा था कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम दस बेरोजगार युवकों को हैण्डपम्प मिस्त्रियों का प्रशिक्षण दिलवा दीजिए और रिपेयरिंग के काम में उनको नरेगा से मजदूरी दिलवा दीजिए, यह जो तकलीफ है रिपेयरिंग की, काफी हद तक इससे सुलट जाएगी। ऐसा मुझे ध्यान है कि शायद आपने भी मुझे एक्नालेज किया था उस लैटर को, लेकिन आज तक उस बारे में क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं।

ड्रिंकिंग वाटर की रीजनल स्कीम, माननीय मंत्रीजी, मेरी तरफ मुखातिब हों, रीजनल स्कीम में करोड़ों रुपया लगा हुआ है। लेकिन जितनी रीजनल स्कीम हैं, कहीं तो बिजली की मोटर जली हुई है, कहीं पाइप लाइन फटी हुई है और कहीं अधूरे काम पड़े हुए हैं उसकी वजह से भी वो काम नहीं कर रहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि इन रीजनल स्कीम्स को एक-एक करके भी आप ठीक कराएंगे तो काफी हद तक हैण्डपम्प से निजात मिलेगी, लोगों को पानी मिल जाएगा।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

इसके अलावा एक बात बताना चाहता हूं कि सरकारी हैण्डपम्पों के अन्दर असरदार लोगों ने राजनीतिक संरक्षण की वजह से अपनी मोटरें लगा ली हैं जिसका वो बिल भी नहीं भरते हैं और उन सब मोटरों से अपनी काश्त और अपने घर का पानी भर रहे हैं। कई बार एक्स.ईएन. को और कलक्टर को मैंने इसके बारे में बताया लेकिन मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि अभी तक उन असरदार लोगों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही धौलपुर प्रशासन ने नहीं की है।

समस्याएं बहुत हैं, समय कम है इसलिए मैं अपनी बात छोटी कर रहा हूं। माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि दो सब ग्रिड स्टेशन बनने थे हमारे, एक अम्बीका और एक नदोरा, आज करीब-करीब पांच साल हो गये हैं, बावजूद इसके कि सी.एम.डी. महोदय ने मेरी प्रार्थना पर हमेशा कोशिश की लेकिन कोई न कोई कारण से वो अभी तक अधूरे हैं, उन्हें पूरा कराने का कृपया कष्ट करें, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

दूसरी बात, धौलपुर जिले के अन्दर विशेष तौर पर मेरी पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर ट्रांसफार्मर्स की, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स की बहुत ही कमी है। आये दिन प्रदर्शन होते हैं, आये दिन लोगों में लड़ाई होती है, दफ्तर के आगे बदमाशी होती है, कृपा करके इस ओर भी कुछ करने की चेष्टा करें।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का हाल...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, सम-अप करो आप।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): दो मिनट में, सर, इससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं।

ठेकेदार ने सब ठेकेदार और सब ठेकेदार ने और सब ठेकेदार बना दिये हैं, बावजूद सी.एम.डी. के डंडे के अभी तक स्थिति खराब है। एक डी-कंट्रोल नाम की कम्पनी है जिसका ठेकेदार टेलीफोन, मोबाइल नहीं उठाता। हमारे यहां कनेक्शन के ऊपर वो पैसा उठा रहे हैं, उगा रहे हैं, बदनामी सरकार की हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सरकार की बदनामी को रोकेंगे और उसके खिलाफ वाजिब कार्यवाही करेंगे ताकि समय रहते हुए ग्रामीणों को, गरीब लोगों को कनेक्शन मिल सकें। आपको बहुत-बहुत सादर आभार, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री मदन प्रजापत। (अनुपस्थित)। श्री मदनलाल वर्मा। (अनुपस्थित) श्री प्रदीप कुमार सिंह।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आज बिजली, पानी और अकाल पर चर्चा हेतु आपसे मुखातिब हूं। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कल एम.एल.ए. लैड को एक करोड़ करते हुए 20 लाख रुपये पेयजल के लिए खर्च करने का प्रावधान किया। मैं मेरे पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, और कोई भूमिका नहीं बांधते हुए मैं सीधा अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र माण्डलगढ़ में मोहनपुरा और गेणोली ऐसी पंचायतें हैं जहां पर आज की तारीख में सारे स्रोत सूख चुके हैं, न हैण्डपम्प चल रहे हैं, न ट्यूबवैल चल रहे हैं, न कोई योजनाएं चल पा रही हैं। जितना ट्यूबवैल खोदा जा रहा है वह सब ड्राई जा रहा है। वहां पास में जैतपुरा डैम जो अभी भी 80 एम.सी.एफ.टी. पानी लिये हुए है और उस पानी को रिजर्व भी किया हुआ है, मैं चाहता हूं, स्थायी समाधान के लिए जैतपुरा बांध से एक रीजनल स्कीम बना कर इन दोनों पंचायतों के गांवों को जोड़ा जाए ताकि हमेशा-हमेशा के लिए इन गांवों के लोगों को पानी मिल सके।

इसी तरह उपरमाल का प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है जहां रीजनल स्कीम बना कर 40 गांवों को पचानपुरा और मण्डोल बांध से जोड़ा हुआ है। लेकिन उसी क्षेत्र के तीन बड़े गांव और हैं जहां खनन क्षेत्र की बड़ी आबादी रहती है, आरोली, रसदपुरा और चितापुरा, जहां पर गरीब लोग निवास करते हैं। एक गांव तो पूरा कंजरों का गांव है, वहां भी आज की तारीख में कोई पानी का स्रोत शेष नहीं बचा है। कई बार पी.एच.ई.डी. से नये-नये ट्यूबवैल सैंक्शन हुए लेकिन सारे के सारे आज ड्राई हैं इसलिए पेयजल के स्थायी समाधान के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पचानपुरा बांध से पाइप लाइन डाल कर इन गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाए। यद्यपि आरोली तक पच्याणपुरा बांध की पाइप लाइन डली हुई है लेकिन पिछले पन्द्रह वर्षों से इस पाइप लाइन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं किया गया है। इसलिए उन गांवों को इस योजना से जोड़ा जाए। इसी प्रकार एक बड़ा पंचायत मुख्यालय है जिसकी आबादी 2500 के आस-पास है,

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

इस पंचायत मुख्यालय को अभी तक केवल हैण्ड पम्प योजना से जोड़ा गया है जबकि 1500 से ऊपर वाले गांवों को जी एल आर स्कीम से जोड़ा जाना चाहिए। यह विभाग की त्रुटि रही है । मेरा निवेदन है कि इस पंचायत मुख्यालय को भी जी एल आर योजना से कनैक्ट किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में आज जो विकट पानी की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में भी मैं निवेदन करना अपना दायित्व समझता हूं। माण्ड्लगढ़ से सात किलोमीटर की दूरी पर गोवटा बांध है जहां से भीलवाड़ा साठ किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है। गोवटा बांध का पानी रिजर्व करा कर भीलवाड़ा के लिए वहां से टैंकर सप्लाई किये जा रहे हैं, टैंकरों से पानी भीलवाड़ा को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ का मुख्यालय, वहां पर आज साठ घण्टे बाद में, कभी सत्तर घण्टे बाद में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, वहां सारे सोर्स ड्राई हो चुके हैं। त्रिवेणी नदी पर पी एच ई डी द्वारा एक एनीकट बनाया गया था, उस एनीकट में केवल तीन एम सी एफ टी पानी अगर गोवटा बांध से छोड़ दिया जाए जो कैनाल के जरिए जाएगा, नदी भर के अगर वह एनीकट भर दिया जाता है तो माण्डलगढ़ और बीगोद जो दस हजार की आबादी से अधिक आबादी के गांव हैं, दोनों सोर्स ड्राई हो चुके हैं, दोनों कस्बों की समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा ये दोनों गांव मई के महीने में सड़कों पर आ जाएंगे और सरकार के लिए वहां की स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। अन्यथा वहां जो हमारे टैंक बने हुए हैं उनको गोवटा बांध से टैंकरों से भरा जाए और उस कस्बे की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माण्डलगढ़ की समस्या का अगर हमेशा के लिए हम समाधान चाहते हैं तो वहां एक देव तालाब प्राचीन काल में बना था, वह फूट गया है, अगर वह तालाब भरा रहे तो माण्डलगढ़ का कोई भी सोर्स ड्राई नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि किसी भी योजना में उस देव तालाब की मरम्मत कराई जाए। छोटे-से अमाउंट से उस देव तालाब की मरम्मत हो जाएगी और माण्डलगढ़ की पेयजल समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा। हम जब तक पानी रीचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हम ट्यूबवैल और हैण्डपम्प खोदते जाएं लेकिन पानी की समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो सकता।

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस देव तालाब की मरम्मत कराई जाए।

इसी तरह से मैं बीगोद कस्बे की स्कीम का जिक्र कर रहा था। बीगोद भी दस हजार से अधिक की आबादी का कस्बा है, वह भी त्रिवेणी नदी की वजह से सूख गया। वहां जो स्कीम 1970-71 में लागू हुई थी, तब वहां की आबादी कम थी। आज आबादी का प्रैशर इस गांव में हो गया है, वह पाइप लाइन, वे सारी टंकियां, वह सब कुछ उस गांव के लिए कम पड़ गया है, इसलिए इस गांव की स्कीम का पुनर्गठन कराया जाए तभी जाकर यहां के लोगों को हम पेयजल उपलब्ध कराने की स्थिति में रहेंगे।

कंटिंजेंसी प्लान जो अभी सैंक्शन हुआ है भीलवाड़ा जिले में, केवल पन्द्रह लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। अगर हम हैण्डपम्प का हिसाब लगाएं तो एक-एक विधान सभा क्षेत्र में केवल पांच हैण्डपम्प उपलब्ध हो सकते हैं। जो ट्यूबवैल हमने किसी अन्य योजना में या विधायक मद से खुदवा दिये और उनमें पानी आ गया, लेकिन पाइप लाइन के अभाव में और कंटिंजेंसी में पैसा नहीं होने की वजह से उन ट्यूबवैलों को टंकियों से जोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए वहां की जनता को ट्यूबवैल में पानी होते हुए भी पानी से महरूम रहना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि कंटिंजेंसी प्लान में केवल माण्डलगढ़ के लिए पच्चीस लाख रुपये का प्रावधान कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा जैसी महती योजना चल रही है और हम केवल नाड़ियां बना करके इतिश्री करते जा रहे हैं। आपके मार्फत मेरा निवेदन कि नरेगा के माध्यम से मेरे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो वहां की लाइफ लाइन है बनास नदी, इस बनास नदी के अन्दर जगह-जगह जीरो लेवल के एनीकट बनाए जाएं। बनास नदी अगर एक बार रीचार्ज हो जाती है, बनास नदी अगर एक बार बह कर निकल जाती है तो साल भर तक हमें कहीं बाहर से पानी लाने की जरुरत नहीं पड़ती। इसलिए जगह-जगह पर प्रस्तावित जो हमारे एनीकट हैं, जीरो लेवल के एनीकट स्वीकृत कराए जाएं ताकि पानी की समस्या से हमेशा के लिए निजात पाई जा सके।

जनता जल योजना के संचालक हैं उनकी बात भी मैं आज आपके माध्यम से करना चाहूंगा। उन्हें अभी तक पांच सौ रुपये प्रति माह मिलते हैं जिससे आज किसी व्यक्ति का गुजारा सम्भव नहीं है। उन्हें उचित मानदेय

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)
दिया जाना चाहिए जिससे इन योजनाओं का सफलतापूर्वक वे संचालन कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछली सरकार ने अपने अन्तिम समय में पार्टी को आक्सीजन देने के लिए कहूं या अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए कहूं, अपने विधान सभा क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कहूं, वोट जुटाने के लिए कहूं, इस तरह की योजनाएं दीं जो योजनाएं मंजूर हुईं, उनके कई जगह कार्य प्रारम्भ हुए लेकिन वे कार्य अधूरे रह गये। ठेके हुए, ठेकेदारों ने काम किये, आज तक उन ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ, कल अखबारों में पढ़ा। एक तरफ हम ट्यूबवैल को जोड़ने के लिए पाइप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और अजमेर में पाइपों के भण्डार भरे पड़े हैं। न तो उन पाइपों का कोई उपयोग हो पा रहा, न उन पाइपों का कोई भुगतान हो पा रहा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए कि ऐसी हरकत किसके इशारे पर की गयी।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के बाद मैं विद्युत पर अपनी बात रखना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): बिलकुल समापन पर है, आधा घण्टा पूरा हो ही जाएगा।

श्री सभापति: नहीं नहीं आधा घण्टे की चिन्ता मत करो आप।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): मैं सबसे कम बोलने वाला हूं। अन्त तक इन्तजार किया है मैंने। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में माननीय विद्युत मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इनको बधाई देना चाहता हूं, कई तरह की समस्याएं विद्युत विभाग के बारे में मैं सुन रहा हूं लेकिन मेरे यहां छह घण्टे थ्री-फेस बिजली बराबर मिलती है। रात को भी एक घण्टे के लिए भी हमारे यहां बिजली नहीं जाती और दिन में भी सिंगल फेस बिजली बराबर मिलती है। इसलिए माननीय विद्युत मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन मैं एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा इनका जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 15 जी एस एस 33 के वी ए

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

के अभी स्वीकृत किये हैं। इसके लिए हम हमारे क्षेत्र की जनता की ओर से इनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हां, मेरी बात को आप लोग अन्यथा ले रहे होंगे लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नहीं है उसकी मांग करनी चाहिए, पर जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए मैं मांग भी करूंगा। मेरे क्षेत्र में भीलवाड़ा 220 के वी ए का जी एस एस है और पूरा जिला एक ही 220 के वीए के ग्रिड से चल रहा है, इसलिए माण्डलगढ़ के लिए मैं माननीय विद्युत मंत्री महोदय से आपके मार्फत मांग करूंगा कि माण्डलगढ़ में एक 220 के वी ए का जी एस एस और मंजूर करवाएं।

अकाल की स्थिति जिन कुओं की है, जिन कुओं में पानी नहीं है, पहले अशोक जी गहलोत की सरकार थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि जो कुएं सूख गये हैं उनके कनेक्शन सस्पैण्ड कर दिए जाएं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाए और जब पानी हो जाए कुओं में, उनका वापस कनेक्शन निःशुल्क कर दिया जाए। अकाल एवं आपदा प्रबन्ध मंत्री महोदय को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जितने चारा डिपो की मांग की थी, वे सब चारा डिपो सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। लेकिन एक मांग भी करूंगा। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां पर आए दिन जब फसल पकती है या खलिहानों में पड़ी होती है तो आगजनी की घटनाएं बहुत होती हैं इसलिए मेरे क्षेत्र में नगर पालिका माण्डलगढ़ को एक दमकल उपलब्ध कराई जाए। उसका सारा प्रबन्धन, उसका सारा मैनेजमेंट नगरपालिका माण्डलगढ़ कर देगी, उसका प्रस्ताव मैंने माननीय मंत्री महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया है, इसलिए आपसे मेरा आग्रह है। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे समय दिया इसके लिये आपका आभारी हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल गर्ग। माननीय सदस्य, पांच मिनट में।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): कल के लिये रख लो न, साहब। माननीय सभापति जी, बिलकुल मैं मेरी डिमाण्ड पर ही सीधा बोलूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में माकला और दांतवाड़ा से बिलाड़ा, पीपाड़ नगरपालिका सहित 119 गांवों को पेयजल की योजना गत वसुन्धरा राजे सरकार में स्वीकृत की गयी थी, उस पर बजट भी दिया गया था, लेकिन वह

(श्री अर्जुन लाल)

आज की तारीख में बिलकुल मंथर गति से चल रही है। सदन के नेता और मुख्य मंत्रीजी, जब गृह मंत्री थे तब बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के रणसी गांव से लगभग 34 ट्यूबवैल खोदकर जोधपुर शहर को निरन्तर तीन साल तक पानी दिया गया था। उस जल दोहन से आज बिलाड़ा की स्थिति यह हो गयी है कि वह खुद पीने के पानी के लिये मोहताज हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि यह योजना जो मंथर गति से चल रही है, इसको द्रुत गति दी जाए। अब कंटिंजेंसी के तहत पीपाड़ शहर को इन्द्रोका, मांडला और खानका परियोजना से जोड़कर पानी दिया जा रहा है तो लोगों में यह शंका पैदा हो गयी कि शायद अब यह योजना खटाई में पड़ जाएगी।

एक 2004 के अन्दर स्वीकृत थी टोडी-भटिंडा योजना। उसमें पाइप खरीद लिये गये थे, टेण्डर हो गये थे, सिर्फ पानी की सप्लाई देनी थी। आज की तारीख में वे पाइप वहां से उठाये जा रहे हैं, पता नहीं कहां ले जा रहे हैं और उस योजना को खटाई में डाल दिया गया है।

संगरिया से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया था कि जसवन्त सागर मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है जिसमें पेटी के अन्दर सैकड़ों ट्यूबवैल खोलकर उसको छलनी की तरह कर दिया गया है। उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय हो चुका है कि यहां से जिन ट्यूबवैल्स का विद्युतीकरण किया गया है, उसको काट दिया जाए। इन बोरिंग को वापस बंद किया जाए तथा इसके पांच सौ फीट की पैरीफेरी में कोई भी ट्यूबवैल नहीं खोदा जाएगा। विद्युतीकरण जो किया गया है उसको तो काट दिया गया है लेकिन उसके बावजूद अभी तक ट्यूबवैल जो अन्दर थे, उनको बंद नहीं किया गया है, जिसके कारण जब भी बरसात आती है, बांध भरा जाता है तो वह का सारा बांध का पानी 48 से 72 घण्टे के अन्दर खाली हो जाता है। हालांकि गत 2007 की बाढ़ में जसवन्त सागर बांध टूट गया था। उसके बाद दो बार बाढ़ आयी तो सारा पानी व्यर्थ चला गया। अब तो उसकी मरम्मत की है लेकिन करीब दो हजार फीट की लम्बाई का उसका बायां भाग कच्चा रह गया है, उसको इस बजट में नहीं लिया गया है। मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि उस पर पुनर्विचार करें।

गत वर्ष कंटिंजेंसी प्लान के तहत हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल का जो

(श्री अर्जुन लाल)

मसला था, मंत्री महोदय से बार-बार हमने मांग की लेकिन इन्होंने एक भी हैण्ड पम्प या ट्यूबवैल विधान सभा क्षेत्र में नहीं दिया है। इसलिये मैं मांग करता हूं ...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सदस्य जी, पीपाड़ को हम पानी पहुंचा रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): पीपाड़ को अभी पहुंचा नहीं। वही तो हमें शंका हो रही है कि कहीं उस योजना को तो आप खटाई में तो नहीं डाल दोगे। कंटिंजेंसी में मात्र एक पीपाड़ को देकर, पूरा विधान सभा क्षेत्र को नहीं रोक सकते हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): कंटिंजेंसी में नहीं, वह एक टैम्परेरी व्यवस्था थी कि आने वाले समय में पीपाड़ के अन्दर पानी की भयंकर समस्या होगी गर्मी के अन्दर।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): नहीं भयंकर समस्या पीपाड़ में ही नहीं, पूरे विधान सभा क्षेत्र में है अभी।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): जब माणकलाव वाली स्कीम चलेगी तब उसको कर देंगे हम परमानेंट।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हां तो उसके लिये मैं आपसे..

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हां तो उसका धन्यवाद तो दे दो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): निवेदन करता हूं कि हमारे विधायक कोष का सारा का सारा पैसा पूरे एक करोड़ ही आपको दे देते हैं लेकिन हमारी जो यह योजना है, इसको आप द्रुत गति देकर पेयजल उपलब्ध करवाएं।

ओवरहैड टैंक जो क्षतिग्रस्त हैं, कोई घटना नहीं घट जाए। आपके पास भी उनकी रिपोर्ट आ चुकी है गवर्नमेंट तक। जैसे खारिया मीठापुर में है, आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। उसको गिराकर वापस नया ओवरहैड टैंक बनवाएं। एक ओवर हैडटैंक करीब 7-8 साल पहले बन चुका है पीतावास के अन्दर, उसमें आज तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। उसमें भी पानी की सप्लाई के लिये कोई व्यवस्था की जाए।

इसके अलावा बिजली के लिये मैं ऊर्जा मंत्रीजी से विशेष तौर से मांग

(श्री अर्जुन लाल)

करूंगा कि बिलाड़ा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसमें आप साढ़े पांच से छह घण्टे की कृषि लाइट देते हैं और वह भी झटकों के साथ देते हैं। और पानी की गहराई करीब छह सौ फीट नीचे है मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था कि 20-25 यूनिट बिजली तो व्यर्थ में किसान को बिना पानी मिले ही खर्च हो जाती है। इस अकाल के समय में उनकी स्थिति ऐसी है कि वे इसका भुगतान भी नहीं कर पाते हैं। आपसे निवेदन है कि कम से कम इस अकाल के पीरियड में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के किसानों की मुफ्त बिजली की व्यवस्था करावें। दो-तीन बार आपसे यह निवेदन किया था मैंने कि अभी जो गर्मी का पीक सीजन आ रहा है और स्कूलों में एग्जाम भी चल रहे हैं, स्कूलों में सिंगल फेस की जो लाइट दी जा रही है उसमें सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कटौती की जा रही है। इसका समय आप जरूर बढ़ावें ताकि बच्चों को और गर्मी के सीजन में लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके अलावा अकाल..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट लूंगा, साहब। अकाल के लिये विशेष तौर से माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि बिलाड़ा क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं सी व डी श्रेणी की हैं...

श्री सभापति: थोड़ा जल्दी करो, माननीय सदस्य। अब सम-अप करो आप।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): बस एक मिनट में करता हूं। सी व डी श्रेणी की जो नगरपालिकाएं हैं, इनमें आप अकाल राहत करवाएं। दूसरी जगह तो कंडीशन डाल रखी है कि सौ दिन नरेगा के पूरे होंगे तब ही उनको दस दिन प्रति माह के हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। अब अप्रैल में कार्य चालू होगा, उनके सौ दिन तो होने नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की ही अकाल राहत कार्यों को गांवों में चालू करने की बिलकुल मंशा नहीं है, क्योंकि उनके सौ दिन जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक उनको आप...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि नगर पालिका क्षेत्र में तो कम से कम आप चालू कराएं। इतना कहकर मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 31 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.29 बजे 31 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर का क्रमोन्नयन

348. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला स्तरीय चिकित्सालय के मानदण्ड क्या हैं? इस हेतु कितनी भूमि, कितने आउटडोर, कितने वार्ड, कितने डाक्टर्स, कितने कर्मचारी व कितना नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर के जयपुरिया हास्पिटल को जिला स्तरीय हास्पिटल बनाये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला स्तरीय चिकित्सालय के अलग से कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं होकर स्वीकृत शैयाओं के अनुरूप स्टाफ के एवं भवन के मापदण्ड निर्धारित हैं, जिसकी छायाप्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर में 100 शैयाओं युक्त चिकित्सालय स्वीकृत है, जिसमें अन्य जिलों में 100 शैयाओं युक्त जिला स्तरिय चिकित्सालयों के अनुरूप चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। घोषणा के सन्दर्भ में उक्त चिकित्सालय में वित्तीय वर्ष 2009-2010 में ट्रोमा इकाई खोलने एवं आई.सी.यू. के सुदृढ़ीकरण करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वीकृति की छाया प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्ततु है।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम परियोजना के अन्तर्गत उक्त चिकित्सालय में उपकरण उपलब्ध करवाये गये/करवाये जा रहे हैं। उनका विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ तहसील (जोधपुर) के प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्र

349. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक जिला जोधपुर में कितने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(2) क्या तहसील शेरगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ में विचाराधीन नये आंगबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माह दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक 2009 के दौरान संचालित 11 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 406 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 180 मिनह आंगनबाड़ी केन्द्र नवीन स्वीकृत किये गये हैं। बाल विकास परियोजना/पंचायत समितिवार स्वीकृत केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

परियोजना का नाम	स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र	मिनी आंगनबाडी केन्द्र
फलौदी	32	7
शेरगढ़	31	69
जोधपुर सिटी	42	0
बाप	15	4
लूणी	40	3
बिलाड़ा	35	2
भोपालगढ़	35	5
बालेसर	22	42
मण्डोर	24	18
ऑसिया	60	14
बावडी	70	16
योग	406	180

जोधपुर जिले के लिए अभी तक 347 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 115 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु ग्राम/ढाणियों का चिन्हिकरण किया जा चुका है । शेरगढ़, बावड़ी तथा औसियों परियोजना क्षेत्रों के लिए 59 आंगनबाड़ी

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

केन्द्र एवं 65 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थान चिन्हिकरण किया जाना शेष है। बाल विकास परियोजनावार केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां । निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले 27 स्थानों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। माननीय विधायक, शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र से विभाग को शेरगढ़ क्षेत्र में आंगबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्र में उल्लेखित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। इस सूची का परीक्षण निर्धारित मानदण्डों के संदर्भ में किया जा रहा है ।

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले ग्राम/ढाणियों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति जारी कर क्रियाशील किया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर विधान सभा क्षेत्र के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

350. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में भरतपुर जिले में कितने राजस्व गांव बनाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में छोटे-छोटे नगला, छितराई आबादी व ढाणी आदि को नये राजस्व गांव बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग क्षेत्र सहित) के गांवों को नये राजस्व गांव बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने राजस्व गांव घोषित हुए एवं कितने घोषित होने शेष हैं? घोषित वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विचाराधीन राजस्व गांवों की आपतियां दूर कर इन प्रस्तावित गांवों को शीघ्र राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) सरकार द्वारा तहसील या उपखण्ड स्तर पर नये राजस्व गांवों के प्रस्ताव जमा होने के पश्चात् कितनी समय सीमा में राजस्व गांव घोषित करने का प्रावधान करने का प्रावधान है? क्या सरकार ऐसी समय सीमा का प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा भरतपुर जिले में गत पांच वर्षो में 30 नये राजस्व गांव बनाये गये हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्ल है।

(2) राज्य में सामान्य क्षेत्र में 250 की आबादी पर एवं रेगिस्तानी व अनु. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 200 की आबादी पर ग्राम/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है । इसके लिये यह आवश्यक है कि संबंधित मजरा या ढाणी मूल राजस्व ग्राम से 1 कि.मी की दूरी पर स्थित हो तथा नया राजस्व ग्राम बनाने के बाद मूल राजस्व ग्राम की आबादी सामान्य क्षेत्र में 250 तथा रेगिस्तानी व अनु. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 200 से कम नहीं रह जावे।

भरतपुर जिले के जो भी छोटे-छोटे नगला, छितराई ढाणी आदि उपरोक्त मापदण्ड पूरे करते हैं, उनको राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर 31 मार्च, 2011 के बाद नियमानुसार परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में जनगणना 2011 के प्रक्रियाधीन होने से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने को भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया हुआ है।

(3) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नगर (डीग क्षेत्र सहित) में दो नवीन राजस्व ग्राम (1) कावान का वास एवं (2) खैरपुर के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए, जिन्हें अधिसूचना क्रमांक प. 9(35)राज./1/2007 द्वारा राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है । सरकार के स्तर पर अब कोई प्रस्ताव शेष नहीं है।

(4) वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(5) इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तहसील या उपखण्ड स्तर से नये राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से राजस्व मण्डल की सिफारिश सहित राज्य सरकार को प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही यथा शीघ्र की जाती है । यह ण्क सतत प्रक्रिया है। सरकार इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार नहीं रखती है।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	नाम तहसील	नवीन घोषित ग्राम का नाम	भू.अ.नि. वृत्त	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	भरतपुर	नगला नन्दराम	पीपला	प.9(35)राज./1/07	20.90.2007
2.		नगला केवल	पीपला	प.9(35)राज./1/07	20.9.20007
3.		नगला कसोटा	कस्बा भरतपुर	प.9(35)राज./1/07	20.9.2007
4.		नगला खोहरी	चिकसाना	प.9(35)राज./1/07	20.9.2007
5.		नगला खुश्याल	चिकसाना	प.9(35)राज./1/07	20.9.2007
6.		नगला माना	जघीना	पं.9(9)राज./1/08/31	11.3.2008
7.		वसोकर	हेलक	प.9(35)राज./1/07	19.5.2009
8.		नगला बघैया	अजान	प.9(35)राज./1/07/10	4.2.2008
9.		गोलपुरा	डहरा	प.9(35)राज./1/07/10	4.2.2008
10.		लुधवाडा	डहरा	प.9(35)राज./1/07/10	4.2.2008
11.		अजयपुरा	कुम्हेर	प.9(35)राज./1/07/10	4.2.2008
12.	नदबई	नगला मिर्चुआ	पहरसर	प.9(35)राज./1/02	16.2.2006
13.		नगला धरसोनी	लखनपुर	प.9(35)राज./1/02	16.2.2006
14.		नगला बंजारा	पहरसर	प.9(35)राज./1/02	16.2.2006
15.		घेरा	कस्बा नदबई	प.9(35)राज./1/02	16.2.2006

क्र.सं.	नाम तहसील	नवीन घोषित ग्राम का नाम	भू.अ.नि. वृत्त	अधिसूचना संख्या	दिनांक
16.		विजयपुरा	लखनपुर	प.9(35)राज./1/07	20.9.2007
17.		नगला धुनई	पहरसर	प.9(35)राज./1/07	20.9.2007
18.		नगला डिप्टी	पहरसर	प.9(16)राज./1/09/22	12.6.2009
19.	डीग	कावान का वास	खोह	प.9(35)राज./1/07	20.9.2007
20.		खैरपुर	कसोट	प.9(35)राज./1/07	20.9.2007
21.	बयाना	नगला अर्जुन	समोगर	प.9(32)राज./1/02	15.2.2006
22.		भिडावली	खरेरी	प.9(32)राज./1/07/10	4.2.2008
23.	वैर	हरसुख का नगला	हलैना	प.9(9)राज./1/02	16.2.2006
24.		अजीतपुर	हलैना	प.9(35)राज./1/08/109	15.9.2008
25.	रूपवास	नगला तुला	रूदावल	प.9(48)राज./1/01	21.1.2009
26.		नगला समाहद	रूपवास	प.9(32)राज./1/02	16.2.2006
27.		चक नगला बीजा	उच्चैन	प.9(35)राज./1/07/10	20.9.2007
28.		नगला पीतू	खानुआ	प.9(35)राज./1/07/10	20.9.2007
29.		नगला बौसोली	रूदावल	प.9(35)राज./1/07/10	20.9.2007
30.		होरीपुरा	खानसूरजापुर	प.9(35)राज./1/07/10	20.9.2007

उच्च योग्यता प्राप्त विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को राजकीय सेवा में प्राथमिकता/वरीयता

351. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु क्या नियम/ मानदण्ड निर्धारित हैं और उक्त की नियुक्ति का आरक्षण कोटा कितना प्रतिशत है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में सरकार द्वारा कितनी विधवा एवं परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को राजकीय सेवा में नियुक्ति दी गई ? उक्त में से कितनी महिलाओं को नियमित वेतनमान पर एवं कितनी महिलाओं को स्थिर वेतन पर नियुक्ति दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधवा एवं परित्यक्ताओं को शिक्षा विभाग में सीधे निदेशालय से नियुक्ति देने का सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना में कितनी विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं का चयन किया गया ? विवरण मय सूची के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के चयन में उच्च योग्यता प्राप्त महिलाओं प्राप्त महिलाओं को वरीयता देने हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों से 10 प्रतिशत पद पर विधवा/विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिये आरक्षित है। उक्त 10 प्रतिशत पदों में 80 प्रतिशत विधवा तथा 20 प्रतिशत विवाह विच्छिन्न महिलाओं के नियुक्ति हेतु आरक्षित हैं। नियम/आदेशों की प्रति परिशिष्ट-क 1 से 5 संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ7 (2) डीओपी/ए।।/88 पार्ट । दिनांक 21.09.2007 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिये आरक्षित 30 प्रतिशत पदों में 05 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं के लिये आरक्षित रखने का प्रावधान है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 21.09.2007 की छाया प्रति परिशिष्ट- ख पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में विधवा/विवाह विच्छिन्न महिलाओं को स्थिर वेतनमान तथा नियत मानदेय पर प्रदत्त नियुक्तियों का विवरण इस प्रकार से है:-

वर्ष	स्थिर वेतनमान	नियत मानदेय	योग
2008-09	25	1625	1650
2009-10	01	01	02
योग	**26**	**1626**	**1652**

माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई हैं।

(3) जी नहीं। अपितु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति के चयनोपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अध्यापक पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान की जाती है।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विधवा/विवाह विच्छिन्न महिलाओं के चयन हेतु वरीयता की गणना भारांक के आधार पर की जाती है। भारांक की गणना में कक्षा 10 में प्राप्तांक प्रतिशत का 50 प्रतिशत, कक्षा 12 में प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत तथा प्रशैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत का 20 प्रतिशत अंक जोड़कर वरीयता निर्धारित किये जाने का प्रावधान है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के प्रावधानों में निर्धारित योग्यताधारक विधवा महिलाओं को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति दी जावेगी ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर नगर निगम में विकास कार्य हेतु निरस्त की गई निविदाएं

352. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्या यह सही है कि वर्ष 2008-09 व 2009-10 में नगर निगम जयपुर द्वारा विकास कार्य करवाने हेतु निविदायें जारी की गई थीं? यदि हां, तो कितनी एवं निविदा जारी करने के पश्चात् कितने कार्य निरस्त किये गये? निरस्त की गई निविदाओं के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नगर निगम जयपुर द्वारा वर्ष 2008-09 में 1711 एवं 2009-10 में 182 विकास कार्य करवाने हेतु निविदायें जारी की गयी थीं। वर्ष 2008-09 में 365 व 2009-10 में 6 निविदायें निरस्त की गयी हैं। निरस्त की गयी निविदाओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सोनू लाइम स्टोन संयंत्र जैसलमेर से प्रभावित क्षेत्रीय लोगों की स्वास्थ्य जांच

353. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में आरएसएमएम के सोनू स्थित लाइम स्टोन के संयंत्र के आसपास स्थित ग्राम जोगा, नवलसिंह की ढाणी, सेऊवा, सोनू, हेमा नेतसी तथा अन्य ढाणियों में संयंत्र चालू होने से वहां निवास कर रहे लोगों के क्षय व दमा रोग बढ़ा है ? क्या वहां निवास कर रहे लोगों की स्वास्थ्य की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समस्या के निराकरण हेतु खनिज विभाग से कब-कब पत्र व्यवहार किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु भविष्य में कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आरएसएमएम जैसलमेर के सोनू स्थित लाइम स्टोन के संयंत्र के आसपास स्थित ग्राम जोगा, नवलसिंह की ढाणी, सेऊवा, सोनू, हेमा नेतसी तथा अन्य ढाणियों में संयंत्र चालू होने से वहां निवास कर रहे लोगों में क्षय व

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

दमा रोग बढ़ नहीं रहा है । फिर भी ऐतिहात के तौर पर चिकित्सा विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य की जांच वर्ष 1995 से सप्ताह में 2 बार प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को नियमित रूप से करवाई जाती है ।

जिले में वर्ष 2005 से 2009 तक प्रति लाख जांच केसेज एवं एनएसपी (न्यू स्पुटम पाजेटीव) केसेज की सूचना परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है। जिससे स्पष्ट है कि क्षयरोग की स्थिति उक्त ग्रामों में सामान्य है।

(2) क्षेत्र में परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार क्षय एवं दमा रोग जिले के अनुपात में ही सन्दर्भित ग्रामों में है। राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड का खनिज संयंत्र राज्य के खनिज विभाग का उपक्रम है जो राज्य के निर्धारित नियमानुसार कार्य करता है। अतः पत्र व्यवहार नहीं किया गया ।

(3) जैसलमेर के आरएसएमएम (राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड) के सोलू में स्थित लाइम स्टोन के संयंत्र के आसपास के गांवों में नियमित रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ग्राम जोगा, नवलसिंह की ढाणी, सेऊवा, सोनू, हेमा नेतसी आदि गांवों में सप्ताह में दो बार सोमवार एवं बुधवार को तथा आरएसएमएम की चिकित्सा टीम द्वारा सप्ताह में तीन बार (वार निर्धारित नहीं है) सिर्फ जोगा ग्राम के वासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा सम्भावित टी.बी. रोगियों की बलगम जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ एवं जिला चिकित्सालय जैसलेमर पर की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सम्भावित क्षय रोगियों का सर्वे कर इलाज किया जाता है। ग्राम सोनू, सेऊवा एवं जोगा गांव में एएनएम कार्यरत है जिसके द्वारा भी स्वास्थ्य जांच की जाकर संभावित मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ में रैफर किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर पर टीबी बीमारी का रोग (नये एवं पुराने) 216 प्रति लाख प्रति वर्ष होता है, परन्तु जैसलमेर जिले में टीबी बीमारी का रोग (नये व पुराने) पिछले पांच वर्षों में औसत 113 प्रति लाख प्रति वर्ष रहा है जो राष्ट्रीय स्तर के निर्धारित प्रति वर्ष मानदण्ड से कम है। अतः इस क्षेत्र में टीबी एवं श्वास रोगियों का प्रकोप नहीं है। उपरोक्त ग्रामों जोगा, नवलसिंह की ढाणी, सेऊवा, सोनू, हेमा नेतसी आदि गांवों में क्षय एवं दमा की स्थिति सामान्य होने के कारण उपयुक्त वर्णित कार्य योजना के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है अलग से कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा रही है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अंबुजा सीमेंट कम्पनी को जिला नागौर में आबंटित भूमि प्रकरण

354. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में संचालित अंबुजा सीमेंट कम्पनी के पास 504.02 बीघा भूमि अंगोर किस्म की है? क्या इस भूमि का नामान्तरण सीमेंट कम्पनी के नाम खुला हुआ है ? यदि नहीं, तो बिना नामान्तरण खोले किन नियमों के आधार पर इस भूमि का कब्जा/स्वामित्व अंबुजा सीमेंट कम्पनी को दे दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम मूण्डवा की 34.04 बीघा, ग्राम ईनाण की 26.14 बीघा कुल 60.18 बीघा राजकीय भूमि अंबुजा सीमेंट कम्पनी को लीज पर दी गई है ? यदि हां, तो कब एवं किन नियमों के तहत व किन अधिकारियों की स्वीकृति/अनुमति से ? उक्त समस्त भूमि की रकबा, खसरा, ग्रामवार किस्म का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि अंबुजा सीमेंट कम्पनी को दिये जाने या कम्पनी द्वारा कब्जा लेने पर जिला नागौर की आम जनता, सार्वजनिक संगठनों व जन प्रतिनिधियों ने विरोध जताया है ? यदि हां, तो दर्ज शिकायतों, धरने, प्रदर्शनों, विरोध बाबत् की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कम्पनी के पक्ष में नामान्तरण नहीं खोलने, राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करने, लीज को निरस्त करने व उक्त प्रकार के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उद्योग (ग्रुप-1) विभाग द्वारा ग्राम मूण्डवा में 530.15 बीघा ग्राम खेण में 132 व ग्राम ईनाणा में 338.05 बीघा कुल 1001 बीघा भूमि दिनांक 21.3.1988 को मैसर्स के.ई.सी. इण्टरनेशनल लि. जयपुर को सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु आबंटित की गई थी । उक्त कंपनी मा. इण्डो निप्पोन स्पेशल सीमेंट लि. में हस्तान्तरित हो गई जिसका विलय मै. अंबुजा सीमेंट कंपनी में हुआ है। आबंटित 1001 बीघा भूमि का कब्जा मै. इण्डो निप्पोंन स्पेशल सीमेंट लि. को सम्भलवाया जा चुका है लेकिन उक्त भूमि में से ग्राम मूण्डवा एवं

(राजस्व मंत्री)

ईनाणा की 504.02 बीघा भूमि अंगोर होने से कंपनी के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की गई है।

(2) जी हां। राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 18.08.2007 द्वारा 60.18 बीघा भूमि मै. इण्डो निप्पोन स्पे. सीमेंट लि. को सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के अन्तर्गत कीमतन आबंटन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके अनुसरण में जिला कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 12.12.07 द्वारा मै. इण्डो निप्पोन स्पे. सीमेंट लि. को 60.18 बीघा भूमि आबंटित की गयी थी । भूमि का ग्रामवार एवं खसरा नम्बरवार विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न हैं।

(3) प्रश्न के भाग सं. 1 में वर्णित 1001 बीघा भूमि के संबंध में अखिल भारतीय वीर तेजाजी महासंघ से एक ज्ञापन प्राप्त होने पर विस्तृत जांच हेतु जिला कलक्टर, नागौर को राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 31.1.2006 द्वारा भिजवाया गया था । उक्त क्रम में जिला कलक्टर नागौर से प्राप्त रिपोर्ट परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 18.08.2007 के द्वारा कलक्टर, नागौर को निर्देशित किया गया था कि अंगोर किस्म की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद नहीं किया जावे। पत्र की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। नामान्तरकरण नहीं खोलने एवं रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करने की कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार की गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु

355. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में गेप इयर के बाद परीक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उम्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए आयु सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी ?

(2) उक्त तय उम्र के पश्चात् यदि विद्यार्थी माध्यमिक या उच्च

(श्रीमती अनिता भदेल)

माध्यमिक की परीक्षा देना चाहता है तो उसे किस श्रेणी/नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश मिलेगा ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पिछले वर्षों तक उपरोक्त उम्र सीमा में छूट देता आया है? यदि हां, तो कितने समय की ?

(4) सत्र 2009-10 के लिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा में बैठने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन ऐसे हैं, जो इस उम्र सीमा को ध्यान में न रखने के कारण निरस्त कर दिये गये तथा ये आवेदन प्रदेश के किन-किन विद्यालयों से प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार उन विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, जिन्होंने बोर्ड के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद विद्यार्थी द्वारा नियमित छात्र का फार्म भरवाकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भेजे ?

(6) क्या सरकार इन सभी विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें परीक्षा में बैठने के लिए उपरोक्त उम्र सीमा में छूट देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां। सैकण्डरी परीक्षा में प्रवेश के समय 19 वर्ष एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्रवेश के समय 21 वर्ष से अधिक विद्यार्थी की आयु नहीं होनी चाहिए ।

(2) स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का बन्धन नहीं है । अतः परीक्षार्थी स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में प्रविष्ठ हो सकते हैं ।

(3) हां। वर्ष 2008 की परीक्षा तक शाला प्रधान द्वारा छह माह तथा उसके पश्चात बोर्ड स्तर पर छह माह अर्थात कुल एक वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाती रही है । वर्ष 2009 के पश्चात् अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की वृद्धि कर छूट समाप्त कर दी गई है।

(4) माध्यमिक परीक्षा 2010 में 230 परीक्षार्थियों के, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2010 में 43, प्रवेशिका परीक्षा 2010 में 09 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किये हैं, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(5) शाला प्रधान एवं शाला के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को निर्देशित किया जा रहा है।

(6) वर्तमान नियमानुसार अधिक उम्र के छात्रों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये हैं। आगामी वर्षों के लिए प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित-प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010)

प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में निजी कम्पनियों से ठेके पर कार्यरत कार्मिक

274. **सुश्री सिद्धीकुमारी** (बीकानेर पूर्व) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के कितने जिलों में रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं? गत एक वर्ष में प्रदेश के प्रत्येक रोजगार कार्यालय में कितने बेरोजगारों का पंजीकरण किया गया तथा कितने बेरोजगारों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों में कर्मचारियों की पूर्ति ठेका प्रथा द्वारा निजी कम्पनियों के माध्यम से की जा रही है ? यदि हां, तो ठेका प्रथा के तहत कार्यरत कर्मचारियों की प्रदेश में कुल संख्या कितनी है ?

(3) क्या उक्त ठेका प्रथा के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों में समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान किया जा रहा है, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के समस्त 33 जिलों में रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं। वर्ष 2009 में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कुल 131821 बेरोजगारों का पंजीयन किया गया तथा कुल 4672 बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ ।

(2) जी हां। ठेका प्रथा के तहत प्रदेश में कार्मिकों की कुल संख्या 11471 है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(3) जी हां। उक्त ठेका प्रथा के तहत प्रति सरकारी कार्यालयों में समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

पाली शहर के सिटी टैंक में गंदे पानी की आवक की रोकथाम हेतु प्रस्तावित योजना

356. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली शहर के सिटी टेंक में कुछ बस्तियों एवं आस-पास के मकानों का गंदा पानी जाता है? क्या सरकार इस गंदे पानी को तालाब में जाने से रोकने हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद् पाली ने गंदे पानी को तालाब में जाने से रोकने हेतु पूर्व में योजना बनाई थी ? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त कार्य नहीं करवाया गया एवं इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है ?

(3) अब गंदा पानी तालाब में नहीं जावे इस हेतु सरकार कब तक आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सिटी टेंक में बस्तियों एवं आस-पास के मकानों के गंदे पानी को जाने से रोकने हेतु 169.27 करोड़ की योजना सिटी सीवरेज UIDSSMT के तहत स्वीकृत की गयी है। इस योजना में प्रथम चरण के तहत 33.29 करोड़ की राशि से गांधी पूर्ति से भैरूघाट होते हुये पानी दरवाजा तक के क्षेत्र में स्थित आवासों के गंदे पानी की आवक सिटी टेंक में जाना बंद हो जायेगा ।

(2) जी नहीं ।

(3) नगर परिषद् पाली द्वारा शहर के सिटी सीवरेज के लिये रुपये 169.27 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट UIDSSMT के प्रथम चरण में रुपये 33.29 करोड़ की राशि RUIDP के द्वारा सीवरेज कार्य करवाया जा रहा है । शेष कार्य राशि उपलब्ध होने पर करवाया जाकर सिटी टेंक में गंदे पानी की आवक पूर्ण रूप से रोकी जा सकेगी ।

वैर विधान सभा क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवार के मरीजों को वितरित दवाइयां

357. **श्री बहादुर सिंह** (वैर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. परिवारों के मरीजों को सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त दवा वितरित की जाती है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम वैर, भुसावर, हलैना, बल्लभगढ़, धरसौनी में 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2010 तक किस-किस चिकित्सालय में किस-किस बी.पी.एल. परिवार के मरीज को मुफ्त दवा वितरित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकारी चिकित्सालय में दवा उपलब्ध नही होने पर बी.पी.एल. परिवार को बाजार से दवा खरीद कर उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र वैर के किस चिकित्सालय में किन-किन बी.पी.एल. परिवारों को किस दुकान से दवा बाजार से खरीद कर उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम वैर, भुसावर, हलैना, वल्लभगढ़, धरसौनी में 1 जनवरी 2009 से 31 जनवरी 2010 तक की अवधि में बी.पी.एल. परिवार के मरीज को मुफ्त दवा वितरित की गई का चिकित्सालयवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र वैर के जिन चिकित्सालय द्वारा बाजार की जिस दुकान से दवा खरीद कर बी.पी.एल. मरीजों को दी गई का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

358. **डा. रघु शर्मा** (केकड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील स्तर पर उप-खण्ड कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी ? क्या सभी तहसील स्तर पर

(डा. रघु शर्मा)

उपखण्ड कार्यालय सृजित कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या सरकार घोषणानुसार नवीन उपखण्ड कार्यालय सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कितने नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के तहसील कार्यालयों द्वारा वर्ष 2004 से जनवरी, 2010 तक कितने नये राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये ? उक्त में से कितने ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया तथा कितने प्रस्ताव लम्बित हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मा. मुख्य मंत्री के बजट अभिभाषण अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.9(1)राज./1/97/पार्ट-।। दिनांक 9.9.2009 द्वारा शेष 52 तहसीलों में उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय सृजित कर दिये गये हैं।

(2) वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में 6 नवीन राजस्व ग्राम घोषित हुए हैं । सूची निम्नप्रकार हैः-

क्र.सं.	नाम तहसील	घोषित नवीन ग्राम
1.	केकड़ी	1. सूरजपुरा 2. बाड का झोपड़ा 3. कालाखेत 4. केसरपुरा
2.	सरवाड़	5. सांगानेर 6. माधोपुरा

(3) वर्ष 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में तहसील केकड़ी में 4 तथा तहसील सरवाड़ में 2 नवीन राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए। इन सभी 6 प्रस्तावों के आधार पर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जा चुके हैं। अब कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(4) राज्य सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

राजकीय विद्यालयों में साइकिल वितरण में विलम्ब

359. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय विद्यालयों में इस सत्र में कितनी साइकिलें बांटी जानी हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से दिसम्बर, 2009 तक कितनी साइकिलें बांटी गईं तथा शेष साइकिलें कब तक बांटी जावेंगी ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) देर से साइकिलें बांटने के लिए कौन जिममेदार हैं ? क्या सरकार दोषी कम्पनी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) सत्र 2009-10 में पात्र छात्राओं को वितरित की जाने वाली साइकिलों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) दिसम्बर, 2009 तक 6164 साइकिलों का वितरण किया गया । वर्तमान तक 40548 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। शेष रही साइकिलें मार्च 2010 के अन्त तक वितरित कर दी जावेगी । वितरित की गयी साइकिलो का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) निविदा शर्तों के तहत कम्पनी को साइकिले आपूर्ति के लिये 12.02.2010 तक का समय दिया गया था। कम्पनी द्वारा निर्धारित अवधि में आपूर्ति की गयी है। पंचायत चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण आपूर्ति नहीं की गई । अतः विलम्ब के लिये किसी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

परिशिष्ट ''क''

क्र. सं.	जिले का नाम	2009-2010 में विपरीत की जाने वाली	दिसमबर 2009 तक वितरित की गई साईकिल	20-3-10 तक वितरित साइकिल	कालम 4 व 5 का योग	शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	चूरू	346	346	0	346	0
2	हनुमानगढ़	681	0	377	377	04

1	2	3	4	5	6	7
3	झुझुनूं	1389	0	1389	1389	0
4	बीकानेर	564	564	0	564	0
5	श्रीगंगानगर	645	0	642	642	03
6	उदयपुर	2247	0	2247	2247	0
7	राजसमंद	532	0	532	532	0
8	चित्तौड़गढ़	1042	00	1042	1042	0
9	डूंगरपुर	3377	00	3377	3377	00
10	बांसवाड़ा	3290	00	3229	3229	61
11	जोधपुर	1812	00	1812	1812	00
12	पाली	572	0	508	508	64
13	सिरोही	119	119	00	119	00
14	जालौर	772	00	772	772	00
15	बाड़मेर	2097	00	2097	2097	00
16	जैसलमेर	72	00	72	72	00
17	अजमेर	380	00	377	377	03
18	भीलवाड़ा	660	00	644	644	16
19	टोंक	760	760	00	760	00
20	नागौर	1737	1737	00	1737	00
21	जयपुर	5849	0	5849	5849	00
22	अलवर	2789	00	2789	2789	00
23	सीकर	2433	2428	01	2429	04
24	दौसा	2671	00	2671	2671	00
25	भरतपुर	654	00	654	654	00
26	धौलपुर	877	00	874	874	03
27	करौली	358	210	148	358	00
28	सवाई माधोपुर	482	00	442	442	40
29	कोटा	254	00	254	254	00
30	बून्दी	315	00	191	191	124
31	झालावाड़	677	00	677	677	00
32	बारां	600	00	417	417	183
	योग	**41053**	**6164**	**34384**	**40548**	**505**

उदयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के सर्वेधारी परिवारों को पट्टे

360. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में 48 कच्ची बस्तियां हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बस्तियों में कुल कितने सर्वेधारी परिवार निवास कर रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त बस्तियों में से कुछ बस्तियों के सर्वेधारी परिवारों को पट्टे जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(4) क्या सरकार शेष सर्वेधारी परिवारों को पट्टे जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो कयों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त बस्तियों में कुल 9750 परिवार निवास कर रहे हैं।

(3) जी हां। नगर परिषद उदयपुर द्वारा 2175 पट्टे जारी किये गये हैं।

(4) जी हां। समस्त शेष प्रकरणों में गुणावगुण के आधार पर पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जाएगी ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरथल (अलवर) का नवीन भवन निर्माण प्रकरण

361. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरथल के लिए नये भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से अब तक कितनी राशि किस-किस निर्माण कार्य में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह)

(3) उक्त भवन निर्माण में अब कितना कार्य किया जाना शेष है तथा शेष कार्य कितने समय में पूर्ण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुचारु रूप से शुरू कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरथल के नये भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरथल के भवन की मरम्मत/रिनोवेशन कार्य हेतु रुपये 24.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसे संशोधित कर रुपये 32.00 लाख कर दिया गया है।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से निर्माणकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर की अभिशंसा के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरथल के लिये आबंटित नई भूमि पर निम्नलिखित कार्य करवाये गये है:-

(राशि रुपये लाखों में)

कार्य का नाम	व्यय की गई राशि
चारदिवारी	12.42
भूमि की लेवलिंग एवं जंगल सफाई का कार्य	3.10
डामर तथा सीमेन्ट रोड का कार्य	2.29
पानी की व्यवस्था हेतु बोरिंग का कार्य	3.10
अन्य सिविल निर्माण कार्य ड्राईंग के अनुसार रिसेप्शन हाल, रजिस्ट्रेशन कक्ष, ओपीडी हाल, रिकार्ड रूम, इन्जेक्शन रूम, मरीज को देखने का कक्ष, टायलेट ब्लाक इत्यादि कार्य	11.09

(3) नई आबंटित भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरथल का भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मापदण्डों के अनुरूप पूर्णरूप से निर्मित नहीं हुआ है।

अब इस भवन में शेष रहे कार्यों को पूरा करने हेतु तकमीना (ऐस्टीमेट) तैयार कराये जा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाकर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं अगले वर्ष के अन्त तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाकर प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यापक/अध्यापिकाओं की प्रतिनियुक्ति

362. डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं ? विषयवार स्वीकृत पद एवं कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं में से कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं शिक्षण कार्य को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर उसी विभाग में अथवा अन्य विभाग में लगे हुए हैं तथा ये कितने समय से इस कार्य में कार्यरत हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत चार वर्षों में सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र कब-कब आमंत्रित किए गए तथा कितने शिक्षकों को इसके अन्तर्गत नियुक्ति दी गई? वर्षवार व विषयवार नियुक्त किए गए शिक्षकों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण परिशिष्ट- ''क'' पर संलग्न है।

(2) उक्त में से विभाग एवं अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं की सूचना का जिलेवार विवरण का परिशिष्ट-''ख'' संलग्न हे।

(3) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों को दी गई नियुक्तियों का विवरण परिशिष्ट-''ग'' पर संलग्न हैं। उक्त नियुक्तियों में प्रथम श्रेणी अध्यापकों हेतु विज्ञप्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पदों हेतु विज्ञप्ति सम्भाग स्तर पर वर्ष 2003-04 में की गई थी।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विगत 4 वर्षों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वर्षवार दी गई नियुक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-''घ'' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य की परियोजनाओं को विश्व बैंक द्वारा ऋण हेतु सहमति

363. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक द्वारा राज्य की परियोजनाओं के लिए ऋण देने पर सहमति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी परियोजनाओं पर कितनी-कितनी ? राशि विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संबंध में विश्व बैंक के अधिकारियों एवं राज्य सरकार के बीच सहमति पर हस्ताक्षर हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग व स्वायत्त शासन विभाग के सन्दर्भ में प्रश्न का उत्तर जी नहीं है।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या एक के उत्तर में समाहित है।

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति

364. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कौन-कौन से अधिकारी/ कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ? नाम मय पदमान तथा प्रतिनियुक्ति तिथि के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाने से पूर्व विभागाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बिना स्वीकृति अथवा बिना उचित कारण से प्रतिनियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सथा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन से कोई भी चिकित्सा प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा रखा है।

अराजपत्रित संवर्ग में जो भी कर्मचारी मारवाड़ जंक्शन विधान सभा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्षेत्र से अन्य विधान सभा क्षेंत्रों में एवं अन्य विधान सभा क्षेत्रों से मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में तथा उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक से दूसरे चिकित्सा संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर लगा रखे हैं। उनके नाम, पदनाम एवं प्रतिनियुक्ति तिथि सहित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। प्रतिनियुक्ति पर लगाने से पूर्व विभागाध्यक्ष की लिखित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है किन्तु विभिन्न अतिआवश्यक कारणों जैसे मौसमी बीमारी, स्वाइन फ्लू नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के मध्यनजर प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किये गये है।

(3) विभिन्न अतिआवश्यक कारणों जैसे मौसमी बीमारी, स्वाइन फ्लू नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के मध्यनजर प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। इसलिये किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में अराजपत्रित संवर्ग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के नामों का विवरण निम्न प्रकार है :-

कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति स्थान	प्रतिनियुक्ति तिथि
श्रीमती ममता कुमारी	कनिष्ठ लिपिक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गागुडा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची	15.03.2007
श्रीमती अंगूरी देवी	वार्ड लेडी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरियारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बान्ता	20.01.2009
श्री पुखराज लखारा	वार्डबाय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरियारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, आउवा	20.03.2007
श्री अशोक कुमार जोशी	नर्स श्रेणी द्वितीय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धामली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी	23.10.2009
श्री सलीम मोहम्मद	नर्स श्रेणी द्वितीय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गजनीपुरा	30.07.2009

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में अन्य विधान सभा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों के नामों का विवरण निम्न प्रकार है :-

कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति स्थान	प्रतिनियुक्ति तिथि
श्रीमती सिन्धु टी	नर्स श्रेणी द्वितीय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आउवा	जिला चिकित्सालय, पाली	15.12.2009
सुश्री शमीम (संविदा पर)	जीएनएम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहट	31.12.2009
श्रीमती मीनाक्षी जैन	लैब टेक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची	जिला चिकित्सालय, पाली	18.02.2010
श्री आईदान मल	नर्स श्रेणी द्वितीय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देसूरी	29.09.2008

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में उर्दू विषय का अध्यापन

365. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के कितने राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू विषय पढ़ाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के एक भी उक्त विद्यालयों में उर्दू संकाय चालू नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के विद्यालयों में उर्दू विषय प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन विद्यालयों में कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कुल 41 राजकीय सैकण्डरी एवं

(शिक्षा मंत्री)

20 हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं। जिनमें से निम्नांकित विद्यालयों में उर्दू विषय का तृतीय भाषा के रूप में अध्यापन करवाया जाता है:-

01	राउमावि. जाजोद
02	रामावि. चुडीमियां
03	रामावि. मंगलूणा
04	रामावि. लक्ष्मणगढ़
05	रामावि. राजास
06	रामावि. खेडी राडान

(2) जी हां। यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किसी भी राउमावि में उर्दू ऐच्छिक विषय के रूप में संचालित नहीं है। विद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं निर्धारित मानदण्डों के तहत छात्र उपलब्ध होने पर समग्र स्थिति का आंकलन करने के पश्चात् ही अतिरिक्त विषय प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी ।

(3) अतिरिक्त विषय प्रारम्भ करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं निर्धारित मानदण्डों के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये निर्णय किया जा सकेगा ।

जोधपुर जिले के अग्निशमन केन्द्रों की क्षमता

366. **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर शहर में कितने अग्निशामन केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं कितने अग्निश्मन छोटे बड़े वाहन उपलब्ध हैं ? उनकी संख्या तथा क्षमता सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अग्निशमन वाहनों को पानी की रिफलिंग करने के लिए स्टेशन कहां-कहां स्थित हैं तथा उनकी पानी भरने की समय सीमा क्या है?

(3) क्या सरकार जोधपुर के अग्निशमन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कितनी व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में नगर निगम द्वारा कुल 4 अग्निशमन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं जो निम्न हैं:-1. मण्डोर औद्योगिक क्षेत्र, 2. नागौरी गेट, 3. शास्त्री नगर 4. बासनी औद्योगिक क्षेत्र।

इसके अतिरिक्त रीको द्वारा बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में एक अग्निशमन केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

नगर निगम जोधपुर में वर्तमान में 12 अग्मिशमन वाहन चालू हालत में उपलब्ध हैं जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगर निगम जोधपुर में उपलब्ध अग्निशमन वाहनों में निम्न स्थानों पर पानी भरा जाता है :-

1. नागौरी गेट स्थित फायर स्टेशन ट्यूबवैल द्वारा
2. बासनी फायर स्टेशन रीको बासनी के ओवर हैड टैंक द्वारा
3. लाल सागर पी.एच.ई.डी. फिल्टर हाउस के द्वारा
4. प्रतापनगर पी.एच.ई.डी. फिल्टर हाउस के द्वारा
5. शास्त्री नगर फायर स्टेशन से
6. औद्योगिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न उद्योगों के ट्यूबवैलों से ।

रीको द्वारा बोरानाडा स्थित अग्निशमन केन्द्र पर रीको द्वारा अग्निशमन वाहनों में पानी की रिफलिंग करने की व्यवस्था है साथ ही अग्निशमन वाहनों में पानी भरने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है। इसके अतिरिक्त रीको औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व तृतीय चरण में स्थित जलप्रदाय कैम्पस में पानी भरने हेतु फायर हाईड्रेट की सुविधा भी उपलब्ध है।

नगर निगम जोधपुर द्वारा संचालित अग्निशमन केन्द्रों पर पानी की रिफलिंग की व्यवस्था है जहां एक साथ चार अग्निशमन वाहनों में पानी भरा जा सकता है । इसके अतिरिक्त एक उच्च जलाशय एवं पचास हजार लीटर का भूमिगत जलाशय भी है जिसमें पांच हार्स पावर के दो पम्प लगे हुए हैं जिसके द्वारा भूमिगत जलाशय से उच्च जलाशय में पानी भरने की व्यवस्था है।

(3) जी हां। एरियर लोडर हाइड्रोलिक प्लेटफार्म एवं एक वाटर टेण्डर एवं एक फोम टेण्डर शीघ्र क्रय की जाकर नगर निगम जोधपुर को उपलब्ध कराये जावेगा।

भाग संख्या-1

क्र.सं.	गाड़ी नम्बर	पानी की क्षमता	विशेष विवरण
1	आरजे 19 ईए 0020	12000 लीटर	बड़ा अग्निशमन वाहन
2	आरजे 19 ईए 0021	12000 लीटर	बड़ा अग्निशमन वाहन
3	आरजे 19 ईए 0042	12000 लीटर	बड़ा अग्निशमन वाहन
4	आरजे 19 ईए 0943	4500 लीटर	बड़ा अग्निशमन वाहन
5	आरजे 14-1-जी 7135	4500 लीटर	बड़ा अग्निशमन वाहन
6	आरजे 19 ई 7135	3800 लीटर	बड़ा अग्निशमन वाहन
7	आरजे 19 ईए 0944	3600 लीटर पानी, 450 लीटर फौम कम्पाउण्ड	फोम टेण्डर
8	आरजे 19 ई 1170	3600 लीटर पानी, 450 लीटर फौम कम्पाउण्ड	फोम टेण्डर
9	आरजे 19 ई-1305	3600 लीटर पानी, 450 लीटर फौम कम्पाउण्ड	फॉम टेण्डर
10	आरजे 14 1-जी 7128	2500 लीटर	छोटा अग्निशमन वाहन
11	आरजे 19 ई 1410	2000 लीटर	छोटा अग्निशमन वाहन
12	आर जे 19 ई 0532	2000 लीटर	छोटा अग्निशमन वाहन

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमवारामगढ़ का क्रमोन्नयन

367. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार तहसील जमवारामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंधी को जयपुर से दूर होने के कारण अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाकर

(श्री गोपाल मीणा)

बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा क्या-क्या ? यदि नहीं,तो क्यों ?

(3) सैटेलाइट अस्पताल बनाने के क्या मानदण्ड/नियम हैं ? मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में एक भी सैटेलाइट अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ में 30 शैय्याऐं स्वीकृत हैं। स्वीकृत शैय्याओं की वर्ष 2009 में 42.45 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 शैय्याओं (सैटेलाइट चिकित्सालय) में क्रमोनन्त किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंधी में ई.सी.जी. मशीन उपलब्ध है परन्तु एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं है। आगामी वित्तीय वर्षो में एक्सरे मशीन एवं निर्धारित मापदण्डानुसार अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) 50 शैयाओं युक्त सैटेलाइट अस्पताल पूर्व में खोले जाते थे और उनमें स्टाफ स्वीकृत करने के मापदण्ड भी अलग से निर्धारित थे परन्तु नये मापदण्ड में 50 शैय्याओं युक्त चिकित्सालय ही खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें स्टाफ के पद स्वीकृत करने के मापदण्ड परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। उक्त विधान सभा क्षेत्र के जमवारामगढ़ एवं आंधी में 30-30 शैय्याओं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं की उपयोगिता कम रहने के कारण उनको क्रमोन्नत नहीं किया जा सका ।

परिशिष्ट-अ

स्टार्फिंग पैटर्न के अनुसार 50 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत करने वाले पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत करने वाले पदों का संख्या विवरण
1	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5 (मेडिसन, सर्जरी, स्त्रीरोग, बालरोग एवं हड्डीरोग)
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
3	चिकित्सा अधिकारी	5 (दन्त चिकित्सा अधिकारी सहित)
4	नर्स श्रेणी प्रथम	2 (1 फिमेल, 1 मेल)
5	नर्स श्रेणी द्वितीय	14 (4 फिमेल, 10 मेल)
6	रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर	1
7	लैब टेक्नीशियन	1
8	डेन्टल टेक्नीशियन	1
9	फार्मासिस्ट	1
10	नेत्र सहायक	1
11	वरिष्ठ लिपिक	1
12	कनिष्ठ लिपिक	1
13	वार्डबाय	10
14	सफाई कर्मचारी	2
15	वाहन चालक (संविदा पर)	-

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम में विकास कार्यों हेतु राशि

577. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम में बजट की कमी के कारण विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं ? क्या सरकार विकास के लिए बजट उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं ।

ढहर के बालाजी जयपुर में सड़क सीमा में अतिक्रमण

578. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर में बी.आर.टी.एस. सडकों के दोनों ओर एवं उससे जुडने वाली सड़कों पर पान की थड़ी हेतु स्थान आवंटित करने के लिये क्या प्रक्रिया/मानदंड निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह सही है कि चौमूं रोड पर ढहर के बालाजी के मंदिर जाने वाली सड़क (बीआरटीएस) पर निगम द्वारा हाल ही में पान की थड़ी लगाने की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त थड़ी की स्वीकृति निगम द्वारा नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में बीआरटीएस सड़कों के दोनों ओर एवं उससे जुड़ने वाली सड़कों पर पान की थड़ी आबंटित हेतु पृथक से कोई प्रक्रिया/मानदण्ड निर्धारित नहीं है परन्तु पान की थड़ी लगाने हेतु निगम द्वारा शर्तों निर्धारित हैं। शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। नगर निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत उक्त सड़क

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पर पान की थड़ी लगाने की स्वीकृति दी गई है। निर्धारित शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) भाग संख्या का उत्तर भाग संख्या दो के उत्तर में समाहित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर के खुले नालों से दुर्घटना की संभावनाएं

579. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खुले लाने हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जोधपुर शहर के खुले नालों को दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए उन्हें ढकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां । नगर निगम जोधपुर की वित्तीय स्थिति के अनुसार नाले ढकवाने की व्यवस्था की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर शहर की स्कीम नं. 10 बी के आवासों का आबंटन

580. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि अलवर शहर की स्कीम 10 बी राजस्थान आवासन मण्डल के आवास संख्या 1/18, 1/34 व 2/32 का आबंटन राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जा चुका है? यदि हा, तो आबंटियों के नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान आवासन मण्डल की अलवर शहर में आवासीय स्कीन नं. 10 बी के तीनों आवास पूर्व में ही आबंटित किये जा चुके हैं, जिनके मण्डल के अभिलेख में निम्न नाम व पते अंकित है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्र.सं.	मकान नं.	आबंटित नाम व पते	विशेष विवरण
01	01/18	श्री श्याम लाल पुत्र श्री गंगा सहाय, जत्ती की बगीची, अलवर	मूल क्रेता द्वारा श्रीमती पुष्पा सोमवंशी पत्नि स्व. श्री निरंजन लाल सोमवंशी देहली दरवाजे बाहहमोर के उपर अलवर को बेचान कर दिया गया है, जिसका नियमितिकरण पत्रांक 5463 दिनांक 01.12.2006 द्वारा किया गया है।
02	1/34	श्री ओम प्रकाश मीणा, ग्राम मल्लाना पोस्ट-टहला, तह. राजगढ़, अलवर	-
03	2/32	श्री सरूप लाल डंग, पुत्र श्री जमना लाल डंग, रंग बिराईन की गली, अलवर	मूल क्रेता की मृत्यु होने पर मकान उनकी पत्नि श्रीमती पुष्पा गुप्ता के पक्ष में पंजीयन पत्रांक 2858 दिनांक 21.11.2007 को करवाया गया है।

अजमेर पुलिया जयपुर क्षेत्र के गाड़िया लुहरों को आबंटित स्थल

581. श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि अजमेर पुलिया जयपुर के नीचे रहने नाले गाड़िया लुहार तथा अन्य अनुसूचित जाति के परिवारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सर्वे करा कर जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से गुर्जर की थड़ी न्यू सांगानेर रोड पर बसाया गया था ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर कितने लोगों को बसाया गया ? नाम व सर्वे सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। अजमेर पुलिया के नीचे रहने वाले गाड़िया लुहार तथा अन्य अनुसूचित जाति के परिवारों की सूची समाज कल्याण विभाग द्वारा सर्वे कर जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से गुर्जर की थड़ी न्यू सांगानेर रोड पर बसाया गया था । बसाये गये परिवारों की कुल संख्या 248 है। जिसकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर नगर परिषद् द्वारा सार्वजनिक पार्कों पर व्यय

582. **श्री बहादुर सिंह** (वैर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर नगर परिषद् द्वारा सार्वजनिक पार्कों के विकास हेतु वर्ष 2009-10 में पारित बजट में राशि का प्रावधान रखा था ? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त नगर परिषद द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2009 तक किस-किस पार्क के विकास में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर विकास न्यास द्वारा जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2009 तक विश्वप्रिय शास्त्री पार्क भरतपुर के विकास पर किस-किस मद पर कितना व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

उत्तर

(1) जी हां। नगर परिषद भरतपुर के बजट प्रावधान वर्ष 2009-10 के मद उद्यान सुधारय एवं वृक्षारोपण में 10.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था।

(2) नगर परिषद भरतपुर द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2008 से 31 दिसम्बर 2009 तक पार्कों के विकास हेतु मदवार किये गये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) नगर विकास न्यास द्वारा जनवरी 2007 से 31 दिसम्बर, 2009 तक विश्वप्रिय शास्त्री पार्क भरतपुर के विकास पर किये गये व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

भाग संख्या-2

नगर परिषद भरतपुर द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2009 तक पार्कों के विकास हेतु किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	कार्य (पार्क) का नाम	राशि
1	आनन्द नगर पार्क की चारदीवारी वार्ड नं. 1	121864/-
2	गणेश मंदिर के पीछे पार्क में बकाया कार्य	36222/-
3	शास्त्री पार्क अनाहगेट वार्ड 30.4.08	302735/-
4	नेहरू पार्क प्लास्टर दीवार मरम्मत 23.5.08	62907/-
5	जवाहर नगर में अग्रसेन पार्क का जीर्णोद्धार 7.6.08	107502/-
6	किले के अन्दर नेहरू पार्क के पास प्लास्टर लोहे के दरवाजे व जंगला लगाने का कार्य 13.10.08	60662/-
7	पार्क मरम्मत कार्य कृष्णानगर आरोटा हास्पिटल के पीछे	107797/-
8	प्रताप पार्क में महाराणा प्रताप की मूर्ति एवं मरम्मत कार्य	199744/-

भाग संख्या-3

नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जनवरी 2007 से 31 दिसम्बर, 2009 तक विश्वप्रिय शास्त्री पार्क भरतपुर के विकास पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि लाखों में)
1	फिश एक्वेरियम का निर्माण एवं विद्युतीकरण	3.20
2	टाय ट्रेन लगाने का कार्य	36.21
3	नर्सरी की तरफ पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य	5.69
4	जॉगिग ट्रेक पर पत्थर की फलोरिम कार्य	8.69
5	भूल भुलियां की सुरक्षा दीवार का निर्माण	2.54
6	गार्डन बैच एवं डस्टबिन लगाने का कार्य	0.50
7	कोटा स्टोन स्टेआर्स इत्यादि लगाने का कार्य	4.46
8	पौधे एवं घास लगाने का कार्य	0.79
	योग	**61.08**

माछला मगरा उदयपुर की कच्ची बस्ती के जारी पट्टे

583. **श्रीमती सज्जन कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार माछला मगरा, उदयपुर कच्ची बस्ती के निवासियों को पट्टे जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

माछला मगरा उदयपुर क्षेत्र में वर्ष 1998-2004 सर्वे अनुसार निम्नांकित तीन कच्ची बस्तियां हैं :-

1. किशनपोल उत्तर
2. किशनपोल दक्षिण
3. माछला मगरा

उक्त तीनों बस्तियां वन विभाग की भूमि पर होने के कारण नियमन समिति द्वारा नियमन योग्य नहीं मानी गई हैं।

जयपुर शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु कार्ययोजना

584. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(1) क्या यह सही है कि गत कुछ वर्षों से जयपुर शहर में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं और एक कार्ययोजना तैयार की है ? यदि हां, तो प्राथमिकताओं और कार्ययोजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 2007 से 2009 तक जयपुर शहर में घटित अपराधों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	हत्या	हत्या का प्रयास	डकैती	लूट	अपहरण/ व्यपहरण	बलात्कार	बलवा	नकबजनी	चोरी	अन्य भादस	कुल अपराध
2007	52	76	7	153	206	62	287	821	4418	9413	15494
2008	46	89	6	182	185	60	243	687	4816	9093	15407
2009	52	92	3	236	215	69	169	911	5313	9728	16788

उक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हत्या, अपहरण, बलात्कार व नकबजनी शीर्षक के अन्तर्गत घटित अपराधों में परिवर्तनशील रूख है अर्थात् वर्ष 2007 के मुकाबले वर्ष 2008 में अपराधों में कमी आई है, पर वर्ष 2009 में पुनः वृद्धि हुई है, पर डकैती, बलवा शीर्षक के अन्तर्गत घटित अपराधों में कमी आई है। हत्या का प्रयास, लूट व चोरी शीर्षक के अन्तर्गत घटित अपराधों में वृद्धि हुई है।

अतः यह कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि जयपुर शहर में अपराधों का ग्राफ बढ़ ही रहा है ।

अपराधों में वृद्धि के निम्नांकित कारण रहे हैं:-

1. जनसंख्या वृद्धि, 2. बेरोजगारी, 3. जयपुर शहर का विस्तारीकरण व नई कालोनियां की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, 4. जयपुर शहर का ब्रोडगेज

(गृह मंत्री)

रेल लाइन से जुडना, 5. विगत वर्षों में जमीन की कीमतें बढ़ना, 6. वाहनों की संख्या में वृद्धि होना, 7, जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल का कम होना, 8. अन्य राज्यों के लोगों का जयपुर में बसना, 9. जिले से होकर राष्ट्रीय राजमार्गों का गुजरना ।

(2) जी हां। राजस्थान पुलिस प्राथमिकतायें 2010 हेतु कार्य योजनाओं की प्रति परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(3) जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किये जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2010-11 में की जा चुकी है।

(विवरण व प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पिलानी एवं सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पशु चोरी के दर्ज प्रकरण

585. **श्री सुन्दरलाल** (पिलानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पिलानी एवं सूरजगढ़ में वर्ष 2009-10 में कितनी भैंस चोरी हुई और उक्त संबंध में कितने मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट थानों में दर्ज हुई ? सूची मय नाम पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों में भैंसें बरामद हुई और कितने प्रकरणों में भैंस बरामद नहीं हुईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकार की चोरी रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पिलानी एवं सूरजगढ़ में वर्ष 2009-2010 में चोरी हुई भैंस एवं इस संबंध के मामलों में थानों पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूची मय नाम पते के परिशिष्ट ''क'' पर अंकित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पिलानी एवं सूरजगढ़ में वर्ष 2009-2010 में भैंस चोरी के किसी भी प्रकरण में भैंस बरामद नहीं हुई ।

(3) भैंस चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी गश्त एवं

गृह मंत्री)

नाकाबंदी की जा रही है। पिक-अप गाड़ियों को रात्रि में चैक किया जा रहा है । पशु चोरी में लिप्त अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

परिशिष्ट ''क''

क्र. सं.	अ.स.	विधान सभा क्षेत्र	धारा	नाम पता मुस्तगीस	कितनी भैस चोरी हुई	कितने प्रकरणें में भैस बरामद हुई
1	2	3	4	5	6	7
1	315/09	पिलानी	379 IPC थाना चिडावा	श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री गुरूदयाल सिंह जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी श्योपुरा	एक भैंस	बरामद नहीं हुई
2	241/09	सूरजगढ़	379 IPC थाना बुहाना	श्री राजकुमार पुत्र श्री कृपाराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी ढाकामण्डी थाना बुहाना	एक भैंस	बरामद नहीं हुई
3	251/09	सूरजगढ़	379 IPC थाना बुहाना	श्री कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत उम्र 37 साल निवासी रायली थाना बुहाना	एक भैंस	बरामद नहीं हुई
4	295/09	सूरजगढ़	379 IPC थाना बुहाना	श्री कजोड़ सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति जाट उम्र 45 साल निवासी भालोठ थाना बुहाना	तीन भैंस	बरामद नहीं हुई
5	248/09	सूरजगढ़	379 IPC थाना सिंधाना	श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री भगवानराम जाति जाट उम्र 60 साल निवासी माकडो	तीन भैंस	बरामद नहीं हुई
6	250/09	सूरजगढ़	379 IPC थाना सिंधाना	श्री मूलचन्द पुत्र श्री सुखराम जाति जाट उम्र 62 साल निवासी मैनाना	दो भैंस	बरामद नहीं हुई
7	179/09	सूरजगढ़	379 IPC थाना सूरजगढ़	श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री हरचंद राम जाति जाट उम्र 47 साल निवासी काकोडा थाना सूरजगढ़	एक भैंस	बरामद नहीं हुई

1	2	3	4	5	6	7
8	226/09	सूरजगढ़	379 IPC थाना सूरजगढ़	श्री संजय पुत्र श्री गुरूदयाल जाति अहीर नि. कुशलपुरा तन जाखोद थाना सूरजगढ़	दो भैंस	बरामद नहीं हुई
9	166/09	पिलानी	379 IPC थाना पिलानी	महेन्द्र सिंह पुत्र उदाराम जाति मेघवाल नि. घुमणसर खुर्द	एक भैंस	बरामद नहीं हुई
10	143/09	पिलानी	379 IPC थाना पिलानी	श्री पोकरमल पुत्र श्री सांवलराम सेनी उम्र 55 साल निवासी पिलानी	एक भैंस	बरामद नहीं हुई
11	294/09	पिलानी	379 IPC थाना पिलानी	श्री सुल्तान पुत्र पूर्णराम गुर्जर निवासी जखोड़ा	तीन भैंस	बरामद नहीं हुई
12	312/09	पिलानी	379 IPC थाना पिलानी	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की ढाणी तन देवरोड	एक भैंस	बरामद नहीं हुई
13	372/09	पिलानी	379 IPC थाना पिलानी	श्री दयानन्द पुत्र श्री गोपीराम नैन जाति जाट निवासी भांजा का बास भगोना थाना पिलानी	एक भैंस	बरामद नहीं हुई
14	54/10	पिलानी	379 IPC थाना पिलानी	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति मेघवाल निवासी जखोडा थाना पिलानी	दौ भैंस	बरामद नहीं हुई
15	62/10	पिलानी	379 IPC थाना पिलानी	श्री शेरसिंह पुत्र श्री चिमनाराम नेहरा निवासी देवरोड	दो भैंस	बरामद नहीं हुई

पुलिस थाना नोखा एवं पांचू में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

586. श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना नोखा एवं पांचू में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), नोखा द्वारा अन्तर्गत धारा 156 (3) सी.आर.पी.सी. के भिजवाये गये सभी प्रकरणों की एफ.आई.आर. दर्ज कर ली

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

गई है ? यदि हां, तो माननीय न्यायालय ने किस तारीख को आदेश किये और इन्हें किस तारीख को पुलिस थाने में दर्ज किया गया ? माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश एवं थाने में दर्ज किये अन्तराल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना नोखा एवं पांचू में धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के मुकदमे कई वर्षों से लम्बित चल रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त दोनों थानों में विगत एक वर्ष से कुल कितने मुकदमे लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिस थाना नोखा एवं पांचू में दर्ज विभिन्न प्रकृति के अपराधों के मुकदमे तीन माह से अधिक समय से लम्बित चल रहे हैं? यदि हां, तो कुल कितने मुकदमे, कितने समय से, किस कारण से लम्बित हैं? सूची सदन मेज पर रखें। इनका निस्तारण अब कब तक कर दिया जावेगा।

(4) क्या यह सही है कि पुलिस थाना नोखा एवं पांचू में जनवरी, 2009 से 25-2-2010 तक विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर चोरी के दर्ज मुकदमों में ट्रांसफार्मर्स बरामद हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन चोरियों को रोकने के क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) यह सही है कि पुलिस थाना नोखा एवं पांचू में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), नोखा द्वारा धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत भिजवाये गये सभी प्रकरणों की एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है।

माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 में प्रेषित इस्तगासा आदेश व पुलिस थाने में दर्ज किये गये समय के अन्तराल का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	अ.सं.	दिनांक	धारा	आदेश दिनांक	दर्ज दिनांक	समय का अन्तराल
1	87	06.03.10	372, 668, 365 भादसं, नोखा	23.02.10	06.03.10	11 दिन
2	88	06.03.10	323, 354, 341, 382 भादसं, नोखा	06.03.10	06.03.10	-
3	92	08.03.10	420, 467, 468, 471, 120बी भादसं, नोखा	06.03.10	08.03.10	02 दिन

(गृह मंत्री)

क्र. सं.	अ.सं.	दिनांक	धारा	आदेश दिनांक	दर्ज दिनांक	समय का अन्तराल
4	97	15.03.10	498ए, 406 भादसं., नोखा	10.03.10	15.03.10	05 दिन
5	98	16.03.10	343, 367, 506 भादसं, नोखा	15.03.10	16.03.10	01 दिन
6	99	17.03.10	420, 467, 468, 471, 120बी भादसं, नोखा	09.03.10	17.03.10	08 दिन
7	02	05.01.10	420, 467, 468, 471, 120बी भादसं, पांचू	05.01.10	05.01.10	-

(2) जी नहीं।

(3) धारा 156 (3) सी.आर.पी.सी. के तहत दर्ज प्रकरणों में 3 प्रकरण 01 वर्ष से ज्यादा अवधि से लम्बित चल रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अ.सं.	दिनांक	धारा
1	411	06.10.08	498ए, 406 भादसं., थाना नोखा
2	29	31.01.09	420, 467, 468, 471, 120बी भादसं, नोखा
3	71	04.03.09	420, 467, 468, 471, 477ए 120बी भादसं, नोखा

यह सही है कि पुलिस थाना नोखा एवं पांचू में दर्ज विभिन्न प्रकृति के अपराधों के मुकदमें तीन माह से अधिक समय से लम्बित चल रहे है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	थाना	अ.सं.	दिनांक	धारा/थाना	कारण पैण्डिंग
1	नोखा	359	01.09.05	419, 220, 467, 468, 471, 120बी भादसं. 3/12 पासपोर्ट एक्ट	अभियोजन स्वीकृति हेतु पत्रावली गृह विभाग जयपुर में है।
2	नोखा	329	23.07.07	420, 467, 468, 471 भादसं,	मुल्जिम हरिकिशन, गोवर्धन, बाली की गिरफ्तारी शेष है।

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	थाना	अ.सं.	दिनांक	धारा/थाना	कारण पैण्डिंग
3	नोखा	463	16.11.07	457, 380 भादसं.	03 मुलजिमों की गिरफ्तारी हो चुकी है शेष मुल्जिमों की गिरफ्तारी शेष है।
4	नोखा	330	12.08.08	420, 463, 467, 468, 471, 469, 120बी भादसं.	रिकार्ड प्राप्त करना शेष है।
5	नोखा	411	06.10.08	498ए, 406 भादसं.	मुल्जिम का वारण्ट जारी करवाया जा चुका है। गिर. शेष है।
6	नोखा	431	12.10.08	420, 467, 468, 471बी भादसं.	मुल्जिम सुनील की गिरफ्तारी शेष है।
7	नोखा	475	12.11.08	376, 511, 341, 323, 452, 382 भादसं. व 3 एससी/ एसटी एक्ट	रेंज कार्यालय द्वारा अनुसंधान सत्यापन किया जा रहा है।
8	नोखा	518	24.12.08	376, 450 भादसं. व 3 एससी/एसटी एक्ट	मुल्जिम की गिरफ्तारी शेष है।
9	नोखा	29	31.01.09	420, 467, 468, 471 120 बी भादसं.	गवाहान से अनुसंधान का रिकार्ड प्राप्त करना शेष है।
10	नोखा	71	04.03.09	420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी भादसं.	डी.एस.ओ. से रिकार्ड प्राप्त करना व मुस्तगीस, गवाहान से तफ्तीश करना शेष है।
11	नोखा	81	10.03.09	436, 143 भादसं, व 27 आर्म्स एक्ट	पत्रावली हाईकोर्ट जोधपुर में है।
12	नोखा	92	21.03.06	457, 366, 363, 143 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
13	नोखा	100	03.04.09	307, 436, 143, 447 भादसं. व 27 आर्म्स एक्ट व 3 एससी/एसटी एक्ट	अनुसंधान जारी है।
14	नोखा	124	30.04.09	366, 363, 342, 382 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
15	नोखा	158	23.05.09	307, 452, 336, 143 भादसं. व 27 आर्म्स एक्ट	मुल्जिम की गिरफ्तारी शेष है।

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	थाना	अ.सं.	दिनांक	धारा/थाना	कारण पैण्डिंग
16	नोखा	166	02.06.09	447, 427, 341, 323, 143 भादसं. व 27 आर्म्स एक्ट	मुल्जिम की गिरफ्तारी शेष है।
17	नोखा	202	30.06.09	307, 441, 323, 143 भादसं. व 27 आर्म्स एक्ट	मुल्जिम की गिरफ्तारी शेष है।
18	नोखा	264	12.08.09	307, 341, 323, 143 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
19	नोखा	275	24.08.09	304 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
20	नोखा	280	25.08.09	458, 354, 323, 341 भादसं. व 3 एससी/एसटी एक्ट	अनुसंधान जारी है।
21	नोखा	286	29.08.09	498ए, 304बी, 34 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
22	नोखा	291	03.09.09	302, 34 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
23	नोखा	301	10.09.09	420, 166, 167, 467, 468, 471, 472, 120बी भादसं.	अनुसंधान जारी है।
24	नोखा	304	17.09.09	376, 342, 143 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
25	नोखा	305	17.09.09	420, 409, 120बी, 166 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
26	नोखा	311	19.09.09	307, 323, 324 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
27	नोखा	323	27.09.09	307, 366 34 भादसं. व 27 आर्म्स एक्ट	अनुसंधान जारी है।
28	नोखा	337	08.10.09	498ए, 406, 34 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
29	नोखा	340	09.10.09	420, 406 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
30	नोखा	351	12.10.09	420, 467, 468, 471, 120बी भादसं,	अनुसंधान जारी है।
31	नोखा	374	30.10.09	498ए, 307 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
32	नोखा	377	05.11.09	498ए, 406, 323 भादसं	अनुसंधान जारी है।
33	नोखा	390	18.11.09	420, 467, 468, 471, 448 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
34	नोखा	392	19.11.09	498ए, 406, 323 भादसं.	अनुसंधान जारी है।

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	थाना	अ.सं.	दिनांक	धारा/थाना	कारण पैण्डिंग
35	नोखा	399	20.11.09	420, 467, 468, 120बी भादसं.	अनुसंधान जारी है।
36	नोखा	412	23.11.09	498ए, 406, 323 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
37	नोखा	421	24.11.09	452, 323, 143 भादसं.	अनुसंधान जारी है।
38	पांचू	118	05.08.08	332, 353, 336, 147, 148, 149 भादसं, व 3 पीडीपीपी एक्ट	02 मुल्जिमों के वारण्ट जारी करवाये गये गिरफ्तारी शेष है।
39	पांचू	111	24.10.09	323, 341, 142 भादसं. व 3 एससी/एसटी	अनुसंधान सीआईडी (सीबी) द्वारा किया जा रहा है।

(4) यह सही नहीं है। विद्युत विभाग के ट्रांसफरर्मर चोरियों की रोकथाम हेतु प्रभावी गश्त एवं नाकाबन्दी की जा रही है तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। अन्य चोरी के मुकदमात के साथ माल मुल्जिमान की पतारसी जारी है ।

भवानी मण्डी के नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

587. **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाड़पुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका भवानी मण्डी के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा के विरुद्ध थाना कोतवाली टोंक में वर्ष 2001 में कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2001 में दर्ज प्राथमिकी में वह वांछित है और न्यायालय से मफरूर चल रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) अनिल शर्मा नाम का कोई व्यक्ति नगरपालिका भवानीमण्डी अध्यक्ष नहीं है। श्री अनिल शर्मा नाम के किसी व्यक्ति के विरुद्ध थाना कोतवाली, टोंक में वर्ष 2001 में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।

प्रकरण संख्या 97/2001, अन्तर्गत धारा 363, 366, 376, 120बी बी.भा.द.सं. में दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान के दौरान अनिल वर्मा पुत्र श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी-भवानीमण्डी, झालावाड़ सह अभियुक्त पाया गया था ।

(गृह मंत्री)

(2) उक्त प्रकरण में दिनांक 18.12.2001 को वारण्ट प्राप्त कर 13 मुख्य अभियुक्तों के अतिरिक्त श्री अनिल वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में अदम गिरफ्तारी चार्जशीट पेश की गई थी ।

उपरोक्त प्रकरण की अन्वीक्षा के उपरान्त न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया। श्री अनिल वर्मा की अनुपस्थिति में इसके बारे में न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया । श्री अनिल वर्मा की स्टेण्डिंग वारण्ट की पालना में न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

भरतपुर जिले के शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण

588. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर के पुलिस थानों व शस्त्र दुकानों पर कितने शस्त्र कितने समय से जमा हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बे समय से नवीनीकरण हेतु जमा लाइसेंसों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार गुर्जर जाति विशेष को शस्त्र नवीनीकरण से वंचित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भरतपुर के पुलिस थानों व शस्त्र दुकानों पर जमा शस्त्रों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) नवीनीकरण हेतु लम्बित लाइसेंस प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जा रहा है ।

(3) जी नहीं ।

परिशिष्ट ''अ''

जिला भरतपुर के पुलिस थानों व शस्त्र दुकानों पर जमा शस्त्रों का वर्षवर विवरण

क्र.सं.	नाम थाना	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	योग
1.	कोतवाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	-	21
2.	उद्योगनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	27	45
3.	अटलबंध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
4.	मथुरागेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	19	11	53
5.	चिकसाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	49	90
6.	सेवर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	19	36	71
7.	नदबई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	23	70	108
8.	कुम्हेर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	61	70
9.	डीग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	48	59	122
10.	नगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	40	84
11.	सीकरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60
12.	कामां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	17	56	91
13.	पहाडी	1	2	3	1	-	1	1	-	1	53	-	-	-	63
14.	जुरहरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	26	45
15.	गोपालगढ़	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	10	8	21	47

क्र.सं.	नाम थाना	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	योग
16.	बयाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	40	40	120
17.	रूपवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	उच्चैन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	18	28	68
19.	गढीबाजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	12	22	45
20.	भुसवार	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	6	3	30	48
21.	हलैना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	18	35
22.	वैर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	17	27	54
23.	महिला थाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	रूदावल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66
25.		1	2	3	1	-	1	1	4	1	107	178	368	747	1414

थाना मथुरागेट के अन्तर्गत निम्नलिखित शस्त्र की दुकानों पर जमा हथियारों का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	शस्त्र दुकान का नाम	वर्ष 2007		2008	2009	2010
1.	मोदी गन हाउस गंगा मंदिर भरतपुर	13		10	06	01
2.	सोही गन हाउस भरतपुर	04	-	-	-	-

3. रोबिन गन हाउस भरतपुर पर 2 हथियार जमा

अलवर जिले के पुलिस थानों/चौकियों में रिक्त पद

589. श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कितने थाने नये भवनों में स्थानान्तरित हुए ?

(2) क्या सरकार थानों के पुराने भवनों में नई पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार मेवात क्षेत्र में बने नये सड़क मार्गों पर पुलिस चैक पोस्ट खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) निरीक्षक स्तर के थानों व उप निरीक्षक स्तर के थानों, पुलिस चौकी, चैक पोस्ट में पद के अनुसार कितने-कितने कार्मिकों की व्यवस्था होनी चाहिए ?

उत्तर

(1) अलवर जिलें में पांच पुलिस थानों को नये भवनों में स्थानान्तरित किया गया है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नही। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है1

(4) पुलिस थानों व चौकियों में क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, अपराधिक प्रकरणों की संख्या, क्षेत्र की साम्प्रदायिक स्थिति, कानून एवं व्यवस्था, क्षेत्र के औद्योगिक विस्तार एवं पर्यटक आदि को ध्यान में रखते हुये ही कार्मिकों की व्यवस्था की जाती है ।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी भगवानपुर (टोंक) के खेल मैदान हेतु भू-आबंटन

590. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय विद्यालयों को खेल मैदान आदि के लिए भूमि आबंटन की जाने हेतु नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो किस श्रेणी के विद्यालय के लिए कितनी-कितनी भूमि ? नियम तथा जारी किये गये परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) के अनेक विद्यालयों को अभी तक भूमि का आबंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा उन्हें कब तक भूमि आबंटन कर दिया जावेगा ? उक्त प्रकार के विद्यालयों की सूची मय विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् टोंक द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली को पत्र क्रमांक : जिपटो/पंचा/09/3267-68 दिनांक 11-05-2009 लिखा जाकर भवनविहीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी भगवानपुरा के लिए खेल मैदान एवं भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को कितनी भूमि, किस तारीख को आवंटित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जा चुकी है तथा नहीं, तो किसकी त्रुटि से एवं अब कब तक भूमि आबंटित कर दी जावेगी? आबंटन आदेश एवं राजस्व रिकार्ड की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आबंटन) नियम-1963 के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों को भवन एवं खेल मैदान के लिए भूमि का आबंटन किये जाने का प्रावधान है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) के जिन विद्यालयों द्वारा भवन अथवा खेल मैदान के लिए भूमि आबंटन के लिए आवेदन किया गया है उन्हें भूमि का आबंटन कर दिया गया है । विद्यालयों द्वारा आवंटन के लिए आवेदन किये जाने पर आबंटन किया जाता है। ब्लाक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त भवनविहीन एवं खेल मैदानविहीन विद्यालयों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। भगवानपुरा स्कूल को उपखण्ड अधिकारी देवली के आदेश क्रमांक 12023-26 दिनांक 30.12.09 द्वारा खसरा नम्बर 567 में 0.50 है. भूमि का आबंटन किया गया है। जिसका ग्राम मालेडा के नामान्तरकरण संख्या 623 द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है आबंटन आदेश एवं नामान्तरकरण सं. 623 की छाया प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजसमन्द जिले के प्रस्तावित राजस्व गांव

591. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला राजसमन्द में गत वर्ष कितने राजस्व गांव बनाये गये तथा आगामी वित्तीय वर्ष में कितने राजस्व गांव बनाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा तहसील या उपखण्ड स्तर पर नये राजस्व गांवों के प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात कितनी समय सीमा में राजस्व गांव घोषित करने का प्रावधान है? क्या सरकार ऐसी समय सीमा का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द में वर्ष 2008-09 में 18 राजस्व गांव बनाये गये तथा चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में 1 राजस्व गांव बनाया गया।

भारत की जनगणना-2011 का कार्य प्रक्रियाधीन होने से नवीन राजस्व ग्रामों का बनाया जाना प्रतिबन्धित किये जाने के कारण वर्ष 2010-11 में कोई भी नये राजस्व ग्राम नहीं बनाये जा सकेंगे।

(2) तहसील या उपखण्ड स्तर पर नये राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी (तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी) द्वारा प्रस्ताव को नियमानुसार परीक्षण कर सही पाये जाने पर कलक्टर के माध्यम से राजस्व मण्डल को यथाशीघ्र प्रेषित कर दिया जाता है तथा राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्ताव की जांच कर उपयुक्त पाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव उचित पाये जाने पर नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी की जाती है। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, न ही राज्य सरकार कोई समय सीमा का प्रावधान रखने का विचार रखती है।

कोटपूतली को जिले का दर्जा

592. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कोटपूतली को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(श्री रामस्वरूप कसाना)

(2) कोटपूतली को जिला कब तक बना दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जनगणना-2011 का कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण जिलों, तहसीलों, कस्बों तथा ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार/सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को मार्च, 2011 तक प्रतिबन्धित किया हुआ है। अतः मार्च, 2011 तक राज्य सरकार द्वारा कोई भी नवीन जिला बनाने हेतु विचार नहीं किया जा सकता है।

(2) प्रशन 1 के उत्तर अनुसार।

नोहर तहसील (हनुमानगढ़) के किसानों को खातेदारी अधिकार

593. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1976 में नोहर तहसील, जिला हनुमानगढ़ में राजस्थान सीलिंग अधिग्रहण नियम के तहत भूमिहीन किसानों को भूमि आबंटित की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि आबंटित भूमि की किसानों से (लगान) निर्धारित कर ब्याज सहित राशि वसूली गई तथा खातेदारी अधिकार देते समय भेदभाव बरता गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि आबंटन की एक ही सूची में गांव सिरंगसर, देवासर, जबरासर, धानसिया आदि में किस्तें भरने के बाद एक साथ खातेदारी अधिकार दिये गये? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त गांवों की आबंटन सूची में कितने किसानों को खातेदारी अधिकार दिये गये तथा कितने शेष रहे और किस्त भरने के बाद भी क्या कोई किसान खातेदारी अधिकारों से वंचित रह गये? यदि हां, तो क्यों? दोनों प्रकार के किसानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 1976 में सीलिंग अधिग्रहण भूमि का भूमिहीन किसानों को आबंटन किया गया था।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। आबंटियों से निर्धारित कीमत 62.50 रूपये प्रति बीघा की दर से भूमि कीमत मय ब्याज वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। खातेदारी अधिकार देते समय भेदभाव की बात सही नहीं है।

(3) यह सही नहीं है कि एक ही सूची में गांव सिंरगसर, देवासर, जबरासर, धानसिया में किस्तें भरने के बाद एक साथ खातेदारी अधिकार दिये गये, वरन जैसे-जैसे कृषकों द्वारा किस्तें चुकता की गई, वैसे-वैसे खातेदारी अधिकार दिये गये हैं।

(4) उक्त गांवों की आबंटन सूची में अब तक 36 किसानों को खातेदारी अधिकार दिये गये तथा 38 किसानों को अभी खातेदारी अधिकार दिये जाने हैं। इन 38 कृषकों की समस्त राशि जमा नहीं होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं। समस्त राशि जमा करने वाले समस्त काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। दोनों प्रकार के आबंटियों की सूची परिशिष्ट ''अ'' एवं परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट ''अ''

खातेदारी अधिकार की सूची

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**	**आबंटी का नाम**	**कुल रकबा**
1.	सिंरगसर	वीरजा/सोहन चमार	25.00
2.	सिंरगसर	खंगा/दोला चमार	25.00
3	सिंरगसर	बीरू/कुरडाराम	25.00
4.	सिंरगसर	लिछीराम/ईशर चमार	25.00
5.	सिंरगसर	गजु/कुरडा चमार	25.00
6.	सिंरगसर	मंगतू/हजारी चमार	25.00
7.	सिंरगसर	उम्मेद/ईशरराम चमार	22.00
8.	सिंरगसर	भला/रेखा हरिजन	10.00
9.	सिंरगसर	लाई/भागीरथ जाट	25.00
10.	सिंरगसर	अमृतलाल/चेतराम जाट	25.00
11.	सिंरगसर	रामलाल/चेतराम जाट	27.00
12.	सिंरगसर	जस्सू/किशनपुरी गोस्वामी	25.00

क्र.सं.	ग्राम का नाम	आबंटी का नाम	कुल रकबा
13.	सिंरगसर	नोरंगलाल/स्हीराम	25.00
14.	सिंरगसर	जगदीश/लालचन्द जाट	25.00
15.	सिंरगसर	जगदीश/लादूसिंह राजपूत	25.00
16.	सिंरगसर	कालू जाट	25.00
17.	सिंरगसर	हरचन्द/गोरू	25.00
18.	सिंरगसर	श्रीमती भंवरी/सोहनलाल	25.00
19.	सिंरगसर	पेमाराम/गंगाराम जाट	25.00
20.	सिंरगसर	उदाराम/रामचन्द	25.00
21.	सिंरगसर	केशरा/रूघा जाट	25.00
22.	सिंरगसर	हेतराम/धनाराम जाट	25.00
23.	सिंरगसर	दुनीराम/मुकनाराम	21.00
24.	देवासर	जयनारायण/कुशलराम ब्राह्मण	20.00
25.	देवासर	श्रीमती भंवरी देवी/हरजी लुहार	18.00
26.	देवासर	मदनलाल/हरजी हरिजन	20.00
27.	देवासर	मोतीराम/कुभाराम हरिजन	20.00
28.	देवासर	मु. सीता/छलू हरिजन	22.12
29.	देवासर	टीकूराम/लिछमण चमार	24.00
30.	देवासर	जगदीश/हरिराम ब्राह्मण	24.00
31.	देवासर	मागगर/बदरगर गुंसाई	22.00
32.	देवासर	मु. खबणी/फूल भारती	21.00
33.	देवासर	बलवन्तपुरी/शंकरपुरी गुंसाई	23.00
34.	देवासर	भंवरलाल/बालूराम ब्राह्मण	23.00
35.	देवासर	सुगनाराम/पीथाराम चमार	23.15
36.	जबरासर	धर्मपाल/माणाराम गुंसाई	6.04

परिशिष्ट ''ब''

सीलिंग आबंटियान की सूची गैर खातेदारान तहसील नोहर

क्र.सं.	ग्राम का नाम	आबंटी का नाम	कुल रकबा
1.	जबरासर	धर्मपाल/माणाराम	5.04
2.	जबरासर	चेतराम/किकरराम	7.10
3	जबरासर	रेडाराम/बिसाऊराम	15.05
4.	जबरासर	कालूराम/लूणाराम	25.01
5.	जबरासर	जमालदीन/भादर	23.13
6.	जबरासर	मंसूराम/किकर	24.10
7.	जबरासर	सुखाराम/रामरतन	16.00
8.	जबरासर	आदराम/मामचन्द	18.00
9.	जबरासर	दाना/गौरू	18.03
10.	जबरासर	फुलाराम/मालाराम	18.03
11.	जबरासर	धनाराम/देबूराम	17.16
12.	जबरासर	खेता/परतू	31.00
13.	जबरासर	रतीराम/बालाराम	10.00
14.	जबरासर	नथूराम/धोकलराम	24.12
15.	जबरासर	रेवता/चुनी	7.00
16.	जबरासर	लीलूराम/धनाराम	18.12
17.	सिंरगसर	दुनीराम/मुकनारमा	21.11
18.	सिंरगसर	गोरखा/चुनी चमार	25.00
19.	सिंरगसर	देवीलाल/नानकराम	20.00
20.	सिंरगसर	जनरेलसिंह/भागसिंह	24.00
21.	सिंरगसर	करनेलसिंह/भागसिंह	24.0
22.	सिंरगसर	बचन/केसरा	12.10
23.	सिंरगसर	रामू/केसरा	12.10
24.	सिंरगसर	हसना/इलाहि	12.17
25.	सिंरगसर	लेखराम/भागीरथ	24.00
26.	सिंरगसर	जस्सू/किसनपुरी	22.10
27.	सिंरगसर	रणजीत/भागीरथ	25.00
28.	सिंरगसर	कृष्णा/धनाराम	25.10

क्र.सं.	ग्राम का नाम	आबंटी का नाम	कुल रकबा
29.	सिंरगसर	जगदीश/लादूसिंह	26.00
30.	सिंरगसर	रघुवीर/भागीरथ	25.00
31.	सिंरगसर	जोगराम/धन्नाराम	20.00
32.	सिंरगसर	मनीराम/गिरधारी	25.00
33.	सिंरगसर	बीरबल/जैसा	27.00
34.	सिंरगसर	हीरालाल/सोहनलाल	21.12
35.	सिंरगसर	रेवतराम/जैसाराम	26.00
36.	सिंरगसर	लालचन्द/रूघाराम	25.00
37.	सिंरगसर	भवानीशंकर/बिरदालाल	22.00
38.	धानसिया	गोपाल/माणाराम	22.00
		कुल योग	**38**

झालावाड़ जिले में भू-प्रबन्ध कार्य

594. श्री मदनलाल वर्मा (डग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला झालावाड़ में वर्ष 1975 के बाद सेटलमेंट कब किया गया और अब सरकार अगला सैटलमेंट कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला झालावाड़ में वर्ष 1975 के बाद तहसील झालरापाटन के 13 ग्रामों का सर्वे सैटलमेंट वर्ष 1977 में किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी तहसील का सैटलमेंट फिलहाल किये जाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय, कोटा के पास वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ एवं जिला बारां की तहसीलों का भू-प्रबन्ध कार्य जैरकार है। बारां एवं चित्तौड़गढ़ का भू-प्रबन्ध कार्य पूर्ण होने के बाद झालावाड़ जिले में भू-प्रबन्ध करवाने पर विचार किया जा सकेगा।

बीकानेर जिला कलक्टर के समक्ष राजस्व के लम्बित प्रकरण

595. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष राजस्व के कितने मामले

(श्री देवी सिंह भाटी)

विचाराधीन हैं? मुकदमों के दर्ज होने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सैकड़ों की तादाद में वर्षों से चल रहे मुकदमों का निस्तारण लम्बे समय से नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अलग से राजस्व का कैम्प कोर्ट लगाकर लम्बे समय से लम्बित मुकदमों का निपटारा करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर बीकानेर के न्यायालय में राजस्व से संबंधित कुल 388 मामले विचाराधीन हैं। मुकदमों के दर्ज होने की तिथि सहित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) लम्बित मुकदमों का निस्तारण नियमित रूप से किया जा रहा है। लोकसभा, नगर निगम एवं पंचायत चुनाव तथा वकीलों की लम्बे समय तक चली हडताल के कारण मुकदमों के निस्तारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में पुराने लम्बित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

(3) फिलहाल अलग से कैम्प कोर्ट लगाये जाने का विचार नहीं है। लम्बित मुकदमों का निस्तारण नियमित रूप से किया जा रहा है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बिलाड़ा तहसील मुख्यालय में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

596. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009-10 में तहसील मुख्यालयों पर उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कितने एवं कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बिलाड़ा में भी तहसील मुख्यालय एवं उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या एवं कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 9(1) राज./1/97/पार्ट-II दिनांक 9.9.09 द्वारा 47 तहसील मुख्यालयों पर उपखण्ड कार्यालय तथा 5 स्थानों पर सहायक कलक्टर कार्यालयों को क्रमोन्नत कर उपखण्ड कार्यालय सृजित किये गये हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। तहसील बिलाड़ा में उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय पहले ही पीपाड़ सिटी में सृजित है। बिलाड़ा में अलग से उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। ''प्रत्येक तहसील में'' उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय खोलने का नीतिगत निर्णय लिया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गोपालपुरा ग्राम, सुजानगढ़ तहसील के पटवार भवन का निर्माण प्रकरण

597. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोपालपुरा, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में पटवार भवन बना हुआ है? यदि हां, तो कब से तथा इस भवन की जमीन (माप सहित) एवं निर्माण में किस-किस व्यक्ति/संस्था ने कब-कब कितना दान सहायतार्थ दिया तथा सरकार द्वारा इसकी मरम्मत/नवीनीकरण पर कितना खर्च किया गया भवन के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस भवन (रसोईघर, स्नानघर एवं शौचालय एवं दीवार) को तोड़कर उसकी जमीन को पंचायत भवन गोपालपुरा में सम्मिलित कर लिया गया हैं? यदि हां, तो आदेश किस अधिकारी ने कब तथा किसके आवेदन करने पर दिये? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के तोड़ दिया गया हैं? यदि हां, तो किसके आदेश से? क्या सरकार द्वारा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन को तोड़ने के संबंध में तहसीलदार, सुजानगढ़ ने कलक्टर चूरू को पत्र लिखा है? यदि हां, तो कब-कब

(श्री रामलाल गुर्जर)

व इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी? संबंधित पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कुछ संस्थाओं/संघों द्वारा भी उक्त की आपित्त/शिकायत जिला कलक्टर चूरू, एसडीएम/तहसीलदार, सुजानगढ़ को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो किस-किस द्वारा कब-कब तथा इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी और इसमें विलम्ब के क्या कारण रहे? समस्त पत्राचार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत गोपालपुरा (तहसील सुजानगढ़) ने उक्त तोड़े गये भवन के स्थान पर नया भवन (रसोईघर, स्नानघर एवं शौचालय एवं दीवार) बनाकर देने के संबंध में कोई समझौता/सहमति दी है? यदि हां, तो किसको तथा कब? इस समझौते/सहमति में क्या-क्या शर्तें तय हुई हैं? क्या इस नये भवन (रसोईघर, स्नानघर एवं शौचालय एवं दीवार) के निर्माण पर दानदाता का नाम लिखा जायेगा? यदि हां, तो किसका व क्यों तथा इस पर किस मद से कितनी राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त भवन को तोड़ने के उपरांत भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक एफ.आई.आर. दर्ज करा दी जावेगी तथा यदि नहीं, तो क्यों?

(8) क्या यह भी सही है कि इस तोड़े गये भवन के स्थान पर नया भवन (रसोईघर, स्नानघर एवं शौचालय एवं दीवार) बनाना शुरू कर दिया? यदि हां, तो किस व्यक्ति/संस्था द्वारा तथा कब से किसके आदेश से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या यह सही है कि गोपालपुरा के खसरा नं. 1025/303 के पूर्व खातेदार श्री लादुराम पुत्र तिलोकाराम जाति प्रजापत निवासी गोपालपुरा द्वारा भूमि को तहसीलदार या ग्राम पंचायत, गोपालपुरा को दी गई है? यदि हां, तो कब? इस संबंध में किये गये पत्र व्यवहार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम गोपालपुरा में पटवार भवन का निर्माण 1976-77 में

(राजस्व मंत्री)

हुआ है। गोपालपुरा की भूमि खसरा नं. 301, 302 (1025/703) के खातेदार लादुराम पुत्र तिलोकाराम कुम्हार निवासी गोपालपुरा द्वारा यह भूमि ग्राम पंचायत गोपालपुरा को आबादी विस्तार के प्रयोजनार्थ दिनांक 30.12.1974 को जरिये रजिस्ट्री संख्या 770 से दान की थी, जिसका रकबा 9 बीघा था, जिसमें उत्तर में 54 फिट 8 इंच, दक्षिण में 59 फिट 5 इंच, पूर्व में 27 फिट एवं पश्चिम में 24 फिट 6 इंच माप पर पटवार भवन बना हुआ है। पटवार भवन गोपालपुरा पर मरम्मत एवं नवीनीकरण में वर्ष 1982-83 में 2000/- रुपये, 1987-88 में 1500/- रुपये, 1990-91 में 5000/- रुपये, 1995-96 में 7000/ - रुपये एवं 2006-07 में 15000/- रूपये कुल 30500/- रूपये खर्च हुये हैं। जिस समय उक्त पटवार भवन का निर्माण किया गया था, उस समय का नक्शा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान पटवार भवन की स्थिति का नक्शा परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां। इस भवन को तोड़ने हेतु किसी अधिकारी द्वारा आदेश नहीं दिया गया था एवं न ही किसी ने आवेदन किया था।

(3) जी हां। मिनी सचिवालय की अवधारणा के प्रयोजनार्थ एवं जनहितार्थ नवनिर्माण के उदेश्य से पुराने भवन का कुछ हिस्सा हटाया गया है।

(4) जी हां। उक्त भवन को तोड़ने के सम्बन्ध में तहसीलदार सुजानगढ़ ने दिनांक 08.12.2009 को जिला कलक्टर चुरू को पत्र लिखा था। जिला कलक्टर चुरू के पत्र दिनांक 10.12.2009 के द्वारा राजस्व रेकार्ड के अनुसार तथ्यों की जांच करने के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा गोपालपुरा की सरपंच श्रीमती सविता राठी को दिनांक 10.12.2009 को नोटिस दिया गया था, जिसके उत्तर में श्रीमती सविता राठी द्वारा जबाब दिया गया था कि पटवार भवन की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। मिनी सचिवालय की अवधारणा के प्रयोजनार्थ एवं जनहितार्थ नवनिर्माण के उदेश्य से पुराने भवन का कुछ हिस्सा हटाया गया है। पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'ब-1' से 'ब-4' संलग्न हैं।

(5) जी हां। पटवार संघ, चुरू उप शाखा सुजानगढ़ द्वारा दिनांक 10.12.2009 एवं 22.12.2009 को जिला कलक्टर चुरू को शिकायत की गयी थी। ग्राम गोपालपुरा निवासी बजरंगदास स्वामी एवं नेमीचंद नाई ने दिनांक 14.12.2009 एवं 29.12.2009 को जिला कलेक्टर चुरू को ज्ञापन दिया था।

(राजस्व मंत्री)

दिनांक 01.01.2010 को जिला कलक्टर चूरू द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ से मांगी गई थी। उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ द्वारा दिनांक 12.03.2010 को प्रकरण की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर चूरू को प्रेषित कर दी गयी थी। माह जनवरी, फरवरी 2010 में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव में अतिव्यस्तता के कारण जांच एवं रिपोर्ट प्रेषित करने में विलम्ब हुआ। पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'स-1' से 'स-6' संलग्न है।

(6) इस सम्बन्ध में कोई लिखित समझौता नहीं किया गया है, लेकिन पटवार संघ सुजानगढ़ एवं सरपंच गोपालपुरा के मध्य पूर्व स्थान पर पूर्ववत पुनः निर्माण की मौखिक सहमति बनी, जिसमें निर्मित स्थल पर दानदाता का नाम लिखने की शर्त सम्मिलित नहीं थी। विकास अधिकारी सुजानगढ़ द्वारा नव निर्माण हेतु 75000/- रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'द' संलग्न है।

(7) जी हां। प्रकरण में पुनः निर्माण पूर्ववत बनाये जाने की सहमति बन जाने एवं उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ की जांच रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं माने जाने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गई।

(8) जी हां। तोड़े गये पटवार भवन के नवनिर्माण का कार्य प्रगति पर है। पुनः निर्माण ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा विकास अधिकारी सुजानगढ़ की स्वीकृति से करवाया जा रहा है। विकास अधिकारी द्वारा जारी की गई वित्तीय स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(9) जी हां। गोपालपुरा के खसरा नं. 1025/303 के पूर्व खातेदार लादुराम पुत्र तिलोकाराम जाति प्रजापत निवासी गोपालपुरा द्वारा यह भूमि ग्राम पंचायत गोपालपुरा को आबादी हेतु दिनांक 30.12.1974 को दान की गई थी। पंजीकृत दान-पत्र की प्रति परिशिष्ट 'य' संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भूरटिया कला ग्राम चाकसू तहसील की सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण

598. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम भूरटिया कला, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में कितनी

(श्री कालीचरण सराफ)

सिवायचक भूमि उपलब्ध है? खसरा नंबर एवं रकबा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर तथा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम भूरटिया कला तहसील चाकसू जिला जयपुर में 59.07 हैक्टयर सिवायचक भूमि उपलब्ध है। सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त सिवायचक भूमि में से 0.91 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही जैरकार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में आरक्षित चरागाह भूमि

599. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी कितनी चरागाह भूमि आरक्षित है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम पंचायतवार उपलब्ध चरागाह भूमि की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आने वाली ग्राम पंचायतों की सूचना

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	चरागाह भूमि	वि.वि.
1.	भगवाडी खुर्द	15.71	-
2.	जटगावडा	1.09	-
3.	जखराना	69.22	-
4.	मांचल	8.83	-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	चरागाह भूमि	वि.वि.
5.	भांगलखोडिया	6.6	-
6.	रामसिंहपुरा	55.96	-
7.	गण्डाला	5.82	-
8.	अनन्तपुरा	71.67	-
9.	खोहर	47.25	-
10.	बलई	107.42	-
11.	ढुढारिया	88.9	-
12.	शेरपुर	89.83	-
13.	रिवाली	34.97	-
14.	जागुवास	35.79	-
15.	कारोडा	81.71	-
16.	बडोंद	6.12	-
17.	काकंरदोया	-	-
18.	पहाडी	17.96	-
19.	जैनपुरवास	39.56	-
20.	मोहम्मदपुर	50.02	-
21.	गुजरवास	13.32	-
22.	बूढवाल	36.64	-
23.	महाराजावास	24.19	-
24.	कोहराना	22.47	-
25.	तसींग	-	-
26.	खोहरी	69.41	-
27.	गादोज	9.7	-
28.	हमीपुर	63.49	-
29.	गूंती	59.65	-
30.	कायसा	102.76	-
31.	रैवाना	30.01	-
32.	दासोद	35.15	-
33.	डूमरोली	131.1	-
34.	अकलीमपुर	15.53	-
35.	बिचपुरी	43.12	

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	चरागाह भूमि	वि.वि.
36.	माढण	10.59	-
37.	खून्दरोठ	25.47	-
38.	कान्हवास	43.74	-
39.	डाबडवास	27.85	-
40.	भाजरा	31.82	-
41.	माजरीकला	46.38	-
42.	परतापुर	85.75	-
43.	काठूवास	46.79	-
44.	महतावास	182.55	-
45.	नानगवास	40.03	-
46.	गिगलाना	43.89	-
47.	सांतो	91.75	-
48.	रोडवास	67.34	-
49.	हुडियाकला	61.63	-

राम कटोरी राजकीय नेत्र चिकित्सालय भरतपुर के चिकित्सक को वेतन भुगतान

600 **डा. दिगम्बर सिंह** (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राम कटोरी नेत्र चिकित्सालय राजकीय अस्पताल, भरतपुर में कार्यरत डा. निर्मलासिंह को जून, 2008 से वेतन नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार डा. निर्मलासिंह को लम्बे अर्से से वेतन नहीं दिये जाने के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी मानती है? यदि हां, तो किसको और नहीं, तो क्या डा. निर्मलासिंह को समय-समय पर नियमानुसार वेतन नहीं मिलना चाहिए था?

(3) क्या सरकार अब डा. निर्मलासिंह को जून, 2008 से बकाया वेतन दिलवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। डा. निर्मलासिंह को अनुपस्थित अवधि, आदेशों की

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रतीक्षा अवधि एवं अवकाश अवधि के अतिरिक्त शेष उपस्थित अवधि का वेतन भुगतान किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। डा. निर्मलासिंह की अनुपस्थित अवधि, आदेशों की प्रतीक्षा अवधि एवं अवकाश प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के कारण संबंधित समयावधि का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है, इसमें कोई कार्मिक दोषी नहीं है।

(3) जी हां। डा. निर्मलासिंह की अनुपस्थित अवधि/आदेशों की प्रतीक्षा अवधि एवं अवकाश प्रकरण का निस्तारण होने पर वेतन का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा।

किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

601. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़बास के ग्राम बगथला, पडासला, बूढीबावल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम बगथला एवं पडासला पंचायत समिति किशनगढ़बास तथा बूढीबावल पंचायत समिति कोटकासिम के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति किशनगढ़बास एवं कोटकासिम में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इसलिए उक्त ग्रामों में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालय भवनों का उपयोग

602. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की किस-किस ग्राम पंचायत में चिकित्सालय भवन बने हुए हैं तथा कहां-कहां पर उक्त भवनों को चिकित्सा सुविधा के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं तथा कहां-कहां पर चिकित्सालय के अभाव में भवन खाली पड़े हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों पर बने हुए चिकित्सालय भवनों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के नाम एवं उनके अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थान के नाम तथा उक्त विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा संस्थानों के लिए निर्मित भवनों के संबंध में ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमावारामगढ़ में 3 ग्राम पंचायत मुख्यालय राहोरी, मानोता एवं धर्मपुरा ऐसे हैं जिनके मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं होकर इसी ग्राम पंचायत के अन्य ग्राम क्रमशः रानीवास, डयोडाडूंगर एवं धामस्या में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्र, रानीवास एवं डयोडाडूंगर के भवन निर्मित हैं और उप स्वास्थ्य केन्द्र, धामस्या का भवन नहीं है परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था है।

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति जमवारामगढ़ में निर्धारित मापदण्ड से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इसलिए विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के नाम एवं उनके अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थान के नाम तथा उक्त विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा संस्थानों के लिए निर्मित भवनों के संबंध में ग्राम पंचायतवार विवरण निम्न प्रकार है

ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले ग्राम जिनमें चिकित्सा संस्थान स्वीकृत है	स्वीकृत चिकित्सा संस्थान का नाम	भवन उपलब्ध है अथवा नहीं	भवन उपयोग में लिया जा रहा है अथवा नहीं
1	2	3	4	5
गठवाडी	गठवाडी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	पुराने भवन में संचालित है	नया भवन एनआरएचएम के द्वारा निर्मित हो गया है हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
बोबाडी	बोबाडी	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
बहलोड	बहलोड	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
धोला	धोला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
जयचन्दपुरा	चारणवासगजाजी	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	जयचन्दपुरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र		
ताला	ताला	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
राजावास ताला	मांजीपुरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	राजपुरवासताला	उप स्वास्थ्य केन्द्र		
माथासुला	माथासुला	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
रायसर	रायसर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
महंगी	महंगी	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	नांगलतेजसिंह	उप स्वास्थ्य केन्द्र		
सामरेडकलां	सामरेडकलां	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
टोडामीणा	टोडामीणा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
भानपुरकलां	भानपुरकलां	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां

1	2	3	4	5
बासना	बासना	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	निब्बी	उप स्वास्थ्य केन्द्र		
इन्दगढ़	इन्द्रगढ	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
नटाटा	साइवाड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	नटाटा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
सायपुरा	सायपुरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
चावण्डका	मण्ड	उप स्वास्थ्य केन्द्र		
लागडीयावास	पालेडा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	लागडीयावास	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	वैकल्पिक व्यवस्था
रूपवास	हीरावाला	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	रूपवास	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	वैकल्पिक व्यवस्था
राहोरी	रानीवास	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
नायला	नायला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
पापड	सऊसारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	वैकल्पिक व्यवस्था
	पापड	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
रायपुर	रायपुर	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
भावनी	दांतली	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	भावनी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
सानकोटडा	सानकोटडा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	सरकारी भवन जर्जर स्थिति में है	वैकल्पिक व्यवस्था अन्य भवन में है
थली	थली	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
नीमला	डागोता बस्ती	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	नीमला	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
डागरवाडा	डागरवाडा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
आंधी	आंधी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
खवारानी	खवारानी	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
थौलाई	थौलाई	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां

1	2	3	4	5
फूटोलाव	फूटोलाव	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
बिरासना	बिरासना	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
नवेर	नवेर	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
खरकडा	खरकडा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
लालवास	नागलबेला	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
	लालवास	उप स्वास्थ्य केन्द्र		
धूलाराव	धूलाराव	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
बूज	बूज	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	वैकल्पिक व्यवस्था
चावण्डिया	चावण्डिया	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
मानोता	डयोडाडूंगर	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
धर्मपुरा	धामस्या	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	वैकल्पिक व्यवस्था
बिलोद	बिलोद	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	वैकल्पिक व्यवस्था
दंतालामीणा	दंतालामीणा	उप स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां
जमवारामगढ़	जमवारामगढ़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	है	हां

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के उपकरणों का रखरखाव

603. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के किस-किस यूनिट में कौन-कौन से उपकरण कितने-कितने समय से किस कारण खराब हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त खराब उपकरणों की मरम्मत करवाने का विचार रखती? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में खराब पड़े उपकरणों का यूनिटवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। मरम्मत योग्य उपकरणों की शीघ्र मरम्मत करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पण्डेर (भीलवाड़ा) हेतु निर्मित नवीन भवन

604. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर के लिए नया भवन एवं मेडिकल स्टाफ के लिए आवास गृहों का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य किस योजना में कब एवं कितनी-किनती राशि के स्वीकृत किये तथा इनका निर्माण कार्य कब-कब हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर पुराने भवन में ही संचालित किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को नये भवन में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि मेडिकल स्टाफ के लिए आवास गृहों का निर्माण करवाने के बावजूद इन्हें आबंटित नहीं करने से आवास गृहों के निर्माण पर व्यय की गई राशि के दुरूपयोग के साथ-साथ स्टाफ को मकान किराये भत्ते का भुगतान किये जाने से सरकार को दोहरा नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त आवास गृहों का आबंटन नहीं करने के क्या कारण रहे तथा इसके लिए कौन दोषी हैं ?

(4) अब सरकार कब तक इन आवास गृहों को आबंटित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला भीलवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर के भवन निर्माण के लिये एनआरएचएम योजना में दिनांक 23.06.2008 को 60.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी, उक्त स्वीकृति राशि के अन्तर्गत कुल रुपय 55.00 लाख के व्यय से भवन निर्माण का कार्य मार्च 2009 में पूर्ण हुआ एवं मेडिकल स्टाफ के लिए 7 आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए एनआरएचएम के अन्तर्गत अक्टूबर 2006 में 41.80 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी एवं आवासों का निर्माण कार्य कुल रुपये 39.00 लाख के व्यय से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवम्बर 2008 में पूर्ण किये जा चुके हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर का नया भवन निर्माण करवाया गया है। संबंधित अधिकारी को शीघ्र ही नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर में मेडिकल स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया है, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल संबंध कनेक्शन का कार्य नहीं किये जाने के कारण अभी तक चिकित्सा विभाग को अधिग्रहण नहीं करवाया गया है । इसलिए आवास गृहों का आबंटन नहीं किया गया है । जल कनेक्शन अप्रैल 2010 में पूर्ण होने की सम्भावना है। तद्पश्चात आवास गृहों के अधिग्रहण की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा चिकित्सा विभाग को आवास गृहों का अधिग्रहण करवाने के उपरान्त स्टाफ को आबंटित कर दिये जायेंगे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपल्दा में प्रसव कक्ष का निर्माण

605. **श्री प्रेमचन्द** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपल्दा, जिला कोटा के क्वार्टर क्षतिग्रस्त हैं?

(2) क्या सरकार क्षतिग्रस्त क्वार्टर का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जननी सुरक्षा योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपल्दा में प्रसव कक्ष बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपल्दा में कुल 8 आवास गृह निर्मित हैं जिनमें से 4 आवास गृह सही स्थिति में हैं और उनमें स्टाफ निवास करता है परन्तु 4 आवास गृह क्षतिग्रस्त हैं।

(2) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपल्दा में आवश्यकता के अनुसार स्टाफ के आवास गृह उपलब्ध हैं। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्षतिग्रस्त क्वार्टर का मरम्मत कार्य करवाये जाने पर विचार कर लिया जायेगा।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपल्दा के आपरेशन थियेटर को प्रसव कक्ष के लिये कार्य में लिया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्षों में प्रसव कक्ष का निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

बस्सी तहसील के दवा विक्रेता

606. **श्रीमती अंजु खन्गवाल** (बस्सी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर की तहसील बस्सी में दवा विक्रेताओं की कितनी दुकानें संचालित हैं? नाम एवं क्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त दवा विक्रेताओं की कितनी दुकानें लाइसेंस से और कितनी दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दवाई विक्रेता दवाओं का स्टाक एवं वितरण नियमानुसार मानदण्ड के आधार पर करते हैं?

उत्तर

(1) जिला जयपुर की तहसील बस्सी में 60 दवा विक्रेताओं की दुकानें संचालित हैं नाम व क्रमवार सूची परिशिष्ट–अ पर प्रस्तुत है।

(2) बस्सी तहसील में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तद्धीन नियमावली, 1945 के प्रावधानोनुसार लाइसेंस शुदा मेडिकल स्टोर संचालित है तथा बिना ड्रग लाइसेंस के दवा विक्रय की कोई दुकान संचालित नहीं है।

(3) जी हां। अनियमितता पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट-अ

जिला जयपुर की तहसील बस्सी में दवा विक्रेताओं की दुकानें संचालित हैं उनके नाम व क्रमवार सूची निम्न प्रकार है

क्र.सं.	मेडिकल दुकान का नाम
1.	मैसर्स जय बालाजी मेडिकल स्टोर, बस्सी चक
2.	मैसर्स महालक्ष्मी फार्मा, गंगाधाम, बस्सी
3.	मैसर्स श्रीनाथ मेडिकल स्टोर, गंगाधाम, बस्सी
4.	मैसर्स सन्नी मेडिकल स्टोर, बस स्टैण्ड, बस्सी
5.	मैसर्स भगवती मेडिकल स्टोर, तुंगा रोड, बस्सी
6.	मैसर्स जयमाता दी मेडिकल स्टोर, तुंगा रोड बस्सी
7.	मैसर्स शुभम फार्मास्युटीकल, तुंगा रोड, बस्सी
8.	मैसर्स मनोज मेडिकल फार्मा, नीलम टाकीज के पास, बस्सी
9.	मैसर्स ठाकुरिया मेडिकल स्टोर, कल्याण गंज, बस्सी
10.	मैसर्स गुप्ता मेडिकल स्टोर, गौर बाजार, बस्सी
11.	मैसर्स बुसर मेडिकल स्टोर, बंसीघर के मंदिर के पास, बस्सी
12.	मैसर्स बाबा मेडिकल स्टोर, बंसीघर के मंदिर के पास, बस्सी
13.	मैसर्स ऋषि मेडिकल स्टोर, बंसीघर के मंदिर के पास, बस्सी
14.	मैसर्स मीणा मेडिकल, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
15.	मैसर्स शुभम लक्ष्मी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
16.	मैसर्स भाभाजी मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
17.	मैसर्स हरिओम मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
18.	मैसर्स संजीव मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
19.	मैसर्स कौशिक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
20.	मैसर्स श्री विठ्ठल मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
21.	मैसर्स रेनुका मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
22.	मैसर्स शिवशंकर मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
23.	मैसर्स खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
24.	मैसर्स जय अम्बे मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी

क्र.सं.	मेडिकल दुकान का नाम
25.	मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
26.	मैसर्स श्री राधाकृष्ण मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
27.	मैसर्स जगदम्बा मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
28.	मैसर्स हर्ष मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
29.	मैसर्स आशिष मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने, बस्सी
30.	मैसर्स पुरोहित मेडिकल स्टोर, सी.एच.सी. के सामने बस्सी
31.	मैसर्स गौरी मेडिकल स्टोर, भालीराम अस्पताल के पास, बस्सी
32.	मैसर्स राज. राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार, अस्पताल के पास, बस्सी
33.	मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर, बांसखो, बस्सी
34.	मैसर्स हरिओम मेडिकल स्टोर, बांसखो, बस्सी
35.	मैसर्स विक्रम मेडिकल स्टोर, बांसखो, बस्सी
36.	मैसर्स मीणा मेडिकल स्टोर, बांसखो, बस्सी
37.	मैसर्स गुप्ता मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
38.	मैसर्स सुनील मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
39.	मैसर्स भायाजी मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
40.	मैसर्स तुंगा मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
41.	मैसर्स श्रीराम मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
42.	मैसर्स गणेश मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
43.	मैसर्स खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
44.	मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
45.	मैसर्स पारीक मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
46.	मैसर्स माभोडिया मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
47.	मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर, तुंगा, बस्सी
48.	मैसर्स भारत मेडिकल स्टोर, बडवा, बस्सी
49.	मैसर्स संतोष मेडिकल स्टोर, बंडवा, बस्सी
50.	मैसेर्स भारद्वाज मेडिकल स्टोर, कानोता, बस्सी
51.	मैसर्स अभिषेक मेडिकल स्टोर, कानोता, बस्सी
52.	मैसर्स श्रीराम मेडिकल स्टोर, कानोता, बस्सी
53.	मैसर्स दुर्गा मेडिकल स्टोर, कानोता, बस्सी

क्र.सं.	मेडिकल दुकान का नाम
54.	मैसर्स भुखमारिया मेडिकल स्टोर, कानोता, बस्सी
55.	मैसर्स ऋषि मेडिकल स्टोर, कानोता, बस्सी
56.	मैसर्स चावला मेडिकल स्टोर, सांभरिया, बस्सी
57.	मैसर्स अग्रवाल मेडिकल स्टोर, सांभरिया, बस्सी
58	मैसर्स शर्मा मेडिकल स्टोर, सांभरिया, बस्सी
59.	मैसर्स एन.बी. फार्मास्यूटिकल, बस्सी
60.	मैसर्स बजरंग फार्मास्यूटिकल, बस्सी

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

607. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाल श्रम पर जो कानून बने हैं, उनसे कितने बाल श्रमिकों को लाभ पंहुचाया गया तथा गत पांच वर्षों में कितने बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में बाल अपराध को रोकने के लिए तथा बाल अपराधियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत पांच वर्षों में उक्त योजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार व जिलेवार आबंटित राशि, व्यय राशि व लाभान्वितों की संख्या (बालक व बालिकाओं की अलग-अलग संख्या) का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाल श्रम से संबंधित बने कानूनों के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के माध्यम से कुल 39166 बाल श्रमिकों का पुनर्वास (शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया) जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बाल अपराध को रोकने के लिए कोई योजना संचालित नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधि से संघर्षरत किशोर/किशोरियों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों से रखा जाता है। इनके पुनर्वास के लिए वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है।

(3) सूचना शून्य है।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संस्थाओं के माध्यम से लाभान्वित एवं पुनर्वासित हुए बाल श्रमिकों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	लाभान्वित एवं पुनर्वासित हुए बाल श्रमिकों की संख्या
1.	जयपुर	5717
2.	जोधपुर	1993
3.	अलवर	3119
4.	अजमेर	2932
5.	उदयपुर	5370
6.	टोंक	2966
7.	भीलवाड़ा	2038
8.	श्रीगंगानगर	2000
9.	बाड़मेर	1366
10.	धौलपुर	1950
11.	पाली	-
12.	डूंगरपुर	398
13.	बून्दी	1650
14.	चूरू	-
15.	जालौर	935
16.	नागौर	782
17.	बांसवाड़ा	600
18.	झालावाड़	--
19.	भरतपुर	1350
20.	बीकानेर	1450
21.	चित्तौड़गढ़	-
22.	झुन्झुनूं	1550
23.	सीकर	1000
	योग	**39166**

सीकर जिले में स्कूली व्याख्याताओं के रिक्त पद

608. **श्री गोविन्द सिंह डोटासर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में स्कूली व्याख्याताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में स्कूली व्याख्याताओं के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

झाडोल/कोटड़ा पंचायत समिति में विषय व्याख्याताओं के रिक्त पद

609. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाड़ोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, झाडोल और कोटड़ा के विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से विषय के कब से ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति झाड़ोल एवं कोटड़ा के विद्यालयों में विषय व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-''क'' पर संलग्न है।

रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट 'क'

नीम पंचायत जशिवि	विद्यालय का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	इतिहास	रसा. शास्त्र	जीव वि.	वाणिज्य	भूगोल	अर्थ शास्त्र	संस्कृत	रसा. शा.	स. शास्त्र
झाडोल	राउमावि बाधपुरा	1(8/07)	1(7/05)	-	1(7/08)	-	-	1(7/01)	-	-	-	-
झाडोल	राउमावि डेथा	1(10/02)	1(8/00)	1(5/07)	-	-	-		-	-	-	-
झाडोल	राउमावि गोराणा	1(11/08)	-	-	-	-	-	1(5/06)	-	-	-	1(11/08)
झाडोल	राउमावि कोल्यारी	1(4/09)	-	-	-	-	-	2(7/07 (6/05)	-	2(7/06) (10/09)	-	-
झाडोल	राउमावि झाडोल	1(1/00)	-	-	-	-	-	-	1(3/01)	-	-	-
झाडोल	राउमावि बा. झाडोल	2(1/00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झाडोल	राउमावि फलासिया	-	1(8/07)	1(9/08)	-	1(9/08)	3(11/08)	-	-	-	1(8/09)	-
झाडोल	राउमावि ओगणा	-	1(1/04)	1(9/99)	-	-	-	1(9/09)	-	-	-	-
झाडोल	राउमावि ओडा	-	-	1(4/03)	-	-	-		-	-	-	-
झाडोल	राउमावि ढीमडी	-	-	1(3/03)	-	-	-	1(2/03)	-	-	-	-
झाडोल	राउमावि विरोठी	-	-	1(1/08)	1(11/08)	-	-	1(11/08)	-	-	-	-

नीम पंचायत जशिवि	विद्यालय का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	इतिहास	रसा. शास्त्र	जीव वि.	वाणिज्य	भूगोल	अर्थ शास्त्र	संस्कृत	रसा. शा.	स. शास्त्र
झाडोल	राउमावि मगवास	-	-	-	-	-	-	1(4/05)	-	-	-	-
झाडोल	राउमावि गिरवा	-	-	-	-	-	-	1(11/08)	-	-	-	-
योग		07	04	06	02	01	03	09	01	02	01	01
कोटड़ा	राउमावि कोटडा		1(7/01)	1(3/09)	1(8/04)	-	-	-	-	-	-	-
कोटड़ा	राउमावि वास	1(3/09)	-	1(3/09)		-	-	-	-	-	-	-
कोटड़ा	राउमावि मालवा का चौराहा	1(3/09)	-	-	-	-	-	1(3/09)	-	-	-	-
कोटड़ा	राबाउमावि कोटडा	-	-	1(3/09)	1(3/09)	-	-	-	-	1(3/09)	-	-
योग		2	1	3	2	-	-	1	-	1	-	-

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

610. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़-जंक्शन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गादाणा विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन कब क्रमोन्नत किया गया था एवं वर्तमान में इस विद्यालय की छात्र संख्या कितनी है तथा क्या विद्यालय भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिये पर्याप्त है ?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालय को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालय गादाणा को माध्यमिक स्तर पर वर्ष 1991 में क्रमोन्नत किया गया था। वर्तमान में कुल 210 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय भवन उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु पर्याप्त है।

(3) जी नहीं ।

मकराना विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

611. **श्री जाकिर हुसैन गैसावत** (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के चलते गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम न्यून रहता आया है ? यदि हां, तो रिक्त पदों एवं विद्यालयवार न्यून परीक्षा परिणाम विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रेषित कर चुकी है ? यदि हां, तो अर्थनाओं की प्रति एवं मकराना क्षेत्र के विद्यालयों में सभी रिक्त/स्वीकृत पदों को भरने के लिए गत तीन वर्षों से अब तक किये गये प्रयास/कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विद्यान सभा क्षेत्र मकराना के मात्र 06 विद्यालयों का गत वर्षों का परीक्षा परिणाम न्यून रहा है । उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों एवं न्यून परीक्षा परिणाम के विवरण का परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभिन्न पदों हेतु निम्न प्रकार अर्थनाएं भिजवाई गई हैं :-

पदनाम	पदों की संख्या
प्रधानाध्यापक	1265
व्याख्याता	1622
वरिष्ठ अध्यापक	8981
वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	207
शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III	793

विधान सभा क्षेत्र मकराना में गत तीन वर्षों में 10 प्रधानाचार्यों, 14 प्रध्यानाध्यापकों, 5 व्याख्याताओं, 42 वरिष्ठ अध्यापकों के पद भरे गये हैं। इसके अतिरिक्त 12 व्याख्याता, 20 वरिष्ठ अध्यापक एवं 03 अध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्यार्थी मित्र लगाये जाकर अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है ।

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या					न्यून परीक्षा परिणाम		
		प्राचार्य	प्र.अ.	I ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड	वर्ष	कक्षा	परीक्षा परिणाम (प्रति. में.)
1	राउमावि बेसरोली	0	0	3	2	1			
2	राउमावि बोरावड	0	0	6	1	2			
3	राउमावि बुडसु	0	0	0	0	3			
4	राउमावि गच्छीपुरा	1	0	3	3	0			
5	राउमावि जाखली	0	0	2	2	1	06-07	10वीं	29.16
6	राउमावि मकराना	0	0	12	3	0	06-07	10वीं	22.81
	राउमावि मकराना						07-08	10वीं	20.00
7	राउमावि मनाना	0	0	6	1	0			
8	राउमावि रामसिया	0	0	3	1	1			
9	राउमावि रानीगांव	0	0	3	2	1			
10	राउमावि गेलासर	1	0	3	0	1	07-08	10वीं	25.00
11	राउमावि कालवा	0	0	3	3	1			
12	राउमावि बा. मकराना	1	0	2	5	2			

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या					न्यून परीक्षा परीणाम		
		प्राचार्य	प्र.अ.	I ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड	वर्ष	कक्षा	परीक्षा परिणाम (प्रति. में.)
13	राउमावि बा. बोरावड	0	0	3	1	1			
14	राउमावि बा. गच्छीपुरा	0	0	3	1	0			
15	रामावि सबलुपर	0	0	0	2	0	06-07	10वीं	26.66
16	रामावि सरनावडा	0	0	0	1	0	07-08	10वीं	25.00
17	रामावि आसखा	0	1	0	2	0			
18	रामावि बागोली	0	0	0	1	1			
19	रामावि बरवाली	0	0	0	0	0			
20	रामावि भीचावा	0	0	0	3	1			
21	रामावि बिल्लू	0	0	0	4	0			
22	रामावि चावण्डिया मकराना	0	0	0	2	0			
23	रामावि गेढाकला	0	0	0	2	1			
24	रामावि गुढावतली	0	0	0	1	0			
25	रामावि हुडिया	0	1	0	3	0			
26	रामावि इन्दोखा (मक)	0	1	0	2	0			

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या					न्यून परीक्षा परीणाम		
		प्राचार्य	प्र.अ.	I ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड	वर्ष	कक्षा	परीक्षा परिणाम (प्रति. में.)
27	रामावि जुसरी	0	0	0	2	0			
28	रामावि नं. 1 मकराना	0	0	0	2	0			
29	रामावि मोरेड	0	0	0	3	0			
30	रामावि बा. मनाना	0	1	0	4	0			
31	रामावि अलतवा	0	1	0	0	0			
32	रामावि भैयाकला	0	1	0	0	0			
33	रामावि भरनाई	0	0	0	0	0			
34	रामावि चिण्डालिया	0	1	0	0	0			
35	रामावि देवरी	0	0	0	0	0			
36	रामावि जुसरिया	0	0	0	0	0			
37	रामावि खेडीशिला	0	1	0	0	0			
38	रामावि खेलेरियानाडा	0	0	0	0	0			
39	रामावि ककडोद	0	1	0	0	0			
40	रामावि निम्बाडी	0	1	0	0	0			

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या					न्यून परीक्षा परीणाम		
		प्राचार्य	प्र.अ.	I ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड	वर्ष	कक्षा	परीक्षा परिणाम (प्रति. में.)
41	रामावि रायथलिया	0	0	0	0	0			
42	रामावि सफेदबडी	0	0	0	0	0			
43	रामावि खारडिया (मक.)	0	0	0	0	0			
44	रामावि बा. बुडसू	0	1	0	0	0			
45	रामावि बा. जुसरी	0	1	0	0	0			
46	रामावि बा. राजोराबास	0	1	0	0	0			
	योग	3	13	52	59	17			

कोटा सम्भाग के माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

612. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो निर्णय/ओदश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कोटा, बून्दी, बारां व झालावाड़ में कितनी ग्राम पंचायतें माध्यमिक विद्यालय से वंचित हैं ? इनमें सरकार कब तक माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । अब तक कुल 1379 राजकीय उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत के आदेश जारी किये जा चुके हैं। घोषणा की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न हैं।

(2) जिला कोटा के 28 ग्राम पंचायतों बून्दी के 28 ग्राम पंचायतों तथा बारां के 12 एवं झालावाड़ की 02 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित नहीं है। शेष रही ग्राम पंचायतों के विद्यालयों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने हेतु आवश्यकता एवं छात्र/छात्राओं की संख्या एवं भौगोलिक दृष्टि का आंकलन कर विचार किया जायेगा ।

परिशिष्ट ''क''

1.	Education Department 144.0.0	राज्य की 1 हजार 900 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं है। अत: मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
2.	Education Department 145.0.0	इसके साथ ही चालू वर्ष में 500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे।

राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में वाणिज्य संकाय

613. श्री पेमाराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्तमान में कुल कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं एवं उक्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय नहीं है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वाणिज्य संकाय विहीन विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में राज्य में वाणिज्य संकाय के विद्यालय व्याख्याताओं के कुल कितने पद कहां-कहां स्वीकृत एवं कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वाणिज्य संकाय के व्याख्याताओं के पद पर भर्ती की क्या प्रक्रिया है ? शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार राज्य में वाणिज्य संकाय के व्याख्याताओं के पदों पर सीधी भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 3139 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। जिनमें से 2697 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय संचालित नहीं है।

(2) वर्ष 2009-10 में 82 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आवश्यकता व उपलब्ध बजट तथा छात्र/छात्राओं की संख्या का आंकलन करने के पश्चात विचार किया जावेगा।

(3) वाणिज्य व्याख्याताओं (स्कूल शिक्षा) के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-''क'' पर संलग्न है।

(4) वाणिज्य व्याख्याताओं के पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। वाणिज्य व्याख्याता हेतु एवं वाणिज्य में स्नातकोत्तर (द्वितीय श्रेणी) एवं बी.एड. योग्यता निर्धारित है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-''ख'' पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(5) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर (सीकर) में रिक्त पद

614. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर) में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) कब से संचालित है ?

(2) उक्त संस्थान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

(3) उक्त संस्थान पर किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि वार्षिक व्यय की जा रही है ?

(4) उक्त संस्थान में किस-किस विषय/श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जाता है ? गत 5 वर्षों में किस-किस विषय/श्रेणी के कितने-कितने छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) फतेहपुर वर्ष 1996 से संचालित है।

(2) संस्थान में श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न (परिशिष्ट-1) ।

(3) संस्थान में मदवार वार्षिक व्यय की जा रही राशि का विवरण संलग्न (परिशिष्ट-2) ।

(4) संस्थान में विषयवार/श्रेणीवार गत 5 वर्षों में छात्रों को दिये जा रहे प्रशिक्षण का विवरण संलग्न (परिशिष्ट-3) ।

परिशिष्ट-1

संस्थान में श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	राजपत्रित/अराजपत्रित पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधीक्षक	01	-
2.	अनुदेशक (मैकेनिक मोटर व्हीकल)	01	-
3.	अनुदेशक (ड्रेस मेकिंग)	01	-
4.	अनुदेशक (कार्यशाला गणना एवं विज्ञान)	01	01
5.	वरिष्ठ लिपिक	01	-
6.	कनिष्ठ लिपिक	02	-
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	-
	योग	**11**	**01**

परिशिष्ट-2

संस्थान में मदवार वार्षिक व्यय की जा रही राशि का विवरण

(वर्ष 2009-10 नोन-प्लान)

क्र.सं.	मद का नाम	राशि (लाखों में)
1.	वेतन	30.00
2.	यात्रा-भत्ता	00.10
3.	चिकित्सा व्यय	00.02
4.	कार्यालय व्यय	00.12
5.	प्रशिक्षण व्यय	00.33
6.	वर्दियां	00.017
7.	पेंशन अंशदान	00.09
8.	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (एस.सी) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (एस.टी.) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (एस.सी) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (एस.टी.)	00.011 00.007 00.16 00.00
	योग	**30.86**

परिशिष्ट-3

संस्थान में विषयवार/श्रेणीवार गत 5 वर्षों में छात्रों को दिये जा रहे प्रशिक्षण का विवरण

(वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10)

क्र.सं.	व्यवसाय	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	वेल्डर	14	14	14	16	13
2.	ड्रेस मेकिंग	10	13	06	07	07
3.	मैकेनिक मोटर व्हीकल	00	19	-	21	00
	योग	**24**	**46**	**20**	**44**	**20**

नीलकण्ठ महादेव मन्दिर सैंदड़ा में शिवलिंगों की बरामदगी

615. श्री जयदीप (भादरा) : क्या कला संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि नीलकण्ठ महादेव मंदिर, ग्राम कोटड़ी, ग्राम पंचायत सेन्दड़ा, जिला पाली में हजारों वर्ष पुराने मंदिर में दो शिवलिंग स्थापित थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि तीन वर्ष पूर्व श्री देवीशंकर एवं अन्य निवासी ब्यावर द्वारा पांच व्यक्तियों का फर्जी ट्रस्ट बनाकर शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम से मंदिर तुड़वाकर दोनों शिवलिंग बाहर निकलवाये और ले गये, बाद में एक वर्ष बाद शिवलिंगों को स्थापित करवाया गया ?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त मंदिर से मूर्तियों को खुदवाकर बाहर निकालने की अनुमति दी गई है एवं क्या इन मूर्तियों को विभाग में जमा कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मूर्तियां गायब होने का पाली जिले के लोगों में विरोध व विवाद चल रहा है ?

(4) क्या सरकार ऐसे मूर्तियों को गायब करने वाले ट्रस्ट को भंग करने का विचार एवं गायब हुए नीलम के दोनों शिवलिंगों को उक्त ट्रस्टियों से बरामद कर दोषियों को सजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उक्त ग्राम में राज्य सरकार का कोई भी प्राचीन मन्दिर संरक्षित घोषित नहीं है।

(2) शिवलिंग हटाने का एक प्रकरण पुलिस थाना, सेन्दड़ा में न. 170/04.11.2009 दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन (FR No. 46/11-12-09) द्वारा लगा दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) पुलिस जांच में शिवलिंग गायब करने के प्रकरण पर एफ.आर. नम्बर 46/11.12.09 लगा दी गई है।

राज्य की अकादमियों में अध्यक्षों के रिक्त पद

616. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजुवाला) : क्या कला संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी अकादमियां कार्यरत हैं ? प्रत्येक अकादमी के अध्यक्षों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में अकादमियों में कितने अध्यक्षों के पद कब से रिक्त हैं ? बीकानेर स्थित राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का अध्यक्ष पद कब से रिक्त है ?

(3) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अकादमियों का गठन कर गतिविधियां शुरू करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधीन निम्न आठ भाषाई अकादमियां एवं दो अन्य अकादमियां कार्यरत हैं।

1- राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

2- राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर

3- राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, जयपुर

4- राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर

5- राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयपुर

6- राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

7- राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर

8- राजस्थान पंजाबी अकादमी, श्रीगंगानगर

(कला संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

9- राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर

10- राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर

(2) दिसम्बर, 2008 से सभी अकादमियों के अध्यक्षों के पद रिक्त हैं।

(3) अध्यक्षों की नियुक्ति राज्य सरकार के विचाराधीन है।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के पर्यटक स्थलों हेतु कार्ययोजना

617. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में साम्भर लेक स्थित देवयानी सरोवर, दरगाह, साम्भर झील, ज्वाला माता मन्दिर जोबनेर, दादू द्वार नरेगा आदि धार्मिक स्थालों को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजनाएं बनाने का विचार रखती है?

(2) उक्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा पर्यटन के विकास की दृष्टि से गत 5 वर्षों में कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। साम्भर स्थित पर्यटक स्थलों का विकास केन्द्रीय प्रवर्तित ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन योजनान्तर्गत किये जाने हेतु पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है।

देवयानी कुण्ड, साम्भर (जिला जयपुर) राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का संरक्षित स्मारक घोषित है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान द्वारा उक्त कुण्ड का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य करवाये गये हैं।

(2) साम्भर देवयानी एवं अन्य स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग से स्वीकृत राशि रु. 7.00 लाख एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान को 12वें वित्त आयोग से आबंटित राशि रु.34.67 लाख कुल राशि रु. 41.67 लाख के निम्नानुसार संरक्षण एवं विकास कार्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा पूर्ण करवाये गये हैं-

(पर्यटन मंत्री)

1. कुण्ड के किनारे पर स्थित बारादरी का जीर्णोद्धार कार्य।
2. कुण्ड के क्षतिग्रस्त प्लास्टर व सीढ़ियों का मरम्मत कार्य।
3. नावां रोड स्थित ½ कि.मी नाले को पक्का करना, ताकि बरसात का पानी कुण्ड में जा सकें।
4. कुछ मंदिरों की क्षतिग्रस्त नीवों को दीवार बनाकर सुरक्षित करना।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम संचालक मण्डल द्वारा दिल्ली कार्यालय हेतु क्रय किये गये वाहन

618. **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के संचालक मण्डल द्वारा मितव्ययिता के लिये नये सामान खरीदने पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो कब से कब तक ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पूर्व में दिल्ली स्थित कार्यालय के लिये नये वाहन खरीदे गये ? यदि हां, तो कब-कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा दिल्ली स्थित कार्यालय के लिये अति विशिष्ट मेहमान एवं अधिकारियों के लिये नये वाहन खरीदे जा रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से वाहन कितनी-कितनी लागत के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्त विभाग (आय-व्ययक), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2009 को जारी मितव्ययिता परिपत्र सभी निगमों पर लागू है। अतः यह राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर भी लागू है। उक्त ओदश 16.9.2009 से 30 जून, 2010 तक प्रभावी है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा इस सम्बन्ध में परिपत्र एफ एस/बजट/2009-10/5438 दिनांक 22.9.2009 जारी किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) दिल्ली स्थित कार्यालय के लिये वर्ष 2001 में एक एम्बेसेडर ए.सी. (पेट्रोल/सी.एन.जी.) कार खरीदी गयी थी, जिसका नं. DL 1-CH_9757 है ।

(पर्यटन मंत्री)

(3) दिल्ली स्थित केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय/शाही रेलगाड़ी नई दिल्ली हेतु एक उपयुक्त ए.सी. पैट्रोल कार अनुमानित लागत रु. 7.00 लाख (अक्षरे रुपये सात लाख मात्र) खरीद किये जाने हेतु प्रस्तावित है। उक्त क्रय हेतु वित्त विभाग से शिथिलता प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान टूरिज्म डवलपमेन्ट कारपोरेशन निगम लिमिटेड

राज्य सरकार का उपक्रम

गवर्नमेन्ट होस्टल परिसर, एम आई रोड़, जयपुर

फोन: 91.141.511578, 5115779 फैक्स: 0141, 2201045, ई-मेल rtdcipr@sancharnet.in

क्रमांक : एफ. एस./बजट/2009-10/5438 दिनांक 22.09.2009

<u>आवश्यक</u>

"परिपत्र"

राज्य के अधिकांश भाग में सूखे के हालात एवं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार ने राज्य के व्यय एवं सभी निगमों में मितव्ययता करने हेतु परिपत्र क्रमांक प. 9 (1) वित्त 1 (1)/आय व्ययक/2008 दिनांक 16.9.2009 द्वारा निर्देशित किया हैं।

इस क्रम में उपरोक्त कारणों के चलते इस विषय पर निम्न परिपत्र/पत्र इस वर्ष निगम मुख्यालय द्वारा जारी किये गये हैं :-

1 क्रमांक एफ एस/बजट/2009-10/1200 दिनांक 14.05.2009

2 क्रमांक एफ एस/बजट/2009-10/3805 दिनांक 03.08.2009

3 क्रमांक एफ एस/बजट/2009-10/4193 दिनांक 17.08.2009

पुनः इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि

1. इकाइयों द्वारा संबंधित बजट मदों के अन्तर्गत किये गये बजट प्रावधानों की सीमा तक ही व्यय किया जा सकेगा।
2. समस्त बकाया की वसूली अभियान चला कर की जावें।
3. वाहन, एयर कंडीशनर (कार्यालयों हेतु) मोबाइल फोन, नये टेलीफोन कनेक्शन (नई इकाइयों को छोड़कर) का क्रय नहीं किया जावे।
4. अपरिहार्य कारणों से निगम हित में हवाई यात्रा करना परमावश्यक होने की स्थिति में ही प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति से ही यात्रा कर सकेंगे।

5. दिल्ली के अतिरिक्त राज्य के बाहर अथवा अन्य स्थानों पर यदि निगम हित में ऐसी यात्रा करना परमावश्यक हो तो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से अनुमति प्राप्त कर यात्रा की जा सकेगी ।

6. विदेश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगी। लेकिन जहां इस यात्रा का शत प्रतिशत व्यय SPONSORING AGENCY द्वारा वहन किया जाना है वहां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त की जाकर विदेश यात्रा की जा सकेगी।

7. निगम स्तर पर भोज आयोजित करने हेतु बोर्ड से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा । शिलान्यास, उद्‌घाटन समारोह कार्यशालाए इत्यादि सादा समारोह के रूप में ही सम्पन्न हो ।

8. बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि के बिलों में पूर्ण मितव्ययता रखी जावे एवं व्यय में 10% की कमी की जावे।

9. यथा सम्भव प्रत्येक कमरे, गलियारें आदि में सी.एफ.एल. का प्रयोग करें। रात्रि को न्यूनतम आवश्यक रोशनी कर अनावश्यक लाइट बंद रखे।

10. विद्युत के उपकरण यथा गीजर, कूलर, एयर कन्डीशनर, पंखे, फ्रिज, आदि को अनावश्यक चालू नहीं रखें।

11. निगम मुख्यालय में निगम कार्य हेतु इकाइयों से अधिकारी/कर्मचारी को बुलवाना तथा मुख्यालय से इकाई पर भेजने से पूर्व सक्षम स्वीकृति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त की जावे। यथा संभव कार्य पत्र/फैक्स/ई-मेल के माध्यम से किया जावे।

12. आपसी सहमति से तथा स्वयं के आवेदन पर होने वाले स्थानान्तरण पर कोई यात्रा व्यय आदि का भुगतान नहीं किया जावे ।

13. प्रत्येक इकाई प्रभारी यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक आगंतुक/अतिथि/निगम के अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार बिल बनाकर निर्धारित राशि वसूली की जावें।

14. निगम कार्य हेतु यात्रा करने पर किराये की टैक्सी अथवा निगम वाहन का मिलकर उपभोग किया जावे।

15. सभी इकाई प्रभारी, विभागाधिकारी, कार्यशाखा, रेल, रायल राजस्थान आन व्हील्स के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बजट अनुमान 2009-10 के अनुसार निर्धारित आय के लक्ष्यों की प्राप्ति हो तथा साथ ही निर्धारित खर्चों में मितव्ययता बरती जावें।

16. उपरोक्त सभी तथ्यों की समय-समय पर समीक्षा करें। मुख्यालय द्वारा इस बाबत प्रत्येक समीक्षा बैठक में इन विषयों पर भी चर्चा की जावेगी।

17. समस्त चालू निर्माण कार्य समय पर पूर्ण किये जावें। विलम्भ होने की दशा में पैनेल्टी लगाई जावेगी तथा पूर्व स्वीकृत खर्चे की राशि अधिक होने की दशा में अधिक व्यय की राशि को भी अधिकृत नहीं किया जावेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

नगरपालिका क्षेत्र रतनगढ़ में शहरी बाल विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना

619. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शहरी बाल विकास परियोजना का कार्यालय नगरपालिका क्षेत्र की 50 हजार आबादी होने पर खोले जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू की कौन-कौन सी नगरपालिका क्षेत्र में शहरी परियोजना कार्यालय कहां-कहां स्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो नगरपालिका क्षेत्र रतनगढ़ एवं राजलदेसर व छापर की कुल कितनी आबादी है तथा आबादी के अनुपात में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र वर्ष 2004-05 से 2009-10 में कहां-कहां स्वीकृत किये गये? नगरपालिकावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका रतनगढ़ एवं राजलदेसर के केन्द्र सुजानगढ़ परियोजना के अधीन संचालित हैं तथा परियोजना से जुडे कार्मिकों/लोगों को अनावश्यक यात्रायें करनी पड़ती हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि नगरपालिका रतनगढ़ एवं राजलदेसर का कलस्टर बनाया जाने हेतु शहरी बाल विकास परियोजना कार्यालय रतनगढ़ में स्वीकृति के लिए निर्धारित नोर्म्स की पूर्ति होती है? क्या सरकार शहरी परियोजना का कार्यालय रतनगढ़ में स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 1 लाख की आबादी पर बाल विकास परियोजना खोली जा सकती है। भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जिला चूरू की नगरपालिका क्षेत्र में तीन शहरी परियोजनाओं का कार्यालय निम्नानुसार स्थापित है:-

नाम परियोजना	**परियोजना में शामिल नगरपालिकाएं**
चूरू शहर	चूरू
सरदारशहर	सरदारशहर, राजगढ़, तारानगर, रतन नगर
सुजानगढ़	सुजानगढ़, राजलदेसर, रतनगढ़, बीदासर, छापर

सुजानगढ़ में जाट छात्रावास के पास, रेल्वे स्टेशन रोड पर, सरदारशहर में वार्ड नं. 21 पींचा बास सरदारशहर तथा चूरू में पंचायत समिति कार्यालय के पीछे, चूरू में कार्यालय स्थापित है।

(3) जी हां। भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में औसतन 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों तथा अनु. जाति/जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिकता से आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार नगरपालिका क्षेत्र रतनगढ़ की आबादी 63 हजार 486, राजलदेसर की आबादी 22 हजार 386 एवं छापर की आबादी 17 हजार 909 थी। इन तीनों नगरपालिका क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 70 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये है, जिनकी सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(4) जी हां। चूरू जिले की सभी नगरपालिकाओं को आईसीडीएस सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से छोटी-छोटी नगरपालिकाओं को जोड़कर बाल विकास परियोजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत करवाई गई हैं। जी नहीं। पर्यवेक्षक का मुख्यालय संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में ही रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैक्टर मीटिंग भी संबंधित नगरपालिका मुख्यालय पर आयोजित की जाती है। इसलिए अनावश्यक यात्राएं नहीं करनी पड़तीं।

(5) जी नहीं। रतनगढ़ एवं राजलदेसर की आबादी वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 86 हजार 322 होती है। इसलिए परियोजना स्वीकृति के

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भिजवाये जा सकते हैं। शीघ्र ही नई जनगणना प्रारम्भ हो रही है। वर्ष 2011 के जनगणना समंकों के उपरान्त इस पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भीम विधान सभा क्षेत्र में जनजाति परिवारों को देय सुविधाएं

620. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने जनजाति परिवार हैं ? क्या सरकार उक्त जनजाति परिवारों को डूंगरपुर, बासंवाड़ा में प्रदान की जाने वाली सुविधा विधान सभा क्षेत्र भीम के जनजाति परिवारों को भी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 691 जनजाति परिवार हैं।

डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं जबकि विधान सभा क्षेत्र भीम, बिखरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद औषधालयों का क्रमोन्नयन

621. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? उक्त औषधालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने एवं उक्त औषधालयों में नवीन पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों को क्रमोन्नत करने एवं नवीन आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान में 'अ' श्रेणी का एक आयुर्वेद

(आयुर्वेद मंत्री)

चिकित्सालय तथा 'ब' श्रेणी के 27 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं, सूची (परिशिष्ट–क) संलग्न है।

इन आयुर्वेद औषधालयों में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है–

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
आयुर्वेद चिकित्सक	28	7
नर्स-कम्पाउन्डर	25	2
परिचारक	20	5

चिकित्सालय व औषधालय अनुसार स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर आयुर्वेद चिकित्सकों व नर्स-कम्पाउन्डर के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिचारक के रिक्त पदों को यथा संभव शीघ्र भरने की कार्यवाही की जावेगी ।

पद पूर्व में ही सृजित है अत: नवीन पद सृजन की आवश्यकता नहीं है।

(3) मांग, गुणावगुण व वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट 'क'

विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में संचालित विभागीय आयुर्वेद चिकित्सालयों व औष धालयों की सूची, इनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	स्थान औषधालय	स्वीकृत पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
		चिकित्सक	नर्स/कम्पा.	परिचारक	चिकित्सक	नर्स/ कम्पा.	परिचारक
चिकित्सालय							
1	सावर	1	2	1	-	-	-
औषधालय							
2	आलोली	1	1	पद स्वीकृत नहीं	-	-	-

क्र. सं.	स्थान औषधालय	स्वीकृत पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
		चिकित्सक	नर्स/कम्पा.	परिचारक	चिकित्सक	नर्स/ कम्पा.	परिचारक
3	बघेरा	1	1	1	-		-
4	बाजटा	1	1	1	-	-	-
5	बिसुन्दनी	1	1	1	1	-	1
6	चीतीवास	1	1	1	1	-	-
7	धून्धरी	1		पद स्वीकृत नहीं	-	-	-
8	देवगांव	1	1	1	-	-	-
9	घटियाली	1	1	1	-	-	1
10	गुलगांव	1	1	1	-	-	-
11	गोयला	1	1	पद स्वीकृत नहीं	1	-	-
12	हिंगोनिया	1	1	1	-	-	1
13	जूनिया	1	1	1	-	-	-
14	जोताया	1	1	1	1	-	1
15	केकड़ी	1	1	1	1	-	-
16	कुशायता	1		1	1	-	-
17	कंवरजी का कालेडा	1	1	1	-	-	-
18	खवास	1	1	पद स्वीकृत नहीं	-	-	-
19	मेहरूकलां	1	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं	-	-	-
20	पीपलाज	1	1	पद स्वीकृत नहीं	1	-	-
21	पारा	1	1	1	-	1	-
22	प्रान्हेडा	1	पद स्वीकृत नहीं	1	-	-	1
23	सदारा	1	पद स्वीकृत नहीं	1	-	-	-
24	सल्लारी	1	1	1	-	-	-
25	सापला	1	1	1	-	-	-
26	सराना	1	1	1	-	1	-
27	सदापुरा	1	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं	-	-	-
28	टाकावास	1	1	पद स्वीकृत नहीं	-	-	-

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-344 का विवरण)

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	वर्ष	अतिक्रमित रकबा फुट	अतिक्रमण का प्रकार
1.	श्री हीरा पिता भवाना कीर निवासी जहाजपुर	2005-06 से निरन्तर	65×50	पक्का मकान बाडा
2.	श्रीमती मीरा पत्नि सोहन लाल खटीक नि. जहाजपुर	2005-06 से निरन्तर	60×40	पक्का कमरा
3.	श्रीमती मांगी पत्नि दोलु खटीक नि. जहाजपुर	2005-06 से निरन्तर	60×30	पक्का कमरा
4.	श्री लढ्या पिता चन्द्रा खटीक नि. जहाजपुर	2005-06 से निरन्तर	60×30	कच्चा घर
5.	श्री भोलू पिता भूरा तेली निवासी जहाजपुर	2005-06 से निरन्तर	60×30	बाडा
6.	श्री गोपाल पिता भोलू तेली निवासी जहाजपुर	2005-06 से निरन्तर	20×11	पक्का कमरा
7.	श्री गोकल पिता नाथू खटीक निवासी जहाजपुर	2005-06 से निरन्तर	60×30	बाडा
8.	श्रीमती तिजू पिता हीरा कीर नि. जहाजपुर	2009-10 से निरन्तर	90×17	कच्चा घर
9.	श्री भागचन्द पिता हीरा कीर नि. जहाजपुर	2009-10 से निरन्तर	90×26	कच्चा घर
10.	श्री नोरत पिता हीरा कीर नि. जहाजपुर	2009-10 से निरन्तर	60×70	कच्चा घर
11.	श्री पप्पू उर्फ पुरूषोत्तम पिता हेमराज खटीक नि. जहाजपुर	2009-10 से निरन्तर	30 × 25	बाडा

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	वर्ष	अतिक्रमित रकबा फुट	अतिक्रमण का प्रकार
12.	श्री मूला पिता दुर्गालाल खटीक नि. जहाजपुर	2009-10 से निरन्तर	60 × 30	बाडा
13.	श्रीमती ललिता पत्नि रामप्रसाद धोबी नि. जहाजपुर	2009-10 से निरन्तर	30 × 25	पक्का कमरा
14.	श्री घनश्याम पिता रतनलाल धोबी नि. जहाजपुर	2009-10 से निरन्तर	30 × 25	पक्का कमरा
15.	श्रीमती पारवती पत्नि रामदेव खटीक नि. जहाजपुर	2009-10 से निरन्तर	30 × 20	बाडा
16.	श्रीमती नाथी पत्नि दुर्गालाल खटीक नि. जहाजपुर	2009-10 से निरन्तर	60×40	पक्का कमरा

परिशिष्ट-2

मा. विधायक द्वारा प्रेषित शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण

मा. विधायक जहाजपुर का पत्र दिनांक 04.03.2009 प्राप्त होने पर इस पत्र की प्रतिलिपि जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 12.03.2009 द्वारा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को प्रेषित की जाकर निर्देशित किया गया कि इस पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जांच/निष्कर्षात्मक कार्यवाही कर जांच/पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । तदोपरान्त दिनांक 18.05.2009 एवं 08.06.2009 को पुनः उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा लिखा गया।

माननीय विधायक जहाजपुर का पत्र दिनांक 09.06.2009 प्राप्त होने पर पुनः उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को जिला कलक्टर द्वारा पत्र दिनांक 25.06.2009, 16.07.2009, 10.08.2009, 26.08.2009 एवं 23.09.2009 लिख कर कार्यवाही कर पालना प्रेषित करने हेतु लिखा गया। इसके उपरान्त सचिव सतर्कता समिति एवं अति. जिला कलक्टर द्वारा 05.10.2009 को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा 18.03.2010 को पुनः अर्द्धशासकीय पत्र लिख कर उपखण्ड अधिकारी को विस्तृत जांच/निष्कर्षात्मक कार्यवाही कर जांच पालना रिपोर्ट 7 दिन में प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-346 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

जिला चूरू :- माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय सूची

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायत मुख्यालय
1	चूरू	1	थैलसर
		2	श्योपुरा
2	सरदारशहर	3	जीवणदेसर
		4	खीवणसर
		5	नेणासर-सुमेरिया
		6	कीकासर
		7	देराजसर
		8	कुकनसर-छोटा
		9	मेलूसर
3	सुजानगढ़	10	सडू छोटी
		11	मुरडाकिया
		12	गिरवरसर
		13	धटियाल बड़ी
4	तारानगर	14	खरपतवासिया
		15	मेधसर
		16	पण्डरेउताल
		17	मिखाला
		18	सोमसीसर
		19	आनन्दसिंहपुरा
		20	झाडसर-छोटा
		21	अलायता
		22	खुडडी
		23	महलाना उतराधा
5	रतनगढ़	24	सांगासर
		25	रतनसरा
		26	कनवासी

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायत मुख्यालय
6	सादुलपुर	27	बीजावास
		28	ढाणीमौजी
		29	वेवड
		30	ढढालले खू
		31	सुलखनिया छोटा
		32	सांखणताल

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या-347 की सूचना)

क्र.सं.	जिला	योग भा.द.सं. वर्ष 2009		प्रतिशत
		दर्ज अपराध	चालान	
1	अजमेर	6275	3842	83.23
2	भीलवाड़ा	5485	3219	79.74
3	नागौर	4231	2215	82.62
4	टौंक	3453	2265	86.06
5	अजमेर रेंज	19534	11541	82.64
6	जयपुर उत्तर	3905	1966	71.03
7	जयपुर दक्षिण	6121	2157	51.55
8	जयपुर पूर्व	6762	2317	44.27
9	जयपुर ग्रामीण	9052	5016	77.47
10	जयपुर रेंज प्रथम	25840	11456	61.39
11	झुंझुनूं	4237	2598	86.23
12	सीकर	5138	2960	84.55
13	दौसा	5092	2675	74.60
14	अलवर	10092	5646	78.95
15	जयपुर रेंज द्वितीय	24559	13879	80.45
16	बीकानेर	3883	2540	89.82
17	चूरू	3165	1751	88.35
18	गंगानगर	5557	3223	9036
19	हनुमानगढ़	3721	2020	90.34
20	बीकानेर रेंज	16326	9534	89.83
21	भरतपुर	8394	4189	81.48
22	सवाईमाधोपुर	3406	1887	78.36
23	धौलपुर	4174	2318	82.64
24	करौली	4112	2256	83.68

क्र.सं.	जिला	योग भा.द.सं. वर्ष 2009		प्रतिशत
		दर्ज अपराध	चालान	
25	भरतपुर रेंज	20086	10650	81.61
26	जोधपुर शहर	3705	1597	60.93
27	जोधपुर ग्रामीण	2906	1856	86.81
28	जालौर	2684	1764	90.23
29	जैसलमेर	1037	676	84.50
30	बाड़मेर	3110	1902	89.63
31	पाली	5255	3209	89.36
32	सिरोही	2033	1297	84.00
33	जोधपुर रेंज	20730	12301	83.28
34	कोटा शहर	4245	2175	67.48
35	कोटा ग्रामीण	2354	1703	91.26
36	बून्दी	3665	2519	88.79
37	झालावाड़	4345	2872	85.12
38	बारां	3376	2326	89.39
39	कोटा रेंज	17985	11595	83.41
40	उदयपुर	7467	4781	83.16
41	बांसवाड़ा	2286	1657	94.15
42	चित्तौड़गढ़	4754	3146	84.89
43	डूंगरपुर	1895	1553	94.18
44	राजसमंद	2457	1693	88.92
45	प्रतापगढ़	1718	1125	91.99
46	उदयपुर रेंज	20577	13955	87.27
47	जी आर पी अजमेर	657	322	52.27
48	जी आर पी जोधपुर	271	164	65.34
	कुल योग	**166565**	**95397**	80.12